

3L H 370.954
RAW



122092
LBSNAA

राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी
Academy of Administration

मसूरी
MUSSOORIE

पुस्तकालय
LIBRARY

अवाप्ति संख्या
Accession No.

— 122092
~~30-32~~

वर्ग संख्या
Class No.

GLH 370.954

पुस्तक संख्या
Book No.

RAW सन्त

प्राचीन से आधुनिक
भारतीय शिक्षा का इतिहास

प्राचीन से आधुनिक
भारतीय शिक्षा का इतिहास

लेखक

प्यारे लाल रावत एम० ए०, एल० टी०

प्राध्यापक

बलवन्त राजपूत कालेज,
आगरा ।

प्रस्तावना लेखक—

डा० राम करन सिंह एम० ए०, एल० एल० बी०, डी० एड (हारवर्ड) यू० एस० ए०
प्रिंसीपल

बलवन्त राजपूत कालेज,
आगरा ।

प्राक्कथन लेखक—

डा० सरयू प्रसाद चौबे एम० ए०, एम० एड० (इलाहाबाद),
ईडी० डी० (इण्डियाना) यू० एस० ए० ।

प्राध्यापक—

बलवन्त राजपूत ट्रेनिङ्ग कालेज,
आगरा ।

प्रकाशक

नाथ पब्लिशिंग हाउस
राजामण्डी, आगरा ।


प्रकाशक :—
नाथ पब्लिशिंग हाउस
राजामन्डी
आगरा ।

[All rights including those of translation strictly reserved by the Author. No portion of the book in any form, part or whole, may be reproduced without the written permission of the Author.]

प्रथम संस्करण : जनवरी १९५३ ई०

मुद्रक :—
भुवनेश्वर दयाल अप्रवाल बी० एस सी०
रजाल पेप क्वीपीटोला आगरा ।

शिक्षक
व
शिक्षा-मर्मज्ञ
मान्यवर
डा० राम करन सिंह जी
के
कर-कमलों
में
सादर समर्पित



प्रस्तावना

मुझे यह लिखते हुये अति प्रसन्नता होती है कि मेरे मित्र व सहयोगी श्री प्यारेलाल रावत द्वारा लिखा हुआ 'प्राचीन से आधुनिक भारतीय शिक्षा का इतिहास' हिन्दी में अपने विषय का प्रथम विस्तृत व मौलिक प्रयास है। श्री रावत ने इस पुस्तक की रचना में विभिन्न मूल-ग्रन्थों से सहायता ली है जिनका उन्होंने यथास्थान उल्लेख किया है। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें प्राचीन-काल, मध्ययुग तथा आधुनिक काल की विभिन्न शिक्षा प्रणालियों का एक क्रमिक विकास चित्रित किया गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि राष्ट्रभाषा में उच्च अध्ययन के लिये प्रमाणिक ग्रन्थों की कितनी आवश्यकता है। मुझे अत्यन्त हर्ष है कि श्री रावत ने अपनी इस रचना द्वारा शिक्षा-क्षेत्र में इस अभाव की पूर्ति करने का सराहनीय प्रयास किया है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में आधुनिक शिक्षा अधिकांश में पश्चिम की देन है और बहुत कुछ अंशों में प्राचीन भारतीय शिक्षा से असम्बद्ध है, तथापि प्राचीन शिक्षा के प्रकाश में आधुनिक शिक्षा समस्याओं का तुलनात्मक विवेचन विषय को अधिक स्पष्ट और वास्तविक रूप में प्रस्तुत कर देता है। प्रस्तुत पुस्तक में श्री रावत ने इस विवेचन के साथ आधुनिक शिक्षा समस्याओं को उनके मूल रूप में समझ कर उनके लिये व्यवहारिक सुझाव रखे हैं।

मुझे यह देखकर अत्यन्त हर्ष हुआ कि इस पुस्तक में वर्तमान भारतीय शिक्षा जगत के आधुनिकतम आन्दोलनों, जैसे बेसिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा (प्रौढ़ शिक्षा) तथा औद्योगिक व व्यवसायिक शिक्षा का विस्तृत उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रगति का क्रमिक इतिहास देते हुए उनका आलोचनात्मक वर्णन किया है। भारतीय शिक्षा के अन्तर्गत नियुक्त किये गये प्रायः सभी प्रमुख कमीशनों, समितियों तथा योजनाओं जैसे: बुड का घोषणा-पत्र, भारतीय शिक्षा कमीशन (इन्टर कमीशन), कलकत्ता विश्व-विद्यालय कमीशन (सैडलर कमीशन), भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन १९०२ ई० व १९४९ ई०, हार्टांग समिति, वर्धा योजना, बुड-एबट समिति, युद्धोत्तर शिक्षा-विकास योजना १९४४ ई० (सार्जेंट योजना), माध्यमिक शिक्षा कमीशन १९५२ ई० तथा प्रस्तावित विश्वविद्यालय-बिल इत्यादि का अच्छा विवेचन किया है।

मुझे विश्वास है कि ऐसी रचना न केवल शिक्षा के विद्यार्थियों के लिये ही, अपितु साधारण पाठकों के लिये भी अत्यन्त मूल्यवान् सिद्ध होगी। मैं श्री रावत की सफलता की हृदय से कामना करता हूँ।

राम करन सिंह

आगरा

१०-१२-५२ ई०।

एम० ए०, एल एल० बी०, डी० एड (हारवर्ड)

प्रिन्सीपल, बलबन्त राजपूत कालेज,

आगरा।

प्राक्थन

“प्राचीन से आधुनिक भारतीय शिक्षा का इतिहास” के प्रणेता श्री प्यारे लाल रावत, एम० ए०, एल० टी०, मेरे शिष्य रह चुके हैं। अतः आज उनकी इस पुस्तक के लिए दो शब्द लिखने में मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। श्री रावत की प्रतिभा से मैं बहुत प्रारम्भ से ही बड़ा प्रभावित रहा हूँ। इनकी शैली, भाषा-सौष्ठव और विचार-गाम्भीर्य प्रशंसनीय हैं। मेरी समझ में प्रस्तुत पुस्तक अपने ढङ्ग की अकेली है। अब तक हिन्दी में इस विषय पर जितनी पुस्तकें निकल चुकी हैं उनमें श्री रावत की पुस्तक का स्थान बहुत ही ऊँचा है। कुछ अंश में इसे सर्वश्रेष्ठ भी कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। इसमें विभिन्न लेखकों के मतों के गवेषणात्मक विवेचन और विश्लेषण के साथ साथ श्री रावत ने अपनी मौलिकता का स्पष्ट परिचय दिया है। पुस्तक का प्रणयन बड़े ही शास्त्रीय ढङ्ग से किया गया है। मेरा विचार है कि यह पुस्तक भारतीय शिक्षा के सभी विद्यार्थियों अर्थात् शिक्षा-शास्त्रियों, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त उपयोगी है। अतः हिन्दी में इस प्रकार की पुस्तक लिखकर श्री रावत ने केवल शिक्षा-क्षेत्र की ही नहीं, वरन्, एक दृष्टिकोण से हिन्दी की भी सेवा की है। पुस्तक इतनी अचूकी है कि इसके लिए कुछ लिखने में मैं अपने को गौरवान्वित समझ रहा हूँ।

अब हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेशों के विश्वविद्यालयों में भी हिन्दी धीरे धीरे शिक्षा का माध्यम हो चली है। किन्तु उपयुक्त पुस्तकों के अभाव के कारण यह अति बांझनीय प्रगति अभी भली भाँति प्रवाह नहीं पकड़ पाई है। इस प्रगति को प्रवाह देने की जो चेष्टा करता है उसके प्रति सारे शिक्षा-संसार को कृतज्ञ होना चाहिये। प्रस्तुत पुस्तक की रचना से श्री रावत ने इस प्रगति को आगे प्रवाहित करने का पूरा प्रयत्न किया है। इस दृष्टिकोण से शिक्षा-जगत श्री रावत का ऋण है। मुझे आशा है कि शिक्षा-क्षेत्र में इस पुस्तक का आदर होगा।

श्री रावत अभी नवयुवक हैं और उनमें विभिन्न श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रेरणा और उत्साह कूट कूट कर भरा हुआ है। मेरा विश्वास है कि वे इसी प्रकार शिक्षा क्षेत्र की बड़ी बड़ी सेवायें करेंगे। मेरी मनोकामना है कि श्री रावत जैसे उत्साही और चरित्रवान् नवयुवकों को कार्य करने का समुचित अवसर मिलता रहे जिससे समाज उनके गुणों और प्रतिभा से पूरा-पूरा लाभ उठाकर उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे !!!

बलवन्त राजपूत ट्रेनिङ्ग कॉलेज,
आगरा।
१४ दिसम्बर, १९५२।

सरयू प्रसाद चौबे,
एम० ए०, एम० एड, (इलाहाबाद),
ईडी० डी० (इण्डियाना) यू० एस० ए०

भूमिका

भारत में जनतंत्र के विकास के साथ ही साथ शिक्षा का महत्व दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। देश की आर्थिक समस्याओं व योजनाओं के उपरान्त संभवतः शिक्षा ही वह प्रमुख विषय है जिस पर आज इतना चिन्तन किया जा रहा है। ऐसी अवस्था में देश की विभिन्न शिक्षा-समस्याओं को उचित रूप से समझने के लिये वर्तमान शिक्षा का आलोचनात्मक विवेचन तथा भूतकालीन शिक्षा-समस्याओं, परिस्थितियों एवं घटनाओं के क्रमिक विकास के इतिहास के अध्ययन की आवश्यकता है। प्रस्तुत पुस्तक इसी आवश्यकता को आंशिक पूर्ति का एक प्रयास है।

भारतीय शिक्षा पर अंग्रेजी भाषा में पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है। किन्तु राष्ट्रभाषा में इस प्रकार के प्रमाणिक ग्रन्थों का पूर्णतः अभाव है। हिन्दी में अभी तक कोई ऐसा ग्रन्थ नहीं लिखा गया जोकि भारतीय शिक्षा का अनुसन्धानात्मक विवेचन करता हो और जिसमें प्राचीन, मध्य युग तथा वर्तमान काल की शिक्षा-प्रगति का विवरण एक ही पुस्तक में विस्तृत रूप से किया गया हो। परिणामतः शिक्षा के विद्यार्थियों एवं भारतीय शिक्षा में रुचि रखने वाले जिज्ञासुओं को दुरुह कठिनाई का सामना करना पड़ता था। 'प्राचीन से आधुनिक भारतीय शिक्षा का इतिहास' इस अभाव को दूर करने का एक लघु प्रयास है।

इस पुस्तक में प्राचीन-शिक्षा को दो भागों—ब्राह्मणीय शिक्षा तथा बौद्ध शिक्षा—में विभक्त कर दिया गया है। प्रायः मध्यकालीन शिक्षा का अभिप्राय केवल मुसलिम शिक्षा से ही लिया जाता है। किन्तु प्रस्तुत पुस्तक में तत्कालीन हिन्दू शिक्षा का भी उल्लेख किया गया है। आधुनिक काल की शिक्षा का वर्णन एक भारतीय दृष्टिकोण को लेकर तथा समस्याओं को उनके मूल रूप में समझाते हुए एवं उनके लिये व्यावहारिक व वैज्ञानिक सुझाव रखते हुए अधिक विस्तार से देने की चेष्टा की गई है। पुस्तक की भाषा को सरलतम हिन्दी रखा गया है किन्तु कुछ प्रचलित अंग्रेजी शब्दों जैसे: स्कूल, कालेज, रिपोर्ट, कमीशन इत्यादि को भी हिन्दी के क्रम में स्वीकार कर लिया गया है। इस पुस्तक की रचना में मैंने अन्य मूल-ग्रन्थों तथा विभिन्न सरकारी व गैर-सरकारी प्रतिवेदनों की स्वतंत्रता पूर्वक सहायता ली है, जिनका यथास्थान उल्लेख कर दिया है। ऐतिहासिक महत्त्व रखने वाले उद्धरणों व कथनों को पुस्तक के प्रवाह के साथ ही प्रसंगानुसार उचित स्थानों पर मिला दिया गया है।

प्रस्तुत पुस्तक के अस्तित्व का पूर्ण श्रेय मेरे पूजनीय गुरुवर्य डा० सरयूप्रसाद चौबे एम० ए०, एम० एड० (इलाहाबाद), ईडी० डी० (इण्डियाना), संयुक्तराष्ट्र,

अमेरिका, को है जिनकी आत्मिक प्रेरणा, पथ-प्रदर्शन तथा रचनात्मक सुझावों के बिना मेरा यह तुच्छ प्रयास असंभव ही था। अतः मैं उनका चिरञ्छणी हूँ। श्री कपिलदेवसिंह जी, एम० ए०, प्रधान पुस्तकाध्यक्ष, बलवन्त राजपूत कालेज आगरा, ने मुझे आवश्यक पुस्तकों की सहायता देकर मेरे कार्य को अत्यंत सुलभ कर दिया, अतः मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करता हूँ। प्रोफेसर बंशीधर सिंह जी एम० ए०, बी० टी०, ए० डिप० एड० (लन्दन), अध्यक्ष बलवन्त राजपूत ट्रेनिंग कालेज आगरा, से मुझे जो प्रेरणा व पुस्तक-सहायता मिली उसके लिये मैं कृतज्ञ हूँ। साथ ही उन अगणित सहायक-पुस्तकों के उन अपरिचित रचयिताओं का भी मैं आभारी हूँ जिनकी कृतियों से मैंने निस्संकोच सहायता ली है। अन्त में, अपने मित्र श्री सतीशचन्द्र मीतल तथा अपने प्रकाशक को भी पुस्तक के शीघ्र प्रकाशित कराने के लिये धन्यवाद देता हूँ। यदि शिक्षा के विद्यार्थी तथा अन्य शिक्षा-प्रेमी इस रचना से लाभान्वित हो सके तो मैं अपने इस प्रयास को सार्थक समझूँगा।

१५ दिसम्बर, १९५२।

प्यारें लाल रावत

बलवन्त राजपूत कॉलेज, आगरा।

एक सम्मति

श्री प्यारेलाल रावत का प्रस्तुत प्रयास, “प्राचीन से आधुनिक भारतीय शिक्षा का इतिहास” अति प्रशंसनीय है। हिन्दी साहित्य में और विशेष रूप से शिक्षक-शिक्षण क्षेत्रों में, एक ऐसी पुस्तक की अत्यन्त आवश्यकता थी, जिसमें भारतीय शिक्षा का सर्वाङ्गीय इतिहास मौलिक विवेचनाओं तथा लाभप्रद सुझावों सहित दिया गया हो। मुझे अति हर्ष है कि श्री रावत जी की वर्तमान पुस्तक बहुत अंशों में साहित्य के इस अग की क्षति-पूर्ति कर सकेगी। वैदिक काल से अब तक भारत में शिक्षा की धारा का श्रोत अदृष्ट रहा है। हाँ, उसके तटवर्ती दृश्य अवश्य परिवर्तित होते रहे हैं। श्री रावत ने वैदिक-शिक्षा (ब्राह्मणीय शिक्षा), बौद्ध शिक्षा, मध्ययुगीन शिक्षा तथा वर्तमान शिक्षा प्रणालियों पर प्रचुर इतिहास सामग्री दी है। रावत जी की पैनी दृष्टि तथा उनकी मौलिक समालोचानायें सोने में सुगन्ध का काम कर रही हैं। पुस्तक में भावगांभीर्य, भाषा सौष्ठव, सरल एवं सुबोध शैली सराहनीय हैं। अब तक हिन्दी में कोई ऐसी एक पुस्तक नहीं थी जिसमें भारतीय शिक्षा का इतना विस्तृत एवं विशद इतिहास एकत्र हो। अतः श्री रावत इस प्रयास के लिये बधाई के पात्र हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि हिन्दी-संसार इस पुस्तक से लाभ उठायेगा, और इसे आदर देकर लेखक के परिश्रम को सफल कर उसे प्रोत्साहित करेगा।

बंशीधर सिंह

एम० ए०, बी० टी०, ए० डिप० एड (लन्दन)

अध्यक्ष, बलवंत राजपूत ट्रेनिंग कालेज,

आगरा।

६-१२-५२.

विषय-सूची

प्रथम खण्ड

विषय

अध्याय

पृष्ठ

(१) ब्राह्मणीय शिक्षा

१-५३

१.

वेदकालीन शिक्षा

१-१६

[विषय प्रवेश; ऋग्वेद; अन्य वेद; सामवेद; यजुर्वेद; अथर्व-वेद; ऋग्वेद में शिक्षा-भूमिका; शिक्षा प्रणाली; विशेषतायें; भौतिक शिक्षा; अन्य वेदों में शिक्षा; उपसंहार ।]

२.

उत्तर-वैदिक कालीन शिक्षा (१००० ई० से २०० ई० पू०)

१७-४२

[साधन; प्रसार; शिक्षा पद्धति और स्वध्याय; प्रवेश; विद्यार्थी के कर्त्तव्य; शिक्षक के कर्त्तव्य; शिक्षा प्रणाली; शिक्षा संस्थाओं के रूप: गुरुगृह, परिषद्, सम्मेलन। सूत्र साहित्य-पाठ्यवस्तु; शिक्षा पद्धति। महाकाव्यों में शिक्षा—पाठ्यवस्तु व विधि; स्त्री शिक्षा; औद्योगिक शिक्षा; वर्णानुसार व्यवस्था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र; आयुर्वेद अथवा चिकित्सा शास्त्र; पशुचिकित्सा; सैनिक शिक्षा; ललित कलायें व हस्त कलायें; उपसंहार ।]

३

ब्राह्मणीय शिक्षा का सिंहावलोकन

४३-५३

[उद्देश्य; शिक्षा-सिद्धान्त; शिक्षा पद्धति; शिष्य-गुरु सम्बन्ध; पाठ्यक्रम; गुण-दोष विवेचन, सफलतायें, असफलतायें; उपसंहार ।]

(२) बौद्ध शिक्षा

५४-७८

४.

बौद्ध शिक्षा प्रणाली

५४-६७

[वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म; प्रव्रज्या; उपसम्पदा; शिष्य-गुरु सम्बन्ध; विद्यार्थियों का निवास; भोजन, पाठ्यक्रम, औद्योगिक शिक्षा; शिक्षा पद्धति; ब्राह्मणीय शिक्षा से विभिन्नता; स्त्री-शिक्षा; बौद्ध शिक्षा के दोष; उपसंहार ।]

शिक्षा केन्द्र:—

६७-७८

[पृष्ठ भूमि; सुसंगठित शिक्षा संस्थायें; तक्षशिला; नालन्दा; बलभी; विक्रमशिला; ओदन्तपुरी; मिथिला; नदिया; जगद्दला ।]

द्वितीय खण्ड मध्य-कालीन शिक्षा

७६-११५

६.

१—मुस्लिम शिक्षा

७६-११०

[भूमिका; उद्देश्य; राज्य संरक्षण और शिक्षा-प्रसार, औरंग-जेब के उपरान्त; शिक्षा का संगठन—प्रारम्भिक शिक्षा : मकतब, प्रवेश, पाठ्यक्रम; उच्च शिक्षा : पाठ्यक्रम, शिक्षा-विधि; दंडविधान; पारितोषक; विशिष्ट शिक्षार्थी : स्त्री-शिक्षा, लालत कला व हस्त कला, सैनिक शिक्षा, साहित्य का उत्कर्ष। शिष्य-गुरु सम्बन्ध; क्षात्रावास; गुण-दोष विवेचन: विशेषतायें, इस्लामी शिक्षा के दोष; शिक्षा केन्द्र—आगरा; दिल्ली, जौनपुर, बीदर, उपसंहार ।]

२—मध्यकाल में हिन्दू शिक्षा

१११-११५

[भूमिका; शिक्षा का रूप; साहित्य; उपसंहार ।]

तृतीय खण्ड

आधुनिक शिक्षा

११६-३६५

७.

प्रारम्भिक योरपीय प्रयत्न (१८१३ ई० तक):— ११६-१४२

[भूमिका; तत्कालीन देशी शिक्षा की अवस्था—मद्रास, बम्बई, बंगाल, आगरा प्रान्त; देशी शिक्षा की अवनति—कारण; प्रारम्भिक मिशनरी प्रयत्न—पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, डेन । ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्रारम्भिक शिक्षा प्रयत्न, पार्लियामेंट में आन्दोलन; १८१३ ई० का आज्ञा पत्र ।]

८.

संघर्ष का प्रारम्भ (१८१३-३३ ई०):—

१४३-१६०

[संघर्ष के कारण—उद्देश्य, माध्यम, साधन; राजकीय प्रयत्न (१८१३-३३ ई०); शिक्षा-प्रगति—बंगाल, मद्रास; बम्बई, गैर सरकारी प्रयत्न—(१) मिशनरी शिक्षा प्रयत्न (१८१३-३३ ई०), बंगाल, बम्बई, मद्रास; (२) गैर-मिशनरी प्रयास (१८१३-३३ ई०) बंगाल, बम्बई, मद्रास, उत्तर-प्रदेश; पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली की प्रगति; १८३३ ई० का आज्ञापत्र ।]

६. संघर्ष की समाप्ति और शिक्षा का आँग्लीकरण
(१८३५-५३ ई०) १६१-१८१

[प्राच्य-पाश्चात्य शिक्षा विवाद—प्राच्य-शास्त्रीय शिक्षा के समर्थक, पाश्चात्य-शिक्षा के समर्थक; मैकाले का विवरण-पत्र तथा उसके परिणाम; बेंटिक की स्वीकृति; आलोचना; लार्ड ऑकलैंड की शिक्षानीति; ऐडम-योजना तथा उसका अस्वीकृति; शिक्षा छुनेने का सिद्धान्त (Filtration Theory); शिक्षा प्रगति (१८३५-५३ ई०)—बंगाल, बम्बई-शिक्षा बोर्ड, शिक्षा का माध्यम; मद्रास; उत्तर पश्चिम आगरा प्रान्त—हलकाबन्दी स्कूल; उपसंहार ।]

१०. बुड का शिक्षा घोषणा-पत्र १८५४ ई०:— १८२-१८८

[भूमिका; आज्ञापत्र की सिफारिशें—शिक्षा विभाग, विश्व-विद्यालय, जनसमूह की शिक्षा का विस्तार, सहायता-अनुदान, शिक्षकों का प्रशिक्षण, स्त्री-शिक्षा; आलोचना—गुण, दोष; उपसंहार ।]

११. शिक्षा की प्रगति (१८५४-१८८२ ई०) १८६-१६८

[भूमिका; विश्वविद्यालय तथा उच्चशिक्षा, आलोचना; माध्यमिक शिक्षा, दोष; स्टैनले का आज्ञापत्र; प्राथमिक शिक्षा ।]

१२. हन्टर कमीशन तथा उसके उपरान्त (१८८२-१९०४ ई०) १६६-२२४

(क) हन्टर कमीशन—भूमिका; नियुक्ति; उद्देश्य; सिफारिशें—देशी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च-शिक्षा; मिशनरी प्रयास; सरकार का शिक्षा-क्षेत्र से क्रमिक पलायन; सहायता-अनुदान-प्रथा; विशिष्ट शिक्षा; परिणाम ।

(ख) शिक्षा-प्रगति (१८८२-१९०४ ई०)—विश्वविद्यालय तथा कालेजीय शिक्षा, आलोचना; माध्यमिक शिक्षा; प्राथमिक शिक्षा; मिशनरी प्रयास ।

(ग) लार्ड कर्जन की शिक्षा नीति—भूमिका, भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन १९०२ ई०; सरकारी प्रस्ताव और शिक्षा-नीति १९०४ ई०; भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट १९०४ ई०; भारतीयमत; आलोचना; उपसंहार ।]

अध्याय

विषय

पृष्ठ

१३. स्वदेशी आन्दोलन और शिक्षा प्रगति (१९०५-१९२० ई०) २२५-२४१
 (क) आन्दोलन का प्रभाव; गोखले का बिल, भारत सरकार की १९१३ ई० की शिक्षानीति; अलोचना; कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन १९१७ ई०—नियुक्ति, सिफारिशें, आलोचना ।
 (ख) शिक्षा-प्रगति (१९०५-१९२० ई०)—विश्वविद्यालय शिक्षा; माध्यमिक शिक्षा; प्राथमिक शिक्षा; उपसंहार ।]
१४. द्वैधशासन के बाद शिक्षा प्रगति (१९२१-३७ ई०) २४२-२६७
 [(क) मांट फोर्ड सुधार; कुछ बाधाएँ; राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव; हर्टीग-समिति की रिपोर्टें: प्राथमिक शिक्षा; माध्यमिक शिक्षा; विश्वविद्यालय शिक्षा; स्त्री शिक्षा; उपसंहार । केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड; बुड-ऐबट रिपोर्ट ।
 (ख) शिक्षा प्रगति (१९२१-३७ ई०) १—विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा; अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड; नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना—दिल्ली, नागपुर, आन्ध्र, आगरा, अन्नमलाई; अन्य सुधार तथा प्रगति; उच्च शिक्षा के अन्य केन्द्र; २—माध्यमिक शिक्षा; ३—प्राथमिक शिक्षा; उपसंहार ।]
१५. प्रान्तीय स्वायत्तशासन से वर्तमान तक (१९३७-१९५२ ई०) २६८-३३६
 [१—भूमिका; वर्धायोजना (बेसिक-शिक्षा); गान्धीजी का भाषण; प्रस्ताव; जाकिर हुसैन-समिति; वर्धा योजना की विशेषताएँ; (१) शिक्षा का माध्यम बेसिक क्राफ्ट, (२) नागरिकता के गुणों का विकास; (३) योजना में स्वयंपूर्ति की भावना; पाठ्यक्रम; अध्यापकों का प्रशिक्षण; शिक्षणविधि; उपसंहार । योजना के अनुसार प्रगति । साजेंट रिपोर्ट (बुद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना); आलोचना; योजना की प्रगति ।
 २—माध्यमिक शिक्षा की प्रगति (१९३७-५२ ई०)—
 आचार्य नरेन्द्र देव समिति यू०पी० नियुक्ति : सिफारिशें; युद्ध के उपरान्त; मुदालियर कमीशन (१९५२ ई०); माध्यमिक शिक्षा की कुछ समस्याएँ; (१) उद्देश्य, (२) पाठ्यक्रम, (३) अनुशासन; (४) व्यक्तिगत प्रबन्ध तथा शासन, (५) शिक्षा का मानदंड, (६) परीक्षा-प्रणाली ।

३—विश्वविद्यालय शिक्षा (१९३७-५२ ई०)—भूमिका; नये विश्वविद्यालय; विश्वविद्यालयों में अनुसंधान; भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन १९४६ ई०—नियुक्ति, सिफारिशें; आलोचना। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें; कमीशन के उपरान्त; विश्वविद्यालय विधेयक १९५२ ई०—आलोचना; उपसंहार। केन्द्रीय योजनायें; शिक्षा योजना समिति की रिपोर्ट।

४—उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रगति (१९३७-५२ ई०)—भूमिका; प्राथमिक शिक्षा; माध्यमिक शिक्षा; उच्चतर-माध्यमिक स्कूल—आलोचना; शिक्षकों की दशा में सुधार; उच्चशिक्षा; उपसंहार।]

१६. भारत में प्रौढ़ शिक्षा

३३७-३६५

[भूमिका; मूल सिद्धान्त; भारत में प्रगति; प्रारम्भिक प्रयास; १९२१ ई० से स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रौढ़ शिक्षा; स्वतंत्रता के उपरान्त प्रौढ़-शिक्षा; उपसंहार।]

१७. औद्योगिक तथा व्यवहारिक शिक्षा

३५१-३५०

[भूमिका; प्रथम युग (१८००-१८५७ ई०)—चिकित्सा; कानून; इंजिनियरिंग; अन्य। द्वितीय युग (१८५७-१९०२ ई०)—कानून; चिकित्सा; इंजिनियरिंग शिक्षा; कृषि-विज्ञान शिक्षा; वाणिज्य शिक्षा; अन्य। तृतीययुग (१९०२-१९५२ ई०)—कानून; चिकित्सा (अ) मानव-चिकित्सा (ब) पशु-चिकित्सा; इंजिनियरिंग तथा टेकनिकल-शिक्षा; कृषि-शिक्षा; वाणिज्य-शिक्षा; अन्य; उपसंहार।]

सहायक पुस्तकें (Bibliography)

अनुक्रमणिका (Index)

प्रथम खंड

प्रथम अध्याय वैदिक कालीन शिक्षा

विषय प्रवेश

वर्तमान की जड़ अतीत में होती है। भारत के अतीत का गौरव वर्तमान को उज्वल करता हुआ उसके भविष्य को भी आकर्षक बना रहा है। प्राचीन भारत की एक मात्र विशेषता यह है कि इसका निर्माण राजनैतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक क्षेत्र में न होकर धर्म-क्षेत्र में हुआ था। जीवन के प्रायः सभी अंगों में धर्म का प्राधान्य था। भारतीय संस्कृति में धर्म की भावनायें श्रोत-प्रोत हैं। हमारे पूर्वजों ने जो जीवन की व्याख्या की तथा अपने कर्तव्यों का विश्लेषण किया वह सभी उनके वृहत्तर आध्यात्म ज्ञान की ओर संकेत करता है। उनकी राजनैतिक तथा सामाजिक वास्तविकतायें केवल भौगोलिक सीमाओं के अन्तर्गत ही बँध कर नहीं रह गईं। उन्होंने जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा और 'सर्वभूत हितः रता' होना ही अपना कर्तव्य समझा। भारत ने केवल भारतीयता का ही विकास नहीं किया उसने चिर-मानव को जन्म दिया और मानवता का विकास करना ही उसकी सभ्यता का एक मात्र उद्देश्य हो गया। उसके लिये वसुधा कुटुम्ब थी। आज भी जब वह अपनी निर्धनता, सामाजिक कुरीतियों और राजनैतिक असफलताओं के नीचे पड़ा कराह रहा है उसके मुख पर एक ज्योति उज्वलित हो रही है जो कि उसकी आत्मा का प्रकाश है। वह आज भी पीड़ित मानवता का अग्रदूत है।

राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में धर्म का प्राधान्य होने से जीवन में एक अलौकिक विचार धारा का समावेश हुआ। प्राचीन हिन्दुओं की राजनीति हिंसा, द्वेष तथा स्वार्थ पर अवलम्बित न होकर प्रेम, सदाचार और परमार्थ पर आधारित थी। व्यक्ति का विकास ही समाज का विकास समझा जाता था। आर्थिक क्षेत्र में भी जीवन की कोमल व पवित्र धार्मिक भावनायें क्रियाओं का निर्देशन करती थीं। यहाँ तक कि सम्पूर्ण भारतीय सामाजिक संगठन मानव की मूल-भूत उदात्त भावनाओं तथा दिव्य सिद्धान्तों पर आधारित था। जीवन का एक उद्देश्य था, एक आदर्श था और उस आदर्श की प्राप्ति संसार की सभी भौतिक विभूतियों से उच्चतर समझी जाती थी। प्राचीन भारत की शिक्षा का विकास भी इसी आधार पर हुआ। भारत में शिक्षा तथा ज्ञान की खोज केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिये ही नहीं हुई अपितु वह 'धर्म' के मार्ग

पर चल कर मोक्ष प्राप्त करने का एक क्रमिक प्रयास था। मोक्ष ही जीवन का चरम विकास था। यही कारण है कि जीवन की सम्पूर्ण बहुमुखी क्रियाएँ धर्म के मार्ग पर चल कर ही अपने एक मात्र गंतव्य 'मोक्ष' की ओर अग्रसर हुईं। भारत के संपूर्ण साहित्य, विज्ञान और कला का सृजन ही उसका अभीष्ट पर पहुँचने का प्रयास है। प्राचीन भारतीय साहित्य एक प्रकार से धर्म का वाहन है जैसा कि मैकडॉनिल ने कहा है कि "प्राचीनतम वैदिक काव्य के सृजन काल से ही हम भारतीय साहित्य पर एक प्रकार से लगभग एक हजार वर्ष तक धार्मिक मुहर लगी हुई पाते हैं, यहाँ तक कि वैदिक काल के वह अंतिम ग्रंथ, जिन्हें हम धार्मिक नहीं कह सकते हैं, अपना धर्म प्रसार का उद्देश्य रखते हैं। यह वास्तव में 'वैदिक' शब्द से प्रकट होता है क्योंकि 'वेद' का अर्थ ज्ञान ('विद' मूल धातु से) होता है तथा सम्पूर्ण पवित्र-ज्ञान का साहित्य की शाखा के रूप में बोध कराता है।"^१

प्राचीन भारतीय शिक्षा का विकास भारतीय दार्शनिक परम्परा के अनुरूप ही हुआ है। जीवन तथा संसार की क्षण भंगुरता का अनुमान तथा मृत्यु एवं भौतिक सुखों की सारहीनता के भाव ने उन्हें एक विशेष दृष्टि-कोण प्रदान किया और वस्तुतः सम्पूर्ण शिक्षा परम्परा इन्हीं सिद्धान्तों पर विकसित हुई। यही कारण था कि भारतीय ऋषियों ने एक अदृश्य जगत और आध्यात्मिक सत्ता के संगीत गाये और अपने सम्पूर्ण जीवन को भी उसी के अनुरूप ढाला। इस भौतिक जगत को वह कभी गंभीरता पूर्वक न ले सके और उनकी सभी प्रवृत्तियाँ बाह्य विकास की ओर न होकर आन्तरिक जगत के सृजन और विकास में लग गईं। यद्यपि मृत्यु उनके भय का कारण तो नहीं थी तथापि मृत्यु तथा संसार में आवागमन से मुक्ति पाने के लिये उन्होंने एक चिरंतन और स्थायी जीवन की कल्पना की। जगत उन्हें मिथ्या लगा और जीवन का एक मात्र सत्य प्रतीत हुआ इस जीवात्मा का परमात्मा में विलीनीकरण। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य ही 'चित्त-वृत्ति-निरोध' हो गया।^२

प्राचीन काल में विद्यार्थी इस जगत के सम्पूर्ण विज्ञान और विद्रोह से परे प्रकृति की रमणीक गोद में अपने गुरु के चरणों में बैठ कर इस जीवन की समस्याओं का श्रवण, मनन और चिन्तन करता था। पर्वत की चोटी पर पढ़ी हुई प्रथम हिम कणिकाओं की भाँति उसका जीवन पवित्र था। जीवन उसके लिये प्रयोगशाला था। वह केवल पुस्तकीय शब्द ज्ञान ही प्राप्त नहीं करता

१. मैकडॉनिल संस्कृत लिट्रेचर पृष्ठ ३६.

२. राधा कुमद मुकुर्जी: ऐंशेंट इन्डियन एजुकेशन XXIV

था अपितु जन समूह के सम्पर्क में आकर जगत व समाज का व्यवहारिक ज्ञान उपलब्ध करता था। "सत्य की केवल मानसिक अनुभूति, एक तर्कपूर्ण विचार-धारा पर्याप्त नहीं, यद्यपि प्रथम सीढ़ी के रूप में एक उद्देश्य बिन्दु के समान आवश्यक है।"^१ अतएव प्राचीन भारतीय विद्यार्थी ने प्रत्यक्ष रूप से महान् सत्य की अनुभूति की और समाज का निर्माण उसी के अनुरूप किया।

विद्यार्थी का गुरु गृह पर रहना तथा उसकी सेवा करना अनूठी भारतीय परम्परा है। इस प्रकार निकटतम सम्पर्क में आने से विद्यार्थी के अन्दर स्वाभाविक रूप से ही गुरु के गुणों का समावेश हो जाता था। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिये यह अनिवार्य था, क्योंकि गुरु ही आदर्शों, परम्पराओं तथा सामाजिक नीतियों का प्रतीक था जिसके मध्य में रह कर उसका पालन पोषण हुआ है। ऐसी अवस्था में विद्यार्थी का गुरु के साथ निकटतम सम्पर्क सम्पूर्ण सामाजिक परम्पराओं से विद्यार्थियों का साक्षात्कार करा देना था।

इसके अतिरिक्त भारतीय शिक्षा प्रणाली की एक विशेषता यह थी कि शिक्षा जीवनोपयोगी थी। गुरु गृह में रह कर विद्यार्थी गुरु की सेवा करता था। इस प्रकार वह समाज के सम्पर्क में आता था। गुरु के लिये ईंधन व, पानी लाना तथा अन्य गृह कार्यों को करना उसका कर्तव्य समझा जाता था। इस प्रकार न वह केवल गृहस्थ होने का शिक्षण ही पाता था अपितु भ्रम का गौरव पाठ तथा सेवा का पदार्थ पाठ पढ़ना था। गुरु की गायों को चराना तथा अन्य प्रकार से गुरु की सेवा करने से एक आध्यात्मिक लाभ भी विद्यार्थियों को होता था। विनय अथवा अनुशासन की समस्या जिसने वर्तमान शिक्षा-क्षेत्र में एक चुनौती सी दे रखी है स्वतः ही हल हो जाती थी और साथ ही विद्यार्थी एक जीवनोपयोगी उद्यम जैसे पशुपालन, कृषि तथा डेरी फार्म इत्यादि में शिक्षण भी पा लेता था। छान्दोग्य उपनिषद् में महासन्त सत्यकाम की कथा आती है जो विद्यार्थी-जीवन में गुरु की गायों का पालन करते थे और जिनके निरीक्षण में गायों की संख्या ४०० से १००० तक हो गई थी। उसी प्रकार वृहदारण्यक में भी हमें ऋषि याज्ञवल्क की गाथा मिलती है जिन्हें राजा जनक ने १००० गायों का दान दिया था जोकि उनके महान ज्ञान का पारितोषक था। इससे प्रमाणित होता है कि शिक्षा केवल सैद्धान्तिक ही नहीं थी अपितु जीवन की वास्तविकताओं से इसका सम्बन्ध था। ऋग्वेद में ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि एक ऋषि स्वयं कवि थे, उनके पिता भिषगु अर्थात् डाक्टर और उनकी माँ उपल-प्रक्षिणी अर्थात् आटा पीसने वाली थी। इस प्रकार उच्चतम-शिक्षा

में भी शारीरिक श्रम का महत्व था। जीवन की गूढ़तम समस्याओं को हमारे ऋषियों ने जीवन के साधारण कार्य क्षेत्रों में सुलभा दिया था। जिसे वर्तमान काल में 'क्रिया से ज्ञान प्राप्त करना' कहते हैं, जिसका कि आधुनिक युग में अमेरिका प्रवर्तक समझा जाता है, भारतीय ऋषियों तथा विद्यार्थियों का एक शिक्षा सूत्र था। जीवन की प्रयोग शाला शिक्षा परोक्षों के लिये थी जिनमें सफलता प्राप्त करके प्राचीन शिक्षा शास्त्रियों ने एक परम्परा का निर्माण किया।

इसी प्रकार विद्यार्थियों का जीवन निर्वाह के लिये तथा गुरु सेवा के निमित्त भिक्षा प्राप्त करना भी प्रधानतः एक भारतीय परम्परा ही है। इसका उद्देश्य विद्यार्थी को परामुख पेन्नी बनाना नहीं था और न यह समाजहित के प्रतिकूल ही समझा जाता था। वास्तव में भिक्षा-प्रथा प्राचीन काल में एक सम्मानित कार्य समझा जाता था। सतपथ ब्राह्मण में इसके शिक्षा-महत्व को स्वीकार किया गया है।^१ यह प्रथा विद्यार्थी में एक त्याग तथा माननीय गुणों का विकास करती थी। उसके अहंकार तथा उष्ट्रखलता का विनाश करके उसे व्यवहारिक जगत के सम्मुख ला खड़ा करती थी। समाज के सम्पर्क में आने से उसे वास्तविक जीवन का भी ज्ञान होता था। यह विद्यार्थी के लिये स्वावलंब तथा समाज के प्रति उसके कर्त्तव्य और कृतज्ञता का पदार्थ पाठ था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का विकास एक सुगठित योजना के द्वारा हुआ था। उसकी जड़ें समाज के अन्तराल में थीं और उसका विकास स्वाभाविक था। उसका कुछ उद्देश्य था और कुछ संदेश था। भारत के जंगलों और काननों के मध्य में स्थित, प्रकृति की रमणीक शोभा से घिरे हुए विद्या केन्द्र सभ्यता और संस्कृति के अगाध स्रोत थे जहाँ से मानवता का विकास हुआ। राजनीति तथा आर्थिक-सिद्धांत क्षेत्र में भारत ने चाहे अधिक उन्नति न की हो, क्योंकि उनका उद्देश्य सांसारिक-पदार्थ सम्पन्नता की और इतना नहीं रहा, किन्तु शिक्षा क्षेत्र में भारतीय दिन अद्वितीय है। जब संसार की अन्ध जातियाँ सभ्यता की बोली में केवल बड़बड़ाना ही सीख रही थीं भारत ने वेदों का संगीत सुनाया। उसने अपने ज्ञान से विश्व को अलोकित किया तथा मानव सभ्यता के विशाल भवन का शिलारोपण किया। भारत के एकान्त वासी शिक्षकों ने जगत को वह देन दी जिससे इस दिन विश्व की भोली ही भर गई। यह प्रकृति और पुरुष, आत्मा और दिव्यात्मा तथा लोक और परलोक का एक अनूठा तादात्म्य था एक सामञ्जस्य था।

ब्राह्मणीय शिक्षा का विस्तृत वर्णन करने से पूर्व वेदों का परिचय आवश्यक है क्योंकि तत्कालीन शिक्षा का आधार वेदों पर ही आश्रित है।

ऋग्वेद—यह हिन्दू धर्म की सर्व प्रथम और प्राचीनतम रचना है। किन्तु आश्चर्य की बात है कि ऋग्वेद से पूर्व हमें भारतीय शिक्षा और सभ्यता का कोई क्रमिक विकास-इतिहास नहीं मिलता। भारतीय आर्य सभ्यता एक प्रकार से ऋग्वेद से ही प्रारम्भ होती है। जब भारत ने प्रथमतः अपनी आँख खोली तो पाया कि ऋग्वेद जैसी महान और अलौकिक वस्तु उसके समक्ष है। मैक्समूलर का कथन है कि 'एक बात सत्य है कि भारत में अथवा सम्पूर्ण आर्य जगत में ऋग्वेद के मंत्रों से अधिक प्रारम्भिक और प्राचीनतम कुछ भी नहीं है। ऋग्वेद भारतीय संस्कृति का प्रभात नहीं अपितु उसका मध्याह्न है जहाँ हम पाते हैं कि भारतीय सभ्यता और दर्शन अपनी पूर्ण प्रौढ़ता को पहुँच गये हैं।

भारतीय प्राचीन परम्परा के अनुसार ऋग्वेद वह महान ज्ञान भंडार है जिसमें युग युगों का ज्ञान और विचारधारा बीज रूप में निहित है। वस्तुतः हिन्दू सभ्यता का शिलान्यास ही ऋग्वेद के द्वारा हुआ है जिसमें जीवन की भौतिक विभूतियों को तुच्छ समझते हुए एक महान और दिव्य आनन्द की प्राप्ति के लिये जीवन की प्रवृत्तियों को अन्तर्मुखी करने का आदेश है।


ऋग्वेद के विकास का इतिहास ही तत्कालीन संस्कृति और सभ्यता के विकास का इतिहास है। यह १०१७ मंत्रों का समूह है जिसे संहिता कहते हैं जो कि एक दीर्घ काल में क्रमशः इकट्ठे किये गये थे। इस प्रकार भिन्न २ कालों से सम्बन्ध रखने वाले इस विशाल साहित्य को संकलित करने के लिए ऋग्वेद संहिताकारों को उच्च कोटि के सिद्धांतों का विकास करना पड़ा होगा। संहिता भिन्न प्रकार के मंत्रों का संग्रह है जिसमें कुछ मंत्र शुद्ध साहित्य, कुछ धर्म और संस्कारों और कुछ यज्ञ-संगीत तथा यज्ञविधि इत्यादि से सम्बन्ध रखते हैं। इन मंत्रों के द्वारा इन्द्र, वरुण, अग्नि, मारुत, उषा, सूर्य और परजन्य इत्यादि की आराधना की गई है। जन्म, विवाह, दान, यज्ञ और मृत्यु इत्यादि जीवन के संस्कारों पर भी श्लोक हैं। अन्त में सृष्टि और दर्शन के ऊपर भी मंत्र हैं जिनमें विराट् पुरुष के द्वारा सृष्टि-सृजन का उल्लेख है (मंडल १०, ६०)। इस प्रकार संहिता से जीवन के सांस्कृतिक चरम विकास तथा उसके भिन्न रूपों का विशद चित्रण किया गया है।

ऋग्वेद दस मंडलों में विभाजित है जिसमें मंडल २ से ७ तक उसका मौलिक प्रमुख भाग है जिसका सृजन छः प्रमुख ऋषियों ने किया है। वे ऋषि हैं— गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और बसिष्ठ। मंडलों का विकास ऋषियों तथा उनके परिवार के द्वारा क्रमशः हुआ। प्रत्येक परिवार अपनी पैतृक

सम्पत्ति की रक्षा करके उन्हें सुरक्षित रखता था। मौलिक प्रमुख भाग में मंडल १,८,६ व १० के जुड़ जाने से सम्पूर्ण ऋग्वेद संहिता का आस्तित्व हुआ। इस प्रकार सम्पूर्ण रचना में १,०२८ श्लोक और १०,५८० मंत्र, ७०,००० पंक्तियाँ तथा १५३,८२६ शब्द हैं। इन ७०००० पंक्तियों में ५००० पंक्तियाँ पुनरावृत्ति मात्र हैं।* इससे प्रकट होता है कि कालान्तर में जोड़े हुए श्लोकों के रचियता केवल पूर्व स्थित श्लोकों से ही सार ग्रहण कर रहे थे जिनका प्रचार देश में पहिले ही से था।

अन्य वेद—ऋग्वेद के बाद में क्रमशः साम वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता और अथर्व वेद संहिता का प्रादुर्भाव हुआ। इन वेदों ने एक नये प्रकार के साहित्य का प्रारम्भ किया। ऋग्वेद में आये हुए मंत्रों के क्रम का यज्ञ के क्रम से कोई सम्बन्ध नहीं है। यहाँ तक कि ऐसे मंत्र भी हैं जिनका यज्ञ या बलि से कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु साम, यजुः और अथर्व में यज्ञ सम्बन्धी मंत्रों का एक क्रम है। साम और यजुः के काल में ही ऋग्वेद कालीन धर्म में पर्याप्त विकास होने लगा था और पुरोहितवाद का प्रचार अधिक बढ़ गया था। इन पुरोहितों को प्रधान तीन शाखायें थीं (१) होत्री (२) उद्गात्री और (३) अध्वर्यु। इनके अतिरिक्त एक चौथा वर्ग भी था जो कि ब्राह्मण कहलाता था। इन चारों प्रकार के पुरोहितों के क्रमशः तीन तीन प्रकार के सहायक पुरोहित और होते थे। इस प्रकार सम्पूर्ण पुरोहित समाज सोलह भागों में विभाजित था। यह सभी पुरोहित ऋत्विज कहलाते थे। कालान्तर में एक सत्रहवाँ ऋत्विज और सम्मिलित कर दिया गया जो कि 'सदस्यु' कहलाता था और सम्पूर्ण यज्ञ का निरीक्षण करता था।

सम्पूर्ण पुरोहित समाज का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है।



अग्रे चलकर उच्च शिक्षा का सम्बन्ध पुरोहितवाद तथा धर्म के क्रियात्मक रूप (कर्मकांड) से हो गया। पूजा तथा यज्ञ के वाह्य उपकरणों का इतना प्रचार

*कमल मकरजी: ऐशेंट डियन एजुकेशन पृष्ठ २२।

हो गया कि पुरोहितों को इन क्रियाओं का नियमित शिक्षण लेकर उनमें विशेष योग्यता प्राप्त करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि पुरोहितों में भी क्रियाओं का श्रम-विभाग हो गया। प्रारम्भ में पुरोहितों में कोई वर्ग भेद नहीं था तथा प्रत्येक पुरोहित यज्ञ सम्बन्धी प्रत्येक कार्य को करने के योग्य समझा जाता था। प्रत्येक ब्रह्मचारी के लिये एक सा शिक्षा विधान था और प्रत्येक को ही यज्ञ का मंत्र, उच्चारण तथा क्रियाविधि इत्यादि सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था। किन्तु कालान्तर में कर्मकांड और बलिदान विधि के अधिक जटिल हो जाने पर यह अनिवार्य हो गया कि उसमें कुछ श्रम-विभाग क्रिया जाय क्योंकि एक पुरोहित के लिये यह कार्य असम्भव समझा गया कि वह यज्ञ की त्रिविधियों में विशेषज्ञ हो जाय। अतः पुरोहित विद्यार्थी प्रारम्भ में तो त्रिविधियों में ही शिक्षण प्राप्त करते थे किन्तु तत्पश्चात् उनमें से एक में विशेषता प्राप्त कर लेते थे। अन्त में पुरोहितों में तीन प्रमुख विभाग हो गये जिनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। यह पुरोहित क्रमशः एक एक वेद के प्रतिनिधि थे। इन लोगों की शिक्षण संस्थायें भी भिन्न २ थीं। यह संभवतः सन् १००० ई० पू० से ८०० ई० पू० के मध्य में हुआ।*

(१) होत्री—यह प्रथम वर्ग का पुरोहित होता था जो यज्ञ के समय मंत्रों का गान करता था। यह मंत्र किसी देवता जैसे इंद्र, अग्नि या वायु इत्यादि की प्रशंसा में गाये जाते थे। इस कार्य में होत्री को विशेषता प्राप्त होती थी। होत्री प्रमुख पुरोहित माना जाता था।

(२) उद्गात्री—यज्ञविधि का दूसरा भाग सोमयज्ञ से सम्बन्ध रखता था। सोम एक प्रकार का रस होता था जिसे एक लता को कुचल कर निकाला जाता था। यह रस मादक होता था अतः इसकी मादकता को आर्यों ने एक दिव्य शक्ति समझ कर देवता की भाँति उसकी पूजा करना प्रारम्भ कर दिया क्योंकि यह उनके मतानुसार उन्हें अमरत्व प्रदान करता था। इस प्रकार एक नई संस्कार विधि का प्रादुर्भाव हुआ जिसके अनुसार मंत्र गान गाये जाने लगे। जो पुरोहित इन मंत्रों का गान करते थे उन्हें 'उद्गात्री' कहा जाता था।

(३) अध्वर्यु—इन पुरोहितों का कार्य यज्ञ के प्रमुख भाग से सम्बन्ध रखता था। यज्ञ की क्रिया विधि तथा वास्तविक कार्य प्रणाली में यह लोग विशेषता प्राप्त करते थे।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि ब्राह्मण नामक एक चौथा वर्ग भी था जो सम्पूर्ण पूजा कार्य का निरीक्षण और निर्देशन करता था। यह वर्ग तीनों वेदों में शिक्षा प्राप्त करता था प्रत्येक संदेहात्मक बात पर इन्हीं की अनुमति अन्तिम मानी जाती थी यज्ञ-विधि के भिन्न २ भागों पर यह अपनी निर्णयात्मक अनुमति देते थे।

*के—इन्डियन एज्युकेशन ऐंड लैटर टाइम्स पृष्ठ ५।

सामवेद—सोम संस्कार के लिये उद्गात्री को गान की सभी ध्वनियों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था। इस प्रकार सोम यज्ञ पर गाई जाने वाली क्रियाओं का संग्रह सामवेद के नाम से हुआ। इसमें १५४६ छंदों में से केवल ७८ मंत्र उद्गात्री पुरोहितों के प्रदान किये हुये हैं। शेष या उनमें से अधिकतर प्रधानतः ऋग्वेद के ८ या ९वें मंडल से लिये गये हैं। सामवेद के मंत्रों को दो भागों में विभाजित किया गया जो 'अर्चिकार्ये' कहलाते हैं। प्रथम अर्चिका में ५८५ ऋक हैं जिनमें से प्रत्येक किसी न किसी ध्वनि से सम्बन्ध रखते हैं। सामवेद का दूसरा भाग जो 'उत्तरार्चिका' कहलाता है अधिकतर तीन र छन्दों का ४०० मंत्रों का संग्रह है। इस प्रकार सम्पूर्ण वेद का उद्देश्य संगीत ज्ञान कराना है। यह संगीत के एक पाठ्य ग्रन्थ के समान है जिनमें संगीतों के पूर्ण पाठ दिये हुये हैं।

यजुर्वेद—यद्यपि यज्ञ के समय मंत्र गान करने का कार्य प्रधानतः होत्री को करना होता था तथापि अध्वर्यु जो कि यज्ञ की क्रिया-विधि से सम्बन्धित था कुछ मंत्र प्रार्थनायें अथवा अह्नाहन मंत्र उच्चारण करता था। इन पुरोहितों के शिक्षा के लिये भी एक शिक्षा-सकुल (स्कूल) विकसित होने लगा जिनका विशेष वेद यजुर्वेद हुआ। इस प्रकार यजुर्वेद अध्वर्यु का प्रार्थना ग्रन्थ है।

यजुर्वेद गद्य मंत्रों का संग्रह है जिसमें से अधिकतर ऋग्वेद से लिये हुए लक्ष्य हैं। यजुर्वेद के कृष्ण और शुक्ल दो भाग हैं। गद्य के अतिरिक्त कृष्ण यजुर्वेद में कुछ मंत्र पद्य में भी हैं। भारत का प्रारम्भिक गद्य जो उपनिषदों में जाकर विकसित हुआ अपनी प्रारम्भिक अवस्था में यजुर्वेद में मिलता है। भारतीय प्राचीन साहित्य के लिये यह गद्य की अनुपम देन है। शुक्ल यजुर्वेद में वही मंत्र, प्रार्थनायें तथा विधियाँ हैं जिनका कि पुरोहित-उच्चारण करते थे। यजुर्वेद में भारतीय धार्मिक तथा भौतिक जीवन की भांकी मिलती है। इसमें बहुत से यज्ञों का विधान है जैसे पिंड यज्ञ, पितृज्ञ, अग्नि होत्र, चातुर्मास्य, राजसूय-यज्ञ, अश्वमेध और अग्नि-चयन इत्यादि। देश की भौतिक उन्नति के लिये भी यजुर्वेद में मंत्र हैं जैसे ब्रह्म वर्चसि जायताम् अस्मिन् राष्ट्रे इत्यादि।

अथर्व वेद—प्रारम्भ में तीन वेदों का ही प्रचलन था। कुछ समय उपरान्त एक चतुर्थ वेद भी स्वीकार किया गया जिसका नाम अथर्व वेद था। इसमें बहुत कुछ मौलिकता है। पूर्व वेदों की भाँति इसके अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से नहीं लिये गये हैं। ६००० पदों में से केवल १२०० ही ऋग्वेद के लिये गये हैं। सम्पूर्ण वेद में ७३१ गान हैं जो कि २० भागों में विभक्त हैं। अथर्व वेद चिकित्सा-शास्त्र का भारत में सर्व प्रथम ग्रन्थ है। इसमें बहुत सी जड़ी बूटियों का भिन्न २ प्रकार के रोग निवारण के लिये उल्लेख है। ज्वर, पाण्डु, सन्निपात, शोथ, क्लैब्य, क्षय, सर्पदंश, विषकोढ़, तथा रक्त विकार इत्यादि मयंकर रोगों की चिकित्सा का जड़ी बूटियों द्वारा किये जाने का विषय अथर्व वेद में मिलता है। ९वें भाग में ज्योतिष

विद्या का भी उल्लेख है। एक भाग में ग्रहस्थ जीवन के जन्म, विवाह तथा मृत्यु इत्यादि के संस्कारों का भी इसमें कथन है। अथर्ववेद को बहुत से विद्वान तांत्रिक ग्रन्थ मानते हैं क्योंकि इसमें उन मंत्रों का समावेश है जिनके द्वारा पुरोहित लोग रोग, शत्रु, हिंसक पशु तथा प्राकृतिक उत्पातों के विरुद्ध उनके विनाश के लिये आह्वान करते थे। कुछ मंत्रों के द्वारा भौतिक सम्पन्नता तथा सांसारिक विभूतियों के पाने के लिये भी प्रार्थना करते थे। कुछ ऐसे गान भी हैं जो राजाओं तथा राजपरिषदों एवं आर्थिक, राजनैतिक तथा दार्शनिक अवस्थाओं का उल्लेख करते हैं। इस प्रकार अथर्व वेद पूर्णतः भौतिक ग्रन्थ है। सांसारिक ज्ञान-विज्ञानों का इसमें विशद वर्णन है।

ऋग्वेद में शिक्षा

भूमिका—ऋग्वेद में मंत्रों के प्रारम्भ का युग प्रधानतः रचना युग था जिसके उपरान्त आलोचना तथा संग्रह का युग आया। प्रथम युग में ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ जो सत्यदृष्टा थे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अपने तप और योग के बल से यह ऋषि भूत, भविष्यत् और वर्तमान को देख सकते थे। इनके उपरान्त दूसरे युग में श्रुतर्षि उत्पन्न हुए। ऋषि लोग अपने मंत्रों का दान इन श्रुतर्षियों को उपदेशों द्वारा देते थे। 'तपस' आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने का प्रमुख साधन था। ऋषि और मुनि वनों में तपस्या करके परमानन्द तथा अलौकिक ज्ञान प्राप्त करते थे। ऋग्वेद में सात महर्षियों का जो कि तपस्या में लीन रहते थे तथा तपस्या की उस महान शक्ति का जो कि निम्नस्तर से उच्च स्तर को उठा देने में समर्थ थी, उल्लेख है। ऋत् और सत्य (विचार और वाणी का सत्य) तप के ही फल कहे जाते थे यहाँ तक कि सम्पूर्ण सृष्टि की रचना ही ब्रह्मा के तप से उत्पन्न मानी गई है।

ऋषियों के तप तथा योग द्वारा महत् ज्ञान के प्राप्त कर लेने तथा उनके छन्दों और मंत्रों के रूप में संकलित होने के उपरान्त ऐसे साधनों का विकास हुआ जिनके द्वारा यह ज्ञान रक्षित किया जा सके अथवा आगे की संतति को हस्तांतरित किया जा सके। अतः प्रत्येक ऋषि अपने पुत्र अथवा शिष्य को यह ज्ञान प्रदान करता था जिसे उसने स्वयं प्राप्त किया था। इस प्रकार यह ज्ञान उस परिवार की वंशगत निधि समझा जाता था। वैदिक कालीन परिवार-स्कूलों का इस प्रकार सूत्रपात हुआ। शिक्षक अपने ज्ञान को विद्यार्थियों से कंठाग्र कराता था। अपनी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता था। सायण ने तीन प्रकार के विद्यार्थियों का उल्लेख किया है—महाप्रश्न, मध्यमप्रश्न और अल्पप्रश्न। यह वर्गीकरण भिन्न २ विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति के अनुसार था। वह

विद्यार्थी गायन के रूप में वेद के छन्दों को रटते थे। इनके एक साथ वेद मंत्रों के गायन से वायु मंडल गूँज उठता था। वेद के एक मंत्र के अनुसार इसकी मेंढकों की ध्वनि से भी उपमा दी गई है।

शिक्षा प्रणाली—प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त्त में पत्थियों के जागने से पूर्व ही विद्यार्थी वेद पाठ प्रारम्भ कर देते थे। मंत्र गान एक ललित कला के रूप में विकसित हो गया था। इसमें शब्दों, पदों तथा अक्षरों के शुद्ध उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। छन्द की रचना पदों से तथा पदों की अक्षरों द्वारा होती थी। वैदिक ज्ञान शिक्षक के द्वारा एक निश्चित व नियमित उच्चारण के साथ शिष्य को प्रदान किया जाता था जिसे शिष्य सुनकर कंठाग्र करता था। गुरु के अधरों से प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही शुद्ध वैदिक समझा जाता था अर्थात् पद्धति मौखिक थी। इससे प्रतीत होता है कि वर्णमाला और लेखन कला का अभी तक विकास नहीं हुआ था। ऐसा भी कहा गया है कि श्रुति अर्थात् वेद चक्षुष्यों को नहीं अपितु कानों को रुचिकर होना चाहिये। महाभारत तो ऐसे व्यक्तियों को नरक जाने का दंड देता है जोकि वेद को लिखने का प्रयास करें।^१ लेकिन ऐसे साक्ष्य भी मिलते हैं कि ऋग्वेद के समय में भी लेखन कला का सूत्रपात हो गया था।

वैदिक मंत्रों में एक दैविक शक्ति का आरोपण माना जाता था। ऐसा विश्वास था कि यदि वेद मंत्रों को ठीक २ तथा शुद्ध रूप में उच्चारण किया जाय तो उनका आध्यात्मिक व दैविक प्रभाव प्रकट होता है। जो मंत्र अशुद्ध उच्चारण किया जाता था उसका प्रभाव नष्ट हो जाता था और ऐसा विश्वास था कि वह अशुद्ध उच्चारण करने वाले का विनाश कर देगा। किन्तु एक मात्र उच्चारण ही प्रधान नहीं था। बिना समझे हुए वेद मंत्रों की तोता रटत व्यर्थ समझी जाती थी। उनके यंत्रवत् उच्चारण से अधिक महत्व दिया जाता था वेद मंत्रों के चिन्तन और समझने को। “जो व्यक्ति ऋक् और अक्षर में अन्तर्निहित चरम सत्य का अनुभव नहीं करता जिनमें कि सम्पूर्ण देशों का निवास है—तो ऋकों के केवल उच्चारण तथा पुनरावृत्ति करने से वह क्या कर सकता है?” जो वेद के अध्ययन के उपरान्त भी उसका अर्थ नहीं समझता था वह उस गधे के समान माना जाता था जिस पर चन्दन के गट्टे लदे हुए हैं, जो केवल बोझ का ही अनुभव कर रहा है और उसकी सुगन्धि से लाभान्वित नहीं हो सकता।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में जिस शिक्षा-पद्धति का विकास हुआ वह महत् ज्ञान के सम्पादन तथा धर्म और ब्रह्म से सम्बन्ध रखती है। भौतिक ज्ञान तथा निम्न-कोटि की सांसारिक समस्याओं का हल ऋग्वेद में

१. वेदानां लेखकाश्चैव ते वै निरय गामिनः (महाभारत भा० पर्व १०६/६२)

नहीं मिलता। परमब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना साधारण भौतिक विज्ञानों, कलाओं और हस्तकलाओं के ज्ञान प्राप्त करने के सदृश नहीं था। वेद का उद्देश्य तो केवल चरम सत्य का अनुभव तथा सम्पूर्ण परमब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना ही था। ऋग्वेद में तप इसका साधन बतलाया गया है। सर्व साधारण की भाषा विकसित होकर वैदिक मंत्रों के रूप में प्रस्फुटित हुई यह संस्कृत का प्रारम्भिक स्वरूप था। इस प्रकार उसके द्वारा महानतम् और चरम सत्य का अनुभव करने वाले ऋषि, मनीषी और मुनियों ने तप और योग के द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त करके वैदिक भाषा में प्रकट किया। प्रायः यज्ञ के अवसर पर यह ऋषि लोग पारस्परिक तर्क वितर्कों द्वारा वेद-ज्ञान तथा वेद भाषा का विकास करके उसके स्वरूप को स्थिर करते थे। इस प्रकार के संघ के सदस्यों को 'शाखा' शब्द से वर्णित किया गया है।

ऋग्वेद-युग में छोटे छोटे पारिवारिक स्कूल थे जिनका संचालन शिक्षक स्वयं ही करता था। विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था भी गुरुगृह पर ही होती थी। रहन-सहन तथा सदाचार के नियम निश्चित थे। प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्यतः सभी ब्राह्मणों को दी जाती थी। उच्चशिक्षा केवल उन्हीं को दी जाती थी जो इसके योग्य होते थे। जो इसके योग्य नहीं होते थे वे कृषि या व्यापार में मेज दिये जाते थे। इनके लिये आध्यात्मिक जीवन वर्जित था।

विशेषतार्यैः—संक्षेप में शिक्षा की निम्नलिखित विशेषतार्यै थीं—

(१) गुरु गृह ही विद्यालय था। विद्यार्थी उपनयन के उपरान्त विद्यार्थी-जीवन पर्यन्त वहीं रहता था। शिक्षक पिता के रूप में उसका संरक्षक होता था उसके खान-पान की स्वयं व्यवस्था करता था।

(२) गुरु गृह में विद्यार्थी का प्रवेश केवल उसके नैतिक बल और सदाचार के आधार पर ही हो सकता था। सदाचार के दृष्टिकोण से जो विद्यार्थी निम्नस्तर का समझा जाता था उसके लिये गुरु आश्रम में रहना वर्जित था।

(३) ब्रह्मचर्य का जीवन अनिवार्य था। यद्यपि विवाहित युवक भी विद्याध्ययन कर सकता था किन्तु उसका आश्रम में रहना निषेध था। ब्रह्मचर्य से इन्द्रिय निग्रह, सात्त्विकता तथा ब्रह्म में स्थित रहने का अभिप्राय समझा जाता था।

४—गुरु सेवा करना विद्यार्थी का परम कर्त्तव्य माना जाता था। आश्रम में रहते हुए विद्यार्थी हर समय गुरु सेवा के लिये तत्पर रहता था। प्रायः उनके गृहकार्य का भार विद्यार्थी पर ही रहता था। वह मन, वाणी और कर्म से गुरु अर्पण होता था तथा गुरु को पिता या ईश्वर समझ कर उनकी उपासना करता था।

(५) ऐसे विद्यार्थी जो गुरु सेवा करने में असमर्थ थे अथवा किसी अन्य प्रकार से सदाचार के प्रतिकूल अपना आचरण प्रदर्शित करते थे उनके लिये विद्याध्ययन निषिद्ध था तथा उन्हें विद्यालयों से निकाल दिया जाता था।

यह बात उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद के समय में वर्ण व्यवस्था का प्रारम्भ हो चुका था। किन्तु इसके नियम अधिक जटिल नहीं थे। यद्यपि ऋषि मुनि प्रायः ब्राह्मण ही हुआ करते थे किन्तु सदा ऐसा नहीं होता था। महत्-ज्ञान वर्ण तक ही सीमित नहीं था। यह व्यक्ति की तपस्या और योग शक्ति पर निर्भर था। अम्बरीष, त्रसदस्यु, सिन्धु द्वीप, मान्धाता तथा सिवि इत्यादि राजा जो कि क्षत्रिय थे अपनी तपस्या के बल से ही ऋषि हुए। साथ ही स्त्रियों को भी यज्ञ में भाग लेने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। स्त्री संतों को 'ऋषिका' और 'ब्रह्मवादिनी' कह कर पुकारा जाता था। रोमसा, लोप मुद्रा, घोषा, अपाला, कद्र, कामायनी, श्रद्धा, सावित्री, उर्वसी, सारंगा, देवयानी तथा गोपायना इत्यादि स्त्री ऋषिकाओं के नाम चारों वेदों में मिलते हैं। ऋग्वेद में अनायों को भी शिक्षा देने की व्यवस्था है। उन्हें कृष्णगर्भ, अनास, पिशाच, असुर तथा दस्यु इत्यादि नामों से पुकारा गया है। किन्तु शीघ्र ही यह आर्य जाति में मिल गये। आर्यों ने इन्हें 'शूद्र' की संज्ञा देदी तथा इनकी शिक्षा व्यवस्था भी स्थिर करदी।

भौतिक शिक्षा—यद्यपि ऋग्वेद कालीन शिक्षा प्रधानतः धार्मिक व दार्शनिक थी और केवल उन्हीं लोगों के लिये थी जो चिरन्तन-सत्य और महत्-ज्ञान के प्राप्त करने के योग्य होते थे तथापि साधारण जनता के लिये सांसारिक व लाभदायक शिक्षा की व्यवस्था भी थी, तत्कालीन आर्थिक, राजनैतिक तथा औद्योगिक विकास को देखने से तथा देश के सब प्रकार से धनधान्य से परिपूर्ण होने से प्रतीत होता है कि इन विद्याओं का पर्याप्त प्रचलन था। देश की कृषि, विनिमय और व्यापार उन्नत दशा में था। अतः प्रतीत होता है कि देश की इस सम्पन्नता का कारण भौतिक-विज्ञान और कलाओं में सर्वसाधारण को शिक्षा का दिया जाना था। आर्थिक लाभों के लिये लोग भिन्न प्रकार की कलाओं में शिक्षा पाते थे। चरागाहों, पशुपालन व कृषि-विज्ञान ने भी अच्छी उन्नति की। हस्त-कला की शिक्षा भी दी जाती थी। वस्तु विनिमय, ऋण, साहूकारी तथा न्याज इत्यादि का भी प्रचलन था। समुद्री व्यापार भी होता था। प्रस्तर-निर्मित नगर (पुर) का भी ऋग्वेद में उल्लेख है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा का सांसारिक, सामाजिक व व्यवहारिक रूप भी था।

अन्य वेदों में शिक्षा

प्राचीनकाल में भारत में विद्यार्थी जीवन एक वैज्ञानिक-कला के आधार पर विकसित हुआ। वह एक नियमित, सुचालित तथा स्थिर आधार

पर टिका हुआ था जिसमें समय तथा राज्य के परिवर्तन से कोई परिवर्तन नहीं होता था। 'विद्यार्थी' शब्द के लिये अधिक उपयुक्त शब्द 'ब्रह्मचारी' था। 'ब्रह्मचर्य' हिन्दूधर्म के विशाल भवन की वह आधार शिला है जिसका निर्माण युगों ने अपने स्थायी करों द्वारा किया है।

अथर्व वेद में ब्रह्मचारी के लिये पूर्ण व्यवस्था मिलती है। उपनयन संस्कार के सम्पादन पर ही विद्यार्थी-जीवन का सूत्रपात होता है। इस समय विद्यार्थी अपने आचार्य के पास तीन दिन तक निवास करता है और तीन दिन के उपरान्त एक नवीन जीवन धारण करके 'द्विज' के रूप में प्रकट होता है। उसका यह द्वितीय जीवन आध्यात्मिक-जीवन है जिसका जन्मदाता उसका गुरु है। उपनयन के बाद ही वह ब्रह्मचारी कहलाता है तथा उसके जीवन का रूप बदल जाता है। वेश भूषा तथा आचरण के दृष्टिकोण से वह अन्य सामाजिक व्यक्तियों से भिन्न होता है। कुश-मेखला, मृगछाला, हाथ में इंधन (समिधा) लेकर वह दोनों समय अग्नि को अर्पित करता है। आन्तरिक अनुशासन के लिये श्रम, तपस और दीक्षा इत्यादि नियम हैं जो उसके जीवन में कुछ स्थायी गुणों का विकास करते हैं। इस प्रकार प्राचीन भारतीय विद्यार्थी त्याग, तपस्या विनय और सात्विकता की प्रतिमूर्ति है। उसे शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के अनुशासन का पालन करना होता है। शारीरिक अनुशासन के लिये उसे एक नियमित व सात्विक जीवन धिताना होता है जिसमें कुशा, मृगछाला और दीर्घबाल इत्यादि वाह्य उपकरण धारण करके विद्यार्थी भिक्षा के द्वारा अपना जीवन यापन करता है। इन्द्रिय निग्रह, तपस्या, गुरु सेवा तथा त्याग के द्वारा वह आध्यात्मिक अनुशासन प्राप्त करता है।

प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य का पालन स्त्रियों भी करती थीं। वह अपने विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य से रहकर युवकों को विवाह में जीतती थीं और तत्पश्चात् गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके राष्ट्रनिर्माणक कार्य करती थीं 'ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्।'।

विद्यार्थी काल में छुट्टियों की भी व्यवस्था थी। पर्व के अवसर पर, वर्षा-काल में आकाश मेघाच्छन्न होने पर तथा आँधी के समय शिक्षण कार्य बन्द रहता था।^१

१ कर्णाश्रवे ऽनिले रात्रौ दिवा पांशु समूहने,
एतौ स्वनभ्यायावभ्या यज्ञाः प्रचक्षते ।
विद्युत स्तनित वर्षायु महोल्का नाश्च संस्रवे,
आकालिक मनभ्याय मेतेषु मनुरभवत ।

एताना कालिकान् विद्यादनभ्याया नृतावपि ।

उपसंहार—इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य महान था। व्यक्ति के विकास के लिये पूर्ण सुअवसर दिया जाता था। शिक्षक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत देख भाल करते थे अतः विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वाङ्गीण विकास होता था। जीवन के तीन ऋण—ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृ ऋण को क्रमशः ब्रह्मचर्य, यज्ञ और सन्तानोत्पत्ति के द्वारा चुकाये जाने की व्यवस्था का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। ब्रह्मचर्य अवस्था में गुरु गृह पर रह कर गुरु की सेवा करते हुए विद्यार्थी अपने शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिये प्रयत्न-शील रहते थे। वैदिक युग की शिक्षा पद्धति चरित्र निर्माण करने, व्यक्तित्व के विकास, ज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाओं में प्रगति करने तथा सामाजिक समृद्धि व सम्पन्नता प्राप्त करने में पूर्णतः सफल रही। यद्यपि इस युग की साहित्यिक व वैज्ञानिक प्रगति इतनी सौष्ठवपूर्ण और परिपक्व नहीं थी जैसी कि बाद में जाकर उपनिषिद् युग में हो गई, तथापि ज्ञान क्षेत्र में बढ़ने की अभिलाषा इस युग में पाई जाती है। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि केवल वेद मंत्रों के गा लेने से ही उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जायगी अपितु उसका समझना और उसके गूढ़ार्थों की सराहना व व्याख्या करने की क्षमता प्राप्त करना आवश्यक है। जो वेद का अर्थ नहीं समझता था वह शूद्र के समान समझा जाता था।^१ वेद कालीन शिक्षा प्रधानतः आध्यात्मिक व धर्म प्रधान थी, तथापि जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, भौतिक समृद्धि की इसमें उपेक्षा नहीं की गई है। यजुर्वेद और अथर्व वेद में इसका साक्ष्य उपलब्ध है। इस प्रकार वेद कालीन शिक्षा में आर्य-संस्कृति के भावी विकास का संकेत है।

१. योऽधीत्य विधिवद्देवं वेदार्थं न विचारयेत्

स संमूढं शूद्रकल्पः पात्रतां न प्रपद्यते । [पद्म पुराण आदिखंड ५३, ८६]

द्वितीय अध्याय उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा (१००० ई० पू० से २०० ई० पू०)

साधन

वैदिक युग में शिक्षा क्षेत्र में पुरोहितवाद का प्रभाव बहुत बढ़ गया था और यज्ञ सम्बन्धी ज्ञान का अत्यन्त विस्तार हो गया था। किन्तु ऐसे जिज्ञासु भी थे जो जीवन के ऊपर रहस्यमयी दृष्टि रखते थे और ईश्वर, आत्मा जीव और सृष्टि इत्यादि गम्भीर तत्वों पर चिन्तन करते थे। जन्म व मरण के सिद्धान्तों का भी विश्लेषण किया जा रहा था। उत्तर-वैदिक युग में यह प्रवृत्ति अधिक वेगवती हो उठी थी। दार्शनिक लोग जंगलों की छाया में शून्य एकान्त में बैठकर आत्मानुभव करते थे। उनके अनुभवों का प्रकटीकरण ब्राह्मण तथा अरण्यक के रूप में हुआ। अरण्यक वाणप्रस्थ ऋषियों के ब्राह्मण ग्रन्थ के समान थे। उनके उपरान्त उपनिषदों का सृजन हुआ। उपनिषद् भारतीय प्राचीन सभ्यता की महान निधि हैं। जिस महान दार्शनिक रहस्य का उद्घाटन उपनिषदों में हुआ वह 'वेदान्त' कहलाया। यह वैदिक ज्ञान का चरम विकास था, आत्मा और ब्रह्म के रहस्य का उपनिषदों में अत्यन्त सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया है। इस प्रकार ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद् वह प्रमुख साधन हैं जिनके द्वारा हमें उत्तर वैदिक काल की सभ्यता व शिक्षा का हाल ज्ञात होता है। उत्तर वैदिक शिक्षा का प्रचार शाखा, चरण, परिषद्, कुल और गोत्र इत्यादि संस्थाओं के द्वारा हुआ। यह संस्थाएँ धार्मिक तथा साहित्यिक संस्थाएँ थीं जो कि वैदिक काल के स्कूलों का कार्य कर रही थीं।

प्रसार

इस प्रकार वेद संहिताओं तथा ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषदों का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होने लगा। यहाँ तक कि वह देश के सम्पूर्ण कोनों में फैल गया। वैदिक स्कूलों का देश भर में जाल फैल गया तथा भिन्न २ वेदों में भिन्न २ स्कूल विशेषता प्राप्त करने लगे। इन ज्ञान केन्द्रों में भारतीय प्राचीन जीवन का वास्तविक रूप झलकता है। यहाँ शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य—जीवन का सर्वाङ्गीण चरम विकास—हमें देखने को मिलता है। आधुनिक शिक्षा हमें केवल भौतिक विकास की ओर ले जाती है जिससे मानव जीवन की एकता नष्ट होकर मनुष्य जाति वर्गों में बँट जाती है किन्तु वैदिक शिक्षा ने हमें जीवन में साम्य का पाठ पढ़ाया।

यह केवल धर्म पाठ पढ़ाने के लिये ही नहीं थी अपितु जीवन के भिन्न २ रूपों का पदार्थ-पाठ पढ़ाती थी। तत्कालीन शिक्षा केन्द्र ही धर्म, पवित्रता, कला, सम्यता तथा जीवन के वह केन्द्र थे जहाँ से आर्य सम्यता विकीर्ण होकर सम्पूर्ण भारत पर छा गई और जो शताब्दियों के भयंकर परिवर्तन के भ्रंभावात को सहन करके आज भी अपनी ज्योति से मानव हृदय को प्रकाशित कर रही है। यह वेद-कालीन शिक्षा की विशेषता है। आर्य सम्यता के ये केन्द्र इस प्रकार एक विकसित मानवता तथा उन्नत-जीवन का पाठ जाति को पढ़ा रहे थे।

शिक्षा पद्धति और स्वाध्याय

इस समय शिक्षा केवल शिक्षा के लिये नहीं अपितु शिक्षा जीवन के लिये थी। शिक्षा का उद्देश्य पूर्णब्रह्म या 'ब्रह्मवर्चस' को प्राप्त करना था। यज्ञ तथा अन्य धार्मिक क्रियाओं का उद्देश्य भी पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति था किन्तु धर्म-ग्रन्थों के अध्ययन पर भी अधिक जोर दिया गया। यह अध्ययन 'स्वाध्याय' कहलाता था। स्वाध्याय को ब्रह्म के लिये किये गये उस त्याग के समान माना जाता था जिसके सम्पादन से एक अखंड जगत् की प्राप्ति होती है। अरण्यकों में स्वाध्याय का बड़ा महत्त्व माना गया है स्वाध्याय के द्वारा ही मनुष्य ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्म में लीन हो सकता था। यह स्वाध्याय प्रत्येक स्थान पर सम्भव नहीं था इसके लिये प्रायः जन-कोलाहल-शून्य किसी प्राकृतिक रमणीक स्थान में बैठकर एकाग्र मन होकर ब्रह्मचारी लोग वेद, वेदाङ्ग, अरण्यक, ब्राह्मण, इतिहास, पुराण तथा उपनिषदों का अध्ययन करते थे। वेदकालीन शिक्षा की भाँति इस युग में भी विद्यार्थी वर्षों के बादलों के समय, तूफान या शीघ्री में, वृक्ष छाया तले तथा पशुओं के मध्य में पढ़ने से श्रवकाश पाते थे।

यद्यपि स्वाध्याय या आत्म-अध्ययन का विशेष प्रचलन था किन्तु विद्यार्थी के के लिये शिक्षक की आवश्यकता भी प्रतीत होती थी। कठोपनिषद् में शिक्षक का अस्तित्व अनिवार्य बतलाया गया है। गुरु का पूर्ण ज्ञानी, सर्व-दृष्टा तथा ब्रह्म में निवास करने वाला होना आवश्यक था। गुरु विद्यार्थी को अन्तर्चक्षु प्रदान करता तथा अध्यात्मिक जीवन देता था। गुरु समाज का पथ-प्रदर्शक, नेता तथा निर्माणक माना जाता था। गुरु के द्वारा विद्या-दान केवल पुत्र या शिष्य को ही दिया जा सकता था। उपनयन संस्कार के उपरान्त शिष्य गुरु के पुत्र के समान माना जाता था और उनका आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता था। गुरु केवल उसी शिष्य को दीक्षा देते थे जो कि अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं तथा सेवाओं द्वारा पात्रता प्राप्त कर लेता था। उपनिषदों में असंख्य ऐसे उदाहरण हैं जहाँ शिष्यों के द्वारा गुरु के समस्त हृदय हाथ में लेकर उपस्थित होने का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त अनियमित शिक्षक भी थे जो बिना दीक्षा संस्कार सम्पादित किये

हुए साधारणतया ज्ञान प्रदान करते थे। याज्ञवल्क ने अपनी पत्नी मैत्रेयी तथा गार्गी को इसी प्रकार ज्ञान उपदेश किया था। इतना ही नहीं पिता के द्वारा पुत्रों को दीक्षित तथा शिक्षित करने के भी उदाहरण हैं। स्वेत-केतु ने अपने पिता से उच्च ज्ञान प्राप्त किया था। भृगु ने अपने पिता वरुण से शिक्षा पाई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा पद्धति में स्वाध्याय का महत्त्व होते हुए भी गुरु की आवश्यकता थी।

प्रवेश

वस्तुतः उपनयन संस्कार के उपरान्त ही बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था और वह प्रायः २५ वर्ष (अविवाहित रहने तक) की अवस्था तक ब्रह्मचारी कहलाता था। उपनयन विद्यार्थी का द्वितीय जन्म माना जाता था जहाँ से गुरु के द्वारा दीक्षित होने पर उसका अध्यात्मिक-जीवन आरम्भ होता था। वंश, व्यक्तिगत योग्यता तथा सेवा भाव इत्यादि गुणों को देखकर ही गुरु बालकों को दीक्षित करते थे। यह विद्यार्थी-जीवन प्रायः १२ वर्ष तक माना जाता था। स्वेतकेतु तथा उपकौशल और कमलायन प्रभृति व्यक्ति बारह वर्ष तक गुरु-गृह में रहे थे। विद्यारंभ भी प्रायः १२ वर्ष की अवस्था से ही होता था। बहुत से विद्यार्थी अध्ययन की अवधि १२ वर्ष से अधिक भी रखते थे, यहाँ तक कि ऐसे उदाहरण भी हैं कि विद्यार्थियों ने १०१ वर्ष तक नियमित अध्ययन किया।^१ किन्तु यह महान-ज्ञान या उच्चतम शिक्षा के लिये ही था।

विद्यार्थी के कर्त्तव्य

प्रथमतः विद्यार्थी 'आचार्य कुल वासिन' होता था। दूसरे, उसे अपने पालन पोषण के लिये तथा गुरु के लिये भिक्षा माँग कर लाना होता था। इस प्रथा का पालन निर्धन, धनवान, राजकुमार तथा कृषक सभी विद्यार्थियों को करना पड़ता था। इससे उसके अन्दर विनय का प्रादुर्भाव होता था और वह समाज के द्वारा किये गये उपकार तथा उसके प्रति किये जाने वाले अपने कर्त्तव्य का एक पदार्थ पाठ पढ़ता था। विनय का यह अद्वितीय उदाहरण विश्व इतिहास में अन्यत्र दुर्लभ है।

ब्रह्मचारी का तीसरा कर्त्तव्य माना जाता था गुरु-गृह की पवित्र अग्नि को सदा प्रज्वलित रखना। ब्रह्मचारी बनों से समिधायें लाकर उस अग्नि को जाग्रत रखते थे। इस पवित्र ज्योति का आध्यात्मिक अर्थ था मस्तिष्क और आत्मा को प्रकाशित करना।

१ छन्दोग्य उपनिषद् में वर्णन है कि इन्द्र १०१ वर्ष तक प्रजापति के यहाँ शिष्य के रूप में पर्णज्ञान प्राप्त करने के लिये रहा था।

गुरु की गाय इत्यादि पशुओं को जंगलों में ले जाकर चराना विद्यार्थी का चौथा कर्त्तव्य था। इस तरह विद्यार्थी के समय का एक दीर्घ अंश गुरु सेवा में ही व्यतीत होता था। यह सेवार्थे प्रायः निर्धन विद्यार्थी ही करते थे। धन सम्पन्न बालक गुरुओं को दक्षिणा देते थे।

इन वाह्य गुरु सेवाओं के अतिरिक्त विद्यार्थी का प्रमुख कर्त्तव्य विद्याध्ययन था। प्रारम्भ में वेद पाठन से अध्ययन आरम्भ किया जाता था, अर्थात् अक्षर, शब्द, उच्चारण, छन्द तथा प्रारम्भिक व्याकरण का पूर्व ज्ञान कराया जाता था। इसमें व्याकरण तथा शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व था क्योंकि इनकी शुद्धता पर ही वेदों की भावी शुद्धता निर्भर थी।

इस प्रकार के वाह्य प्रतिबन्ध विद्यार्थी के अन्दर एक आन्तरिक संस्कार उत्पन्न करते थे तथापि विनय व अनुशासन के लिए भी नियम थे। इन्द्रियों, इच्छाओं, यश लिप्सा, निद्रा, क्रोध, गन्ध तथा शारीरिक सौन्दर्य इत्यादि पर उसे विजय प्राप्त करनी होती थी। विद्यार्थी को विद्या प्राप्ति से पूर्व प्रमाथित करना पड़ता था कि वह शान्त, संयमी, धीरवान् तथा एकाग्रचित्त है। संक्षेप में सादा जीवन उच्च विचार ही उसका आदर्श था।

यहाँ यह स्मरणीय है कि विद्यार्थी उच्च ज्ञान प्राप्त करना अपना कर्त्तव्य समझते थे। विद्यार्थी-जीवन की कठोरता उन्हें ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाती थी। इसमें उन्हें जीवन के एक थोड़े से अंश को ही नहीं अपितु सम्पूर्ण जीवन का बलिदान करना होता था। स्वेत केतु १२ वर्ष तक विद्याध्ययन करने के उपरान्त भी ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने में असफल रहा और इसके लिये उसे बाद में अधिक समय देना पड़ा। यहाँ तक कि बहुत से व्यक्ति तो आजीवन ब्रह्मचारी रह कर ज्ञान उपार्जन करते थे। वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते थे।

विद्या काल की समाप्ति पर गुरुजन विद्यार्थियों को दीक्षान्त भाषण देते थे जिसमें उनके भावी व्यवहारिक जीवन के कर्त्तव्यों का उन्हें स्मरण दिला कर ससार में भेजा जाता था। इस प्रथा को 'समावर्तन' संस्कार कहते थे। इन कर्त्तव्यों में प्रधानतः सत्य बोलना, कर्त्तव्य पालन, वेद अध्ययन, स्वास्थ्य रक्षा, यज्ञ, माता-पिता तथा गुरु की सेवा, दान तथा इसी प्रकार के उत्तम कर्म* करने के लिये आदेश

*सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यान्मा प्रमदः ।

आचार्याय प्रिय धनमाहत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सीः ।

सत्यान् प्रमादितव्यम् । धर्मान् प्रमादितव्यम्

कशलान् प्रमात्तव्यम् । भूत्यन् प्रमादितव्यम्

स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमादितव्यम्

“ एतदनुशासनम् । एवमुपासितव्यम् । एवमु चंतदुपास्यम् ।

था। प्राचीन काल के भारत के इन गुरुओं के यह अन्तिम उपदेश आधुनिक विश्व-विद्यालयों के कन्वोकेशन ऐड्रेस के समान थे। अन्तर केवल इतना प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में अन्तिम उपदेश की आत्मा—उसके धार्मिक तथा नैतिक रूप पर-अधिक जोर दिया जाता था जबकि आधुनिक युग में वाह्याम्बडर तथा शुष्क प्रथा पालन पर।

शिक्षक के कर्तव्य

प्राचीन भारत की सम्पूर्ण सम्यता का प्रकाश तत्कालीन शिक्षकों ही की अध्यात्मिक तथा नैतिक ज्योति छाया थी। शिक्षक के अन्दर उच्चतम आध्यात्मिक व चरित्र सम्बन्धी गुणों का होना अनिवार्य था। गुरु ब्रह्मनिष्ठ तथा सम्पूर्ण वैदिक ज्ञान का ज्ञाता होता था। अपने आन्तरिक प्रकाश से ही वह अपने शिष्यों की अन्तर्ज्योति को जाग्रत करता था।

प्राचीन काल में ऐसे ही व्यक्ति को गुरु पद के योग्य समझा जाता था जोकि स्वयं अपने विद्यार्थी जीवन में आदर्श विद्यार्थी रहा हो। जो व्यक्ति समाज व जाति का पथ प्रदर्शन कर सकें अथवा जो पूर्ण विद्वान हों उन्हें ही शिक्षक पद मिलता था। योग्य शिष्य के पहुँचने पर उसे उच्चतम शिक्षा देना प्रत्येक गुरु का कर्तव्य था। गुरु जो कुछ जानता था बिना भेद-भाव व छिपाव के सभी कुछ शिष्य की सिखाता था; यद्यपि ऐसे भी उदाहरण हैं कि कुछ गुप्त विद्याओं का दान विशेष शिष्य को ही दिया जाता था। साधारण शिष्य इसके योग्य नहीं समझा जाता था। किसी विशेष विषय में अपने आपको योग्य व समर्थ न पाने पर गुरु इस बात को शिष्य पर प्रकट कर देना अपना पवित्र कर्तव्य समझता था।

इस प्रकार गुरुओं द्वारा शिष्यों में ज्ञान हस्तान्तरित करने की एक गुरु-परम्परा पढ़ गई थी। गुरुओं की भी यही इच्छा रहती थी कि उनके सिद्धान्त, ज्ञान व अनुभव उनके बाद में भी जीवित रह कर लोक कल्याण करें। गुरु का जीवन एक आदर्श होता था; शिष्य उसका अनुकरण करते थे। 'अन्धकार से प्रकाश में लाना' गुरु का कर्तव्य था। गुरु ही विद्यार्थी का आध्यात्मिक व मानसिक पिता होता था। किसी विद्यार्थी के नैतिक पतन अथवा दोषों का पूर्ण उत्तर दायित्व शिक्षक पर ही था। प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत देखभाल, निर्धन विद्यार्थी की आर्थिक सहायता, अस्वस्थ होने पर विद्यार्थी की सुश्रुषा तथा अन्य आवश्यकताओं के समय पर गुरु को उसी प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करना होता था जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिये करता है।

शिक्षा प्रणाली

वेद कालीन शिक्षा में शिष्य को ज्ञान सीधा प्रदान किया जाता था। इस प्रणाली में शिक्षक प्रमुख था। किन्तु उत्तर वैदिक-काल की शिक्षा-प्रणाली में

शिष्य प्रमुख था। गुरु और शिष्य में प्रश्न और उत्तर होते थे। गुरु शिष्यों के समझ समस्यार्थ रखते थे अथवा शिष्य भी प्रश्न पूछ कर गुरुओं से उत्तर पाकर शंका समाधान या ज्ञानवर्धन करते थे। इसी प्रकार समस्याओं के हल और प्रश्नों के उत्तर द्वारा विद्यार्थी को ज्ञान दिया जाता था। उपनिषदों की प्रधान प्रणाली तो वादविवाद की ही है। गूढ़ व जटिल प्रश्नों के द्वारा रहस्यमय विषयों को सुलझाया जाता था। इस प्रणाली की तुलना हम ग्रीक देश के शिक्षा शास्त्री व सुधारक सुकरात की प्रणाली से कर सकते हैं। अधिकतर शिक्षा वाणी द्वारा ही दी जाती थी यद्यपि लेखन कला का भी प्रचार बढ़ रहा था। प्रश्न-उत्तर, कथा, अन्वोक्ति एवं सूक्ति इत्यादि प्रमुख शिक्षा प्रणालियों का प्रयोग होता था। तर्क शास्त्र का विकास उपनिषद काल में खूब हुआ। आगे चलकर न्याय शास्त्र के विकास में इससे पर्याप्त सहायता मिली।

इस प्रकार गुरु व शिष्य के वादविवाद में शिष्य केवल निष्क्रिय श्रोता ही नहीं रहता था अपितु उसे हर क्षण जागरूक व क्रियाशील रहना पड़ता था। उसे मनन और चिन्तन करके प्रश्नों के उत्तर सोचने पड़ते थे। इस प्रकार उसकी मानसिक व कल्पना शक्ति को भ्रम और शिथिल मिलता था। किसी गूढ़ विषय का सूत्रपात करके गुरु शिष्य को आगे ले जाकर छोड़ देता था। उसके आगे शिष्य स्वतः अपने स्वाध्याय, मनन और चिन्तन द्वारा अभीष्ट पर पहुँचता था। तैत्तरीय उपनिषद में वरुण के द्वारा अपने पुत्र भृगु के पढ़ाये जाने की कथा है जहाँ पर वरुण उसे चार बार संकेत रूप में प्रारम्भिक सहायता देकर आगे बढ़ने के लिए छोड़ देता है। अन्त में पांचवीं बार जाकर भृगु को स्वयं पूर्ण ब्रह्म का आभास हो जाता है। श्वेतकेतु ने भी इसी प्रकार अपने पिता से मन तथा इसके गुणों एवं मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक परिस्थितियों के मन पर प्रभाव इत्यादि के विषय में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार शिक्षा में प्रमुख भाग विद्यार्थी का ही होता था। शिक्षक उसे केवल पथ-प्रदर्शक संकेत देता था।

बृहदारण्यक उपनिषद में तीन प्रमुख पद्धतियों का उल्लेख है जैसे (१) श्रवण (२) मनन और (३) निदिध्यासन। श्रवण को ६ भागों में बाँटा गया था— (१) उपक्रम, वेद पढ़ने से पूर्व किया जाता था; (२) अभ्यास; (३) अप्रवृत्ता— अर्थ का तत्काल समझ लेना; (४) फल; (५) अर्थवाद; (६) उपपत्ति, परिष्कार व सार का ज्ञान। इसी प्रकार मनन के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जाता था। इसके अतिरिक्त योग व तपस्या से भी परम ज्ञान प्राप्त किया जाता था।

संस्थाओं के रूप

गुरु-गृह, परिषद एवं सम्मेलन, इन तीन प्रकार की शिक्षा संस्थाओं का उस समय प्रचलन था।

(१) गुरु गृह—गुरु गृह पर शिक्षा प्राप्त करने की प्रथा साधारणतया प्रचलित थी। बालक प्रारम्भिक अवस्था में अपने मता-पिता को छोड़कर अपने आध्यात्मिक पिता के घर जाता था। वहाँ उपनयन संस्कार के उपरान्त उसका ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर लिया जाता था। गुरु गृह में गुरु की सेवा करते हुये जैसे पशु चराना तथा यज्ञाग्नि प्रज्वलित रखना इत्यादि कार्य करते हुए वह लगभग १२ वर्ष तक विद्या लाभ करता था। तदुपरान्त पूर्ण विद्वान् होकर वहाँ से विदा होता था।

(२) परिषदः—यहाँ उच्च शिक्षा के विद्यार्थी इकट्ठे होकर तर्क-वितर्क तथा भाषणों द्वारा अपनी ज्ञान क्षुधा को मिटाते थे। जो विद्यार्थी अपना शिक्षण प्रारम्भिक अवस्था में ही समाप्त नहीं कर देते थे तथा सत्य और ज्ञान की खोज में रहते थे, वह इन परिषदों के द्वारा ज्ञानार्जन करते थे। पारस्परिक वाद-विवाद के अतिरिक्त विद्यार्थी योग्य विद्वानों व महान् शिक्षकों को भी इन वार्ताओं में निमंत्रित करते थे तथा स्वयं देश भ्रमण भी करते थे। ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषदों में इस सम्बन्ध में उदाहरण मिलते हैं। उपनिषदों की रचना तो प्रायः ऐसे ही तर्कों और वाद विवादों के परिणाम स्वरूप हुई। इनमें उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के सत्य तथा आत्मा के अनुसंधान का वर्णन है।

(३) सम्मेलन—स्थानीय परिषदों के अतिरिक्त कभी २ बड़े बड़े राजा अपने यहाँ सम्पूर्ण देश के विद्वानों, ऋषियों तथा आध्यात्मिक व मानसिक नेताओं को निमंत्रित करते थे। योग्य या सर्वोत्तम विद्वानों, वक्ताओं, दार्शनिकों और ज्ञानियों को विशेष पुरस्कार भी दिये जाते थे।* ब्राह्मण ऋषियों के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये उनकी विदुषी स्त्रियाँ भी जाती थीं और शास्त्रार्थ करती थीं।

इस प्रकार की शिक्षा संस्थाओं के अतिरिक्त राजाओं के दरबार भी शिक्षा-संस्थाओं का कार्य करते थे जहाँ उद्भट विद्वानों के समूह देश देशान्तरों से आकर रहस्यमय विषयों पर भाषण करते थे। कुछ शिक्षा संस्थायें जंगलों में भी थीं जहाँ निर्जन स्थान में प्रकृति की रमणीय व नीरव गोद में ऋषियों के आश्रम बने थे। विद्यार्थी इन आश्रमों में एकत्रित होकर वेद पाठ करते थे। उत्तर वैदिक-काल के अरण्यक ग्रन्थों का सूत्रपात यहीं से है जैसा कि 'अरण्यक' शब्द से प्रतीत होता है। यह वनों में गाये हुये ज्ञान संगीत हैं। वास्तव में आर्य सभ्यता का उद्-

* 'सतपथ ब्राह्मण' में विदेहजनक के द्वारा कुरु-पाँचाल देश के सम्पूर्ण ब्राह्मणों के निमंत्रित करने की कथा है जिसमें राजा ने योग्यतम विद्वान के लिए एक हजार गायें जिनके सींग स्वर्ण से भरे थे पारितोषिक के रूप में देने की प्रतिज्ञा की थी। इस पारितोषिक को याज्ञवल्क्य ने प्राप्त किया था।

गम इन्हीं वर्णों में मिलता है। यहीं पर प्राचीन भारतीय सभ्यता का सृजन हुआ था।

सूत्र साहित्य

पाठ्यवस्तु

वैदिक साहित्य के उपरांत सूत्र साहित्य का युग आता है। इस समय तक ब्राह्मणीय शिक्षा पूर्णतः सुसंगठित हो चुकी थी। सूत्र साहित्य का युग ६०० ई० पू० से २०० ई० पू० है। वेदों तथा उपनिषदों का बहुत विस्तार हो गया था अतएव यह आवश्यक हो गया था कि किसी ऐसे साधन का आविष्कार किया जाय जिससे उस दृढ़त शनराशि को संक्षिप्त रूप दिया जा सके। इस प्रकार सूत्रों की रचना हुई। इन सूत्रों के द्वारा महान सिद्धान्तों और सत्यों को थोड़े शब्दों में संकेत रूप में कह दिया जाता था। विना व्याख्या और विश्लेषण के सूत्रों को समझना कठिन था। प्रायः इनके अर्थ गूढ़ हुआ करते थे। एक शब्द की मितव्ययता में वही आनन्द सूत्र रचियताओं को आता था जो कि एक पुत्रोत्पत्ति में आता है।

शिक्षा के नियमों का उल्लेख धर्म सूत्रों के रूप में हुआ। इन धर्म सूत्रों में सामाजिक जीवन के नियम तथा विद्यार्थियों और शिक्षकों के कर्तव्यों का वर्णन है। सूत्रकारों में मौलिकता नहीं थी उन्होंने तो पूर्व स्थित वैदिक साहित्य का गहन अध्ययन करने के पश्चात् स्वरचित साहित्य को जन-साधारण की पहुँच के अन्तर्गत किया था। अतः सूत्र साहित्य में साहित्यिक-काव्य और कल्पना का आभाव है। उसमें तो केवल संक्षिप्तता और शब्द लाघव का ध्यान रखा गया था। इस प्रकार इन सूत्रों में 'गागर में सागर' भरने का कार्य सूत्र कारों ने किया। बौद्ध-धर्म के प्रादुर्भाव ने भी ब्राह्मणों को विवश कर दिया कि वे अपने धर्म की सुरक्षा करें तथा जन-साधारण तक अपने धर्म-सिद्धांतों को पहुँचाने के लिये और उसे सरल एवं सर्वप्रिय बनाने के लिये ऐसे उपाय का आविष्कार करें जिससे उनके धर्म-सिद्धान्त अमर होकर धर-धर पहुँच सकें। इस प्रयत्न का परिणाम हुआ सूत्र-साहित्य की रचना।

सर्व प्रथम 'श्रौत सूत्र' की रचना हुई। इनमें ब्राह्मणों की धार्मिक क्रियाओं का उल्लेख है। दूसरे प्रकार के सूत्र 'गृह्य सूत्र' कहलाते हैं जिनमें गृहस्थ-जीवन के जन्म, विवाह तथा मरण इत्यादि रीति रिवाजों का वर्णन है। इन्हें 'स्मृति' भी कहते हैं। तीसरी शाखा का नाम 'धर्म-सूत्र' है जिसमें दिन प्रतिदिन के सामाजिक जीवन के नियमों का वर्णन है। सूत्र साहित्य का अन्तिम रूप 'सुल्वसूत्र' है जो धार्मिक व्यवहार से सम्बन्धित है। सुल्वसूत्रों में वेदी बनाने के नियम उनकी नाप और आकृति इत्यादि के विषय में बताया गया है इस प्रकार ज्यामिति और भारतीय बीजगणित का बीजारोपण यहीं से होता है।

सूत्र युग में अध्ययन के प्रमुख विषय वेदाङ्ग थे। वेदों के समझने के लिये शिक्षा, छन्दस, व्याकरण, निरुक्त, कल्प तथा ज्योतिष का पूर्व ज्ञान आवश्यक था।

यही वेदाङ्ग कहलाते थे। इस युग की विशेषता है विद्यार्थियों का भिन्न २ विज्ञानों में विशेष योग्यता प्राप्त करना। वास्तव में यह युग प्राचीन भारतीय शिक्षा का सबसे महत्त्वपूर्ण व रचनात्मक युग है। रेखागणित, बीजगणित, ज्योतिष, नक्षत्र-शास्त्र, शरीर शास्त्र, व्याकरण तथा भाषा का विकास इस युग में पर्याप्त हुआ। यज्ञ के लिये उपयुक्त ऋतु तथा काल का निरीक्षण करने में ज्योतिष शास्त्र का विकास तथा बाल के लिये पशुओं के शरीर को चीर कर विश्लेषण करने से शरीरशास्त्र तथा शल्य चिकित्सा का विकास हुआ। पाणिनी का विश्व विख्यात व्याकरण इसी युग की रचना है। वस्तुतः पाणिनी से ही सूत्र युग का सूत्रपात्र हुआ। कात्यायन व पातंजलि इसी युग के साहित्यकार हैं।

पातंजलि का भाष्य प्राचीन भारत की एक अमर रचना है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य का अर्थशास्त्र जिसे सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य के महामंत्री चाणक्य या कौटिल्य की रचना माना जाता है जो कि तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक और शिक्षा सम्बन्धी नीतियों का उल्लेख करता है, इसी युग की रचना है। कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ को चार भागों में विभाजित किया था १) अन्वित्तकी (२) त्रयी (३) वार्ता और ४) दंडनीति। वह तीन प्रकार की दार्शनिक विचार धाराओं का उल्लेख करता है जैसे सांख्य, योग और लोकायत। त्रयी के अन्तर्गत ऋक्, साम और यजु, वेदों का उल्लेख है। विद्यार्थी के लिये चाणक्य ने एक सुसंगठित व्यवस्था की है। प्रथम तीन वर्गों के लिये शिक्षा अनिवार्य थी। विद्यार्थियों के लिये वेदपाठ, अग्निपूजा, भिक्षा तथा गुरु-सेवा की व्यवस्था थी। इस प्रकार राजा के कर्त्तव्य, भिन्न २ वर्गों के कर्त्तव्य तथा प्रजा के कर्त्तव्य इत्यादि का वर्णन हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है।

न्याय शास्त्र व मोर्मासा का विकास भी इसी युग में हुआ। जीवन ले भली-भाँति सुचालित करने के लिये स्मृतियों की रचना हुई। मनुस्मृति आज भी असंख्य भारतवासियों के लिये अन्तिम शब्द प्रदान करती है। धर्म अब भी साहित्य का गठन और सृजन कर रहा था यद्यपि लोगों की विचार धारा स्वच्छन्द हो चुकी थी। अध्यात्मिक जीवन के समानान्तर ही मानसिक जीवन चल रहा था। नृत्य कला, अभिनय, संगीत अर्थशास्त्र तथा अन्य सांसारिक विज्ञानों का विकास हो रहा था जिनका अध्ययन प्रधानतः स्त्रियाँ और शूद्र करते थे। यह ज्ञान 'उपवेद' कहलाते थे। इस प्रकार इन 'उपवेदों' के द्वारा सम्पूर्ण ज्ञान शास्त्रों का सम्बन्ध वेदों से जोड़ दिया था।

शिक्षा पद्धति

सूत्र युग में शिक्षा पद्धति प्रधानतः वही थी जो कि उपनिषद् युग में प्रचलित थी। सूत्र साहित्य किसी नवीन विचार धारा की जन्म तो देता ही

नहीं था। इसमें तो पुरातन धर्म के सर्वमान्य सिद्धान्तों को छोटे २ टोस, व संक्षिप्त सूत्रों में पिरो दिया गया था। इस प्रकार अलिखित कानूनों, सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों तथा पूर्व स्थिति परम्पराओं को सुव्यवस्थित तथा संकलित कर दिया गया था। यही नया साहित्य विद्यार्थियों के अध्ययन का विषय बन गया। विद्यारम्भ के समय विद्यार्थियों से कुछ प्रचलित रीति रिवाजों का पालन कराया जाता था जैसे सावित्री पाठ इत्यादि। विद्यारम्भ के उपरांत चूड़ाकर्म और फिर उपनयन संस्कार का पालन होता था। उपनयन संस्कार सम्पूर्ण आर्य जाति के लिये अनिवार्य कर दिया गया। इससे शिक्षा विस्तार में पर्याप्त सहायता मिली। उच्च विद्या के लिये नियमित स्कूलों की रचना होने लगी। ब्रह्मचर्य का अनुशासन अभी अत्यन्त जटिल था किन्तु कालान्तर में बालिकाओं की विवाह अवस्था के घट जाने से स्त्री शिक्षा को बहुत आघात लगा। अधिकतर स्त्रियाँ अपने घरों पर ही शिक्षा प्राप्त करती थीं। उनके पिता या भ्राता उन्हें शिक्षा देते थे। पेशे जातिगत और वंशगत होने लगे थे यद्यपि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भी रुचि अनुकूल पेशा ग्रहण करने के लिये प्रचलित थी। हस्त कला, चिकित्सा, शिल्प कला, वास्तुकला इत्यादि सांसारिक उद्योगी विद्याओं का प्रचार बढ़ गया था। इस प्रकार सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति का उद्देश्य चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास तथा प्राचीन संस्कृति को सुरक्षा करना था।

दर्शन शास्त्र का चरम विकास सूत्रकालीन साहित्य की विशेषता है। यद्यपि दर्शन सिद्धान्तों का अस्तित्व भारत में वेद कालीन युग से चला आ रहा था। उपनिषद काल इसका मध्यान्ह था। किन्तु सूत्रकाल में यह ज्ञान अपनी उन्नति की पराकाष्ठा को पहुँच गया। इस युग में दर्शन की छः शाखायें विकसित हुईं (१) कपिल का सांख्य (२) पातंजलि का योग, (३) गौतम का न्याय, (४) कण्व का वैशेषिका (५) जैमिनि का कर्म या पूर्व मीमांसा और बादरायण का उत्तर मीमांसा या वेदान्त। किन्तु इतना अवश्य है कि इन छः पद्धतियों के रचयिता यही ऋषि नहीं थे बल्कि इनका अस्तित्व पहिले ही से था। इन ऋषियों ने तो इन भिन्न २ पद्धतियों का विश्लेषण करके इन्हें अन्तिम रूप प्रदान किया। केवल अधिकारी विद्यार्थियों को ही दर्शन शास्त्र के अध्ययन की आज्ञा थी अन्यथा सर्व साधारण तो सांसारिक विद्याओं का ही अध्ययन करते थे। 'जिस व्यक्ति की वासनाओं का पूर्ण शमन नहीं हो गया था वह सच्चे दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिये उपयुक्त नहीं समझा जाता था।'^१

इस प्रकार दर्शन शास्त्र का अध्ययन अपने स्वयं के अन्दर पूर्ण था। इसने अनुशासन, विनय और उच्च ज्ञान की समस्या को सुलझा दिया। भारतीय

दर्शन मानवता के लिये, इस देश की एक अनुपम देन है। यह वह व्यवहारिक व बोधगम्य विचार-धारा थी जिसने भारत की संस्कृति को युग-युगों के भयंकर परिवर्तनों में भी जीवित रखा।

महाकाव्यों में शिक्षा

पाठ्यवस्तु व विधि

रामायण और महाभारत प्राचीन भारत के प्रमुख महाकाव्य हैं। यह काव्य प्रधानतः उस युग के सैनिकवाद की झलक हैं, तथापि इनमें ऐसे साक्ष्य हैं जिनके द्वारा हमें उस युग की शिक्षा का हाल भी विदित होता है। उदाहरण के लिये वर्ण और आश्रमों के सिद्धान्तों का उल्लेख, आदर्श विद्यार्थियों तथा मठों की परिभाषा, तत्कालीन विद्या केन्द्रों का वर्णन तथा राजकुमारों और क्षत्रिय बालकों की सैनिक शिक्षा का वर्णन हमें इन महाकाव्यों में मिलता है।

ब्राह्मणों की शिक्षा के लिये धर्मसूत्र के अनुसार कुछ नियम थे। उन्हें कुछ विशेष योग्यताओं को प्राप्त करना तथा कुछ शर्तों का पालन करना होता था। उदाहरणतः आत्मा की स्वच्छता, चरित्र की पवित्रता, वैदिक अध्ययन, इन्द्रिय-निग्रह और विनय ब्राह्मण के लक्षण समझे जाते थे। गुरुसेवा, ब्रह्मचर्य, भिक्षा इत्यादि ब्राह्मण विद्यार्थी के कर्तव्य थे। विद्यार्थी गुरु चरणों में बैठ कर अध्ययन करता था। गुरु से पूर्व अहार, विहार और शयन करने का अधिकार शिष्य को नहीं था। इस प्रकार २५ वर्ष की अवस्था तक गुरु सेवा करते हुए तथा वेदों का अध्ययन समाप्त करके विद्यार्थी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। विद्यार्थी अपनी शक्ति के अनुसार शुल्क भी गुरु को अर्पण करता था। अरुणी तथा उपमन्यु इत्यादि कुछ गुरु भक्त व आदर्श विद्यार्थियों के नाम भी इस युग में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कण्व, व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा द्रोण इत्यादि महान गुरुओं का भी उल्लेख रामायण व महाभारत में है। द्रोणाचार्य महाभारत युग के एक प्रसिद्ध सैनिक-शिक्षक थे। इतना अवश्य है इस युग में जातियों का विभाग अत्यन्त जटिल हो चुका था। शूद्रों के वेद अध्ययन अथवा उच्च सैनिक-शिक्षा के अधिकार छिन चुके थे। एकलव्य, एक शूद्र बालक को द्रोणाचार्य ने राजकुमारों के साथ सैनिक शिक्षा देने से मना कर दिया था। द्विज कहलाने वाली तीन जातियों का विद्याध्ययन, यज्ञ तथा दान यह तीन कर्म एक समान थे। इसके अतिरिक्त चारों वर्णों के कुछ विशेष कर्तव्य भी थे। जैसे विद्यादान, भिक्षा तथा दान लेना ब्राह्मण का कर्तव्य; देश रक्षा तथा सुव्यवस्था क्षत्रिय का कर्म; व्यापार व कृषि का विशेष कर्म एवं सेवा शूद्र का प्रमुख कर्म माना गया था।^१ इन

२. वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम्
वार्ता कर्मैव वैशस्य विशिष्टानि स्वकर्मषु
कृषिं गोरक्षमास्थाय जीवेद्द्वैष्यस्य जीविकाम् । [मनुस्मृति १०।१८०]

चारों वर्यों की शिक्षा का पाठ्य-क्रम भी अपने अपने उद्यमों के अनुसार था। क्षत्रियों के लिये धनुर्वेद का अध्ययन अनिवार्य था।^१ 'धनुर्वेद' से अभिप्राय सम्पूर्ण सैनिक विज्ञान व कला से समझा जाता था। भीष्म, द्रोण, अर्जुन, कर्ण तथा परशुराम महाकाव्य-युग के कुछ प्रसिद्ध धनुर्धारी थे। इसके अतिरिक्त प्रयाग, काशी, अयोध्या इत्यादि महान विद्या केन्द्र थे। प्रयाग में उस युग का सर्व विख्यात आश्रम ऋषि भारद्वाज का था जो कि उत्तरी भारत में शिक्षा का एक वृहत् केन्द्र था।

स्त्री शिक्षा

उत्तर वैदिक काल में स्त्री शिक्षा की वही परम्परा है जो कि वैदिक काल में थी। प्राचीन भारत के समाज की यह विशेषता रही है, जो अन्यत्र देखने में नहीं आती, कि यहाँ की नारी समाज की एक सम्य, शिक्षित और सम्मानित अंग रही है। ऋग्वेद काल में भी स्त्रियों को पूर्ण स्वतन्त्रता थी। वे पुरुषों के साथ यज्ञ करती थीं यहाँ तक कि कोई यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता था जो कि बिना स्त्री (अर्द्धांगिनी) के सम्पादित किया जाता था। ऋग्वेद की बहुत सी ऋचाओं की रचियता स्त्री कवियत्री मानी जाती हैं। विश्वतारा, घोषा, रोमसा, लोपा मुद्रा, उर्वसी और अपाला इत्यादि ऋग्वेद कालीन बहुत विदुषी स्त्रियाँ हैं। उपनिषद् युग में भी स्त्रियों को शिक्षा की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियों गार्गी और मैत्रेयी में दोनों ही परम विदुषी स्त्रियाँ थीं। मैत्रेयी का अपने पति के साथ ब्रह्म, सृष्टि तथा आत्मा इत्यादि गूढ़ रहस्यों पर विवाद भी हुआ था। उपनिषदों में ऐसी स्त्रियों का भी वर्णन है जो शिक्षिका का कार्य करती थीं। स्त्रियों को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। कोई कोई विद्वान उन्हें दो शाखाओं में बाँटते हैं। (१) ब्रह्मवादिनी (२) सद्य वधू। प्रथम प्रकार की स्त्रियाँ उपनयन अग्नि पूजा, वेद पाठ तथा भिक्षा के उपयुक्त मानी जाती थीं और शिक्षा के समाप्त होने पर ही विवाह करती थीं। सद्य वधू विवाह से पूर्व ही उपनयन को पूर्ण कर लेती थी। उसके अध्ययन का विषय आवश्यक वेद मंत्र, संगीत नृत्य तथा अन्य प्रचलित ललित कलाओं का अध्ययन था। गद्य-सूत्रों में भी वर्णन है कि पत्नी को इतना शिक्षित होना चाहिए कि वह पति के साथ यज्ञ इत्यादि धार्मिक कार्यों में हाथ बँटा सके। वस्तुतः स्त्री पुरुषों को यज्ञ सम्पादन की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। डा० राधा कुमुद मुकर्जी ने हेमाद्री का कथन लिखते हुये लिखा है "कुमारी अर्थात् अविवाहित कन्या को विद्या और धर्म नीति का अध्ययन कराना चाहिये। एक शिक्षित कुमारी अपने पिता तथा पति दोनों का कल्याण करती है। अतः उसका विवाह एक विद्वान पति अथवा मनीषी से करना चाहिये, क्योंकि वह विदुषी है।"^१

१. ततो द्रोणः पाण्डुपुत्रानह्नाणि विविधानि च

द्रोणः संकीर्णं युध्ये च शिक्षयाम स कौरवान् [महाभारत भा० प० ११८]

सूत्र-युग में भी हम पाते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का निषेध नहीं था। वह वैदिक साहित्य का अध्ययन करती थीं। स्त्री शिक्षिकायें 'उपाध्याया' और 'आचार्या' कहलाती थीं। पिता की यह अभिलाषा रहती थी कि उसकी पुत्री पंडिता हो। "स्त्रियों को सैनिक शिक्षा दिये जाने का भी उदाहरण मिलता है, जैसा कि 'शाक्तिकी' शब्द से प्रतीत होता है जिसका उल्लेख पातंजलि ने किया है, जिसका अभिप्राय भाला धारण किये हुये स्त्री से है।" महाकाव्य युग में भी हमें अत्यन्त विदुषी और चरित्रवान स्त्रियों के उदाहरण मिलते हैं। उस समय तक पति की प्रधानता हो गई थी और स्त्री उसे भगवान की तरह पूजने लगी थी। रामायण में सीता तथा तारा का ऐसा ही उदाहरण है। यह स्त्रियाँ वैदिक ज्ञान में भी मंत्रविद होती थीं। कुंती के विषय में कहा जाता है कि वह अथर्व वेद की प्रकांड पंडिता थी।

शिक्षा की प्रणाली स्त्रियों के लिये भी प्रायः वही थी जो पुरुषों के लिये थी। उपनयन संस्कार के बिना वेद मंत्र उच्चारण निषेध था अतः स्त्रियों का भी उपनयन होता था। स्त्रियाँ ब्रह्मचर्य से रह कर विद्याध्ययन करती थीं। मनुस्मृति में भी स्त्रियों के लिये उपनयन की व्यवस्था है। स्त्रियों के लिये शिक्षा का विषय वेद पाठ था किन्तु इसके वही मंत्र थे जो कि यज्ञ तथा अन्य संस्कारों के लिये उपयोगी थे। वेद के अतिरिक्त स्त्रियाँ मीमांसा का अध्ययन करके इसमें विशेषता प्राप्त करती थीं। उपनिषद् युग में तो मैत्रेयी और गार्गी जैसी विदुषी दार्शनिक स्त्रियों का प्रादुर्भाव हुआ जो कि राजा जनक के दरबार में ऋषियों से शास्त्रार्थ करती थीं। उत्तर राम-चरित में अत्रेयी की कथा है जो बाल्मीकि तथा अगस्त्य मुनि के आश्रम में लव कुश के साथ वेदान्त का अध्ययन करती थीं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का समाज में पर्याप्त सम्मान था। उन्हें व्यक्तित्व के विकास के लिये पूर्ण स्वतन्त्रता थी। बालिकाओं के लिये उपनयन उतना ही अनिवार्य था जितना बालकों के लिए अतः स्त्री शिक्षा अनिवार्य थी। प्रधानतः अच्छे व सम्पन्न परिवारों की बालिकायें अनिवार्यतः वैदिक व साहित्यिक शिक्षा प्राप्त करती थीं। कालान्तर में पुरुष की प्रधानता होने पर स्त्रियों के सामाजिक स्तर पर प्रभाव पड़ने लगा। यह विश्वास जड़ पकड़ता जा रहा था कि स्त्रियाँ वैदिक शिक्षा के उपयुक्त नहीं हैं। वैदिक युग में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी एवं कोई २ स्त्री तो आजन्म ब्रह्मचारिणी रह कर विद्याध्ययन करती थीं। किन्तु उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में बाल विवाह की प्रथा का चलन हो गया था। स्त्रियों में उपनयन के बन्धन भी शिथिल होते जा रहे थे अतः स्त्री शिक्षा का अनुपात भी कम होता जा रहा था। अब इस बात पर अधिक ध्यान जा रहा था कि स्त्री को यह लक्ष्मी होना चाहिये। यह स्थिति कला में पद अपने पति को

सम्पन्न तथा सुखी बनाने के लिये ही स्त्री के जन्म का उद्देश्य समझा जाने लगा। इस विचार धारा का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि स्त्रियों का प्रभाव घटने लगा। यह उचित समझा गया कि स्त्रियों के लिये वेद अध्ययन और वेद पाठ निषिध्य कर दिया जाय क्योंकि वह वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकती। अतः वेद मंत्रों को अशुद्ध होने से बचाने के लिये यह अनिवार्य था कि स्त्रियाँ वेद न पढ़ें। साथ ही यह विश्वास भी लोगों के हृदय में संस्कार जमाये हुए था कि यदि वेद मंत्रों का किसी के द्वारा अशुद्ध उच्चारण किया जायगा तो वह परिवार या व्यक्ति नष्ट हो जायगा अथवा कोई अन्य दुर्भाग्य उन पर टूट पड़ेगा। अब तक तो वह संस्कृति भाषा ही साधारण बोलचाल की भाषा भी थी जिसका वेदों तथा धर्म-ग्रन्थों में प्रयोग हुआ था किन्तु इससे आगे दोनों भाषाओं में विभिन्नता आ गई। साधारण जनता की भाषा पूर्णतः अपभ्रंश या प्राकृत होती जाती थी ऐसी अवस्था में शुद्ध उच्चारण की कठिनाई अवश्य ही उपस्थित हुई होगी। यही कारण था कि स्त्रियों का वेद पाठ निषिद्ध कर दिया गया। किन्तु इसे समाज की उदासीनता ही कहा सकता है क्योंकि यदि स्त्रियाँ उसी प्रकार से शिक्षा प्राप्त करती आतीं जैसा कि वैदिक अथवा उत्तर वैदिक काल के प्रारम्भ में था तो अवश्य ही वह शुद्ध उच्चारण के समर्थ हो सकती थीं। क्योंकि पुरुष और स्त्री की मानसिक योग्यता में समान सुअवसर मिलने पर कोई अन्तर नहीं आता। स्त्रियाँ अपनी प्रखर और कुशाग्र बुद्धि के लिये प्रारम्भ से ही विख्यात थीं। किन्तु इस भावना के विकसित हो जाने से कि स्त्रियाँ मानसिक योग्यताओं में पुरुष की अपेक्षा हेय होती हैं, स्त्रियों की शिक्षा को बहुत आघात लगा और वह आगे आने वाली शताब्दियों के लिये भी अपने व्यक्तित्व के विकास से वंचित कर दी गई।

श्रौद्योगिक शिक्षा

वर्णानुसार व्यवस्था

प्रारम्भ काल से ही आर्यों ने यह अनुभव कर लिया था कि बिना कार्य का विभाजन किये हुए समाज उन्नति नहीं कर सकता अतः उन्होंने सम्पूर्ण जाति को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्णों में विभाजित कर दिया था। इन वर्णों का अस्तित्व श्रम विभाजन के आधार पर हुआ और प्रत्येक वर्ण का कार्य निश्चित हो गया। यद्यपि प्रारम्भ में वर्ण-व्यवस्था अधिक जटिल नहीं थी और एक वर्ण से दूसरे वर्ण में कर्मानुसार परिवर्तन भी हो सकता था किन्तु आगे चल कर इनके कार्य नियत हो गये और वर्णव्यवस्था केवल रूढ़िवाद बन कर रह गई।

ब्राह्मणः—जो वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना तथा कराना एवं विद्या का दान करते वह ब्राह्मण कहलाये। यद्यपि प्रारम्भ में तो ज्ञान ही ब्राह्मण होने का प्रतीक था और जन्म से ब्राह्मण नहीं होते थे। किन्तु ज्ञानी पुरोहितों द्वारा अपने पुत्रों को

वैदिक शिक्षा देने की परम्परा चल पड़ी। इस प्रकार पिता के उपरांत पुत्र के पुरोहित बनने से धीरे २ पुरोहित वाद एक जाति के रूप में परिवर्तित हो गया। यद्यपि ऐसे ज्ञानी क्षत्रिय भी हुए जिन्होंने ऋषि या ब्राह्मणों को पदवी पाई। विदेह-जनक, राजा अजातशत्रु इत्यादि ऐसे ही उदाहरण हैं। ब्राह्मणों के वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की परम्परा ने क्षत्रिय और वैश्यों की शिक्षा का उत्तरदायित्व भी उन्हीं पर डाल दिया। इस उत्तरदायित्व के कारण समाज में उन्हें एक उच्च स्थान प्राप्त हो गया। वह सम्पूर्ण जाति के पथ-प्रदर्शक और प्रमुख शिक्षक बन गये। आगे चलकर इसी प्रमुखता ने ब्राह्मणों को समाज में प्रथम स्थान दिया और उनकी उपमा मस्तिष्क से दो जाने लगी। धर्म कार्यों जैसे यज्ञ, तप, वेद अध्ययन इत्यादि तथा सामाजिक कार्यों जैसे जन्म, उपनयन, विवाह व मृत्यु इत्यादि में पुरोहितों की उपस्थिति अनिवार्य हो गई। इस प्रकार पुरोहितवाद एक पेशे या उद्यम के रूप में प्रस्फुटित हुआ। पुरोहित लोग अपनी संतान को पुरोहित-कार्य में निपुण व दीक्षित करने लगे और यही कर्म शताब्दियों तक ब्राह्मणों का प्रमुख उद्यम रहा। आधुनिक युग में भी इसके भग्नावशेष विद्यमान हैं।

क्षत्रिय—यह कहा जा चुका है कि समय के साथ ही क्षत्रियों और वैश्यों के लिए वेद का अध्ययन एक गौण बात हो गई। वेद वेदाङ्गों तथा उपनिषदों से उनका साधारण परिचय भर उनके लिए पर्याप्त समझा गया। ५०० ई० पू० में ही वेदाङ्गों का विकास होने लगा था और कानून व व्याकरण के स्कूल स्थापित होने लगे थे। सूत्र युग में धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र की रचना हुई जिनमें क्षत्रिय राजा-ओं के कर्तव्य और अधिकारों का उल्लेख है। यह धर्म शास्त्र ही कानून ग्रन्थ एवं राजनैतिक ग्रन्थ थे। आगे चलकर नीति शास्त्र और अर्थ शास्त्र की रचना भी इन्हीं के आधार पर हुई। यद्यपि आपस्तम्भ, बुद्धायण एवं बसिष्ठ के धर्म सूत्रों में क्षत्रिय राजकुमारों के लिये अध्ययन विषयों का उल्लेख नहीं है, किन्तु गौतम ने बतलाया है कि राजकुमार को 'तीन वेद तथा तर्क शास्त्र' का ज्ञान होना चाहिये। वास्तव में तो क्षत्रियों का प्रमुख कर्म देश की सुरक्षा, आन्तरिक व्यवस्था और शासन कार्य था। इस कार्य को योग्यता पूर्वक सम्पादित करने के लिये मानसिक शिक्षा की तो आवश्यकता थी ही किन्तु इससे भी अधिक आवश्यकता थी सैनिक शिक्षा की। यही कारण था कि वैदिक शिक्षा के साथ ही साथ क्षत्रिय बालकों को अस्त्र-शस्त्र एवं युद्ध कला की शिक्षा दी जाती थी। उनके जीवन का एक बड़ा भाग युद्ध कला की शिक्षा में व्यतीत होता था। रामायण में दशरथ के पुत्रों को विद्यार्थी काल में सैनिक शिक्षा प्राप्त करने का उल्लेख है।^१ रामका

^१पिता दक्षरथो दष्टो बह्म लोकाधिपो यथा

ते चापि मनुज व्याघ्रा वैदिकाध्ययने रतः

पितृ शुभूषणरता धनुर्वेदे च निष्ठिताः [बालकांड अ० १८]

का कर्तव्य ही दुष्टों का दमन और दीनों का संरक्षण माना गया है। किस प्रकार उन्होंने समय समय पर बालो, कुम्भकर्ण व रावण इत्यादि का अपनी सैनिक योग्यता के द्वारा बध किया और धर्म राज्य की स्थापना की। महाभारत में तो हमें प्राचीन भारतीय युद्ध कला अपने चरम विकास को पहुँची हुई मिलती है। यह महायुद्ध संभवतः संसार का सर्व प्रथम महायुद्ध था जिसमें इतने विशाल स्तर पर युद्ध लड़ा गया हो। कौरव व पांडवों के द्रोणाचार्य द्वारा सैनिक शिक्षा में शिक्षित किये जाने का उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है। यह स्मरणीय है कि ब्राह्मण न केवल बौद्धिक शिक्षा में ही सिद्धहस्त थे अपितु सैनिक शिक्षा में भी निपुण थे। सैनिक शिक्षा शूद्रों के लिये वर्जित थी अथवा कम से कम इतना तो आवश्यक था कि उच्च वर्ण कहे जाने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय बालकों के साथ शूद्र-बालकों को शिक्षा नहीं दी जाती थी।

सूत्र युग में क्षत्रियों के कर्तव्य और अधिकारों का अच्छा विकास हुआ। फलतः क्षत्रिय शिक्षा भी विसित हुई। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना भी इसी काल में हुई जिसमें क्षत्रियों की शिक्षा के विषय में बहुत विशद वर्णन है। चाणक्य ही तो नन्दवंश के उन्मूलन का कारण था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य नामक क्षत्रिय राजकुमार को राजनीति, युद्ध कला तथा शासनकला में निपुण करके नन्द के स्थान पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने के लिये उत्साहित किया था।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजकुमारों की शिक्षा के लिये चार विज्ञानों का उल्लेख है (१) आन्वीक्षिकी अर्थात् सांख्य, योग तथा लोकायत का ज्ञान, (२) तीन वेद, (३) वार्ता और (४) दंडनीति। वार्ता में कृषि, पशुपालन तथा व्यापार का ज्ञान कराया जाता था। उसी प्रकार दंडनीति में शासन, कानून तथा राजनीति का ज्ञान सम्मिलित था। विशेष विद्याओं की शिक्षा के लिये विशेष समय भी नियुक्त थे जैसे दोपहर से पूर्व सैनिक शिक्षा, हाथी व घोड़े की सवारी, रथ चलाना तथा हथियार चलाना, और दोपहर के उपरान्त इतिहास व पुराणों का अध्ययन व श्रवण। इतिहास में पुराण, आख्यायिका, इतिवृत्त, उदाहरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र सम्मिलित था। कहानियों के रूप में राजनैतिक शिक्षा भी दी जाती थी जैसा कि पंचतंत्र और हितोपदेश की आख्यायिकाओं से प्रकट होता है अथवा आगे चलकर जातक कहानियों से ज्ञात हुआ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि क्षत्रिय राजकुमार को एक व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था जिसका कि उसके भावी जीवन के प्रमुख उद्यम से सम्बन्ध था। एक क्षत्रिय राजा के लिये अन्य तीन वर्णों के ज्ञान, उद्यम तथा शिक्षा-पद्धति से भी भिन्न होना अनिवार्य था। राज कुमारों के अतिरिक्त साधारण क्षत्रिय जनता के लिये भी उपनयन आवश्यक था। वेद तथा उपनिषदों का अध्ययन उसके लिये इतना

आवश्यक नहीं था जितना कि एक ब्राह्मण बालक के लिये था। सैनिक शिक्षा अवश्य क्षत्रिय जनता के लिये अनिवार्य थी। अधिकतर क्षत्रियों का उद्यम सैनिक-उद्यम ही था। राजदरबारों में तथा सैनाश्रमों में प्रविष्ट होकर यह लोग सुरक्षा तथा शासन कार्य में क्षत्रिय राजाश्रमों की सहायता करते थे। शिक्षा देने का कार्य तो ब्राह्मणों ने अपने लिये ही सुरक्षित कर लिया था और क्षत्रिय इत्यादि अन्य वर्णों के लिये उसे निषिद्ध कर दिया था इस प्रकार समाज में उन्हीं का बौद्धिक एकाधिकार था। यहाँ तक कि क्षत्रिय राजकुमार के सिंहासनारूढ़ होने के उपरान्त भी उसे ब्राह्मणों का दास रहना पड़ता था और समय समय पर ब्राह्मण उसके शासन सम्बन्धी, धार्मिक, सामाजिक, आन्तरिक व व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करते देखे जाते थे।

वैश्यः—क्षत्रिय शिक्षा के उपरान्त वैश्य तथा शूद्रों की शिक्षा का प्रश्न आता है। यह तो निर्विवाद है कि शिक्षा ही किसी व्यक्ति या वर्ग के भावी उद्यम का प्रश्न हल करती है। वैश्यों का प्रमुख उद्यम कृषि तथा व्यापार था अतः उन्हें कृषि, पशुपालन और व्यापार की शिक्षा दी जाती थी। वैश्यों की शिक्षा भी ब्राह्मणों के नियन्त्रण के अन्तर्गत थी। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय की भाँति वैश्यों का भी उपनयन संस्कार होता था। इसी के उपरान्त विद्यारंभ होता था। वैश्यों को भी वेदों का प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करना होता था किन्तु जैसा कि कहा जा चुका है उनका तो प्रधान उद्यम कृषि, पशुपालन तथा व्यापार था अतः उन्हें तो इनके व्यवहारिक ज्ञान की अधिक आवश्यकता थी। वेद अध्ययन उनके लिये गौण था। उन्हें तो अपने व्यवसाय के अनुरूप ही शिक्षण मिलना चाहिये था अतः उनके लिये उसी की व्यवस्था थी। अतः यह कहा गया कि एक वैश्य को यह अभिलाषा कभी नहीं करनी चाहिये कि वह पशु कभी नहीं रखेगा। उसे हीरा जवाहिरात का मूल्य, उनकी परख, सूत का ज्ञान, मसालों तथा सुगन्धियों का ज्ञान, खेत बोना, अच्छे बुरे खेतों का ज्ञान, खाद का ज्ञान, नाप तौल के बाँटों का ज्ञान तथा भिन्न-भिन्न अवस्थाश्रमों में वस्तुश्रमों में लाभ व हानि का ज्ञान अनिवार्य था। इसी सम्बन्ध में उसे आर्थिक भूगोल तथा व्यापारिक भूगोल का भी अध्ययन करना होता था तथा भिन्न-भिन्न देशों से व्यापारिक सम्बन्ध बनाये रखने के लिये वहाँ की भाँग व उत्पादित वस्तुश्रमों की पूर्ति से परिचित होना पड़ता था। भिन्न-भिन्न भाषाश्रमों का ज्ञान, मजदूरी देने के नियम तथा क्रिय-विक्रय के नियम का ज्ञान एक वैश्य के लिये आवश्यक माना गया था। इस सम्पूर्ण ज्ञान के लिये गणित, साधारण भूगोल, आर्थिक तथा व्यापारिक भूगोल, कृषि-विज्ञान तथा व्यापार-पद्धति का अध्ययन आवश्यक था। अधिकतर बालक यह ज्ञान व्यवहारिक रूप में अपने पिताश्रमों से प्राप्त करते थे। यद्यपि वैदिक अध्ययन के लिये

उन्हें पूर्व स्थित नियमित ब्राह्मण स्कूलों में ही अध्ययन करना पड़ता था। कृषि और व्यापार प्रायः अनुभव और अभ्यास से सीखे जाते थे।

शूद्रः—शूद्रों के लिये किसी उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। उनका तो प्रमुख उद्यम सेवा करना ही था। तथापि उनकी शिक्षा बहुत कुछ वैश्यों से मिलती जुलती थी। कृषि, गोपालन, पशु चराना, डेरी व्यवसाय तथा भिन्न-भिन्न कला-कौशल व हस्तकलायें इत्यादि शूद्र लोग भी सीखते थे। इस प्रकार देश के आर्थिक विकास में शूद्रों का एक प्रमुख हाथ था। 'देवजन-विद्या' जिसमें कि आचार्य शङ्कर के अनुसार नृत्य, सङ्गीत, वाद्य, सुगन्धि तथा वस्त्रों का रंगना सम्मिलित था, शूद्रों को पढ़ाई जाती थी। इसके अतिरिक्त कताई, बुनाई, तथा वस्त्रों की छुपाई का कार्य भी शूद्र ही करते थे। इन कार्यों के सीखने के लिये नियमित व्यवसायिक विद्यालय या टैक्निकल कालेज नहीं थे। यह तो घरेलू रूप से वंश परम्पराओं द्वारा सीखे जाने वाली विद्यायें थीं। अस्त्र-शस्त्र बनाना, रथ बनाना, शिल्पकला, वास्तु कला तथा चित्र कला का कार्य भी अधिकतर वही वर्ग करता था जो शूद्र कहलाता था। इनको सिखाने वाले शिक्षकों का भी उल्लेख मिलता है। नारद स्वयं एक ऐसे शिक्षक थे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य ब्राह्मण भी सैक्यूलर शिक्षा देते हुए पाये जाते हैं। मङ्गुए, सपेरे तथा चिड़ीमार भी शूद्र कहलाते थे और वंश परम्परागत पद्धति से अपनी कला को अपने पूर्वजों से प्राप्त करते थे।

इस प्रकार भिन्न-भिन्न वर्णों की भिन्न-भिन्न कार्य व्यवस्था थी। अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सभी वर्ग राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे। समाज के सर्वाङ्गीन विकास के लिये आर्यों ने इस व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ माना था। इसके अतिरिक्त भी प्राचीन भारत में कुछ ऐसी विद्यायें थी जो तत्कालीन विश्व इतिहास में अद्वितीय हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विद्याओं का हम संक्षेप में उल्लेख यहाँ करते हैं।

आयुर्वेद अथवा चिकित्सा-शास्त्र

प्राचीन भारतीय विद्याओं में चिकित्सा शास्त्र प्रमुख विद्या है। ऋग्वेद काल से ही इसका क्रमिक विकास प्रारम्भ हो गया था और सिकन्दर के आक्रमण के समय तक हम देखते हैं कि यह विद्या अपने चरम को पहुँच चुकी थी। जातक कथाओं में भी हमें चिकित्सा विज्ञान का उल्लेख मिलता है। वत्सिला विश्व-विद्यालय में बड़े २ गंभीर औपरोशन तक किये जाते थे। यह शिक्षा प्रायः व्यक्तिगत शिक्षकों द्वारा दी जाती थी। संस्कृत का ज्ञान विद्यार्थी के लिये अनिवार्य था क्योंकि आयुर्वेद के सभी ग्रन्थ इसी भाषा में थे। इस विज्ञान के विद्यार्थी का उपनयन भी अलग होता था चाहे भले ही उसने अपने वर्ण के अनुसार पहिले उपनयन

करा लिया हो। यह उपनयन केवल उसी ज्ञात्र का हो सकता था जो पूर्ण स्वस्थ व उच्च चरित्र हो, शरीर के भिन्न २ अंग जैसे आँख, नाक, कान, जिह्वा तथा दाँत इत्यादि स्वस्थ हों; नैतिक साहस, धैर्य, विनय, बुद्धि, उदारता, लगन, अध्यवसाय तथा कष्ट सहिष्णुता इत्यादि अन्य गुण थे जो कि आयुर्वेद के एक विद्यार्थी में विद्यमान होने चाहिये। आधुनिक काल में भी एक पूर्व-परीक्षा (प्री मैडीकल एक्जामिनेशन) होती है जिसके अनुसार चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थी के अन्दर इस व्यवसाय सम्बन्धी योग्यताओं के अस्तित्व की परीक्षा करने की चेष्टा की जाती है। किन्तु जब हम अपनी प्राचीन प्रणाली को देखते हैं तो हमें केवल आश्चर्य होता है कि किस प्रकार उन लोगों का ज्ञान पूर्णता को प्राप्त हो गया था। उन्होंने भली भाँति जान लिया था कि एक डाक्टर को पूर्ण स्वस्थ, मुन्दर तथा चरित्रवान होना चाहिये। पीड़ित मानवता की सेवा के लिये उसके अन्दर सच्चाई, निलोभ, निष्काम सेवा तथा विनय होनी चाहिये। अपने विज्ञान में अनुसंधान करने की क्षमता के लिये उसके अन्दर बुद्धि, अदम्य उत्साह, कल्पना, धैर्य तथा अध्यवसाय होना चाहिये। यही कारण था कि प्राचीन आयुर्वेद का इतना विकास हुआ। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का विद्यार्थी केवल अपनी बुद्धि की परीक्षा देता है और उस व्यवसाय के योग्य समझ लिया जाता है केवल अपने अन्य साथी की अपेक्षा कुछ अधिक अंक पाने पर ही। इसका जीवन से क्या सम्बन्ध है? इसमें आत्मा का पूर्ण अभाव है। केवल शास्त्र ज्ञान ही को प्रधानता दी गई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज हम चिकित्सक वर्ग को पीड़ित मानवता की सेवा करते हुए नहीं अपितु उनका शोषण करते हुए पाते हैं। इतना ही नहीं बहुत से दार्शनिकों तथा वैज्ञानिकों का तो यह मत है कि इन आधुनिक चिकित्सकों से रोग वृद्धि में सहायता मिली है। अस्तु, प्राचीन भारत का 'चिकित्सा-नैतिक-शास्त्र' ही भिन्न था।

आयुर्वेद उपनयन में चारों वर्णों के बालकों को दीक्षित किया जा सकता था। इस प्रकार दीक्षित विद्यार्थी को कुछ मर्यादाओं के लिये शब्द-बद्ध होना पड़ता था। उपनयन के उपरान्त विद्यार्थी होता था। शिक्षक के द्वारा पदों और श्लोकों का धीरे २ अध्ययन करके विद्यार्थी सम्पूर्ण आयुर्वेद-ग्रन्थों को समाप्त कर डालते थे। इन ग्रन्थों को उन्हें न केवल कंठाग्र ही करना पड़ता था अपितु उनका अर्थ भी समझना पड़ता था। केवल रटने वाले विद्यार्थी की उस गंधे से तुलना की जाती थी जो कि चन्दन के गड्ढे लादे हुए है किन्तु उसकी सुगन्ध की सराहना करने में असमर्थ है जैसा कि पहिले कहा जा चुका है।

आयुर्वेद का अध्ययन चिकित्सा-विज्ञान की भिन्न २ शाखाओं जैसे रोग निदान, औषधि, शल्य (सर्जरी), विष, सर्पदंश, रक्त परीक्षा तथा अस्थि इत्यादि में होता

था। एक विभाग के विद्यार्थी परामर्श तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिये अन्य विभाग के आचार्यों के पास जाते थे। एक डाक्टर के लिये 'बहुश्रुता' होना आवश्यक था अर्थात् जब तक उसे अनेक विज्ञानों का बोध नहीं होता था तब तक उसे सफलता मिलना असम्भव था। सम्पूर्ण विज्ञान को प्रधानतः 'शास्त्र' और 'प्रयोग' अर्थात् थ्योरी और प्रैक्टिस में विभाजित कर दिया था। दोनों का ज्ञान अनिवार्य था। केवल एक का ज्ञान रखने वाला तथा उसके द्वारा जनता में अपने अधूरे ज्ञान के द्वारा अभ्यास करने वाला व्यक्ति राज्य की ओर से दंडित किया जाता था।

प्रोफेसर अलतेकर ने बतलाया है कि शल्य (सर्जरी) का शिक्षण किस प्रकार दिया जाता था। "प्रारम्भ करने वाले विद्यार्थियों को पहिले तो यंत्र और औजारों को पकड़ना और उनका प्रयोग बतलाया जाता था, जिनका प्रयोग वह खीरा खरबूज तथा तरबूज पर शिक्षक के निरीक्षण के अंतर्गत करते थे। 'छेदन कार्य' मृतक पशुओं की रक्त शिराओं पर कर के विद्यार्थियों को दिखाया जाता था, छुरी पकड़ना सूखे अलाबू फलों पर, चर्म छीलन खल के बालदार सूखे टुकड़ों पर, सीना चमड़े तथा कपड़े के पतले टुकड़ों पर, पट्टी बाँधना भूसा भरी हुई मनुष्य की आकृतियों पर तथा जलाने वाली रसायन का प्रयोग माँस के कोमल टुकड़ों पर करके सिखाया जाता था। इस प्रकार नवीन विद्यार्थी को वास्तविक रोगों तक धीरे २ लाया जाता था और घाव में से छुरी खींचना, घाव साफ करने तथा शरीर के रुग्ण भाग को चाकू द्वारा छेदने या काटने की आज्ञा दी जाती थी।" केवल पुस्तक के द्वारा ही शल्य शास्त्र का ज्ञान पर्याप्त नहीं था अतः मृतक मानव-शरीरों को चीड़ फाड़ कर देखा जाता था, सुश्रुता में इसका वर्णन देखने को मिलता है। कालान्तर में बुद्ध तथा जैन धर्म का भारत में प्रचार हो जाने से शल्य विद्या को बहुत आपात लगा और क्रमशः इसका पतन हो गया क्योंकि अहिंसा धर्म के अनुयायी इस कार्य से घृणा करते थे। वैसे तो इसका अध्ययन विद्यार्थी व्यक्तिगत शिक्षकों के साथ करते थे किन्तु कुछ ऐसे कालेजों के भी उदाहरण हैं जहाँ आयुर्वेद तथा चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी और जिनसे बड़े २ चिकित्सालय सम्बन्धित थे। पाटलिपुत्र में एक ऐसा चिकित्सालय था जहाँ विद्यार्थी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते थे। तद्वशिला का उल्लेख ऊपर किया ही जा चुका है।

आयुर्वेद का शिक्षा-काल प्रायः दीर्घ था। अधिकतर विद्यार्थी आयुर्वेद का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते थे किन्तु ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ कुछ विद्यार्थी विशेष रोगों में विशेष योग्यता प्राप्त करके प्रधानतः उन्हीं के डाक्टर बनते थे। शिक्षा काल के उपरान्त परीक्षा होती थी। अयोग्य डाक्टरों को राज्य की ओर से चिकित्सा करने का निषेध था। इसके लिये जिसके पास सम्राट की ओर से आज्ञा पत्र होता था वही व्यक्ति इस उद्यम को कर सकता था।

इस प्रकार प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र की पर्याप्त उन्नति हुई। विद्यार्थी के समक्ष निष्काम सेवा का महान् आदर्श था। दीक्षान्त भाषण या समावर्तन के समय आचार्य अपने शिष्यों को इस उद्यम सम्बन्धी महान् आदर्शों से प्रेरित करके समाज के समक्ष भेजते थे। चिकित्सकों का ज्ञान बहुत बढ़ा-चढ़ा था। विदेशों तक में उनकी कीर्ति थी। ८ वीं शताब्दि में तो अरब के खलीफा ने भारतीय चिकित्सकों को अपने यहाँ निमंत्रित किया था और वहाँ के राज्य-चिकित्सालय में शिक्षण कार्य के लिये रक्खा था। 'खलीफा हारून ने हिन्दू चिकित्सा तथा औषधि-शास्त्र का अध्ययन करने के लिये अनेक विद्यार्थियों को भारत भेजा था तथा लगभग २० डाक्टरों को बगदाद जाने के लिये और वहाँ जाकर राज्य चिकित्सालयों में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पदों पर कार्य करने और संस्कृत के आयुर्वेद ग्रन्थों का अरबी भाषा में अनुवाद करने के लिये आमंत्रित किया था।'^१ माणिक्य इनमें सर्व विख्यात था।

चरक, सुश्रुता तथा धन्वन्तरि अन्य महान् आयुर्वेदाचार्य थे जिनके विषय में यह ख्याति थी कि ऐसा कोई रोग नहीं था जिसकी चिकित्सा यह न कर सकते हों। संक्षेप में प्राचीन भारतीय चिकित्सा शास्त्र वह पूर्ण विकसित उपयोगी विज्ञान था जिसके लिये भारत को सदा अभिमान रहेगा।

पशु-चिकित्सा

मनुष्य-चिकित्सा के अतिरिक्त भारत में पशु-चिकित्सा शिक्षा का भी विकास हुआ। सालिहोत्र को इसका जन्मदाता माना जाता है। अश्व रोगों तथा चिकित्सा में पांडव बन्धु नकुल और सहदेव भी दक्ष माने जाते थे। भारत प्राचीन काल से ही एक कृषि-प्रधान देश रहा है और कृषि भी यहाँ छोटे पैमाने पर पशुओं के द्वारा हुई है अतः पशुओं के रोगों और उनके निवारण का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य था। इतना ही नहीं सम्राटों के यहाँ अश्व व गज सेनायें रहती थीं। इन पशुओं के रोगों की चिकित्सा के करने के लिये कुछ पशु चिकित्सकों को शिक्षण देना भी आवश्यक हो गया अतः इस विज्ञान का विकास हुआ। किन्तु इनकी शिक्षा देने के नियमित कालेजों का उल्लेख नहीं मिलता। बहुत सम्भव है कि परम्परागत ज्ञान को व्यवहारिक शिक्षा द्वारा निपुण व्यक्तियों की शिष्यता में रहकर ही विद्यार्थी इसे सीखते होंगे।

सैनिक शिक्षा

सैनिक विज्ञान धनुर्वेद के नाम से पुकारा जाता था। 'वसिष्ठ रचित धनुर्वेद संहिता के अनुसार एक सैनिक विद्यार्थी द्वारा उपनयन संस्कार सम्पादित किया जाता था जिसे एक अस्त्र दिया जाता था उसी समय एक वेद मंत्र का उच्चारण किया जाता था।' विशेषतः क्षत्रिय लोग ही इस विद्या में निपुण किये जाते थे यद्यपि

ब्राह्मण और शूद्रों द्वारा इसे सीखे जाने के उदाहरण भी हैं। आचार्य का कार्य तो प्रायः ब्राह्मण ही करते थे। प्रारम्भिक वैदिक काल में युद्ध विद्या व कला की अच्छी उन्नति हुई क्योंकि आर्यों को द्रविणों से युद्ध करना पड़ा था। उस समय युद्ध में प्रयोग होने वाले अस्त्र-शस्त्र प्रायः धनुषबाण, तलवार, गदा, ढाल तथा भाला इत्यादि थे। रथ युद्ध का बहुत प्रचार था। महाभारत काल में तो युद्ध कला के विकास की पराकाष्ठ ही हो गई। महाभारत में ऐसे अस्त्र-शस्त्रों का वर्णन मिलता है जो कि आधुनिक काल के विश्व विनाश कारी अणुबम इत्यादि से मिलते जुलते हैं। राम-रावण युद्ध में भी अनेक विचित्र अस्त्रों के उपयोग का उल्लेख है। उपनिषदों में युद्ध पोट का भी वर्णन मिलता है।

प्राचीन काल में सैनिक शिक्षा न केवल राज्य के द्वारा ही दी जाती थी अपितु व्यक्तिगत रूप से भी दी जाती थी। प्रत्येक गाँव में इसके शिक्षण शिविर होते थे जहाँ प्रामीणों को आत्म रक्षा के लिये शिक्षित किया जाता था। ऐसा भारत के विभिन्न भागों में होता था। इसके अतिरिक्त कुछ नियमित केन्द्र भी थे जहाँ सैनिक शिक्षा दी जाती थी। भारत की सीमा पर स्थित तक्षशिला एक ऐसा नगर था जहाँ भिन्न २ भागों से एकत्रित होकर विद्यार्थी सैनिक-शिक्षा प्राप्त करते थे। सिकन्दर के आक्रमण के उपरान्त देश में सैनिक शिक्षा का एक नया रूप प्रारम्भ हुआ। कुछ व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सुसंगठित सैनिक-शिक्षालय चलाने लगे। इस प्रकार वह राजाओं को आवश्यकतानुसार युद्ध में सैनिक देते थे और भेंट में भूमि, धन तथा अश्व प्राप्त करते थे। राजा लोग अपने राजकुमारों को सुदूर केन्द्रों में शिक्षा के लिये भेजते थे वहाँ योग्य शिक्षकों द्वारा, जो भिन्न २ भागों से निमंत्रित किये जाते थे, सैनिक शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार प्राचीन काल में सैनिक शिक्षा का आदर्श बहुत ऊँचा था। एक सुसंगठित उद्यम तथा देश रक्षा के एक शक्तिवान साधन के रूप में प्राचीन कालीन सैनिक शिक्षा देश के लिये अत्यन्त हितकारी थी।

ललित कलायें व हस्त कलायें

नृत्य, संगीत, चित्र कला, वास्तु कला, शिल्प कला, लकड़ी का काम तथा लोहारी इत्यादि कुछ ऐसे हुनर थे जिनके द्वारा देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग जीविका उत्पन्न करता था। प्राचीन भारत की यह कलायें आज भी विश्व विख्यात हैं। प्रारम्भिक वैदिक युग में हस्तकलाओं और कृषि का बड़ा सम्मान होता था। आर्यों का प्रमुख उद्यम कृषि ही था। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में ऐसे मंत्र हैं जिनके द्वारा कृषि के सम्पन्न होने, उचित जल वृष्टि होने तथा अनुकूल ऋतुएँ होने की प्रार्थना की गई है। कालान्तर में जातिवाद के जटिल हो जाने से यह कलायें हेय समझी जाने लगीं और इनकी शिक्षा केवल शूद्रों को ही दी गई। वैश्य

और शूद्र जो इन कलाओं को सीखते तथा इनके द्वारा जीविकोपार्जन करते थे निम्न वर्ण के माने जाने लगे। उच्च वर्ण के लोग इनके कार्यों को घृणा की दृष्टि से देखने लगे और हाथ से कार्य करना भी हेय समझा जाने लगा। यहाँ तक कि उचित संरक्षण के अभाव में भारतीय ललित कलाओं तथा जनोपयोगी हस्तकार्यों का पतन होने लगा।

इन कलाओं की शिक्षा प्रायः सुसंगठित व नियमित स्कूलों द्वारा नहीं दी जाती थी। विद्यार्थी किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो कि इस उद्यम को करता चला आ रहा है कुछ दिनों तक शिष्यता स्वीकार करता था और इस प्रकार व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करके कुशलता प्राप्त करता था। अधिकांश में यह कलायें जातिगत हो गईं और इनकी शिक्षा पिता के द्वारा पुत्र को दी जाने लगीं। गाँव गाँव में शिल्पकार, चर्मकार, बड़ई, लुहार व स्वर्णकार रहते थे जो कि समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे। आज भी भारतीय गाँवों में यही सामाजिक गठन जीवित है क्योंकि प्रायः वर्तमान काल में भी ग्राम उतने ही कृषि पर अवलम्बित हैं जितने प्राचीन काल में थे। बड़ई, चमार, लुहार, कुम्हार व धोबी इत्यादि के उद्यम तो कृषि कार्य के सहायक उद्यम थे अतः यह परम्परागत शताब्दियों से जीवित हैं यद्यपि अब इनके अन्दर कला व निपुणता की इतनी उत्तमता नहीं रही जितनी प्राचीन भारत में थी।

ऋग्वेद काल में उद्यम जाति या वर्ण के ऊपर निर्भर नहीं थे। उस समय तो शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक था किन्तु यह धार्मिक या दार्शनिक स्वरूप केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिये था जो वास्तविक संसार की समस्याओं से ऊँचे उठकर एक दिव्य कल्पना लोक में निवास कर सकते थे किन्तु जन साधारण के लिये शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं था। जन साधारण तो उस समय भी समाज की भौतिक उन्नति के लिये प्रयत्नशील था। आर्थिक जीवन के निर्माण के लिये उस समय भी पर्याप्त सैक्यूलर शिक्षा थी। ऋग्वेद युग 'राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक उन्नति के लिये विख्यात है, तथा सम्यक् जीवन की कला, कारीगरी, कृषि, व्यवसाय तथा व्यापार के लिये प्रसिद्ध है।' इससे प्रकट होता है कि अवश्य उस समय सब प्रकार की टैक्निकल (औद्योगिक), वैज्ञानिक और व्यापारिक शिक्षा की व्यवस्था रही होगी। वास्तव में इन कलाओं और व्यवसायों के विकास के फलस्वरूप ही वर्ण व्यवस्था का श्रम-विभाजन के रूप में जन्म हुआ। यहाँ तक कि उच्च अवस्था पर पहुँचे हुए ऋषि भी यह नहीं चाहते थे कि अपने सम्पूर्ण परिवार को धार्मिक वृत्ति अपनाने को बाध्य करें। ऐसा उदाहरण भी मिलता है जहाँ एक व्यक्ति स्वयं कवि है, उसकी माँ एक कुशल गृहणी (उपल प्रज्ञिणी) जो कि आटा पीसती है तथा उसका पिता (भिषज) अर्थात् लोगों के

शारीरिक रोगों की चिकित्सा करता हुआ भ्रमण करता है। केवल अधिकारी ही धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके समाज का पथप्रदर्शन करते थे। शेष जो उसके अयोग्य होते हल तथा करषा पर कार्य करने भेज दिये जाते थे। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में 'वाणिज' और 'वाणिज्य' शब्द भी मिलते हैं इससे आभास होता है कि उस समय देश के आर्थिक निर्माण के लिये वाणिज्य की शिक्षा भी दी जाती थी जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं।

उत्तर वैदिक काल में कलाओं और हस्तकलाओं को चुनने का कार्य स्वतन्त्र था वशत कि बालक के अभिभावक अपनी अनुमति दे दें। जैसा कि सर्व विदित है कि भारतीय शिक्षा का आधार उसकी दार्शनिक उच्चता है और प्रधानतः आर्थिक या भौतिक उन्नति को कभी भी अन्तिम उद्देश्य नहीं माना गया, अपितु उसे अन्तिम उद्देश्य अर्थात् मोक्ष प्राप्त करने में एक साधन माना गया है; अतएव उत्तर वैदिक काल में भी लोगों की अन्तर प्रवृत्ति आध्यात्मिक बनी रही। इसका प्रभाव तत्कालीन शिल्पकला तथा मूर्तिकला पर भी पड़ा। धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर कलाकारों ने उच्चकोटि की कला का प्रदर्शन किया और कला की वह अमर सृष्टि की जिसके लिये भारत प्राचीन काल से सभ्य संसार की ईर्ष्या का कारण बना रहा है। कलाकारों ने कला को भी आराधना के रूप में माना था।

इन कलाओं की शिक्षा का कार्य जैसा कि कहा जा चुका है अधिकतर कारीगरों के कार्यालयों में उन्हीं के संरक्षण में होता था। इसके अतिरिक्त सामूहिक रूप से भी 'श्रेणी' नामक संस्थाओं द्वारा भी कलायें सिखाई जाती थीं। भिन्न-भिन्न व्यवसायों के लिये भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ थीं^१। स्मृतियों में कृषक श्रेणी, श्वाल-श्रेणी, व्यापारी श्रेणी, महाजन श्रेणी, कारीगर श्रेणी, जिसमें वृहस्पति ने कलाकार अथवा चित्रकार श्रेणी को भी सम्मिलित कर दिया है; तथा नृत्यकार श्रेणी का उल्लेख है^२। यही सब मिलाकर कला और कारीगरी के स्कूल थे। और कुटीर उद्योगों के रूप में कार्य करते थे। इन्हीं श्रेणियों में कारीगरी के विद्यार्थियों को प्रारम्भिक ज्ञान प्रदान किया जाता था।

इसके अतिरिक्त प्राचीन भारतीय साहित्य में ६४ कलाओं का भी उल्लेख है। भागवत् पुराण, रामायण, महाभाष्य तथा काम सूत्र इत्यादि ग्रन्थों में इन चौसठ कलाओं का नाम आया है। इसके अतिरिक्त माघ, वामन और भवभूति ने भी इनका उल्लेख किया है, 'जैन और बुद्ध धर्म के ग्रन्थों में भी ललित-विस्तार, जातक माला, कल्प सूत्र, औपपातिक सूत्र अर्थात् प्रश्न-व्याकरण सूत्र, में भी इन कलाओं के विषय में कहा गया है। इन कलाओं में प्रमुख नृत्य सङ्गीत,

१. "एकेनशिल्पेन पण्येन वा ये जीवन्ति तेषां समूहाः श्रेणी" पाणिनी,

२. रा० कु० मुकर्जी—ऐशेंट इंडियन एज्यूकेशन पृष्ठ ३५३।

शृङ्गार, चित्र कला, अभिनय तथा मूर्ति कला, इत्यादि एवं बहुत-सी हस्तकलायें जैसे कातना, बुनना, नौका-निर्माण, रथ-निर्माण, स्वर्ण कार्य, चर्म कार्य, काष्ठ-कार्य, सीना, धोना, हल चलाना इत्यादि हैं।

पाली साहित्य के अनुसार ८० कलायें (सिष्य) मानी गई हैं। मिलिन्दपान्ह के अनुसार 'पवित्र ज्ञान, कानून, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, गणित, संगीत, भिषग, चार वेद, पुराण, इतिहास, ज्योतिष, तंत्र, हेतु विद्या, सैनिक शिक्षा तथा काव्य इत्यादि १६ सिष्यों (शिल्पों) का उल्लेख है।' मौर्य कालीन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी तत्कालीन कलाओं का प्रमाणिक उल्लेख है। चाणक्य ने बतलाया है कि मित्र २ व्यवसायों के विभागों के अर्ध्यक्ष होते थे। सभी कलाओं और हस्तकलाओं के लिये केन्द्रीय नियंत्रण की व्यवस्था थी। एक कोषाध्यक्ष होता था जो कि 'रत्न परीक्षा' नामक कला से सम्बन्धित था। यह मोती, मूँगा, सीप, शंख, हीरा तथा जवाहिरात का कार्य करता था। इसके अतिरिक्त चन्दन की लकड़ी का व्यापार, चमड़े का व्यापार, ऊन का व्यापार तथा मित्र २ प्रकार के सूती' और रेशमी वस्त्रों जैसे "दुकूल, क्षौम (मोटा कपड़ा), कौसेय (रेशम) तथा चीन पट्ट" इत्यादि का व्यापार भी होता था। धातु-व्यवसाय का नियंत्रण खानों के अर्ध्यक्ष 'आकराध्यक्ष' द्वारा होता था। यह व्यक्ति धातु जैसे ताँबा, पारद इत्यादि सुलभ धातु शास्त्र का विशेषज्ञ होता था। इस अर्ध्यक्ष की सहायता के लिये उपकरण-सम्पन्न निपुण सहायक होते थे। धातु तथा खान की इस युग में बहुत उन्नति हुई। इसके अतिरिक्त लोहाध्यक्ष होता था जो ताँबा, सीसा, लोहा, टिन, पारद, पीतल, जस्ता तथा काँसा इत्यादि धातुओं का निरीक्षण करता था। यह आकराध्यक्ष के नीचे कार्य करता था। समुद्री खानों से मोती मूँगा तथा मूल्यवान पत्थर और नमक निकालने का कार्य भी इस युग में होता था। नमक के लिये एक अलग विभाग राज्य के अन्तर्गत था। स्वर्ण तथा चाँदी के व्यवसाय के लिये भी राज्य की ओर से निरीक्षण होता था। इसके अतिरिक्त कृषि संचालक या नौकाध्यक्ष जल यातायात के मार्गों का नियंत्रण करता था तथा राज्य की ओर से कर इत्यादि वसूल करने, जलयानों को किराये पर उठाने, मछली पकड़ने इत्यादि की व्यवस्था करता था। जुआ भी एक कला समझा जाता था जोकि सीधा राज्य के नियंत्रण में था, जिसका निरीक्षण 'द्यूताध्यक्ष' करता था। इस प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तत्कालीन आर्थिक विकास और कलाओं और ह त कलाओं का विशद चित्रण मिलता है। इससे हमें यह भी ज्ञात होता है कि जनोपयोगी व्यवसायों में राज्य का नियंत्रण बढ़ गया था।

उपसंहार:—इस प्रकार कला कौशल की शिक्षा प्राचीन भारत में एक लाभदायक और उपयोगी व्यवसायिक शिक्षा थी। पिता के द्वारा पुत्र को व्यवहारिक व प्रत्यक्ष शिक्षा दिये जाने में आधुनिक काल को सी शुष्क बनावट

और कला का आडम्बर नहीं था। अपने सम्पूर्ण उत्साह और स्नेह के साथ पिता जो कुछ उससे आता था अपने पुत्र को बिना छिपाये बतलाता था। इसके अतिरिक्त जैसा कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में उसी प्रकार कला कौशल में भी लोग धार्मिक व आध्यात्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर कार्य करते थे। उस कार्य के साथ न केवल उनके आर्थिक स्वार्थ ही रहते थे अपितु हृदय की अनुभूति भी रहती थी। वस्तुतः कला में कलाकार अपनी आत्मा की झलक देखता था। यही कारण है कि भारतीय कला का अतीत आज भी इतिहास के पृष्ठों में जगमगा रहा है। भारतीय कलाकारों व शिल्पकारों ने संसार को वह अमर कृतियाँ भेंट कीं जो विश्व के अतीत, वर्तमान व भविष्य की अमूल्य निधि स्वरूप हैं।

तृतीय अध्याय ब्राह्मणीय शिक्षा का सिंहावलोकन

उद्देश्य

शिक्षा ही किसी राष्ट्र को आन्तरिक उन्नति का दर्पण है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्राचीन संस्कृति की द्योतक है। भारत के वनों और काननों में जिस संस्कृति का सृजन हुआ आज भी उसका प्रतिबिम्ब निराश विश्व के समस्त आलोक स्तम्भ की भोंति दीप्त हो रहा है। शिक्षा का उद्देश्य ही यहाँ सदा से 'आलोक का साधन' रहा है जो कि हमें जीवन के पथ पर आगे ले जाता है। आध्यात्मिक मुक्ति और सांसारिक सम्पन्नता दोनों के लिये ही ब्राह्मणीय शिक्षा का विकास हुआ था। वैदिक आचार्यों ने बहुत पहिले ही इस बात को जान लिया था कि 'विद्यातु वैदुष्यमुपार्जयन्ती जागर्ति लोकद्वय साधनाय' अथवा 'विद्याविहीनः पशुः' होता है।^१ अतएव उन्होंने शिक्षा को व्यापक बनाया और जीवन के प्रत्येक अंग से उसे सम्बन्धित कर दिया। वस्तुतः शिक्षा का पूर्ण उद्देश्य मानव जीवन का सर्वाङ्गीन अर्थात् शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास था। यद्यपि ब्राह्मणीय शिक्षा प्राधनतः धार्मिक थी किन्तु इसमें सांसारिक स्वरूप को भी अवहेलना नहीं की गई थी। अथर्व वेद तो सारा सांसारिक शिक्षा के उदाहरणों से पूर्ण है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पवित्रता का प्रसार, हृदय शोधन, चरित्रनिर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिकता तथा सामाजिकता का ज्ञान, राष्ट्रीय संस्कृति की सुरक्षा तथा भौतिक उन्नति यही ब्राह्मणीय शिक्षा के उद्देश्य थे। ब्राह्मणीय शिक्षा की विशेषताओं को भलो भोंति समझने के लिये यह आवश्यक है कि हम उसके सिद्धान्त, शिक्षा पद्धति, शिष्य गुरु सम्बन्ध, पाठ्य वस्तु तथा सकलता और असकलताओं पर क्रमशः संक्षेप में एक विहंगम दृष्टि डाल लें।

शिक्षा सिद्धान्त

प्राचीन शिक्षा के सिद्धान्त नियमित रूप से किसी भी ग्रन्थ में नहीं मिलते। विखरे हुए विशाल साहित्य समूह से छुँट कर केवल उनसे निष्कर्ष निकाल कर ही हम उन्हें सुव्यवस्थित रूप में उपस्थित कर सकते हैं। संक्षेप में हम उन्हें इस प्रकार लिख सकते हैं—

१ शूनः पुच्छमिव व्यर्थजीविनं विद्याया विना ।

न गुह्यगोपने शक्तं न च दंश निवारणे ॥ सुभाषित-रत्न-मन्डार ३१।२५ ।

(१) प्रथमतः शिक्षा पूर्ण जीवन के लिये तैयार करती थी। सामूहिक शिक्षा का अधिक प्रचार नहीं था अतएव विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता था। इससे उसके सम्पूर्ण अन्तर्निहित गुणों का विकास हो जाता था और इस प्रकार शिक्षा जीवन के लिये उपयोगी प्रमाणित होती थी। शिक्षा प्रणाली केवल सुस्तकीय ही नहीं थी अपितु वह भावी जीवन के संघर्ष के लिये व्यवहारिक और प्रयोगात्मक ज्ञान प्रदान करती थी।

(२) दूसरे जो व्यक्ति शिक्षा के अधिकारी होते थे अवश्य ही उनकी रुचि और योग्यतानुसार शिक्षित किये जाते थे। उपनयन संस्कार स्त्री-पुरुष सभी के लिये अनिवार्य था। अतः शिक्षा का रूप व्यापक था। ऋषियों के ऋण सेमुक्त होने का एकमात्र साधन विद्या प्राप्त करना था अतएव विद्या प्राप्त करना प्रत्येक नगरिक का कर्तव्य था।

(३) इसके अतिरिक्त वाह्याभ्यांतर अनुशासन व विनय का सिद्धान्त शिक्षा की योग्यता के लिये एक ब्रह्मचारी के अन्दर होना आवश्यक था। विद्यार्थी जीवन में बालक को कठिन ब्रह्मचर्य से रहना पड़ता था। विद्यार्थी जीवन वास्तव में एक कठिन तपस्या काल था जिसमें विद्यार्थी के लिये सुख का पूर्ण निषेध था। वह एक कठोर जीवन विताने के लिये वाध्य था। आधुनिक काल के विद्यार्थियों की भाँति वह विलास में निमग्न नहीं था। इस इन्द्रिय निग्रह और कठोर नैतिक संयम से उसके व्यक्तित्व का विकास और भी अधिक होता था।

(४) प्राचीन शिक्षा शास्त्री इस बात से भली भाँति परिचित थे कि विद्यारंभ उचित समय पर करा देना चाहिये। अतः पाँचवीं और आठवीं वर्ष में ही उपनयन करा दिया जाता था। विद्यार्थी-जीवन के उपरान्त भी अध्ययन समाप्त नहीं होता था। जो कुछ भी विद्यार्थी काल में कंठस्थ किया जाता था उसको भावी जीवन में भूल जाना पाप समझा जाता था। पुराने अध्ययन को दुहराने के लिये वर्षा में नियमित अध्ययन करने का आदेश था।

(५) ब्राह्मणीय शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के अनुसार शिक्षा देने की प्रवृत्ति हम पाते हैं। विद्यार्थी को शारीरिक दंड देना अपराध समझा जाता था। आपस्तम्ब, मनु, गौतम व विष्णु सभी आचार्यों ने शारीरिक दंड का विरोध किया है। हों याज्ञवल्क्य, मनु और गौतम ने कुछ साधारण दंड का आदेश भी दिया है किन्तु इसे अन्तिम उपाय बतलाया है^१। गौतम के अनुसार ऐसे शिक्षक पर जोकि शारीरिक दंड देता है राज्य की ओर से अभियोग चलाया जाना चाहिये।

(६) बालक गुरु कुल में गुरु के सीधे सम्पर्क में रहता था अतः गुरु को पर्याप्त

१. अन्यत्र पुत्राच्छिद्राद्वा सिद्धयर्थं ताडयेत् तौ। मनुस्मृति ४। १६४।

न निन्दा ताडने कुर्यात् पुत्रं शिष्यं च ताडयेत्। याज्ञवल्क्य १। ११५।

अक्सर बालक की शक्तियों और मस्तिष्क के अध्ययन का मिलता था। गुरु बालक के अन्दर उचित व अच्छी आदतों का बीजारोपण करता था। आधुनिक शिक्षा शास्त्री भी आदत के महत्त्व को स्वीकार करते हैं। बाल्यावस्था में निर्मित हुई आदतें जीवन पर्यन्त मनुष्य के साथ रहती हैं। अतएव उषा जागरण, शीघ्र शयन, सादा जीवन उच्च विचार इत्यादि अनुशासन में रखने के लिये अनिवार्य थे। विद्यार्थियों की दिनचर्या नियमित थी और वह एक आदत में परिवर्तित हो जाती थी। इससे उनके व्यक्तित्व के विकास में पर्याप्त सहायता मिलती थी। स्नान, यज्ञ, पूजन, भिक्षा, गुरु सेवा, वेद पाठ इत्यादि कार्य नियमित दिनचर्या में सम्मिलित थे और यह स्वभावतः होते चलते थे।

(७) इसके अतिरिक्त शिक्षा जगत में यह बात सदा से विवादप्रद रही है कि विद्यार्थी के निर्माण में स्वभाव या संस्कार का अधिक महत्त्व है अथवा पालन पोषण व परिस्थिति का। वास्तव में आधुनिक शिक्षा शास्त्री भी इस पर एक मत नहीं हैं। यद्यपि ब्राह्मणीय शिक्षा शास्त्री भी इस प्रश्न पर एक मत नहीं थे तथापि वे पालन पोषण और परिस्थिति पर अधिक जोर देते थे। अथर्व वेद में यह बात साफ तौर से बताई गई है कि उचित पालन पोषण शिक्षा तथा अनुकूल परिस्थितियों के उपलब्ध कर देने से बालक को प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। इन्द्र का उदाहरण भी इसी विषय में दिया जाता है ('इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभवत्')। किन्तु आगे चलकर कर्म सिद्धान्त एवं पुनर्जन्म सिद्धान्त का विकास होने पर आचार्यों का मत बदल गया। वह पुरातन संस्कार में विश्वास करने लगे अतः उनकी दृष्टि में संस्कार व स्वभाव का महत्त्व बढ़ गया और वह समझने लगे कि परिस्थितियाँ बालक का निर्माण नहीं करती क्योंकि 'मलयेपि स्थितो वेणुर्वेणुरेव न चंदनः'। जातिवाद के जटिल हो जाने पर तो यह सिद्धान्त और भी दृढ़ हो गया और लोग जातियों अथवा वर्णों के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र बालकों की शिक्षा व्यवस्था करने लगे। वर्ण व्यवस्था का प्रभाव करीक्यूलम अथवा पाठ्यक्रम पर भी पड़ा। इस प्रकार ब्राह्मणीय शिक्षा में कर्म सिद्धान्त व जातिवाद रूढ़ि बन गये।

शिक्षा पद्धति

ऋग्वेद काल में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था अतः सम्पूर्ण कार्य मौखिक ही कराया जाता था। विद्यार्थियों को वेदमंत्र रटाये जाते थे। लेखन कला के विकसित होने के उपरान्त भी यही धारणा बनी रही कि वैदिक साहित्य को लेख बढ़ करना पाप है। मुद्रण यंत्र तथा कागज की अनुपस्थिति में पुस्तक केवल ताल पत्र या भोज पत्र पर हाथ द्वारा लिखी जाती थी अतः वह जन साधारण के लिये अलभ्य थी। कालान्तर में ताम्र पत्र का भी उपयोग होने लगा।

ऐसी अवस्था में यह सम्भव नहीं था कि प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तकों द्वारा शिक्षा दी जाय, यही कारण था कि प्राचीन गुरु लोग विद्यार्थियों को वेद मंत्र इत्यादि मौखिक प्रणाली द्वारा कंठस्थ कराते थे और इसी प्रकार ज्ञान का एक विशाल भंडार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता चला जाता था। नियमित व सुसंगठित स्कूलों के अभाव में वैदिक काल में शिक्षा व्यक्तिगत रूप से दी जाती थी। गुरु के आस पास एक या दो विद्यार्थी बैठ जाते थे। पाठ प्रारम्भ से पूर्व विद्यार्थी गुरु के चरणों का स्पर्श करके कार्य आरम्भ करते थे। फिर गुरु मंत्र उच्चारण करते थे। विद्यार्थी उनका अनुकरण करते थे। इस प्रकार पूरा पद कंठस्थ किया जाता था। विद्यार्थी उच्च स्वर से पाठ करते थे और उनके उच्चारण की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसी प्रकार क्रमशः पंक्ति, पद और अध्याय समाप्त किये जाते थे। वेद मंत्रों के कंठस्थ कराने के अतिरिक्त गुरु विद्यार्थियों के प्रार्थना करने पर व्याख्या भी करते थे। विद्यार्थी के द्वारा अर्थ का समझना अत्यन्त आवश्यक था। वेदों के अतिरिक्त सूत्रों का भी अध्ययन किया जाता था जिनके पढ़ाते समय शिक्षक को विशद व्याख्या की आवश्यकता होती थी क्योंकि सूत्र का अर्थ गूढ़ होता था। इसी प्रकार पाणिनी के व्याकरण, मनु का न्याय-शास्त्र और स्मृति एवं ज्योतिष इत्यादि विद्याओं के सूत्रों को भी विद्यार्थी कंठस्थ करते थे। विद्यार्थियों को घर पर कार्य करने को भी मिलता था जोकि केवल गुरु द्वारा बतलाये हुए मंत्रों अथवा पदों की पुनरावृत्ति या दुहराना अथवा उन पर मनन करना था।

प्राचीन शिक्षा शास्त्रियों ने इस कंठस्थ करने के कार्य को सरल बनाने के भी उपाय किये। यही कारण था कि उन्होंने सभी विषयों को पद्य में रचा। यहाँ तक कि व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष, न्याय शास्त्र आदि जनोपयोगी और शुष्क विषय भी पद्य में रचे गये। इससे कंठस्थ करने का कार्य बहुत सरल हो गया।

इसके अतिरिक्त शास्त्रार्थ अर्थात् वाद विवाद के द्वारा भी शिक्षा दी जाती थी। सामूहिक परिषदों का आयोजन होता था जहाँ विद्वान शिक्षक दर्शन के गूढ़ रहस्यों पर भाषण इत्यादि करते थे। हितोपदेश और पंचतंत्र में आगे चल कर एक नवीन शिक्षण पद्धति का आविष्कार हुआ जिसके द्वारा अन्वयिक और लोकोक्तियों द्वारा गूढ़ व महान नैतिक सत्त्यों को विद्यार्थियों के लिये सुलभ और बोध्यगम्य बना दिया जाता था। व्यक्तिगत सम्पर्क की पद्धति भी बहुत लाभदायक प्रमाणित हुई। आधुनिक युग की भाँति जहाँ शिक्षक अपने समक्ष बैठे हुए असंख्य विद्यार्थियों को भाषण देकर चला जाता है चाहे वह समझें अथवा नहीं, यहाँ तक कि अधिकतर विद्यार्थियों से उसका परिचय भी नहीं होता है, प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। गुरु से शिष्य का सीधा आध्यात्मिक सम्पर्क होता था जहाँ

नित्य प्रति गुरु चरणों में बैठकर वह विद्या लाभ करता था। परीक्षा प्रायः प्रति दिन होती थी। इससे विद्यार्थी सजग रहता था। कुशल विद्यार्थी अपनी कुशाग्रता तथा श्रम के कारण आगे बढ़ने के लिये पूर्ण स्वतन्त्र थे अतः उनके व्यक्तिगत विकास में कोई बाधा नहीं होती थी। अन्त में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहाँ पिता के अनुपस्थित होने पर उसका योग्य पुत्र शिक्षण कार्य करता था और अपने पिता की पद्धति का, जिसके अनुसार वह स्वयं शिक्षित हुआ था, अनुकरण करता था।

शिष्य-गुरु सम्बन्ध

ब्राह्मणीय शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विशेषता है उसके अन्तर्गत गुरु-शिष्य सम्बन्ध की उत्तमता। गुरु का शिष्य से आध्यात्मिक सम्बन्ध होता था। आधुनिक काल में विद्यार्थी प्रवेश के लिये प्रवेश-पत्र भर कर अपरचित शिक्षक के समक्ष जा बैठता है और उनका सम्बन्ध रुपये-पैसे से जुड़ता है जिसमें आन्तरिक विनय प्रेम व श्रद्धा का पूर्ण अभाव रहता है। किन्तु प्राचीन काल में शिष्य गुरु के समक्ष हाथ में समिधा लेकर उपस्थित होता था। इसका अभिप्राय था कि वह गुरु की सेवा करने के लिये उद्यत है। गुरु भी विद्यार्थी को अपना पुत्र समझ कर जो कुछ उससे आता था विना भेद के बता देता था। अधिकतर पिता अपने पुत्रों को भी स्वयं ही शिक्षा देते थे। श्वेत केतु को उसके पिता द्वारा 'महान् ज्ञान' देने की कथा सर्व विख्यात है। अधिकतर विद्यार्थी अपने आपको गुरु सेवा में अर्पण कर देते थे। ऐसे उदाहरण भी हैं कि जो विद्यार्थी गुरु को अन्य भेंट देने में असमर्थ थे वह रात दिन उन्हीं की सेवा में लगे रहते थे और अवकाश मिलने पर रात को विद्याध्ययन करते थे। यहाँ तक कि सम्पन्न घरानों के विद्यार्थी भी गाय चराना, ईंधन लाना, अग्नि जलाना, मिट्टा माँगना तथा अन्य गृहस्थी के कार्य करके गुरु सेवा करते थे। गुरु सेवा आध्यात्मिक उन्नति का एक शक्ति शाली साधन था।

गुरुकुल प्रथा ब्राह्मणीय शिक्षा की एक अनूठी देन है। उपनयन संस्कार से लेकर 'समावर्तन' अर्थात् दीक्षान्त तक विद्यार्थी गुरु गृह पर रह कर विद्याध्ययन करता था। शिक्षक को पर्याप्त अवसर अपने शिष्य की मनोवैज्ञानिक अवस्था तथा अन्य योग्यताओं को समझने को मिलता था और फिर उसी के अनुसार वह शिक्षण कार्य संचालित करता था। शिष्य उषाकाल में गुरु जागरण से पूर्व उठता था और रात को गुरु शयन के पश्चात् सोता था। इस प्रकार हर समय शिक्षक और शिष्य का सीधा व्यक्तिगत सम्पर्क रहता था जिसमें पारस्परिक परिचय के लिये पर्याप्त सुअवसर था। इस प्रकार प्रायः १२ वर्ष तक गुरुकुल में रहकर विद्या समाप्त होने पर शिष्य अपने घर के लिये विदा होता था। विदा होते समय भी गुरु अपना दीक्षान्त उपदेश उसे देता था यथा 'सत्य बोलो, कर्तव्य का पालन

करो, वेद अध्ययन में प्रमाद मत करो इत्यादि। किन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि विद्या समाप्ति के उपरान्त भी गुरु शिष्य के सम्बन्ध उसी प्रकार रहते थे।

पाठ्य-क्रम

प्रारम्भिक वैदिक युग में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। अधिकतर ज्ञान शिक्षक द्वारा शिष्य को मौखिक दिया जाता था। उस समय शिक्षा प्रधानतः धार्मिक आधार रखती थी। प्रारम्भ ही से बालक को वेद मंत्र, यज्ञविधि तथा अन्य धार्मिक मंत्र मौखिक रटाये जाने थे। ह्रस्व और दीर्घपदों का भेद, संधि, स्वर व व्यंजन तथा शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रारम्भिक अवस्था में ही करा दिया जाता था। यह ज्ञान बालक को वैदिक साहित्य के अध्ययन में सहायक होता था। यद्यपि ईसा से १५०० वर्ष पूर्व तक वैदिक साहित्य की ही धूम रही तथापि इतिहास, पुराण तथा वीर गाथाओं का भी अस्तित्व था। इनका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। विद्यार्थियों को पिंगल के नियम रटने के लिये उत्साहित किया जाता था। इससे वेद मंत्रों के कंठस्थ करने में सहायता मिलती थी। आगे चलकर ब्राह्मण साहित्य का सृजन हुआ। वैदिक साहित्य को संकलित करके संहिताओं का स्वरूप दे दिया गया। पुरोहित वाद एक उद्यम के रूप में प्रकट हुआ। यज्ञ सम्बन्धी साहित्य की रचना इस युग में अधिक हुई। साथ ही यज्ञ वेदी के बनाने में रेखागणित का विकास हुआ। यज्ञ के लिये उचित व शुभ समय देखना आवश्यक था अतः इसका विकास ज्योतिष या खगोल विज्ञान के रूप में। हुआ पिंगल शास्त्र दिन पर दिन उन्नति करता ही जाता था। व्याकरण और शब्द विज्ञान का बीजारोपण भी इस युग में हो गया था।

उत्तर वैदिक काल में पाठ्य-विषयों का बहुत विस्तार हुआ। धार्मिक साहित्य का तो अध्ययन आवश्यक ही था। इसके अतिरिक्त व्याकरण, गणित, रेखागणित, ज्योतिष, काव्य, इतिहास, आख्यायिका, दर्शन, अर्थशास्त्र, राजनीति, कृषि-विज्ञान, वास्तुकला, शिल्पकला, चित्रकला, सैनिक-विज्ञान, पशु-विज्ञान, आयुर्वेद तथा शल्य विज्ञान, न्याय शास्त्र तथा गृह-कला की भी इस युग में अत्यन्त उन्नति हुई। ब्राह्मण, अरण्य व उपनिषद् इसी काल की देन हैं, जोकि प्राचीन भारत के दार्शनिक ज्ञान के भण्डार हैं जिनसे भारत युग युग से दार्शनिक प्रेरणा लेता चला आ रहा है। इस युग में वर्ण व्यवस्था जटिल हो चली थी अतः प्रत्येक वर्ण के लिये पाठ्य विषय भी अनुसूचित थे। धार्मिक तथा वैदिक अध्ययन के साथ ही साथ सांसारिक उपयोगी विद्यायें व कलायें भी वर्णानुसार पाठ्य वस्तु में सम्मिलित करदी जाती थी। इस प्रकार ब्राह्मणीय शिक्षा एकांगी नहीं थी अपितु वह समाज का सर्वाङ्गीण विकास करने में सहायक होती थी।

ब्राह्मणीय शिक्षा के पाठ्य-विषय की सूची छान्दोग्य उपनिषद (७।१।१२) में

सनतकुमार के समक्ष नारद ऋषि ने दी है। नारद जी सनतकुमार के निकट विद्याध्ययन के लिये जाते हैं। सनतकुमार के पूछने पर कि आप पहिले से क्या जानते हैं। नारदजी वर्णन करते हैं कि, 'मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद, पाचवाँ इतिहास-पुराण जानता हूँ। वेदों के वेद व्याकरण, पितृ, राशि, दैव, निधि, वाकोवाक्य (तर्कशास्त्र), एकायन (नीतिशास्त्र), देवविद्या, ब्रह्म-विद्या, शिक्षा, कल्प, छन्द, भूतविद्या, ज्ञानविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या और देव जन विद्या यह सब जानता हूँ.....।' इस सूची से प्रतीत होता है कि ब्राह्मणीय शिक्षा किस प्रकार विकसित होती जा रही थी। इस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सम्पन्न और समुन्नत बनाने में ब्राह्मणीय शिक्षा का विशेष हाथ था।

गुण-दोष विवेचन

सफलतायें:—ब्राह्मणीय शिक्षा का विस्तृत विवेचन करते समय उसके अंग प्रत्यंग पर दृष्टिपात किया जा चुका है। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार प्राचीन भारत का निर्माण उसकी शिक्षा पद्धति के द्वारा हुआ। तत्कालीन शिक्षा पद्धति का ही परिणाम है कि भारतीय संस्कृति की आलोक-शिखा युग युगों से प्रदीप्त है। अनेकों विप्लव हुए, परिवर्तन की आँधिया आई और विशाल साम्राज्य विस्मृति के अंधकार में विलीन हो गये किन्तु वह आलोक-शिखा प्रज्वलित ही रही। आज भी जबकि विश्व संक्रमण काल में होकर गुजर रहा है भारतीय संस्कृति का आलोक विश्व के कौने कौने में पहुँचकर दुखी मानव के हृदय में आशा की एक क्षीण किरण जाग्रत कर रहा है।

वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जीवन में वाह्यांतर पवित्रता उत्पन्न करके जीवन को चरम विकास अर्थात् मोक्ष की ओर ले जाना था। अपने इस महान उद्देश्य में इस शिक्षा पद्धति को आशातीत सफलता प्राप्त हुई। आज भी भारतीय समाज विश्व में अन्य समाजों की अपेक्षा जीवन के धार्मिक व आंतरिक स्वरूप पर अधिक विश्वास करता है। साधारण से साधारण व्यक्ति भी हृदय की स्वच्छता, चरित्र की उच्चता तथा सच्चाई में विश्वास करता है। यह प्राचीन साहित्य तथा शिक्षा का परिणाम है। ब्राह्मणीय शिक्षा चरित्र निर्माण करने में पूर्णतः सफल हुई। गुरु-आश्रमों में रहने वाले बालक प्रकृति की गोद में तथा गुरुचरणों में बैठकर धर्म, दर्शन तथा जीवनोपयोगी विद्याओं का अध्ययन करते थे। आंतरिक अनुशासन का विशेष महत्त्व था। अनुशासन का अभिप्राय केवल यंत्रवत् व भावना शून्य नियमितता तथा आडम्बरपूर्ण भय नहीं था। इसका बालक की आत्मा से सम्बन्ध था। अनुशासन व विनय आंतरिक प्रेरणा थी जो कि जीवन की सभी क्रियाओं में प्रतिबिम्बित होती थी। इसके अतिरिक्त नैतिक अनुशासन

तथा चरित्र विकास के लिये वाह्य साधन भी थे। आधुनिक युग की भौति विद्यार्थियों को विलास में निभग्न रहने की आज्ञा नहीं थी। उनके जीवन व्यतीत करने के कठिन नियम थे। उनके लिये शीघ्र जागरण, स्नान, भूमिशयन, नम्रपद तथा विशेष व अल्प वस्त्र और अल्पाहार की व्यवस्था थी। मधु, मांस, सुगन्धि, पुष्प, पदत्राण, प्रेम, क्रोध, लालच, नृत्य तथा अन्य विलास के उपकरणों के प्रयोग करने का निषेध था। विद्यार्थी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का आदेश था। इन्द्रिय निग्रह तथा इच्छादमन तत्कालीन ब्रह्मचारियों की विशेषता थी। इन सभी व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष लाभ हुआ। चरित्र तथा व्यक्तित्व एवं शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के विकास में इस व्यवस्था से बहुत सहायता मिली यहाँ तक कि इसी कठोर व सात्त्विक जीवन व नैतिक अनुशासन का परिणाम था कि तत्कालीन समाज एक महान साहित्य का सृजन कर सका। जीवन में दिव्यता, पवित्रता तथा महानता श्रोतप्रोत हो गई। जीवन को महान व जीवन की विभूतियों को हितकारी बनाने में ब्राह्मणाय शिक्षा पूर्ण रूप से सफल हुई।

इसके अतिरिक्त प्राचीन संस्कृति व साहित्य की सुरक्षा एवं उसका प्रजनन भी ब्राह्मणाय शिक्षा का उद्देश्य था। 'जब हम प्राचीन धर्म साहित्य की विशालता तथा स्थूलता पर विचार करते हैं तो उसके इतनी शताब्दियों तक सुरक्षित रहने पर महान आश्चर्य होता है। तथापि हम यह देखते हैं कि यह हुआ और वर्तमान समय तक होता चला आ रहा है।' प्रारम्भिक वैदिक युग में अथवा उत्तर वैदिक काल में भी जब कि लेखनकला का विकास नहीं हुआ था मुद्रण-कला, कागज इत्यादि का अस्तित्व नहीं था तथा पुस्तकें अलभ्य थीं ऐसी अवस्था में भी प्राचीन संस्कृति और साहित्य निरंतर रूप से जीवित रहे। प्राचीन ऋषि-मुनियों ने इतने विशाल साहित्य को अपने मस्तिष्क के भीतर ही सुरक्षित रखकर भावो संतान को मौखिक रूप से ही हस्तांतरित किया। जिस प्रकार प्राचीनकाल में उसी प्रकार बहुत सीमा तक आधुनिक युग में भी सांस्कृतिक एक्य व समानता का प्रधान कारण आर्यों की विशिष्ट शिक्षा प्रणाली है। इस उद्देश्य में भी ब्राह्मणाय शिक्षा पूर्णतः सफल हुई।

सामाजिक सम्पन्नता की दृष्टि से भी यह शिक्षा बहुत सफल हुई। जैसा कि हम देख चुके हैं कि इसका पाठ्य-विषय केवल धर्म शास्त्र ही नहीं था। धार्मिक साहित्य की प्रचुरता तथा प्रधानता होते हुये भी हमारे वैदिक कालीन पूर्वज सांसारिक उन्नति की ओर से उदासीन नहीं थे। सामाजिक सम्पन्नता तथा सुख एवं नागरिक उत्तरदायित्व की ओर इस शिक्षा का विशेष रुख था और इस उद्देश्य में इसे सफलता भी पर्याप्त मिली।

असफलतायें:—इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवन का सर्वाङ्गीन विकास करने में ब्राह्मणीय शिक्षा का प्रमुख हाथ रहा। किन्तु आलोचनात्मक दृष्टि से देखने पर प्रतीत होगा कि इसमें कुछ दोष अथवा अभाव भी थे जिनका उल्लेख करना न्यायसंगत है। यूरोप के प्राचीन शिक्षा शास्त्रियों की भांति भारत में भी शिक्षा शास्त्रियों ने धर्म पर अधिक जोर दिया। उनके प्रत्येक कार्य का आधार धार्मिक था। यहाँ तक कि साधारण सांसारिक कार्यों में भी धार्मिकता की झलक आती थी इससे एक प्रकार का पांडिनाऊ रंग प्रत्येक कार्य को मिल जाता था। अधिकतर शिक्षक ब्राह्मण पुरोहित थे अतः शिक्षा में यज्ञ तथा अन्य धार्मिक कर्मकांड की धूम रही। हातहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, गणित तथा भौतिक विज्ञान का विकास अवश्य हुआ किन्तु इतना नहीं हुआ जितना धर्म, दर्शन तथा धार्मिक कर्मकांड आदि का हुआ। यद्यपि इसकी प्रतिक्रिया उस समय नहीं हुई किन्तु कालान्तर में धर्म का जीवन के ऊपर अधिक प्रभाव हो गया और लोग अपने दम्भ में सांसारिक उन्नति को भूलने लगे। यद्यपि पूर्ण ज्ञानियों के लिये धर्म, कर्म तथा संघर्ष का प्रेरक था किन्तु साधारण जनता इतनी ऊँची नहीं उठ सकी। वह तो 'ब्रह्म' को सत्य और जगत को मिथ्या मानने लगी। इससे सांसारिक उन्नति को बड़ा आघात लगा।

कुछ आलोचकों का कहना है कि ब्राह्मणीय शिक्षा मनुष्य को केवल परलोक दृष्टा अथवा असांसारिक बनाने में सहायक हुई किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं। वैदिक साहित्य में संघर्ष और कर्त्तव्य पालन को बहुत प्रधानता दी गई। साथ ही वह रचनात्मक तथा क्रियात्मक युग था। उस समय एक महान साहित्य का सृजन हुआ। ऋषियों ने व्यवहारिक जीवन के ठोस नियम बनाये उन पर चल कर समाज समृद्धि प्राप्त कर सकता था। इतना अवश्य है कि यज्ञ इत्यादि कर्मकांड की प्रचुरता से जीवन भर गया था और चारों ओर एक धार्मिक वातावरण ही दृष्टिगोचर होता था। सांसारिक उन्नति उद्देश्य न होकर केवल साधन थी। उद्देश्य तो मोक्ष था। यही विचार धारा भारत की आत्मा में समा गई जिसकी प्रतिच्छाया आधुनिक युग में भी देखने को मिलती है।

इसके अतिरिक्त ब्राह्मणीय शिक्षा में शास्त्र को बहुत महत्व दिया गया। स्मृतियाँ और पुराण एक प्रकार से उदाहरण के रूप में कहे जाने लगे। जन साधारण की धारणा हो गई कि जो शास्त्र में लिखा है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता अथवा जिसे शास्त्र में मिथ्या कह दिया वह कभी सत्य नहीं हो सकता। हम प्रवृत्ति से जन साधारण के तर्क व कल्पना शक्ति दुर्बल हो गये। शास्त्र के प्रमाण ही पर्याप्त समझे गये और परिस्थिति से उत्पन्न उचित और अनुचित होने की कसौटी का पूर्ण अभाव रहा। किन्तु ऐसा हुआ ब्राह्मणीय शिक्षा के परिणाम-

स्वरूप केवल भविष्य में जाकर। अन्यथा वैदिक व उपनिषद् युग में तर्कवाद अपनी चरम उन्नति पर था। प्रधानतः उपनिषदों में मानसिक उन्नति एवं बौद्धिक चमत्कार और तर्क वैचित्र्य ही देखने को मिलता है। सूत्र साहित्य भी मानसिक शक्ति के विकास का प्रमाण है।

इसके अतिरिक्त कला व हस्तकार्य अर्थात् 'देवजन विद्या' को ब्राह्मणों के प्रभुत्व और वर्ण व्यवस्था के जटिल होने से हेय समझा जाता था। मानसिक कार्य करने वाले श्रेष्ठ तथा हाथ से शारीरिक कार्य करने वाले निम्न समझे जाते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उच्च वर्ण के लोगों ने कला को संरक्षण नहीं दिया। हस्तकला का कार्य प्रधानतः शूद्र तथा नर्तन, गायन व चित्र कला का कार्य शूद्र व स्त्रियों का प्रमुख कर्म माना गया। यह जटिलतायें व रुढ़ियाँ आगे चलकर और बढ़ गईं।

ब्राह्मणीय शिक्षा पर एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि इसमें विभिन्न विषयों का पारस्परिक सामंजस्य अथवा सम्बन्ध नहीं था। प्रत्येक विषय में प्रारम्भ से ही विशेषता प्राप्त करने की चेष्टा की गई थी परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक विषय गहरा तो हो गया किन्तु विशाल या व्यापक न हो पाया।

इसके अतिरिक्त स्त्री शिक्षा की अवहेलना, जन साधारण की शिक्षा का अभाव तथा सार्वजनिक भाषा की अवहेलना इत्यादि अभियोग ब्राह्मणीय शिक्षा पर लगाये जाते हैं किन्तु जैसा कि हम पिछले पृष्ठों में देख चुके हैं यह अभियोग पूर्णतः सत्य नहीं है। स्त्रियों का उचित सम्मान था और वह बड़ी विदुषी होती थीं। सार्वजनिक भाषा संस्कृति थी और उसी में समस्त वैदिक, पौराणिक, उपनिषद् व सूत्र साहित्य का सृजन हुआ। सार्वजनिक शिक्षा अनिवार्य थी जैसा कि उपनयन संस्कार का सब वर्णों के लिये अनिवार्य होने से प्रतीत होता है। हाँ ऐसा अवश्य है कि जब जन साधारण की भाषा संस्कृति से भिन्न होने लगी अथवा उपनयन की अनिवार्यता शिथिल होने लगी एवं स्त्रियों की विवाह-अवस्था घटा दी गई तो अवश्य ही उपरोक्त दोष आ गये। किन्तु ऐसा ब्राह्मणीय-शिक्षा के युग में नहीं हुआ। उस समय तो बौद्ध धर्म का जोर बढ़ता जा रहा था। उसका वर्णन हम आगे के अध्यायों में करेंगे।

उपसंहार

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मानव जीवन के सभी अंगों का ब्राह्मणीय शिक्षा में विकास हुआ। शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक जीवन के समविकास में वह शिक्षा अपना विशेष महत्व रखती थी। चरित्र तथा न्यक्तित्व के विकास में इससे बहुत सहायता मिली। साथ ही सांसारिक उन्नति में भी इस शिक्षा की

देन अनुपम है। इस शिक्षा की कुछ विशेषतायें जैसे गुरु शिष्य सम्बन्ध, नैतिक अनुशासन, व्यक्तिगत ध्यान, मानसिक स्वतन्त्रता, व्यापक उपनयन प्रथा, स्त्री शिक्षा एवं गुरुकुल प्रथा इत्यादि कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं जो कि शिक्षा सिद्धान्तों के अनुकूल हैं और सदा लाभकारी हैं।

चौथा अध्याय बौद्ध शिक्षा-प्रणाली

वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म

ब्राह्मणीय शिक्षा जैसा कि हम पिछले पृष्ठों में देख चुके हैं राष्ट्र के जीवन का एक प्रधान अंग बन चुकी थी। बौद्ध धर्म का प्रचार होने पर भी भारतीय शिक्षा पर ब्राह्मणीय शिक्षा की छाप बनी रही। बौद्ध धर्म भी वास्तव में हिन्दू धर्म से भिन्न नहीं माना गया है। हिन्दू धर्म के बहुत से मौलिक सिद्धान्त बौद्ध धर्म में भी अनुक्षण बने रहे। हिन्दू धर्म के अन्दर कुछ दोष आ जाने से बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। यह तो केवल परिस्थितियों की उपज था। महात्मा बुद्ध के आने से पूर्व ही हिन्दू धर्म में एक प्रकार का दम्भ प्रवेश कर चुका था। कर्म-कारण की धूम थी। इसमें वास्तविक धर्म के मूल सिद्धान्तों का लोप हो रहा था। यज्ञ के नाम पर पशु-बलि का बोल-बाला था। तपस्या के नाम पर अनेक पुरुष अपने गृह त्याग कर वनों में मारे-भारे फिरते थे तथा तपस्या के साधनों से भिन्न २ शारीरिक यातनाओं के आविष्कार हो चुके थे। बुद्ध ने यह सब व्यर्थ समझा। अतः ऐसे धर्म सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जो कि प्रत्यक्ष जीवन की वास्तविक समस्याओं का विश्लेषण करके धर्म का एक नवीन रूप प्रस्तुत करें। महात्मा बुद्ध समझते थे कि संसार दुःख-मय है अतः इसका त्याग करके मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करना ही मानव-जीवन का उद्देश्य है। ऐसा होते हुए भी आत्मा, दुःख, मोक्ष, काम, कर्म तथा पुनर्जन्म इत्यादि के सिद्धान्त दोनों धर्मों में पाये जाते हैं। इस प्रकार वैदिक धर्म और बुद्ध धर्म के सम्मिश्रण से एक विशेष भारतीय दृष्टि-कोण का प्रादुर्भाव हुआ बुद्ध धर्म ने पूर्व-स्थित प्रश्न 'मोक्ष किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है' इसका अपने प्रकार से उत्तर दिया है। अनेक साधनों में एक यह भी साधन महात्मा बुद्ध ने बतलाया है अतः इसे विशाल हिन्दू धर्म का एक स्वरूप ही माना जा सकता है। जो कुछ भी विरोध दोनों धर्मों में मिलता है वह यही है कि महात्मा बुद्ध ने बतलाया था कि यदि बलि और यज्ञ से जीव हिंसा होती है तथा व्यर्थ धन व्यय होता है तो इसे बन्द करदो। दूसरे, यदि वेद अगौरुषेय नहीं है तो उन्हें भी अन्य पुस्तकों की भाँति समझा जाय। साथ ही बुद्ध ने बताया कि अपने सम्पूर्ण यौवनको वेदों के कंठाग्र करने में ही नष्ट कर देना मूर्खता है। इसके अतिरिक्त बुद्ध ने यह भी कहा कि यदि हिन्दू देवी-देवता केवल नाम या प्रतीक मात्र हैं तो हमें किसी ऐसी वस्तु की खोज करनी चाहिये जो कल्पित न होकर वास्तविक हो। अन्त में तपस्या के द्वारा

शरीर को सुखाना एवं सांसारिक भोग-विलासों और गृहस्थ जीवन का भी बुद्ध ने निषेध किया।

इस प्रकार बुद्ध धर्म ने ब्राह्मणीय धर्म से अपनी प्रेरणा ली। दोनों में बाह्य विषमता होते हुए भी आन्तरिक साम्य है। बुद्ध ब्राह्मणों का आदर करते थे। अपने प्रारम्भिक जीवन में उन्होंने भी ब्राह्मणों द्वारा ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। ललित विस्तार में कहा गया है कि ब्राह्मण या क्षत्रिय ही बौद्ध हो सकता है और चांडाल अथवा शूद्र नहीं। यद्यपि बौद्ध धर्म में जाति-पाँति का भेद नहीं था किन्तु निम्न कही जाने वाली जातियों में से भी केवल जिज्ञासुओं अथवा ब्राह्मणीय मानसिक प्रतिभा रखने वालों को ही संघ में प्रविष्ट किया जाता था। केवल जन्मतः ब्राह्मण होने के बुद्ध प्रतिकूल थे तथापि उन्होंने अपने आपको एक समाज-सुधारक के रूप में कभी भी प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने तो सादा और सात्त्विक-जीवन व्यतीत करने वाले भिक्षुओं के समाज की रचना की जो बाल्यावस्था में ही गृह-त्याग करके शिक्षा और सयम के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। यह भी वास्तव में ब्राह्मणीय पद्धति के ब्रह्मचर्य, वाणप्रस्थ और सन्यास आश्रम की भाँति था केवल गृहस्थ आश्रम का ही वहिष्कार बुद्ध ने किया। इन सब बातों से प्रमाणित होता है कि बौद्ध धर्म विशाल हिन्दू धर्म का ही एक परिवर्तित स्वरूप था।

बुद्ध धर्म का प्रचार भारत में ६०० ई० पू० ही हो गया था। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केन्द्र विहार या मठ थे। वास्तव में बौद्ध-कालीन शिक्षा प्रणाली का इतिहास ही बौद्ध संघ का इतिहास है। शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था ही भिक्षुओं के हाथों में थी। इसमें धार्मिक व भौतिक दोनों प्रकार की शिक्षा ही सम्मिलित थी। ब्राह्मणीय शिक्षा की भाँति इसमें भी विद्यार्थी की प्रारम्भिक दीक्षा होती थी। इसी का वर्णन अब हम आगे करेंगे।

प्रव्रज्या

विद्यारंभ प्रव्रज्या या 'पञ्चजा' बुद्ध प्रणाली का प्रथम संस्कार था। छोटी अवस्था में ही बालक प्रव्रज्या के उपरान्त 'श्रमणे' बनकर मठ में उपस्थित होता था। संघ में प्रवेश करने से पूर्व नवागन्तुक को शरणत्रयी लेनी पड़ती थी अर्थात् 'बुद्धं शरणम् गच्छामि, धम्मं शरणम् गच्छामि, संघं शरणम् गच्छामि' का उच्चारण करना पड़ता था। प्रवेश के लिये जाति-भेद नहीं था। महात्मा बुद्ध का स्वयं ही कहना था कि जैसे नदियाँ समुद्र में विलीन होकर एक रस हो जाती हैं उसी प्रकार भिन्न २ जातियाँ संघ में मिलकर एक रूप हो जाती हैं। प्रव्रज्या ८ वर्ष के बालक को दी जाती थी। उसके पश्चात् ही मठ की अनुशासन प्रणाली उसके ऊपर लागू हो जाती थी और उसे घर-बार छोड़कर अपने उपाध्याय के अन्तर्गत रहना

पढ़ता था। हिंसा, असत्य, मादक पदार्थ, मांस, नृत्य तथा संगीत इत्यादि का श्रमणों के लिये निषेध था। यह स्मरणीय है कि बिना माँ-बाप की आज्ञा के बालक का संघ में प्रवेश नहीं कराया जाता था। छूत के रोगों जैसे कोढ़, खुजली तथा क्षय इत्यादि से पीड़ित रोगियों को तथा अन्य शारीरिक दोष रखने वाले नवागन्तुकों को प्रव्रज्या का निषेध था। इसके अतिरिक्त दास, अभियुक्त तथा राज कर्मचारियों जैसे सैनिक इत्यादि के लिये भी प्रवेश निषिध्य था।

उपसम्पदा

यह बौद्ध पद्धति का द्वितीय एवं अंतिम संस्कार था। २० वर्ष की उम्र से पूर्व इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। इसके उपरान्त भिक्षु अपनी सदस्यता को प्राप्त किया हुआ समझा जाता था। जैसा कि ब्राह्मणीय शिक्षा में बतलाया गया था कि स्नातक होने के उपरान्त ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था ठीक उसके प्रतिकूल बौद्ध धर्म के अनुसार उपसम्पदा संस्कार होने पर श्रमणों पक्का भिक्षु बन जाता था और उसका गृहस्थी अथवा संसार से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता था। प्रव्रज्या तो केवल अल्प-काल के लिये होता था किन्तु उपसम्पदा-संस्कार सम्पूर्ण जीवन के लिये था। यद्यपि ब्राह्मणीय शिक्षा के अनुसार भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी या आजन्म ब्रह्मचारी होते थे किन्तु ऐसे व्यक्ति विरले ही थे। बुद्ध धर्म में तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य भिक्षु के लिये अनिवार्य था। कालान्तर में जब स्त्रियों का भी भिक्षुणी के रूप में प्रवेश हो गया तो उनके लिये भी यह अनुशासन पूर्ण रूप से था।

पञ्चज्जा संस्कार में तो बालक उपाध्याय के निकट जाकर हाथ जोड़ कर कह देता कि 'आप मेरे उपाध्याय हैं' और एक पत्नीय सम्बन्ध स्थापित हो जाता। किन्तु उपसम्पदा सम्पूर्ण भिक्षुओं के सम्मुख एक उत्सव के रूप में होता था। इसके सम्पादन की प्रणाली पूर्ण जनतंत्रवादी थी और बहुमत से इसका सम्पादन होता था। श्रमणों भिक्षु का भेषधारण कर हाथ में कमंडल, एक कंधे पर चीवर लेकर अन्य भिक्षुओं को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बैठ जाता था। वहीं वह अपने उपाध्याय (उपाज्जाय) को चुनता। इस प्रकार उपसम्पदा संस्कार समाप्त हो जाता। इसके अतिरिक्त यदि कोई भिक्षु संघ से हटना चाहता तो यह भी सरल कार्य था। प्रतिज्ञा भंग करने पर या सांसारिकता का आकर्षण बढ़ने पर कोई भी भिक्षु संघ से हटाया जा सकता था। ऐसे भिक्षु को अपनी असमर्थता की घोषणा करनी होती थी।

शिष्य-गुरु सम्बन्ध

बौद्ध काल में भी गुरु-शिष्य में सम्बन्धों में वही पवित्रता रही जो कि वैदिक कालीन शिक्षा में थी। सिद्धविहारक उपाध्याय की सेवा करते हुए विद्यालाम

करता था। वह उपाध्याय से पूर्व उठता और बाद में सोता था। प्रातः काल गुरु के लिये उसे जल, मिट्टी तथा दातून इत्यादि की व्यवस्था करके उनके बैठने की चौकी लगानी होती थी और खाने को खीर परसनी होती थी। महावग्ग में गुरु-शिष्य के सम्बन्धों का बहुत विशाल वर्णन मिलता है। “भिक्षुओ! सिद्ध विहारक” को उपाध्याय के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। समय से उठकर, जूता पोंछ कर उत्तरासंग को एक कंधे पर रख, दातून देनी चाहिए। मुख धोने का जल तथा-आसन की व्यवस्था करनी चाहिये। खाने को खीर देनी चाहिये। भ्लाङ्क देना तथा सफाई करनी चाहिये। भिक्षा के लिये उपाध्याय के साथ जाना चाहिये.....इत्यादि।” इसके अतिरिक्त उपाध्याय से कुछ दूरी पर चलना, उनके लिये भिक्षा लाना, पैर धोना, वस्त्र प्रक्षालन करना तथा रोगी होने पर उनकी सुश्रूषा करना इत्यादि भी शिष्य के कर्तव्य थे।

इसके विपरीत शिष्य के प्रति उपाध्याय या आचार्य के कर्तव्यों का भी उल्लेख है। उपाध्याय को शिष्य को पुत्र की भांति रखना चाहिये। शिष्य को अभाव होने पर पात्र तथा चीर देना चाहिये। रोगी होने पर उपाध्याय को वही सेवायें करनी चाहिये जो कि शिष्य उसकी करता था। इसके अतिरिक्त उपाध्याय का यह परम कर्तव्य था कि वह शिष्य को उच्च कोटि की मानसिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करे।

इस प्रकार गुरु और शिष्य के सम्बन्ध अत्यन्त मधुर और सम थे। यह भारतीय परम्परा के अनुकूल ही था। यह गुरु लोग बड़ी सादगी से जीवन व्यतीत करते और शिष्य के समक्ष अपना आदर्श उपस्थित करते थे। ‘गुरु की आवश्यकतायें न्यूनतम होती थीं। नालन्दा के प्रसिद्ध शिक्षकों को साधारण विद्यार्थियों की अपेक्षा केवल तीन गुना अधिक व्यय करने को मिलता था।’ सेवा ग्रहण करना एक प्रकार से गुरु का अधिकार हो गया था। यदि कोई शिष्य गुरु आदर करने में असफल होता तो वह अयोग्य समझा जाता था और संघ से बहिष्कृत कर दिया जाता था। शिष्यों द्वारा इस महान सम्मान के प्राप्त होने के लिए गुरु को एक महान विद्वान, उच्च चरित्र, आत्म-संयमी तथा आत्मदर्शी होने की आवश्यकता थी। ह्येनसांग के लेखों से प्रतीत होता है कि नालन्दा इत्यादि विहारों में अत्यन्त उद्भट विद्वान आचार्य रहते थे जो शिष्यों के समक्ष एक जीवित आदर्श प्रस्तुत करते थे।

विद्यार्थियों का निवास

ब्राह्मणाय शिक्षा की भांति इस शिक्षा में गुरुकुल व्यवस्था नहीं

सिद्ध विहारक का अभिप्राय विद्यार्थी अथवा ब्रह्मचारी से था।

थी। विद्यार्थी भ्रमणर अथवा पूर्ण भिक्षु के रूप में मठों या विहारों में रहते थे। यह विहार सम्पूर्ण बौद्ध धर्म की शृंखला के खंडों के रूप में थे। इस प्रकार इन विहारों और मठों के मिलने से ही संघ का निर्माण होता था अर्थात् भिन्न २ शिक्षा समूहों अथवा मठों के मिलने पर ही संघ का अस्तित्व था। इन मठों में विद्यार्थी और उपाध्याय साथ-साथ रहते थे। वहाँ स्थान का अभाव नहीं था। नालन्दा इत्यादि विश्वविद्यालयों के भग्नावशेषों से विदित होता है कि वहाँ हजारों विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था रहती थी।

बौद्ध धर्म के प्रचार के प्रारम्भ में भिक्षु लोग वनों में, गुफाओं में तथा पेड़ों के नीचे रहते थे। किन्तु महात्मा बुद्ध ने उन्हें मठों या विहारों में रहने की आज्ञा प्रदान कर दी थी। यह आज्ञा केवल उसी समय के लिये थी जब कि खुले हुए में रहना सम्भव नहीं था जैसे वर्षा, आँधी, ओला या हिमपात और तीव्र धूप इत्यादि के साथ बरसात में रहने के लिये वर्षावास थे जो कि अधिकतर धनिकों द्वारा बना दिये जाते थे। बुद्ध विहार तो प्रासादों के समान विशाल सुन्दर और सुखदायक होते थे। राजा बिम्बसार द्वारा संघ के लिये एक प्रासाद बनवाये जाने की कथा है। इन विहारों के विषय में चीनी यात्रियों ने बहुत विषद और आंखों देखा वर्णन लिखा है। जेतवन विहार जिसे राजकुमार अनाथ पिंडिक ने निर्माण कराया था, उस समय का एक प्रसिद्ध विहार था। इसमें भिन्न २ कार्यों के लिये जैसे भोजन, स्नान, शयन, वाचन, अध्ययन, शास्त्रार्थ तथा अतिथि इत्यादि के लिये अलग २ सुन्दर कमरे बने हुए थे जो फर्नीचर इत्यादि से भली भाँति सुसज्जित थे। इसके अतिरिक्त और भी कुछ प्रसिद्ध विहार थे जैसे यास्तिवन, वेणुवन, राजगृह में सीतवन इत्यादि।

यह बौद्ध कालीन विहार शिक्षा के केन्द्र थे। इनका उपयोग केवल धार्मिक कार्यों में ही न होकर लौकिक विद्याओं के केन्द्र के रूप में भी होता था। कला-कौशल, वास्तु-कला तथा चित्र-कला का शिक्षण भी इन स्थानों पर होता था।

इसके अतिरिक्त कुछ विद्यार्थी इन विहारों में गुरु के साथ न रह कर अपने स्वयं के घरों में भी रहते थे और विद्याध्ययन के लिये विहार में जाते थे। बनारस के राजकुमार जुन्ह की कथा इसी प्रकार की जातकों में मिलती है। बड़े २ विश्व विद्यालयों में छात्रावास का प्रबन्ध भी था।

भोजन

बौद्ध भिक्षुओं तथा विद्यार्थियों का भोजन बहुत सादा था। भ्रमणर अपने उपाध्याय के साथ निकटस्थ गावों में भिक्षा के लिये जाते थे और जो कुछ मिल जाता था उसी पर निर्वाह करते थे। आवश्यकता से अधिक भिक्षा लेना निषिद्ध

था। भिक्षु तथा विद्यार्थियों को नागरिकों की ओर से भोजन का निमंत्रण भी मिलता था। उनके भोजन में प्रधानतः फल, दूध, खीर, दही तथा गुड़ और गन्ना थे।

पाठ्य-क्रम

बौद्ध शिक्षा निवृत्ति-प्रधान थी। इसका प्रधान उद्देश्य जीवन में निर्वाण प्राप्त करना था, अतः शिक्षा भी धर्म प्रधान थी। अधिकांश बौद्ध भिक्षु धर्म-शास्त्रों का ही अवलोकन करते थे। उनका जीवन ही धर्ममय था। सुत्तन्त, विनय साहित्य तथा धम्म इत्यादि ही उनके शिक्षा के विषय थे।

किन्तु इससे यह न समझना चाहिये कि सम्पूर्ण समाज ही धर्म का अध्ययन करता था और देश में जीवनोंपयोगी शिक्षा का अभाव था। वास्तव में ऐसा नहीं था। भारत में मौर्यकाल तथा गुप्तकाल ही स्वर्णयुग के नाम से पुकारे जाते हैं जबकि प्राचीन भारत साहित्य, दर्शन, कला, व्यापार, कृषि तथा सैनिक उन्नति की दृष्टि से अपने वैभव की पराकाष्ठा पर था। आर्थिक दृष्टि-कोण से भी भारत धन-धान्य से परिपूर्ण था। ऐसी अवस्था में हम यह नहीं कह सकते कि यहाँ भौतिक विषयों की शिक्षा का अभाव था क्योंकि बिना इन विज्ञानों की उन्नति हुए देश का सर्वाङ्गीन विकास असम्भव था। बौद्ध कालीन सांसारिक शिक्षा के प्रमुख विषय जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे यह थे : कलाकौशल—जैसे कातना, बुनना, लुपाई, दर्जी का कार्य अर्थात् सिलाई; लेखम्, गणना, चित्रकला, चिकित्सा व आयुर्वेद, शल्य अर्थात् सर्जरी तथा मुद्रा इत्यादि।

शिक्षा दो भागों में विभक्त थी : प्रारम्भिक और उच्च शिक्षा। प्रारम्भिक शिक्षा में लिखना, पढ़ना तथा साधारण गणित (GRs.) का अध्ययन कराया जाता था। उच्च शिक्षा में धर्म, दर्शन, आयुर्वेद, सैनिक-शिक्षा आदि सभी सम्मिलित थे। अध्ययन विषय चुनने में जाति-पॉति का कोई भेद नहीं था। तक्षशिला के लिये विद्यार्थी भिन्न २ स्थानों से आते थे। तुलनात्मक-ज्ञान के लिये वेदों का अध्ययन किया जाता था तथापि जातक युग में अथर्व-वेद पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं था। वेद मंत्रों के कंठाग्र करने की प्रणाली इस समय भी प्रचलित थी। बोधि सत्त्व ने भी वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था।

विज्ञान, ललित एवं शिल्प कलाओं के नामों का उल्लेख जातकों में तो नहीं मिलता किन्तु मिलिन्द पान्ह में १८ सिप्यों का वर्णन है जो पाठ्य-क्रम में सम्मिलित थे। तक्षशिला के कुछ कालेजों में हत्ती-सुत (हाथी विद्या) तंत्र, मृगया, पशु-विद्या धनुर्विद्या, सामुद्रिकविद्या, सर्पविद्या, और आयुर्वेद का शिक्षण होता था। इनमें से केवल एक-एक विषय में ही विद्यार्थी विशेष योग्यता प्राप्त कर सकते थे। इन

सभी विद्याओं की सैद्धान्तिक (थ्योरिटिकल) व व्यवहारिक (पैक्टीकल) शिक्षा प्रदान की जाती थी। आयुर्वेद तथा शल्य की व्यवहारिक शिक्षा का भी प्रबन्ध इन कालेजों में था। जीवक के उदाहरण से प्रतीत होता है कि उसने सर्जरी की व्यवहारिक शिक्षा पाई थी। यही कारण था कि ठीक अपने विद्यार्थी जीवन के पश्चात् ही उसने दो सफल श्रौचरेशन किये जो अत्यन्त ही कठिन थे। यात्रा व देशाटन भी व्यवहारिक शिक्षा के अंग समझे जाते थे। इनके अतिरिक्त प्रकृति-निरीक्षण, कानून और सैनिक प्रशिक्षण भी पाठ्य-वस्तु में सम्मिलित थे। तक्षशिला इन विद्याओं का प्रधान केन्द्र था।

मिलिन्दपान्ह से प्रतीत होता है कि बौद्ध युग में ब्राह्मणीय शिक्षा का भी प्रचार था। वास्तव में दोनों प्रकार की शिक्षायें एक दूसरे की पूरक थीं। ब्राह्मणीय शिक्षा के चार वेद, इतिहास, पुराण, काव्य, शब्द विद्या, व्याकरण, ज्योतिष, वेदाङ्ग, सामुद्रिक-विद्या, शकुन-विद्या, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, संगीत, चिकित्सा-शास्त्र तथा तंत्र-विद्या इत्यादि सभी विषय भिन्न २ बौद्ध कालीन विश्व-विद्यालयों में पढ़ाये जाते थे। पाँचवीं शताब्दि में फाह्यान ने भी यही लिखा था कि उस समय ब्राह्मणीय शिक्षा का भी जोर था। विनय ग्रन्थ बौद्ध भिक्षुओं के प्रधान अध्ययन ग्रन्थ थे। उच्च शिक्षा के लिये संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य था। स्वयं फाह्यान ने ३ वर्ष तक पाटलीपुत्र में रहकर संस्कृत का अध्ययन किया था। इसके अतिरिक्त स्थानीय भाषाओं और पाली का भी प्रचार हो चुका था। यहाँ तक कि अधिकांश बौद्ध ग्रन्थ पाली में थे। सातवीं शताब्दि में ह्वान-सांग ने भी यही लिखा था कि ब्राह्मणीय शिक्षा का जोर था। चार वेदों का अध्ययन अनिवार्य था। इसके अतिरिक्त बौद्ध पाठ्य-क्रम का उल्लेख करते हुए उसने लिखा है कि मठों और विहारों में उपाध्यायों और आचार्यों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। प्रारम्भिक शिक्षा में लिखना, पढ़ना, गणित तथा बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों का अध्ययन कराया जाता है। व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। बालक को संस्कृत की वर्णमाला से प्रारम्भ कराके स्वर, सन्धि, समास इत्यादि व्याकरण के नियमों का अध्ययन कराया जाता है। इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा में ही लौकिक और अध्यात्मिक दोनों प्रकार की शिक्षा का समावेश था।

उच्च शिक्षा के विषय में ह्वान सांग ने नालन्दा का वर्णन किया है कि उसमें बौद्ध-दर्शन, विनय साहित्य, योग तथा अन्य सभी विद्यायें पढ़ाई जाती थीं। विक्रमशिला तर्क शास्त्र व न्यायशास्त्र का केन्द्र था। इतिहास ने भी इन्हीं पाठ्य-क्रम और शिक्षा विषयों का वर्णन किया है। उसने यह भी लिखा है कि भिन्न लोग वेदों की भाँति त्रिपिटक का भी अध्ययन करते थे।

औद्योगिक-शिक्षा

जैसा कहा जा चुका है कि बौद्ध शिक्षा प्रधानतः धार्मिक थी, उसका उद्देश्य संघ के भिक्षुओं को शिक्षित करना तथा जनता के उन व्यक्तियों को शिक्षित करना था जो संघ से सहानुभूति रखते थे। किन्तु हम देखते हैं कि बौद्ध काल में औद्योगिक तथा जीवनपयोगी शिक्षा की भी अवहेलना नहीं की गई थी। महावग्ग में कातने, बुनने तथा सिलाई करने का साक्ष्य मिलता है। मठ में भिक्षुओं को भी इन शिल्पों के सीखने की आज्ञा थी। उन्नीस सिप्पो (शिल्पों) का उल्लेख हम ऊपर कर ही चुके हैं। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद व शल्य विज्ञान की इस युग में बहुत उन्नति हुई। जीवक कुमार भूष उस युग का प्रसिद्ध डाक्टर व सर्जन था। जीवक तक्षशिला का विद्यार्थी था। सात वर्ष तक चिकित्सा-शास्त्र का अध्ययन करने के उपरान्त उसने देशाटन करके जड़ों-बूटियों का ज्ञान प्राप्त किया, तदुपरान्त देश के भिन्न २ भागों जैसे उज्जयिनी इत्यादि में भी गया। जीवक के द्वारा मस्तिष्क व पेट की आँतों के ऑपरेशन करने का भी उल्लेख है। इसी प्रकार प्रसिद्ध आयुर्वेद-पिता चरक भी इसी युग में अवतीर्ण हुआ। चिकित्सा-शास्त्र के अध्ययन का केन्द्र तक्षशिला था। यहाँ राज-गृह इत्यादि सुदूर स्थानों से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। मिलिन्दपान्ह में भी प्राचीन चिकित्सा शास्त्रियों के नाम मिलते हैं जैसे—नारद धन्वन्तरि, अंगारिक, कपिल, अत्रुल और पुब्वकञ्छायन इत्यादि। ❀ सर्जरी के अतिरिक्त सर्प दंश चिकित्सा का भी इस युग में बहुत आश्चर्यजनक विकास हुआ, यहाँ तक कि मंत्रों द्वारा विषशमन और सर्प को पकड़ कर विष चुसवाने का भी उल्लेख है।

आयुर्वेद के अतिरिक्त जीवनपयोगी कला-कौशल में वास्तु-कला भी प्रमुख थीं। नालन्दा तथा विक्रम-शिला के विश्वविद्यालय तथा उनके विशाल भवन, चित्र-कला, मूर्ति-कला तथा अन्य बौद्ध विहार, स्तूप व चैत्य इसके प्रमाण हैं। जन-साधारण कृषि, व्यापार, कुटीर-उद्योग तथा पशु-पालन इत्यादि सांसारिक उद्योगों में भी उसी प्रकार प्रशिक्षण पा रहा तथा उन्नति कर रहा था जैसा कि ब्राह्मणीय शिक्षा के युग में था।

बौद्ध-काल तक लेखन-कला का पर्याप्त प्रचार हो चुका था किन्तु जनसाधारण में इसका व्यवहार अधिक नहीं होता था। अतः वैदिक शिक्षा की भाँति बौद्ध शिक्षा भी मौखिक दी जाती थी। सिद्ध विहारक व्याकरण के धातु व रूप इत्यादि कंठाग्र करते थे। आचार्य और सिद्धविहारक दोनों ही मठों में साथ-साथ रहते

ये अतः आचार्य सीधे रूप से ही विद्या प्रदान करता था। वह उन्हें पाठ देना और शिष्य उस पाठ को कंठाग्र करते थे। विद्यार्थियों द्वारा पाठ के भली भाँति बोधगम्य होने पर ही आचार्य आगे बढ़ता था। जो व्यक्ति बौद्ध-धर्म में साधारणतः श्रद्धा रखते थे उन्हें 'उपासक' कहते थे। यह 'उपासक' भिक्षुओं को अपने घरों पर निमंत्रित करके उनके द्वारा उपदेश सुनते थे। विहारों तथा कालेजों में हेतु-विद्या अर्थात् तर्क पद्धति को अपनाया जाता था और उसके द्वारा विद्यार्थियों का मानसिक विकास किया जाता था। शिक्षण पद्धति में तर्क प्रणाली का अधिक महत्त्व था। मठों और विहारों में भिन्न २ धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर नित्य वाद-विवाद हुआ करते थे। विक्रम शिला तो इसमें सर्वोन्नत था। हिन्दू या वैदिक-धर्म अथवा जैन-धर्म का खंडन करने के लिये बौद्ध भिक्षु बाल की खाल निकाला करते थे। भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बी समय-समय पर शास्त्रार्थ किया करते थे। अतः विद्यार्थियों को अपने प्रारम्भिक विद्या-काल से ही वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में प्रशिक्षण दिया जाता था। कभी २ कालेजों में विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता और उनके द्वारा भिन्न २ विषयों पर विद्यार्थियों के समक्ष भाषण कराये जाते थे। उपासी का उदाहरण इसी प्रकार का मिलता है। इस प्रकार भाषण और वाद-विवाद ने शिक्षा-पद्धति में एक प्रमुख स्थान ग्रहण कर लिया था। इससे बालक की मानसिक शक्तियों का पर्याप्त विकास होता था। उसकी ज्ञान परिधि का विस्तार होता तथा जीवन से उसे एक क्रियात्मक रुचि हो जाती। जीवन की भिन्न २ समस्याओं के विषय में वह वाद-विवाद करके अपने विचारों को सुलभता था। कालान्तर में तो यह प्रणाली यहाँ तक बढ़ी कि विद्वान् लोग केवल 'तर्क तर्क के लिये' करने लगे। वास्तविक-ज्ञान और गंभीर अध्ययन को इससे बड़ा धक्का लगा। ऐसे तर्क-शास्त्रियों में वाचालता अधिक आगई।

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे विशेष आचार्य भी थे जो देशाटन करके विद्या प्रचार करते थे जैसे सारीपुत्ता, महामुग्गल्लन, अनुरुद्ध, आनन्द और राहुल इत्यादि। विद्यार्थियों के लिये उच्च शिक्षा की समाप्ति पर देशाटन के द्वारा ज्ञान को वास्तविक व व्यवहारिक रूप देने की पद्धति का प्रचलन था। इससे उनका ज्ञान अधिक पूर्ण, ठोस व प्रत्यक्ष हो जाता था। जीवन का उदाहरण इस विषय में दे चुके हैं। भिन्न २ स्थानों से आने वाले भिक्षुओं के सम्मेलन भी होते थे जहाँ शास्त्रार्थ और भाषण होते थे। विद्यार्थियों को इन सम्मेलनों में आने का पूर्ण अवसर दिया जाता था। इसके द्वारा भी विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ता था। कुछ बौद्ध भिक्षु निर्जन वनों में भी समाधिस्थ होकर चिन्तन व मनन करके अर्न्तज्ञान प्राप्त करते थे किन्तु सर्व-साधारण विद्यार्थियों के लिये ऐसी कोई पद्धति प्रचलित नहीं थी।

जीवनोपयोगी विज्ञानों और कला-कौशलों के शिक्षण की पद्धति वही थी जो कि ब्राह्मणीय शिक्षा में थी अर्थात् विद्यार्थियों को शास्त्रीय और व्यवहारिक दोनों प्रकार की पद्धतियों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। कला-कौशलों में विशेषतः विद्यार्थी कुछ समय तक कुशल कारीगरों के साथ रहते थे और धीरे-धीरे उनकी शिष्यता में कार्य सीखते थे। कातना, बुनना, सिलाई, शिल्प-कला, वास्तु-कला, तथा अन्य दस्तकारियाँ इसी प्रकार सीखी जाती थीं।

ब्राह्मणीय शिक्षा से विभिन्नता

विद्यार्थी प्रायः अपना अध्ययन प्रातःकाल में प्रारम्भ करते थे। बहुत से स्थानों पर तो कौआ पाल लिया जाता था जो समय की सूचना विद्यार्थियों को देता था। इसके उपरान्त विद्यार्थियों की दिनचर्या प्रायः वही थी जैसी कि वैदिक काल में थी। वास्तव में सम्पूर्ण शिक्षण पद्धति ही दोनों युगों में प्रधानतः एकसी थी। भेद केवल यही था कि ब्राह्मणीय शिक्षा गुरु-गृह पर परिवारिक रूप में दी जाती थी जबकि बौद्ध शिक्षा मठों या सुसंगठित शिक्षा संस्थाओं में दी जाती थी। प्रथम में व्यक्ति पर अधिक जोर दिया जाता था, द्वितीय में व्यक्ति समूह की एक इकाई था अतएव शिक्षा सामूहिक रूप से दी जाती थी। ब्राह्मणीय शिक्षा में परिवार जीवन एक महत्वपूर्ण अंग था जबकि बौद्ध धर्म का आधार ही गृह-त्याग था। इस प्रकार बौद्ध शिक्षाप्रणाली में परिवार के कोमल व प्राकृतिक सम्बन्धों का विच्छेद करके धार्मिक आधार पर 'बन्धु समाज' स्थापित किया जाता था। एक बौद्ध-बन्धु अपने सम्पूर्ण बन्धु-समाज पर निर्भर रहता था और बन्धुसमाज स्वयं साधारण उपासक या जनता पर निर्भर रहता था। इसमें व्यक्तिगत उत्साह, योग्यता, क्षमता और क्रिया का लोप हो जाता था।

दूसरा अन्तर यह था कि ब्राह्मणीय शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी कठोर शारीरिक व मानसिक अनुशासन में रहता था। उसके लिये सुख तथा सुख-सामग्रियों का निषेध था। विद्यार्थी जीवन एक तपश्चर्या थी 'सुखार्थिनः कुतो-विद्या, नास्ति विद्यार्थिनः सुखम्' के आदर्श का अनुकरण किया जाता था। किन्तु बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अनुसार 'शरीर को सुन्दरता से सजाया, स्वच्छ किया और मला जाता था, नियम से भोजन दिया जाता वर्षा-काल में सुरक्षित स्थान पर रखा जाता था, मध्याह्न की गर्मी में विश्राम किया जाता, और अस्वस्थ होने पर सर्व श्रेष्ठ चिकित्सक द्वारा चिकित्सा कराई जाती थी' (राधाकुमुद मुकुर्जी द्वारा उद्धृत पृष्ठ ४६१।)

तीसरा अन्तर यह था कि ब्राह्मणीय शिक्षा एक प्रकार से एकतंत्रवाद के सिद्धान्तों पर अवलम्बित थी जबकि बौद्ध शिक्षा जनतंत्रवाद के सिद्धान्तों से मेल

खाती थी अर्थात् प्रथम में गुरु का प्राधान्य और उच्चता जीवन पर्यन्त स्थिर रहती थी, किन्तु दूसरी पद्धति के अनुसार शिष्य कुछ समय उपरान्त संघ में सम्मिलित होने पर समान राय देने का अधिकारी हो जाता था। गुरु और शिष्य में भेद केवल अध्यात्मिक ज्ञान के स्तर का रहता था।

अन्त में ब्राह्मणीय-शिक्षा प्रणाली के अनुसार केवल वही व्यक्ति धर्म का जीवन ग्रहण करते थे जो अनेक प्रकार से उसके समर्थ होते थे। किन्तु बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अनुसार केवल भगवान् बुद्ध के जीवन-काल तक तो केवल निखरे हुए मनस्वी ही संघ के सदस्य थे किन्तु कालान्तर में उसमें कुछ अवांछनीय तत्त्वों ने प्रवेश पा लिया। जनतंत्रवाद के सिद्धान्तों का दुरुपयोग हुआ और संघ में भिन्न भिन्नी भ्रष्टाचार में लीन हो गये। छोटे २ स्थानीय संघों के विकास से केन्द्रीय संघ का नियंत्रण शिथिल पड़ गया। परिणामतः धीरे-धीरे बौद्ध धर्म भारत से उठ गया और उसके स्थान पर शंकाराचार्य व माधवाचार्य इत्यादि ब्राह्मण आचार्यों के प्रयत्न से पुनः शिक्षा जगत में ब्राह्मणीय पद्धति का अनुसरण होने लगा।

स्त्री शिक्षा

बौद्ध-धर्म-सिद्धान्तों के अनुसार स्त्री को त्याज्य व हेय समझा जाता था। भिन्दु आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहते थे अतः स्त्रियों के सम्पर्क में आने से डरते थे। किन्तु प्रति-दिन के जीवन में यह असंभव था विशेषतः ऐसी अवस्था में जब उन्हें अपने शिष्यों के साथ गृहस्थों के यहाँ भिक्षात्र के लिये जाना होता था। अतः महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को सम्मिलित होने की आज्ञा प्रदान कर दी थी और बौद्ध भिक्षुणी इन्हीं मठों और विहारों में रहकर पवित्र जीवन व्यतीत करती थीं। अतः बौद्ध शिक्षा के प्रारम्भिक दिनों में स्त्री शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन मिला। स्त्रियों के अलग मठ भी होते थे। चौथी शताब्दि में भिक्षुणियों के विहारों का हास होने लगा क्योंकि बौद्ध विहारों का शिक्षा के दृष्टिकोण से इतना महत्त्व बढ़ गया था कि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रदान की जाने लगी थी अतः स्त्रियाँ उन विद्यालयों से कोई लाभ नहीं उठा सकीं। तथापि जो कुछ भी शिक्षा स्त्रियों को मिली उसने न केवल जन-साधारण की स्त्रियों का ही चरित्र निर्माण व मानसिक विकास किया अपितु कुछ उच्च कोटि की विदुषी महिलाओं को भी उत्पन्न किया जिन्होंने धार्मिक व दार्शनिक क्षेत्र में समाज का नेतृत्व किया। बहुत सी स्त्रियाँ दर्शन-शास्त्र का गहन अध्ययन करती थीं कुछ उच्च कोटि की कवियत्री भी थीं। कुछ समाज सेवा का भार भी लेती थीं और उसी में शिक्षा भी प्राप्त करती थीं। बौद्ध-काल में कुछ स्त्रियों के धर्म-प्रचार के लिये विदेश जाने का भी उल्लेख मिलता है। सम्राट् अशोक की बहिन संघमित्रा लंका इत्यादि

देशों में बौद्ध-धर्म का प्रचार करने गई थी। अलतेकर ने शुभा, अनुपमा और सुमेधा नामक बौद्ध भिक्षुणियों का उल्लेख किया है जो आजीवन ब्रह्मचारिणी रही थीं। उच्च-शिक्षा प्राप्त स्त्रियों शिक्षा का कार्य भी करती थी और 'उपाध्याया' कहलाती थीं। ज्ञानाश्रमों के लिये ज्ञानिशालाश्रमों का उल्लेख भी पाणिनी ने किया है। शीलभट्टारिका, प्रभुदेवी तथा विजयांका इत्यादि उच्च कोटि की कवि-वित्री भी थीं। विजयांका को तो कालिदास से द्वितीय श्रेणी की कविवित्री बतलाया गया है। स्त्रियों राजनीति का भी अध्ययन करती थीं। पति की मृत्यु के उपरान्त शासकों की रानियों भी राज्यभार ग्रहण करतीं और प्रबन्ध को सुचारु रूप से चलाती थीं। इतिहास में कई ऐसे राज्य-काल वर्तमान थे जहाँ पर शासन का कार्य स्त्री के हाथ में रहा। शतवाहन राज्य में नायनिका, चौथी शताब्दि में वाकाटक प्रभावती, गुप्ता तथा चालुक्य वंश में (बादामी) विजय महारिका के नाम से प्रसिद्ध हैं। इससे प्रमाणित होता है कि राजनीति का शास्त्रीय व व्यवहारिक ज्ञान स्त्रियों प्राप्त करती थीं। इसके अतिरिक्त स्त्रियों आलोचना, मीमांसा, वेदान्त, आयुर्वेद तथा उच्च साहित्य का अध्ययन भी करती थीं। शंकराचार्य और मंडन-मिश्र के बीच में हुए शास्त्रार्थ में निर्णायिका का कार्य मंडनमिश्र की पत्नी ने किया था। इससे सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है कि स्त्रियों की प्रतिभा किस कोटि को पहुँच गई थी।

इस प्रकार स्त्रियों को अपने आत्मविकास का अवसर प्राप्त होता था। किन्तु इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि यह स्त्री शिक्षा केवल उच्च वर्ग की महिलाओं को ही उपलब्ध हो सकी। वर्तमान समय में स्त्री शिक्षा का जो व्यापक अर्थ समझा जाता है उसके अनुसार यह स्त्री शिक्षा अपर्याप्त थी। साधारण जनता में कृषक, मजदूर, कारीगर तथा साधारण व्यापारियों और शिल्पियों के घरों में स्त्री शिक्षा का प्रचार शून्य के बराबर था। वैदिक शिक्षा में जो स्त्रियों का अनिवार्य उपनयन संस्कार होता था अब बहुत कम हो गया था अथवा पूर्णतः विलीन हो गया था। इसका प्रभाव यह पड़ा कि बालिकाओं की विवाह अवस्था कम हो गई और उनके विवाह वाल्यावस्था में होने लगे। परिणाम यह हुआ कि स्त्री शिक्षा को इससे बहुत आघात पहुँचा। नवीं और दशवीं शताब्दि में तो अवस्था अत्यंत शोचनीय हो गई। बालिकाओं का विवाह १० या ११ वर्ष की अवस्था में होने लगा। इस काल में स्त्रियों का धार्मिक व सामाजिक सम्मान स्तर भी गिर गया था। इससे भी स्त्री शिक्षा को बड़ी क्षति पहुँची।

बौद्ध शिक्षा के दोष

इतना अवश्य है कि जहाँ बौद्ध शिक्षा में अनेक गुण थे वह दोषों से भी सर्वथा मुक्त नहीं थी। हिन्दू शिक्षा की भाँति इसमें भी धार्मिक

शिक्षा का प्राधान्य था। अन्त में जाकर तो कला कौशल को हेय समझा जाने लगा और उच्च वर्ग के लोगों ने तो इसे पूर्णतः छोड़ ही दिया। इसके अतिरिक्त सर्व साधारण की शिक्षा का भी अनुपात इतना नहीं रहा जितना कि ब्राह्मणीय शिक्षा के अन्तर्गत था। एक भयंकर दोष इस पद्धति का यह रहा कि इसमें जनतंत्र के नाम पर स्वेच्छाचार का प्रवेश हो गया इसका परिणाम यह हुआ कि संघीय नियंत्रण शिथिल होने पर मठ भिक्षु-भिक्षुणियों के क्रीड़ा स्थलों में परिवर्तित होने लगे। जिस संघ की स्थापना में ही बौद्ध धर्म की सफलता का रहस्य था वही इसके पतन का कारण भी बना। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म प्रणाली में सैनिक विज्ञान, अस्त्र शस्त्र निर्माणकला एवं युद्ध कला का अधिक विकास न हो सका। कारण यह था कि बौद्ध-शिक्षा अहिंसा प्रधान और निवृत्ति मूलक थी। बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों के अनुसार संसार दुःखमय था अतः इसे छोड़कर तथा इच्छाओं का दमन करके निर्वाण प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य समझा जाता था। फलतः जीवन में आडम्बर आ गया, भिक्षुओं का वास्तविक जीवन भिलकुल बनावटी प्रतीत होने लगा। जीवन-संघर्ष का अभिप्राय केवल आध्यात्मिक चिन्तन ही समझा गया इससे उसकी सर्वतोमुखी प्रगति अवरुद्ध हो गई और जब विदेशियों ने देश पर आक्रमण किया तो भारत सैनिक शक्ति से उनका सामना न कर सका। इतना होते हुए भी यह कहना पड़ेगा कि बौद्ध शिक्षा में दोषों की अपेक्षा गुणों का ही अधिक समावेश था यद्यपि अने दोषों के कारण ही इसका पतन हो गया और यहाँ पुनः ब्राह्मणीय शिक्षा की तूती बोलने लगी।

उपसंहार

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बौद्ध शिक्षा ने भारत में उस संस्कृति का शिलारोपण किया जिसके कारण भारत आज भी गर्व से मस्तक ऊँचा कर सकता है। बौद्ध शिक्षा पद्धति तत्कालीन आर्य जीवन में एक नूतनता और परिवर्तन लाई। यद्यपि भारतीय दृष्टिकोण सदा से ही पवित्र व सात्विक जीवन के पक्ष में रहा था, बौद्ध धर्म शिक्षा ने इसे और भी अधिक पवित्र और महान बना दिया। मठों और महाविहारों में भ्रमण और भिक्षुओं का एक उच्च जीवन व्यतीत करना भारतीय जनता के लिये अनुकरणीय रहा यहाँ तक कि बौद्ध कालीन विद्यालयों ने चीन, जापान, कोरिया, जावा, ब्रह्मा, लंका और तिब्बत आदि देशों से विद्यार्थियों और जिज्ञासुओं को आकर्षित किया। इन विदेशी विद्यार्थियों ने आकर भारत के धर्म, साहित्य और शिक्षा प्रणाली का गहन अध्ययन किया और यहाँ की संस्कृति को अपने देशों में विकीर्ण किया। बौद्ध विहारों में जात-पाँत और धनी-निर्धन का भेद मिट गया जो ब्राह्मणीय शिक्षा में जड़ पकड़ गया था। बौद्ध कॉलेज सभी के लिये खुले थे। यहाँ सभी वर्ग के विद्यार्थियों को अपनी योग्यता और क्षमता के

अनुसार चरित्र विकास का समान सुअवसर प्रदान किया जाता था। धार्मिक और दार्शनिक शिक्षा के अतिरिक्त बौद्ध कालीन शिक्षा सांसारिक भी थी। तत्कालीन शिक्षा पद्धति ने नालन्दा, तक्षशिला तथा विक्रमशिला इत्यादि महान अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं को जन्म दिया जहाँ धार्मिक व सांसारिक सभी प्रकार की उच्च शिक्षा दी जाती थी। देश की तत्कालीन भौतिक सम्पन्नता तथा आध्यात्मिक गुरुता का श्रेय तत्कालीन शिक्षा पद्धति को ही है। शिक्षा जीवन की वास्तविक समस्याओं के साथ मेल रखती थी और उन्हें हल करने का प्रयास करती थी। आधुनिक शिक्षा की भाँति प्राचीन शिक्षा केवल विदेशियों का अनुकरण मात्र नहीं थी। शिक्षा का सार्वजनिक प्रचार था। बुद्ध धर्म की प्रारम्भिक शतान्दियों में स्त्री शिक्षा को प्रयाप्त प्रोत्साहन मिला। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म से सहानुभूति रखने वाले जन-साधारण की शिक्षा की भी व्यवस्था थी क्योंकि यह संघ की भावी निधि समूके जाते थे तथा इन्हीं उपासकों में से बौद्ध भिक्षुओं और आचार्यों का चुनाव होता था।

जीवन में संयम व अनुशासन का संचार करने में भी बौद्ध शिक्षा को पर्याप्त सफलता मिली। आचार्य तथा शिष्य सभी संयम का जीवन व्यतीत करते थे। स्त्रियों का सम्पर्क निषिद्ध था। किन्तु एक बात उल्लेखनीय है कि शरीर को कृश करने अथवा यातना देने में बौद्ध विश्वास नहीं रखते थे। फाह्यान, हानसांग तथा इत्सिग नामक चीनी यात्रियों ने बौद्ध विहारों तथा शिक्षा का अस्खिँ देखा वर्णन लिखा है जिसे पढ़कर हम बौद्ध-शिक्षा की महानता का अनुमान कर सकते हैं। वास्तव में यह बौद्ध शिक्षा का ही प्रभाव है कि हम आज भी चीन, जापान, कोरिया तथा अन्य पूर्वीय देशों से अपने सांस्कृतिक, राजनैतिक व आर्थिक सम्बन्ध स्थापित किये हुए हैं।


पाँचवाँ अध्याय शिक्षा केन्द्र

षष्ठ भूमि

प्राचीन काल में शिक्षा की यह विशेषता थी कि गुरु और शिष्य में पारस्परिक वनिष्ठ सम्बन्ध था और दोनों एक ही स्थान पर मिल कर रहते थे। ब्राह्मणाय शिक्षा के सम्बन्ध में हमने देखा लिया है कि किस प्रकार ब्रह्मचारी गुरुगृह पर रह कर ही विद्याध्ययन करने थे। गुरुगृह ही उनका स्कूल था। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता था। वास्तव में आध्यात्मिक या दार्शनिक विकास के लिये, जैसा कि प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य था, यह आवश्यक भी था कि शिक्षा के वाह्य उपकरणों पर अधिक ध्यान न देकर त्रिविद्यार्थी की आन्तरिक उन्नति की जाय। शिक्षा की इस व्यवस्था के कारण प्राचीन काल में सुमङ्गलित शिक्षा केन्द्र जैसे कि बौद्ध काल अथवा वर्तमान काल में मिलते हैं स्थापित न हो सके। यद्यपि उस युग में भी कुछ मठ अथवा विशाल तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण हो गया था। किन्तु उन क्षेत्रों में भी सामूहिक रूप से आराधना इत्यादि नहीं की जाती थी। यह तीर्थ शिक्षा-केन्द्र अथवा शिक्षा संस्थायें भी नहीं कहला सकते थे। तथापि वैदिक काल में संव, परिषद चरण मठ और गुरुकुल अवश्य स्थापित हो गये थे। वैदिक तथा उपनिषिद साहित्य में हमें ऐसे संघों और परिषदों का उल्लेख मिलता है जहाँ भिन्न भिन्न स्थानों से विद्वान आकर एकत्रित होते थे और उच्चकोटि का शास्त्रार्थ करते थे। जिन स्थानों में गुरुकुलों की स्थापना हो गई थी वहाँ अवश्य सामूहिक रूप से विद्याध्ययन होता था यह गुरुकुल बहुधा गाँवों में ही स्थापित हुए थे। इसके अतिरिक्त बनों में भी गुरुकुलों की स्थापना हुई। किन्तु यह गुरुकुल भी इस प्रकार सङ्गठित और संचालित न थे जैसे आगे चलकर जैन और बौद्ध शिक्षा संस्थायें बनीं। यद्यपि इसमें कोई सन्देह नहीं कि बौद्ध धर्म के सम्पर्क में आने पर हिन्दुओं ने सङ्गठित शिक्षा संस्थायें निर्माण करने में उनका अनुकरण किया और विशाल मठों या मन्दिरों में शिक्षा दी जाने लगी। हिन्दू राजाओं तथा प्रजा ने शिक्षा प्रचार के लिये इन मन्दिरों को दान दिये अतः यह स्थान शिक्षा केन्द्र बन गये। वहाँ क्रमानुसार प्रारम्भिक व उच्च शिक्षा प्रदान की जाने लगी। इसके अतिरिक्त कुछ स्थान ऐसे भी हो गये जहाँ विशेष प्रकार की शिक्षा के केन्द्र स्थापित हो गये जैसे तक्षशिला में आयुर्वेद, धनुर्वेद तथा राजनियम (कानून) का अध्ययन करने के लिये दूर-दूर से राजपुत्र आया करते थे। उज्जयिनी में ज्योतिष तथा काशी में दर्शन व संगीत

भारतवर्ष

प्राचीन-कालीन शिक्षाकेन्द्र
(आदि से १२०० ई० तक)



इत्यादि के केन्द्र थे। दक्षिणी भारत में भी कुछ शिक्षा केन्द्र स्थापित हो गये जैसे बीजापुर जिले में सलोली गाँव में एक विशाल संस्कृत कालेज था। आगे चलकर इसकी इतनी उन्नति हुई कि कॉलेज को सत्ताइस विशाल छात्रावासों का निर्माण करना पड़ा। इसके अतिरिक्त दूसरा हिन्दू कॉलेज एनायरम में था जो ग्यारहवीं शताब्दि में स्थापित हुआ था। तीरुमुक्कुदल, मानकापुरन, धार, तथा पांडुचेरी अन्य केन्द्र थे। अग्रहार ग्राम भी प्राचीन हिन्दू शिक्षा के विशाल केन्द्र थे जिनकी स्थापना दक्षिणी भारत में राजाओं द्वारा विद्वान ब्राह्मणों के उपनिवेश के रूप में हुई थी, बंगाल के टोल भी इसमें उल्लेखनीय हैं। किन्तु यह स्मरणीय है कि इन हिन्दू शिक्षा केन्द्रों की स्थापना बुद्ध केन्द्रों के अनुकरण के स्वरूप ही हुई।

सुसङ्गठित शिक्षा संस्थायें

ऐसी संस्थाओं का प्रारम्भ बौद्ध काल में हुआ। बौद्ध धर्म की स्थापना जनतन्त्रवाद के सिद्धान्तों पर हुई थी जिसमें सर्वसाधारण को उन्हीं की बोलचाल की भाषा में 'धम्म' का उपदेश दिया गया था। अतः प्रारम्भिक शिक्षा के लिये पाली और उच्चतम शिक्षा के लिये संस्कृत की सुसंचालित शिक्षा-संस्थायें स्थापित की गईं। साधारण उपासकों के लिये भी बुद्ध ने संस्थाओं की आवश्यकता का अनुभव किया। अतः मठों की स्थापना हुई यही मठ कालान्तर में बड़े-बड़े शिक्षा विहारों के रूप में परिवर्तित हो गये। इन केन्द्रों में भिक्षु, भिक्षुणी एवं साधारण जनता सभी को विद्याध्ययन के लिये सुअवसर प्रदान किया जाता था। दूर-दूर जनपदों से सभी वर्गों के विद्यार्थी आ आकर यहाँ निशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे, यहाँ तक कि चीन, जापान, तिब्बत तथा अन्य पूर्वी द्वीपों से भी विद्यार्थी बौद्ध धर्म का अध्ययन करने यहाँ आते और यहाँ से ग्रन्थों का अनुवाद करके अपने देशों को ले जाते थे। नालन्दा और तक्षशिला तो विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित हो गये थे। बुद्धकालीन शिक्षा केन्द्रों का प्रबन्ध जनतन्त्र के सिद्धान्तों पर होता था। प्रायः कोई विद्वान भिक्षु ही उसका प्रधान होता था। प्रत्येक विभाग जैसे प्रवेश-परीक्षा, पाठ्यक्रम, छात्रावास, भोजन व्यवस्था, भवन निर्माण, चिकित्सा, पुस्तकालय तथा भिन्न-भिन्न पाठ्य-विषयों के लिये अलग-अलग अध्यक्ष होते थे। अलतेकर ने उल्लेख किया है कि नवीं शताब्दि में एक भिक्षु-ज्ञात्र जोकि जलालाबाद का निवासी था और बिहार में तीर्थयात्रा के लिये आया था, विश्वविद्यालय का प्रिन्सिपल नियुक्त किया गया। इसका अभिप्राय यह है कि स्थानीय या प्रान्तीय मेदभाव की भावना लोगों के हृदय में नहीं थी। इस प्रकार यह बुद्धकालीन सुसंगठित शिक्षा संस्थायें जो देश में मठ, विहार और कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों के रूप में स्थित थीं, देश की सभ्यता की रीढ़ थीं। आज भारत के जो सांस्कृतिक सम्बन्ध एशिया के विभिन्न देशों से स्थापित हैं उसका श्रेय इन्हीं शिक्षा संस्थाओं को है।

अब हम बौद्ध कालीन कुछ प्रमुख शिक्षा केन्द्रों का वर्णन करते हैं। इनमें तक्षशिला, नालन्दा, बलभी, विक्रमशिला, ओदन्तपुरी, नदिषा, मिथिला तथा जगदला विशेष उल्लेखनीय हैं।

(१) तक्षशिला

अत्यन्त प्राचीन काल से तक्षशिला ब्राह्मणीय शिक्षा का केन्द्र रहा था। बुद्ध काल में भी उत्तरी भारत में यह प्रमुख शिक्षा का केन्द्र था। किन्तु पाँचवीं शताब्दि में जब फाह्यान ने तक्षशिला को देखा तो उस समय तक वहाँ विश्वविद्यालय के कोई चिन्ह शेष नहीं थे, और सातवीं शताब्दि में हानसाँग इस विद्या केन्द्र को देखकर बहुत निराश हुआ था।

तक्षशिला प्राचीन काल में गान्धार प्रान्त की राजधानी था। किन्तु इसकी स्थापना का इतिहास उससे भी अधिक प्राचीन है। रामायण में लिखा है कि राजा भरत ने इसे अपने पुत्र 'तक्ष' के नाम पर बसाया था। तक्षशिला के भारत की उत्तरी पच्छिमी सीमा पर स्थित होने के कारण इस पर अनेकों आक्रमण हुए। इन आक्रमणों के परिणाम स्वरूप समय समय पर इसका राजनैतिक स्वरूप बदलता रहा। ईरानी, यूनानी तथा कुषाणों ने इस पर आक्रमण किये और अपने २ राज्य स्थापित किये। अतः यह सहज अनुमान किया जा सकता है कि इन राज्य परिवर्तनों के साथ ही साथ शिक्षा का स्वरूप भी अवश्य बदला होगा।

तक्षशिला में कोई सुसंगठित कालेज या विश्वविद्यालय नहीं बना था। शिक्षा का आधार परिवार प्रणाली था। यहाँ अनेकों विद्वान् आचार्य सैकड़ों विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते थे। इस प्रकार उत्तरी भारत के लिये यह एक दीर्घ शिक्षा केन्द्र हो गया था। बनारस, मिथिला तथा राजगृह इत्यादि स्थानों से विद्यार्थियों के तक्षशिला जाने का वर्णन जातकों में मिलता है। तक्षशिला में प्रधानतः उच्च शिक्षा दी जाती थी। लगभग सोलह वर्ष की अवस्था के विद्यार्थी तक्षशिला पहुँचते थे। वेदत्रयी, वेदान्त, व्याकरण आयुर्वेद, अठारह सिष्य, सैनिक विद्या, ज्योतिष विद्या, कृषि, व्यापार, सर्प-दंश-चिकित्सा तथा तंत्र यहाँ के विशेष अध्ययन विषय थे। व्याकरण-पिता पाणिनी तथा प्रसिद्ध डाक्टर व सर्जन जीवक यहाँ की उपज थे। इन विद्याओं के सीखने के लिये जाति पौति का कोई बंधन नहीं था जैसा कि काशी से एक ब्राह्मण पुत्र के सैनिक विज्ञान सीखने के लिये आने के कथानक से प्रतीत होता है। तक्षशिला यवनों की संस्कृति से भी प्रभावित हुआ था। कुछ आचार्य वहाँ पर ग्रीक भाषा का शिक्षण भी करते थे। ग्रीक युद्ध कला का प्रशिक्षण भी यहाँ होता था। वास्तव में भारतीय युद्ध कला के लिये तो तक्षशिला अत्यन्त प्रसिद्ध था। चिकित्सा शास्त्र का अध्ययनकाल सात वर्ष था। जीवक सात

वर्ष तक तक्षशिला में रहा था। अर्थशास्त्र के रचियता कौटिल्य ने भी अपनी उच्चशिक्षा यहीं प्राप्त की थी।

इस प्रकार कई शताब्दियों तक तक्षशिला ने अपनी ज्ञान ज्योति देश में विकीर्ण की। भाग्य के अनेक चढ़ाव उतारों की अपेक्षा परिवर्तन के भयानक झंझा में भी यह ज्ञान शिखा आलोकित होती रही। अन्त में बर्बर हूणों ने इसे पदाक्रांत कर डाला और इस प्रभा को सदा के लिये बुझा दिया।

(२) नालन्दा

बिहार प्रान्त में पटना से ४० मील दक्षिण-पश्चिम तथा राजगृह से ७ मील उत्तर की ओर नालन्दा नामक प्रसिद्ध बौद्ध-शिक्षा केन्द्र था। प्रारम्भ में यह एक छोटा सा गाँव था और इसका शिक्षा-महत्त्व कुछ भी नहीं था। किन्तु धीरे-२ इसका महत्त्व बढ़ता गया। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य सारोपुत्र की जन्म भूमि होने के कारण इस स्थान का महत्त्व बौद्ध भिक्षुओं के लिये अधिक हो गया। सम्राट अशोक जब सारोपुत्र का चैत्य देखने आये तो उन्होंने एक विहार यहाँ बनवाया। 'इस प्रकार नालन्दा विहार का प्रथम संस्थापक अशोक था।' ईसा की प्रथम शताब्दि में महायान के विकास के समय से इस स्थान का महत्त्व बढ़ने लगा। चौथी शताब्दि तक यह स्थान शिक्षा की दृष्टि से भी प्रसिद्ध हो गया।

जैसा कि नागार्जुन तथा उसके शिष्य आर्यदेव दोनों विद्वानों के अपने जीवन के अधिकतर समय को नालन्दा में ही व्यतीत करने से प्रतीत होता है और यह दोनों अनुमानतः उसी शताब्दि में उत्पन्न हुए थे। किन्तु लगभग पाँचवीं शताब्दि तक भी हम यह नहीं कह सकते कि नालन्दा भारत का सर्वप्रथम शिक्षा-केन्द्र था क्योंकि जब ४१० ई० में फाह्यान यहाँ आया तो नालन्दा शिक्षा की दृष्टि से अधिक महत्त्व नहीं रखता था। इसका वास्तविक उत्थान सन् ४५० ई० से प्रारम्भ होता है। तत्पश्चात् लगभग तीन शताब्दियों तक यह उन्नति के शिखर पर रहा। सातवीं शताब्दि में जब ह्वानसांग यहाँ आया तो उसने नालन्दा को उन्नति की पराक्राण्ट पर पहुँचा हुआ पाया। ह्वानसांग के लेखों से हमें नालन्दा के महत्त्व और वैभव का हाल विदित होता है।

नालन्दा का वास्तविक उत्थान गुप्त सम्राटों के द्वारा हुआ। कुमारगुप्त प्रथम (४१४-४५५ ई०) ने वहाँ एक मठ बनवाया। इसके उपरान्त तथागत गुप्त, नरसिंह गुप्त, बालादित्य, बुद्धगुप्त, बज्र तथा हर्ष ने भी वहाँ मठों की स्थापना की। इस प्रकार इन मठों के निर्मित हो जाने से नालन्दा का विस्तार बहुत बढ़ गया। वही मठ विश्वविद्यालय के प्रमुख भवन में सम्मिलित थे। सम्पूर्ण क्षेत्र एक विशाल ब दृढ़ दीवाल से घिरा हुआ था जिसमें एक प्रवेश द्वार था। इस द्वार पर ही द्वार पंडित का निवास स्थान था जो कि प्रवेश परीक्षा लेता था। द्वार में प्रवेश करते ही

आठ दीर्घ भवन (Halls) मिलते थे जहाँ विद्यार्थियों को सामूहिक भाषण दिये जाते थे। यह भवन संधाराम के मध्य में स्थित थे। इसके अतिरिक्त ३०० कक्षा भवन थे जहाँ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। विश्वविद्यालय के भवन निर्माण की कला अत्यंत उच्चकोटि की थी। इस समय भारत वास्तुकला में अद्वितीय था जिसकी कि प्रतिष्ठाया नालन्दा विहार में देखने को मिलती थी। मुख्य भवन इतना ऊँचा था 'कि विहारावली की शिखर श्रेणी अम्बुधरों (बादलों) को चूमती थी'।^१ यह भवन कई खंडों के थे और इनकी मीनारें अथवा मंदिरों के गुम्बद तो अवश्य ही अत्यंत ऊँचे थे। सम्पूर्ण भवन एक योजना के अनुसार बनाये गये थे। आज भी जो नालन्दा के भग्नावशेष विद्यमान हैं उन्हें देखने से प्रतीत होता है कि उस समय इंजिनियरिंग का कार्य कितने उच्चकोटि का था ! कालेज भवनों के अतिरिक्त नीचे मैदान में सुन्दर व विशाल सरोवर बने हुए थे जिनमें नील कमल कनक पुष्पों में मिलकर सौन्दर्य बढ़ाते थे। इत्सिंग ने लिखा है कि वहाँ १० से अधिक सरोवर थे जिनमें विद्यार्थी जलक्रीड़ा करते थे। इसके अतिरिक्त उसी क्षेत्र में एक विशाल पुस्तकालय भी था जो कि नौ मंजिल का था। इस पुस्तकालय के तीन विभाग थे जो क्रमशः 'रत्न सागर' 'रत्नोदधि' और 'रत्न रंजक' के नाम से प्रसिद्ध थे।^२ सम्पूर्ण पुस्तकालय को 'धर्मगंज' कहते थे। इस पुस्तकालय में सभी धर्मों, विषयों, कलाओं, विज्ञानों तथा कौशलों की अलभ्य पुस्तकों का संग्रह था।

नालन्दा में छात्रावास का भी समुचित प्रबन्ध था। तेरह मठ इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये बने हुए थे जिनमें विद्यार्थियों के निवास के लिये कमरे बने हुए थे। इन कमरों में विद्यार्थियों के सोने के लिये पत्थर की चौकी, पुस्तक रखने को पटिया और दीपक रखने को दीघट का स्थान बना हुआ था। प्रत्येक चौक के कोने में एक कुँआ बना था। भोजन के लिये बड़े २ चौके बने हुए थे जिनमें भोजन पकाने के लिये विहार की ओर से सेवकों का प्रबन्ध था। इन सबके भग्नावशेष खुदाई में मिले हैं।

नालन्दा में विद्यार्थियों के भोजन, वस्त्र व शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था मुफ्त की जाती थी। आधुनिक युग के विश्वविद्यालयों में होने वाले विद्यार्थियों के व्यय और उनके शुल्क इत्यादि को देखते हैं तो बुद्धि हैरान रह जाती है कि किस प्रकार प्राचीन काल में नालन्दा में १०००० विद्यार्थी निशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे। वास्तव में प्राचीन काल में शिक्षा का उत्तरदायित्व राजाओं और प्रजा दोनों पर ही था और दोनों ही मिलकर शिक्षा के निमित्त दान देते थे। नालन्दा

१. यस्यामम्बुधरावलेहि शिखर श्रेणी विहारावली।

मालेबोर्ध्वं विराजिनी विरचिता धात्रा मनोज्ञामुवः। Epigraphia Indica से अक्षतेकर द्वारा उद्धृत।

२. राधा क्रुमद मुकर्जी: ऐशेट इंडियन एज्युकेशन पृष्ठ ५७४.

को २०० गाँव दान में मिले हुए थे और इनकी आय से वहाँ का कार्य चलता था। इसके अतिरिक्त भवन, भूमि और भोजन की कुछ व्यवस्था राजा लोग व्यक्तिगत रूप से भी करते चले आये थे।

इत्सिंग ने, जो नालन्दा में लगभग दस वर्ष रहा, वहाँ की शिक्षा-पद्धति तथा पाठ्य क्रम का प्रत्यक्ष वर्णन लिखा है। नालन्दा महायान बौद्ध शिक्षा का प्रधान क्षेत्र होते हुए भी वहाँ हीनयान, वैदिक शिक्षा तथा जैन धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी। शास्त्रार्थ में विजयी होने के लिये यह आवश्यक था कि सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय। वाद-विवाद या शास्त्रार्थ वहाँ की शिक्षा प्रणाली का एक विशेष अंग था। एक सच्चे जिज्ञासु के लिये भी यह आवश्यक था कि वह सभी धर्मों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त ही दार्शनिक अनुसन्धान करे। यह सभी सुविधायें वहाँ उपलब्ध थीं। इसके अतिरिक्त, वेद, वेदाङ्ग, व्याकरण, ज्योतिष,

शास्त्र, पुराण और चिकित्सा शास्त्र का भी अध्ययन किया जाता था। नालन्दा वास्तव में दार्शनिक शिक्षा का केन्द्र था।

विहार के अन्दर भिक्षुओं, आचार्यों और विद्यार्थियों का जीवन पूर्ण संयमित और सात्विक रहता था। यहाँ के विद्यार्थियों का सम्पूर्ण देश में सम्मान होता था। प्रवेश के समय न केवल भारत के विभिन्न कोनों से ही अपितु विदेशों से भी विद्यार्थी यहाँ आ आकर इकट्ठे होते थे। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, सुमात्रा तथा जावा एवं लङ्का के झुंड के झुंड विद्यार्थी बौद्ध धर्म का अध्ययन करने नालन्दा में आते थे। विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिये लगभग १५०० विद्वान शिक्षकों का प्रबन्ध था। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास का ध्यान रखा जाता था। शिक्षा पद्धति प्रायः वही थी जो ब्राह्मणीय शिक्षा में थी। लेखन कला इस समय तक पर्याप्त विकसित हो चुकी थी। ग्रन्थ अवलोकन के अतिरिक्त विद्यार्थी शिक्षकों तथा विद्वानों के भाषण सुनकर भी ज्ञान वर्धन करते थे। वादविवाद प्रणाली का उल्लेख हम ऊपर कर ही आये हैं। दिन में लगभग १०० भाषणों की प्रतिदिन व्यवस्था की जाती थी जिन्हें सुनना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य था। आचार्यों की प्रसिद्धि सर्वविधित थी। हानसांग कुछ शिक्षकों के नामों का भी उल्लेख करता है जिनमें चन्द्रपाल, धर्मपाल, गुणमति, स्थिरमति, प्रभामित्र, ज्ञानचंद्र तथा शीलभद्र इत्यादि अधिक प्रसिद्ध हैं। इस विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर जावा के सम्राट बलपुत्रदेव ने भी यहाँ एक मठ बनवाया।

इस प्रकार नालन्दा विद्या का एक प्रसिद्ध केन्द्र था जो कई शताब्दियों तक भारत में ज्ञान का प्रकाश फैलाता रहा। भारत की प्राचीन संस्कृति को विकीर्ण, विकसित तथा सुदृढ़ करने में इसका बड़ा हाथ रहा। भारतीय दर्शन कला तथा सभ्यता का यह प्रतीक लगभग ८०० वर्ष तक एक गौरवशाली जीवन व्यतीत करने के उपरान्त १२वीं शताब्दि के अन्त में मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी की बर्बरता

का आखेट हुआ। यहाँ के विशाल भवन तथा अमूल्य पुस्तकालय अग्नि में भस्म कर दिये गये तथा भिन्न-भिन्न और विद्यार्थियों का बंध कर डाला गया। इस प्रकार एक दोर्घ काल से जलने वाला ज्ञान प्रदीप जिसे मानव ने अपने जीवन-स्नेह से सुग-युगों से प्रज्वलित रक्खा था सदा के लिये बुझ गया।

(३) वलभी

वलभी बौद्ध कालीन भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केन्द्र था। यह काठियावाड़ में मैत्रक सम्राटों की सन् ४७५ से ७७५ ई० तक राजधानी रहा। वलभी को प्रसिद्धि तथा शिक्षा महत्त्व के दृष्टि कोण से नालन्दा का प्रतिद्वन्दी कहा जा सकता है। यहाँ पर विशाल मठ और विहार बने हुए थे। हानसांग जब यहाँ आया था उस समय वलभी में लगभग १०० संघाराम बने हुए थे। इस्तिग ने भी वलभी को भारत के पच्छिमी किनारे पर नालन्दा के समान ही महत्त्वशाली पाया था जहाँ भारत के प्रत्येक कोने से विद्यार्थी उच्चशिक्षा के लिये आते थे। उच्चशिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त यह विद्यार्थी राजदरबारों में उच्च पदों पर नियुक्त किये जाते थे। इससे विदित होता है कि वलभी केवल धार्मिक शिक्षा का केन्द्र ही नहीं था अपितु वहाँ अर्थशास्त्र, राजनियम, नीति, तथा चिकित्साशास्त्र का भी अध्ययन किया जाता था। यहाँ बौद्ध धर्म की दूसरी शाखा हीनयान का भी भिन्न अध्ययन करते थे।

ईसा की ७ वीं शताब्दि में वलभी अपनी शिक्षा के लिये पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर चुका था। यद्यपि इससे पूर्व इसका समुद्री व्यापार के लिये भी बड़ा महत्त्व था। यहाँ बड़े-बड़े धनवान व्यापारी रहते थे। यही व्यापारी शिक्षा के संरक्षकों की भूमि कार्य करते थे। मैत्रकों ने भी विश्वविद्यालय को समय समय पर अनुदान दिये प्रधानतः पुस्तकालय के लिये। इस प्रकार शिक्षा का प्रचार करते हुए यह विश्वविद्यालय लगभग १२ वीं शताब्दि तक स्थापित रहा। तदुपरान्त विदेशियों के आक्रमण से यह विध्वंस हो गया।

(४) विक्रमशिला

विक्रमशिला विहार की स्थापना सम्राट् धर्मपाल ने ८ वीं शताब्दि में की थी। यह एक पहाड़ी चट्टान के ऊपर गंगा नदी के तट पर मगध में बसा हुआ था। कला की दृष्टि से विक्रमशिला विहार अत्यंत ही उच्चकोटि का था। इसके चारों ओर एक सुदृढ़ प्राचीर थी। मध्य में महाबोधि का मंदिर था तथा इसके अतिरिक्त १०८ मंदिर और थे।^१ विक्रमशिला में धर्मपाल ने कई विशाल हॉल बनवाये थे जहाँ शिक्षण कार्य होता था। इनकी प्राचीरों पर सुन्दर चित्र बने हुए थे।

विक्रमशिला की ख्याति शीघ्र ही फैल गई। यहाँ के शिक्षक अत्यंत ही विद्वान

^१ राधा कुमुद मुकर्जी: ऐशेंट इंडियन एज्युकेशन पृष्ठ ५८७।

और उच्चकोटि के दार्शनिक थे। विक्रम शिला की ख्याति तिब्बत तक पहुँची। लगभग चार शताब्दियों तक तिब्बत के विद्यार्थी विक्रमशिला में उच्च शिक्षा के लिये आते रहे। उन्होंने यहाँ के संस्कृत के धार्मिक ग्रन्थों के अनुवाद तिब्बत की भाषा में किये और अपने देश में जाकर यहाँ की संस्कृति का प्रसार किया। विक्रम शिला का प्रसिद्ध विद्वान दीपंकर श्रीशान भी तिब्बत गया था। वहाँ जाकर उसने धर्म प्रचार का कार्य भी किया था।

विक्रम शिला विश्वविद्यालय का प्रबन्ध उच्चकोटि का था। शिक्षा का कार्य एक विद्वानों की बोर्ड के सुपुर्द था। ऐसा कहा जाता है कि यही बोर्ड नालन्दा के शासन को भी चलाता था। शासन प्रबन्ध का अधिष्ठाता एक विद्वान भिच्छु होता था। कार्य के भिन्न २ विभाग विभिन्न अधिकारियों के अन्तर्गत थे। विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय विद्यार्थी की परीक्षा ली जाती थी। प्रमुख भवन की प्रत्येक दिशाओं में द्वार थे और इन्हीं द्वारों पर द्वार-पंडित नियुक्त थे। यही द्वार पंडित प्रवेश-परीक्षा लेते थे जिसमें उत्तीर्ण होने पर ही विश्वविद्यालय में प्रवेश हो सकता था। राधाकुमुद मुकर्जी ने इन पंडितों के नाम भी उल्लिखित किये हैं:—

१. रत्नाकर शान्ति, पूर्व द्वार
२. बनारस का वागीश्वर कीर्ति, पश्चिम द्वार
३. नरोप, उत्तर द्वार
४. प्रशकर्मति, दक्षिण द्वार
५. काश्मीर का रत्नवज्र, प्रथम मध्य-द्वार
६. ज्ञान भी मित्र, द्वितीय मध्य-द्वार।

इसके अतिरिक्त विक्रम शिला का एतिहासिक वर्णन हमें तिब्बत के विद्यार्थियों और इत्सिंग के लेखों से मिलता है। यहाँ प्रधानतः सांसारिक विद्याओं का अध्ययन किया जाता था। व्याकरण, तर्क शास्त्र, तंत्रवाद तथा दर्शन शास्त्र अध्ययन के प्रमुख विषय थे। अधिक कौतूहल की बात तो यह है कि इस विश्वविद्यालय में परीक्षा के प्रमाण-पत्र भी मिलते थे जैसा कि अन्य किसी प्राचीन कालीन भारतीय विश्व-विद्यालय में नहीं होता था। इससे प्रमाणित होता है कि इस विश्वविद्यालय का संगठन अधिक सुव्यवस्थित था।

इस प्रकार एक दीर्घ-काल तक विक्रम शिला “विद्या-सम्राज्ञी” रही। तेरहवीं शताब्दि के प्रारंभ में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया और इसको युद्ध सम्बन्धी गढ़ समझ कर इस पर आक्रमण कर दिया। सम्पूर्ण भिच्छुओं और ब्राह्मणों के सर कटवा डाले गये। पुस्तकालय की सभी पुस्तकें एकत्रित करके जलादी गईं। जलाने से पूर्व जब उन्हें पढ़वाया गया तब आततायियों को विदित हुआ कि यह तो एक कोशिका था। यहाँ का अधिष्ठाता भिच्छु भी भद्र जगहला होता हुआ तिब्बत

पहुँचा जहाँ उसने धर्म-प्रचार का कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार यह महान विद्या केन्द्र मुसलमानों की बर्बरता से विध्वंस हो गया।

(५) ओदन्त पुरी

मगध में पाल सम्राटों के अस्तित्व में आने से पूर्व ही इस विश्वविद्यालय का अस्तित्व हो चुका था। पाल सम्राटों ने इसका और भी अधिक विस्तार किया। उन्होंने यहाँ एक वृहत् पुस्तकालय की स्थापना की जिसमें ब्राह्मणीय और बौद्ध साहित्य की पुस्तकों का संग्रह था। ओदन्तपुरी की इतना ख्याति नहीं थी जितनी विक्रम शिला या नालन्दा की थी। तथापि यहाँ लगभग १००० भिक्षु निवास करते व शिक्षा पाते थे। बुद्ध धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार करने में ओदन्तपुरी का भी पर्याप्त श्रेय रहा है। तिब्बत से भी विद्यार्थी आकर यहाँ विद्याध्ययन करते थे। इसी के आधार पर तिब्बत को प्रथम बौद्ध विहार बनाया गया।

(६) मिथिला

मिथिला का प्राचीन नाम विदेह था। अनन्तकाल से यह ब्राह्मणीय शिक्षा का केन्द्र था। राजा जनक यहाँ उपनिषद् युग में धार्मिक शास्त्रार्थ किया करते थे जहाँ देश के भिन्न २ भागों से विद्वान ऋषि आकर शास्त्रार्थ करते थे। बौद्ध युग में भी मिथिला ने अपनी परम्परा का निर्वाह किया। जगद्धर नामक विद्वान जिसने गोता टोका, देवी महात्म्य, मेघदूत, गीत गोविन्द तथा मालती माधव इत्यादि रचनाओं पर टीका की हैं तथा कवि विद्यापति जिनकी सरस कविताओं से बंगाल और विहार के कवियों ने युगों से प्रेरणा ली है, यहीं पर उत्पन्न हुए थे। १२ वीं शताब्दि से लेकर १५ वीं शताब्दि तक मिथिला विद्या का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा। साहित्य व ललित कलाओं के अतिरिक्त वहाँ वैज्ञानिक विषयों का भी अध्ययन होता था। न्याय का एक प्रसिद्ध कॉलेज मिथिला में था। गंगेश उपाध्याय ने 'नव्य न्याय' के स्कूल को जन्म दिया। यहाँ पर उसकी युग निर्माणक रचना 'तत्व चिन्तामणि' लिखी गई। मिथिला में अनेकों विद्वानों ने जन्म लिया। यहाँ तक कि मुगल सम्राट् अकबर के समय में भी मिथिला विद्या का एक प्रसिद्ध केन्द्र था। मिथिला अखिल भारतीय ख्याति का शिक्षा केन्द्र था। न्याय तथा तर्क-शास्त्र के लिये यह विशेष प्रसिद्ध था। अध्ययन समाप्त होने पर यहाँ विद्यार्थी की अन्तिम परीक्षा लिये जाने की प्रथा थी जो 'शलाका परीक्षा' के नाम से विख्यात थी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही स्नातक को उपाधि दी जाती थी।

(७) नदिया

नदिया या नवद्वीप बंगाल के सेन सम्राटों के द्वारा ग्याह्रवीं शताब्दि के मध्य में बसाया गया था। पूर्वी बंगाल में भागीरथी तथा जलांगी के संगम पर प्रकृति

की शोभा में यह स्थान बसा हुआ था। आज भी इसके प्राचीन भग्नावशेष देखे जा सकते हैं जो इसके अतीत के इतिहास की गौरव गाथा कहते हैं। समय-समय पर यहाँ विद्वानों ने जन्म लिया है। जयदेव के गीत गोविंद की वाणी अब भी लोगों के कानों में गूँजती है। उमापति की कवितायें तथा शूलपाणि का 'स्मृति-विवेक' अमर रचनायें हैं। मुसलमान शासकों के युग में भी नदिया हिन्दू शिक्षा का एक प्रसिद्ध केन्द्र रहा। तर्क-शास्त्र, व्याकरण, नीति और कानून के लिये यह विशेष उल्लेखनीय है। नालन्दा तथा विक्रम शिला का पतन होने से नदिया का महत्त्व और भी अधिक बढ़ गया और वहाँ हिन्दू शिक्षा का एक विशाल केन्द्र स्थापित हो गया। रघुनाथ शिरोमणि ने वहाँ तर्कशास्त्र का एक स्कूल स्थापित किया था। वासुदेव सार्वभौम नामक विद्यार्थी जो मिथिला में न्याय व तर्कशास्त्र में विशेषता प्राप्त करने गया था वहाँ से तत्व-चिन्तामणि को कंठाग्र कर लाया क्योंकि मिथिला की यह जटिल परम्परा थी कि वहाँ से किसी विद्यार्थी को न पुस्तकें हटाने की और न उनकी प्रतिलिपि और अनुवाद करने की ही आज्ञा थी। इस वासुदेव सार्वभौम ने ही नदिया में तर्कशास्त्र का सूत्रपात किया था। आगे चलकर उसके शिष्य रघुनाथ शिरोमणि ने न्याय की एक नवीन विचारधारा चलाई जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है।

इस प्रकार नदिया देश में शिक्षा का प्रचार करता रहा। मध्य युग में भी इसका महत्त्व रहा। आधुनिक युग में वहाँ टोल-पद्धति से प्राचीन शिक्षा दी जाती है। "सन् १८१६ ई० में वहाँ ४६ स्कूल और ३८० विद्यार्थी थे। किन्तु सन् १८१८ ई० में ३१ स्कूल तथा विद्यार्थियों की संख्या ७४७ का अनुमान वार्ड ने किया था..... वार्ड ने जो ३१ स्कूल पाये उनमें से १७ में तर्कशास्त्र, ११ में कानून, तथा शेष ३ में क्रमशः काव्य ज्योतिष एवं व्याकरण का शिक्षण होता था।"^१

(८) जगहला

बंगाल के सम्राट् रामपाल ने ग्यारहवीं शताब्दि के प्रारम्भ में गंगा तट पर रामावती नामक नगर बसाया जहाँ उसने एक विहार बनवाया जिसे उसने जगहला के नाम से पुकारा। यह जगहला लगभग १०० वर्ष तक बौद्ध शिक्षा का केन्द्र रहा और सन् १२०३ ई० में मुसलमानों ने इसे नष्ट कर दिया। तिब्बत के विद्यार्थियों ने भी यहाँ आकर संस्कृत के ग्रन्थों का अनुवाद किया। यहाँ पर अनेक पंडित, महापंडित, उपाध्याय और आचार्य रहते थे। इनमें विभूतिचन्द्र,

^१के: इन्डियन ऐज्युकेशन पुष्ठ १४६, १४७.

दानशील, शुभकर तथा मोक्षाकर गुण अधिक प्रसिद्ध हैं। जगद्गुरु भीतिर्कशास्त्र तथा तंत्रवाद के लिये उल्लेखनीय है।

इन प्रसिद्ध शिक्षा केन्द्रों के अतिरिक्त देश में अन्य भी छोटे २ विद्या केन्द्र थे जिनका प्रादुर्भाव बौद्ध काल में हुआ। हानसांग और इत्सिंग नामक चीनी यात्रियों ने उत्तरी भारत का दौरा किया और स्थान २ पर उन्होंने मठ और विहारों को पाया। यही विहार और मठ बौद्ध शिक्षा के केन्द्र थे और सम्पूर्ण देश में छाये हुए थे। बिहार और बंगाल इनके प्रमुख क्षेत्र थे।

द्वितीय खंड

मध्य-कालीन शिक्षा

छटा अध्याय

१-मुस्लिम-शिक्षा

भूमिका

ईसा की आठवों शताब्दि के प्रारम्भ में भारत में मुसलमानों के आक्रमण शुरू हो गये थे। महमूद गजनवी ने भारत की लूट करके उस रुपये से गजनी में मदरसे व पुस्तकालय खोले उसके उपरान्त जब से मुसलमान शासक भारत में स्थाई रूप से शासन करने लगे, उन्होंने यहाँ एक नवीन शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया। जैसा कि पिछले अध्यायों में वर्णन किया जा चुका है, उस समय भारत में प्राचीन ब्राह्मणीय तथा बौद्ध शिक्षा का प्रचलन था। यह शिक्षा देश के कौने २ को आलोचित कर रही थी किन्तु बख्तियार, अलाउद्दीन, फीरोज तथा औरंगजेब जैसे शासकों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति व शिक्षा को विध्वंस करने के प्रयास किये। बख्तियार ने बौद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट करके उनके स्थान पर इस्लामी शिक्षा का प्रचार किया।

इस प्रकार शाही प्रयत्नों तथा कुछ व्यक्तिगत धनिकों के प्रयत्नों के कारण भारतीय शिक्षा का रूप बदलने लगा। तत्कालीन हिन्दू शिक्षा भी इस नवीन शिक्षा प्रणाली से प्रभावित हुए बिना न रह सकी यहाँ तक कि बहुत से हिन्दू भी अरबी व फारसी के प्रकांड पंडित होने लगे और मुसलमान शासकों के दरबारों में उच्च पदों पर आसीन होने लगे। यह मुसलमानों शिक्षा भी हिन्दू शिक्षा से प्रभावित हुई प्रधानतः दर्शन, चिकित्सा तथा औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में। मुसलमानी शिक्षा को एक प्रकार से तीन भागों में विभाजित कर दिया गया। (१) मकतब (प्रारम्भिक शिक्षा)। (२) उच्चतर मकतब और (३) मदरसा (उच्च शिक्षा)। इस प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित होकर सम्पूर्ण देश में इस शिक्षा पद्धति का जाल सा बिछने लगा। इसी की क्रमिक प्रगति का वर्णन आगे के पृष्ठों में किया जायगा।

उद्देश्य

भारत में इस्लामी शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य रहे हैं। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर यहाँ पर शिक्षा का प्रसार किया गया। इतना अवश्य रहा है कि भिन्न २ व्यक्तियों के साथ में शिक्षा प्रसार के उद्देश्यों में परिवर्तन अवश्य हुआ है तथा अकबर और औरंगजेब के शिक्षा प्रसार के उद्देश्य सर्वथा भिन्न थे। जबकि अकबर का

उद्देश्य देश में राजनैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक साम्य उत्पन्न करके एक नवीन राष्ट्र का संगठन करना था, वहाँ औरंगजेब का एक मात्र उद्देश्य हिन्दू संस्कृति व शिक्षा को नष्ट करके केवल इस्लामी शिक्षा व सिद्धान्तों का प्रचार करना था। संक्षेप में इस्लामी शिक्षा के उद्देश्यों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं।

१. इस्लामी शिक्षा का सर्व प्रथम उद्देश्य इस्लाम के बन्दों में ज्ञान का आलोक फैलाना है। पैगम्बरों के अनुसार ज्ञान अमृत है और इसके बिना मुक्ति नहीं। यही कारण था कि हजरत मुहम्मद ने ज्ञानार्जन अनिवार्य बतलाया और शिक्षा के द्वारा धर्म और अधर्म तथा कर्तव्य और अकर्तव्य का भेद जानने का आदेश दिया और शिक्षा प्रत्येक सच्चे मुसलमान के लिये अनिवार्य कर दी।
२. शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य था धर्म का प्रचार करना। इस्लाम का प्रचार एक धार्मिक कर्तव्य माना गया है और इसका प्रचार करने वाला ही ग़ज़ी होता है ऐसा विश्वास इनमें था। अतः शिक्षा के द्वारा एक विशाल स्तर पर भारत में धर्म-प्रचार किया गया। मकतबों में प्रारम्भ से ही कुरान का अध्ययन कराया जाता था तथा इस्लाम के मूल भूत सिद्धान्तों से परिचित कराया जाता था। मदरसों में भी धर्म, दर्शन, साहित्य तथा इतिहास के रूप में इस्लाम की शिक्षा दी जाती थी। मुसलमान शासकों ने इसी धार्मिक भावना से प्रेरित होकर भारत में शिक्षा को संरक्षण दिया और उसे पूर्णरूप से अपना लिया। स्कूलों का बनवाना उतना ही पवित्र कार्य हो गया जितना कि मसजिदों का निर्माण। यहाँ तक कि मसजिद और उसके साथ एक मकतब अनिवार्यतः बनने लगा। मुसलमान फकीरों और धार्मिक प्रवृत्ति वाले शासकों व नागरिकों सभी ने विद्यार्थियों और गुरुओं को पवित्र माना यहाँ तक कि कुछ ने मृत्युपरान्त मदरसों में अपने मजार बनवाने की इच्छायें प्रकट कीं। साधारण शिक्षा को वह मुस्लिम धार्मिक शिक्षा का अभिन्न अंग मानते थे। इस धार्मिक भावना की तीव्रता के कारण ही उन्होंने प्राचीन बौद्ध तथा अन्य हिन्दू मन्दिरों, विद्यालयों तथा शिक्षा केन्द्रों को नष्ट किया और उनके स्थान पर मसजिदें तथा मदरसे बनवाये।
३. तीसरा उद्देश्य था लोगों में इस्लाम के अनुसार एक विशेष प्रकार की नैतिकता का विकास करना तथा प्राचीन इस्लामी कानून, सामाजिक प्रथाओं और विशेष राजनैतिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना।
४. इनके अतिरिक्त इस्लामी शिक्षा का उद्देश्य था सांसारिक वैभव प्राप्त करना। इस्लामी शिक्षा की यह एक दुर्बलता थी कि इसे प्रोत्साहन देने के

लिये अथवा उसमें विद्यार्थियों की रुचि बनाये रखने के लिये उन्हें उच्च पद, सम्मान, तमगो तथा जागारों इत्यादि प्रदान की जाँय। अतः समय-समय पर मुसलमान शासकों ने विद्यार्थियों को सेना में सेनापति या सिपहसालार इत्यादि अथवा नागरिक शासन में काजी या जज या राज्य संचालन में वज़ीर इत्यादि पदों पर नियुक्त करके विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। यहाँ तक कि इन बातों का लाभ उठाने के लिये बहुत से हिन्दू भी इस्लामी शिक्षा पाने लगे और फारसी भाषा के प्रकांड विद्वान होकर राज्य में उच्च पदों पर नियुक्त किये गये। इस प्रकार शिक्षा द्वारा भावी जीवन के लिये तैयार करना इस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था।

५. अन्त में इस्लामी शिक्षा का उद्देश्य एक प्रकार से राजनैतिक भी था। मुसलमान एक ऐसे देश में आगये थे जिसकी सभ्यता, संस्कृति तथा राजनैतिक ज्ञान उनसे कहीं अधिक उच्चकोटि का था। अतः उन्हें एक ऐसी राजनैतिक अवस्था उत्पन्न करना आवश्यक हो गया जिसके द्वारा उनका शासन स्थायी रूप से संभव हो सके। अकबर को हम इसी उद्देश्य को लेकर शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए पाते हैं।

राज्य संरक्षण और शिक्षा-प्रसार

आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ था। उस समय देश में बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी तथा ब्राह्मणीय शिक्षा भी भिन्न २ स्थानों में विद्यमान थी। देश में उस समय पर्याप्त शिक्षा प्रचार था। जैसा कि पिछले अध्यायों में कहा जा चुका है। बिहार में नालन्दा तथा पश्चिम में वलभी प्रसिद्ध विद्या के केन्द्र थे जो कि सम्पूर्ण देश में उच्चकोटि की शिक्षा विकीर्ण कर रहे थे। इसके अतिरिक्त उत्तरी भारत में काशी और विक्रम शिला में भी प्रसिद्ध विश्व-विद्यालय थे जिनका उल्लेख पीछे किया जा चुका है। मालवा प्रान्त में धार एक प्रमुख विद्या केन्द्र था। किन्तु प्रारम्भिक मुसलमान आक्रमणकारियों ने भारतीय शिक्षा के लिये कोई प्रयास नहीं किया। महमूद गजनवी यद्यपि शिक्षा व कला का प्रेमी था और उसने भारतीय धन से गजनी में विद्या की उन्नति की किन्तु भारतीय शिक्षा के लिये उसने कोई प्रयत्न नहीं किया। वह तो वास्तव में भारतीय धन सम्पत्ति की लूट के लिये आया था। उसके उपरान्त सन् ११६२ ई० में मुहम्मद गोरी ने भारत में मुसलमान साम्राज्य की नींव डाली। उसने अजमेर में मंदिर तुड़वाकर मस्जिद और कालेज बनवाये। उसके एक प्रमुख सिपहसालार बख्तियार ने दक्षिणी भारत पर आक्रमण किया और विक्रम-शिला इत्यादि बौद्ध विश्व-विद्यालयों को विध्वंस करके भारतीय शिक्षा व संस्कृति को महान क्षति पहुँचाई। बख्तियार ने कुछ मदरसों का निर्माण भी कराया। उसके

उपरान्त गुलामवंश के शासकों में इल्तुमश, रजिया तथा बलवन ने भी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। इन सुलतानों में से कुछ साहित्य शिक्षा तथा कला के संरक्षक थे और अपने दरबारों में धर्माचार्यों, कलाकारों, इतिहासकारों और कवियों को मरत्तण देते थे। बलवन स्वयं ऐसा शासक था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी जो कि अपनी फारसी कृतियों के लिये भारत के बाहर भी ख्याति प्राप्त कर चुके थे उसी के समकालीन थे। इस प्रकार १३ वीं शताब्दि में धर्म, साहित्य तथा इतिहास और कथा साहित्य की पर्याप्त रचना हुई। दहली के सुलतानों ने मुसलमान जनता की शिक्षा का प्रबन्ध भी किया। प्रायः सभी मुसलमानों की बस्तियों में दो मकतबों की व्यवस्था थी। इन सुलतानों ने मदरसों अर्थात् कालेजों की स्थापना भी कराई और उदारता पूर्वक उनके लिये अनुदान दिया। इल्तुमश ने एक कालेज देहली और एक मुल्तान में बनवाया। एक बात स्मरणीय है कि सांस्कृतिक उन्नति की व्यवस्था प्रधानतः उच्च वर्ग के लोगों के लिये थी और जन-साधारण का मानदंड गिरता जा रहा था।

खिलजी साम्राज्य में जलालुद्दीन स्वयं विद्वान था। उसने शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। किन्तु अलाउद्दीन खिलजी के समय में शिक्षा को बहुत आघात लगा। उसने राज्य की ओर से शिक्षा संस्थाओं को दिया जाने वाला अनुदान बंद करा दिया। तथापि बरनी ने उल्लेख किया है कि “सबसे आश्चर्यजनक बात जो लोगों ने अलाउद्दीन की सल्तनत में देखी वह थी भिन्न २ राष्ट्रों के महान पुरुषों, विज्ञान-वेत्ताओं तथा पारंगत व कुशल कलाकारों का राजधानी में जमवट। दिल्ली राजधानी इन अद्वितीय विद्वानों की उपस्थिति के कारण बगदाद की ईर्ष्या, काहिरा की प्रतिद्वन्द्वी और कुस्तुनुनियों के समकक्ष बन गई थी।”

तुगलकवंश ने शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। गयासुद्दीन और मुहम्मद तुगलक शिक्षा प्रेमी थे तथा स्वयं विद्वान थे। मुहम्मद के दरबार में कवि, दार्शनिक, चिकित्सक तथा तर्कशास्त्री रहते थे। वह उनसे शास्त्रार्थ करता था। मौलाना मुईउद्दीन उमरानी उसके समय का सर्वप्रसिद्ध साहित्यकार था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों को वजीफे दिये तथा मकतब निर्माण कराये। फीरोज के समय में दिल्ली विद्या का एक केन्द्र बन गई। वह विद्वानों को आर्थिक सहायता द्वारा प्रोत्साहन देता था; यहाँ तक कि उसके यहाँ १८ हजार दास बालक शिक्षा पाते थे।^१ उसने लगभग ३० कालेज बनवाये जहाँ शिक्षक और विद्यार्थी साथ २ रहते थे। प्रत्येक मदरसे में जो कि मसजिद के साथ जुड़ा होता था स्थायी रूप से एक शिक्षक नियुक्त कर दिया और उदारतापूर्वक इन संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की। जियाउद्दीन बरनी और शम्सेशिराज ने अपनी रचनायें फीरोज के संरक्षण में ही

^१ एफ० ई० के—इंडियन एज्युकेशन पृष्ठ ११४

कीं। सुल्तान ने स्वयं अपनी आत्मकथा 'फतूहाते फारोजशाही' लिखी। काँगड़ा विजय के उपरान्त उसके हाथ एक विशाल पुस्तकालय लग गया था जिसमें संस्कृत की अमूल्य पुस्तकों का विशाल संग्रह था। फारोज ने उस पुस्तकालय का अखंड पुस्तकों का अनुवाद फारसी में कराया। इस प्रकार फारोज के व्यक्तिगत विद्यानुराग के कारण उस समय मुसलमानी शिक्षा, नीति, धर्म तथा साहित्य की पर्याप्त उन्नति हुई।

किन्तु फारोज की मृत्यु के उपरान्त बहुत से सूबेदार स्वाधीन हो गये। उन्होंने भी अपने छोटे २ राज्यों में शिक्षा प्रसार के लिए सराहनीय प्रयत्न किये। दक्षिण में बहमनी वंश के सुल्तानों ने बहुत से मकतब और मदरसे बनवाये। महमूद गावाँ ने बीदर में एक विशाल कॉलेज का निर्माण कराया जिसमें सहस्रों पुस्तकों से सुसज्जित एक पुस्तकालय भी था। इस्लामी शिक्षा का प्रचार करने के लिये गाँवों में भी स्कूल खोले गये। बहमनी राज्य में शिक्षा का मानदंड भी पर्याप्त ऊँचा हो गया। इसके अतिरिक्त बीजापुर, गोलकुंडा, मालवा, खानदेश, जौनपुर, मुल्तान, गुजरात और बगाल भी विद्या के प्रमुख केन्द्र बन गये। जौनपुर उम युग में अपनी कला, साहित्य, और उच्चकोटि की विद्या के लिये सर्व-प्रसिद्ध था। कुछ सरदार तथा सम्पत्तिवान व्यक्तियों ने भी प्रारम्भिक अथवा धार्मिक शिक्षा के प्रचार के लिये मदरसे खुलवाये। कुछ विद्वान शिक्षक अपने घरों पर भी बालकों को शिक्षा देते थे।

बाबर के आक्रमण के समय उत्तरी भारत में शिक्षा का कुछ हास हो चुका था। बाबर यद्यपि स्वयं विद्वान व कवि था, तथापि अपने संक्षिप्त शासन काल में शिक्षा के लिये कुछ भी न कर सका। किन्तु सैयद मकबरअली जो बाबर का एक वजीर था उसकी तवारीख के द्वारा विदित होता है कि जन-निर्माण विभाग (शहराते आम) का एक प्रमुख कार्य स्कूल और कालेज निर्माण कराना भी था। हुमायूँ ने अवश्य दिल्ली में एक विशाल कॉलेज निर्माण कराया और शेख हुसैन को इसका प्रिंसिपल नियुक्त किया। सम्राट् ने दिल्ली में एक पुस्तकालय भी खुलवाया तथा शेरशाह के विलास-महल को एक पुस्तकालय के रूप में बदल दिया। हुमायूँ के मकबरे में भी एक कालेज खोला गया। "यह कालेज जो कि मकबरा की छत पर था एक समय में कुछ महत्त्व की संस्था था तथा विद्वान और प्रभावशाली व्यक्ति वहाँ पर शिक्षण कार्य के लिये नियुक्त किये जाते थे।" हुमायूँ स्वयं विद्याध्ययन से रुचि रखता था और उसके प्रिय विषय भूगोल और ज्योतिष थे।

शेरशाह सूरी ने नारनौल में एक कॉलेज खुलवाया तथा जन-साधारण की शिक्षा का प्रबन्ध किया। प्रधानतः उस समय भारत में शिक्षा का अर्थ इन शासकों

द्वारा मुसलमानी शिक्षा से लिया जाता था जिसमें कुरान का अध्ययन तथा थोड़ा लिखना पढ़ना और व्यवहारिक हिसाब किताब होता था ।

हुँमायूँ की मृत्यु के उपरान्त अकबर भारत का सम्राट् हुआ । अकबर के शासन काल से मध्य-कालीन शिक्षा में एक नये युग का आरम्भ होता है । यद्यपि वह स्वयं निरक्षर था किन्तु एक कुशाग्र बुद्धि विद्वान था । उसके समय में भारत में शिक्षा, ललितकला, साहित्य, दर्शन, और इतिहास की बहुत उन्नति हुई । उसके दरबार में विद्वान रहते थे जिनसे अकबर शास्त्रार्थ करता था । उसने भिन्न २ धर्मों के विद्वानों को संरक्षण दिया और इस प्रकार ज्ञान प्रसार में एक महान सहयोग दिया । अकबर ने अबुलफजल जैसे विद्वान मंत्रियों की सलाह से जन-साधारण की शिक्षा के लिये नियम व पाठ्य-क्रम बनाये । परम्परागत शिक्षा-विधि में भी अकबर ने राज्याज्ञा द्वारा सुधार किये तथा मुसलमान जनता के सुधार के लिये पाठ्य-क्रम में भी परिवर्तन कराया । उसने राजधानी में एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण भी कराया जिसमें भिन्न २ धर्मों, साहित्यों और दर्शन शास्त्र के उच्च कोटि के ग्रन्थों का संग्रह था तथा आगरा, फतहपुर सीकरी तथा अन्य स्थानों पर मदरसे बनवाये । उसने असंख्य संस्कृत ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद भी कराया, वह स्वयं इन ग्रन्थों को पढ़वा कर सुनता था। हिन्दुओं ने राज्य सेवा का लाभ लेने के लिये फारसी तथा अरबी भाषा का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया था यहाँ तक कि अकबर के समय में उसकी धर्म-सहिष्णुता की नीति के कारण हिन्दुओं ने फारसी पढ़ने में विशेष रुचि दिखाई । हिन्दू बालकों की शिक्षा के लिये भी अकबर ने स्कूल खुलवाये । जहाँगीर यद्यपि अकबर के समान शिक्षा प्रेमी नहीं था तथापि वह विद्वान था और विद्वानों को प्रोत्साहन देता था । पुस्तकों से उसे बड़ा प्रेम था । जहाँगीर चित्रकला का संरक्षक था । उसने शिक्षा प्रसार के लिये राजाज्ञा जारी की थी कि किसी भी धनवान नागरिक अथवा यात्री के विना उत्तराधिकारी छोड़े हुए मरने पर उसकी सम्पत्ति राज्य में मिला दी जाय और वह धनराशि शिक्षा की उन्नति, मदरसों के निर्माण तथा उनकी मरम्मत में व्यय की जाय । गद्दी पर बैठते ही जहाँगीर ने “ऐसे मदरसों की मरम्मत भी करवाई जो कि तीस वर्षों से पशुओं और चिड़ियों के निवास-स्थान बने हुए थे तथा उन्हें विद्यार्थियों एवं आचार्यों से भर दिया ।”

शाहजहाँ यद्यपि ललित कलाओं जैसे संगीत, चित्रकला तथा वास्तुकला का महान संरक्षक था, उसके समय में शिक्षा सुधार व प्रसार के लिये कोई सराहनीय प्रयत्न नहीं हुये । उसने केवल अपने पूर्वजों की नीति को जारी रखा । दिल्ली में उसने एक बड़ा कलेज बनवाया तथा दूसरा कालेज जिसका नाम दारुल बकी (अनंत निवास) था उसकी मरम्मत कराई । शाहजहाँ स्वयं तुर्की का विद्वान था

और रात का कुछ समय ग्रन्थावलोकन में व्यतीत करता था। उसका पुत्र दारा शिकोह अवश्य उच्चकोटि का विद्वान तथा हिन्दू दर्शन शास्त्र का प्रकांड पंडित था। वह अरबी, फारसी तथा संस्कृत का ज्ञाता था। उसने उपनिषदों, भगवद्गीता तथा योग-वसिष्ठ रामायण का अनुवाद किया। उसने सूफ़ी दर्शन पर भी अपनी मीमांसा लिखी। ऐसा कहा जाता है कि यदि दारा को राजगद्दी भिल जाती तो अवश्य ही भारतीय शिक्षा और भारत का भाग्य कुछ और ही होता।

इतना अवश्य है कि इस्लामी शिक्षा का व्यापक रूप उस समय नहीं था। आधुनिक शिक्षा विभाग जैसी कोई सुसंगठित व्यवस्था शिक्षा-प्रसार व प्रबन्ध के लिये उस समय नहीं थी। शिक्षा प्रचार को एक प्रकार से धर्म कार्य समझा जाता था और राज्य की ओर से शिक्षा के लिये व्यय होने वाली धनराशि भी धर्मादा खाते समझी जाती थी। शाहजहाँ के समय में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर आया। उसने तो तत्कालीन शिक्षा का बड़ा ही निराशाजनक चित्र उपस्थित किया है। वह लिखता है कि :—

“जिस समाज का वर्णन मैंने किया है उसमें घोर व सर्वव्यापी अज्ञान स्वाभाविक है। क्या हिन्दुस्तान में उचित रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त विद्याकेन्द्र तथा कॉलेज स्थापित करना संभव है? हम संस्थापक कहाँ से लायेंगे? और यदि वह मिल भी गये तो फिर विद्यार्थी कहाँ हैं? ऐसे व्यक्ति भी कहाँ हैं जिनकी सम्पत्ति विद्यार्थियों को कॉलेजों में सहायता देने के लिये पर्याप्त हो? और यदि ऐसे व्यक्तियों का अस्तित्व भी हो तो भी उस सम्पत्ति को बाहर निकालने का साहस किसमें है? अन्त में यदि कोई व्यक्ति यह मूर्खता करने का लालच भी करे, तो फिर ऐसे धर्मस्थान, ऐसे उद्यम तथा सम्मानप्रद कार्यालय कहाँ हैं जहाँ योग्यता व विज्ञान की खिपत हो सके तथा जो युवकों में विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा तथा आशाओं का संचार कर सकें?”

वस्तुतः यदि हम तत्कालीन शासकों और व्यक्तिगत संरक्षकों द्वारा किये गये वृहत शिक्षा प्रयत्नों पर दृष्टिपात करते हैं तो बर्नियर का यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होता है। उसने प्राचीन भारतीय शिक्षा के उन केन्द्रों का कोई उल्लेख नहीं किया है जहाँ उस समय भी विना राज्य की सहायता के केवल व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा विशाल पैमाने पर उच्चकोटि की आर्थिक व परमार्थिक शिक्षा प्रदान की जा रही थी और निर्जन स्थानों में वृहत शिक्षा-केन्द्र स्थापित हो गये थे। किन्तु इतना अवश्य है कि कॉलेज का अर्थ उस समय किसी विशाल शिक्षा केन्द्र से जहाँ असंख्य विद्यार्थी उच्च ज्ञान प्राप्त करते हों इत्यादि से नहीं था। निस्संदेह बर्नियर ने तत्कालीन यूरोपीय शिक्षा संस्थाओं के मापदंड को समझ रखते हुये यहाँ का चित्र उपस्थित किया है। वास्तव में यहाँ के कॉलेज उस समय

हतने विख्यात न रहे होंगे जो कि लोगों का ध्यान स्थाई रूप से अपनी ओर आकर्षित कर सकें। प्रायः मसजिदों के साथ में कुछ ऐसा स्थान निर्माण करा दिया जाता था जहाँ धर्माचार्य विद्यार्थियों को बैठाकर शिक्षा देते थे। अधिकतर तो पुराने मदरसों की मरम्मत का ही उल्लेख मिलता है।

औरंगजेब हिन्दू शिक्षा का शत्रु था। उसने हिन्दुओं के अनेक मंदिरों और विद्या केन्द्रों को नष्ट करवा कर उनके स्थान पर मसजिदें, मक़तब व मदरसे बनवा दिये थे। अकबर के प्रतिकूल औरंगजेब ने केवल इस्लामी शिक्षा को ही वास्तविक शिक्षा समझा और उसी के लिये उसने प्रयत्न किये। 'मीराते आलम' का उल्लेख करते हुए इलियट ने उद्धरण दिया है कि "जनता के धन से सभी मसजिदों की मरम्मत होती है। प्रत्येक में इमामों और खुतवा पढ़ने वाले मुल्लाओं की नियुक्ति हो गई है। परिणामतः एक विशाल धनगशि इन पर व्यय हुई है और अब भी होती है। इस विशाल देश के प्रायः प्रत्येक नगर व कस्बे में विद्वानों तथा आचार्यों को धनदान, भूमिदान तथा भत्ता दिया जाता है तथा योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों के लिये भी छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर दी गई है।"

वास्तव में औरंगजेब कट्टर व संकीर्ण विचारों का होते हुये भी तुर्की, अरबी व फारसी का ज्ञाता था तथा कुरान व हदीस उसे कंठाग्र थीं। शाहजहाँ के समय में जो शिक्षा की अवनति प्रारम्भ हो गई थी वह औरंगजेब के काल में कुछ समय के लिये रुक गई। औरंगजेब ने शिक्षा के प्रसार के साथ ही साथ शिक्षा का सुधार भी किया जैसा कि उसके अपने गुरु के साथ हुई वार्ता से सिद्ध होता है जिसका उल्लेख आगे किया जायगा। उसने पाठ्यक्रम में सुधार करके शिक्षा को अधिक जीवनोपयोगी बनाया। उसने राज्य की ओर से मक़तबों और मदरसों का निर्माण कराया और उनके द्वारा इस्लामी धर्म-सिद्धान्तों व शिक्षा का प्रचार किया। राजकीय पुस्तकालय में भी उसने इस्लाम की असंख्य पुस्तकों का संग्रह कराया। बीजापुर के पुस्तकालय से भी औरंगजेब गाड़ियों में भरवाकर पुस्तकें लाया था।

जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है औरंगजेब ने केवल मुसलमानों की शिक्षा के लिये ही प्रयत्न किये। सन् १६६६ ई० में उसने सूबेदारों के लिये राजाज्ञा जारी की कि हिन्दुओं के शिक्षा केन्द्रों तथा मंदिरों को नष्ट करके उनके स्थान पर मसजिदों तथा मक़तबों की स्थापना की जाय। उसने यह भी फर्मान जारी किये कि मुसलमानों की शिक्षा का विशेष प्रबन्ध गुजरात तथा अवध इत्यादि सूबों में भी किया जाय जो कि शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुये थे। सन् १६७८ ई० में गुजरात के बौहरों की शिक्षा के लिये उसने विशेष व्यवस्था की और राज्य की ओर से शिक्षक नियुक्त किये तथा उनकी शिक्षा को अनिवार्य करके आदेश दिया कि उनकी मासिक परीक्षाओं की प्रगति से उसे सूचित किया जाय।

औरंगजेब के उपरान्त

औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य का पतन प्रारम्भ हो गया था। सूबेदारों के विद्रोह तथा मराठों के उत्कर्ष ने मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दीं। अतः ऐसी अवस्था में जब कि देश में युद्ध, अव्यवस्था, लूट तथा विप्लव का अखंड साम्राज्य हो, शासकों से शिक्षा तथा साहित्य की उन्नति की आशा करना निर्मूल है। इतना अवश्य है कि प्रान्तों में अमीरों ने कुछ मदरसे स्थापित कर दिये थे। दिल्ली में गाजीउद्दीन का मदरसा इसमें उल्लेखनीय है। “सुदूर गांवों में हिन्दू और मुसलमानों के लिये प्रारम्भिक जीवनोपयोगी शिक्षा किसी भी प्रकार जीवित थी किन्तु अधिकांश मकतब और मदरसे जो कि मसजिदों से लगे हुये थे और अब तक राज्य की ओर से आर्थिक अनुदान पा रहे थे बन्द हो गये और उनके विद्यार्थी तथा शिक्षक छिन्न-भिन्न हो गये। औरंगजेब के कुछ उत्तराधिकारियों ने शिक्षा दीप को प्रज्वलित रखने के कुछ क्षीण प्रयत्न किये किन्तु वह अठारहवीं शताब्दि में अपना कुछ भी प्रभाव प्रकट करने में असमर्थ रहे।”^१ मराठों व अंग्रेजों की विजय ने देश के मुस्लिम शिक्षा-केन्द्रों को नष्ट कर दिया।

किन्तु इतना निश्चय है कि जो शिक्षा इन मकतबों अथवा मदरसों के द्वारा दी जा रही थी वह जन-साधारण के लिये न होकर केवल उसी वर्ग विशेष के लिये थी जो इससे लाभान्वित होना चाहता था। इस प्रकार मुसलमान शासकों के शासन काल में देश में शिक्षा का विकास हुआ। हिन्दू और मुसलमान दोनों एक दूसरे की शिक्षा-पद्धति से प्रभावित हुये और अन्त में जाकर एक समान शिक्षा-पद्धति का विकास हुआ।

जो मकतब या मदरसे मसजिदों से लगे हुये थे वे अपने संस्थापक के साथ ही समाप्त हो जाते थे और शिक्षक तथा विद्यार्थी उन भवनों को छोड़कर किनारा करते थे। मुसलमानों के ७०० वर्ष के शासन काल में युद्ध इत्यादि जारी रहे इससे बादशाहों का शिक्षा सुधार अथवा विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं जा सका। शाही प्रयासों के अतिरिक्त व्यक्तिगत प्रयत्नों से भी इस युग में शिक्षा का पर्याप्त पोषण हुआ। वास्तव में देश के अमीर व धनवान व्यक्तियों ने अपनी दानशीलता द्वारा शिक्षा का खूब प्रसार किया। व्यक्तियों के द्वारा बनाये हुए स्कूल शाही मदरसों से अधिक स्थाई साबित हुये क्योंकि शाही मदरसे संरक्षण उठते ही नष्ट हो जाते थे। “अठारहवीं शताब्दि में जब कि देश में मराठा, मुसलमान, सिक्ख, अंगरेज और फ्रांसिसियों द्वारा एक अव्यवस्था तथा विप्लव फैल रहा था, सर्वव्यापी अज्ञान-बुग एक स्वाभाविक बात हो गई।” व्यवसाय और उच्च पदों के अभाव में तरुण विद्यार्थियों में आशा व उत्साह-संचार के लिए कोई उद्देश्य नहीं रह गया

था। देश का व्यापार, कलाकौशल तथा कृषि सभी की अवस्था जर्जरित हो गई। परिणामतः इस युग में शिक्षा का घोर पतन हुआ और देश व्यापी अज्ञान व अशिक्षा के बादल जनसाधारण पर छा गये। अंग्रेजों तथा ईसाइयों ने हिन्दू तथा मुसलमानों के लिये कुछ पाठशालायें तथा बंगाल में टोल व मकतब और मदरसे खोले किन्तु यह प्रयास नगण्य था। कुछ मसजिदों में तो आधुनिक काल में भी मकतब स्थापित हैं जहां इमाम और मौलवियों द्वारा कुरान की प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है तथा राज्य शिक्षा-विभाग द्वारा इनका निरीक्षण इत्यादि होता है।

शिक्षा का संगठन

प्रारम्भिक-शिक्षा

मकतबः— इस्लामी प्रारम्भिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को शब्दज्ञान कराना तथा धार्मिक प्रार्थनायें सिखाना था। यह कार्य मकतब में सम्पादित कराया जाता था। 'मकतब' का अर्थ उस स्थान से है जहाँ लिखने की शिक्षा प्रदान की जाती है। यह मकतब मसजिदों से जुड़े रहते थे। प्रायः मसजिद का निर्माण कराते समय उसके साथ में मकतब अवश्य बनवाया जाता था। यही मकतब प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख स्थान था। यद्यपि कुछ धनी लोग अपने बालकों की प्रारम्भिक शिक्षा के लिये घर पर भी शिक्षक रख लेते थे तथापि मुहल्ले की साधारण जनता के बालक इन्हीं मकतबों में इकट्ठा होकर नियमानुसार विद्याध्ययन करते थे।

प्रवेश

मकतब-प्रवेश की एक विशेष विधि थी। जिस प्रकार ब्राह्मणीय शिक्षा में 'विद्यारम्भ' विधि थी उसी प्रकार इस्लामी शिक्षा में भी 'बिस्मिल्लाह' रस्म थी। "जब बालक चार वर्ष चार माह और चार दिन का हो जाता था तो मकतब प्रवेश अथवा बिस्मिल्लाह की रस्म मनाई जाती थी। नियत समय पर बालक को सम्बन्धियों के समक्ष नवीन वस्त्र पहिना कर बिठाया जाता था; फिर उसके सामने लिपि, कुरान की भूमिका तथा उसका ५५ वाँ और ८७ वाँ अध्याय रक्खा जाता था और बालक को क्रम से पढ़ना सिखाया जाता था। सब न दोहराने पर केवल 'बिस्मिल्लाह' कह देना ही पर्याप्त समझा जाता था। इस प्रकार बालक का विद्यारंभ हो जाता था।"

पाठ्य-क्रम

शाहजादों के विषय में उल्लेख मिलता है कि "जब शाहजादे अपने पिता के संरक्षण में हरम में रहते थे, एक नपुंसक व्यक्ति को हरम में उनकी शिक्षा के लिये रख दिया जाता था। तब उन्हें अरबी और फारसी में कुछ लिखना व पढ़ना सिखाया जाता था। उनके शरीर को सैनिक शिक्षा के लिये तैयार किया जाता तथा उन्हें समानता व इंसान के सिद्धान्त सिखाये जाते थे। भगवतों को योग्यता

पूर्वक निर्णय करना तथा कानून का अध्ययन भी कराया जाता था। अन्त में उन्हें इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती तथा राष्ट्र कल्याण के विषय में शिक्षित किया जाता जिसकी सेवा का भार एक दिन उन पर आने वाला है।^१

शाहजादों के अतिरिक्त जन-साधारण के बालकों के लिये मकतब में प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था थी। मुसलमान बालकों के अतिरिक्त कुछ हिन्दू बालक भी इन मकतबों में फारसी पढ़ते थे। “प्रारम्भ में बालक को लिपि का ज्ञान अर्थात् तथा कान के मार्ग से कराया जाता था। इस प्रकार लिपि का ज्ञान होने पर कुरान का तीसवाँ भाग पढ़ाया जाता था, जिसमें दैनिक प्रार्थनायें तथा फातिहा हैं। उच्चारण पर बड़ा ध्यान दिया जाता था इसी उद्देश्य से सादी का पन्दनामा भी पढ़ाया जाता था प्रायः बालक को इन्हें समझने की आवश्यकता नहीं थी। इसके उपरान्त लिखने की शिक्षा दी जाती थी और फारसी का व्याकरण रटाया जाता था। इसके बाद सादी का गुलिस्तां तथा बोस्तां समझा कर पढ़ाये जाते थे जिनसे नैतिक-शिक्षा भी मिलती थी साथ ही लेखन-कला में प्रतिदिन चार-पाँच घंटे लगाये जाते थे। फिर यूसुफ-जुलैखा, लैला-मजनू, सिकंदर नामा आदि काव्य पढ़ाये जाते थे। अबजद अथवा अक्षरों की संख्या से गणना (और शकुन विचार) भी सिखाया जाता था। अंकगणित, बातचीत का ढंग, पत्र-कला, अर्जीनवीसी आदि के उपरान्त फारसी की प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त हो जाती थी।”^२

जैसा कहा जा चुका है वर्णमाला की लिपि फारसी ही थी तथापि उर्दू उस समय अध्यापन का प्रमुख विषय थी तथा कुरान के अतिरिक्त खालिकबारी, करीमा, मामकीमा भी पढ़ाई जाती थीं। इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी साधारणतः शिक्षित होकर कुछ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेते थे।

उच्च शिक्षा

मदरसाः— मध्यकाल में भारत में इस्लामी उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। यह वह स्थान थे जहाँ शिक्षक आकर भाषण करते थे। भिन्न २ विषयों के विद्वान शिक्षक इन मदरसों में नियमित रूप से अध्यापन कार्य करते थे। बहुधा इन शिक्षकों की नियुक्ति राज्य अथवा कुछ दानशील धनवानों की ओर से होती थी। मकतब की शिक्षा समाप्त करके विद्यार्थी मदरसा में प्रविष्ट होता था। उस समय कोई विशेष रस्म अदा नहीं करनी होती थी।

बहुधा इन मदरसों का प्रबन्ध व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियों अथवा सम्मानित व दानशील नागरिकों द्वारा होता था। राज्य की ओर से आर्थिक सहायता अवश्य मिलती थी किन्तु राजकीय शिक्षा-विभाग के अभाव में प्रबन्ध सरकार के

^१ के० द्वारा उद्धृत पृष्ठ १३० हिस्ट्री ऑफ इंडियन एज्युकेशन।

^२ के० एस० बकील की एज्युकेशन इन इंडिया से उद्धृत।

हाथ में नहीं था। प्रायः इन मकतब और मदरसों से जागीरें लगा दी जाती थीं अथवा कुछ नियमित वृत्ति राज्य की ओर से नियत हो जाती थी। कहीं २ पर विद्यार्थियों के रहने तथा भोजन के लिये भी छात्रावासों में राज्य की ओर से व्यवस्था कर दी जाती थी। किन्तु यह सब शासक अपनी प्रतिष्ठा के लिए अथवा धार्मिक भावना से प्रेरित होकर ही करते थे। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को राज्य में उच्च पद अथवा सम्मान देकर भी उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाता था।

पाठ्यक्रम

मदरसों में उच्च शिक्षा दो भागों में विभाजित थी: (१) लौकिक और (२) धार्मिक। यह शिक्षा प्रायः दस या बारह वर्ष में समाप्त हो जाती थी। लौकिक शिक्षा के अन्तर्गत अरबी व्याकरण, गद्य, साहित्य, तर्क-शास्त्र, दर्शन शास्त्र, कानून, ज्योतिष, गणित, इतिहास, भूगोल, चिकित्सा, कृषि, तथा रचना आदि विषय थे। शिक्षा का माध्यम अरबी था। यद्यपि औरंगजेब ने अरबी के स्थान पर मातृ भाषा के माध्यम पर जोर दिया क्योंकि उसका अनुभव था कि अरबी और फारसी के सीखने में दस बारह वर्ष के उपरान्त भी बालक निपुण नहीं हो पाता है। तथा जहाँ तक प्रार्थनाओं का सम्बन्ध है “मातृ-भाषा द्वारा भी प्रार्थनायें की जा सकती हैं तथा ज्ञान का आसानी से प्रसार हो सकता है।” धार्मिक शिक्षा के अन्तर्गत कुरान का गहन व विस्तृत अध्ययन तथा कुरान के भाष्य, मुहम्मद साहब की परम्परा, इस्लामी कानून तथा कभी २ सूफ़ी धर्म के सिद्धान्त भी सम्मिलित थे। प्रारम्भ में मुसलमानों ने लौकिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया था किन्तु भारत में आकर उन्हें अपनी संख्या बढ़ाने पड़ी अतएव असंख्यों हिन्दुओं का धर्म परिवर्तन करके उन्हें इस्लाम में दीक्षित किया। इन परिवर्तित मुसलमानों के लिए धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ी अतः कालान्तर में इसका प्रधान्य हो गया। किन्तु सम्राट् अकबर के समय में पुनः पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया। सम्राट् की नीति धार्मिक सहिष्णुता की थी अतः भारतीय जनता को केवल इस्लामी शिक्षा देने में उसने अपनी सल्तनत के लिये कुछ खतरा देखा; साथ ही यह शिक्षा भी उसे व्यवहारिक जीवन के लिए अनुपयोगी प्रतीत हुई। उसने हिन्दू प्रजा के बालकों के लिये भी मदरसे खुलवाये जहाँ फारसी के साथ ही साथ हिन्दू धर्म, दर्शन व साहित्य का अध्ययन कराया जाता था। राज्य सेवा का लाभ उठाने के लिये हिन्दुओं ने फारसी का अध्ययन तो प्रारम्भ कर ही दिया था जिसमें मंत्री टोडरमल ने विशेष सहायता की। किन्तु सम्राट् अकबर तत्कालीन प्रचलित शिक्षा पद्धति तथा पाठ्यक्रम से संतुष्ट नहीं था। उसने पद्धति में सुधार किया तथा पाठ्यक्रम को भी विस्तृत करके अधिक उपयोगी बनाया। आईने-अकबरी में अबुलफजल ने तत्कालीन शिक्षा के विषय में इस प्रकार लिखा है :—

“प्रत्येक बालक के द्वारा नीति शास्त्र, अंकगणित, अंकगणित-समस्याएँ, कृषिशास्त्र, क्षेत्रमिति ज्यामिति, ज्योतिष विद्या, मुखाकृतिविद्या, गृहशास्त्र, राजतंत्र, औषधि ज्ञान, तर्कशास्त्र, तिबी (चिकित्सा तथा शरीरविज्ञान) रियाजी (गणित, ज्योतिष, संगीत तथा शिल्पज्ञान) और इलाही (धर्म ज्ञान तथा दर्शन) और इतिहास; यह सभी ज्ञान क्रमशः प्राप्त किये जा सकते हैं । संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को व्याकरण, न्याय, वेदान्त और पातञ्जलि का अध्ययन करना चाहिये । किसी को भी उन बातों की अवहेलना नहीं करनी चाहिये जिनकी कि वर्तमान देश व काल की माँग है ।”^१

औरंगजेब के समय की एक घटना का वर्णन करते हुये बर्नियर ने लिखा है कि औरंगजेब का गुरु मुल्ला शाहसालेह जब शाहशाह के सिंहासनारूढ़ होने के उपरान्त कुछ तमनाएँ लेकर उससे मिलने गया तो औरंगजेब ने लगातार तीन माह तक उससे मिलने से इंकार कर दिया और जब अन्त में मिला भी तो उससे कहा, “कहिये मुल्लाजी आप मुझ से क्या चाहते हैं ? क्या आप यह दंभ करना चाहते हैं कि राज्य में मैं आपको सर्वोच्च पद पर आसीन कर दूँ ? जरा इसके लिये अपनी काबिलियत पर तो और फरमाइये ।तुमने हमें सिखाया कि सम्पूर्ण फिरंगिस्तान (यूरोप) एक छोटा सा द्वीप है जिसका सर्व शक्तिमान सम्राट् सर्व-प्रथम पुर्तगाल का, फिर हालैंड का और फिर इंगलैंड का है ।ए प्रशंसनीय भूगोलवेत्ता ! विद्वान इतिहास मर्मज्ञ!! क्या मेरे शिक्षक का यह कर्त्तव्य नहीं था कि वह मुझे भूमंडल के सभी प्रमुख राष्ट्रों से परिचित कराता; उनके प्राकृतिक साधन, उनकी शक्ति, उनकी युद्ध-प्रणाली, सभ्यता, धर्म, राज्य-प्रणाली और मेरे विशेष हित की शिक्षा देता; इतिहास का क्रमशः अध्ययन कराके मुझे राज्यों के प्रादुर्भाव, उत्थान व पतन के विषय में बतलाता; तथा वह घटनायें एवं भूलें बतलाता जिनके कारण वह विशाल परिवर्तन व महान क्रान्तियाँ हुई ?इतिहास के स्थान पर मैंने केवल अपने पूर्वजों के नाम रटे । तुमने मुझे उनके जीवन के विषय में और अज्ञान में रखा । एक बादशाह के लिये पड़ोसी राष्ट्रों की भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य होता है किन्तु तुमने तो मुझे केवल अरबी सिखाई ।इस सत्य को भुला कर कि एक राजकुमार की शिक्षा में कितने आवश्यक विषय सम्मिलित किये जाने चाहिये, तुमने मुझे तो केवल व्याकरण से ही संतुष्ट रक्खा । इस प्रकार तुमने मेरे यौवन के अमूल्य वर्ष एक शुष्क, निरर्थक व अनन्त ‘शब्द’ सिखाने में ही नष्ट किये ।यदि तुमने मुझे उस दर्शन का ज्ञान कराया होता जो कि मस्तिष्क को तर्क के उपयुक्त बनाता हैयदि तुमने मुझे वह

पाठ पढ़ाये होते जो कि आत्मा का उत्थान करते हैं और उसे दुर्भाग्य व मुसीबतें झेलने के उपयुक्त बनाते हैं,यदि तुमने मुझे मानव प्रकृति से परिचित कराया होतातो मैं तुम्हारा उससे भी अधिक सम्मान करता जितना कि सिकन्दर अरस्तू का करता था। हे चाटुकार ! मुझे उत्तर दे, क्या तुम्हको मुझे कम से कम यह एक बात नहीं सिखानी चाहिये थी, जो कि एक शाहंशाह के लिये इतनी अनिवार्य होती है, कि राजा और प्रजा के पारस्परिक संबंध क्या हैं ? क्या यह बात तुम नहीं जान सके कि मुझे किसी दिन हाथ में तलवार लेकर अपने भाइयों से ही ताज तथा अपने अस्तित्व के लिये युद्ध करना पड़ेगा ? तुम्हें जानना चाहिये कि हिन्दुस्तान के असंख्य शाहजादों का बहुधा यही भाग्य होता है। क्या तुमने मुझे कभी युद्ध-शिक्षा दी कि किस प्रकार एक नगर का घेरा डालना चाहिये या युद्ध-क्षेत्र में किस प्रकार सैन्य संचालन करना चाहिये ? यह मेरा सौभाग्य था कि मैंने इस विषय में तुमसे अधिक बुद्धिमान व्यक्तियों से सलाह ली। तू जा अपने गाँव को लौट जा। भविष्य में कभी भी किसी को यह विदित न होने पावे कि तू जिन्दा है अथवा तेरा क्या हुआ।”^१

हो सकता है कि यह वर्णन कुछ अतिरंजित हो किन्तु जैसा भी यह है तत्कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा उसके उद्देश्यों पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। यद्यपि शिक्षा अथवा धर्म के विषय में औरंगजेब इतना उदार नहीं था जितना कि अकबर तथापि अपनी स्वाभाविक संकीर्णता की अपेक्षाकृत भी वह एक समर्थ व योग्य शासक था। उसने शिक्षा प्रणाली के दोषों को समझा और उसमें सुधार की आवश्यकता का अनुभव किया। उपर्युक्त वर्णन से प्रतीत होता है कि उसने इस बात का अनुभव किया कि विद्यार्थियों का अधिकांश समय केवल शब्द तथा व्याकरण सीखने में ही व्यतीत होता है। धार्मिक शिक्षा के अनुकूल होते हुए भी उसे दम्भ व आडम्बर से अरुचि थी। वह ऐसी शिक्षा पद्धति में विश्वास करता था जो कि बालक को व्यवहारिक जगत के अधिक उपयुक्त बनादे। केवल प्राचीन भाषाओं के साहित्य के अध्ययन में ही वह विद्यार्थियों के यौवन को नष्ट नहीं करना चाहता था। वस्तुतः शिक्षा के पाठ्य-विषयों में वह सच्चा इतिहास, भूगोल, दर्शन, युद्ध-कला राजनीति व कूटनीति इत्यादि को सम्मिलित करके उच्च शिक्षा को अधिक उपादेय बनाने के पक्ष में था। अकबर ने भी यही प्रयास किया था कि शिक्षा को अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बना दिया जाय। ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर के उपरान्त पुनः पाठ्य-क्रम तथा शिक्षा प्रणाली का पतन हो गया था; यही कारण है कि औरंगजेब को हम उसे सुधारने के लिये इतना व्यग्र पाते हैं। किन्तु इतना सत्य है कि औरंगजेब का ध्यान अधिकतर राजकुमारों

की शिक्षा की ओर ही रहा और साधारण जनता की शिक्षा में व्यवहारिक पाठ्य-क्रम का समावेश न हो सका। वर्तमान भारत में भी हम शिक्षा-शास्त्रियों को यही प्रयास करते हुए पाते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मदरसों में शिक्षा के विषय विभिन्न थे। इन मदरसों की तुलना वर्तमान कालेजों से की जा सकती है। अरबी फारसी के उच्च-साहित्य, व्याकरण, छन्द व पिंगल और काव्य की प्रमुखता होने के कारण मध्य-कालीन भारत में भी मध्यकालीन यूरोप की भाँति विद्यार्थियों के पुस्तकीय व शास्त्रीय ज्ञान पर ही अधिक जोर दिया जाता था जिसमें शुद्ध साहित्य व काव्य, तर्क व दर्शन और शुष्क व्याकरण सिद्धान्तों पर अधिक जोर दिया जाता था। 'शिक्षा जीवन के लिये' न होकर केवल 'शिक्षा शिक्षा के लिये' रह गई थी और प्रधानतः आडम्बरयुक्त पांडित्य प्रदर्शन का एक साधन बन गई थी। विद्यार्थी और शिक्षकों का अधिकतर समय या तो शब्द जालयुक्त शुष्क दार्शनिक तर्कों में व्यतीत होता था अथवा साहित्य के विभिन्न अंगों की सराहना करने में।

इतिहास अवश्य इस युग की विशेषता रहा है। प्राचीन भारतीय परम्परा में तुलनात्मक दृष्टि से अवश्य ही सच्चे इतिहास का अभाव था। किन्तु मध्य युग में हम प्रायः सभी मुसलमान सुल्तानों के दरबारों में इतिहासकार पाते हैं। स्वयं सुल्तानों ने भी अपनी आत्म-कथाओं के रूप में ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किया है।

कानून का अध्ययन भी इन मदरसों में कराया जाता था। ब्राह्मणीय व बौद्ध-शिक्षा की भाँति इस्लामी शिक्षा का आधार भी धार्मिक था तथा इस युग में कानून भी कुरान इत्यादि धर्म ग्रन्थों तथा परम्परागत रीति-रिवाजों पर आधारित था। चिकित्साशास्त्र में इस युग में प्रायः यूनानीविधि का अनुसरण किया जाता था। किन्तु इस दृष्टि से मुसलमानी शिक्षा प्राचीन भारतीय शिक्षा की अपेक्षा कुछ कम विकसित और निम्न-प्रकार की रही। संगीत यद्यपि सर्वप्रिय विषय नहीं था तथापि बहुधा पढ़ाया जाता था। राजधानियों में तो कुछ मदरसे केवल संगीत के ही चलते थे। राज-दरबारों में संगीतज्ञों का विशेष सम्मान होता था। तानसेन अकबर के दरबार का एक उच्च कोटि का कलाकार था। शिल्पकला व हस्त-कला की दृष्टि से मुसलमानों ने परम्परागत प्रचलित भारतीय पद्धति को ही अपनाया और उसी में प्रशिक्षण भी दिया। यद्यपि इस पर तुर्किस्तान और फारस इत्यादि इस्लामी देशों के शिल्प की छाप भी स्पष्ट थी। तुर्क लोग अच्छे भवनों के बड़े शौकीन थे अतः उन्होंने मध्य एशिया से मुसलमान शिल्पकारों को भी बुलाया। शिल्पकला व वस्तुकला की शिक्षा भारत में इस समय परम्परा के रूप में ही दी जाती थी।

शिक्षण-विधि:—

मकतब में शिक्षण-विधि अत्यन्त सादा थी। जब से बालक ठीक प्रकार से बोलना सीखता था उसे कलमा कंठस्थ करा दिया जाता था। तदुपरान्त उसे कुरान की कुछ आयतें याद कराई जाती थीं। लगभग ७ वर्ष की अवस्था में उसे नियमित रूप से कुरान आरम्भ करा दी जाती थी तथा धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। कुछ लिखना-पढ़ना तथा साधारण हिसाब-किताब भी सिखा दिये जाते थे। आधुनिक समय में भी जो मकतब विद्यमान हैं उनमें यही शिक्षण-पद्धति चल रही है।

कंठस्थ करने तथा रटने की विधि का अनुसरण इस काल में भी किया जाता था। मकतब में प्रधानतः शिक्षण-विधि मौखिक थी। सम्राट् अकबर ने इस बात का अनुभव किया कि विद्यार्थियों का अधिकांश समय केवल निरर्थक शब्दों के सीखने में व्यतीत हो जाता है अतः उसने शिक्षण-विधि में सुधार किये। 'आईने अकबरी' में लिखा है, "प्रत्येक देश में प्रधानतः हिन्दुस्तान में बालक बहुत समय तक (प्रारम्भिक) स्कूलों में रक्खे जाते हैं जहाँ वह स्वर और व्यंजन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। बालकों के जीवन का एक दीर्घांश केवल पुस्तक का पढ़ना सीखने में ही व्यतीत हो जाता है। अतः सम्राट् आज्ञा देते हैं कि स्कूल का प्रत्येक बालक सर्व-प्रथम वर्णमाला के अक्षर लिखना सीखे तथा उनकी बनावट का अभ्यास करे। प्रत्येक अक्षर का नाम व बनावट दो दिन में सीखना चाहिये। तत्पश्चात् उसे संयुक्ताक्षर सीखने चाहिये। इसका अभ्यास एक सप्ताह तक होना चाहिये; और तब बालक को कुछ गद्य और पद्य कंठाग्र कराना चाहिये तथा प्रार्थना के लिये कुछ छंद और नीति-वाक्य याद करना चाहिये। इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि बालक स्वयं सीखने का प्रयास करे किन्तु शिक्षक भी थोड़ा पथ-प्रदर्शन कर सकता है। इस प्रकार बालक को प्रति-दिन के अभ्यास के द्वारा लिखना पढ़ना खूब अच्छी प्रकार सीख लेना चाहिये। शिक्षक को विशेषतः पाँच बातों का ध्यान रखना चाहिये: अक्षर ज्ञान, शब्दार्थ, आधाकाफिया (Hemi-Stich), छंद और पूर्वपाठ। यदि इस शिक्षा पद्धति का अनुसरण किया गया तो बालक एक माह में किंवा एक दिन में भी उतना ज्ञान प्राप्त कर लेगा जितना कि अन्य लोगों को समझने में वर्षों नष्ट हो जाया करते हैं, यहाँ तक कि लोग आश्चर्यचकित रह जायेंगे।"^१

इस प्रकार हम देखते हैं कि अकबर ने शिक्षण की एक वैज्ञानिक विधि चलाई। किन्तु यह विधि अधिक समय तक न रह सकी और क्रमशः इसका पतन हो गया क्योंकि औरंगजेब को पुनः हम अरबी और फारसी की वर्णमाला सीखने

तथा 'एक दीर्घ व अनन्त कार्य 'शब्द' सीखने में समय नष्ट होने की शिकायत करते हुए पाते हैं ।

जैसा कि कहा जा चुका है उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी । यहाँ पर भी अधिकांश में विधि मौखिक थी । शिक्षक भाषण विधि को अपनाते थे जैसा कि 'मदरसा' शब्द के अर्थ से प्रतीत होता है । साथ ही विद्यार्थियों में ग्रन्थावलोकन की आदत को भी प्रोत्साहन दिया जाता था, 'तिब्बी रियाजी और इलाहो' तथा संगीत चिकित्सा तथा हस्तकला की व्यवहारिक व प्रायोगिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी । विद्यार्थी के सर्वांगीन विकास पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता था । प्रत्येक विद्यार्थी को अपना २ अलग अलग पाठ्य-विषय तथा सबक दे दिया जाना था जिससे वह व्यक्तिगत तथा स्वतंत्र रूप से प्रगति करता था । कमजोर विद्यार्थियों के साथ उसकी प्रगति अवरुद्ध नहीं हो पाती थी । यद्यपि शिक्षण-कार्य प्रधानतः कुशल शिक्षकों द्वारा किया जाता था, तथापि बौद्ध-कालीन शिक्षा की भाँति मानीटर प्रथा भी थी अर्थात् गुरु की अनुपस्थिति में अथवा गुरु की आज्ञा से उसका कार्य-भार हलका करने के उद्देश्य से उच्च कक्षाओं के कुशल विद्यार्थी छोटी कक्षाओं को पढ़ाने का कार्य करते थे । पढ़ने और लिखने का कार्य अलग २ सिखाया जाता था अर्थात् एक में कार्य पूरा होने पर ही कुछ दिनों पश्चात् दूसरे का प्रारम्भ कराया जाता था इससे विद्यार्थियों की गति मंद होने के कारण पर्याप्त समय नष्ट हो जाता था । अकबर ने इसके लिये प्राचीन भारतीय परम्परा को अपनाकर लेखन और पाठन को एक ही साथ कर दिया ।

मदरसों में जहाँ उच्च-शिक्षा के लिये धर्म, तर्कशास्त्र, दर्शन तथा राजतंत्र इत्यादि विषयों की व्यवस्था थी, तर्क-विधि को भी अपनाया जाता था । राजदरबारों में तो बहुधा महत्त्वपूर्ण विषयों पर शास्त्रार्थ हुआ करता था । फीरोज तुगलक तथा अकबर के दरबार इस प्रकार के शास्त्रार्थों के लिये प्रसिद्ध हैं ।

स्वाध्याय अथवा विद्यार्थी द्वारा स्वतंत्र अध्ययन भी मध्य युग में एक प्रमुख विधि थी । अध्यापकों के यत्न-तत्न सहायता करने के उपरान्त विद्यार्थी एकान्त में स्वाध्याय करते थे । इसमें रटने से भी काम लिया जाता था ।

दंड-विधान

इतना अवश्य है मध्ययुग में इस्लामी-शिक्षा में बालक की मनोवैज्ञानिक अवस्था का पता लगाने का विशेष प्रयास नहीं किया जाता था । अपराध करने वाले विद्यार्थियों के लिये कठिन शारीरिक दंड की व्यवस्था थी । राज्य की ओर से स्थायी नियमों के अभाव में शिक्षक बालकों को स्वेच्छा से दंड देने के लिये स्वतंत्र थे । अनुशासन, साधारण नैतिक व व्यवहारिक शिक्षाचार तथा विनय-

शीलता विद्यार्थियों में अनिवार्यतः देखे जाते थे। इन्हें भंग करने वाले विद्यार्थी को बेंत, कोड़ा तथा घूँसों द्वारा दंड दिया जाता था। आधुनिक काल तक चली आने वाली निर्दय व हास्यास्पद मुर्गा बनाने की प्रथा का भी संभवतः इसी युग में आविष्कार हुआ था। कुछ अपराधों के लिये बालक को गठरी बाँधकर खूँटी पर भी लटका दिया जाता था।

पारितोषक

इतना अवश्य है कि इस युग के शिक्षक जहाँ अनुशासन तथा अध्ययन के नाम पर कठोर दंड प्रदान करते थे वहाँ याग्य, कुशल तथा चरित्रवान विद्यार्थियों को पारितोषक देकर प्रोत्साहित भी किया जाता था। किसी विशेष अध्ययन के समाप्त कर लेने पर विद्यार्थियों को तमगे तथा सनदें अर्थात् प्रमाण पत्र देने की प्रथा थी। राजदरबारों से विद्यार्थियों को क्षात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की जाती थीं तथा इन मदरसों के स्नातकों को राज्य में न्यायालय, सचिवालय तथा सैना में उच्च पदों पर भी आसीन किया जाता था। कुछ सम्मानित अमीर अथवा नागरिक भी विद्यार्थियों को पारितोषक देकर प्रोत्साहित करते थे।

विशिष्ट शिक्षाएँ

स्त्री शिक्षा

मुसलमान स्त्रियाँ बहुधा पर्दा प्रथा में विश्वास रखती थीं अतः वह नियमानुसार लड़कों की भोंति मकतब और मदरसों में नहीं जाती थीं कुछ व लिकायें मुहल्ले से एकत्रित होकर कभी-कभी किसी मसजिद से लगे हुए मकतब में प्रारम्भिक शिक्षा के लिये पहुँच जाती थीं जहाँ केवल लिखना-पढ़ना भर सीख लेना ही उनका उद्देश्य रहता था। स्त्री-शिक्षा का व्यापक रूप प्रचलित नहीं था। जो कुछ भी शिक्षा थी वह बड़े नगरों तक ही सीमित थी। जन-साधारण की बालिकाओं के लिये प्रथक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी अतः उनमें शिक्षा भी अपेक्षाकृत कम ही थी। मुगल काल में भी स्त्री शिक्षा किसी न किसी रूप में प्रचलित थी। शाही बरानों तथा अमीर उमरावों की पुत्रियों को घरों पर व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जाती थी। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि मध्यवर्ग के हिन्दुओं की बालिकायें भी लड़कों के साथ अथवा घरों पर प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर लेती होंगी। बालिकाओं की शिक्षा के लिये पाठ्य-क्रम प्रधानतः धर्म ग्रन्थों का अवलोकन तथा गृह-शास्त्र था। कुछ राजकुमारियों साहित्य व संगीत में भी विदुषी होती थीं। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने 'हुमायूँनामा' लिखा। सुल्ताना रज़िया एक विदुषी व योग्य महिला थी। वह राजतंत्र, युद्धकला तथा शासन में पारंगत थी। सुल्ताना सलीमा, नूरजहाँ, मुमताजमहल तथा जहाँनारा बेगम ने भी कला व

साहित्य का अध्ययन किया। नूरजहाँ तो एक अत्यन्त ही योग्य सम्राज्ञी थी जोकि अपने पति के राज-काज का भी संचालन करती थी। औरंगजेब की पुत्री जैनुन्निसा अरबी और फारसी की एक स्वाभाविक कवियत्री थी। 'दीवाने मखफो' उसके काव्य की एक अमर कृति है।

ललितकला व हस्तकला

जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि यद्यपि भारत में मुसलमानी राज्य प्रायः युद्धों और विप्लवों में ही व्यतीत हुआ, तथापि इस युग में भी ऐसे समय आये जब देश में पूर्ण शान्ति रही तथा कला-कौशल व साहित्य की पर्याप्त उन्नति हुई। साधारण कोटि की कारीगरी में मुसलमानों ने प्रचलित हिन्दू हस्तकलाओं को ही अपनाया। कुछ हस्तकलायें तो कला व उच्चता की चरम सीमा तक पहुँच गईं। हाथी दाँत का काम, आभूषण निर्माण, रेशम व जूरी का काम, मलमल, जलयान निर्माण, रथ निर्माण तथा युद्ध सामग्री का निर्माण इत्यादि प्रमुख शिल्प थे जिनका अनुसरण जीविका तथा कला दोनों के लिये किया जाता था। राज-दरबारों तथा अमीर उमरावों ने इन हस्तकलाओं को पर्याप्त संरक्षण दिया परिणामतः इनकी और भी अधिक उन्नति हुई। इन शिल्पों का प्रशिक्षण प्रायः परम्परागत विधि से घरों अथवा कारखानों में ही होता था इनके लिये आधुनिक प्रकार के औद्योगिक स्कूल नहीं थे।

ललित कला की दृष्टि से तो मुसलमान युग स्वर्ण युग कहा जाता है। वास्तव में अधिकांश सुल्तान व शाहशाह विलासी थे और सांसारिक पदार्थों की चकाचौंध में ही अपने ऐश्वर्य भरे जीवन बिताते थे। अतः ऐसी अवस्था में ललित कलाओं को संरक्षण तथा उनकी उन्नति स्वाभाविक ही है। इस युग में संगीत व चित्र कला की पर्याप्त उन्नति हुई। राजदरबारों में उच्चकोटि के गायक व चित्रकार रहते थे। मुगलकाल के चित्र वर्तमान संसार के लिये भी एक आश्चर्य की वस्तु हैं। राजदरबारों में नृत्य-कला का भी प्रचार था। जन-साधारण में भी जन-नृत्य की प्रथा थी। नृत्यकला व संगीत सिखाने के लिये उस्ताद भी रक्खे जाते थे। मुसलमान शासकों को भवन निर्माण का शौक था अतः वास्तुकला की इस युग में बहुत उन्नति हुई। आगरे का ताजमहल तथा अन्य स्थानों पर बनी हुई विशाल व आश्चर्यजनक इमारतें आज भी अतीत के गौरव की स्मृति दिला रही हैं।

सैनिक-शिक्षा

मुसलमानों को भारत में आकर अपना राज्य स्थापित करने के लिये निरंतर युद्ध लड़ने पड़े अतः इस युग में युद्ध कला का खूब विकास हुआ। प्रारम्भिक सुल्तानों के समय में भारत में सैनिक-शिक्षा का अच्छा प्रचार था। शाहजादों

को प्रारम्भ से ही सैनिक शिक्षा दी जाती थी। यह निर्विवाद सत्य है कि मुसलमानों की युद्ध कला हिन्दुओं से उत्तम कोटि की थी। यद्यपि शारीरिक बल और व्यक्तिगत निपुणता में हिन्दू सैनिक किसी भी प्रकार से निम्न नहीं थे तथापि मुसलमानों की प्रणाली अपनी एक विशेष थी। मुगल-काल में युद्धकला का और भी अधिक विकास हुआ।

सैनिक-शिक्षण में बहुधा राजकुमारों को अश्वारोहण, भाला, तीर व तलवार चलाना, बन्दूक चलाना, किले का घेरा डालना तथा अन्य प्रकार से सैनिक-विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। साधारण सैनिकों का भी प्रायः यही पाठ्य-क्रम था।

साहित्य का उत्कर्ष

यहाँ पर मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा के अन्तर्गत तत्कालीन साहित्य का चित्रण करना आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा ही हमें विदित हो सकेगा कि उस युग में शिक्षा किस कोटि की थी और विद्वान किस प्रकार के साहित्य की रचना करते थे जो कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग था।

वास्तव में राज दरबारों के संरक्षण में फारसी साहित्य की बड़ी उन्नति हुई। अमीर खुसरो जो कि खिलजी और तुगलक सुल्तानों के दरबार में रहा, एक उच्च कोटि का कवि था। उसकी रचनाएं आज भी चाव के साथ पढ़ी जाती हैं। मीरहसन दहलवी ने मुहम्मद तुगलक के समय में उच्चकोटि की कविता की। उसने एक दीवान की रचना की तथा शेख निजामुद्दीन औलिया के संस्मरण लिखे। इन दोनों महाकवियों की रचनाएं भारत से बाहर भी पढ़ी जाती थीं। १३ वीं शताब्दी में इतिहास, काव्य तथा कथा साहित्य की खूब रचना हुई।

राजदरबार में रहने वाले इतिहासकारों ने बहुत सी रचनाएं कीं। जियाउद्दीन बरनी का 'तारीखे फ़ीरोजशाही' तथा शम्स शिराज अफ़ीफ का 'तारीखे फ़ीरोजशाही' और यहिया बिन अब्दुल्ला का 'तारीखे मुबारकशाही' कुछ प्रसिद्ध रचनाओं के उदाहरण हैं।

बहुधा यह मुसलमान साहित्यकार संस्कृत के भी विद्वान होते थे। अल बिरूनी जो १० वीं शताब्दी में भारत आया, संस्कृत का प्रकांड पंडित था। उसने दर्शन तथा ज्योतिष के संस्कृत ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद किया। उसकी 'तारीखे हिन्द' भारतीय संस्कृति पर पर्याप्त प्रकाश डालती है। चौदहवीं शताब्दि में फ़ीरोज तुगलक ने दर्शन, तंत्र तथा शकुन-विचार के एक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया और इसका नाम 'दयाबल फ़ीरोजशाही' रखा।

सिकन्दर लोदी के समय में भी चिकित्सा-शास्त्र की एक रचना का संस्कृत से फारसी में अनुवाद हुआ था ।

मुगल काल में तो साहित्य की और भी अधिक उन्नति हुई। स्वयं बाबर अरबी, फारसी और तुर्की भाषा का विद्वान तथा कवि था । उसने तुर्की भाषा में अपने 'संस्मरण' लिखे हैं । मुगलों की धर्म सहिष्णुता को नीति ने देश में एक ऐसे वातावरण को उत्पन्न कर दिया था जिसमें उच्च कोटि के साहित्य तथा कला का सृजन होता है । अकबर के समय में फारसी तथा हिन्दी दोनों की महान उन्नति हुई । एक नई भाषा 'उर्दू' के नाम से भी चल पड़ी थी और उसमें भी कुछ रचना होना प्रारम्भ हो गया था ।

अकबर के समय में कुछ इतिहास भी लिखे गये । इनमें से मुल्ला दाऊद की 'तारीखे अलफी', अबुल फजल की 'आइने अकबरी' तथा 'अकबर नामा' तथा बदाउनी की 'मुत्तखाबुत तवारीख' अधिक प्रसिद्ध हैं । अबुल फजल उस समय का सबसे महान लेखक, कवि, इतिहासकार, प्रबन्धक तथा तर्कशास्त्री था । सम्राट अकबर की आज्ञा से बहुत सी संस्कृत रचनाओं के फारसी में अनुवाद भी हुए । बदाउनी ने रामायण तथा महाभारत के कुछ भाग फारसी में अनुवादित किये । हाजी इब्नाहीम सर हिन्दी ने अथर्ववेद का अनुवाद किया । तथा फैजी ने गणित का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'लीलावती' फारसी में अनुवादित किया । गिजाली तथा फैजी इस युग के प्रसिद्ध फारसी कवि थे ।

फारसी साहित्य तथा मुस्लिम शिक्षा के साथ ही साथ हिन्दी साहित्य और भारतीय प्राचीन शिक्षा पद्धति भी फल-फूल रहे थे जिसका वर्णन आगे किया जायगा । इस प्रकार साहित्य—गद्य और पद्य, इतिहास तथा दर्शन साहित्य का सृजन इस बात के द्योतक हैं कि तत्कालीन शिक्षा पद्धति में उच्च कोटि के विद्वान, कवि, साहित्यकार तथा इतिहासकार उत्पन्न करने की क्षमता थी ।

शिष्य—गुरु सम्बन्ध

मध्य काल में इस्लामी शिक्षा के अन्तर्गत गुरु का समाज में एक विशेष स्थान होता था । शिष्य गुरुओं का आदर करते थे और उनकी सेवा भी करते थे । प्राचीन-भारतीय शिक्षा के आदर्शों की भाँति इस युग में भी गुरु अपने शिष्यों को पुत्रवत् समझता था । मकतबों में पढ़ने वाले बालक तो प्रायः दिन में जब पढ़ने जाते थे, तभी अपने शिक्षक के सम्पर्क में आते थे किन्तु कुछ मदरसों में जिनमें छात्रावासों की व्यवस्था थी वहाँ शिक्षक और विद्यार्थी एक ही छत के नीचे निवास करते थे और पारस्परिक एक दूसरे के अधिक निकट आने का लाभ उठाते थे । अनुशासन की समस्या अध्यापक के समक्ष अधिक नहीं थी । समाज में शिक्षक का आदर होने के कारण विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से विनय शील और आज्ञाकारी

होते थे। गुरु-सेवा विद्यार्थी का कर्त्तव्य माना जाता था। ऐसा विश्वास किया जाता था कि गुरु की कृपा तथा सम्पर्क से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त करना सम्भव था। किन्तु इतना मानना पड़ेगा कि गुरु भक्ति का आदर्श अब इतना उच्च नहीं रहा था जितना कि प्राचीनकाल में था। गुरुओं के लिए शिष्यों में कुरबानी की भावना का बहुत कुछ हास हो चला था। औरंगजेब के द्वारा उसके गुरु मुल्लाशाह की दुर्दशा का उल्लेख पीछे किया जा चुका है जिसमें सिंहासन पर बैठने के बाद औरंगजेब ने उससे मिलने से मना कर दिया था और अन्त में मिलने पर उससे अत्यन्त कठोरता से पेश आया और उसे अज्ञातवास की आज्ञा दी।

ज्ञात्रावास

जैसा कि कहा जा चुका है मकतबों के विद्यार्थियों के लिये ज्ञात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं रहती थी। अधिकतर मदरसों के साथ ज्ञात्रावास की व्यवस्था थी। इन मदरसों तथा ज्ञात्रावासों को बड़ी २ जागीरें मिली होती थीं जिनसे इनका दैनिक व्यय चलता था। खयाति व प्रतिष्ठा के लाभ को प्राप्त करने के लिये अमीर लोग ज्ञात्रावासों का निर्माण कराते थे। अल्लामा शिवली ने एक ज्ञात्रावास का वर्णन करते हुये लिखा है कि, “इस संस्था के अहाते में एक अस्पताल और एक मजबला (तालाब) था। मदरसा खुलने पर २४० लड़के ज्ञात्रावास में भरती किये जाते थे जिन्हें रहने के लिए कमरा, कालीन, भोजन, तेल, कागज और कलम मदरसे की ओर से दिया जाता था। विद्यार्थियों को दैनिक भोजन में मिठाई और फल भी दिये जाते थे तथा प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिमास एक अशर्फी मिलती थी।” जफर ने भी फीरोज के समय के एक मदरसे का वर्णन करते हुये लिखा है कि, “एक ऊँची मीनारयुक्त इमारत एक उपवन के बीच में निर्मित थी, जो कि प्राकृतिक वातावरण और मानवीय कलाओं द्वारा आकर्षक बन गई थी। एक विशाल सरोवर में जो कि उसके किनारे बना हुआ था, भवन का प्रतिबिम्ब झलमलाता था। यह दृश्य बड़ा ही भव्य और चित्तकर्षक रहा होगा जब सैकड़ों विद्यार्थी इस विद्यालय में भाषणों को सुनते अथवा इधर उधर व्यस्त घूमते होंगे।”^१ इस मदरसे में शिक्षक और विद्यार्थियों के साथ २ रहने की व्यवस्था थी। प्रार्थना के लिए एक विशाल मसजिद इससे जुड़ी हुई थी। इसी प्रकार एक मदरसे का वर्णन करते हुये इब्न बतूता लिखता है कि, “यह बड़ा विशाल और भव्य मदरसा है जिसमें लड़कों के रहने के लिये ३०० कमरे हैं। वे यहाँ कुरान पढ़ते हैं और उन्हें दैनिक भोजन तथा सालाना कपड़े का खर्च दिया जाता है।” एक अन्य मदरसे का वर्णन करते हुए इब्न बतूता ने लिखा है कि, “मैं यहाँ १६ दिन ठहरा और विद्यार्थियों के सुन्दर एवं बहुमूल्य भोजन को देखकर मैं स्तब्ध रह गया। चार प्रकार के भोजन मुर्गी,

१. जफर—एज्युकेशन इन मुस्लिम इंडिया।

रोटी, पोलाव और कोर्मा तथा एक तश्तरी मिठाई विद्यार्थियों को प्रतिदिन खिलाई जाती है।” इन्हें बतता यात्रा करते समय इन्हीं क्षात्रावासों में ठहरता था उसके कथनानुसार सारे भारत में इस प्रकार के मदरसे तथा क्षात्रावास बने हुए थे।

प्राचीन वैदिक तथा बौद्धकालीन क्षात्रावासों (आश्रमों) की अपेक्षा इन क्षात्रावासों का जीवन अधिक आरामदायक तथा कुछ सुविधाजनक था। रहने सहने की दुरुहता पर अधिक जोर नहीं दिया जाता था। विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के आदर्शों में भी परिवर्तन हो गया था। कालीन, कोर्मा, तेल, और तश्तरी मिष्ठान इत्यादि जो प्राचीन काल में विद्यार्थी के लिये वर्जित थे वह इस युग में आकर उसके लिये प्रदान किये जाने लगे। प्राचीनकाल के आश्रम प्रायः निर्जन बनों में स्थित होते थे जहाँ विद्यार्थियों को स्वावलम्ब तथा ब्रह्मचर्य का कठोर पाठ पढ़ाया जाता था, किन्तु मुसलमान-शिक्षा के अन्तर्गत विद्यार्थियों के लिये क्षात्रावास नगर के मध्य में स्थित होते थे जहाँ यथासम्भव संरक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के आराम के सभी उचित उपकरणों को जुटा दिया जाता था। जीवन की अनुशासन और कठोरता इस युग में कम हो चली थी।

गुण-दोष विवेचन

अपने सम्पूर्ण वैभव और गुण दोषों के साथ मुसलमानी शिक्षा-पद्धति भारत में लगभग ७०० वर्ष तक रही। यद्यपि आज भी यत्र-तत्र कुछ मकतब अवशेष हैं और कुछ सीमा तक मुसलमानी धार्मिक शिक्षा की पूर्ति कर रहे हैं, तथापि जनोपयोगी शिक्षा प्रदान करने में आज के युग में उनका कोई अधिक महत्त्व नहीं है। मुसलमानी शिक्षा में कुछ ऐसी विशेषतायें थीं जिनके कारण वह भयंकर विप्लव और राजनैतिक संघर्षों की अपेक्षाकृति भी अपने प्रकाश से देश को एक दीर्घ काल तक दीप्त करती रही। इसके प्रसार में राज्य व शासकों का हाथ था। एक शासक जाति की शिक्षा-प्रणाली भारत जैसे प्राचीन व सम्य देश में राज्यसत्ता की समाप्ति पर अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकती थी तथापि इसने भारतीय जीवन पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है जिसका आभास हमें भारतीय दैनिक जीवन में प्रत्येक स्थल पर मिलता है। यहाँ संक्षेप में हम उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं।

विशेषतायें:

१. धार्मिक व सांसारिक शिक्षा का समन्वय—इस्लामी शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता उसकी धार्मिक व सांसारिक शिक्षा का एकीकरण है। इस्लाम परलोक अथवा पुनर्जन्म के सिद्धान्तों को नहीं मानता अतः इसमें सांसारिक वैभव अथवा इसी लोक की सम्पदाओं का विशेष महत्त्व है। इसका परियाम यह हुआ

कि मुसलमान शिक्षा-शास्त्रियों ने जीवनोपयोगी शिक्षा पर अधिक जोर दिया। और साथ ही एक नये देश में उन्होंने धार्मिक कट्टरता व उग्रता को भी अपने लिये अनिवार्य समझा अतः शिक्षा पर भी उनके धार्मिक दृष्टिकोण की छाप पड़ना अनिवार्य था। समय-समय पर धार्मिक गुरुओं ने ज्ञान का महत्त्व प्रतिपादन किया और उसे व्यवहारिक जीवन के लिये आवश्यक बतलाया। पैगम्बर मुहम्मद ने ज्ञान उपार्जन करना प्रत्येक सच्चे मुसलमान के लिये अनिवार्य बतलाया है। फीरोज, अकबर और औरंगजेब ने सांसारिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया। राज्य कार्य संचालन के लिये काज़ी, जज़, वज़ीर, सेनापति तथा अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती थी। इन सबकी नियुक्ति तत्कालीन मदरसों से निकले हुए कुशल स्नातकों में से होती थी। इसके अनिरीक्त कला-कौशल, शिल्प, कृषि, चिकित्सा तथा वाणिज्य इत्यादि अन्य जीवनोपयोगी विषयों का पढ़ाया जाना भी इस बात का द्योतक है कि धार्मिक शिक्षा के साथ ही सांसारिक शिक्षा का एक सुन्दर समन्वय शिक्षा का उद्देश्य था। मक़तबों में जहाँ कुरान व हदीस इत्यादि का अध्ययन कराया जाता था और ईश प्रार्थनायें होती थीं, वहाँ सांसारिक शिक्षा भी प्रदान करके जीवन में एक साम्य लाने का प्रयास तत्कालीन शिक्षा ने किया।

२. व्यवहारिकता—शिक्षा केवल शिक्षा के लिये ही नहीं थी, अपितु वह जीवन के लिये थी। आध्यात्मिक शून्यवाद की ओर मुसलमानों की अभिरुचि नहीं थी। वह इसी संसार में अपने जीवन काल में ही अधिक से अधिक कर्म कर जाना चाहते थे। अतः शिक्षा का भी ऐसा ही रूप रहा जोकि विद्यार्थियों को भविष्य के लिये तैयार करता था। राजकुमारों की शिक्षा को अधिक सजीव और व्यवहारिक रूप देने के लिये सम्राट औरंगजेब को हम प्रयत्नशील पाते हैं। उसने शाब्दिक व शास्त्रीय शिक्षा की अपेक्षा राजकुमारों के लिये राजतंत्र सच्चा इतिहास व भूगोल, सैनिक शिक्षा व नागरिक शास्त्र का शिक्षण अधिक व्यवहारिक समझा अतः पाठ्यक्रम को भी तदनुसार परिवर्तित करने के आदेश दिये।

३. शिक्षा की अनिवार्यता—मुसलमानी शिक्षा को जीवन के लिये अनिवार्य समझा जाता था क्योंकि कुरान के आदेशों के अनुसार जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है वही ईश्वर की भक्ति करता है। ज्ञान को रेगिस्तान में मित्र, एकान्त-साथी, दुख में सहानुभूति देनेवाला सुख का द्वार, मित्रों के मध्य में शोभा को बढ़ाने वाला तथा शत्रुओं से रक्षक माना गया है। इससे सांसारिक तथा स्वर्गीय सुख मिलते हैं। हज़रत मुहम्मद ने ज्ञान को अमरत्व प्रदान करने वाला बताया है। अतएव इस प्रकार की धार्मिक पृष्ठ भूमि के कारण विद्या प्राप्ति या शिक्षा की व्यापकता बढ़ गई। सांसारिक सम्पन्नता के लिए भी शिक्षा को अनिवार्य समझा गया। यही कारण था कि बहुत से धर्म प्रेमी नागरिकों तथा सुल्तान व शाहज़ादों

ने मुसलमान जनता को शिक्षित बनाना अपना धार्मिक कर्त्तव्य समझा ।

४. सरस साहित्य व इतिहास का विकास—मुसलमानी शिक्षा की एक यह विशेषता रही कि इसमें सरस साहित्य व इतिहास का पर्याप्त विकास हुआ । अब तक प्राचीन भारतीय शिक्षा के अन्तर्गत सच्चे इतिहास लिखने की प्रवृत्ति का विकास नहीं हो सका था । जो कुछ भी प्राचीन इतिहास हमें मिलता है वह पौराणिक गाथाओं के रूप में था । सच्ची सांसारिक व एतिहासिक घटनाओं का क्रमिक वर्णन हमें मुसलमानों से पूर्व बहुत कम मिलता है । कल्हण की 'राज-तरंगिणी' अवश्य इतिहास को कोटि में आती है । किन्तु मुसलमान शासकों ने स्वयं अपने संस्मरणों के रूप में इतिहास लिखे तथा दरबारों में प्रसिद्ध इतिहासकारों को संरक्षण दिया जिसका वर्णन पीछे किया जा चुका है । मुसलमानों के सौन्दर्य प्रेमी होने तथा उनकी प्रवृत्तियाँ सांसारिक भोग विलास की ओर होने के कारण सरस साहित्य का भी उस युग में सृजन हुआ । अतः तत्कालीन शिक्षा के पाठ्य-क्रम में भी साहित्य के विभिन्न अंग जैसे गद्य, पद्य, कथा तथा काव्य को सम्मिलित किया गया ।

५. व्यक्तिगत सम्पर्क—प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की भांति मुसलमानी शिक्षा पद्धति की भी यही विशेषता है कि इसमें गुरु और शिष्य का व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित हो जाता था । मकतब तथा मदरसों में अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी पर अलग २ ध्यान देते थे । प्रत्येक विद्यार्थी का पाठ स्वतन्त्र रूप से उसकी योग्यता तथा क्षमता के अनुसार चलता था । स्मरण रहे कि इस युग में कक्षा-प्रणाली नहीं थी । इसका परिणाम यह होता था कि योग्य व कुशल विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूर्ण सुअवसर मिलता था ।

इस्लामी शिक्षा के दोष

उपर्युक्त गुणों की अपेक्षाकृति इस शिक्षा पद्धति में कुछ दोष भी थे । यद्यपि समय २ पर देश की राजनैतिक अस्थिरता तथा युद्धों के कारण इस शिक्षा पद्धति को हम कभी-कभी पूर्णतः विश्रङ्खल भी पाते हैं । किन्तु जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है कि अकबर तथा औरंगजेब इत्यादि बादशाहों ने इस स्थिति को समझालकर एक नये ढंग से शिक्षा का संगठन किया । कालान्तर में मुगल साम्राज्य की अवनति, नादिरशाह तथा अहमदशाह अब्दाली के आक्रमण और मराठों तथा अंग्रेजों के बढ़ते हुये वैभव ने मुस्लिम शिक्षा प्रणाली को प्राणघातक आघात पहुँचाये । प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की जड़ जन साधारण के अन्तस्थल तक पहुँच गई थी अतः मुसलमान शासकों के महान प्रयत्न करने की अपेक्षाकृति भी वह शिक्षाप्रणाली जीवित बनी रही । किन्तु मुसलमानी शिक्षा में यह बात नहीं थी । वह जीवन के

अभ्यान्तर में इतनी व्याप्त न हो सकी। परिणामतः कुछ राजनैतिक उथल-पुथलों ने इसे विषटित कर दिया।

मुसल-शिक्षा पद्धति के निम्नलिखित प्रमुख दोष थे :—

१. दृष्टिकोण अधिक सांसारिक—इस्लाम के आधारभूत सिद्धान्तों के कारण मुसलमानों ने इस लोक की सम्पदा पर ही अधिक जोर दिया। परिणामतः शिक्षा में आध्यात्मिकता का अभाव रहा। यद्यपि प्रारम्भिक अवस्थाओं में धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी और कुरान-पाठ अनिवार्य था। तथापि मुसलमानी शिक्षा आध्यात्मिक उन्नति की उस सीमा तक न पहुँच सकी जहाँ पर प्राचीन भारतीय शिक्षा पहुँच सकी थी। शिक्षा का उद्देश्य राज्य में मान, पद व नोकरी पाना इत्यादि ही रह गया। इस लालच में पड़े हुये विद्यार्थी जीवन दर्शन की उस गहराई तक नहीं पहुँच सके जो कि प्राचीन भारत की एक विशेषता थी। एक प्रकार से यह शिक्षा समय और परिस्थितियों की माँग के अनुसार एक अस्थायी व्यवस्था थी। यह जीवन के शाश्वत नियम के रूप में विकसित नहीं हुई।

२. दूसरा दोष मुसलमानी शिक्षा का यह था कि इसका उद्देश्य अधिकांश में आर्थिक होने के कारण, मकतब और मदरसे आर्थिक सहायता के अभाव में बहुधा बन्द हो जाया करते थे और कुछ ही दिनों में जंगली जानवरों और चिड़ियों के निवास स्थान बन जाते थे।

३. तीसरा दोष था अरबी व फारसी भाषाओं का आधिपत्य—प्रारम्भ से ही मकतब में फारसी की वर्णमाला रटाई जाती थी। उच्च शिक्षा का माध्यम भी फारसी था। राज्यभाषा फारसी होने के कारण इसका अध्ययन अनिवार्य हो गया था। यहाँ तक कि हिन्दुओं को भी राज्य में पद पाने की इच्छा से फारसी का अध्ययन करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रांतीय भाषाओं का विकास न हो सका। अकबर ने इस बात का प्रयत्न किया कि फारसी के साथ ही साथ हिन्दी का भी उत्थान किया जाय किन्तु वह केवल नीति तक ही सीमित रहा। औरंगजेब ने भी फारसी और अरबी के शब्द तथा व्याकरण के रटने में समय नष्ट होने की शिकायत की है। उसने प्रान्तीय भाषाओं प्रधानतः उर्दू में शिक्षण तथा रचना करने को प्रोत्साहन भी दिया किन्तु वस्तुतः फारसी और अरबी का ही प्राधान्य रहा। इससे होने वाली हानियों का वर्णन किया जा चुका है।

४. शिक्षा की व्यापकता का अभाव—प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के इस्लाम धर्म के बुनियादी सिद्धान्तों के बावजूद भी मुसलमानी शिक्षा व्यापक न हो सकी। नगरों में जहाँ पर मुसलमानों के उपनिवेश बने हुए थे वहीं शिक्षा केन्द्र बन गये। जन साधारण की शिक्षा की अवहेलना रही। वस्तुतः सरकार में कोई सुसंगठित तथा नियमित शिक्षा विभाग जैसी वस्तु नहीं थी जिसका एक मात्र उद्देश्य जनता को शिक्षित करना तथा शिक्षा-सिद्धान्तों का विकास करना रहा हो।

शासकों तथा अमीर उमरावों ने धार्मिक भावना से प्रेरित होकर अथवा कीर्ति व सम्मान के लालच से मकतब और मदरसों की स्थापना कराई। उन शासकों की मृत्यु के उपरान्त वह मदरसे प्रायः नष्ट हो जाया करते थे। इसके अतिरिक्त अधिकतर मुसलमान शासकों का धार्मिक दृष्टिकोण कट्टर होने के कारण हिन्दू जनता की शिक्षा की अवहेलना की गई। उन्होंने केवल अपनी मुसलमान प्रजा की शिक्षा का ही प्रबन्ध किया। इतना ही नहीं औरंगजेब इत्यादि कट्टरपंथी शासकों ने तो हिन्दू मन्दिरों तथा विश्वविद्यालयों को विध्वंस करके उसके स्थान पर इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार एक विशेष वर्ग ही इस शिक्षा से लाभान्वित होता रहा।

५. स्त्री शिक्षा की अवहेलना—मुसलमानों में पदांप्रथा के कारण स्त्रियाँ शिक्षा से बहुधा वंचित रहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि शाहजादियों तथा अमीर सरदारों की पुत्रियों की शिक्षा-व्यवस्था उनके महलों में ही हो जाया करती थी और उनमें से कुछ तो विदुषी भी हुईं किन्तु सर्व-साधारण की लड़कियों के लिये कोई शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी। मुहल्ले की मसजिद में ही दो चार बालिकायें लड़कों के साथ बैठकर लिखना-पढ़ना भर सीख लेती थीं।

६. लेखन व पाठन की असमानता:—मुसलमानी शिक्षा में पहिले पहल शब्दों के पढ़ने का अभ्यास कराया जाता था और उसकी समाप्ति पर लिखने का। इससे बालक का संतुलित विकास नहीं हो पाता था और व्यर्थ में ही पर्याप्त समय व्यर्थ नष्ट हो जाता था। अकबर ने लेखन व पाठन को साथ ही साथ करके समय बचाने के लिये व्यवस्था की और इसके लिये राज्यादेश भी जारी किये। किन्तु यह दोष अन्त तक भी दूर न हो सका।

इसके अतिरिक्त स्वाध्याय का अभाव, रटने की प्रवृत्ति के प्रोत्साहन देने से मौलिकता का अभाव, विद्यार्थियों में आराम व विलास की प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव तथा उच्चादर्शों का अभाव कठिन शारीरिक दंड व्यवस्था तथा विद्यार्थियों में शुद्ध तार्किक अभिरुचि उत्पन्न करने की प्रवृत्ति इत्यादि मुसलमानी शिक्षा के अन्य दोष हैं।

इतना होते हुए भी इस्लामी शिक्षा की अपनी एक विशेषता थी जिसने सम्पूर्ण मुस्लिम समाज को एक सूत्र में बाँध कर उनके समस्त जीवन का एक नवीन रूप रक्खा। मुस्लिम संस्कृति की एकता का एक मात्र श्रेय उनकी शिक्षा प्रणाली को ही है। इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा मुस्लिम जनता न केवल अपना सम्बन्ध मध्य एशिया के अन्य इस्लामी देशों से बनाये रखने में सफल हो सकी अपितु भारतीय धर्म परिवर्तित मुसलमानों में भी एक साम्य व भ्रातृत्व भावना का समावेश भी कर सकी।

शिक्षा केन्द्र

मुसलमानों ने भारत में आकर अपनी बस्तियाँ बसा लीं। यह बस्तियाँ कालान्तर में बड़े २ नगरों के रूप में बदल गईं। प्रायः यही नगर इस्लामी शिक्षा व संस्कृति के केन्द्र बन गये। प्रारम्भिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी जोकि मसजिदों से लगे होते थे। यह मसजिदें प्रायः प्रत्येक नगर, ग्राम और मुहल्ले में बनी होती थीं। अतः प्रारम्भिक-शिक्षा इन्हीं मसजिदों में विकसित हुई और देश भर में इनका एक जाल सा बिछ गया। परन्तु उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। यह मदरसे केवल बड़े २ नगरों में ही बने जहाँ पर मुसलमान जनसंख्या का बाहुल्य था अथवा कोई मुसलमान शासक रहता था। प्रायः प्रत्येक नगर में एक या अधिक मदरसा होता था। मुसलमान शासकों की राजधानी होने, किसी अमीर अथवा सूबेदार का निवास-स्थान होने अथवा किसी प्रकार से धार्मिक महत्त्व रखने जैसे दरगाह इत्यादि पर ही कोई भी नगर शिक्षा का केन्द्र बन जाता था इस प्रकार आगरा, दिल्ली, जौनपुर, लाहौर, अजमेर, बीदर, लखनऊ, फीरोजाबाद, जालंधर, मुल्तान, बीजापुर इत्यादि प्रमुख शिक्षा केन्द्र बन गये।


आगरा

आगरा नगर की नींव सिकन्दर लोदी ने डाली थी। सिकन्दर ने आगरा को एक प्रमुख शिक्षा केन्द्र बनाया तथा सैकड़ों मदरसे बनवाये। यह नगर एक विश्व-विद्यालय सभ बन गया जहाँ विदेशी विद्यार्थी भी विद्याध्यन के लिये आते थे।^१ सिकन्दर के उपरान्त बाबर ने भी वहाँ कुछ मदरसों का निर्माण कराया। अकबर के समय में पुनः आगरा इस्लामी शिक्षा, संस्कृति व कला-कौशल का एक प्रमुख केन्द्र बन गया। देश के भिन्न २ कोनों से आकर विद्वान, दार्शनिक, कवि तथा कलाकार आगरा में एकत्रित होने लगे। स्वयं सम्राट् इन विद्वानों के साथ उच्चकोटि के शास्त्रार्थों में भाग लेता था। अकबर ने आगरा तथा आगरा से कुछ मील दूर फतहपुर सीकरी में असंख्य मदरसे बनवाये, इन मदरसों में साहित्य, गणित, दर्शन, चिकित्सा, कृषि, ज्योतिष तथा वाणिज्य इत्यादि सभी विषयों की उच्च शिक्षा दी जाती थी। इन मदरसों में छात्रावासों की भी व्यवस्था थी जहाँ विदेशों के प्रधानतः मध्य एशिया के देशों से विद्यार्थी आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। अकबर का राज्यकाल आगरा नगर की उन्नति का स्वर्णयुग था। इसके उपरान्त जहाँगीर, तथा शाहजहाँ ने भी कुछ मदरसे बनवाये। औरंगजेब ने यहाँ प्रारम्भिक तथा धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य की अवनति के साथ

१. अकबर-एज्युकेशन इन मुस्लिम इंडिया।

भारतवर्ष

मध्यकालीन शिक्षाकेन्द्र
(१२०० ई. - १८०० ई.)



अ र ब
सा ग र

बं गाल
की
खाडी

मध्यकालीन शिक्षाकेन्द्र

- मुसलिम शिक्षाकेन्द्र
- + हिन्दू शिक्षाकेन्द्र

लका

आगरे का वैभव भी नष्ट होने लगा। आधुनिक युग में भी कुछ मकतब मसजिदों में अपनी जीर्णवस्था में विद्यमान हैं।

दिल्ली

यह मुसलमानी शिक्षा का प्रारम्भ से एक प्रमुख केन्द्र रहा है। वास्तव में दिल्ली ही सुल्तानों की राजधानी रही और मुगल सम्राटों ने भी दिल्ली की शान-शौकत को बढ़ाया। नासिरुद्दीन ने दिल्ली में मिनहाजे-शिराज की श्रेष्ठता में नसीरिया कालेज की स्थापना की। उसके उपरान्त अन्य गुलाम वंश के शासकों के समय में भी दिल्ली शिक्षा का केन्द्र बना रहा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली में विद्वानों का जमघट लग गया। फरिश्ता के अनुसार उस समय दिल्ली में तैतालीस बड़े धर्माचार्य जो कि इस्लामी धर्म तथा कानून के पंडित थे उन मदरसों में पढ़ाते थे जिनकी स्थापना अलाउद्दीन ने कराई। फीरोज तुगलक के समय में तो दिल्ली शिक्षा का प्रमुख केन्द्र बन गया। उसने ५० नये मदरसे खोले तथा पुराने मदरसों की मरम्मत कराई। अपने गुलामों की शिक्षा का भी उसने प्रबन्ध किया। इसके उपरान्त मुगल काल में दिल्ली की पर्याप्त उन्नति हुई और उत्तरी भारत में वह शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र बन गया। हुंमायूँ ने दिल्ली में ज्योतिष तथा भूगोल का एक कालेज खोला। अकबर ने दिल्ली में भी कुछ मदरसे खोले तथा उसकी आया महमअनगा ने भी सन् १५६१ ई० में एक विशाल कालेज का निर्माण कराया। बदाउनी ने इसी कालेज में शिक्षा पाई थी। जहाँगीर ने वहाँ पुराने मदरसों की मरम्मत कराई तथा शाहजहाँ ने जामामस्जिद के पास एक मदरसे की स्थापना की। औरंगजेब ने भी अपना प्रयास जारी रखा तथा उसके उपरान्त गाजीउद्दीन ने भी एक मदरसा बनवाया। मुगल साम्राज्य के बाद नादिरशाह तथा अहमदशाह अब्दाली के आक्रमणों ने दिल्ली की शान-शौकत को मिट्टी में मिला दिया तथा उत्तरी भारत के अन्य शिक्षा केन्द्रों के साथ दिल्ली को भी विध्वंस कर दिया। दिल्ली इस्लामी शिक्षा का एक दीर्घ-काल तक केन्द्र रही जहाँ से इस्लामी संस्कृति सारे देश में विकीर्ण हुई।

जौनपुर

सुल्तानों के शासनकाल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र था। फीरोज के समय में यहाँ बहुत से मकतब और मदरसे बने। उस समय अपनी कला, साहित्य तथा उच्च कोटि की विद्या के लिये जौनपुर बहुत प्रसिद्ध हो गया था। यही कारण है कि उसे शीराजे-हिन्द कह कर पुकारा गया। शर्कियों ने जौनपुर में बहुत से मदरसे खुलवाये। पंद्रहवीं शताब्दी में इब्राहीम शर्की ने यहाँ शिक्षा को बहुत उन्नति की। उसने मदरसों के साथ में जागीरें लगा दीं, तर्जुमन-ए-विद्यार्थियों को उच्च पद तथा जागीरें देकर सम्मानित व प्रोत्साहित किया।

122092

शाह सूरी यहीं का विद्यार्थी था। जौनपुर में इतिहास, दर्शन, राजनीति तथा सैनिक शिक्षा इत्यादि विषय विशेष रूप से पढ़ाये जाते थे। हस्तकला व शिल्प के लिये भी जौनपुर कई शताब्दियों तक प्रसिद्ध रहा। मुगलकाल के अन्तिम दिनों तक यह विद्या का एक प्रमुख केन्द्र बना रहा।

बीदर

बीदर भी शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र था। महमूद गाँवा ने वहाँ एक विशाल मदरसा बनवाया जिसमें सदस्यों पुस्तकों से सुसज्जित एक पुस्तकालय भी था। किन्तु कुछ समय उपरान्त औरंगजेब ने इसे नष्ट करा दिया। इसके पूर्व अलाउद्दीन अहमद ने भी यहाँ पर बहुत से मकतब और मदरसों का निर्माण कराया था। इस प्रकार बीदर के एक प्रमुख शिक्षा केन्द्र हो जाने के कारण बहमनी राज्य में शिक्षा का मानदंड पर्याप्त ऊँचा हो गया। यहाँ पर ग्रामीण मकतबों के द्वारा फारसी और अरबी भाषा का खूब प्रचार किया गया। यह मकतब मसजिदों से लगे हुए थे तथा इनके खर्च के लिये जागीरें लगा दी गई थीं। कोई ऐसा छोटे से छोटा गाँव भी नहीं रह गया था जहाँ पर कम से कम एक स्कूल न हो। इनमें प्रायः शिक्षा पद्धति एक ही प्रकार की थी जिसका उद्देश्य जितना शिक्षा व साहित्य का प्रसार था उतना ही शासकों के धार्मिक विश्वासों और सिद्धान्तों का प्रचार था जिसके चिन्ह आज भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं।^१

इनके अतिरिक्त बीजापुर, गोलकुंडा, मालवा, खानदेश, मुल्तान; गुजरात, लखनऊ, स्यालकोट तथा बंगाल इत्यादि अन्य स्थान थे जो कि मुस्लिम शिक्षा के समय समय पर प्रमुख केन्द्र रहे हैं।

उपसंहार

इस प्रकार लगभग ७०० वर्ष के दीर्घ और क्रमिक इतिहास में हम पाते हैं कि भारत में मुस्लिम शिक्षा का पर्याप्त प्रचार हो गया। इस शिक्षा ने न केवल ज्ञान पिपासा को ही शान्त किया अपितु लोगों की आर्थिक समस्याओं को भी सुलभाया। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ इस्लाम धर्म-सिद्धान्तों का भारत में प्रचार। शासितों को अपने धर्म, सभ्यता तथा भाषा से परिचित कराना शासन करने की दृष्टि से आवश्यक था। साथ ही धर्मपरिवर्तित हिन्दुओं के लिये भी आवश्यक था कि उन्हें मुसलमानी धार्मिक शिक्षा के द्वारा पूर्णतः नए धर्म में रंग दिया जाय जिससे कि वह अपने पूर्व धर्म को भुला सकें।

किन्तु इतना अवश्य है कि मुसलमानी शिक्षा अधिक सर्वप्रिय नहीं हो सकी थी जैसा कि बाबर तथा बर्नियर के वर्णनों से प्रतीत होता है। यही कारण था

रूप से चलती रही यद्यपि राज्य की ओर से उसे कोई संरक्षण अथवा प्रोत्साहन नहीं मिला। इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जायगा। जिस प्रकार बौद्ध-कालीन विश्वविद्यालयों की प्रसिद्धि न केवल भारत के कोने कोने में ही थी अपितु चीन, जापान, श्याम व पूर्वी द्वीप पुंजों तक में भी थी, उस भांति मुस्लिम विद्यालय प्रसिद्ध न हो सके। उनमें से अधिकांश अपना स्थानीय प्रभाव रखते थे। जैसा कि ऊपर वर्णन जा किया चुका है। आगरा, दिल्ली तथा जौनपुर अवश्य ऐसे केन्द्र थे जहाँ उच्च शिक्षा के लिये कुछ परम्परा स्थापित हो गई थी।

२— मध्यकाल में हिन्दू शिक्षा

भूमिका

मुसलमानों के आक्रमण के समय भारत में खूब शिक्षा प्रचार था। अधिकांश शिक्षा केन्द्रों के आक्रमणकारियों अथवा मुसलमान शासकों के द्वारा नष्ट कर दिये जाने की अपेक्षा भी यहाँ हिन्दू शिक्षा की धारा अजस्र रूप से बहती रही। हिन्दुओं का सामाजिक संगठन ऐसा था कि भीष्म प्रयत्न करने पर भी मुसलमान प्राचीन भारतीय संस्कृत को नष्ट नहीं कर सके यहाँ तक कि प्रचलित शिक्षा प्रणाली पर भी उनका प्रभाव नगण्य रहा। राजनैतिक परिवर्तन अधिकतर बड़े २ नगरों तक ही सीमित रहे। वस्तुतः सुदूर ग्रामों में जहाँ एक विशिष्ट धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा जनतंत्रीय शिक्षा-प्रणाली विकसित हो चली थी उसकी परम्परा भी अधिक प्रभावित न हो सकी। सुसंगठित शिक्षा केन्द्रों को अवश्य नष्ट किया जा चुका था किन्तु गुरुओं के आश्रम निर्जन वनों तथा ग्रामों में सुचारु रूप से चलते रहे। साथ ही कुछ ऐसे साधु-सत व योद्धा भी उत्पन्न होते रहे जो कि प्राचीन भारतीय संस्कृति व शिक्षा की रक्षा करते रहे और विदेशी अत्याचारों के विरुद्ध सदा अपनी आवाज़ उठाते रहे। इस विप्लव व अशान्ति के युग में भी हिन्दुओं ने विशाल व उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया और अपनी विशेष शिक्षा-पद्धति को भी जारी रखा।

शिक्षा का रूप

शिक्षा का स्वरूप प्रधानतः वही चलता रहा जो कि परम्परागत था। गुरु लोग अपने आश्रमों में ब्रह्मचारियों को वेद पुराण, स्मृति, उपनिषद् और दर्शन, तर्क-शास्त्र, भिषज इत्यादि विषयों को पढ़ाते थे। शिक्षा केन्द्रों के नष्ट हो जाने से हिन्दू शिक्षा अब उतनी सामूहिक रूप से नहीं दी जाती थी जितनी कि व्यक्तिगत रूप से। कि इसके समानांतर ही देश में सर्वत्र प्राचीन हिन्दू शिक्षा प्रणाली भी निरंतर

विद्यार्थी संयम से रहते हुये गुरुओं के व्यक्तिगत सम्पर्क में रहते थे। हाँ संयम अब इतना कठोर व उच्च कोटि का नहीं रह गया था जितना प्राचीनकाल में था।

इस युग की हिन्दू शिक्षा की एक विशेषता यह रही कि इसमें प्रान्तीय भाषाओं में रचनायें खूब हुईं। हिन्दी जन साधारण के बोलचाल की भाषा हो गई थी जो कि प्राकृत से बनी थी। आत्म रक्षा के भाव से हिन्दुओं में मध्य काल में एक प्रकार की राष्ट्रीयता ने जन्म लिया तथा हिन्दू धर्म पर तत्कालीन धार्मिक व सामाजिक नेताओं ने अधिक ध्यान दिया। इसकी भूलक हम तत्कालीन कवियों की रचनाओं में देख सकते हैं। कुछ सन्तों जैसे कबीर, दादू, नानक, तुलसी इत्यादि ने सभी धर्मों को समान बताया और लोगों को सभी धर्मों का आदर करने का उपदेश दिया।

इस प्रकार पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और उद्देश्यों की दृष्टि से मध्य युग में भी हिन्दू शिक्षा प्रधानतः वही रही जो कि परम्परागत चली आ रही थी। हाँ बौद्ध-धर्म का इस युग में पूर्णतः लोप हो चुका था अतएव बौद्ध शिक्षा का भी हास हो गया था और उसके स्थान पर ब्राह्मणीय शिक्षा का पुनः प्रचार हो गया था। शिक्षा जीवनोपयोगी होते हुए भी उसका स्वरूप प्रधानतः धार्मिक ही बना रहा। साहित्य की इस युग में बहुत उन्नति हुई। अधिकांश शिक्षा केन्द्र वही स्थान बन सके जो कि मुसलमानों के प्रभाव से दूर थे।

साहित्य

यद्यपि हिन्दू शिक्षा को मध्य युग में राज्य-संरक्षण प्राप्त नहीं था, तथापि यह मानना भूल होगी कि इस युग में हिन्दू शिक्षा का स्तर गिर गया था अथवा उसमें उच्च कोटि के साहित्य का सृजन नहीं हुआ। वस्तुतः हिन्दू भी मुसलमानों से साहित्य क्षेत्र में पीछे नहीं रहे तथा संस्कृति व हिन्दी दोनों में ही उन्होंने अपनी रचनायें कीं। साहित्य तथा कला के क्षेत्र में हिन्दू कभी भी मुसलमानों की उत्तमता को स्वीकार नहीं कर सके। इसका परिणाम यह हुआ कि इस युग में भक्ति, धर्म तथा दर्शन साहित्य की खूब रचना हुई। १२वीं शताब्दी में रामानुज ने ब्रह्मसूत्र पर अपनी प्रसिद्ध टीका लिखी जिसमें उन्होंने भक्ति सिद्धान्त का प्रतिपादन किया तथा पार्थसारथी ने कर्म मीमांसा पर कई ग्रन्थ रचे जिनमें 'शास्त्र दीपिका' अधिक महत्वपूर्ण है। जयदेव का 'गीत गोविन्द' जिसमें राधाकृष्ण के प्रेम, विरह, मिलन तथा व्रज नारियों के साथ क्रीड़ाओं का वर्णन है, इसी युग की रचना है। नाटक की दृष्टि से मुसलमानी साहित्य बहुत पिछड़ा हुआ था किन्तु हिन्दुओं ने इस क्षेत्र में भी उच्च कोटि की रचनाएँ कीं। इनमें से 'हरकेलि नाटक', 'ललित विग्रहराज', 'प्रसन्न राघव', जयसिंह सूरि का 'हमीर मय मरदाना', रविवर्मा का 'प्रद्युम्नाभ्युदय', विद्यानाथ का 'प्रताप रुद्र कल्याण', बामन भट्टनाथ का 'पार्वती परिणय', गंगाधर

का 'गंगादास प्रताप विलास', तथा रूप गोस्वामी रचित 'विदग्ध माधव' और 'ललित माधव' विशेषतः उल्लेखनीय हैं।

हिन्दू कानून के आधार भूत दो प्रमुख ग्रन्थ विशानेश्वर द्वारा रचित, 'मिताक्षरा' तथा जिमूतवाहन द्वारा रचित 'दायभाग' इसी युग की देन हैं। महान ज्योतिषी भक्षराचार्य भी इसी युग में हुआ। दर्शन शास्त्र की शाखाओं जैसे योग, वैशेषिक तथा न्याय इत्यादि पर भी टीकाएँ लिखी गईं। बौद्ध और जैन तर्कशास्त्रियों ने तर्क शास्त्र की बहुत सी रचनाएँ कीं। उस युग का सर्व प्रसिद्ध जैन तर्कशास्त्री देवसुरी था। १२वीं शताब्दी के मध्य में एक मात्र ऐतिहासिक ग्रन्थ कल्हण की 'राजतरंगिणी' की रचना हुई।

इस सम्पूर्ण साहित्य का सृजन तत्कालीन शिक्षा पद्धति पर एक तीव्र प्रकाश डालता है। विभिन्न विषयों में उच्च कोटि के साहित्य की रचना तत्कालीन शिक्षा पद्धति की उच्चता की द्योतक है। यहाँ पर मध्यकालीन प्रान्तीय भाषाओं के विकास की ओर संकेत कर देना असंगत न होगा। हिन्दी के प्रारम्भिक लेखकों में 'पृथ्वीराज रासो' का रचयिता चन्दबरदाई, आल्हखंड का प्रणेता जगनायक, अमोर खुसरो तथा बाबा गोरखनाथ हैं। आगे चलकर भक्तिगाथा काल का प्रादुर्भाव हुआ जिसने हिन्दी भाषा के उत्थान में पूर्ण योग दिया। उस भक्तिगाथा काल के लेखक प्रधानतः दो धाराओं में विभाजित हो गये। १—निर्गुणोपासक और २—सगुणोपासक। सगुणोपासक पुनः रामभक्तिशाखा और कृष्णभक्तिशाखा में विभक्त हो गये। निर्गुणोपासक धारा में कबीर तथा जायसी ने हिन्दी साहित्य को अपनी अमर रचनाओं से सम्पन्न किया। रामभक्ति शाखा में रामानुज, तुलसी तथा केशव इत्यादि अधिक प्रसिद्ध हैं तथा कृष्णभक्तिशाखा में हिन्दी में 'अष्टछाप' कवि अधिक विख्यात हैं जिनमें सुरदास, विहलदास तथा बल्लभदास इत्यादि अधिक प्रसिद्ध हैं। इन कवियों ने ब्रज भाषा और अ्रवची में अपनी रचनाएँ कीं और अमर साहित्य का सृजन किया।

अन्य प्रान्तीय भाषाओं में भी रचनाएँ हुईं। मीराबाई ने राजस्थानी में अपने गीत गाकर गिरधर को रिझाया तथा मिथिला कोकिल विद्यापति ने १४वीं शताब्दी में मैथिली भाषा में अपनी तान अलापी। बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र एवं सुदूर दक्षिण में शिक्षा का खूब प्रचार था अतः वहाँ भी प्रांतीय भाषाओं की खूब उन्नति हुई। बंगाल में कृत्तिवासा ने बालमीकि रामायण का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जिसे 'वास्तव में गंगाघाटी के लोगों की बाइबिल' के नाम से पुकारा जाता है। भागवत और महाभारत का भी वहाँ अनुवाद हुआ। मराठी संत कवि नामदेव ने भी रचनाएँ कीं। उनके कुछ भजन सिक्खों के ग्रन्थसाहित्य में भी सुरक्षित हैं।

दक्षिणी भारत में विजयनगर हिन्दू शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र था। यहाँ के राजा कृष्णदेवराय ने शिक्षा प्रचार तथा साहित्य की उन्नति में बहुत दिलचस्पी दिखाई। वह स्वयं भी उच्च कोटि का लेखक व विद्वान था। विजयनगर का राज-दरबार हमेशा कवि, कलाकार तथा विद्वानों से सुसज्जित रहता था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में साहित्यिक उन्नति अपनी पराकाष्ठा को पहुँच गई। उसके दरबार में उच्च कोटि के कवि, दार्शनिक, धार्मिक गुरु तथा साहित्य मर्मज्ञ रहते थे। राजा प्रायः इन्हें धन तथा भूमि का दान देता था। उसके समय में संगीत, नृत्य, नाटक, व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन तथा अन्य ज्ञान शास्त्रों पर ग्रन्थ रचनायें हुईं तथा चित्रकला और वास्तुकला को भी उदार संरक्षण दिया गया। मध्य युग के आरम्भ में जैन लेखकों ने तामिल तथा कनाडी भाषा में रचनायें कीं। १३वीं व १४वीं शतान्दी में शैव आन्दोलन ने दक्षिण में जोर पकड़ा जिससे साहित्यिक रचनाओं की पर्याप्त प्रगति हुई। संस्कृत तथा तैलगू भाषाओं में भी रचना हुई। इस युग में वेदों का व्याख्याता सायण तथा उसके भाई माधव विद्यारण्य ने भी संस्कृति में महान रचनायें कीं। इन दोनों भाइयों ने वेदों पर टीकायें लिखीं तथा दर्शन-शास्त्र पर भी ग्रन्थ रचे।

उपसंहार

इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्ययुग में जबकि भारत में इस्लाम की दुःदुमि बज रही थी, भारतीय संस्कृति को पैरों तले रोंदकर उसके स्थान पर एक विदेशी संस्कृति का आरोपण किया जा रहा था, भारतीय हिन्दू शिक्षा चुपचाप अपनी प्रगति करती रही। राज्य संरक्षण के अभाव में केवल अपने विशेष सामाजिक संगठन तथा कुछ धनिक नागरिकों के संरक्षण के कारण ही वह न केवल जीवित ही बनी रही अपितु उसने एक अमर साहित्य को जन्म दिया। शिक्षा प्रणाली वस्तुतः ब्राह्मणीय ही रही और प्राचीन आदर्शों व उद्देश्यों का ही प्राधान्य रहा। भारत में अंग्रेजों के आगमन, उनकी नवीन शिक्षा प्रणाली, अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता तथा भारत की राजनैतिक दासता और सामाजिक छिन्नभिन्नता के कारण धीरे-धीरे इस शिक्षा प्रणाली का भारत से लोप सा हो गया। दासत्व तथा देश के आर्थिक शोषण ने लोगों का विश्वास आध्यात्मवाद और धर्म की ओर से हटाकर भौतिकवाद तथा पदार्थवाद की ओर आकर्षित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि संस्कृत तथा अन्य प्राचीन विषयों की उपयोगिता कम हो गई। वैज्ञानिक आविष्कारों ने संसार के सुदूर देशों को निकट ला रक्खा अतः एक प्रकार से एक अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति का विकास हुआ। इसकी चकाचौंध में प्राचीन शिक्षा पद्धति छिन्नभिन्न हो गई।

महर्षि दयानंद तथा रवीन्द्रनाथ टैगोर इत्यादि कुछ नेताओं ने कुछ प्रयत्न प्राचीन शिक्षा पद्धति का आधुनिक से सम्मिश्रण करके उसके पुनरुद्धार का किया किन्तु उसका रूप पूर्णतः बदल गया और एक प्रकार से प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के अ.ब चिन्ह भी समाप्त होते जा रहे हैं ।

तृतीय खंड

सातवाँ अध्याय

प्रारम्भिक योरपीय प्रयत्न (१८१३ ई० तक)

भूमिका

मध्ययुग की भारतीय शिक्षा का वर्णन पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है। अंग्रेजों के पदार्पण करने से पूर्व भारत में देशी शिक्षा का जाल सा बिछा हुआ था। मुसलमानों के मकतब और मदरसे तथा हिन्दुओं की पाठशालाएँ, बङ्गाल में टोल् तथा दक्षिणी भारत में अग्रहारा नामक शिक्षालय यद्यपि उत्तरोत्तर अवनति को प्राप्त हो रहे थे, तथापि भारतीय जनता की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उनका एक विशेष महत्त्व था।

१५ वीं शताब्दि के अन्तिम दिनों में यूरोप के धर्मप्रचारकों ने भारत में आना प्रारम्भ कर दिया था। सन् १४६८ ई० में सर्वप्रथम पुर्तगाल निवासी वास्कोडिगामा कालीकट में उतरा। तदुपरान्त डच, डेन, फ्राँसीसी तथा अंग्रेज इत्यादि योरप निवासियों ने भारत में आना प्रारम्भ कर दिया। यह जातियाँ भारत में व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आई थीं किन्तु कालान्तर में पारस्परिक संघर्ष के कारण एक-एक करके इनका पतन होता गया और अन्त में अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की।

इस प्रकार भारत में योरपीय मिशनरियों के आने से शिक्षा को एक नया रूप व प्रगति मिली। इन मिशनरियों का उद्देश्य भारत में योरपीय शिक्षा द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार करना था। इन धर्म प्रचारकों के लिये शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा न होकर ईसाई धर्म प्रचार का साधन था।^१ इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये इन्होंने प्रारम्भिक स्कूलों की स्थापना की, भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया तथा इन भाषाओं में बाइबिल का अनुवाद करके धर्मप्रचार किया। ईस्ट इन्डिया कम्पनी के प्रारम्भिक संचालकों के कर्त्तव्यों में धर्मप्रचार भी एक प्रमुख कर्त्तव्य था। अतः उन्होंने भी धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिये भारत में शिक्षा प्रचार किया। किन्तु आगे चलकर कम्पनी ने इस नीति को राजनैतिक हितों की दृष्टि से घातक समझ कर त्याग दिया और धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाया। अन्त में सन् १८१३ ई० में इङ्गलैन्ड की संसद ने ईस्ट इन्डिया कम्पनी के समस्त स्पष्ट शिक्षा नीति तथा उत्तर दायित्व को रद्द कर भारत की शिक्षा को

^१ H. R. James quoted by S. N. Mukerjee.

राज्य का एक महत्वपूर्ण कर्त्तव्य बना दिया। इस प्रकार आधुनिक भारतीय शिक्षा के प्रथम युग की समाप्ति होती है।

आधुनिक भारतीय शिक्षा का द्वितीय युग सन् १८१३ ई० से लेकर १८५३ ई० तक है। इस काल में कम्पनी ने अपनी शिक्षा नीति को अधिक स्थायी बनाया। वस्तुतः भारतीय शिक्षा के इतिहास में यह युग एक संघर्ष और तर्क वितर्क का युग है। इस युग में तीन विभिन्न विचार धारायें थीं। एक विचार धारा जिसके द्वारा भारत में यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का प्रचार करके पाश्चात्य सभ्यता का प्रचार करना था। इसका नेतृत्व लार्ड मैकाले ने किया। इस विचार धारा के समर्थकों का कथन था कि भारतीय भाषायें तथा विज्ञान अविकसित हैं अतः अंग्रेजी भाषा द्वारा ही पाश्चात्य ज्ञान का प्रचार सम्भव है। दूसरी विचार धारा के मानने वालों का कथन था कि संस्कृत तथा अरबी व फारसी भाषाओं के द्वारा ही शिक्षा व ज्ञान का प्रसार किया जाय। इस दल का नेतृत्व प्रिंसेप ने किया। इसके अतिरिक्त बम्बई का एक तसरा दल था जिसका कथन था कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रचार भारत में देशी भाषाओं द्वारा करना चाहिये। इस मतभेद का परिणाम यह हुआ कि भारत में शिक्षा के रूप, उद्देश्य, साधन तथा माध्यम को लेकर एक प्रकार का वितन्डावाद खड़ा हो गया। किन्तु इस संघर्ष में अंग्रेजी की विजय हुई। लार्ड मैकाले ने २ फरवरी सन् १८३५ ई० को अपना विवरण प्रस्तुत कर दिया जिसके अनुसार भारत में ऐसे नागरिकों को जन्म देने का निश्चय हुआ 'जो कि रक्त तथा वर्ण में भारतीय हों किन्तु रुचि विचार, नैतिकता तथा मानसिक रूप से अंग्रेज हों'। इस प्रकार इस संघर्ष युग का अन्त हुआ और भारत में इंग्लैन्ड की शिक्षा पद्धति का अनुकरण होने लगा।

सन् १८३५ ई० से १८५४ तक का समय भारतीय शिक्षा को एक स्थायी रूप देने का युग है। शिक्षा अब राज्य का उत्तरदायित्व बन गई और उसका प्रसार द्रुत गति से हुआ। अंग्रेजी भाषा अब अधिक सर्व प्रिय बन गई और उच्च वर्ग ने इसे उत्साह पूर्वक अपनाया। प्रत्येक प्रांत में शिक्षा की नीति स्थिर हो गई। इस प्रकार १८५४ ई० तक यह गति जारी रही और शिक्षा ने एक व्यवस्थित रूप धारण कर लिया। सन् १८५४ ई० के शिक्षा आदेश-पत्र ने सभी तर्क वितर्कों का अन्त कर दिया।

सन् १८५४ ई० के शिक्षा आदेश-पत्र के उपरान्त देश में अखिल भारतीय शिक्षा-नीति का युग प्रारम्भ होता है जो कि सन् १९०१ ई० तक चलता है। इस युग में भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का खूब प्रसार हुआ। शिक्षा का संचालन क्रमशः भारतीयों के हाथ में आ गया। देशी शिक्षा पद्धति को इस युग में प्रायः घातक आघात मिला। तत्कालीन शिक्षा अधिकारियों की पक्षपात पूर्ण शिक्षानीति ने

भारतीय पद्धति का एक प्रकार से पूर्ण अन्न कर दिया। इस प्रकार 'सन् १६०० ई० तक उच्च शिक्षा के प्रायः सभी शिक्षालय व्यवहारिक रूप से अंग्रेजी भाषा का माध्यम के रूप में प्रयोग एवं पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का प्रचार करने लगे।' इस युग में शिक्षा का उत्तरदायित्व प्रधानतः मिशनरी स्कूल तथा कालेजों के अधिकारियों, सरकार के शिक्षा-विभाग तथा व्यक्तिगत भारतीयों ने अपने ऊपर लिया। व्यक्तिगत प्रयास का आधुनिक शिक्षा में यह बाल-प्रयास था। १६ वीं शताब्दि के समाप्त होते-होते भारतीय शिक्षा में इन व्यक्तिगत प्रयत्नों का सर्व प्रथम स्थान हो गया।

सन् १६०२ ई० से १६२० ई० तक भारतीय शिक्षा में एक नए युग का सूत्रपात होता है। भारतीय शिक्षा का रूप बहुत व्यापक होगया। प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा की संतोषजनक प्रगति हुई तथा स्त्री-शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा की दृष्टि से भी भारत ने आश्चर्यजनक उन्नति की। यह युग भारत में राष्ट्रीय राजनैतिक चेतना का युग था। बंगाल के विभाजन और असहयोग तथा स्वदेशी आन्दोलनों ने भारत की जनता को जगा दिया था। भारत सरकार की शिक्षा नीति पर भारतीयों की दृष्टि पड़ने लगी तथा उसकी आलोचना भी होने लगी। मिन्टोमालों-सुधार, प्रथम विश्व युद्ध, बहिष्कार-आन्दोलन इत्यादि घटनाओं ने भारतीय शिक्षा पर भी अपना प्रभाव डाला। परिणामतः सरकार को जनता की माँग के अनुरूप शिक्षा में सुधार करने के लिये विवश होना पड़ा। विश्व-विद्यालय शिक्षा में सुधार करने की दृष्टि से सन् १६०२ ई० में एक आयोग की स्थापना की गई तथा उसके पश्चात् सन् १६०४ ई० में भयानक विरोध की अपेक्षाकृति भी विश्वविद्यालय कानून पास कर दिया गया। एक प्रकार से विश्वविद्यालय शिक्षा भगड़े की जड़ बन गई और शीघ्र ही यह असंतोष माध्यमिक तथा प्रारम्भिक शिक्षा क्षेत्र तक पहुँच गया। सन् १६०४ का कानून विरोधियों की विजय का चिन्ह था। साथ-ही माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी सन् १६०४ से १६०८ ई० के मध्य में नवीन 'ग्रान्ट-इन-एड' कोड बना कर जनमत की अवहेलना की गई। अंग्रेजी भाषा के माध्यम को हटा कर देशी भाषाओं के प्रोत्साहन के प्रस्ताव को भी सन् १६१५ ई० में गिरा दिया गया। इसी प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में भी एक कटु संघर्ष छिड़ गया। गोखले ने प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य बनाने के लिये एक बिल प्रस्तुत किया किन्तु केन्द्रीय धारा सभा में बहुमत से यह बिल गिरा दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता में सरकार को शिक्षा नीति के प्रति एक कटुता छा गई और उसने देश की शिक्षा नीति को पूर्णतः संचालित करने का माँग की; अतएव इस माँग की पूर्ति के लिये सरकार ने सन् १६१६ ई० में भारतीय शासन विधान पास किया और शिक्षा को भारतीय सचिवों के अन्तर्गत हस्तान्तरित कर दिया।

इस प्रकार सन् १९२१ ई० से शिक्षा इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। यह युग प्रान्तीय स्वायत्तशासन का युग कहा जा सकता है। सन् १९१६ ई० के शासन विधान के अनुसार भारतीय शिक्षा में एक नई क्रान्ति हुई। शिक्षा का अधिकार केन्द्रीय सरकार से हटाकर प्रान्तीय सरकारों को दे दिया गया और प्रत्येक प्रान्त स्वतंत्र रूप से अपनी शिक्षा नीति बनाकर शिक्षा की उन्नति करने लगा। नवीन धारा-सभाओं तथा शिक्षा मंत्रियों ने देश की शिक्षा में बहुत उत्साह दिखलाया परिणामतः नई योजनाएँ बनीं और कार्यान्वित की गईं।

किन्तु शीघ्र ही नये विधान के अनुसार कुछ आर्थिक कठिनाइयों आकर उपस्थित हो गईं। साथ ही विश्व व्यापी आर्थिक मंदी ने भी भारतीय शिक्षा योजनाओं को बड़ा आघात पहुँचाया। सन् १९२६ ई० में हार्टिंग कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसके अनुसार आर्थिक दृष्टिकोण से दुर्बल स्कूलों को तोड़कर शिक्षा के परिणाम पर ध्यान न देकर उसकी उत्तमता पर जोर देने तथा शिक्षा का पुनर्संगठन करने की सिफारिश की गईं। इससे शिक्षा क्षेत्र में पुनः एक संघर्ष छिड़ गया जिससे शिक्षा की प्रगति को भयानक आघात लगा। अन्त में सन् १९३५ ई० के नये शासन विधान के आने पर ही इस संघर्ष का अन्त हो सका।

सन् १९३७ ई० में नये विधान के अनुसार भारतीय शिक्षा मंत्रियों के हाथ में महान अधिकार आगये। भारत के सात प्रान्तों में काँग्रेस मन्त्रि-मंडल बन गये जिन्होंने शिक्षा के सुधार और विकास के लिये अनेक योजनाएँ बनाईं। किन्तु सन् १९४० ई० में काँग्रेस सरकारों के त्याग पत्र देने से पुनः शिक्षा पर संकट छा गया। द्वितीय विश्व युद्ध ने भी शिक्षा की प्रगति को अवरुद्ध किया। युद्धोपरान्त अवश्य ही भारत सरकार ने 'साजेंट रिपोर्ट' नामक एक नवीन और व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत की।

अन्त में १५ अगस्त सन् १९४७ ई० में भारत स्वतंत्र हो जाने से भारतीय जीवन का पुनर्जन्म हुआ। परिणामतः शिक्षा जगत में भी एक नूतन जीवन के लक्षण दृष्टि-गोचर होने लगे। भिन्न-भिन्न राज्यों की सरकारों ने हितकर व व्यापक शिक्षा योजनाएँ बनाईं हैं तथा उन्हें क्रमशः लागू किया जा रहा है। जनता की अभिरुचि शिक्षा में अधिक बढ़ गई है तथा शिक्षा का एक विशाल पैमाने पर प्रसार किया जा रहा है। वर्तमान भारत में नवीन संविधान के अनुसार केन्द्रीय शिक्षा विभाग एक शिक्षा सचिव के आधीन है जोकि भारतीय संसद के प्रति उत्तरदायी है। राज्यों को अपनी आवश्यकतानुसार शिक्षा योजना बनाने की स्वतंत्रता है। राज्यों की शिक्षा भी मंत्रियों के आधीन है। प्रत्येक राज्य में शिक्षा संचालक नियुक्त होता है तथा राज्यों को उप-क्षेत्रों में बाँटकर उन्हें उप-शिक्षा संचालकों के आधीन कर दिया गया है और प्रत्येक जिले में शिक्षा निरीक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है।

परीक्षाओं के लिये बोर्ड तथा विश्वविद्यालय स्थापित हैं। इस प्रकार शिक्षा का सर्वांगीण विकास हो रहा है। शिक्षा की दृष्टि से भारत उन्नति के प्रभात में प्रवेश कर चुका है और एक ज्योतिपूर्ण भविष्य की आशा में वह अपनी शिक्षा योजनाओं का धैर्य पूर्वक परीक्षण कर रहा है।

तत्कालीन देशी शिक्षा की अवस्था

भारत में योरपीय शिक्षा प्रयत्नों के पूर्व देशी शिक्षा की अवस्था तथा पद्धति का एक संक्षिप्त विवरण आवश्यक है, क्योंकि इसी शिक्षा को ही आधार मानकर विदेशियों ने अपने प्रयत्न आरम्भ किये थे। किन्तु तत्कालीन शिक्षा के विषय में ठीक-ठीक आँकड़े उपलब्ध करने के साधन अपर्याप्त तथा कभी-कभी संदिग्ध भी हैं। वास्तव में १६वीं शताब्दि के पूर्वार्द्ध में जबकि भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ें मजबूत होती जा रही थीं, विदेशी शासकों ने इस कार्य भार को अपने ऊपर लिया और तत्कालीन ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों में देशी शिक्षा के रूप, विशेषताओं तथा विस्तार की जाँच पड़नाल कराई। यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिस क्षेत्र के अन्तर्गत जाँच की गई वह सम्पूर्ण देश का एक अल्पांश था। किन्तु उदाहरण के रूप में अवश्य ही वह एक इतिहास के विद्यार्थी के लिये सूचनाप्रद हो सकता है। जाँच के प्रमुख क्षेत्र मद्रास, बम्बई तथा बंगाल थे। यहाँ हम संक्षेप में प्रत्येक का वर्णन करते हैं।

मद्रास—सन् १८२२ ई० में सर टाम्स मुनरो ने मद्रास में देशी शिक्षा की जाँच कराई। मुनरो का कथन था कि अंग्रेजी हुकूमत के हित में आवश्यक है कि भारत की शिक्षा में कुछ रुचि प्रदर्शित की जाय। “हमने अपने प्रान्तों का भौगोलिक व कृषि सम्बन्धी निरीक्षण कर लिया है, उनके प्राकृतिक साधनों की खोज करली है तथा उनकी जनसंख्या निश्चित करने के प्रयत्न किये हैं; किन्तु शिक्षा की अवस्था जानने का कुछ भी प्रयत्न नहीं किया है।”^१ अतः मद्रास प्रान्त की तत्कालीन शिक्षा के विषय में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिये भिन्न-भिन्न जिलों के जिलाधीशों को आदेश दिये गये। ऐसे स्कूलों की सूचियाँ तैयार कराई गईं जहाँ पर लिखना-पढ़ना तथा हिसाब-किताब सिखाया जाता हो तथा जिनमें विद्यार्थियों की संख्या, जाति, कक्षा, स्कूल आने जाने का समय, पाठ्य-पुस्तकें, शुल्क तथा स्कूलों के आय के साधन इत्यादि का पूर्ण विवरण हो।

श्री मुनरो ने स्थिर किया कि सवा करोड़ की आबादी में १८८,००० अर्थात् ६७ में १ के अनुपात से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह विवरण सम्पूर्ण जनसंख्या के विषय में है न कि केवल पुरुषों के लिये ही जिनका कि शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत कहीं

1. Selections from the Records of the Govt. of Madras quoted by Nūrulla and Naik.

अधिक है, क्यों कि यदि हम सारी जनसंख्या को रिपोर्ट के अनुसार १२८५०००० मान लें तथा आधी संख्या इनमें बियों की मान लें तो शेष पुरुषों की जनसंख्या ६४२५००० शेष रह जायगी। यदि हम पुरुषों की शिक्षा की उम्र ५ और १० वर्ष के बीच में गिनें जो कि साधारणतः लड़कों के स्कूल में पढ़ने की उम्र है तो उसका ३ हुआ ७१३००० जो कि उन समस्त लड़कों की संख्या हुई जो कि १० वर्ष तक की अवस्था के हैं और शिक्षा के लिये भेजे जाते हैं। लेकिन स्कूल जाने वालों की वास्तविक संख्या १८४,११० है अर्थात् उस संख्या के चौथाई से कुछ अधिक।किन्तु मैं शिक्षित पुरुषों की संख्या एक चौथाई के स्थान पर एक तिहाई मानने को तैयार हूँ क्योंकि व्यक्तिगत रूप से घर पर पढ़ने वालों की संख्या प्रान्त से प्राप्त नहीं हुई। मद्रास में घर पर शिक्षा पाने वालों की संख्या २६६०३ अर्थात् स्कूलों में पढ़ने वालों की अपेक्षा पाँच गुने से भी अधिक है। संभवतः इस संख्या में कुछ भूल हो और यद्यपि घर पर पढ़ने वालों की संख्या इतनी अधिक न हो तथापि यह बहुत बड़ी संख्या है क्योंकि घर पर सम्बन्धियों तथा व्यक्तिगत अध्यापकों द्वारा बच्चों की शिक्षा इस देश के किसी भी भाग में प्रचुर मात्रा में है।”^१

श्री मुनरो का यह भी कथन है कि यद्यपि शिक्षा का यह प्रतिष्ठान इंग्लैंड की अपेक्षा कम है तथापि यूरोप के बहुत से देशों की अपेक्षा अधिक है और भूतकाल में तो इससे भी अधिक था। यह वक्तव्य इस बात का प्रमाण है कि १६ वीं शताब्दि के प्रारम्भ में देश में पर्याप्त शिक्षा वर्तमान थी।

विलारी तथा कनाड़ा के जिलों से प्राप्त सूचनार्ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। विलारी के जिलाधीश ने लिखा था कि लगभग १ करोड़ प्राणियों के लिये ५३३ स्कूल थे जहाँ ६६४१ विद्यार्थी थे अर्थात् लगभग १२ विद्यार्थी प्रत्येक स्कूल में थे। इन स्कूलों में ६० हिन्दू बालिकार्ये भी थीं। हिन्दू बालकों की संख्या ६३६८ तथा मुसलमानों की २४३ थी। स्कूलों में एक स्कूल अंग्रेजी भाषा के लिये भी था तथा ४ तामिल के लिये, २१ फारसी, २३ मराठी, २२६ तेलगू तथा २३५ कर्नाटका के लिये थे। २३ स्कूल संस्कृत में उच्च शिक्षा के लिये भी थे। तत्कालीन शिक्षा संगठन तथा व्यवस्था के विषय में भी उसने वर्णन किया है। शिक्षा के अल्प व्ययी होने की इसने विशेष रूप से सराहना की है। प्रारम्भिक शिक्षा प्रायः ५ से १० वर्ष तक रहती थी यद्यपि १२ और १४ वर्ष के भी कुछ विद्यार्थी पाये जाते थे। विद्यारम्भ के समय गणेशजी की स्तुति करके प्रारम्भ कर दिया जाता था। उस अवसर पर माँ बाप तथा सम्बन्धी भी एकत्रित होते थे।

1 Selections from the Records of the Govt. of the Madras No. II Appendix A.—Quoted by Nurullah & Naik.

शिक्षा की व्यवस्था साधारण किन्तु प्रभावशाली थी। प्रायः सवेरे ६ बजे बालक स्कूल आते थे। प्रथम बालक के हाथ पर विद्या की देवी सरस्वती का नाम लिखकर सम्मानित किया जाता था। फिर एक एक करके सभी बालक इकट्ठे हो जाते थे और सरस्वती बन्दना करते थे। देर से आने वाले विद्यार्थियों को कोई स्वास्थ्यवर्धक शारीरिक दंड मिलता था। किन्तु दंड में बेंत लगाना छुत से लटका देना तथा बैठक भी सम्मिलित थे। इसके उपरान्त बालक अपनी योग्यता तथा संख्या के अनुसार समूहों में बट जाते थे। बड़े तथा योग्य विद्यार्थी छोटे बालकों को पढ़ाते थे तथा बड़े विद्यार्थियों को शिक्षक स्वयं पढ़ाता था। शिक्षक के अधिकार में प्रायः चार कक्षाएँ रहती थीं। इस प्रकार मानीटरों की सहायता से अकेला शिक्षक सम्पूर्ण स्कूल के शिक्षण व व्यवस्था पर अपनी दृष्टि रखता था। डा० बैल ने इस मानीटर पद्धति की प्रशंसा की तथा इस पर एक पुस्तक लिखकर स्काटलैंड और इंगलैंड में इस प्रथा का अनुकरण किया। भारतीय शिक्षा पद्धति का इङ्गलैंड की शिक्षा पद्धति पर यह एक ऋण है। इस प्रकार बालक स्कूल में आकर प्रथमतः बालू पर उंगली से लिखना सीखते थे और इसके उपरान्त वह बड़े २ पत्तों पर भी लिखना सीखते थे। लकड़ी की पट्टी का भी प्रयोग किया जाता था। इसके उपरान्त बालक स्वर व्यंजन और आवश्यक गणित का ज्ञान प्राप्त करते थे। पहाड़े, पौचे, अद्वे और सवैये इत्यादि भी गा गाकर याद किये जाते थे।

इस प्रकार यह व्यवस्था अल्पव्ययी, सादा तथा उच्चकोटि की थी। मानीटर प्रथा एक सराहनीय साधन था किन्तु साथ ही पुस्तकें बड़े निम्न कोटि की थीं और शिक्षक भी बहुधा अयोग्य और अदीक्षित थे।

विलारी की भांति कनाडा के जिलाधीश ने भी अपनी जांच प्रस्तुत की और व्यक्तिगत शिक्षा के प्रचार का वर्णन करते हुये इस आशय की बात लिखी कि, "जिले में शिक्षा इतनी अधिक घरेलू रूप में होती है कि शिक्षालयों और उनके विद्यार्थियों का लेखा देना व्यर्थ ही नहीं वरन् जनसंख्या के अनुसार शिक्षा पाने वालों का अनुपात निकालना भ्रामक होगा।"

बम्बई:— सन् १८२६ ई० में बम्बई प्रान्त के गवर्नर श्री एलफिंस्टन ने शिक्षा की जाँच कराई। इस जाँच की रूप रेखा प्रायः वही थी जो कि मद्रास में मुनरो की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों की संख्या १,७०५ थी जिनमें ३५,१४३ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। प्रान्त की जनसंख्या ४६,८१,७३५ थी। आँकड़ों से सिद्ध होता है कि बम्बई में मद्रास की अपेक्षा शिक्षा ३ थी। किन्तु इस संख्या को अन्तिम रूप से प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें उस समय घर-घर प्रचलित व्यक्तिगत शिक्षा के आँकड़े सम्मिलित नहीं थे। तत्कालीन सरकारी अफसरों का भी अनुभव यह था कि उस समय देशी प्रारम्भिक शिक्षा बम्बई में अधिक व्यापक

रूप में थी। सन् १८२१ ई० में बम्बई के गवर्नर की कार्य-कारिणी के सदस्य श्री प्रेन्डरगास्ट से मतानुसार “कठिनाई से राज्य भर में कोई छोटा या बड़ा गाँव होगा जहाँ एक न एक स्कूल न हो। बड़े गाँवों में अधिक तथा नगरों में बहुत से स्कूल हैं जहाँ भारतीय बच्चों को लिपि तथा गणित की शिक्षा इतनी सस्ती—एक दो मुट्ठी अनाज से लेकर एक रुपया प्रतिमास पर दी जाती है किन्तु साथ ही वह इतनी प्रभावोत्पादक होती है कि ऐसा कोई किसान अथवा छोटा व्यापारी नहीं है जो हमारे देश के निम्नकोटि के लोगों से अधिक कुशलता से हिसाब न रखता हो। बड़े व्यापारी तथा साहूकार किसी भी अंग्रेजी व्यापारी के समान स्पष्ट तथा सुविधाजनक हिसाब रखते हैं।”

अतः इस विवरण से प्रकट होता है कि उस समय शिक्षा का प्रचार अच्छा रहा होगा अतः सन् १८२६ ई० की रिपोर्ट भी कुछ भ्रान्तिपूर्ण है। वास्तव में बम्बई का शिक्षा विभाग देशी स्कूलों तथा शिक्षा की खुले रूप में अवहेलना करता था। इसके फलस्वरूप बम्बई की प्रारम्भिक देशी शिक्षा को बड़ा आघात लगा और सन् १८८२ ई० तक उसका पर्याप्त पतन हो गया। एल्फिंस्टन के आँकड़ों की व्यर्थता इसी बात से प्रकट हो जाती है कि सन् १८८२ ई० में भारतीय शिक्षा आयोग ने वहाँ स्कूलों की संख्या ३,६५४ पाई थी जिनमें ७८,२०५ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। इससे यह प्रकट होता है कि सरकारी आँकड़ों को हम आदर्श रूप नहीं मान सकते और न इन्हें शेष भारत की शिक्षा के लिये मानदंड ही मान सकते हैं।

बम्बई प्रान्त में देशी शिक्षा की पद्धति का भी उल्लेख मिलता है। प्रधानतः शिक्षक ही विद्यार्थियों को पढ़ाता था। मानीटर-प्रथा यहाँ भी प्रचलित थी। एक अन्य पद्धति भी बम्बई में चल रही थी जिसका वर्णन इस प्रकार मिलता है। “जब एक बालक स्कूल में आता है, तत्काल ही वह अधिक योग्य विद्यार्थी के संरक्षण में रख दिया जाता है। उसका यह कर्तव्य होता है कि वह नये बालक को पाठ पढ़ाये और उसकी शिक्षा प्रगति तथा आचरण की सूचना शिक्षक को दे। बालकों का विभाजन कक्षाानुसार न होकर दो-दो के जोड़ों में कर दिया जाता है। प्रत्येक जोड़े में एक छोटा विद्यार्थी तथा एक बड़ा व योग्य विद्यार्थी शिक्षक के रूप में होता है। इन जोड़ों के बैठने की व्यवस्था भी इस प्रकार की जाती है कि कुशल विद्यार्थी के पास ही नये विद्यार्थी को बैठाया जाता है। इस प्रकार जब बहुत से विद्यार्थी समान रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें एक साथ इकट्ठा बैठाया जाता है और वह सीधे शिक्षक के द्वारा पढ़ाये जाते हैं। इस प्रकार शिक्षक के पास पर्याप्त अवकाश स्कूल के निरीक्षण तथा प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से देखने को मिल जाता है।”

इस पद्धति के द्वारा शिक्षक अकेला अधिक से अधिक विद्यार्थियों की देखभाल कर सकता है। साथ ही यह यही अल्पव्ययी प्रथा है। यही कारण है कि डा० बैल प्रयत्नों के द्वारा इंग्लैंड ने भी १६ वीं शताब्दी में इस प्रथा को अपनाया और शिक्षा-प्रसार किया।

बंगाल:—निम्नतर गंगाघाटी की शिक्षा के विषय में जानकारी प्राप्त करना विशेष महत्त्व की वस्तु है क्योंकि वहाँ प्राचीन तथा मध्य युग में भी शिक्षा के बड़े केन्द्र थे। इसके अतिरिक्त विदेशियों ने भी १८ और १९ वीं शताब्दी में यहीं पर अपने प्रारम्भिक प्रयत्न प्रारम्भ किये थे। ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन से पूर्व भी बंगाल में देशी शिक्षा पर्याप्त रूप से प्रचलित थी। “यह प्रारम्भिक शिक्षा जन साधारण के लिये थी। यह एक ऐसा विशाल आयोजन था जिसमें असंख्य प्रारम्भिक पाठशालायें देश भर में फैली हुई थीं। व्यवहारिक रूप से प्रत्येक गाँव में अपना स्कूल या पाठशाला थीं। अकेले बंगाल में, ऐसा कहा जाता है कि, एक लाख ऐसी पाठशालायें थीं।”^१

वस्तुतः यह आँकड़े विलियम ऐडम के दिये हुए हैं। श्री ऐडम सन् १८१८ ई० में भारत में एक धर्म प्रचारक के रूप में आये थे। यहाँ आकर इन्होंने संस्कृत और बंगाली भाषाओं का विस्तृत अध्ययन किया। शीघ्र ही राजा राममोहन राय के सम्पर्क से इन में भारतीय शिक्षा के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। उन्होंने सन् १८२६ में लार्ड विलियम बैंटिक को देशी शिक्षा व्यवस्था की जाँच कराने के लिए प्रार्थना की किन्तु कोई परिणाम न होने पर उन्होंने पुनः १८३४ ई० में प्रार्थना की; और इस प्रकार लार्ड बैंटिक की प्रार्थना पर श्री ऐडम ने स्वयं ही जाँच प्रारम्भ करदी और सन् १८३१-३८ ई० में अपनी तीन रिपोर्टें प्रकाशित कीं। उनकी प्रथम रिपोर्ट तो केवल उनकी प्रथम जाँच का सार मात्र थी। दूसरी रिपोर्ट अधिक विस्तृत थी। यह जिला राजशाही में थाना नत्तौर की शिक्षा का पूर्ण विवरण देती है। श्री ऐडम की तीसरी रिपोर्ट मुर्शिदाबाद, बर्दमान, बीरभूमि, तिरहुत और दक्षिणी बिहार की शिक्षा के विषय में आँकड़े प्रस्तुत करती है।

नत्तौर थाना के विषय में संख्या देते हुए श्री ऐडम ने बतलाया है कि वहाँ की जन संख्या १,६५,२६६ थी जिसके लिए २७ स्कूल थे जिनमें २६२ विद्यार्थी पढ़ते थे। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली शिक्षा का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि २३८ गाँवों में १५८८ ऐसे परिवार थे जो कि २३८२ बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा देते थे। इस प्रकार व्यक्तिगत शिक्षा का प्रचार

पाठशालाओं से अधिक था। शिक्षा बहुत सस्ती थी। स्त्री शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं था। शिक्षकों को ५ रु० से ८ रु० तक मासिक वेतन मिलता था।

अपनी तीसरी रिपोर्ट के आँकड़े देते हुए उन्होंने बतलाया है कि बंगाल व बिहार के पाँच जिलों में २५६७ स्कूल थे जिनमें ६ बालिकाओं के थे। उनमें ३०९१५ विद्यार्थी पढ़ते थे जिनमें २१४ लड़कियाँ थीं तथा २४२ विद्यार्थी ८ स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ते थे। शिक्षा का प्रतिशत श्री ऐडम के अनुसार ४.४ है।

इस प्रकार श्री ऐडम के अनुसार सम्पूर्ण बंगाल बिहार में ४ करोड़ की जनसंख्या थी और स्कूलों की संख्या १ लाख थी अर्थात् प्रति ४०० व्यक्तियों पीछे एक स्कूल था। सर फिलिप हार्टिंग ने श्री ऐडम के इन आँकड़ों को 'काल्पनिक' व 'पौराणिक' बताया है और १ लाख संख्या को त्रिकुल अतिशयोक्ति पूर्ण बतलाया है। वास्तव में यह भ्रम 'स्कूल' शब्द की भिन्न २ व्याख्यायें करने से उत्पन्न होता है। श्री ऐडम ने घरेलू रूप से परिवारों में दी जाने वाले स्थानों को भी 'स्कूल' में सम्मिलित किया है। वास्तव में श्री ऐडम की संख्याओं को लेकर एक वाद-विवाद उठ खड़ा हुआ था। किन्तु हम श्री ऐडम की सच्चाई में संदेह नहीं कर सकते। श्री परांजपे के कथानानुसार "१९ वीं शताब्दि के प्रारम्भ में भारत के अधिकतर भागों में प्राथमिक शिक्षा एक व्यापक रूप में विद्यमान थी। मद्रास प्रांत में सर टाम्स मुनरो ने 'प्रत्येक गाँव में एक प्राथमिक स्कूल' पाया था। बंगाल में बार्ड ने खोज की कि 'प्रायः सभी गाँवों में लिखने-पढ़ने और प्रारम्भिक गणित के स्कूल विद्यमान थे।' मालवा में जहाँ कि लगभग अर्ध शताब्दी से लगातार अराजकता फैली हुई थी मैल्कम ने देखा कि ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत आने के समय प्रत्येक गाँव में जिसमें १०० घर हों एक प्रारम्भिक शिक्षा का स्कूल था।"^१

श्री ऐडम के अनुसार इन पाठशालाओं में शिक्षकों की आय बहुत कम होती थी। अविकांश में इनका व्यय कुछ धनी नागरिकों, जमींदार तथा ताल्लुकेदारों द्वारा उठाया जाता था। धनी लोग अपनी जगह देकर घर पर ही पाठशाला खुलवा देते थे। मुसलमानों में फारसी व अरबी का प्रचार था तथा हिन्दुओं में बंगला, संस्कृत व हिन्दुस्तानी भी पढ़ते थे। उर्दू का प्रचलन स्कूलों के पाठ्यक्रम में नहीं था यद्यपि यह शिक्षित मुसलमानों की बोल चाल की भाषा थी। स्त्री शिक्षा के नाम से लोग डरते थे। मुसलमानों में लड़कियों को शिक्षित करना अशुभ समझा जाता था। बहुत से हिन्दू परिवारों में भी यह भाँति थी कि पढ़ी लिखी लड़की विवाहोपरान्त शीघ्र विधवा हो जाती है। लड़कियों की शिक्षा से लोग इतने डरते थे कि यदि कोई बालिका अपने पढ़ते हुए भाई के पास खेलते खेलते पहुँच जाती तो उसका ध्यान शांति ही उधर से हटा कर अन्य कार्यों

में लगा दिया जाना था।^१ इतना अवश्य था कि कुछ धनी जमींदार अवश्य छिप कर थोड़ा बहुत ज्ञान बालिकाओं को करा देते थे।

आगरा प्रांत:—मध्ययुग में आगरा शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र रहा था। इसके ध्वंसावशेष १६ वीं शताब्दि में भी विद्यमान थे। प्रांत के प्रत्येक नगर में अपने स्कूल थे, प्रत्येक परगने में दो या अधिक स्कूल थे और अधिकांश गावों में भी अध्यापक रहते थे।^२ इस प्रांत में प्रधानतः लौकिक व उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती थी। लिपि का लिखना पढ़ना, व्यवहार गणित, महाजनी हिसाब-किताब तथा उर्दू, फारसी और हिन्दी के स्कूल यहाँ पर थे। फारसी स्कूल घरेलू रूप से चलते थे। हिन्दी, कैथी तथा मुड़िया की पाठशालायें भी थीं। हिन्दू और मुसलमान दोनों अध्यापन कार्य करते थे। फारसी का प्रयोग बहुधा कचहरी के लिए किया जाता था। गणित में मौखिक गणित, पढाड़े तथा भिन्ने और वजन इत्यादि का ज्ञान कराया जाता था। पटवारी लोग कैथी स्कूलों में पैमाइश इत्यादि सीखते थे। लिखने इत्यादि का अभ्यास भी पट्टी पर कराया जाता था जिम पर काले रंग से रंग कर सफेद खड़ी से लिखा जाता था। जन साधारण में कृषकों की संख्या अधिक थी। कृषक-बालकों में शिक्षा का प्रचार बहुधा कम था। व्यापारी वर्ग तथा राज-कर्मचारियों में शिक्षा अधिक थी।

देशी शिक्षा की अवनति

१६ वीं शताब्दि में भारत में अंग्रेजों का राज्य पूर्णतः स्थापित हो चुका था। अतः अब यहाँ विदेशी शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। परिणामतः देशी शिक्षा की अवनति होने लगी। इसके कई कारण थे।

कारण:— प्रथमतः देश की बढ़ती निर्धनता इसका कारण थी। जन साधारण इतने निर्धन हो चले थे कि शिक्षक के वेतन के लिये वह बालकों की नाम मात्र की फीस तक नहीं दे सकते थे। दूसरा कारण था राज्य की उदासिनता। “प्रारम्भिक शिक्षा का जो विशाल जाल देश में फैला हुआ था सरकार ने उसकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया। ऐडम और एलफिन्स्टन जैसे विचारकों के प्रयत्नों, सन् १८५४ ई० की शिक्षा बोधणा तथा भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों की अपेक्षाकृति भी देशी प्रारम्भिक शिक्षा के स्कूलों का या तो सुधार की भ्रमात्मक योजनायें बनाकर बंध कर डाला गया या अवहेलना के द्वारा उन्हें अपनी मौत मरने को छोड़ दिया गया।^३

१. ऐडम की रिपोर्ट पृष्ठ १८७-८८।

२. बकील-एज्यूकेशन इन इंडिया।

३. नूस्ला और नायक—ए स्टुडेंट हिस्ट्री ऑफ एज्यूकेशन इन इंडिया। पृष्ठ-२३।

इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के प्रचलन ने देशी भाषाओं की उपयोगिता को कम कर दिया। राज्य में पद पाने के लिये अंग्रेजी पढ़ना आवश्यक हो गया परिणामतः देशी शिक्षा की अवहेलना कर दी गई। सरकारी अधिकृत प्राथमरी स्कूलों के खुल जाने से सरकार का ध्यान देशी प्रारम्भिक स्कूलों व पाठशालाओं से बिलकुल हट गया। उत्तर प्रदेश में यह बात विशेष रूप से की गई।

बिलारी के जिलाधीश श्री कैम्पबैल ने सन् १८२३ ई० में लिखा था कि भारतीय जनता में सस्ती शिक्षा दिलाने की भी शक्ति नहीं थी जिसका प्रमुख कारण था उसकी निर्धनता। यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रान्ति के बाद भारत के लोगों के धरलू धवे नष्ट हो गये। देशी राज्यों की समाप्ति के बाद कुछ काल तक देश में अराजकता रही। इससे शिक्षा का संरक्षण उठ गया। भारत का रूपया विदेशों में भी जाने लगा। अतः जनसाधारण की अवस्था और भी अधिक खराब हो गई। अतः “उन अधिकांश गाँवों में जहाँ पहिले स्कूल थे, अब नहीं हैं और जहाँ बड़े स्कूल थे वहाँ धनिकों के बच्चे शिक्षा पाते हैं अन्य बालक गरीबी के कारण नहीं आ सकते।”

इसके अतिरिक्त अध्यापकों के वेतन इतने कम थे कि योग्य व्यक्तियों को शिक्षण कार्य के लिये आकर्षित करना कठिन था। शिक्षक बहुधा निम्न ज्ञान स्तर के तथा अदाचित्त होते थे। उनका अज्ञान भी देशी शिक्षा के ह्रास का एक कारण बन गया।

इस प्रकार देशी शिक्षा पद्धति जो कि १८ वीं और १९ वीं शताब्दि में भारत में प्रचलित थी प्रायः समाप्त हो गई। इतना अवश्य है कि उस समय इस शिक्षा का देश के लिये बड़ा महत्त्व था। यह प्रणाली भारत की तत्कालीन अवस्था को देखते हुए पूर्ण उपयुक्त थी। यदि वर्तमान शिक्षा पद्धति को देशी शिक्षा के आधार पर ही विकसित किया जाता तथा शिक्षा विभाग के प्रयत्न उस पद्धति के विकास में लग जाते तो आज भारत में हमें अधिक सच्ची, सस्ती व उपयुक्त शिक्षा देखने को मिलती। किन्तु ऐसा न हो सका। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में साक्षरता की प्रतिशत में कोई सराहनीय वृद्धि न हुई अतः महात्मा गांधी को भी सन् १९३१ ई० में यह बात स्वीकार करनी पड़ी थी कि भारत में आधुनिक काल में साक्षरता १०० वर्ष पूर्व की अपेक्षा कम है।

प्रारम्भिक मिशनरी प्रयत्न

१७ वीं शताब्दि के प्रारम्भ में ही भारत में पच्छिमी देशों के लोगों की सर्गमियाँ बढ़ने लगी थीं। पुर्तगालियों के भारत में आने के उपरान्त ही डच, फ्रांसीसी, स्पेन निवासी तथा अंग्रेज आने लगे। उन्होंने यहाँ अपनी व्यापारिक

कम्पनियों स्थापित कीं तथा मुगल काल के अन्त में भारत के सुदूर बन्दरगाहों में आकर अपनी कोठियाँ बनालीं। शीघ्र ही उनका व्यापार बढ़ने लगा। भारत की तत्कालीन राजनैतिक दुर्बल अवस्था से लाभ उठाकर यह कम्पनियों हाथ में अस्त्र लेकर यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिये संघर्ष करने लगीं। सन् १६०१ ई. में स्थापित हुई ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भी इस संघर्ष में भाग लिया और अन्त में भारत में अपना राज्य स्थापित करने में सफल हुई।

इन योरूपीय व्योपारियों के भारत में बस जाने का उद्देश्य न केवल व्यापारिक ही था वरन् वह धर्म प्रचार भी करना चाहते थे। वह कहते थे कि वह भारत में 'ईसाइयों तथा मसालों की खोज में आये थे।' अतः उन्होंने यहाँ आते ही अपने स्कूल भी स्थापित कर दिये जिनके उद्देश्य थे अपने अधगोरे ईसाई कर्मचारियों के बालकों को शिक्षा देना तथा ईसाई धर्म का इस देश में प्रचार करना। प्रारम्भ में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को ही अपने हाथ में लिया। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भी प्रारम्भ में शिक्षा को धर्मप्रचार का साधन बनाया था। किन्तु कालान्तर में राजनैतिक तथा शासन सम्बन्धी कारणों से उसे यह विचार छोड़ कर धार्मिक निरपेक्षता की नीति का आश्रय लेना पड़ा तथा सन् १८१३ ई० तक इस नीति को यथावत रक्खा। इस प्रकार यथार्थ में अपनी स्थापना के लगभग १०० वर्ष तक कम्पनी ने देश की शिक्षा के लिये कोई सराहनीय प्रयत्न नहीं किया।

पुर्तगाल—सन् १४९८ ई० में पहिला पुर्तगाली यात्री वास्कोडिगामा कालीकट आकर उतरा था। उसके उपरान्त भिन्न-भिन्न प्रकार की ईसाई मिशनरी भारत के पच्छिमी समुद्री किनारे पर आकर रोमन कैथलिक धर्म के प्रसार में कार्यशील हो गईं। अतः उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप इस भाग में एक नवीन शिक्षा पद्धति का आविर्भाव हुआ। शिक्षा द्वारा धर्म प्रचार करने के लिये तथा पुर्तगाली, यूरोशियन और भारतीय धर्म परिवर्तित बच्चों की शिक्षा के लिये इन्होंने स्कूलों की स्थापना भी की। बम्बई, गोआ, डामन और ड्यू तथा लंका, चिटगाँव और हुगली इनके प्रमुख केन्द्र थे।

वास्तव में पुर्तगालियों को भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति की नींव डालने वाला कहा जा सकता है। इन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा के लिये स्कूल खोले जिनमें धर्म, स्थानीय भाषा, पुर्तगाली, गणित तथा कुछ कारीगरी की शिक्षा दी जाती थी। उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने जैसुएट कालेजों की स्थापना की जहाँ लैटिन, धर्म, तर्कशास्त्र और संगीत की शिक्षा तथा पादरियों को ट्रेनिंग दी जाती थी।

भारत में आने वाले प्रथम धर्म-प्रचारकों में सन्त ज्ञावियर प्रमुख था। यह जैसुएट धर्म-शाखा का मानने वाला था। जैसुएट पादरी अपने शिक्षा कार्यों के लिये सर्व व्यख्यात थे। ज्ञावियर ने भी भारत में इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया।

सन् १५४२ ई० में ज़ावियर गाँवों तथा गलियों में पैदल घूम घूमकर ईसाई धर्म का प्रचार करता था। ईसाई धर्म की कुछ पुस्तकें भी उसने प्रत्येक गाँव में रखवा दी थीं। सन् १५७५ ई० में उसने मम्बई के निकट बन्दरा में सेन्ट ऐनी विश्वविद्यालय तथा १५७७ में कोचीन में एक प्रेस स्थापित किया। दूसरा धर्म प्रचारक गबर्ट डी. नोबीली था जो कि अपने आपको पाश्चात्य ब्राह्मण कहता था तथा भारतीय सन्यासियों की भांति वेषभूषा और भोजन पकाने के लिये ब्राह्मण रसोइये रखता था। उसने ईसाई धर्म का खूब प्रचार किया।

पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम जैसुएट कालेज सन् १५७५ ई० में गोआ में स्थापित किया जिसमें ३०० विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। १५८० ई० में गोआ तथा अन्य स्थानों में अन्य कालेज भी खुले। बर्नियर ने आगरा में भी एक जैसुएट कालेज का उल्लेख किया है जिसे सम्राट् अकबर ने जैसुएट पादरियों के प्रभाव में आकर बनवाया था। इसमें लगभग ३० परिवारों के बालक शिक्षा पाते थे। सत्रहवीं शताब्दि में पुर्तगालियों का पतन हो गया। उनके शिक्षा सम्बन्धी प्रयत्न भी समाप्त हो गये। उनके पतन के अन्य कारणों में से धार्मिक बातों में अधिक हस्तक्षेप करना भी एक प्रमुख कारण था जिसका भारतीयों ने तीव्र विरोध किया। वास्तव में उनके शिक्षा प्रयत्नों का एक मात्र कारण धर्म प्रचार था। 'यह एक निर्विवाद सत्य है कि इन प्रारम्भिक धर्म प्रचारकों के शिक्षा कार्य बहुत साधारण कोटि के थे और भारत की वर्तमान शिक्षा पद्धति के निर्माण में उन्होंने अकिंचन योग दिया था।'^{*} इनकी धार्मिक नीति के परिणामों से अंग्रेज भी चौकन्ने हो गये। पुर्तगालियों के उपरान्त कुछ भारतीय ईसाइयों ने कुछ समय तक इनके शिक्षा कार्य को जीविन रखने का प्रयत्न किया किन्तु उसमें अधिक प्रगति न हो सकी।

दृष्ट—सत्रहवीं शताब्दि के प्रारम्भ में भारत में हालैंड-वासियों ने भी अपनी कम्पनी स्थापित की। उस समय यह लोग संसार की सर्वप्रथम समुद्री शक्तियों में से थे। भारत में चिनमुरा और हुगली नामक स्थानों पर इन्होंने अपने कारखाने खोले। यह बात ध्यान देने योग्य है कि डचों ने प्रारम्भ से ही अपना नीति कठोर धार्मिक निरपेक्षता की रक्खी। भारतवासियों में धर्म प्रचार में भूत इन पर सवार नहीं था। इन्होंने केवल व्यापारिक हितों को आनाया अपने कर्मचारियों के बालकों के लिये इन्होंने कुछ स्कूल अवश्य खोले जिनमें भारतीय बालकों के पढ़ने की भी आज्ञा थी। इन्होंने थोड़ा प्रयास रोमन कैथलिक ईसाइयों को बदलकर उन्हें प्रोटेस्टैंट बनाने का अवश्य किया। शिक्षा द्वारा ईसाइयों में प्रोटेस्टैंट धर्म के गुणों का गान किया। लंका भी इनका केन्द्र था।

फ्रांसीसी—सन् १६६४ ई० में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी व्यापारिक कम्पनी स्थापित की तथा माही, यानान, कारीकल, चन्द्रनगर और पांडुचेरा में अपनी फैक्ट्रियों चालू कीं। इन्हीं स्थानों पर इन्होंने प्राथमिक स्कूल खोले। पांडुचेरी में एक माध्यमिक शिक्षा का स्कूल भी खोला जहाँ फ्रेंच भाषा भीखाई जाती थी।^१ प्रारम्भिक स्कूलों में भारतीय शिक्षकों द्वारा स्थानीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। प्रत्येक स्कूल में एक धर्म प्रचारक शिक्षा देता था। गैर ईसाई बालक भी इन स्कूलों में प्रवेश पाते थे। उन्हें बहुधा भोजन, वस्त्र, पुस्तकें तथा अन्य आवश्यक सामग्री देकर स्कूलों में आने के लिये प्रोत्साहित भी किया जाता था। फ्रांसीसी मिशनरी पुर्तगालियों की भाँति रोमन कैथलिक थे। जिन स्कूलों में धर्म शिक्षा दी जाती थी वहाँ उनका कार्य महत्वपूर्ण रहा। फ्रांसीसियों के पतन के उपरान्त इनकी बस्तियाँ अंग्रेजों के अधिकार में आ गईं और वहाँ शिक्षा व्यवस्था भी बदल गई।

डेन—सत्रहवीं शताब्दि में डेनों ने तंजोर के निकट त्रणकुवार तथा बंगाल में सीरामपुर में अपने कारखाने स्थापित किये। राजनैतिक दृष्टिकोण से इस जाति का भारत में कोई महत्त्व न बढ़ सका किन्तु इनके धर्म तथा शिक्षा प्रचार के कार्य अवश्य महत्त्वपूर्ण हैं। वास्तव में डेन ही भारत में आधुनिक शिक्षा के अग्रणी हैं। आगे चल कर डेन मिशनरियों ने अपने आगो अंग्रेजों में मिला दिया।

सन् १७०६ ई० में डेनों ने अपने उपनिवेश त्रणकुवार में जॉगेनबल्ग तथा प्लूशो नामक दो जर्मन पाठशालाओं को भेजा। सन् १७१६ ई में जॉगेनबल्ग की मृत्यु के उपरान्त उसका कार्य प्लूशो तथा श्वार्ज़ ने जारी रखा। डेनमार्क से आर्थिक-सहायता के अभाव में इनकी सहायता 'ईसाई धर्म प्रचारक समिति' ने की। डेनों ने वस्तुतः "अपने आपको दक्षिणी भारत में अंग्रेजी उपनिवेशों में जहाँ वह ठहरे वहीं ठहर कर तथा जहाँ वह आगे बढ़े वहाँ आगे बढ़ कर उनमें मिला दिया।"^२

जॉगेनबल्ग तथा प्लूशो ने आते ही तामिल तथा पुर्तगाली भाषाएँ सीखीं तथा अपने कार्य को तंजोर, मद्रास, तिनीवली और त्रिचनापली तक विस्तृत कर दिया। इन्होंने शिक्षा द्वारा धर्म परिवर्तन करके लगभग ५०,००० लोगों को बैप्टिस्ट बनाया।^३ किन्तु इतना अवश्य था कि इन धर्म परिवर्तित भारतीयों को अपनी अपनी जानियों में बने रहने का आज्ञा देना।

डेनों ने मुसलमानों के लिये बहुत से प्राथमिक स्कूल खोले। शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषाएँ ही रखा। जॉगेनबल्ग ने शुल्ज की सहायता से तामिल में

१. एस० एन० मूकजी—हिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन इन इंडिया पृष्ठ १७

२. रिचर—ए हिस्ट्री ऑफ मिशनरिज इन इंडिया, पृष्ठ १२।

३. एस० एन० मूकजी—हिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन इन इंडिया पृष्ठ १८।

बाइबिल का अनुवाद किया तथा तामिल व्याकरण की रचना की। शुल्ज ने तेलगू में बाइबिल का रूपान्तर किया। एक तामिल शब्द कोष भी छापा गया। छापे को यह लोग धर्म-प्रचार में खूब प्रयोग करते थे। सन् १७१२-१३ ई० में तामिल तथा रोमन लिपि का एक प्रेस स्थापित किया गया। १७१६ ई० में अध्यापकों की दीक्षा के लिये एक बालेज खोला और दाँदत शिक्षकों की नियुक्ति मद्रास में तामिल बच्चों को अँग्रेजी तथा बाइबिल पढ़ाने के लिये की। इन्व मिशनरियों के शिक्षा-प्रयत्नों का विस्तार में वर्णन अगले अध्याय में किया जायगा।

ईस्ट इंडिया कम्पनी के आरम्भिक शिक्षा प्रयत्न

यद्यपि ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना केवल व्यापार के लिये हुई थी किन्तु उस समय की देश की राजनैतिक अवस्था तथा अन्य प्रतिद्वन्दी योरूपीय कम्पनियों के कारण उसे अपनी प्रारम्भिक नीति कुछ सीमा तक धार्मिक भी रखनी पड़ी। पुर्तगालियों के प्रभाव को कम करने के लिये अँग्रेजों ने धार्मिक-नीति को अपनाया। कम्पनी के यह प्रयास ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिये थे। अपने ईसाई कर्मचारियों के आध्यात्मिक कल्याण तथा भारतीयों में बाइबिल के संदेश को फैलाने के लिये कम्पनी ने भारत में पादरियों को भेजा एवं कुछ भारतीय ईसाइयों को धार्मिक दीक्षा के लिये इंग्लैंड भी भेजा जिससे कि देश लौटने पर वह ईसाई-धर्म का प्रचार करके लोगों का धर्म परिवर्तन कर सकें। एक ईसाई युवक जिसका नाम पीटर रक्खा गया था कम्पनी के खर्चे से ईसाई धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिये इंग्लैंड भेजा गया था।* श्रीक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भारत के प्रचारक तैयार करने के उद्देश्य से लॉड के प्रयत्न से अरबी विभाग खोला गया। १६५६ ई० में कम्पनी के डाइरेक्टरों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की 'सच्ची व शुद्ध भावना' से प्रेरित होकर प्रत्येक जहाज में ईसाई धर्म प्रचारकों के भेजने की इच्छा प्रकट की। किन्तु कम्पनी ने इस नीति को न अपना कर धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाने की चेष्टा की अतः विशाल पैमाने पर धार्मिक नीति के अपनाने के मोह को छोड़ दिया। मद्रास में १६७० ई० में पुर्तगाली, अँग्रेज तथा यूरेशियन बच्चों के लिये प्रथम स्कूल खोला गया तथा शिक्षा-कार लगा कर अँग्रेजी शिक्षा का प्रबन्ध किया गया। सन् १६६८ ई० के आज्ञा पत्र में पालियामेंट ने एक बाक्यांश जोड़ दिया जिसके फलस्वरूप कम्पनी को भारत में अपने कारखानों में धर्म गुरु तथा अध्यापक रखने का आदेश दिया गया तथा ५०० टन अथवा इससे अधिक बजन के प्रत्येक जहाज में एक पादरी लाने की आज्ञा हुई। इस घोषणा पत्र में सैनिकों तथा कारखाने के कर्मचारियों के लिये स्कूल खोले जाने की बात भी कही

गई। परिणामतः कुछ निशुल्क दातव्य शिक्षालयों की स्थापना की गई। १७१५ ई० में ऐस स्कूल मद्रास में, १७१८ ई० में बम्बई और १७३१ ई० में कलकत्ता में भी खुले। बाद में तंजौर तथा कानपुर में भी दातव्य स्कूल खोले गये, जिनमें भारतीय ईसाइयों को प्रथमता दी जाती थी। इनका उद्देश्य अंग्रेज सिपाहियों, एंग्लो इंडियन बच्चों तथा अन्य गरीब बालकों को लिखना, पढ़ना तथा हिसाब सिखाया जाना था साथ ही ईसाई धर्म के सिद्धान्तों को शिक्षा भी दी जाती थी। इन शिक्षालयों का व्यय बहुधा चंदे, दान व कम्पनी के अनुदान से चलता था।

यह माना जा सकता है कि इस समय तक कम्पनी ने कोई स्पष्ट-शिक्षा उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लिया था। जो कुछ भी प्रयास इस और हुआ था वह अत्यन्त अपर्याप्त था। १८ वीं शताब्दि के अन्त में कम्पनी ने अपनी नीति में परिवर्तन करके मिशनरियों पर प्रतिबन्ध लगा दिये और कम से कम उत्तरी भारत में इनका कठोरता से पालन किया।

संक्षेप में, कम्पनी के शिक्षा प्रयत्न इस काल में बहुत अपर्याप्त रहे। मद्रास अंग्रेजों का प्रमुख उपनिवेश था। सन् १६७३ ई० में वहाँ एक माध्यमिक स्कूल श्री त्रिगल की देख रेख में खोला गया। फ्रेंच, अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषाओं के अतिरिक्त 'फिरंगी' भाषा भा शिक्षा का माध्यम थी। आगे चलकर कम्पनी ने सन् १८०० ई० में कलकत्ते में फोर्टविलियम तथा मद्रास में १८१८ ई० में फोर्ट सेंट जार्ज नामक कालेज अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं के लिये खोले जहाँ अंग्रेज अफसर भारतीय भाषायें सीखते थे। श्री बसु के अनुसार इन कालेजों पर १८२७ ई० में सवा दो लाख रुपया व्यय हुआ। इनके अतिरिक्त डेन मिशनरी शुल्ज ने मद्रास में कुछ पुराने स्कूलों का पुनर्संगठन किया तथा नये स्कूल भी खोले।

मद्रास प्रान्त में शिक्षा प्रचार के कार्य में श्वार्ज़-एक जर्मन मिशनरी-का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उमने इस प्रान्त की शिक्षा में अपने जीवन को लगा दिया। श्वार्ज़ ने भारतीय राजाओं, तंजौर तथा मेड़वाड़ के राजाओं को भी प्रभावित करके उनसे तंजौर रामेन्द्रपुरम, तथा शिवगंगा नामक नगरों में अंग्रेजी के प्रचार के लिये स्कूल खुलवा लिये। इसके अतिरिक्त उसने देशी भाषाओं के लिये भी दो स्कूल खोले। आगे चलकर श्री जॉन सलीवन ने श्वार्ज़ की नीति में परिवर्तन करके मातृ-भाषा के स्थान पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करा दिया। इस योजना का समर्थन कम्पनी के संचालकों ने भी किया तथा प्रत्येक स्कूल को आर्थिक सहायता का वचन दिया। भारतीय धनिकों ने भी इसके लिये रुपया दिया। इस नीति का परिणाम यह हुआ कि मद्रास प्रान्त में तेजी से नये स्कूल बनने लगे। इस तरह फ्रेडरिक श्वार्ज़ के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही १८ वीं

शताब्दि के मध्य में इस प्रान्त की शिक्षा नीति एक नये सौँचे में ढल गई। अँग्रेजी स्कूलों का भारत में यह प्रारम्भ था। इनमें अँग्रेजी, हिमाब, तामिल, हिन्दी तथा ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। सरकारी निरीक्षकों द्वारा इनका नियमित निरीक्षण भी होता था।

इनके अतिरिक्त मद्रास में १७८६ ई० में श्रीमती कैम्पबैल ने एक महिला अनाथालय भी खोला जिसके लिये भवन का दान अर्कोट के नवाब ने किया था। जनता और सरकार दोनों ने इसके खर्च को चलाया। डा० एन्ड्र्यू बैल के नाम से ऐसा ही एक आश्रम लड़कों के लिये भी खोला गया जहाँ उन्होंने 'मानीटर-प्रथा' का परीक्षण प्रथम बार किया। इस प्रकार ईसाई मिशनरियों के प्रयत्नों से मद्रास की शिक्षा को बहुत प्रगति मिली। जिस कार्य का कम्पनी के संचालकों ने सूत्रपात किया था, उसकी पूर्ति मिशनरियों ने की।

इसी प्रकार बम्बई तथा बंगाल प्रान्त में भी शिक्षा ने प्रगति की। बम्बई में १७१६ ई० में रिचार्ड कौब ने निर्धन शोकीय प्रौटेस्टेंट बालकों के लिये एक स्कूल खोला। शिक्षा की दृष्टि में बंगाल ने पर्याप्त प्रगति की। वास्तव में १७५७ ई० में प्लासी विजय के उपरान्त कम्पनी ने बंगाल का सम्पूर्ण शासनकार्य संभाल लिया। किन्तु कम्पनी ने बंगाल की शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया। वहाँ जो कुछ प्रगति हुई वह सब व्यक्तिगत प्रयत्नों के फलस्वरूप हुई। पुराने देशी स्कूलों को कम्पनी ने न तो सहयोग ही दिया और न उन्हें अन्य प्रकार से ही छोड़ा। एक प्रकार से उसकी नीति पूर्ण तटस्थता की थी। पाठ-शालाओं के लिये पुराने चले आने वाले भूमिदान को उसने अवश्य यथावत् छोड़ दिया। 'यह बात स्पष्ट है कि बंगाल में जनता की शिक्षा के लिये सबसे पहले और बड़े से बड़े प्रयत्न न केवल सरकार के द्वारा ही किये गये अपितु स्वयं जनता के द्वारा भी किये गये।* हॉवेल ने भी इसी आशय की बात कही है' भारत में ब्रिटिश शासन काल में प्रथमतः शिक्षा की अवहेलना हुई, फिर उग्रता और सफलता के साथ उसका विरोध हुआ, तत्पश्चात् एक ऐसी प्रणाली चलाई गई जो कि सर्वमान्य रूप से हानिकारक थी और अन्त में वह अपने वर्तमान स्तर पर रख दी गई।"

इस प्रकार बंगाल में व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा कुछ स्कूलों की स्थापना की गई। लार्ड वारेन हैस्टिंग ने जो कि बंगाली और फारसी भाषाओं का विद्वान था शिक्षा की उन्नति में योग दिया। सन १७८१ ई० में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य "मुसलमानों के पुत्रों को राज्य में उत्तरदायी तथा लाभ-

दायक पदों के लिये योग्य बनाना था जो कि उस समय भी अधिकांश में एकमात्र हिन्दुओं के अधिकार में थे।* अतः कलकत्ता मद्रसा का उद्देश्य अदालतों के लिये अंग्रेजी जजों के सलाहकार बनाने का था। सन् १७८० ई० में पार्लियामेंट ने भारतीय अदालतों में अंग्रेजी कानून के स्थान पर भारतीय कानून लागू कर दिया था जिमका व्याख्या करने के लिये मुसलमान मौलवियों तथा हिन्दू पंडितों की आवश्यकता थी।

कलकत्ता मद्रसा ने शीघ्र ही ख्याति प्राप्त कर ली और वहाँ काश्मीर, गुजरात तथा कर्नाटक से विद्यार्थी आकर विद्याध्ययन करने लगे। विद्यार्थियों को सगकार की ओर से त्वात्रवृत्ति दी जाती थी। दर्शन, कुरान के धर्म-सिद्धान्त, कानून, ज्योमिनि, गणित, तर्कशास्त्र तथा व्याकरण इत्यादि विषय यहाँ पढ़ाये जाते थे। शिक्षा का माध्यम अरबी तथा शिक्षाकाल ७ वर्ष था।

कलकत्ता मद्रसा की भाँति हिन्दुओं के लिये बनारस संस्कृत कालेज की स्थापना भी सन् १७६१ ई० में श्री जोनाथन डंकन के द्वारा हुई। इसके उद्देश्य भी वही थे जो कि कलकत्ता मद्रसा के थे। यह हिन्दुओं को हिन्दू कानून की शिक्षा देकर उन्हें अंग्रेज जजों के लिये सलाहकार या सहायक जज के रूप में हिन्दू कानून की व्याख्या करने के लिये तैयार करता था।

इन दोनों शिक्षा संस्थाओं के खुलने से जहाँ शिक्षा प्रचार हुआ, वहाँ कम्पनी को योग्य राजभक्त भी मिलने लगे। देश के शिक्षित तथा विद्वान उच्च और मध्यम वर्ग के लोग कम्पनी के विश्वासपात्र स्तम्भ बन गये। इस प्रकार कम्पनी का यह प्रयास देश की दो प्रमुख जातियों हिन्दू और मुसलमानों को प्रसन्न करने का भी एक साधन रहा।

इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम कालेज (१८०० ई०) जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, सराहनीय कार्य कर रहा था यहाँ हिन्दू व मुसलमान-कानून, इतिहास, अरबी, फारसी, संस्कृत तथा हिन्दुस्तानी की शिक्षा दी जाती थी। बंगाली साहित्य को भी इस कालेज ने बड़ा प्रोत्साहन दिया। डा० कैरे, कोलभ्रुक, पं० ईश्वरचंद्र विद्यानागर तथा गिलक्राइस्ट जैसे विद्वान शिक्षक यहाँ नियुक्त किये गये थे।

इसके अतिरिक्त बहुत से अंग्रेजी स्कूल इस समय बढ़ने लगे। अब भारतीय लोग अंग्रेजी में रचि दिखाने लगे थे। ब्राउन ने हिन्दुओं के लिये १७८८ ई० में एक कालेज कलकत्ता में खोला। इसी समय बहुत सी महिलाओं ने भी शिक्षा में रचि दिखलाई और उन्होंने लगभग ६ स्कूल बालिकाओं के लिये भी

खुलवाये। इनमें श्रीमती पिट, श्रीमती लॉमन और श्रीमती वपलैंड के नाम उल्लेखनीय हैं।

जैसा कि पीछे कहा जा रहा है कि बंगाल में मिशनरियों का प्रभाव कम था तथापि जो कार्य शिक्षा-क्षेत्र में बैप्टिस्ट मिशनरी ने किया है उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। इनके प्रमुख नेता वार्ड, कैरे तथा मार्शमेन थे। इन्हें 'सौराम-पुर त्रिमूर्ति' के नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने कलकत्ता के उत्तर में १३ मील की दूरी पर एक गाँव सौरामपुर को अग्रता कार्य क्षेत्र चुना। इन्होंने १८०० ई० में यहाँ एक छापाखाना खोला और बंगला भाषा में बाइबिल छपी और शीघ्र ही इसका अनुवाद भारत की लगभग ३ दर्जन भाषाओं में कर दिया। इनका धार्मिक जोश इन्हें यहाँ तक ले गया कि यह हिन्दू मुसलमानों के अवतारों और देवताओं को गाली देने लगे 'हिन्दू और मुसलमानों के नाम संदेश' नाम से इन्होंने पंचे छापे जिनका काफी विरोध हुआ सरकार ने इनकी नीति को अपने रज-नदित में घातक समझ कर इनके प्रेस को जब्त कर लिया तथा इन धर्म-प्रचारकों को नजरबन्द करके कलकत्ता भेज दिया। यह लार्ड मिन्टो का शासन काल था।

इस घटना के उपरान्त भी बैप्टिस्टों ने अपना कार्य चालू रखा। १७६४ ई० में कैरे ने दोनाजपुर में एक स्कूल खोला तथा जैसौर में भी अग्रता प्रयत्न किया। १८१० ई० में मार्शमैन की सहायता से उसने कलकत्ता-जनहितकारी संस्था के नाम से एक स्कूल गरीब ईसाइयों के लिये खोला। इस प्रकार १८१७ ई० तक इन लोगों ने लगभग ११५ स्कूल खोले जो कि प्रायः कलकत्ता के ग्राम पास ही स्थित थे। बैप्टिस्ट मिशनरी के धर्म प्रचार में सरकार के बाधा डालने से इंग्लैंड में उसकी निंदा की गई। किन्तु वास्तव में सरकार डर रही थी और भारतीयों को सब भाँति से संतुष्ट रखना चाहना था। इस मिशनरी के कार्यों में उसने राज्य के लिये प्राप्ति देख कर ही यह कड़ा कदम उठाया था। कम्पनी के संचालकों ने ७ अक्टूबर १८०८ ई० को पुनः एक घोषणा करके स्पष्ट कर दिया कि उनकी नीति कठिन धार्मिक तटस्थता का है। उनकी राय में "यह जान न केवल सरकार के ही हित में है वरन् मन्त्र्य मिशनरियों के लाभ की भी है कि उनके धार्मिक जोश को अवरोध कर दिया जाय, अतएव उनके कार्यों पर सरकार का नियंत्रण और निरीक्षण हितकर व आवश्यक है।"

भारत में सरकार की इस नीति की इंग्लैंड में तो निंदा हो ही रही थी। वहाँ कहा गया कि कम्पनी की नीति ईसासही के धर्म-देशों के प्रतिफल है तथा वह भारतीयों को शिक्षा को भी अवहेलना कर रही है। परिणामतः १८२३ ई० के आज्ञापत्र में शिक्षा सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश जोड़ दिये गये।

पालियामेंट में आन्दोलन

सन् १७६१ ई० मे १८१३ ई० तक का काल इंग्लैंड के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण काल है। यह वह युग था जबकि देश में औद्योगिक क्रान्ति प्रारम्भ हो गई थी और पूँजीवादी तथा मजदूर दो दल स्पष्ट बनते चले जा रहे थे। मजदूरों की दीन दशा पर नया दिग्गाने वाले कुछ भात्मिक तथा परोपकारी सज्जनों ने उनकी दशा सुधारने के लिये अपनी आवाज उठाई और सुभाव रखे कि लोगों में शिक्षा तथा सदाचार का प्रचार करने और उद्यम के साधन उपलब्ध करने से उनकी इनावस्था में सुधार हो सकता है। परिणामतः कुछ ऐसी जनहित-कागी व्यक्तिगत संस्थायें बन गईं जो कि इस महान् उद्देश्य को पूरा करने में लग गईं। साथ ही पालियामेंट में भी यह आन्दोलन चलाया गया कि वह जनता की शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले। १८०७ ई० में इस आशय का एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार ७ वर्ष से १४ वर्ष तक के बालकों को २ वर्ष तक निशुल्क शिक्षा देने का प्रस्ताव किया गया। किन्तु यह विधेयक पास न हो सका। सन् १८१५ ई० में एक जॉच समिति देश में निर्धन बालकों की शिक्षा के विषय में स्थापित की गई। इस समिति ने भी इंग्लैंड तथा वेल्स में निर्धनों की शिक्षा के लिये एक विधेयक तथा कुछ सुधार प्रस्तावित किये किन्तु वह भी वापिस ले लिये गये।

इस प्रकार जब इंग्लैंड में शिक्षा सुधार के लिये यह आन्दोलन चल रहे थे, भारत में भी कम्पनी को भारतीयों की शिक्षा को अपने हाथ में लेने के लिये विवश होना पड़ा। उन दिनों इंग्लैंड में भी शिक्षा के राज्य का उत्तरदायित्व न होने से, तथा कुछ आर्थिक हितों को दृष्टि में रखने के कारण और भारत में अराजकता एवं स्वयं भारतीयों के शिक्षा के विषय में उदासीन होने के कारण कम्पनी भी यहाँ शिक्षा का प्रत्यक्ष भार नहीं लेना चाहती थी। किन्तु ब्रिटिश संसद में बर्क, ग्रान्ट और विल्वरफोर्स तथा भारत में लार्ड मिन्टो के प्रयत्नों के फलस्वरूप कम्पनी को शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना पड़ा।

उसी समय ब्रिटिश संसद में भी भारतीय शिक्षा में रुचि दिखाई जा रही थी। १७६२ ई० में चार्ल्स ग्रान्ट ने 'ग्रेट ब्रिटेन को एशियाई प्रजा की सामाजिक दशा का निरीक्षण' नामक रचना में बताया कि 'प्रकाश'की उत्पत्ति ही अंधकार के विनाश का साधन है। हिन्दू भूलें करते हैं क्योंकि वह अज्ञानी हैं।' उसने अग्नेजी-भाषा, विज्ञान, मशीनरी और भाष-शक्ति इत्यादि द्वारा भारतीयों की दशा सुधारने के सुभाव रखे और इसका उत्तरदायित्व ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर रखा। ग्रान्ट ने अनुभव किया कि भारत में लोगों का नैतिक स्तर बहुत गिर गया है जिसे शिक्षा और ईसाई धर्म के उपदेशों द्वारा ही सुधारा जा सकता है। "योरप के गये बीते

भागों में भां सच्चे, ईमानदार और शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति निकल आवेंगे। बंगाल में ता सच्चा और ईमानदार आदमी एक अलभ्य वस्तु है; और मुझे भय है कि जीवन में सर्वोच्च रूपेण विशुद्ध आचरण वाला चरित्रवान व्यक्ति तो दुर्लभ है।..... भारतीयों के हाथ में दी हुई शक्ति अत्याचार और अन्याय द्वारा प्रयुक्त होती है। सभी प्रकार के पदों का रुखा कमाने में दुरुपयोग किया जाता है।..... न्याय रुपये से खरादा जा सकता है। रुपये का शक्ति इतनी प्रबल है कि यहाँ धोखेवाजी में बढ़कर न कोई अपराध है और न सोचा जा सकता है। जिस तिरस्कार या अवहेलना की दृष्टि से हिन्दू उन व्यक्तियों या हितों को देखते हैं जिनसे उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, वह योरप-वाजियों को उनके प्रति एक अपमानपूर्ण घृणा व क्रोध से भर देता है। भारत में देश प्रेम तो अज्ञान है।”*

इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन दिनों भारत की अवस्था अच्छी नहीं थी और प्रधानतः राज्य-कर्मचारियों में नैतिक भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। किन्तु ग्रान्ट का यह विवरण उग्र व अनिश्चयिक पूर्ण है। उसके इतना कटु होने पर भी उसका कथन इसलिये क्षम्य है कि उभरा एकमात्र उद्देश्य भारत-वासियों में शिक्षा-प्रचार द्वारा नैतिक जागृति करना था और इसी सद्भावना से प्रेरित होकर उसने यह सब लिखा था “हिन्दुओं की गलतियों कभी उनके समक्ष नहीं रखी गईं। हमारे ज्ञान तथा प्रकाश ही उनके लिये उचित औपधि हैं जो उचित ढंग से तथा धैर्य पूर्वक प्रयोग करने से बड़े आनन्ददायक फल देंगे जो हमारे लिये गर्वास्पद तथा लाभदायक होंगे।” यह विचार उसकी आन्तरिक भावना का स्पष्टीकरण करते हैं। ग्रान्ट ने इस ज्ञान को देने के लिये दो साधन बताये: एक तो देशी भाषाओं द्वारा और दूसरा अंग्रेजी द्वारा। किन्तु उसने अंग्रेजी माध्यम को ही चुना। उसका कहना था कि चरित्रवान गिदकों के नेतृत्व में अंग्रेजी कलाएँ, साहित्य, दर्शन तथा धर्म भारतीयों की विचार धारा को परिवर्तित कर देंगे। विज्ञानों द्वारा देश की औद्योगिक व आर्थिक उन्नति होगी। इस प्रकार लोगों में ‘वाह्य सम्पन्नता तथा सामाजिक शान्ति’ का प्रादुर्भाव होगा। इस प्रकार की भावनाओं से प्रेरित ग्रान्ट की प्रायः सभी सिफारिश आगे चलकर मानली गईं। १८१३ ई० के आज्ञापत्र के निर्णय पर उसकी विशेष छाप है। इतना अवश्य है कि ग्रान्ट के प्रयत्न शुद्ध परोपकार की दृष्टि से नहीं थे। उनके पीछे उसकी धर्म-प्रचार तथा भारतीयों के धर्मपरिवर्तन की मनोवृत्ति भी काम कर रहा था।

इसके पूर्व १७-३ ई० में बलर फोर्म ने कम्पनी के चार्टर में शिक्षा सुधार

* एम. आर. पराजो द्वारा — ए साउथ कु अन्व मार्डन इंडियन एज्युकेशन में उद्धृत पृष्ठ VIII-IX.

की एक धारा जोड़ना चाहो थी। और ब्रिटिश संसद के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव रक्खा।

“ब्रिटिश धारा सभा का यह विशेष तथा अनिवार्य कर्तव्य है कि वह प्रत्येक उन्नत तथा बुद्धिमत्ता पूर्ण साधन द्वारा भारत में अंग्रेजीराज्य के हित और समृद्धि को बढ़ावे; और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऐसे साधनों को अपनाया जाय जो कि क्रमशः लाभदायक ज्ञान प्राप्त करने में उनकी उन्नति करें तथा उनके धार्मिक तथा नैतिक स्तर को ऊँचा उठावें।”^१

किन्तु कम्पना के संचालकों ने उसे यह कह कर गिरा दिया कि “स्कूल और कालेजों की स्थापना का मूल्यता द्वारा हमने अभी अमेरिका को खोया है अतः भारत में भी वही मूल्यनाशक कार्य ठीक न होगा।” लायोनिन स्मिथ ने भी यही कहा था कि “शिक्षा जाति तथा धर्म के उन कुसंस्कारों को दूर कर देगी जिनके द्वारा हमने हिन्दुओं का मुसलमानों के विरुद्ध करके भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रक्खा है। शिक्षा उनके मस्तिष्कों को विकसित करके उनकी अपार शक्ति का उन्हें बोध करा देगी।” कम्पनी के संचालकों ने यह कहा कि “हिन्दुओं की अपनी धर्म तथा नैतिकता की एक अनुपम प्रणाली है। अतएव यह एक नितान्त पागलपन होगा कि या तो उनके धर्मपरिवर्तन की चेष्टा की जाय अथवा उन्हें इससे अधिक ज्ञान अथवा अन्य कोई ज्ञान का वर्णन दिया जाय जितना कि वह स्वयं जानते हैं।”^२

इस प्रकार भारतीय शिक्षा के भाग्य का निर्णय ब्रिटेन की संसद में किया जा रहा था। भारत में भी लार्ड मिन्टो ने १८११ ई० में संचालकों को भर्तीय शिक्षा के पतन की दुख गाथा लिखकर भेजी। उसने लिखा कि भारतवासियों में विज्ञान तथा साहित्य का उत्तरोत्तर पतन हो रहा है। विद्वानों की संख्या घटने के साथ ही साथ उनके ज्ञान की पारधि भी संकीर्ण होती जा रहा है। विज्ञान तथा साहित्य त्याग दिये गये हैं केवल धार्मिक शिक्षा ही शेष बची है। इसका तत्कालीन परिणाम हुआ है कई ग्रन्थों का विनाश। यदि सरकार ने शीघ्र ही सहायता प्रदान नहीं की तो भय है, कि ग्रन्थों तथा उनकी व्याख्या करने वालों के अभाव में शिक्षा का पुनरुद्धार भी असंभव हो जायगा।”^३

१८१३ ई० का आज्ञा पत्र

इस प्रकार के आन्दोलन ने भारतीय शिक्षा के प्रश्न को महत्वपूर्ण तथा वाद-

१. एच. शार्प—सिलेक्शंस फ्रॉम एज्यूकेशनल रिकार्ड्स पृष्ठ ८१।

२. एम. आर. पराजप द्वारा सोर्स बुक ऑव इंडियन एज्यूकेशन में उद्धृत।

३. शार्प—सिलेक्शंस—पृष्ठ १७।

४. एच० शार्प—पृष्ठ १६

विवाद का प्रश्न बना दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जब १८१३ ई० में कम्पनी का आज्ञा पत्र जारी हुआ तो उसमें भारतीय शिक्षा के लिये विशेष धारार्यें जोड़ दी गईं। इस आज्ञा-पत्र ने मिशनरियों को भी भारत में जाकर शिक्षा प्रचार की स्वतंत्रता देदी। यह उनकी बड़ी भारी विजय थी। आज्ञा-पत्र में एक धारा यह भी जोड़ दी गई कि “कम से कम १ लाख रुपये की धनराशि प्रतिवर्ष अलग रख दी जायगी जिसका उपयोग साहित्य के पुनुरुद्धार तथा उन्नति एवं भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन के लिये तथा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में भारतवासियों के अन्तर्गत विज्ञानों का आरम्भ करने तथा उनकी उन्नति करने में लगाया जायगा।”* इस धारा ने भारत में राज्य-शिक्षा-पद्धति की नींव डाल दी। मिशनरियों के क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक उतर आने के कारण भारतवासियों में भी स्पर्धा जागृत हुई और इस प्रकार देश में राजकीय तथा व्यक्तिगत दोनों प्रकार के शिक्षा संगठनों का बीजारोपण हुआ और भारत में आधुनिक शिक्षा का एक व्यवस्थित रूप प्रारम्भ हो गया।

आठवाँ अध्याय संघर्ष का प्रारम्भ (१८१३-३३ ई० तक)

संघर्ष का कारण

१८१३ ई० के आज्ञा पत्र के अनुसार कम्पनी ने भारत में अपने शिक्षा-उत्तरदायित्व को आंशिक रूप में स्वीकार तो कर लिया था और 'भारतवासियों की शिक्षा तथा उनमें विज्ञान का प्रारम्भ तथा उन्नति के लिये' एवं 'साहित्य के पुनरुत्थान व विकास' के लिये एक लाख रुपये का धन राशि भी अलग सुरक्षित कर दी थी किन्तु उसने इन रुपये के व्यय करने का विधि निश्चित नहीं की। परिणामतः भारत में शिक्षा की समस्या को लेकर एक विवाद उठ खड़ा हुआ जिसका अन्त ब्रिटिश शिक्षा घोषणापत्र के साथ १८५४ ई० में ही जाकर हुआ। १८१३ ई० से ३३ ई० तक २० वर्ष का युग तो शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही अनिश्चित युग था। वास्तव में कम्पनी के संचालक स्वयं शिक्षा के विषय में अनभिज्ञ तथा उदासीन थे और अधिकांश में भारत-स्थित अंग्रेज अफसरों की नीतियों का समर्थन करते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ निम्नलिखित विषयों पर विवाद उठ खड़े हुए:—

(१) उद्देश्य—पहिला विवाद शिक्षा के उद्देश्य के विषय में था कि यहाँ थोड़े से लोगों में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाय अथवा जनसाधारण में प्रारम्भिक शिक्षा का प्रसार किया जाय। इसी में एक उद्देश्य और सम्मिलित था कि प्राच्य शिक्षा और संस्कृति की सुरक्षा का जाय अथवा पाश्चात्य ज्ञान विज्ञानों को प्रारम्भ करके उनकी उन्नति की जाय।

(२) माध्यम—शिक्षा का माध्यम प्राच्यभाषायें संस्कृत, अरबी और फारसी रक्खा जाय अथवा देशी भाषा में और या फिर अंग्रेजी भाषा रक्खा जाय।

(३) साधन—शिक्षा सरकार का उत्तरदायित्व है अथवा इसे व्यक्तिगत व्यापारियों पर छोड़ दिया जाय। इसमें मिशनरियों को शिक्षा-प्रसार या धर्मप्रचार की छूट देने का बान भी उठ खड़ी हुई।

उपर्युक्त प्रश्नों को लेकर देश में प्रमुख तीन विचार-धारायें बहने लगीं। एक विचार-धारा के समर्थकों का यह दृष्टिकोण रहा कि संस्कृत और अरबी भाषा के द्वारा भारतवासियों का प्राचीन सभ्यता की रक्षा की जाय तथा उन्हें इन्होंने प्राच्यभाषाओं के माध्यम से द्वारा यूरोप के नवीन विज्ञानों का भी बोध कराया जाय।

इस विचार धारा के समर्थकों में कम्पनी के पुराने अधिकारी सम्मिलित थे जो कि लार्ड हैस्टिंग्स तथा मिंटो के अनुगामी थे। इस विचार-धारा का जोर बंगाल में रहा।

दूसरी विचार धारा के मानने वालों के अनुसार भारत में शिक्षा का माध्यम देशी व प्रान्तीय भाषाएँ होना चाहिये था। इनमें मद्रास में मुनरो और बम्बई में माउन्टस्टुअर्ट एलफिंस्टन थे। मुनरो के अनुसार भारतीय सभ्यता उच्चभोटी की थी जिसे इंग्लैंड को भी बहुत कुछ सीखना था। उसने लोक सभा (हाउस ऑफ कामन्स) में घोषणा की कि 'यदि सभ्यता को ऐसा पदार्थ मान लिया जिसका व्यापार दोनों देशों के मध्य में होने लगे, तो मुझे विश्वास है कि इंग्लैंड इस पदार्थ के आयात से महान लाभ उठा सकेगा।'

तीसरा दल ऐसे लोगों का था— यद्यपि यह इस समय अल्पमत में था — जिनमें प्रधानतः कम्पनी के नवयुवक अधिकारी थे। उनके अनुसार भारत में शिक्षा तथा पाश्चात्य विज्ञानों के प्रचार के लिये शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिये था। यह लोग ग्रान्ट के मत के अनुगामी थे। मिशनरी लोग भी इसी नीति के समर्थक थे यद्यपि वह लोग देशी भाषाओं द्वारा भी धर्म प्रचार कर रहे थे और आने समय को व्यर्थ के विवाद में अधिक नष्ट नहीं कर रहे थे।

उस समय सरकारी मामलों में भारतीय मत का कोई मूल्य नहीं था तथापि बंगाल में राजा राममोहनराय जैसे सुधारक भी अंग्रेजी भाषा के माध्यम के द्वारा पाश्चात्य विज्ञानों और विचारों के प्रसार करने के पक्ष में थे।

अंग्रेजी माध्यम के समर्थक सभी प्रान्तों में थे किन्तु बंगाल में इनका प्राधान्य था। आगे चल कर इसी दल की विजय हुई और इन्होंने शिक्षा को अन्तिम रूप दिया; जिसका फल यह हुआ कि भारत में शिक्षा की तीव्र प्रगति को रड़ा आघात लगा। प्रान्तीय भाषाओं के विकास की गति रुक गई और भारत की प्राचीन सभ्यता को एक भयानक धक्का लगा। वास्तव में वह एक ऐसे समाज का निर्माण करने में सफल हो सके जोकि अंग्रेजों तथा "उन करोड़ों प्राणियों के जिनके वह शासक थे बीच विचार-बाहक- (मध्यस्थ) बने अर्थात् एक ऐसा वर्ग जो रंग तथा रक्त में भारतीय किन्तु विचारों, रुचियों, नैतिक आदर्शों तथा बुद्धि में अंग्रेज हों।" इस प्रकार प्राचीन भारतीय सभ्यता पर विजय पाकर भारत में अपनी सभ्यता का बीजारोपण करने में यह दल सफल हुआ और इसमें सहायता दी राजा राममोहनराय जैसे उच्च वर्ग के भारतीयों ने जिनका अंग्रेजों से व्यक्तिगत सम्पर्क था और जो भारत के करोड़ों जन साधारण से अधिक सम्पर्क नहीं रखते थे। इन प्रयत्नों का वर्णन हम आगे करेंगे।

यहाँ दो शब्द मिशनरियों के विषय में कह देना भी बांझनीय होगा।

१८१३ ई० के आज्ञा पत्र के द्वारा भारत का द्वार इंग्लैंड की सभी मिशनरियों के लिये उन्मुक्त हो गया था। इन लोगों ने अंग्रेजी भाषा के माध्यम का ही आश्रय लिया। इन्होंने अंग्रेजी आदर्श के असंख्य स्कूल और कालेज खोले जिनके द्वारा शिक्षा के नाम पर ईसाई धर्म का प्रचार किया तथा भारतीयों के धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम को जारी रखवा। १८१३ से ३३ ई० तक के इनके शिक्षा प्रयत्नों का वर्णन हम इसी अध्याय में आगे करेंगे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तुतः यह एक परीक्षण-युग था। कम्पनी के संचालक भारतीय शिक्षा के विषय में अनभिज्ञ तथा तटस्थ होते हुए भी एक प्रकार से इन भिन्न-विचार-धाराओं की उपादेयता का परीक्षण कर रहे थे।

राजकीय प्रयत्न (१८१३-३३ ई०)

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कम्पनी के संचालकों ने ग्रान्ट और विल्वर-फोर्स के प्रस्तावों का विरोध किया था किन्तु उनके विरोध की अपेक्षाकृति भी १८१३ ई० के आज्ञा पत्र में शिक्षा के लिये १ लाख रुपये का अनुदान नियत कर दिया गया। इसके लिये ३ जून १८१४ ई० में उन्होंने अपना प्रथम शिक्षा-प्रादेश जारी किया जिसके द्वारा वह शिक्षा की उन्नति करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि “यह धारा दो प्रमुख विचारणीय समस्याएँ उपस्थित करती हैं प्रथम, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन तथा साहित्य का पुनर्स्थापन व उन्नति; और द्वितीय, भारतीयों में विज्ञानों का प्रचार व उन्नति।” किन्तु संचालकों ने अंग्रेजी प्रकार के स्कूल व कालेजों की स्थापना का विरोध किया और देशी शिक्षा तथा प्राच्य भाषाओं की उन्नति पर जोर दिया। वास्तव में अपने राजनैतिक हितों के लिये वह भारत के प्रभावशाली वर्गों को प्रसन्न रखना चाहते थे क्योंकि उन्हें भय था कि ‘सम्मानित तथा सवर्ण हिन्दू उनके शासन और अनुशासन के समस्त आत्म-समर्पण न करेंगे।’

अतः इस समय उनका उद्देश्य प्राच्य शिक्षा-पद्धति की उन्नति करना था। उन्होंने लिखा “हम समझते हैं कि विद्वान हिन्दुओं को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये तथा अपनी विधि से सहमत करने के लिये उन्हें अपनी चिरकालीन परम्परा द्वारा अपने घरों पर शिक्षा देने दिया जाय तथा उनके गुणों का विकास करने के लिये उन्हें प्रोत्साहित किया जाय और इस प्रकार के प्रोत्साहन के लिये उन्हें सम्मान सूचक उपाधियाँ तथा कभी २ आर्थिक अनुदान भी दिये जाय।”

कम्पनी के संचालकों ने भारतीय शिक्षण विधि तथा उसके साहित्य की सराहना की। उन्होंने लिखा कि “हमें विदित हुआ है कि संस्कृत भाषा में कई उत्तम ग्रन्थ ज्योतिष तथा गणित के हैं जिसमें ज्योतिष व बीजगणित भी सम्मिलित हैं। संभव है कि इनका ज्ञान योरोपीय विद्वानों में वृद्धि न करे किन्तु इनके द्वारा भारतीयों और हमारे उन कर्मचारियों में सम्पर्क स्थापित हो जायगा जो कि हमारी वेध-

शालाओं या इंजीनियर-विभाग में कार्य करते हैं। इस प्रकार के सम्पर्क के द्वारा भारतीय इन तथा अन्य आधुनिक विज्ञानों में प्रगति कर सकते हैं।”

इस प्रकार प्राच्य शिक्षा को प्रोत्साहन देकर वह भारतीयों तथा अपने कर्मचारियों की घनिष्ठता को बढ़ाना चाहते थे। ब्रिटिश अफसरों में उन्होंने प्राच्य-शिक्षा के प्रचार पर जोर दिया और यह भी कहा कि जो अफसर संस्कृत पढ़ने के लिये उद्यत हों उन्हें हर प्रकार की प्रथमता दी जाय। गांव के स्कूलों के अध्यापकों की दशा पर द्रवित होकर उनके सुधार के लिये भी इन्होंने संकेत किया। इस प्रकार उन्होंने एक ऐसी शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहन दिया जिसमें शिक्षण-विधि पूर्णतः प्राच्य थी। अंग्रेजी शिक्षा तथा मुसलमानों की शिक्षा के विषय में भी १८३३ ई० के आज्ञा पत्र में कोई उल्लेख नहीं था। किन्तु यह सब सामयिक राजनैतिक चालें थीं। वस्तुतः वह केवल सम्मानसूचक उपाधियों तथा थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता से आगे और कुछ नहीं करना चाहते थे। उनके इस आज्ञा-पत्र से कोई महत्त्वपूर्ण प्रगति की आशा नहीं की जा सकती थी। “इस आज्ञा पत्र से अधिक निराशाजनक लेख की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और यह एक कठणाजनक ऐतिहासिक सत्य है कि १८१३ ई० के आज्ञा-पत्र की धारा ४३ सन् १८३३ ई० तक ब्रिलकुल अग्रगु रहीं।”*

शिक्षा प्रगति

यह बात स्मरणीय है कि कम्पनी के कर्मचारियों ने संचालकों की इस नीति को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भारत में शिक्षा प्रसार के अपने कर्तव्य को समझा। लार्ड मौइरा ने जो कि भारत के तत्कालीन गवर्नर-जनरल थे २ अक्टूबर १८१५ ई० को अपने विवरण में स्वीकार किया कि १ लाख रुपये की धन राशि जन-साधारण में शिक्षार-प्रचार करने में व्यय की जायगी। उन्हें शिक्षा के विषय में एक अधिक उदार नीति की आवश्यकता प्रतीत हुई। “अंग्रेजों के लिये यह श्रेय की बात होगी कि यह लाभदायक क्रांति उनके शासनकाल में हो।

वशाल जनसंख्या के लिये वरदानों का साधन होना एक ऐसी महत्त्वाकांक्षा है जो हमारे देश को शोभा देती है।” लार्ड मौइरा ने स्पष्ट कर दिया था कि जनता के शिक्षित होने पर ही हम एक दृढ़ शासन की आशा कर सकते हैं। गांव के अध्यापकों के विषय में उनका विचार था कि किसी भी शिक्षा योजना में उनके सुधार को प्रथम स्थान देना चाहिये। लार्ड मौइरा ने यह भी प्रस्ताव रक्खा कि शिक्षा को सर्वप्रिय बनाने के लिये प्रत्येक जिले में एक हिन्दुओं तथा एक मुसलमानों के लिये स्कूल खोला जाय।

इस क्षेत्र में सर चार्ल्स मैटकाफ का नाम भारत में सदा आदर के साथ लिया जायगा उन्होंने ४ सितम्बर १८१५ ई० को एक उत्तर देते हुये लिखा था कि :

“भारतीयों को शिक्षित बनाने के विरुद्ध तर्क दिये गये हैं, पर एक उदार सरकार के लिये उन पर ध्यान देना कितनी अयोग्यता की बात होगी ! ईश्वर ही साम्राज्य देता तथा छीनता है । शासक तो प्रजा के हित साधन द्वारा शासन के योग्य बनते हैं । अतः यदि हम अपना कर्तव्य पालन करें तो भविष्य में चाहे जो परिवर्तन हों, हमें भारतीयों से कृतज्ञता तथा भूमंडल पर प्रशंसा मिलेगी । किन्तु यदि हम अपने स्वार्थ तथा भावी विपत्तियों के संभावित डर से अपनी प्रजा को अच्छी बातों से वंचित रखेंगे, तो हमें अपना राज्य रखने का कोई अधिकार नहीं है, हमें अपनी इच्छाओं का विपरीत ही मिलेगा जो संभवतः हमारे भाग्य में भी हैऔर हमें पतन के साथ ही साथ मानव जाति की घृणा भी मिलेगी । मेरा स्वयं का विचार है कि हम भारतीयों के लिये जितनी अधिक अच्छी बातें करेंगे उतना ही अधिक वह हमसे स्नेह करेंगे और परिणामतः साम्राज्य की शक्ति तथा आयु बढ़ेगी । अब यह बात सरकार की बुद्धिमानी पर निर्भर है कि वह निर्णय करे कि यह सलाह केवल काल्पनिक है अथवा सत्य पर आधारित ।”*

इसी बीच में इंग्लैंड में समाज-सुधार के आन्दोलन जोर पकड़ रहे थे । वहाँ के अपराध विधान तथा फैक्टरी कानून में सुधार हुए । सारे देश में सामाजिक उदारता की लहर दौड़ने लगी । शिक्षा में भी महत्वपूर्ण सुधार हुए । फलतः उस भावना का भारत स्थित अंग्रेज शासकों पर भी प्रभाव पड़ा और वह भारत में उदारता-पूर्वक शिक्षा तथा मानव-सुख की वृद्धि में जुट गये । मुनरो, एल्फिंस्टन तथा वैटिक इत्यादि महानुभावों ने भी उसी भावना से प्रेरणा लेकर भारत में शिक्षा सुधार तथा उन्नति के प्रयास किये । कम्पनी के संचालकों के विचारों में भी परिवर्तन हो गया और उन्होंने उदारता तथा उत्साह-पूर्वक शिक्षा प्रसार करने के आदेश दिये । अतः इन सभी परिस्थितियों पर दृष्टि रखते हुए हम भिन्न-प्रान्तों में इस काल की शिक्षा-प्रगति का संक्षेप में उल्लेख करेंगे ।

बंगाल—सन् १८१३ से १८२३ ई० तक कोई सराहनीय शिक्षा-प्रयत्न नहीं हो सका । १८२३ ई० में जाकर ही ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपने कर्तव्य की सुध ली । फलतः १७ जुलाई १८२३ ई० के एक प्रस्ताव के अनुसार बंगाल में गवर्नर जनरल ने एक ‘लोक-शिक्षा समिति’ (General Committee of Public Instruction) नियुक्त की जिसके उद्देश्य ‘जनता की शिक्षा में सुधार, उनमें हितकारी ज्ञान का प्रचार तथा उनके नैतिक चरित्र को ऊँचा उठाना’ इत्यादि थे । कम्पनी ने

सारा उत्तरदायित्व व शिक्षा सम्बन्धी अनुदान इसी समिति को हस्तान्तरित कर दिया तथा उसकी सहायता के लिये कुछ स्थानीय समितियाँ भी बनायीं। इस प्रमुख लोक शिक्षा समिति में दस सदस्य थे जिनमें प्रिंसेप तथा विल्सन भी, जो कि प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे, सम्मिलित थे। वास्तव में इस समिति में बहुमत भी प्राच्य शिक्षा प्रणाली के समर्थकों का ही था।

इस समिति ने अपना कार्य प्राच्य शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ही प्रारम्भ कर दिया और इसके लिये प्रथमतः इसने कलकत्ता मदरसा तथा बनारस संस्कृत कालेज का पुनर्संगठन किया तथा १८२४ ई० में कलकत्ता, आगरा और दिल्ली में प्राच्य शिक्षा के लिये कालेजों का निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त १८२४ ई० में कलकत्ता में 'कलकत्ता शिक्षा प्रेस' भी स्थापित किया और असंख्यों संस्कृत, अरबी तथा फारसी के ग्रन्थ छापे तथा बहुत से विज्ञान सम्बन्धी योरोपीय ग्रन्थों का अरबी, फारसी तथा संस्कृत में अनुवाद करा कर छुपाया। यह पुस्तकें स्कूलों में भी पढ़ाई जाने लगीं। समिति ने प्राच्य भाषाओं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी दी।

किन्तु 'लोक शिक्षा समिति' अपनी इस नीति पर अधिक दिनों तक न चल सकी। शीघ्र ही इसकी नीति का बड़ा विरोध होने लगा। कम्पनी के संचालकों ने भी इस नीति का समर्थन नहीं किया और १८ फरवरी १८२४ ई० के आदेश के अनुसार समिति की कार्यवाहियों पर एक प्रकार से रोक लगा दी। उनकी राय में ऐसे पुस्तकालय अथवा विद्यालय खोलकर जिनका उद्देश्य 'केवल हिन्दू या केवल मुसलमान साहित्य का ही पढ़ाना है' समिति अपने आपको उस साहित्य के पढ़ाने के लिये बाध्य कर रही है 'जिसका अधिकांश मूर्खताओं से भरा है तथा एक बड़ा भाग शरारत पूर्ण है और बचा हुआ एक थोड़ा सा भाग अवश्य ऐसा है जिससे थोड़ी बहुत उपयोगिता प्राप्त हो सकती है।' समिति की राय यह थी कि हिन्दू व मुसलमान यूरोपवासियों से घृणा करते हैं अतः उनके साहित्य को पढ़ने के लिये तैयार भाँ नहीं होंगे और जनता की राय भी योरोपीय ज्ञान-विज्ञानों के शिक्षण के प्रतिकूल है। किन्तु यह कथन सर्वांश में सत्य प्रतीत नहीं होता क्योंकि बंगाल में राजा राममोहन राय ने ११ दिसम्बर १८२३ ई० को एक स्मरण-पत्र लार्ड एम्हर्ट के लिये लिखा जिसमें उन्होंने कलकत्ता संस्कृत कालेज के खुलने का विरोध किया। उन्होंने भारत में योरोपीय विज्ञानों तथा गणित इत्यादि के पढ़ाये जाने पर जोर दिया। और कहा कि सरकार को "एक अधिक उदार और बुद्धिमत्तापूर्ण शिक्षा-पद्धति को उन्नत करना चाहिये जिसमें गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर विज्ञान तथा अन्य लाभदायक विज्ञान सम्मिलित हों। जिनका शिक्षण निश्चित धनराशि के द्वारा रखे हुये ऐसे सज्जनों के द्वारा होना चाहिए

जो गुणवान हों तथा योरप में शिक्षा पाये हुए हों।”* उनकी राय में संस्कृत की शिक्षा देश की शिक्षा प्रगति को रोक कर उसे अज्ञान अंधकार में रखने की एक राजनैतिक चाल थी। किन्तु उनके इस विरोध की कोई परवाह नहीं की गई और संस्कृत कालेज का निर्माण हो गया। आगे चलकर इसी विचार धारा ने ‘प्राच्य-अँग्ल विवाद’ का रूप धारण कर लिया।

वास्तव में यह वह युग था जबकि भारतीयों में राजनैतिक चेतनता का बीजारोपण हो चुका था। उनमें अंग्रेजी भाषा तथा पाश्चात्य ज्ञान के लिये एक तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी। जिसके प्रमुख कारण थे मिशनरियों के द्वारा अंग्रेजी का प्रचार; कुछ भारतीय सुधारकों तथा सामाजिक नेताओं द्वारा अंग्रेजी की मांग; तथा अंग्रेजी भाषा के शासकों की भाषा होने से उससे उत्पन्न होने वाले आर्थिक तथा राजनैतिक लाभ। अतः इन बातों को ध्यान में रखते हुये लोक शिक्षा समिति ने आगरा कालेज तथा कलकत्ता मदरसा में अंग्रेजी की कक्षाएँ खुलवा दीं और दिल्ली तथा बनारस में जिला अंग्रेजी स्कूल खुलवा दिये। किन्तु यह प्रयत्न अपर्याप्त थे।

बम्बई—१८१८ ई० में बम्बई प्रेसीडेंसी बनी और पूना के श्री ऐलफिंस्टन को १८१६ ई० में वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया। श्री ऐलफिंस्टन ने अपना पद संभालते ही अपना ध्यान प्रांत की शिक्षा की ओर दिया। उन्होंने पेशवा के दक्षिणा-फंड में से जोकि ५,००,०००) रु० वार्षिक था ब्राह्मणीय शिक्षा के प्रसार के लिये पूना संस्कृत कालेज खोला। यह कालेज प्रधानतः बम्बई की प्रभावशाली जाति ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिये राजनैतिक उद्देश्यों से खोला गया था। १८२३ ई० तक बम्बई सरकार शिक्षा के लिये और कुछ न कर सकी। ‘बम्बई-भारतीय-शिक्षा-समिति’ के शिक्षा-अनुदान के लिये प्रार्थना करने पर ऐलफिंस्टन ने १३ दिसम्बर १८२३ ई० का अपना प्रसिद्ध शिक्षा-विवरण पत्र लिखा जिसके अनुसार उसने निम्नलिखित सात सुझाव रखे :—

- (१) भारतीय स्कूलों में शिक्षण-विधि का सुधार तथा स्कूलों की संख्या में वृद्धि;
- (२) पाठ्य-पुस्तकों की पूर्ति;
- (३) निम्न वर्ग के भारतीयों को इस शिक्षा से लाभ उठाने के लिए आकर्षित करना;
- (४) योरोपीय विज्ञानों तथा उच्च शिक्षा के शिक्षण के लिये स्कूल स्थापित करना;
- (५) भारतीय भाषाओं में नैतिक तथा भौतिक विज्ञान पर पुस्तकें लिखवाना

तथा उनका प्रकाशन कराना;

- (६) ऐसे लोगों के लिए अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना करना जो कि अंग्रेजी भाषा का उच्च अध्ययन करने के इच्छुक हैं तथा योरुपीय अनुसंधानों को करने के लिए अंग्रेजी को साधन के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं; तथा
- (७) भारतीयों को ज्ञान की अन्तिम शाखाओं में अध्ययन करने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करना।^१

इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐलफिंस्टन जन-शिक्षा के एक प्रमुख समर्थक थे। उनकी राय में निर्धनों को शिक्षा का भार सरकार पर होना चाहिये। “यह बात सर्वमान्य है कि प्रत्येक देश में गरीबों की समृद्धि अधिकांश में उनकी शिक्षा पर निर्भर है। यह केवल शिक्षा के ही द्वारा होता है कि वे लोग बुद्धिमान होते हैं और उनमें उस आत्म सम्मान की भावना प्रस्फुटित होती है जो कि अन्य सदगुणों की जन्मदात्री है; और यदि किसी भी देश में उन गुणों की आवश्यकता है तो वह यही देश (भारत) है।”^२ यह एलफिंस्टन की बुद्धिमत्ता पूर्ण नीति का ही परिणाम था कि बम्बई प्रान्त में प्रान्तीय भाषा की बहुत उन्नति हुई और यह प्रान्त सदा देशी भाषाओं द्वारा ही शिक्षा पर जोर देता रहा।

ऐलफिंस्टन ने शिक्षा के संगठन के लिये सरकारी प्रयत्नों के साथ ही साथ व्यक्तिगत प्रयत्नों को भी प्रोत्साहित किया क्योंकि सरकार शिक्षा के पूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर सकती थी। यही कारण था कि उन्हें ने सरकार और व्यक्तिगत प्रयासों के बीच सहकारिता की भावना पर जोर दिया। ‘बम्बई भारतीय शिक्षा समिति’ जैसी व्यक्तिगत संस्थाओं के लिये उन्हें ने शिक्षा अनुदान की व्यवस्था की और ‘ग्रान्ट-इन-एड’ प्रथा को चालू किया। परीक्षा प्रणाली भी चालू कर दी गई तथा सफल विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र, पारितोषिक तथा द्वात्रवृत्तियों प्रदान की गईं।

किन्तु एलफिंस्टन के विवरण-पत्र का उनको काउंसिल में ही घोर विरोध हुआ। वार्डन ने जो कि काउंसिल का सदस्य था ऐलफिंस्टन का विरोध किया। वार्डन अंग्रेजी द्वारा केवल उच्च वर्ग के कुछ लोगों को शिक्षित करने के पक्ष में था, अतः उसने प्रान्तीय शिक्षा द्वारा जन-साधारण को शिक्षा देने का विरोध किया। गाँव के देशी प्रारम्भिक शिक्षा के स्कूलों को वह निरर्थक समझता था और इनके स्थान पर प्रत्येक जिले में उच्च वर्ग तथा मध्य वर्ग के बालकों के लिए अंग्रेजी शिक्षा के स्कूल खोलने के पक्ष में था। इन्हीं बातों को लेकर आगे चलकर ‘ऐंग्लो-वर्नाक्यूलर विवाद’ उठ खड़ा हुआ जो कि मैकाले के प्रसिद्ध विवरण-पत्र

१ ऐलफिंस्टन-मिनट ऑन एज्युकेशन पैरा ७, एल० एन० मूकजी द्वारा उद्धृत।

२ ऐलफिंस्टन-मिनट ऑन एज्युकेशन पैरा ४३, नूस्ला नामक ग्रन्थ उद्धृत।

के प्रस्तुत करने पर ही समाप्त हुआ। ऐलफिंस्टन ने बम्बई प्रान्त की शिक्षा में ऐतिहासिक उन्नति की यद्यपि उन्हें अपनी नीति में पूर्ण सफलता न मिल सकी। ऐलफिंस्टन-वार्डन विवाद को देखते हुए कर्पणों के संचालकों ने ऐलफिंस्टन की सभी सिफारिशों को नहीं माना। सरकार ने बम्बई-भारतीय-शिक्षा-समिति को बम्बई प्रान्त में शिक्षा संगठन के लिए प्रमुख संस्था स्वीकार कर लिया तथा कोई अन्य सरकारी समिति इस कार्य के लिए नियुक्त नहीं की। 'बम्बई भारतीय-शिक्षा समिति' को ६०० रु० प्रति माह की आर्थिक सहायता भी स्वीकार कर ली गई। इसके अतिरिक्त बम्बई प्रान्त में अन्य कोई शिक्षा कार्य १८१३-३३ ई० के मध्य में न हो सका।

मद्रास—पिछले अध्याय में मुनरो द्वारा मद्रास की शिक्षा की जाँच का उल्लेख हो चुका है। अपनी जाँच के दौरान में मुनरो इसी निष्कर्ष पर पहुँचा था कि शिक्षा के पतन के प्रमुख कारण सरकार की अवहेलना तथा जनता की निर्धनता हैं। अतः इनको दूर करने के लिए उसने स्कूलों को आर्थिक सहायता दी तथा नये स्कूल खोले। शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा उनके लिये आर्कषक वेतनों का भी मुनरो ने प्रबन्ध किया। १० मई १८२६ ई० के अपने विवरण पत्र में उसने स्कूलों के लिये पाठ्य-पुस्तकें छापने तथा शिक्षकों को दीक्षा के लिये प्रस्ताव किये। यह दोनों कार्य 'मद्रास-स्कूल बुक सोसाइटी' को दे दिये गये और ७०० रु० मासिक का अनुदान भी उसके लिए देना निश्चय किया। उसने २० जिलों में उच्च कोटि के दो-दो स्कूल—एक हिन्दुओं तथा दूसरा मुसलमानों—के लिए खुलवाने पर जोर दिया। बाद में ३०० तहसीलों में क्रमशः एक एक वर्नाक्यूलर स्कूल हिन्दुओं के वास्ते खोलने की योजना बनाई। इस प्रकार सम्पूर्ण योजना को लागू करने के लिये उसने ४८,०००) रु० वार्षिक की सहायता मांगी। यह धन राशि सन् १८२८ ई० में स्वीकृत हो गई किन्तु दुर्भाग्यवश १८२७ ई० में मुनरो की मृत्यु हो जाने से उसके उपरान्त यह योजना अशुद्धी प्रकार से कार्यान्वित न की जा सकी।

इस शिक्षा योजना के कार्यान्वित करने के लिए मुनरो ने अपने जीवन काल में ही जून १८०६ ई० में 'लोक शिक्षा समिति' की स्थापना कर ली थी। इस समिति ने मद्रास में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक नॉर्मल स्कूल खोला। तहसीली स्कूलों की प्रगति भी निराशा-जनक रही। १८३० ई० तक केवल १४ जिलों में ७० तहसीली स्कूल खोले जा सके। इनमें न तो शिक्षकों को वेतन ही ठीक प्रकार से मिल पाता था और न इनका निरीक्षण ही नियमित रूप से होता था।

यद्यपि मुनरो की मृत्यु से उसकी योजना सफल न हो सकी किन्तु इसका एक प्रमुख कारण दूसरा भी है। वास्तव में मुनरो का उद्देश्य शिक्षा द्वारा जनता के नैतिक, मानसिक तथा आर्थिक-स्तर को ऊँचा उठाकर सरकार के कर्तव्य को पूरा

करना था। उसने लिखा था, “हमें सदा साम्राज्य बनाये रखने का स्वप्न न देखना चाहिये, बल्कि भारतीयों को ऐसा बना देना चाहिये कि वह अपना शासन इस प्रकार कर सकें कि उससे उनका, हमारा तथा विश्व का कल्याण हो। हमें अपने प्रयासों के प्रतिफल स्वरूप अपना कर्त्तव्य पूरा करने की भावना तथा इसकी सफलता का श्रेय ही प्राप्त करना चाहिये।”^१ किन्तु मुनरो अपनी योजना को भली-भाँति लागू भी नहीं कर पाया था कि कम्पनी के संचालकों ने अपना २६ सितम्बर १८३० ई० का आज्ञापत्र भेजा जिसके अनुसार कहा गया कि मद्रास में प्रारम्भिक जन-शिक्षा पर पर्याप्त कार्य किया जा चुका है किन्तु उच्च शिक्षा के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये गये हैं। अतः ऐसी अवस्था में मद्रास सरकार को अपनी नीति को बदल देना चाहिये। आज्ञापत्र में कहा गया कि “तुम्हारी सरकार के प्रथम प्रस्तावों में जनता के किसी भी भाग की उच्च शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा का सुधार हो उनका उद्देश्य है।परन्तु जनता को नैतिक तथा मानसिक दशा सुधारने में वही शिक्षा सुधार अत्यन्त सफल होते हैं, जिनका सम्बन्ध उच्चतर वर्गों से होता है, जिनके पास पर्याप्त अवसर तथा अपने देशवासियों के मस्तिष्कों पर पर्याप्त प्रभाव होता है। बहुसंख्यक वर्गों पर सीधे प्रभाव डालने के स्थान पर इन्हीं उच्च वर्गों के शिक्षा-स्तर को ऊँचा करके जनता के विचारों तथा भावनाओं में अधिक व्यापक तथा हितकारी परिवर्तन करना संभव है। साथ ही तुम्हें ज्ञात है कि हमारी उत्कट इच्छा है कि हमें ऐसे भारतीयों की आवश्यकता है जो अपने स्वभाव तथा विद्या द्वारा अपने देश के शासन में उच्चतर पदों पर रखने योग्य हों। तुम्हारे प्रान्त की शिक्षा में ऐसे व्यक्ति उत्पन्न करने की क्षमता नहीं। प्रधान प्रांत (बंगाल) में भारतीय उच्च वर्गों को अंग्रेजी भाषा तथा योरुपीय साहित्य और विज्ञानों की शिक्षा देने का प्रयास किया गया था। वहाँ इन प्रयासों को इतनी सफलता मिली कि उनकी कार्य श्रवधि के थोड़े होते हुये भी वह अत्यन्त संतोषजनक है तथा यह प्रयास भस्तरियों में सम्य योरुपीय भावनाओं के फैलाने की व्यवहारिकता की आशा का पुष्टीकरण करते हैं। हमारी अभिलाषा है कि इसी प्रकार के प्रयत्न तुम्हारे प्रान्त में भी हों।”^२

वास्तव में अंग्रेज शासकों का भारत में प्रमुख हित राजनैतिक था। वह नहीं चाहते थे कि यहाँ के जन-साधारण में उपयोगी शिक्षा का शीघ्र प्रचार किया जाय तथा उनके अन्दर राजनैतिक जागृति उत्पन्न करके उन्हें उनके अधिकारों तथा क्षमताओं से परिचित करा दिया जाय। यही कारण था कि उन्होंने केवल उच्चवर्ग के लोगों को शिक्षित करने का निश्चय किया था। उच्चवर्ग के लोग बहुधा प्रत्येक देश

१. के० एच० बकील द्वारा—एज्यूकेशन इन इंडिया में उद्धृत।

२. एच० शार्प—सिलैक्संस फ्रीम एज्यूकेशनल रिकार्ड्स भाग १ पृष्ठ १७६-८०।

में निम्नस्तर की कही जाने वाली जनता का शोषण करके उसके ऊपर अपना जीवन निर्भर करते हैं। भारत में भी यही अवस्था थी। इन उच्चवर्ग के लोग' के आर्थिक स्वार्थ भी इसी में थे कि वह अँग्रेजों के इस षडयंत्र के कार्यवाहक बन कर उनकी नीतियों का समर्थन करें। वस्तुतः ब्रिटिश सरकार एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहती थी—जैसा कि कम्पनी के संचालकों के उपयुक्त विवरण से प्रकट होता है—जो कि उनके शासन-भवन के स्तम्भ बनकर जनता के शोषण में उन्हें सहायता दें। सरकार इस स्वामिभक्ति के लिये अपने इन 'उच्चवर्ग' के दासों के समक्ष कुछ प्रलोभन रख देती थी और इस प्रकार इन्हें देश पर शासन करने तथा उसका शोषण करने का सहायक यंत्र बनाती थी। इसी नीति को सरकार ने बंगाल में भी अपनाया था जहाँ उसे पर्याप्त सफलता मिली। अपनी इस सफलता से उत्साहित होकर उसने अपने इस सिद्धान्त को सम्पूर्ण देश पर लागू किया और यही कारण था कि टांस मुनरो को जिसने जन-शिक्षा के लिये एक उदार योजना बनाई थी, कम्पनी ने आदेश दिया कि वह बंगाल की भाँति, जहाँ राजा राममोहन राय जैसे 'देश सेवी' भारतीय शिक्षा के स्थान पर पाश्चात्य 'लाभदायक' शिक्षा को स्थानापन्न करने के लिये संघर्ष कर रहे थे, मद्रास में भी उच्चवर्ग में पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान का प्रसार करें। इस प्रकार उच्चवर्ग को शिक्षा देकर यह धारणा करना कि शिक्षा उच्चवर्ग से छुन कर निम्न वर्गों तक पहुँच जायगी भारतीय शिक्षा के इतिहास में 'शिक्षा छुनेने का सिद्धान्त' (Infiltration theory) के नाम से प्रसिद्ध है जिसका वर्णन आगे चल कर किया जायगा।

गैर-सरकारी प्रयत्न

इस प्रकार देश में १८१३-३३ ई० तक की शिक्षा प्रगति में राजकीय प्रयत्न अधिक सगहनीय नहीं रहे। शिक्षा एक परीक्षण काल में होकर गुजर रही थी अतः यह स्वाभाविक ही था कि प्रगति मंद रहती। किन्तु इन सरकारी प्रयासों के समानान्तर ही गैर-सरकारी प्रयास भी जारी थे जिन्हें प्रधानतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है : १—मिशनरी और २—गैर-मिशनरी। आगे की पक्तियों में हम इन्हीं का उल्लेख करेंगे।

१—मिशनरी शिक्षा प्रयत्न (१८१३-३३ ई०)

सन् १८२३ ई० तक भारत में कम्पनी सरकार अपने राज्य को दृढ़ और स्थायी करने में इस प्रकार फँसी रही कि शिक्षा की समस्या उसके समक्ष गौण रही। इधर भारत में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का माँग उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। १८१३ ई० के आशा पत्र ने अंग्रेजी-मिशनरियों के लिये भारत के द्वार

खोल दिये थे। फलतः यहाँ कई धर्मप्रचारक मंडलियाँ आईं और इन्हीं धर्म-प्रचारकों ने अपने धार्मिक उद्देश्यों से भारत में शिक्षा का कार्य अपने हाथ में लिया जिससे जनता की माँग की भी पूर्ति हुई और ईसाई धर्म का प्रचार भी बढ़ा। यह निर्विवाद है कि शिक्षा प्रचार इनका प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं था। वह तो धर्म परिवर्तन करना चाहते थे। अतः शिक्षा के द्वारा ही वह निम्न तथा उच्च वर्गों के सम्पर्क में आकर उन्हें प्रभावित कर सकते थे। इसके अतिरिक्त धर्म परिवर्तित लोगों के साथ अपना सम्बन्ध स्थायी करने के लिये भी उनको शिक्षा का प्रबन्ध आवश्यक था। साथ ही उन्हें ऐसे सहायक धर्म प्रचारक भी तैयार करने थे जो भारतीय जनता में से ही हों। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उन्हें शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों को अपनाना पड़ा। किन्तु इतना अवश्य है कि उनके इस प्रयत्न से देश में शिक्षा की बहुत उन्नति हुई। उनकी प्रारम्भिक नीति देशी भाषाओं में शिक्षा देने की थी। देशी भाषाओं में उन्होंने पाठ्य-पुस्तकें, शब्दकोष तथा व्याकरणों की रचना करके एक ऐसा सराहनीय कार्य किया जिसके लिये भारत उनका चिर श्रेणी रहेगा। धर्म-प्रचार के उनके जोश में शिक्षा-उन्नति में भी उन्हें उसी जोश के साथ लगा दिया। यह बात भी सर्वमान्य है कि इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप १८१३ ई० के आशा पत्र में शिक्षा सम्बन्धी धारा जोड़ी गई थी।

इस प्रकार १८१३ ई० के बाद जो जो मिशनरियों भारत में आईं उनमें 'जनरल बैप्टिस्ट मिशन सोसाइटी,' 'लन्दन मिशनरी सोसाइटी,' 'चर्च मिशनरी सोसाइटी,' 'वैसालियन मिशन' तथा 'स्कॉच मिशनरी सोसाइटी' प्रमुख हैं। इन्होंने भिन्न २ प्रान्तों में अपने कार्य को प्रसारित किया।

बंगाल—जैसा कि पीछे कहा जा चुका है बंगाल में सीरामपुर में बैप्टिस्ट मिशन ने धर्म प्रचार बढ़ा जोरों से प्रारम्भ किया था। १८१५ ई० में उन्होंने लगभग १५ स्कूल खोले। सीरामपुर का छापाखाना सराहनीय कार्य कर ही रहा था। 'समाचार दर्पण' नामक एक समाचार पत्र भी उन्होंने निकाला। १८१८ ई० में सीरामपुर कालेज की नींव डाली गई जिसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय तथा अधगोरों को धर्म प्रचार की दीक्षा देना था। भारत में यह प्रथम मिशन कालेज था।* इसके अतिरिक्त 'लन्दन मिशनरी सोसाइटी' के एक प्रमुख कार्यकर्ता ने चिनसुरा में ३६ प्रारम्भिक शिक्षा के स्कूल खोले जिनमें ३,००० बच्चे पढ़ते थे। 'चर्च मिशनरी सोसाइटी' के कप्तान स्टीवर्ट ने बर्दवान में १० वर्नाक्यूलर स्कूल खोले जिनमें लगभग १००० बच्चे पढ़ते थे। भवानीपुर तथा बरहमपुर में भी स्कूल खोले गये। १८२० ई० में शिवपुर में बिशप कौलेज की स्थापना हुई।

*एस० एन० मुकर्जी—एज्यूकेशन इन इंडिया।

बंगाल में मिशनरियों के कार्यों को १८३० ई० में स्काटलैंड के मिशनरी अलैक्जेंडर डफ के आगमन से बड़ा प्रोत्साहन मिला। उसके अथक प्रयासों से बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रचार हुआ। डफ जगद्गुरु भारत को 'मुक्ति' का पाठ पढ़ाने आया था। उसके मतानुसार भारतीयों की मोक्ष 'पश्चिम तथा बाइबिल' की कृपा पर ही अवलम्बित थी। १८३५ ई० में एक भाषण में उमने कहा था कि "पाश्चात्य ज्ञान की प्रत्येक शाखा हिन्दू धर्म के किसी न किसी भाग का विध्वंस करेगी, इस प्रकार हिन्दू धर्म के विशाल किन्तु भदे भवन में से एक एक ईंट नीचे गिर जायगी। और जब तक कि हमारी शिक्षा की विशाल योजना पूर्ण होगी, सम्पूर्ण भवन खंड खंड होकर धराशायी हो जायगा; यहाँ तक कि एक खंडित टुकड़ा भी शेष नहीं बचेगा।"^१ डफ ने कलकत्ता में स्काटिश चर्च कालेज भी स्थापित किया, जहाँ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था तथा बाइबिल अनिवार्य थी।

डफ का उल्लेख करते हुए एक अमेरिकन विद्वान ने लिखा है कि "भारत में निम्न गंगाघाटी में शिक्षा-रूप के विकास में सन् १८३० ई० एक महत्वपूर्ण वर्ष है। इस वर्ष अलैक्जेंडर डफ, एक उत्साही मिशनरी, भारत आया। बंगाल में उसके मिशनरी स्कूलों के कार्य व प्रयास विशाल थे। उसके अनुगामी उग्र थे तथा शिक्षा को, विशेषतः उच्च शिक्षा को, वह धर्म प्रचार का यंत्र समझता था।"^२

बम्बई—१८१५ ई० में अमेरिकन मिशन ने बम्बई में एक स्कूल लड़कों के लिये तथा १८२४ ई० में लड़कियों के लिये खोला। कोंकण में १८२२ ई० में 'स्काटिश मिशन' ने अपना कार्य प्रारम्भ किया। १८२६ ई० में डा० विल्सन ने लड़कियों के लिये एक स्कूल बम्बई में खोला। इससे अतिरिक्त सूरत में भा कुछ स्कूल खोले गये। इस प्रकार बम्बई में मिशनरियों का शिक्षा-कार्य इतना व्यापक नहीं था जितना कि बंगाल में।

मद्रास—चर्च मिशन सोसाइटी ने मद्रास में १८१५ से १८३५ ई० तक बहुत से स्कूल खोले। अकेले तिनेवली में १०७ स्कूल थे जिनमें २८२२ विद्यार्थी पढ़ते थे। १८१७ ई० में इग ने ६ स्कूल खोले जिनमें २८३ विद्यार्थी पढ़ते थे। 'वैसलियन-मिशन' ने भी १८१६ ई० में मद्रास में कुछ स्कूल खोले। इसके अतिरिक्त कुम्भकोनम, चित्तूर, सलेम, कोइम्बटूर, विजगापट्टम, कडापा तथा त्रिलारी इत्यादि अन्य स्थान मद्रास प्रान्त में और थे जहाँ मिशनरियों ने अपने स्कूल स्थापित किये। डफ

1. L. S. S O' Malley—Modern India and the West p. 671—
Quoted by Shri S. N. Mukerjee in Education in India p. 55.

२. डा० जैलनर—एज्युकेशन इन इंडिया, न्यूयार्क एडीशन १९५१-पृष्ठ-५६।

(१८३० ई०) तथा जौन विल्सन (१८२६ ई०) ने भी मद्रास में अपने शिक्षाकेन्द्र स्थापित करके ईसाई धर्म का प्रचार किया।

इनके अतिरिक्त अजमेर भी एक प्रमुख केन्द्र था जहाँ ईसाइयों ने 'लंकास्ट्रियन-प्रणाली' पर स्कूल खोले। सन् १८२३ ई० में वहाँ चार स्कूल थे जिनमें १०० विद्यार्थी थे। चार वर्ष उपरान्त चारों स्कूल मिला कर एक स्कूल बना दिया गया। इसी प्रकार 'चर्च मिशनरी सोसाइटी' ने वर्दवान, आगरा, मेरठ, बनारस, आजमगढ़ तथा जौनपुर में भी अपने प्रचार केन्द्र स्थापित करके वहाँ स्कूलों की व्यवस्था की। बम्बई प्रान्त में नासिक भी एक केन्द्र था।

इस प्रकार धर्म प्रचार के लिये इन मिशनरियों ने शिक्षा को साधन बनाया। उन्होंने पाठ्य पुस्तकें छापीं, स्कूलों में घंटे नियत कर दिये। इतवार छुट्टी का दिन था। इससे पूर्व प्रत्येक स्कूल में देशी शिक्षा पद्धति के अनुसार सम्पूर्ण विषयों तथा कक्षाओं के लिये एक ही शिक्षक रहता था। किन्तु इन्होंने आधुनिक ढंग पर एक से अधिक शिक्षकों के रखने की व्यवस्था की। इस प्रकार इस काल में एक नये शिक्षा संगठन को रूप मिला जिसका श्रेय मिशनरियों को है।

२-गैर-मिशनरी प्रयास (१८१३-३३ ई०)

बंगाल—बंगाल में सरकारी तथा मिशनरी व्यक्तियों के साथ ही साथ जनता का व्यक्तिगत प्रयत्न भी शिक्षा प्रसार में लगा हुआ था। ब्रह्मसमाज के प्रवर्तक राजा राममोहन राय तथा डैविड हेयर, राधाकान्त देव और सर एडवर्ड हाइड ईस्ट इत्यादि महानुभावों के नाम इस क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। राजा राममोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने पश्चात्य सभ्यता, ज्ञान तथा विज्ञानों की सराहना की। इन विज्ञानों के द्वारा वह भारत में भी सांस्कृतिक जागरण लात्र चाहते थे। यद्यपि यह संस्कृत तथा बंगाली के भी ज्ञाता थे किन्तु प्राच्य साहित्य तथा प्राच्य भाषाओं को यह देश के लिये हानिकारक समझते थे। डैविड हेयर एक धनी घड़ीसाज़ था। कलकत्ता के निकट वह एक प्राइमरी स्कूल भी चला रहा था और अपने अनुभव के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि अधिकतर भारतीय बालकों में अंग्रेजी पढ़ने की माँग है। सर एडवर्ड हाइड ईस्ट बंगाल के चीफ जस्टिस तथा राजा राममोहन राय के मित्र थे। १४ मार्च १८१६ ई० को इन लोगों ने एक सभा की जिसमें एक अंग्रेजी स्कूल खोलने की योजना पर विचार किया जिसका उद्देश्य 'हिन्दुओं के पुत्रों को योषीय तथा एशियाई भाषाओं तथा विज्ञानों की शिक्षा देना' था। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये तत्काल ही ५०,०००) रु० चंदा कर लिया गया। इस प्रकार २० जनवरी १८१७ ई० को महाविद्यालय (हिन्दू कालेज) की नींव पड़ी। सन् १८२४ ई० में जाकर इसे सरकारी सहायता भी मिलने लगी। इसमें अंग्रेजी,

नीति-शास्त्र, व्याकरण, हिन्दुस्तानी, बंगला, गणित, इतिहास, भूगोल तथा ज्योतिष पढ़ाये जाते थे। कुछ ही दिनों में हिन्दू कालेज ने आशातीत उन्नति कर ली। १८२६ ई० में इस कालेज में १६६, विद्यार्थी १८२७ ई० में ३७२ तथा १८२८ ई० में ४३७ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे।^१ किन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें संस्कृत तथा फारसी भाषा का बहिष्कार कर दिया गया। यह वास्तव में एक मूलभूत गलती थी क्योंकि ऐसा करने से पाश्चात्य और प्राच्य सभ्यताओं के सम्मिश्रण का सुश्रवसर जाता रहा।

हिन्दू कालेज के अतिरिक्त अन्य प्रयत्न भी किये गये। १८१७ ई० में 'कलकत्ता स्कूल-पुस्तक समाज' स्थापित किया गया जिसने बिना मूल्य या नाममात्र मूल्य पर पुस्तकें छापीं। १८२१ ई० तक लगभग १ लाख २६ हजार पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थीं। सरकार ने भी ७०००) रु० का दान इस समाज को दिया। १८१६ ई० में 'कलकत्ता विद्यालय समाज' की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य बंगाल प्रान्त में अंग्रेजी तथा बंगला के स्कूल स्थापित करना था। सन् १८२१ ई० तक इस समाज ने ११५ स्कूल खोले जिनमें ३८२८ विद्यार्थी थे। १८२३ ई० में सरकार ने इन स्कूलों की सहायता के लिये ६०००) रु० वार्षिक की स्वीकृति दी। इस प्रकार यह दोनों समाज मिलकर १८३३ ई० तक सराहनीय कार्य करते रहे।

बम्बई—बम्बई प्रान्त में इस काल में शिक्षा विकास का श्रेय अधिकांश में व्यक्तिगत प्रयत्नों को ही है। १८१५ ई० में इंग्लैंड के चर्च के सदस्यों ने 'बम्बई राज्य के अन्तर्गत निर्धनों की शिक्षा उन्नति के लिये एक समाज' की स्थापना की जिसका प्रधान उद्देश्य यूरोपीय सैनिकों के बच्चों को शिक्षित करना था। इस समाज ने बहुत से स्कूल सूरत, धाना तथा बम्बई में खोले। धर्म उपदेशों का भव्य वैकल्पिक होने के कारण बहुत से हिन्दू, पारसी तथा मुसलमान बालक भी इन स्कूलों में जाने लगे। आगे चलकर यह समाज 'बम्बई शिक्षा समाज' के नाम से कार्य करने लगा। सन् १८२० ई० तक इसने चार स्कूल भारतीय बालकों के लिये खोल दिये जिनमें २५० विद्यार्थी थे। सन् १८२० ई० में प्रेसबिटेरियन के प्रयत्नों से इस समाज के अन्तर्गत एक समिति स्थापित हुई जिसका नाम 'भारतीय शिक्षालय तथा पाठ्य-पुस्तक समिति' था। इस समिति के दो उद्देश्य थे : १—भारतीय बालकों के लिये प्रचलित स्कूलों का सुधार तथा नये स्कूल खोलना और २—स्कूल में पढ़ने वाले भारतीय बालकों के लिये पाठ्य-पुस्तकें तैयार करना। बम्बई शिक्षा समाज इस प्रकार शिक्षा की उन्नति कर रहा था। सन् १८२७ ई० में जाकर उसने 'बम्बई भारतीय शिक्षालय-पुस्तक तथा शिक्षा-

लय समाज¹ की स्थापना की जो कि १८२७ में 'बम्बई भारतीय शिक्षा समाज'² के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस समाज ने भारतीय बालकों की शिक्षा की पर्याप्त उन्नति की। अपनी स्थापना के उपरान्त ही इस समाज ने तत्कालीन शिक्षा अवस्था की जाँच पड़ताल कराई जिसके अनुसार इसने मालूम किया कि उचित पुस्तकों तथा शिक्षकों का अभाव, गलत शिक्षण-विधि तथा धन का अभाव इत्यादि प्रमुख कठिनाइयाँ थीं जो कि प्रान्त की शिक्षा-उन्नति में बाधक थीं। फलतः देशी भाषाओं में अच्छी पाठ्य-पुस्तकों के छपने की व्यवस्था को गई। शिक्षकों की दीक्षा के लिये ६ शिक्षक मराठी, गुजराती, कनाडी तथा उर्दू में दीक्षित किये गये। कुछ अंग्रेजी स्कूलों के खोलने की भी समिति ने सिफारिश की। 'बम्बई शिक्षा समाज' ने समिति की इन सिफारशों को मान लिया तथा सरकार से स्कूल खोलने के लिये सहायता की माँग की। ऐलफिंस्टन ने अपना एक विवरण-पत्र भी प्रस्तुत किया जिसके फल स्वरूप समाज को ६००) ६० मासिक की सहायता सरकार से प्राप्त हुई। इस सहायता के उपरान्त इसने बड़ी उन्नति की। १८२६ ई० में समाज ने २४ दीक्षित अध्यापकों को अपने वर्नाक्यूलर स्कूलों में से सरकारी प्रायमरी स्कूलों में भेजा। लगभग २ लाख रुपये व्यय करके बम्बई शिक्षा समाज ने लगभग ५० हजार पुस्तकें भी छापीं। अन्त में समाज ने कुछ अंग्रेजी स्कूल भी खोले तथा बम्बई में चिकित्सा तथा इंजिनियरिंग की कक्षाएँ भी प्रारम्भ कीं।

मद्रास—इस प्रान्त में शिक्षा को गैरमिशनरी प्रोत्साहन बहुत कम मिला। मैसूर का राजा बँगलौर के अंग्रेजी स्कूल के लिये ३५०) ६० वार्षिक सहायता देता था। 'मद्रास शिक्षालय समाज' को सरकार की ओर से ६०००) ६० वार्षिक सहायता मिलती थी। पतच्चिण्पा जोकि एक धनवान हिन्दू था, उसने अपनी मृत्यु के उपरान्त ४ लाख ६० दान के लिये छोड़ा था, किन्तु इस धन का उपयोग १८४२ ई० में जाकर ही हो सका और गरीब विद्यार्थियों के लिये अंग्रेजी, तामिल तथा तैलगू के स्कूल खुल सके। बाद में इस धन राशि में से कुछ छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की गईं।

उत्तर प्रदेश - इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी व्यक्तिगत दानियों ने शिक्षा के हेतु को आगे बढ़ाया। सन् १८१८ ई० में बनारस में श्री जयनारायण घोषाल ने जयनारायण स्कूल के लिये २० हजार रुपये दान दिये। यह अंग्रेजी स्कूल था जिसमें फारसी, बंगला तथा हिन्दुस्तानी भी पढ़ाई जाती थी। सरकार की ओर से भी इस स्कूल को ३ हजार ६० का वार्षिक अनुदान प्राप्त हुआ। सन् १८२५ ई० में जयनारायण घोषाल के सुपुत्र ने २०

1. Bombay Native Book and School Society.
2. Bombay Native Education Society.

हजार रुपये और दान देकर इस स्कूल को सहयोग दिया। सन् १८२४ ई० में आगरा के संस्कृत कालेज को आगरा कालेज के किया गया। इसका श्रेय श्री गंगाधर शास्त्री को है। उन्होंने अपनी ११ लाख की संपत्ति, जिसकी वार्षिक आय २० हजार रुपया है, कालेज को दान देदी। आगरा कालेज उत्तरी भारत की सबसे पुरानी शिक्षा संस्थाओं में से है तथा सर तेज बहादुर सप्रू और मोती लाल नेहरू जैसे उच्च कोटि के विद्वान व नेता उत्पन्न करने का श्रेय इसे उपलब्ध है। दिल्ली में प्रारम्भिक शिक्षा का प्रोत्साहन व्यक्तिगत रूप से किया गया। इनमें श्री डबल्यू फ्रेजर के प्रयत्न विशेष उल्लेखनीय हैं। सन् १८२६ ई० में नवाब इस्लामहउद्दौला ने दिल्ली कालेज के लिए १ लाख ७० हजार ६० का दान देकर उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन दिया।

पाश्चात्य-शिक्षा प्रणाली की प्रगति

• बंगाल, मद्रास तथा बम्बई प्रान्तों में शिक्षा ने १८२३ ई० के उपरान्त अच्छी प्रगति की। बंगाल में हिन्दू कालेज अँग्रेजी के लिए आन्दोलन कर रहा था। परिणामतः देश में बहुत अँग्रेजी स्कूल खुले। डा० डफ के द्वारा चलाया हुआ पाश्चात्य शिक्षा व सभ्यता प्रचार-आन्दोलन भी अपना प्रभाव उत्पन्न कर रहा था। अँग्रेजी का राजनैतिक व आर्थिक महत्त्व बढ़ता ही जा रहा था, फलतः उच्च व मध्य वर्गों द्वारा इसकी माँग बढ़ी। प्राचीन रीढ़ियाँ व परम्परायें टूटने लगीं और लोगों के विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। अँग्रेजी पढ़े हुए भारतीय अपनी प्राचीन सभ्यता से घृणा करने लगे और अपने ही देश में स्वयं को एक विचित्र जीव समझने लगे। 'उन्होंने हिन्दू धर्म का पूर्णतः परित्याग कर दिया।' यह लोग अधिकांश में हिन्दू कालेज के विद्यार्थी थे। उधर छापेखाने ने भी शिक्षा-क्षेत्र में क्रान्ति कर दी। प्राचीन अलभ्य ग्रन्थ अब जन-साधारण के लिये सुलभ हो गये। एक विशाल स्तर पर पाश्चात्य-साहित्य का सृजन हुआ जिसने दीर्घकाल से चली आने वाली जीवन की शुष्कता को नष्ट करके जीवन को एक नवीन समीरण के झरोकों से हरा भरा करके स्फुरित कर दिया। इसके अतिरिक्त एक दल सुधारकों तथा दूसरा रूढ़िवादियों का भी था। सुधारकों ने पाश्चात्य तथा प्राच्यशिक्षा के मध्यम मार्ग को अपनाया।

बंगाल की भांति बम्बई तथा मद्रास में भी शिक्षा ने १८२३ ई० के उपरान्त प्रगति की। बम्बई में ऐलफिंस्टन जैसे योग्य तथा सात्त्विक परोपकारी शासकों के संरक्षण में देशी भाषा व ज्ञान और अँग्रेजी तथा पाश्चात्य विज्ञानों दोनों की ही आशाजनक उन्नति हुई। बम्बई निवासियों ने ऐलफिंस्टन की स्मृति अमर करने के लिये दो लाख रुपया इकट्ठा करके उसके नाम से एक स्कूल की स्थापना की। कम्पनी के संचालकों ने भी दो लाख रुपया दान दिया और १८३४ ई० में 'ऐलफिंस्टन

इंस्टीट्यूट' की स्थापना की। मद्रास में भी अँग्रेजी का प्रचार दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा था। उधर लोक शिक्षा समिति भी अपनी शिक्षा योजनाओं को कार्यान्वित कर रही थी। कम्पनी के संचालक भी अब राजनैतिक उद्देश्यों से प्रभावित होकर शिक्षा का उद्देश्य 'राजकार्यों के लिए योग्य व्यक्ति उत्पन्न करना' बताने लगे। फलतः अँग्रेजी का प्रचार और भी अधिक बढ़ा। विलियम बैटिक के गवर्नर जनरल नियुक्त हो जाने पर भारत की शिक्षा नीति जो अब तक अनिश्चित व अस्थिर थी, स्थिर होने लगी। अपने २६ जून १८२६ ई० के पत्र में, जो उसने लोक शिक्षा समिति के नाम लिखा था, स्पष्ट कर दिया कि उसका विचार अँग्रेजी को क्रमशः तथा अन्ततोगत्वा सम्पूर्ण देश में व्यवहारिक राजभाषा बनाने का है। ऐसा ही हुआ जिसका वर्णन हम आगे के अध्याय में देखेंगे।

१८३३ का आज्ञापत्र

बीस वर्ष के उपरांत कम्पनी ने १८३३ ई० में अपना आज्ञापत्र जारी किया। इसके अनुसार भारत में सभी देशों की मिशनरियों को अपने कार्य चलाने की पूर्ण स्वतन्त्रता मिल गई। दूसरे, इस आज्ञापत्र ने यह सिद्धांत भी घोषित कर दिया कि 'कोई भी भारतवासी तथा सम्राट् का कोई भी स्वाभाविक प्रजाजन अपने धर्म, जन्म-स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर किसी भी स्थान तथा पद को प्राप्त करने से रोका न जाय।' इससे अँग्रेजी शिक्षा का प्रचार सभी वर्गों में अबाध गति से बढ़ने लगा। इस पत्र के द्वारा बंगाल के गवर्नर का अधिकार अन्य प्रांतों की सरकारों पर भी कर दिया गया जिसके द्वारा उसे अपनी नीतियों को लागू करने का अधिकार भारत के अन्य भागों पर भी मिल गया। शिक्षा-अनुदान को एक लाख रुपये से बढ़ाकर १० लाख कर दिया गया जिससे शिक्षा के विकास की आशा बँध गई। अन्त में इस आज्ञापत्र के द्वारा गवर्नर-जनरल की काउंसिल में एक चौथा सदस्य (कानून सदस्य) भी बढ़ा दिया गया। इस पद पर सर्वप्रथम लार्ड मैकाले की नियुक्ति हुई जिसने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया।

नवाँ अध्याय संघर्ष की समाप्ति और शिक्षा का अँग्लोकरण

(१८३५ से १८५३ ई० तक)

प्राच्य-पाश्चात्य शिक्षा विवाद

प्राच्य-शास्त्रीय शिक्षा के समर्थक

१९ वीं शताब्दि के प्रारम्भ से ही एक संघर्ष चला आ रहा था कि भारत में संस्कृत, अरबी तथा फारसी के माध्यम के द्वारा प्राच्य-ज्ञान का प्रचार किया जाय अथवा अँग्रेजी भाषा द्वारा पाश्चात्य साहित्य व विज्ञानों का । 'लोक शिक्षा समिति' में पहिले से ही प्राच्य-शिक्षा समर्थकों का बहुमत था । इनके नेता श्री एच० टी० प्रिंसेप थे जो कि बङ्गाल प्रान्त में शिक्षा विभाग के सैक्रेटरी थे ; प्राच्य-मत के समर्थकों ने १८१३ ई० के आज्ञा-पत्र की ४३ वीं धारा, जिसके अनुसार एक लाख रुपया साहित्य के विकास तथा विद्वान भारतवासियों के प्रोत्साहन के लिये और ब्रिटिश भारत के निवासियों में विज्ञानों के प्रचार तथा प्रसार के लिये, अलहदा रख दिया था, उसकी व्याख्या इस प्रकार की: "वह साहित्य जिसके विकास का उल्लेख किया गया है उसका अर्थ दो महान जातियों—हिन्दू-मुसलमानों के साहित्य से है ।".....विज्ञानों के प्रचार व प्रसार के विषय में भी इन लोगों का मत था कि वह संस्कृत और अरबी फारसी में पढ़ाये जाने चाहिये । उनकी राय में भारत-वासियों में पाश्चात्य विज्ञानों के प्रति पर्याप्त घृणा थी अतः अपने देश की प्राचीन भाषाओं में ही वह स्वीकार किये जा सकते थे । इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्राच्य शिक्षा के स्कूलों के द्वारा वे संस्कृत व फारसी के ज्ञान तथा संस्कृति को जीवित रखना चाहते थे । अतः उन्होंने इनके प्रोत्साहन के लिये छात्रवृत्तियाँ दीं, संस्कृत, अरबी-फारसी के अनेक ग्रन्थ छापे तथा अँग्रेजी विज्ञानों और साहित्य-ग्रन्थों के अनुवाद प्राच्य भाषाओं में कराये । अँग्रेजी को वह शिक्षा का माध्यम रखने को तैयार नहीं थे । प्राच्य ज्ञान के प्रचलित स्कूलों जैसे कलकत्ता मदरसा तथा बनारस संस्कृत कालेज जैसी संस्थाओं की भी सुरक्षा चाहते थे । प्रिंसेप के मत में कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिङ्गज का स्मारक था और इसका तोड़ना विश्वासघात के समान था । तथा यही एक ऐसी संस्था थी जिसके द्वारा बङ्गाल के मुसलमानों से सम्पर्क बना हुआ था । प्रिंसेप ने यह भी तर्क दिया कि भारतीय कभी भी ज भाषा के विद्वान नहीं हो सकते । यद्यपि उसका यह कथन असत्य था

क्योंकि भारतीय दिन-प्रतिदिन इस बात का प्रमाण देते जा रहे थे कि वह अंग्रेजी के प्रकांड पाण्डित हो सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछु तर्कों के द्वारा इन लोगों ने भारत में शिक्षा का माध्यम संस्कृत, अरबी तथा फारसी रखने की सिफारिश की तथा प्राच्य संस्कृति की सुरक्षा के लिये प्रयत्न किये।

पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक

किन्तु पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों का कहना था कि प्राच्य-शिक्षा-पद्धति सुस्त व हानिप्रद है। वह नहीं चाहते थे कि भारत के पुराने ढूँठ पर योरप की नई कौपलों की कलम लगाई जाय। अतः उन्होंने अंग्रेजी भाषा के माध्यम के द्वारा पाश्चात्य विज्ञानों और साहित्य का भारतवासियों में प्रसार करने का समर्थन किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि भारतीय योक्षीय ज्ञान को सम्पादित करना चाहते हैं तथा अंग्रेजी के लिये भी उनमें बड़ी मांग है। अतः वह चाहते थे कि शिक्षा के लिये अनुमानित सम्पूर्ण धन-राशि पाश्चात्य शिक्षा पर ही व्यय की जाय।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राच्य तथा पाश्चात्य दोनों मतों के समर्थक इस बात पर एक मत थे कि देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम न बनाया जाय क्योंकि वह बड़ी 'अविकसित तथा गँवारू' थी तथा उनमें 'उदार शिक्षा के लिये न तो पर्याप्त साहित्यिक और न वैज्ञानिक ज्ञान' हो था। वह इस बात पर भी एक मत थे कि केवल उच्च और मध्यवर्ग को ही शिक्षित किया जाय क्योंकि जन-साधारण को शिक्षित करने के लिये सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं है, साथ ही उच्चवर्ग के शिक्षित होने से उनके सम्पर्क से जनता के निम्नवर्गों में भी शिक्षा छुन-छुन कर पहुँच जायगी।

मैकाले का विवरण पत्र तथा उसके परिणाम

इसी समय जबकि उपर्युक्त विवाद जोरों पर था १० जून, १८३४ ई० को लार्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानून-सदस्य बनकर आया। यह बड़ा विद्वान, सफल लेखक तथा धारावाहिक व्याख्यानदाता था। मैकाले को 'लोकशिक्षा समिति' का प्रधान भी नियुक्त कर दिया गया। इसकी नियुक्ति के समय से ही भारतीय शिक्षा इतिहास में एक नया अध्याय खुलता है। मैकाले इंग्लैंड में उस युग की उपज था जबकि अंग्रेजों के साहस बढ़े हुए थे। वह संसार की सांस्कृतिक और राजनैतिक विजय करने निकल पड़े थे तथा अपनी भाषा तथा संस्कृति को संसार में सर्वोत्तम समझते थे। मैकाले इन्हीं संस्कारों को लेकर भारत उतरा था।

कानून सदस्य की हैसियत से सरकार ने उससे यह कानूनी सलाह मांगी थी कि क्या १० लाख रुपये की धन राशि प्राच्य शिक्षाओं के अतिरिक्त और किसी

प्रकार भी खर्च को जा सकती है तथा १८१३ ई० के आज्ञा-पत्र की शिक्षा सम्बन्धी धारा की वास्तविक व्याख्या क्या है ? मैकाले से अचर्य ही सम्पूर्ण देश के लिये कोई शिक्षा-नीति नहीं पूँछी गई थी। उसने शिक्षासमिति की बैठकों में भी भाग नहीं लिया था। किन्तु उसने २ फरवरी १८३५ ई० को कांउंसिल के समक्ष अपना प्रसिद्ध विवरण-पत्र रक्खा। उसके तर्कों के प्रमुख अंशों को हम यहाँ उद्धृत करते हैं।

“लोक शिक्षा समिति के कुछ सदस्यों का मत है कि उनकी शिक्षा नीति अब तक १८१३ ई० के आज्ञा-पत्र द्वारा निर्धारित हुई है।.....मेरी राय में संसद के कानून का वह अर्थ नहीं लगाया जा सकता जो कि लगाया गया है। उसमें विशेष भाषाओं तथा विज्ञानों का नाम नहीं है। शिक्षा-अनुदान भी “साहित्य के पुनरुद्धार तथा उन्नति और भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन तथा भारतीयों में विज्ञानों का प्रचार व प्रसार” करने के लिये है। तर्क दिया जाता है कि साहित्य से पार्लियामेन्ट का अभिप्राय संस्कृत तथा अरबी साहित्य से ही हो सकता है तथा भारतीय विद्वान से उनका अभिप्राय न्यूटन के भौतिकशास्त्र तथा मिल्टन के काव्य के ज्ञाताओं से नहीं हो सकता।”.....

इस प्रकार मैकाले ने ‘साहित्य के पुनरुद्धार’ तथा ‘भारतीय विद्वान’ शब्दों की उससे भिन्न व्याख्या की जो कि प्राच्य-शिक्षा समर्थक अब तक करते चले आ रहे थे। उसने यह भी धमका दी कि यदि उसकी यह व्याख्यायें स्वीकार नहीं की गईं तो वह १८१३ ई० के एक्ट की ४३ वीं धारा में ही संशोधन कराने का प्रस्ताव रखेगा।

संस्कृत, अरबी तथा फारसी के शिक्षालयों पर होने वाले व्यय को वह एक निरर्थक दुरुपयोग समझता था। उसके अनुसार कोई भी ऐसा तर्क नहीं दिया जा सकता था जिसके द्वारा एक बार स्थापित हुए इन शिक्षालयों को सरकार न तोड़ सके विशेषतः जबकि वह हानिप्रद हों। उसने कलकत्ता की मदरसा की हिन्दू कालेज से तुलना करके दर्शाया कि कलकत्ता मदरसा इतना लाभप्रद नहीं है। “अरबी तथा संस्कृत पुस्तकों पर तीन वर्ष में ६० हजार रुपये व्यय हुए और १ हजार भी वसूल न हो सका। इसके विपरीत कलकत्ता पुस्तक समाज सात आठ हजार पुस्तकें बेच कर २० प्रतिशत लाभ उठा सकता है।” उसने यह भी कहा कि इन अरबी और संस्कृत शिक्षालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी बिना आर्थिक सहायता दिये हुए नहीं पढ़ सकते जबकि अँग्रेजी स्कूलों में विद्यार्थी उल्टी फीस देने को तैयार हैं। ऐसी अवस्था में प्राच्य शिक्षालयों को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि “मेरे मत में वाइसराय को इस रुपये को अरबी संस्कृत शिक्षा पर व्यय होने से रोकने का उतना ही अधिकार है जितना मैसूर में चीते मारने वालों के पारितोषक को कम करने का।”

इसके उपरान्त मैकाले शिक्षा के माध्यम के प्रश्न को लेता है। उसने वस्तुतः अंग्रेजी को ही शिक्षा माध्यम के लिये सबसे उपयुक्त चुना। देशी भाषाओं के विषय में तो उसने कहा कि “भारत के निवासियों में प्रचलित भाषाओं में एक तो साहित्यिक और वैज्ञानिक ज्ञान कोष का अभाव है, साथ ही वह इतनी अविकसित तथा गंवारू हैं कि जब तक उन्हें किसी बाह्य भंडार से सम्पन्न नहीं किया जायगा, उनमें कोई महत्वपूर्ण ग्रन्थ अनुवादित नहीं हो सकते। अतः यह सर्वमान्य प्रतीत होता है कि उच्चतर की शिक्षा द्वारा उस वर्ग का बौद्धिक सुधार, जिनके पास इसके लिये साधन हैं, किसी ऐसी भाषा में ही सम्भव है जो उनके बोलचाल की भाषा नहीं है। समिति का एक भाग चाहता है कि यह भाषा अंग्रेजी हो तथा दूसरा संस्कृति और अरबी की वकालत करता है। मेरी समझ में प्रश्न यह है कि कौनसी भाषा अधिक सीखने योग्य है।”

इस प्रकार देशी भाषाओं के माध्यम का प्रश्न समाप्त करके उसने अंग्रेजी और संस्कृत इत्यादि में ही विकल्प रक्खा। मैकाले अरबी तथा संस्कृत नहीं जानता था किन्तु उनके विषय में अपना अज्ञान प्रदर्शित करते हुये उसने कहा कि “एक अच्छे योरुपीय पुस्तकालय की केवल एक अलमारी भारत तथा अरब के सम्पूर्ण साहित्य के बराबर होगी।” संभवतः इससे बड़ा अज्ञानपूर्ण दंभ नहीं हो सकता ! इन भावनाओं के जोश में उसने अंग्रेजी माध्यम के लिए जोरदार अपील की : “भारत में अंग्रेजी शासकों की भाषा है तथा राजधानियों में उच्च वर्ग के भारतीय भी इसे बोलते हैं साथ ही संभावना है कि पूर्वीय समुद्रों में यह व्यापार की भाषा भी बन जाय। आस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका में उन्नतिशील योरुपीयों की भी भाषा यही है, जिनका सम्बन्ध दिन प्रतिदिन भारत से बढ़ रहा है। अतः चाहे हम भाषा के महत्व पर विचार करें अथवा देश की स्थिति पर अंग्रेजी ही भारतीयों के लिये सबसे हितकर होगी।”

भारतीय विज्ञानों तथा साहित्य का परिहास करते हुए मैकाले आगे चलकर कहता है कि—

“अब हमारे सम्मुख प्रश्न केवल यह है कि जब हम इस भाषा (अंग्रेजी) को पढ़ा सकते हैं तो क्या हम उन भाषाओं को पढ़ायेंगे जिनमें सर्व सम्मति से किसी विषय पर भी ऐसी पुस्तकें नहीं हैं जिनकी तुलना हमारे ग्रन्थों से हो सके ? जब हम योरुपीय विज्ञान पढ़ा सकते हैं तो क्या हम ऐसे विज्ञान पढ़ायेंगे जो खराब हैं; जब हम सच्चा इतिहास तथा दर्शन पढ़ा सकते हैं तो क्या सरकारी रुपये से हम ऐसे चिकित्सा-सिद्धान्त पढ़ायेंगे जिन पर अंग्रेजों के पशु-चिकित्सकों तक को लज्जा आवेगी अथवा वह ज्योतिष जिस पर स्कूलों की अङ्कुरेज बालिकायें हँस पड़ेंगी; इतिहास जिसमें ३० फीट लम्बे राजाओं का वर्णन है जिनके राज्य ३० हजार वर्ष

तक चलते थे, और ऐसा भूगोल पढ़ायेंगे जिसमें शीरे और मक्खन के समुद्रों (द्वीप सागर) का वर्णन है ?”

मैकाले तो संस्कृत और अरबी को कानून के लिये अध्ययन करने के भी पक्ष में नहीं था। उसने सुझाव रक्खा था कि हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिये संहिता (कोड) बन जाने चाहिये जिनमें उनके धर्म सिद्धान्त निहित हों। धर्म के विषय में मैकाले कठोर धार्मिक निरपेक्षता का पक्षपाती था और भारतीयों के धर्म में किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। उसकी राय में यदि संस्कृत अरबी के द्वारा शिक्षण दिया गया तो ‘हमें भूटा इतिहास, भूठी ज्योतिष तथा भूटा चिकित्सा शास्त्र इसलिये पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उनका सम्मिश्रण एक भूटे धर्म से हो रहा है। हम धर्म के विषय में तटस्थ हैं और मुझे विश्वास है कि सदा तटस्थ रहेंगे और धर्म परिवर्तन करने वाले ईसाइयों को कभी खुले रूप में प्रोत्साहन नहीं देंगे। और जब हमारा व्यवहार इस प्रकार का होगा तो क्या हम राज्य-कोष में से लोगों को रिश्वत देकर इस बात के सीखने में उनकी युवावस्था नष्ट हो जाने देंगे कि गधे से छू जाने पर किस तरह शरीर पवित्र करना चाहिये अथवा बकरी के मारने पर पाप-प्रच्छालन के लिये कौन से वेद-श्लोकों का जाप करना चाहिये ?’

इस प्रकार मैकाले ने भारतीय शिक्षा के विषय में अपने उद्गार प्रकट किये। मैकाले का विवरण-पत्र प्रिंसेप के पास उसके मत के लिये भेजा गया। उसने मैकाले के तर्कों को काटने का प्रयास किया और संस्कृत अरबी के माध्यम तथा प्राच्य शिक्षा के विद्यालयों विशेषतः कलकत्ता मदरसा के बने रहने के लिये तर्क दिये। कुछ तर्क प्रिंसेप के वास्तव में उच्चकोटि के थे किन्तु जब १५ फरवरी १८३५ ई० को उसने भी अपना विवरण-पत्र प्रस्तुत किया, उसके तर्क बैटिक को प्रभावित न कर सके। बैटिक वास्तव में एक प्रगतिशील सुधारक था। वह दृढ़ता पूर्वक भारत में कुछ सुधार करना चाहता था। उसकी राय में अङ्ग्रेजी भाषा द्वारा शिक्षण भी एक महत्त्वपूर्ण सुधार था जिसके पक्ष में वह प्रारम्भ से ही था।

बैटिक की स्वीकृति

७ मार्च १८३५ ई० को बैटिक ने एक प्रस्ताव पास करके आज्ञा दी कि—

- (१) ब्रिटिश सरकार का महान उद्देश्य योरोपीय साहित्य तथा विज्ञानों का भारत में प्रचार करना है अतः सारा रुपया केवल अँग्रेजी शिक्षा में ही व्यय किया जाय।
- (२) प्राच्य-शिक्षालयों को मंग न किया जाय तथा उनके आचार्यों तथा विद्यार्थियों के यथावत वेतन तथा छात्रवृत्ति दी जाय।
- (३) भविष्य में प्राच्य-भाषाओं पर पुस्तकें न छापी जाय क्योंकि इनमें पर्याप्त धन व्यय किया जा चुका है।

- (४) इस उपाय से बचने वाली सम्पूर्ण धन-राशि को अंग्रेजी भाषा के माध्यम के द्वारा अंग्रेजी साहित्य तथा विज्ञान का भारतीयों में प्रचार करने में व्यय किया जाय।

इस प्रकार लार्ड बैंटिक की इस घोषणा ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नीति को स्थायी स्वरूप दे दिया। भारत सरकार की ओर से यह लगभग प्रथम शिक्षा-घोषणा थी जिसके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, साधन, तथा माध्यम इत्यादि को स्थिर कर दिया गया था। जहाँ उसने अंग्रेजी को माध्यम बनाया, प्राच्य भाषाओं में पुस्तकें छपना भी बन्द करा दिया किन्तु संस्कृत और अरबी के प्रचलित शिक्षालयों को भंग नहीं किया और न उनकी आर्थिक वृत्तियों को ही समाप्त किया। वास्तव में बैंटिक पहले से ही अंग्रेजी का पक्षपाती था। मैकाले के तर्कों से उसे अधिकृत रूप से शीघ्र निर्णय करने की प्रेरणा मिल गई। इसके अतिरिक्त भारत में सती प्रथा को बन्द कराने में उसका शिक्षित भारतीयों ने साथ दिया ही था। उसका विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से देश में सामाजिक जागृति होगी और इस प्रकार बहुत सी सामाजिक कुरीतियों का अंत हो जायगा। और अब भारतीय शिक्षित-समाज के समर्थन मिलने की आशा से उसने अंग्रेजी के विषय में अपना निर्णय शीघ्र दे डाला।

आलोचना

मैकाले के विवरण के आधार पर भारत में स्थाई रूप से एक शिक्षा नीति निर्धारित हो गई, अतः भारतीय शिक्षा के इतिहास में उस विवरण-पत्र का बड़ा महत्त्व है। यहाँ उसकी संक्षिप्त आलोचना देना असंगत न होगा।

वास्तव में मैकाले के विषय में लोगों की भिन्न-भिन्न धारणाएँ हैं। कुछ लोगों का कथन है कि भारतीय शिक्षा का वह अग्रदूत था, तो कुछ उसे भारत की गुलामी के लिये उत्तरदायी ठहराते हैं। किन्तु यह दोनों ही मत पक्षपात पूर्ण हैं। वह भारत में आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत नहीं कहा जा सकता। उसके १८३४ ई० में आने से पूर्व ही यहाँ शिक्षाजगत में पर्याप्त जागृति हो चुकी थी। ईसाई धर्म-प्रचारकों के कार्यों से यहाँ की शिक्षा पाश्चात्य सौँचे में ढलना प्रारम्भ हो गई थी अतः अंग्रेजी शिक्षा की बड़ी माँग थी। लोकशिक्षासमिति में अंग्रेजी दल पहिले से ही विद्यमान था। हाँ इतना अवश्य है कि मैकाले के तर्कों ने सरकार को एक नीति शीघ्र घोषित करने की स्थिति में लाकर रख दिया।

साथ ही मैकाले पर भारत के साथ कुछ अन्य बुराई करने का आरोप लगाना भी सत्य नहीं है जैसे कि कुछ लोगों का कथन है कि उसने देशी भाषाओं की अवहेलना की। इस विषय में इतना कहा जा सकता है कि उसने देशी भाषाओं को अविकसित, अपर्याप्त तथा भद्दा अवश्य बताया किन्तु उनके विकास के मार्ग

में रोढ़े कभी नहीं अटक़ाये। लोकशिक्षासमिति ने जिसका मैकाले सभापति था अपनी रिपोर्ट में कहा “देशी भाषाओं के प्रोत्साहन तथा विकास में हमें अत्यन्त रुचि है। हम नहीं समझते कि ७ मार्च को आज्ञा हमें ऐसा करने से रोकती है और हमने निरन्तर रूप से इसके निर्माण की ओर कदम उठाया है.....देशी भाषाओं के साहित्य का विकास हमारा अन्तिम उद्देश्य है जिसकी ओर हमारे सम्पूर्ण प्रयास जुट जाने चाहिये।”^१

ऐसी अवस्था में मैकाले पर देशी भाषाओं के साथ विश्वासघात करने का दोष नहीं लगाया जा सकता। वास्तव में जो सबसे गंभीर दोष मैकाले पर लगाया जा सकता है वह है प्राच्य-संस्कृति तथा धर्मों का अपमान। उसने भारतीय धर्म, ज्ञान, दर्शन, तथा साहित्य का परिहास किया। वह स्वयं उनके विषय में अज्ञान में था। वह इंग्लैंड से अपनी एक विशिष्ट विचारधारा तथा भारतीय सभ्यता के विषय में अपने कुछ पूर्व निश्चित विचार लेकर उतरा था। अतः बिना अध्ययन के उसने समस्त भारतीय तथा अरबी साहित्य को यूरोप के पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर बता दिया था। संभवतः वेद, उपनिषदों और संस्कृत भाषा के अग्रगण्य साहित्य की, जिसकी विद्वान विदेशियों ने भूरि २ प्रशंसा की है, मैकाले को हवा तक भी नहीं लगी थी। वह प्राच्य-संस्कृति जिसका ‘सृजन भारत में उस समय अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया था जब कि संभवतः श्री मैकाले के पूर्वज वनों में जंगली हिंसक पशुओं की भाँति जीवन बिताते अथवा भेड़ें चराते थे उन्हें अंधकार तथा अंध विश्वासों से पूर्ण लगी। भारतीय दर्शन, ज्योतिष तथा चिकित्सा शास्त्र जोकि अपनी उच्चता के लिये एक समय आधे भूमण्डल में विख्यात थे, उन पर मैकाले को ऐसा लगा कि उनके विषय में सुनकर अंग्रेजों की लड़कियाँ तक हँसंगी।

वास्तव में मैकाले भूल गया था कि उस समय भी भारत में जहाँ अंग्रेजी शिक्षा की माँग थी प्राच्य-भाषाओं के पढ़ने की भी आवश्यकता थी। प्राच्य-पाश्चात्य सभ्यता के सम्मिश्रण का वह एक महान अवसर था जो कि एक विदेशी शासक के अहंकार व दंभ तथा अपनी स्वयं की सभ्यता के विषय में अधिक आशावादी होने के कारण एक दीर्घकाल के लिये नष्ट हो गया। वह तो भारत में एक ऐसी जाति उत्पन्न करना चाहता था जो कि रंग-रूप में तो भारतीय हो किन्तु वेष-भूषा, बातचीत, चिन्तन तथा विचारों में अंग्रेज हो। वह भारत पर बलात् पाश्चात्य सभ्यता भी थोपना चाहता था। संभवतः मैकाले यह भी भूल गया था कि भारतीय संस्कृति की जड़े लोगों की आत्मा में इतनी गहरी पहुँच चुकी है जिन्हें उखाड़ कर

१ ट्रैविलियन—ग्रॉन दी एज्यूकेशन ऑव दी पीपुल ऑव इंडिया पृष्ठ २२-३

फैंकना असंभव है। मेकाले पर भारत में शिक्षित लोगों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करने का पूर्ण उत्तरदायित्व है जो कि पाश्चात्य शिक्षा में पलकर अपने देश की जनता से बिल्कुल अलग हो गया और जिसने अंग्रेजों के साथ मिलकर भारतीय जनता का सदा शोषण किया। उसका भारतवासियों को अंग्रेज बनाने का स्वप्न भी अधूरा रह गया। संभवतः वह इतिहास के इस महान सत्य के विषय में पूर्णतः अनभिज्ञ था कि इसी प्रकार भारत में अनेक जातियाँ आई और उनकी क्षीणधारा यहाँ की सभ्यता के महासागर में सदा के लिये विलीन होकर रह गई उसके हौसले तो यहाँ तक थे कि भारत की धार्मिक एकता नष्ट होकर खंडित हो जाय। मैं उसने १८३६ ई० में एक पत्र में अपने पिता को लिखा था :

“हमारे अंग्रेजी स्कूल आश्चर्यजनक गति से बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि स्कूलों में सभी विद्यार्थियों को स्थान देना कठिन है।.....हिन्दुओं पर इस शिक्षा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कोई भी हिन्दू ऐसा नहीं है जिसने अंग्रेजी पढ़कर अपने धर्म से सच्चा लगाव रखा हो। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा की यह नीति सफल हो जाती है तो ३० वर्ष के भीतर बंगाल के भले घरानों में एक भी मूर्ति पूजक शेष नहीं रह जायगा। यह सब कुछ बिना धर्म प्रचार के, किंचित भी धार्मिक हस्तक्षेप के केवल स्वाभाविक तौरसे ज्ञान और विचारों के प्रचार से हो जायगा। मैं इसकी संभावना से प्रसन्न हूँ।”

इस प्रकार धार्मिक तटस्थता का दंभ करने वाला यह अंग्रेज अधिकारी अपने आन्तरिक जीवन में एक धर्म के विरुद्ध कलुषित व लज्जा जनक प्रचार कर रहा था।

किन्तु इतना सब होते हुए भी मेकाले ने भारत का कुछ अंशों में हित ही किया। उसने भारत में पाश्चात्य विचारों तथा विज्ञानों के फैलने में सहायता की। आज भारत में जो राजनैतिक जागृत, वैज्ञानिक चेतना तथा आर्थिक विचार धाराएँ प्रस्फुटित हुईं उनका अधिकांश श्रेय अंग्रेजी भाषा के प्रचार अथवा मेकाले को ही है। भारतवासियों ने अंग्रेजी पढ़ी और उससे प्रेरणा लेकर संघर्ष किया और उसमें सफलता मिली। किन्तु एक बात समझ में नहीं आती कि जब बाइबिल जैसी दुरुह पुस्तक का अनुवाद भारत की प्रायः सभी भाषाओं में हो सकता था और उनका भारत में निर्मूल्य वितरण भी धर्म प्रचारकों द्वारा हो सकता था तो फिर क्या कारण था कि यदि सरकार उनके विकास का कार्य सच्चे रूप से अपने हाथ में लेती तो उनमें अच्छे साहित्य का सृजन नहीं हो सकता था? क्या तब भी उनका ‘गैवारू पन’ स्थिर रहता ?

१ ट्रे विलियन—लाइफ एन्ड लैटर्स ऑफ़ लार्ड मेकाले पृष्ठ ४५५-श्री एस० एन० मुकर्जी द्वारा उद्धृत।

मैकाले नहीं जानता था कि उसके विवरण-पत्र का इतना महत्व बढ़ जायगा। किन्तु इतना अवश्य है कि कुछ अशोभनीय परिहासों के अतिरिक्त उसके कुछ इरादे वास्तव में ईमानदारी पूर्ण भी थे।

लार्ड आर्कलैंड की शिक्षा नीति

लार्ड विलियम बैंटिक के उपरान्त लार्ड आर्कलैंड भारत का गवर्नर-जनरल हुआ। बैंटिक के चले जाने पर प्राच्यशिक्षा के समर्थकों ने पुनः कुछ आपत्ति उठाई किन्तु आर्कलैंड ने अपनी बुद्धिमानी से उन्हें सन्तुष्ट कर दिया। उसी समय ऐडम, हौगसन तथा विल्किन्सन इत्यादि शिक्षा शास्त्रियों ने देशी भाषाओं के माध्यम का प्रश्न भी उठाया। वह लोग अङ्गरेजी को पूर्णतः सारे देश में शिक्षा का माध्यम बनाने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि इससे जनता तक शिक्षा पहुँचाना सम्भव नहीं था।

इन बातों को दृष्टि में रखते हुए आर्कलैंड ने २४ नवम्बर १८३६ ई० को अपना विवरण-पत्र जारी किया। प्राच्य और आंग्ल विवाद को अच्छी प्रकार जाँचने के उपरान्त वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यदि कुछ रुपया प्राच्यवादियों को व्यय करने के लिये अधिक दे दिया जाय तो वह शान्त हो जाँयगे। अतः उसने संस्कृत और अरबी के शिक्षालयों की आर्थिक सहायता को यथावत कर दिया और आदेश कर दिया कि यह रुपया पहिले संस्कृत और अरबी के लिये व्यय किया जाय बाद में यदि बचे तो अँग्रेजी के लिये। उसने छात्रवृत्तियाँ भी यथावत रक्कीं तथा आवश्यक प्राच्य पुस्तकों के भी छपने को आज्ञा कर दी। इस योजना में ३१००० रुपया वार्षिक का खर्च था जिसे प्रदान करके उसने एक भगड़ा समाप्त कर दिया।

आर्कलैंड भी शिक्षा छुने के सिद्धान्त का मानने वाला था उसने इस सिद्धान्त को सरकारी नीति घोषित कर दिया जो कि १८७० ई० तक चलती रही। दूसरी माँग अँग्रेजी के समर्थकों की थी। उसको भी आर्कलैंड ने पूरा किया। उसने दो लाख से भी अधिक रुपया अँग्रेजी शिक्षा के लिये स्वीकृत कर दिया और अँग्रेजी भाषा के द्वारा यूरोपीय साहित्य, दर्शन, तथा विज्ञानों के प्रचार की व्यवस्था कर दी। उसने यह भी कहा कि सरकार के प्रयत्न केवल उच्चवर्ग के लोगों को सर्वोत्तम शिक्षा देने के ही होने चाहिये। इसी जोश में आकर उसने जन साधारण में शिक्षा-प्रसार के लिये ऐडम के सुझाव यह कहकर रद्द कर दिये कि अभी इनके लिये उपयुक्त समय नहीं आया है। इसका वर्णन हम आगे करेंगे। उसने अँग्रेजी कालेज खोलने की योजना बनाई और ढाका, पटना, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, बरेली तथा दिल्ली में कुछ अँग्रेजी कालेज खोले।

शिक्षा के माध्यम के विषय में आर्कलैंड का मत था कि अँग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम रहे। यद्यपि बम्बई में उस समय कुछ कालेजों में उच्च शिक्षा भी देशी

भाषाओं में दी जा रही थी और उचित सरक्षण मिलने पर प्रत्येक प्रान्त में उनका विकास हो सकता था और इस प्रकार उच्चशिक्षा जनता तक पहुँच सकती थी। किन्तु दुर्भाग्यवश यह प्रश्न टाल दिया गया। ऑकलैंड ने कह दिया कि इस समय तो समस्त बंगाल में अंग्रेजी, तथा बम्बई में देशी भाषाओं के परीक्षण चल रहे हैं, उनकी और अधिक परीक्षा होनी चाहिये। खेद का विषय है वह भारत के लिये देशी भाषाओं का महत्त्व नहीं समझ सका। वास्तव में जन-साधारण में शिक्षा-प्रसार तथा देशी भाषाओं तथा विज्ञानों की उन्नति अंग्रेजों की राजकीय नीतियों के विरुद्ध थी, अतः ऑकलैंड ने भी उसी नीति को अनुष्ण रखा। इसके अतिरिक्त बंगाल प्रान्त का प्रभाव शेष प्रान्तों पर हो जाने के कारण उन्हें भी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी अपनाने के लिये विवश होना पड़ा। जन शिक्षा को इससे बड़ा आघात लगा।

ऐडम-योजना तथा उसकी अस्वीकृति

जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं ऐडम की नियुक्ति बंगाल में देशी शिक्षा की अवस्था की जाँच पड़ताल करने के लिये हुई थी और इस सम्बन्ध में उसने तीन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये थे। वह एक सच्चा व्यक्त था और अन्तरात्मा से भारत में शिक्षा प्रचार करके देश का कल्याण चाहता था। कूटनीतिक हितों से उसकी शिक्षा-नीति मुक्त थी। अतः देश की शिक्षा के विषय में उसने कुछ बुद्धिमत्ता पूर्ण सुझाव रखे।

पहिली बात तो यह थी कि वह जन-शिक्षा में विश्वास करता था, फलतः 'शिक्षा छुनेने के सिद्धान्त' का उसने घोर विरोध किया जिसके अनुसार केवल उच्च-वर्ग को ही शिक्षित करने की सरकारी योजना थी। उसने कहा कि, "छोटे बच्चों को केवल वर्णमाला सीखने के लिये उच्च कालेजों में नहीं भेजा जा सकता। किसी भवन का ऊपरी भाग ऊँचा तथा दृढ़ बनाने के लिये उसकी नींव चौड़ी तथा गहरी होनी चाहिये।"

दूसरे, उसने भारत के प्रचलित देशी स्कूलों को अत्यन्त उपयोगी बताया। उसकी धारणा थी कि सरकार को उन्हीं स्कूलों को संरक्षण देना चाहिये। वही स्कूल देश की शिक्षा आवश्यकताओं का पूर्ति अनन्तकाल से करते चले आ रहे थे अतः किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा योजना को सफल बनाने के लिये देशी स्कूलों की उन्नति करनी चाहिये। यह स्कूल उस नींव के समान थे जिन पर हमें भवन निर्माण करना था। "अनएव शिक्षा-विकास की सभी योजनाएँ जिन्हें सफल व स्थायी बनाना है इन्हीं देशी स्कूलों पर आधारित होनी चाहिये जो कि अनन्तकाल से चले आ रहे हैं, लोगों के विचारों के अनुरूप हैं तथा उनमें सम्मान व श्रद्धा का

संचार करते हैं।”^१ इसके लिये ऐडम ने सिफारिश की कि “प्रचलित देशी स्कूल नीचे से लेकर ऊपर तक, हर प्रकार की शिक्षा के एक मात्र साधन हैं जिनके द्वारा जनता का चरित्र ऊँचा उठाया जा सकता है। यदि इन स्कूलों को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये काम में लाया जायगा तो यही सबसे मादा, सुगन्धित, सर्वप्रिय, भितव्ययी एवं सबसे अधिक प्रभावशाली योजना होगी जिसके द्वारा शिक्षा के विषय में भारतवासियों के मस्तिष्क को जागृत किया जा सकता है जिसकी कि उन्हें आवश्यकता है।”^२

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऐडम ने एक योजना भी स्तुत की जिसके अनुसार पहिले परीक्षण के लिये केवल कुछ जिले चुन लिये जाँय जहाँ शिक्षा की पूर्ण पड़ताल की जाय। फिर शिक्षकों तथा बालकों के लिये देशी भाषाओं में पुस्तकें तैयार कराई जाँय और एक जिला शिक्षाअधिकारी नियुक्त कर दिया जाय जो कि सम्पूर्ण प्रगति का निरीक्षण करे। इसके उपरान्त शिक्षकों के लिये नार्मल स्कूल स्थापित कर दिये जाँय तथा उनमें कुछ अच्छी पुस्तकें वितरित की जाँय, और उन्हीं के आधार पर बच्चों को पढ़ाने का आदेश दिया जाय। तत्पश्चात् शिक्षकों की परीक्षा भी ली जाय और अन्त में शिक्षकों की आय स्थिर कर दी जाय जिससे कि वह ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने के लिये गाँवों में बस जाँय। इसके लिये सरकार कुछ भूमिदान इत्यादि दे।

किन्तु इस योजना का मैकाले ने घोर विरोध किया जो कि अपने हृदय में कुछ भेद तथा मस्तिष्क में एक भिन्न योजना छिपाये बैठा था। उसने इस पर बड़ी बुरी रिपोर्ट दी; परिणामतः जब यह लार्ड आर्कलैंड के समक्ष रखी गई तो उसने इसे रद्द कर दिया। समिति ने इस योजना को अव्यवहारिक समझा। ऐडम को सरकार के इस रवैये से इतना खेद हुआ कि उसने तत्काल ही त्याग पत्र दे दिया। इस प्रकार जन-शिक्षा विकास का एक और अवसर जाता रहा।

शिक्षा छानने का सिद्धान्त

(Filtration Theory)

वास्तव में १६ वीं शताब्दि के प्रारम्भ में ही अंग्रेज शासकों ने अनुभव कर लिया था कि भारत में केवल उच्चवर्ग को ही अपनाया जाय और जन-समूह को अंधकार में रक्खा जाय। अतः उन्होंने अपनी शिक्षा-नीति को भी इसी प्रकार रखा। १८२७ ई० में कम्पनी के संचालकों ने भी इसी प्रकार के आदेश दिये और १८३५ ई० में मैकाले ने भी कहा कि, “वर्तमान समय में हमें ऐसे वर्ग को उत्पन्न करना चाहिये, जो हमारे तथा जनता के बीच में विचार-वाहक बने; एक ऐसा

१ ऐडम की रिपोर्ट पृष्ठ ३५७-५८।

२ " " " " ३४६-५०।

वर्ग जो कि रंग रूप में भारतीय किन्तु रुचि, विचार, नैतिकता तथा बुद्धि में अंग्रेज हो। इन्हीं लोगों का कार्य यह होगा कि वह देशों भाषाओं को परिष्कृत तथा सम्पन्न करके जनता तक ज्ञान पहुँचाने के योग्य बनावें।” ३१ जुलाई १८३७ ई० को मैकाले ने पुनः लिखा :

“वर्तमान समय में हमारा उद्देश्य निम्नवर्ग के लोगों को सीधे शिक्षा देना नहीं है। हमारा उद्देश्य एक ऐसे वर्ग का निर्माण है जो इसके उपरान्त, जैसी हम आशा करते हैं, अपने देशवासियों में उस शिक्षा के जो कि हमने उन्हें दी है, कुछ अंशों को वितरित कर सके। यदि हम शिक्षित बंगालियों का एक ऐसा वर्ग बना सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से बिना किसी उग्र परिवर्तन के ही वह क्रमशः वर्तमान अयोग्य शिक्षकों की जगहों पर आकर उन्हें स्थानच्युत कर सकेंगे।”

वास्तव में इस प्रसिद्ध सिद्धान्त का अभिप्राय था कि “जन-समूह में शिक्षा ऊपर से टपकाई जाय। बूँद-बूँद करके भारतीय जीवन के हिमालय से लाभदायक शिक्षा नीचे बहे जो कि समय पाकर एक चौड़ी तथा विशाल धारा में परिवर्तित हो जाय और जाकर शुष्क विशाल मैदानों का सिंचन करे।” “बंगाल लोक शिक्षा समिति’ ने भी १८३६ ई० में कहा था कि, “हमारे प्रयास सर्वप्रथम उच्च तथा मध्यमवर्ग की शिक्षा पर केन्द्रित रहने चाहिये; इन्हीं विद्वानों के द्वारा प्राप्ति शिक्षालयों में सुधार होगा और शिक्षा के लाभ उन सभी को मिल जावेंगे जो निर्धनता के कारण अभी वंचित हैं।”

इसके अतिरिक्त ईसाई मिशनरियों को भी यही आशा थी कि यदि कुछ उच्च वर्ग के सवर्ण हिन्दुओं को ईसाई धर्म में दीक्षित कर दिया जावे तो वह जनसमूह तक पहुँच कर ईसा के सिद्धान्तों का उनमें प्रचार कर सकेंगे। यही कारण था कि उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों का जोरदार समर्थन किया किन्तु भारतीय बालकों ने उन स्कूलों में शिक्षा के लिये प्रवेश कराया था न कि धर्म के लिये। धर्म तो उनके ही देश में प्रयाप्त था। अतः उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया यहाँ तक कि बहुधा बाइबिल की कक्षाएँ सूनी पड़ी रहती थीं। कुछ पिछड़ी जातियों के बालक जैसे अंगी इत्यादि, कुछ अनाथ तथा कुछ ईसाइयों के बालक अवश्य बैठे रह जाते थे।

आलोचना—इस प्रकार शिक्षा छुने के सिद्धान्त के द्वारा यह जो कल्पना सरकारी क्षेत्रों में करली गई थी कि कुछ उच्च वर्ग के लोगों के पढ़ाने से वह लोग अपना ज्ञान निम्नवर्ग तथा जन समूह को देकर शिक्षित कर देंगे व्यर्थ जान पड़ी। वस्तुतः जो उच्चवर्ग के लोग शिक्षा प्राप्त करते थे वह अपने स्वार्थों के लिये करते

थे, और उच्च पदों पर आसीन होकर जनता से तो पहिले से भी अधिक दूर हो जाते थे ।

दूसरे, इस सिद्धान्त को देश में लागू करके अंग्रेजों ने हमारे देश में एक ऐसे शिक्षित वर्ग को जन्म दे दिया जो कि अपने ही देश में अपने को अजनबी समझने लगा । अधिकांश में इन लोगों का रहन सहन का स्तर ऊँचा होता था । गरीबों से यह सम्पर्क नहीं रखते थे । दैनिक कार्यों में अंग्रेजी भाषा का व्यवहार करते तथा अफसरी अभिमान में कहीं २ पर जनता के साथ अत्याचार भी करते थे । ब्रिटिश शासन के प्रारम्भ में ही शिक्षा का सुअवसर मिलने से इन लोगों में शिक्षा प्राप्त करने की परम्परा पड़ गई और परम्परागत यही लोग धनवान, तथा उच्च सरकारी पदों पर नियुक्त होने लगे । यहाँ तक कि यह कहना भी अतिशयोक्ति पूर्ण न होगा कि इनमें से अधिकांश भारत में विदेशी शासकों के स्तम्भ के रूप में राष्ट्रीय आन्दोलनों का विरोध करते रहे । किन्तु इसके विपरीत यह भी सत्य है कि अन्ततोगत्वा यही शिक्षित मध्यवर्ग था जिसने राष्ट्रीय आन्दोलन की बागडोर अपने हाथ में सँभाली और विदेशी शासन को नष्ट करने में जनसमूहों का नेतृत्व किया । किन्तु मैकाले की वह अभिलाषा अवश्य पूरी हो गई कि वह रंग रूप के भारतीय किन्तु आचार विचार में अंग्रेज उत्पन्न करने में सफल हुआ ।

एडम ने भी इस सिद्धान्त का विरोध करके देशी स्कूलों में जनता की शिक्षा को व्यवस्था कराने का प्रयास किया किन्तु शासकों के समक्ष उसकी एक भी नहीं चली । क्रमशः इस सिद्धान्त की व्यर्थता प्रमाणित होती गई और अन्त में यह विस्मृति के अंक में विलीन हो गया ।

शिक्षा-प्रगति (१८३५-५३ ई०)

बंगाल

सरकारी नीति के कारण अब अंग्रेजी का प्रचार बहुत बढ़ गया था । सन् १८३५ ई० में समिति के अन्तर्गत १४ स्कूल थे और वर्ष के अन्त तक ६ और खोल दिये गये तथा इतने ही स्कूल १८३६ ई० में भी खुलवाये गये । यहाँ तक कि १८३७ ई० तक समिति के अन्तर्गत ४८ स्कूल हो गये जिनमें ५,१६६ विद्यार्थी पढ़ते थे । ऑक्लैंड ने सारे प्रान्त को ६ भागों में विभक्त कर दिया तथा प्रत्येक जिले में जिला स्कूल स्थापित कर दिये । १८४० ई० में बंगाल में ऐसे ४० स्कूल थे इनमें हुगली कालेज बहुत प्रसिद्ध था जो कि हाजी मुहम्मद मुहसिन के दान के द्वारा बनवाया गया था । इस प्रकार शिक्षा का विकास होता जा रहा था; यहाँ तक कि स्थिति ऐसी आ गई कि जब कि संस्कृत अरबी के स्कूलों में ज्ञानवृत्ति

देने पर भी बालक नहीं जाने थे, अंग्रेजी स्कूलों में फीस देने पर भी जगह नहीं मिलती थी ।

१८४१ ई० में 'लोक शिक्षा समिति' भंग कर दी गई जो कि लगभग २० वर्ष से इस क्षेत्र में कार्य कर रही थी अंतः १८४२ ई० में इसके स्थान पर "शिक्षा परिषद (काउंसिल ऑफ एज्युकेशन) की स्थापना की गई । इसी प्रकार की परिषदें बम्बई और मद्रास में भी बनीं ।

१८४४ ई० में लार्ड हार्डिंज ने एक घोषणा की जिसका प्रभाव शिक्षा पर ऐसा पड़ा कि वह आज तक यथावत बना हुआ है । उसने कहा कि 'सरकारी नौकरियों के लिये ऐसे लोगों को प्रथमता दी जायगा जिन्होंने इस प्रकार स्थापित अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाई हो ।' उसने दफ्तरों में छोटे छोटे पदों के लिये भी इसी प्रकार के आदेश कर दिये । इस प्रकार के आदेशों का प्रभाव यह पड़ा कि सारे भारतवर्ष में शिक्षा का उद्देश्य सरकारी पदों की प्राप्ति करना हो गया । उच्च पदों की संख्या इतनी नहीं थी जहाँ सभी शिक्षित भारतियों की खिपत हो सके परिणामतः बहुत से लोग दफ्तरों में क्लर्क या बाबू बनने पर विवश हुए । इस प्रकार योग्य व्यक्तियों का उद्योग धंधों व कृषि के उद्यमों में अभाव रहने लगा । यह बुराई आज भी यथावत बनी हुई है ।

इसी दौरान में मिशनरियों ने भी अपने प्रयत्न जारी रखे । १८५३ ई० में सम्पूर्ण बंगाल में इनके २२ अंग्रेजी स्कूल हो गये । कुछ व्यक्तिगत स्कूल भी खुले क्योंकि शिक्षा की मांग बढ़ रही थी और सरकारी अंग्रेजी स्कूल उसके लिये पर्याप्त नहीं होते थे । किन्तु इन स्कूलों को कोई सहायता नहीं दी गई ।

सन् १८५५ ई० में 'शिक्षा परिषद' ने कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा किन्तु डाइरेक्टरों ने उसे असामयिक कह कर टाल दिया ।

यद्यपि प्राथमिक शिक्षा का पतन हो रहा था तथापि लार्ड हार्डिंज ने इस ओर ध्यान दिया और १८४४ ई० में १०१ स्कूल प्राथमिक शिक्षा के लिये खुलवाये । प्रत्येक स्कूल में लिखना, पढ़ना, गणित, भूगोल, बंगला तथा भारत का इतिहास पढ़ाने के लिये एक एक शिक्षक नियुक्त कर दिया गया । शिक्षकों के लिये १८४७ ई० में एक नार्मल-स्कूल भी खोल दिया । प्राथमिक स्कूलों में एकआना प्रतिमाह फीस भी लगा दी । किन्तु यह स्कूल अधिक दिनों तक न चले । १८५२ ई० में केवल २६ स्कूल बच रहे । लार्ड डलहौजी ने भी प्राथमिक शिक्षा के लिये कुछ प्रयत्न किये । उसने ऐडम योजना में कुछ परिवर्तन करके आगरा प्रान्त में परीक्षण के अनुरूप देशी स्कूलों को प्रोत्साहन देने की चेष्टा की । शिक्षा-अनुदान भी दिये । किन्तु १८५४ ई० तक केवल ३३ सरकारी प्राथमिक स्कूल बन सके जिनमें १४०० बच्चे पढ़ते थे ।

डलहौजी शिक्षा में दिलचस्पी लेता था। उसने १८४४ ई० में हिन्दू कालेज कलकत्ता में इंजिनियरिंग की कक्षा खोली। स्त्री शिक्षा के लिये भी प्रयास हुआ। १८२१ ई० में जब श्रीमती विलसन ने लड़कियों के लिये एक स्कूल खोला था तब से इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ था। १८४६ ई० में श्री ड्रिकवाटर वैध्यून् ने स्त्री-शिक्षा में रुचि दिखाई और कलकत्ता में एक स्कूल खोला।

उसी समय शासन यंत्र में एक परिवर्तन हुआ। १८४३ ई० में शिक्षा संस्थाएँ एक नए बने हुए प्रान्त (उत्तर पश्चिम प्रान्त), जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश है, को हम्नान्तरित कर दी गई। इसी समय 'शिक्षापरिषद' ने भी बहुत उन्नति की। १८४३ ई० में इसने पाठ्य पुस्तकों में सुधार किया तथा यांग्य शिक्षक उत्पन्न किये। १८४४ ई० में स्कूल तथा कालेजों के लिये शिक्षा निरीक्षक नियुक्त किये गये। १८५२ ई० में इसने प्राथमिक शिक्षा को भी अपने हाथ में लिया और १८४३ से १८५४ ई० तक इनकी संख्या २८ से १५१ तथा विद्यार्थियों की संख्या ४६३२ से १३,१६७ कर दी। १८५४ ई० में इसके अन्तर्गत ५ अंग्रेजी कालेज, एक मैडिकल कालेज, ३ प्राच्य कालेज तथा ४७ अंग्रेजी स्कूल थे। १८५४ ई० में इन सबका व्यय ५ लाख, ६४ हजार, ५०० रु० था।

यहाँ शिक्षा के माध्यम के विषय में भी दो शब्द कहना वांछनीय है। बम्बई में तो यह प्रश्न बड़ा विवादस्पद हो गया था। बङ्गाल में भी यह प्रश्न उठा। श्री के० एम० बनर्जी तथा डा० बैलेन्टाइन जैसे विद्वानों ने मातृभाषा के लिये सिफारिश की किन्तु अङ्गरेज शासकों के सम्मुख किसी की न चली और इस प्रकार मातृ-भाषा का बहिष्कार करके अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम रहा।

बम्बई

बम्बई में 'भारतीय शिक्षा समाज' ने अच्छा काम किया था। किन्तु १८४० ई० में इसे भंग करके शिक्षा बोर्ड बना दिया गया। भारतीय शिक्षा समाज ने १८ वर्ष के अपने जीवन में ४ अङ्गरेजी स्कूल तथा ११५ जिला प्राथमिक स्कूल स्थापित किये थे जिनमें मातृभाषा के माध्यम के द्वारा लिखना, पढ़ना, दर्शन, बीज गणित, ज्यौमित तथा ट्रिग्नोमैट्री का शिक्षण दिया जाता था। वास्तव में यह पाठ्यक्रम आधुनिक माध्यमिक स्कूलों के समान था किन्तु बम्बई में इनका उद्देश्य मातृभाषा के द्वारा पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना था।

इनके अतिरिक्त सरकार पूना संस्कृतकालेज, एलफिस्टन इंस्टीट्यूट तथा पुरन्दर ताल्लुका में ६३ प्राइमरी स्कूल भी चला रही थी। यह पुरन्दर स्कूल इस ताल्लुका के सहायक कलक्टर श्री शॉर्टरीड ने देशी पाठशालाओं के आधार पर स्थापित किये थे जहाँ लिखना पढ़ना और हिसाब की प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती थी। इनके शिक्षक सरकारी कर्मचारी समझे जाते थे। रुपये के अभाव में समाज

का कार्य मंद गति से अवश्य चला किन्तु १८४० ई० तक कुल भिन्नाकर यह ११५ प्राथमिक स्कूलों का भी संचालन करता रहा । यद्यपि इसने कुछ अंग्रेजी स्कूलों का भी संचालन किया किन्तु प्रधानतः यहाँ शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही रहा क्योंकि इसके अनुसार जनसमूह तक पाश्चात्य ज्ञान को पहुँचाने के लिये मातृभाषा ही सर्वोत्तम माध्यम था ।

शिक्षाबोर्ड :—१८४० ई० में नये शिक्षा बोर्ड ने कार्यभार सम्भाला और १८५७ ई० तक बड़ी योग्यता पूर्वक उसका सम्पादन किया । इस बोर्ड में सभापति के अतिरिक्त ६ सदस्य और होते थे जिनमें ३ भारतीय शिक्षा समाज के प्रतिनिधि तथा ३ सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते थे । इस बोर्ड ने 'शिक्षा समाज' की नीति को ही कायम रखा तथा समाज की सभी शिक्षा संस्थाओं को अपने अधिकार में कर लिया । १८४२ ई० में इसने प्रान्त को ३ भागों में विभक्त करके प्रत्येक को एक यूरोपियन शिक्षा निरीक्षक तथा भारतीय उपनिरीक्षक के अधिकार में कर दिया । इसने कुछ नये नियम भी बनाये जोकि १ जून १८४३ ई० से लागू कर दिये गये । बोर्ड ने १८४२ ई० में प्रान्त में स्कूलों की गणना भी कराई तथा ऐडम-योजना का प्रयोग करना चाहा किन्तु यह योजना कार्यान्वित न की जा सकी क्योंकि पाश्चात्य ज्ञान को विपसा लोगों में दिन प्रति-दिन बढ़ती जा रही थी । अतः बोर्ड ने देशी स्कूलों की अवहेलना की और उन्हें बन्द करने का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय किया ।

शिक्षा का माध्यम :—शिक्षा के माध्यम की ओर से बम्बई प्रान्त ने एक साहसपूर्ण नीति को अपनाया । जबकि बङ्गाल में प्राच्य और पाश्चात्य भाषाओं का संघर्ष चल रहा था, बम्बई ने स्थानीय भाषा को शिक्षा का माध्यम रखा । अंग्रेजी तथा संस्कृत को भी उचित स्थान दिया गया । वास्तव में बम्बई में मातृभाषा तो शिक्षा का माध्यम थी और उसमें उच्चज्ञान भी दिया जाता था, और संस्कृत क्लासिकल भाषा के रूप में तथा अंग्रेजी आधुनिक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती थी । पाश्चात्य ज्ञान को पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया गया था । इसके अतिरिक्त बम्बई ने 'शिक्षा छुनेने के सिद्धान्त' की अवहेलना करके जनसमूहों में शिक्षा का प्रसार किया ।

किन्तु १८४३ ई० में सर पैरी के शिक्षा बोर्ड का सभापति नियुक्त हो जाने की अशुभ घटना ने इस प्रान्त में भी शिक्षा जगत में एक गन्दो राजनीति का स्रजपात कर दिया । सर पैरी उच्चवर्ग को शिक्षा देने का पक्का हिमायती था और मैकाले तथा ओकलैंड से प्रेरणा लेता था । उसने अँग्रेजी मोच कर अँग्रेजी भाषा का पक्ष लिया । उसने कहा कि देशी भाषाओं में अँग्रेजी ग्रन्थों का अनुवाद व्यर्थ तथा खर्चीला होता है, तथा जनता में अँग्रेजी की माँग है और हमारी सरकारी नीति भी अँग्रेजी का प्रचार करना है ऐसी स्थिति में अँग्रेजी ही बम्बई में शिक्षा-

माध्यम होना चाहिये। इस प्रश्न को लेकर शिक्षा बोर्ड में दो दल हो गये। पैरी ने दो यूरोपियनों को साथ में लेकर अँग्रेजी दल बनाया। उधर बम्बई इंजिनियरिंग कालेज के प्रिन्सिपल श्री जर्विस ने ३ भारतियों के साथ मातृ-भाषा दल का निर्माण किया। श्री जर्विस ने कहा कि :

‘साधारण शिक्षा का प्रसार उस भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में नहीं किया जा सकता जिससे कि व्यक्ति का मस्तिष्क भली भाँति परिचित है; अतः इसे मैं अपना महान कर्तव्य समझता हूँ कि मातृ भाषा का प्रसार करूँ। यदि लोगों को साहित्य की रक्षा करनी है तो यह उनका स्वयं का साहित्य ही होना चाहिये। साहित्य का विषय अत्रि-कांश में पाश्चात्य भते ही हो किन्तु इसका देशी विषय से तादात्म्य हो जाना चाहिये, और उसका स्वरूप एशियाई होना चाहिये।’

यह संवर्ष १८४८ ई० तक चलता रहा; अन्त में स्थानीय सरकार ने ५ अप्रैल १८४८ ई० को अपनी आज्ञा जारी करदी जिसके अनुसार अन्त में जाकर यह निश्चय हुआ कि प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिये मातृभाषा, तथा उच्च कालेज शिक्षा के लिए अँग्रेजी भाषा माध्यम रहेगी। केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार अँग्रेजी का इस प्रान्त में भी प्रभुत्व बढ़ने लगा।

इस प्रकार पैरी के समय में बम्बई में देशी शिक्षा की अवहेलना हुई और अँग्रेजी स्कूलों की संख्या दुगुनी हो गई। बड़े बड़े केन्द्रों में नये अँग्रेजी स्कूलों की स्थापना की गई तथा अहमदाबाद में एक लड़कियों के स्कूल को भी सहायता दी गई। १८५१ ई० में पूना संस्कृत कालेज तथा पूना अँग्रेजी स्कूल को मिलाकर ‘पूनाकालेज’ बना दिया गया जो कि आगे चलकर ‘डकन कालेज’ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें नार्मल विभाग भी जोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त १८५२ ई० में जिला स्कूलों को ‘ग्रान्ट-इन-एड’ देने के लिए सरकारी आदेश हुए तथा गाँवों में भी सरकार ने स्कूलों को सहायता देकर उच्च शिक्षा के स्कूल खुलवाने का प्रयत्न किया। पैरी के भारत छोड़ने पर देशी शिक्षा की भी उन्नति हुई। १८५४ ई० में सरकार ने ग्रामीण स्कूलों के अध्यापकों का आधा वेतन देना स्वीकार कर लिया और शेष व्यय गाँव वालों पर डाल दिया। इस प्रकार बम्बई में इस दौरान में संतोष जनक प्रगति रही।

मद्रास—१८३३ से १८५३ ई० तक मद्रास की शिक्षा-प्रगति की कहानी बकी कुछ भरी है। इस दौरान में सरकार की नीति अस्थिर रही। व्यक्तिगत प्राथमिक स्कूलों की सहायता बंद करदी गई थी और देशी स्कूलों को भी कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। मुन्रो के द्वारा स्थापित जिला तथा तहसीली स्कूलों

को १८३६ ई० में बन्द कर दिया गया और उनके स्थान पर मद्रास में अँग्रेजी कालेज तथा कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानों पर अँग्रेजी स्कूल खोल दिये गये। १८४१ ई० में मद्रास में एक हाईस्कूल भी स्थापित कर दिया गया। बंगाल की शिक्षा के लिए लिखे हुए मैकाले के विवरणपत्र का प्रभाव यहाँ भी हो गया था। फलतः इस प्रांत में भी मातृभाषा-स्कूलों का भाग्यसिनारा डूब गया। केन्द्रीय सरकार की ओर से मद्रास सरकार को आदेश मिले कि देशों शिक्षा से हटाकर सम्पूर्ण शिक्षा-अनुदान उच्च अँग्रेजी शिक्षा पर व्यय किया जाय। फलतः अँग्रेजी के माध्यम के द्वारा उच्च पाश्चात्य-शिक्षा की उन्नति होने लगी।

मद्रास में एक विश्वविद्यालय खोलने का भी प्रस्ताव हुआ किन्तु उसके लिये समय अभी उपयुक्त नहीं समझा गया, केवल १८४१ ई० में हाईस्कूल विभाग तथा १८५२ ई० में कालेज विभाग खोल दिया गया। विश्वविद्यालय बोर्ड को अपेक्षा एक शिक्षा-रिपोर्ट को स्थापना करवा गई जो कि १८५७ ई० में जाकर शिक्षा बोर्ड में बदल दी गई। शिक्षा बोर्ड को १ लाख रुपये की धनराशि दे दी गई जिसमें से दो अँग्रेजी स्कूल—एक १८५३ ई० में कडलौर तथा दूसरा १८५५ ई० में राजमुंद्री में स्थापित किये गये। प्राथमिक शिक्षा के लिए भी २० हजार रुपये सुरक्षित कर दिये गये।

व्यक्तिगत प्रयासों में ईसाई मिशनरियों तथा पतञ्जिप्पा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। मिशनरियों ने प्रारम्भिक शिक्षा को इस काल में बड़ा प्रोत्साहन दिया। उनके प्रयत्नों का उल्लेख करते हुए १८५४ ई० के आज्ञापत्र में कहा गया है कि मद्रास में जहाँ सरकार के प्रयत्न संतोष जनक नहीं रहे वहाँ ईसाई धर्म-प्रचारकों ने तामिल शिक्षा का बहुत प्रचार किया।

उत्तर-पश्चिम आगरा प्रान्त—१८४० ई० में भारत सरकार ने उत्तर पश्चिम प्रदेश आगरा व अवध की सभी शिक्षा संस्थाओं का प्रबन्ध बंगाल सरकार से हटाकर प्रान्तीय सरकार के अधिकार में कर दिया। उस समय तक यहाँ अँग्रेजी शिक्षा के कुछ स्कूल स्थापित हो चुके थे जिनमें आगरा, दिल्ली तथा बनारस क कालेज प्रमुख थे। प्रारम्भ से ही इस प्रांत ने एक भिन्न नीति को अपनाया जिसके अनुसार 'शिक्षा छुनेने के सिद्धान्त' को उकराकर मातृभाषा में शिक्षा देने का निश्चय हुआ।

सन् १८४३ ई० में श्री जैम्स टॉम्सन जो कि भारत में आधुनिक प्राथमिक शिक्षा के प्रवक्त क माने जाते हैं, यहाँ के गवर्नर नियुक्त हुए। १८४५ ई० में उन्होंने जिलाधीशों के नाम आदेश जारी करके शिक्षा की पड़ताल कराई और उसके साथ ही ऐडम-योजना के आधार पर जन-समूह की प्राथमिक शिक्षा के लिए एक नवीन योजना बनाई। उन्होंने शत किया कि प्रां. में अँग्रेजी तथा मिशनरी स्कूलों

को छोड़ कर हर प्रकार के केवल ७६६६ स्कूल थे जिनमें प्रन्त के २० लाख लड़कों में से केवल ७०८२६ लड़के पढ़ते थे अर्थात् प्रान्त में ३७ प्रतिशत साक्षरता थी।

नवम्बर १८४६ ई० में श्री टॉम्सन ने भारत सरकार के समक्ष एक विस्तृत योजना रखी जिसका उद्देश्य वर्नाक्यूलर शिक्षा का पुनर्संगठन था। इस योजना के अनुसार २०० घरों वाले प्रत्येक गाँव में एक स्कूल स्थापित करने और अध्यापकों के वेतन के लिये जागीरें लगा देने का प्रस्ताव किया। संचालकों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया; अतः श्री टॉम्सन को अप्रैल १८४८ ई० में दूसरी योजना प्रस्तुत करनी पड़ी जो कि स्वीकृत करली गई। इसके अनुसार देशी स्कूलों का सुधार किया गया और आदर्श तहसीली स्कूल खोलने की योजना बनी। इस स्कूल के लिये १०) ६० से २०) ६० प्रतिमाह का एक प्रधान अध्यापक रक्खा गया। पाठ्य-क्रम में हिन्दी-उर्दू, लिखना, पढ़ना तथा हिसाब के साथ-साथ इतिहास, भूगोल तथा ज्यामिति रक्खे गये। इन स्कूलों के लिये १८५० ई० में ५० हजार रुपया वार्षिक देना स्वीकृत हुआ। १८५३ ई० में इनमें विद्यार्थियों की संख्या ५ हजार थी। यह मिडिल स्कूलों के समान थे। सर्व प्रथम यह योजना ८ जिलों : बरेली, शाहजहाँपुर, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, फर्रुखाबाद तथा इटावा में चलाई गई। इन जिलों के विज़िटर जनरल श्री स्टुअर्ट रीड थे जो मैनपुरी के जिलाधीश थे। इन्होंने ८ जिलों में पड़ताल कराई जिनमें ५० करबे, १४५७२ गाँव, ३१२७ स्कूल जिनमें २७८५३ विद्यार्थी थे। इन स्कूलों में से बीस स्कूलों में अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी।

इन स्कूलों के निरीक्षण की भी व्यवस्था की गई। जिसके अनुसार आठ जिलों के लिये एक विज़िटरजनरल जिसे १०००) ६० मासिक वेतन मिलता था, प्रत्येक जिले के लिये एक जिला विज़िटर तथा उसके नीचे परगना विज़िटर रक्खे गये। परगना विज़िटर को २०-४०) ६० मासिक मिलते थे। इनका काम देशी स्कूलों का निरीक्षण करना तथा लोगों को 'सलाह, सहायता तथा प्रोत्साहन' देना था।

हल्काबन्दी स्कूल—तहसीली स्कूलों की स्थापना के अतिरिक्त देशी-शिक्षा के विकास के लिये एक साधन और सोचा गया जो 'हल्काबन्दी स्कूल' के नाम से विख्यात है। १८५१ ई० में मथुरा के कलक्टर श्री अलैक्जेंडर ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक परगने को लिया और उसकी मालगुजारी तथा जनसंख्या को लेकर शिक्षा योग्य बच्चों की संख्या तथा उन पर होने वाले व्यय के अकड़ें निकाल लिये। और क्योंकि धन के अभाव में प्रत्येक गाँव में स्कूल खोलना असंभव था अतः कुछ गाँवों का एक-एक हल्का या क्षेत्र बना लिया गया और उसके केन्द्र में एक स्कूल स्थापित कर दिया जिससे प्रत्येक गाँव से यह स्कूल २ या २१ मील से अधिक दूर न पड़े। यह स्कूल प्रारम्भिक शिक्षा के लिये

ये। इन स्कूलों के खर्च के लिये जमींदारों से उनकी मालगुजारी का १ प्रतिशत लिया गया। शीघ्र ही यह योजना सात अन्य पड़ोसी जिलों में फैल गई और १८५४ ई० तक स्कूलों की संख्या ७५८ हो गई जिनमें १७००० बालक पढ़ते थे। कुछ समय बाद यह योजना बंगाल में भी चालू की गई।

उच्चशिक्षा के दृष्टिकोण से भी इस प्रान्त ने प्रगति की। १८५४ ई० तक आगरा, दिल्ली तथा बनारस के सरकारी कालेजों के विद्यार्थियों की संख्या ६७६ हो गई। १८५२ ई० में सेन्ट जॉस कालेज आगरा की नींव पड़ी और उसी वर्ष आगरा में एक नार्मल स्कूल भी खुला। १८५३ ई० में जयनारायण घोषाल स्कूल बनारस—कालेज बना दिया गया। इस प्रकार १८५४ ई० तक आगरा प्रान्त में ४ हजार कुल स्कूल हो गये जिनमें ५३००० विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। १८५४ ई० के आज्ञा पत्र ने भी इस योजना को अन्य प्रान्तों में लागू करने तथा योग्य विद्यार्थियों को क्षात्रवृत्ति देने की सिफारिश की।

पंजाब—पंजाब प्रान्त नया ही बना हुआ था। इसकी स्थापना १८४९ ई० में हुई थी अतः यहाँ शिक्षा की अभी कोई प्रगति नहीं हुई थी। यहाँ पहिले से ही हिन्दी उर्दू और गुरुमुखी के कुछ देशी स्कूल स्थित थे। उर्दू का प्रचार इस प्रान्त में बहुत था और अधिकांश हिन्दू बालक भी उर्दू पढ़ते थे। सन् १८४९ ई० में अमृतसर में सरकार ने एक अँगरेजी स्कूल खोला जिसमें हिन्दी, उर्दू, अँग्रेजी, फारसी, अरबी और संस्कृत पढ़ाई जाती थी। लाहौर में भी शिक्षा ने प्रगति की। लड़कियों में भी यहाँ शिक्षा का प्रचार था। बाद में आगरा प्रान्त की भाँति ४ नार्मल स्कूल, ६० तहसीली स्कूल, लाहौर में एक कालेज खोलने तथा १ विजिटर जनरल नियुक्त करने, एवं १२ जिला तथा ५० परगना विजिटरो की नियुक्ति का प्रार्थना की गई जो जून १८५४ ई० में स्वीकृत होगई।

उपसंहार

इस प्रकार इस युग की समाप्ति के साथ ही साथ लगभग अर्द्ध शताब्दि से चला आने वाला शिक्षा माध्यम का संघर्ष समाप्त हो गया और भारतीय शिक्षा पूर्णतः अँगरेजी रंग में रंग गई। यद्यपि शिक्षा प्रगति सन्तोष जनक नहीं रही तथापि कुछ निश्चित सिद्धान्तों का प्रस्थापन अवश्य हो गया। उदाहरणतः सरकार को जनता को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व स्वीकार करना पड़ा, शिक्षा निरीक्षण को व्यवस्था हुई तथा सरकार को अपनी शिक्षानीति खुले रूप से घोषित करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त शिक्षा छूने के सिद्धान्त का प्रचार; देशी शिक्षा, प्राच्य तथा मातृ-भाषाओं का अवहेलना; पाश्चात्य ज्ञान तथा अँग्रेजों का प्रचार; शिक्षा में राज्य द्वारा धार्मिक तटस्थता को नीति तथा व्यक्तिगत प्रयासों का प्रोत्साहन इत्यादि कुछ इस युग की अन्य विशेषताएँ हैं। इन्हीं विशेषताओं को लेकर प्रत्येक प्रान्त ने अपने

अपने प्रयत्न जारी रखे और अपने अपने प्रयोग किये । इस युग की समाप्ति तक सरकार को विदित हो गया कि देश की शिक्षा के प्रश्न को टाला नहीं जा सकता और उसमें किसी निश्चित योजना की आवश्यकता है । शिक्षा के माध्यम तथा प्राच्य-पश्चात्य विवाद इत्यादि के संघर्ष प्रायः समाप्त हो चुके थे । अतः अब सरकार इस बात के लिये सन्नद्ध हो गई कि भारत में शिक्षा की कोई सुविस्तृत योजना बनाई जाय । परिणाम स्वरूप १८५४ ई० में बुड का शिक्षा-आज्ञापत्र देश के सम्मुख आया ।

दसवाँ अध्याय

बुड का शिक्षा घोषणा-पत्र (१८५४ ई०)

भूमिका

कम्पनी का आज्ञा-पत्र प्रति २० वर्ष उपरान्त बदलता था। इस प्रकार १७६६, १८१३, १८३३ ई० में वह बदल चुका था और प्रत्येक अवसर पर कुछ न कुछ परिवर्तन तथा विकास कम्पनी की शिक्षा-नीति में हो जाते थे। अतः जब १८५३ई० में भी आज्ञापत्र को बदलने का अवसर आया तो भारतीय शिक्षा में कुछ स्थायी नीति ग्रहण करने की आवश्यकता स्पष्ट प्रकट हो रही थी, अतएव एक संसदीय समिति स्थापित की गई जिसने भारतीय-शिक्षा की प्रगति की जाँच की। इस समिति ने ट्रैविलियन, पैरी, मार्शमैन, डफ; विल्मन, केमरन, तथा सर फ्रैडरिक हैलीडे इत्यादि महानुभावों की साक्षी तथा भारतीय शिक्षा के विषय में उनके वक्तव्य लिये। यह सभी सज्जन भारतीय शिक्षा से गहरा सम्बन्ध रखते थे जैसा कि हम पिछले पृष्ठों में वर्णन कर चुके हैं। इन लोगों ने अधिकारियों को यह बात स्पष्टतः बता दी कि भारत की शिक्षा-आवश्यकताओं को टाला नहीं जा सकता और न भारतीय जनता को शिक्षित करने में कोई राजनैतिक हानि ही है। इन सभी प्रयत्नों के फल-स्वरूप १८५४ ई० में 'बुड का शिक्षा घोषणा-पत्र' प्रकाशित हुआ। चार्ल्स बुड 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' का प्रधान था अतः यह आज्ञापत्र उसी के नाम से विख्यात हो गया। यह कहा जाता है कि यह आज्ञापत्र जॉन स्टुअर्ट मिल के हाथों से लेखबद्ध हुआ था। अस्तु, बुड का शिक्षा घोषणा-पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महान महत्त्व रखता है इसके उपरान्त भारतीय शिक्षा में एक नये युग का प्रारम्भ होता है। यहाँ हम संक्षेप में इसकी प्रमुख बातों को देंगे।

आज्ञा-पत्र की सिफारिशें

सर्व प्रथम इस आज्ञा-पत्र में कम्पनी की शिक्षा नीति के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया है। इसके अनुसार अन्य उत्तरदायियों की अपेक्षा कम्पनी के ऊपर भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व सर्व प्रथम माना गया है; अतः इसका प्रसार उसका पवित्र कर्तव्य है। इसके उपरान्त आज्ञापत्र में प्राच्य-पाश्चात्य विवाद का भी उल्लेख है। वह संस्कृत व अरबी की शिक्षा की निन्दा नहीं करता अपितु उनके थोड़े से ज्ञान को अच्छा समझता है। किन्तु अन्त में लार्ड मैकाले की भाँति पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को ही भारतीयों के लिये उपयुक्त समझकर कहता है कि "हम यह जोरदार शब्दों में घोषणा करते हैं कि जिस शिक्षा का हम भारत में प्रसार करना चाहते हैं उसका

उद्देश्य योरपीय उच्च कला, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य अर्थात् संक्षेप में योरपीय ज्ञान है।”

शिक्षा के माध्यम के विषय में प्रथमतः वह यह व्यक्त करता है कि किमप्रकार अच्छी पुस्तकों के अभाव में देशी भाषाओं को माध्यम नहीं बनाया जा सका और विवश होकर अंग्रेजी माध्यम रखना पड़ रहा है, किन्तु केवल अंग्रेजी को ही माध्यम रखना हानिकारक है, अतः इसके समानान्तर देशी भाषाओं को भी माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिये। “इसलिये हम अंग्रेजी तथा देशी दोनों भाषाओं की आर शिक्षा के माध्यम के लिये देखते हैं जिससे वह भाग साथ-साथ यूरोपीय ज्ञान का पैलाने में सहायक हों। अतः यह हमारी इच्छा है कि भारतीय शिक्षालयों में वह दोनों ही फले फूलें।”

इस प्रकार कुछ प्रश्नों का सिंहावलोकन करने के उपरान्त, आज्ञा-पत्र ने अपनी सिफारिशों की हैं जिन्हें हम यहाँ संक्षेप में उल्लेख करते हैं।

१—शिक्षा विभाग—इस आज्ञा पत्र के अनुसार प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा विभाग स्थापित करने की सिफारिश की गई। यह भी कहा गया कि प्रत्येक प्रान्त में इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जन-शिक्षा-संचालक (डी० पी० आई०) नियुक्त कर दिया जाय तथा उसकी सहायता के लिए अन्य छोटे निरीक्षक नियुक्त कर दिए जायें।

२—विश्वविद्यालय—दूसरी सिफारिश उसने भारत में कलकत्ता, बम्बई और यदि आवश्यक हो तो मद्रास में विश्वविद्यालय खोलने की की। क्योंकि यह सोचा गया कि, “भारत में अब विश्वविद्यालयों की स्थापना का समय आ गया है जो नियमित तथा उदार शिक्षा को प्रोत्साहित करें।.....शिक्षा परिषद् ने लन्दन विश्वविद्यालय को आदर्श मानने का प्रस्ताव किया था और हम उससे सहमत हैं।” अतः भारत में तीनों विश्वविद्यालयों को लन्दन विश्वविद्यालय के आदर्श पर जो कि केवल परीक्षा संस्था थी, स्थापित करने के लिये कहा गया। यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय के लिये “चांसलर, वाइस चांसलर तथा फेलो होंगे जिनको भिलाकर सीनेट बनेगा। सीनेट नियम बनायेगा जो तुम स्वीकृत करोगे। विश्वविद्यालय के आय-व्यय का प्रबन्ध भी सीनेट ही करेगा। वही विज्ञानों और कलाओं के विभिन्न भागों में परीक्षकों को नियत करके परीक्षाओं का आयोजन करेगा। विश्वविद्यालय का काम अपने से सम्बन्धित कालेजों के विद्यार्थियों को परीक्षाओं के बाद डिग्रियाँ प्रदान करना होगा।.....डिग्री परीक्षाओं में धार्मिक विषय न होंगे।..... जिन विषयों के पढ़ाने का प्रबन्ध कालेजों में होगा उनके लिये विश्वविद्यालय प्रोफेसरों को नियुक्त करेंगे जैसे कानून इत्यादि।.....सिविल इंजिनियरिंग के प्रोफेसर भी विश्वविद्यालयों में नियत किये जा सकते हैं और

सिविल इंजिनियरिंग की उपाधियाँ भी योजना में सम्मिलित की जा सकती हैं।”

३—जन समूह की शिक्षा का विस्तार—आज्ञापत्र में यह बात स्वीकार की गई कि अब तक जन-साधारण की शिक्षा की पूर्णतः अवहेलना की गई थी और सरकार का ध्यान अधिकांश में उच्च वर्ग के लोगों के लिये उच्च शिक्षा का प्रबन्ध करने में लगा रहा था जिसमें राज-कोष का वह अधिकांश भाग चला जाता था जो कि शिक्षा के लिये नियत किया जाता था। अतः उन्होंने कहा कि, “अब हमारा ध्यान सम्भवतः उस अधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न की ओर जाना चाहिये जिसकी अभी तक, हमें स्वीकार करना पड़ता है, अवहेलना की गई है, अर्थात् जीवन के सभी अङ्गों के लिये व्यवहारिक शिक्षा उन जन साधारण को किस प्रकार दी जाय जो कि स्वयं विना सहायता के कुछ भी लाभ दायक शिक्षा पाने में पूर्णतः अशक्त हैं। हमारी इच्छा है कि सरकार की अधिक सक्रिय योजनायें भविष्य में इस ओर लगा दी जाँय जिसकी प्राप्ति के लिये हम अधिक व्यय स्वीकार करने के लिये तैयार हैं।” इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अधिक हाई स्कूल, मिडिल स्कूल तथा प्राथमिक स्कूलों की सिफारिश आज्ञापत्र ने की। इन भिन्न-भिन्न स्तर के शिक्षालयों की शिक्षा को एक दूसरे से सम्बन्धित करने के लिये छात्रवृत्तियों का भी उल्लेख किया गया। इस प्रकार देशी प्रारम्भिक स्कूलों को शिक्षा का आधार मान लिया गया और सम्पूर्ण शिक्षा-भवन को इनके ऊपर ही निर्मित करने का प्रस्ताव किया गया। ‘शिक्षा छुने के सिद्धान्त को’ सिद्धान्ततः बुरी तरह ठुकरा दिया गया।

४—सहायता-अनुदान—इस आज्ञापत्र के द्वारा भारतीय शिक्षालयों को शिक्षा-अनुदान (ग्रान्ट-इन-एड) देने का प्रस्ताव किया गया। “भारतीयों की शिक्षा के लिये यथेष्ट साधन जुटाने में सरकार की असमर्थता तथा उन प्रयासों से मिल सकने वाली सहायता, जिसको सरकार ने अभी तक प्रोत्साहित नहीं किया है, पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस दिशा में भारतीय जनता की शिक्षा-आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकारी प्रयासों के साथ-साथ शिक्षित और धनी वर्गों की उदारता तथा प्रयासों को मिला देना चाहिये। अस्तु हमने भारतवर्ष में सहायता-अनुदान-प्रथा अपनाने का निश्चय किया है। यह अनुदान, सहायता प्राप्त स्कूलों में धार्मिक तटस्थता पर आधारित होगा। उन सभी संस्थाओं को सहायता प्रदान की जायगी, जो अच्छी लौकिकशिक्षा (धर्म रहित) देते हों, जो यथेष्ट स्थानीय प्रबन्ध में चलते हों और जिनके प्रबन्धक स्कूलों के सरकारी निरीक्षण तथा सहायता-अनुदान सम्बन्धी नियमों को स्वीकार कर लें।.....हमारा मत है कि सहायता केवल उन्हीं स्कूलों को प्रदान का जाय जो विद्यार्थियों से कम से कम कुछ शुल्क अवश्य लेते हों।”

इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न उद्देश्यों जैसे शिक्षकों के वेतन को तरफ़ी के लिये, पुस्तकालय के लिये, भवन निर्माण के लिये, छात्रवृत्ति तथा विज्ञान-कक्ष इत्यादि के

लिये अलग-अलग अनुदान देने का वाहदा भी किया गया। इस अनुदान को कालेजों से लेकर देशी प्रारम्भिक स्कूलों तक देने की व्यवस्था की गई।

यहाँ यह बात विशेषतः उल्लेखनीय है कि इस सहायता-अनुदान-प्रथा पर आज्ञा-पत्र में बड़ा जोर दिया गया है। सम्भवतः इसका अभिप्राय भारत में मिशनरियों की सहायता करना था। क्योंकि उस समय व्यक्तिगत रूप से शिक्षा-क्षेत्र में प्रधानतः मिशन ही थे और शाब्द उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने की यह सरकारी नीति थी। इसके अतिरिक्त आज्ञा-पत्र में कहा गया है कि निरीक्षकों को सहायता प्राप्त स्कूलों में “उन धार्मिक सिद्धान्तों की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखना चाहिये जो कि किसी स्कूल में पढ़ाये जा रहे हों।” आगे चलकर उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यह स्कूल सभी भारतीयों के लिये हैं अतः किसी विशेष धर्म का उनमें पढ़ाया जाना अवाञ्छनीय है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यह ठीक है कि बहुत से ईसाई-शिक्षालयों में बाइबिल रक्खी रहती है और लोगों को उसे पढ़ने की सुविधा है, साथ ही यदि कक्षा से बाहर कोई विद्यार्थी शिक्षक से ईसाई धर्म के सम्बन्ध में अपनी धार्मिक शङ्काओं का समाधान करना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई यह कहे कि सरकार धर्म प्रचार करके अपनी स्थिति का अनुचित लाभ उठा रही है।” अस्तु, सहायता-अनुदान की योजना इस आज्ञा-पत्र के द्वारा बहुत व्यापक बना दी गई।

५—शिक्षकों का प्रशिक्षण—इस पत्र के द्वारा संचालकों ने अपनी इच्छा प्रकट की कि जितना शीघ्र हो सके प्रत्येक प्रेसीडेंसी में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये स्कूल स्थापित कर दिये जाँय। उन्होंने शिक्षकों को दीक्षाकाल में क्षात्रवृत्ति देने पर भी जोर दिया। साथ ही कानून, चिकित्सा और इंजिनियरिंग में भी औद्योगिक प्रशिक्षण की मिसारिश की।

६—स्त्री शिक्षा—अन्त में आज्ञा-पत्र में स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया गया। “हमने पहिले ही कह दिया है कि जिन संस्थाओं को सहायता मिलेगी उनमें लड़कियों के स्कूल भी हैं और इस दिशा में जो प्रयत्न किये जा रहे हैं उनके प्रति हम अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट किये बिना नहीं रह सकते हैं। गवर्नर जनरल की घोषणा से जो बङ्गाल के गवर्नर के लिये की गई है; हम पूर्णतया सहमत हैं कि भारतीय स्त्री-शिक्षा को सरकार की स्पष्ट तथा मैत्रीपूर्ण सहायता मिलनी चाहिये।” इस प्रकार उच्चशिक्षा के लिये अँग्रेजी तथा माध्यमिक और प्रारम्भिक शिक्षा के लिये मानुषाभाषा का माध्यम, विश्वविद्यालयों की स्थापना; शिक्षा सहायता-अनुदान प्रथा; शिक्षकों का प्रशिक्षण; धार्मिक तटस्थता; औद्योगिक शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन; शिक्षित व्यक्तियों के लिये नौकरी तथा जन समूह में शिक्षा प्रसार

इत्यादि कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिफारिशें हैं जो कि इस महान-पत्र में की गई हैं । अब हम संक्षेप में इसके गुण-दोषों का विवेचन करेंगे ।

आलोचना

गुण—इस ऐतिहासिक पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नवीन किन्तु शानदार युग का सूत्रपात किया । जेम्स ने तो इसे 'भारत में अँग्रेजी शिक्षा का मैगना चार्टा' तक कह डाला है ! वास्तव में इसके द्वारा कुछ बातें तत्त्वतः स्वीकार कर ली गईं, जैसे शिक्षा देना सरकार का उत्तरदायित्व है । इस पत्र ने एक अत्यन्त विशद व विस्तृत शिक्षा योजना देश के समक्ष रखी जोकि प्रायः शिक्षा के प्रत्येक अङ्ग से सम्बन्धित है । प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्चशिक्षा, स्त्री-शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा तथा अध्यापकों की शिक्षा इत्यादि ऐसी योजनायें थीं जिनका सर्वांश में सम्पादन आज तक भी नहीं हो सका है ।

पहिला काम जो इस आज्ञा पत्र ने किया वह था भारत में उच्चशिक्षा के लिये विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश करना । हाई स्कूल के उपरान्त उच्चशिक्षा की महान आवश्यकता प्रतीत हो रही थी अतः इनकी स्थापना उचित समय पर ही हुई यद्यपि उस समय इनकी संख्या अपर्याप्त थी, किन्तु इनसे एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति हुई ।

प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा-विभाग स्थापित करके प्रथम बार शिक्षा को राज्य के अन्तर्गत एक सुसङ्गठित तथा मुव्यवस्थित स्वरूप दिया गया । शिक्षा संचालक तथा निरीक्षक और उपनिरीक्षकों की नियुक्ति करके सरकार के ऊपर शिक्षा की देख रेख का भार भी डाल दिया गया । इससे शिक्षा की उत्तमता बढ़ी और साथ ही विकास भी हुआ ।

देशी स्कूलों, मिडिल तथा हाई स्कूलों को प्रोत्साहन देकर जनशिक्षा के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया । छुनेने के सिद्धान्त की निन्दा की गई । अँग्रेजी राज्य के अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र में उस समय यह एक क्रान्तिकारी कदम था । इसके बाद जनता की साधारण शिक्षा द्रुति गति से बढ़ी यद्यपि आज भी वह आशा तथा आवश्यकता से कम है । साथ ही शिक्षकों की दीक्षा तथा विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों को ही छात्रवृत्तियाँ देकर प्रोत्साहित करने से बड़ा लाभ हुआ । अच्छे व योग्य अध्यापकों के अभाव में शिक्षा का मान दंड नीचा रहता था और शिक्षक अध्यापन की ओर आकर्षित नहीं होते थे किन्तु अब उन्हें कुछ प्रेरणा मिली जिससे अत्यन्त लाभ हुआ । निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था करके प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा में एक भूँखला स्थापित करदी गई ।

सहायता-अनुदान-प्रथा ने तो शिक्षा प्रसार को बड़ा प्रोत्साहन दिया । व्यक्ति-

गत प्रयास जो कि शिक्षा क्षेत्र में अपर्याप्त था इस प्रथा के कारण क्षेत्र में उतर आया और शिक्षा-प्रबन्ध अर्धिकांश में जनता के हाथों में पहुँचने लगा; यद्यपि व्यक्तिगत प्रबन्धकों ने इसका दुरुपयोग किया जो हम आगे चल कर देखेंगे।

दोषः—इन सब गुणों के होते हुए भी इस आज्ञा-पत्र में कुछ भारी दोष भी हैं। एक बड़ा भारी दोष यह है कि इसने देश में शिक्षा का उद्देश्य 'पुस्तकें पढ़ना तथा परीक्षा में पास होकर सरकारी नौकरी ढूँढ़ना' कर दिया। शिक्षा एक प्रकार से पूर्णतः नोकशाही के अधिकार में आ गई। उसमें उन्मुक्त विकास की प्रेरणा का अभाव होगया। जिस प्रकार सरकार का एक व्यापार विभाग है, एक कृषि-विभाग है उसी प्रकार एक शिक्षा-विभाग भी होगया जिसके कार्यों को अधिकारी लोग अन्यमनस्क रूप से पूरा करने लगे। लालफीतावाद ने शिक्षा की उन्मुक्त प्रगति को बड़ा धक्का पहुँचाया और शिक्षा-प्रणाली का लचीलापन नष्ट हो गया। देश में राष्ट्रीय चेतना के उत्पन्न होने पर अंग्रेजी सरकार को शिक्षा के विषय में बड़ी कटु आलोचनाएँ सुननी पड़ीं।

विश्वविद्यालयों का ढाँचा एक दम विदेशी रक्खा गया। प्रधानतः इन विश्व-विद्यालयों को जँड़े इंग्लैंड में थीं और पत्तियाँ भारत में थीं। सम्भवतः इस आज्ञा-पत्र के प्रणेता यह बात भूल गये कि अतीत काल में भारत में भी उच्चकोटि के विश्वविद्यालय थे जो देश विदेश से विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। इसके अतिरिक्त इस आज्ञा-पत्र के अनुसार सीनेट में सभी सदस्यों के सरकार के द्वारा नामजद करने का दुष्परिणाम यह हुआ कि सीनेट में अर्धिकांश में जो कुछ चुने हुए तथाकथित बड़े लोग पहुँच जाते थे वह बहुधा शिक्षा-विज्ञान के मर्मज्ञ नहीं होते थे।

अन्त में सहकारी पदों का लालच देकर विदेशी शिक्षा को प्रोत्साहन देने का दोष भी बहुधा इस आज्ञा-पत्र के ऊपर लगाया जाता है। इसके प्रणेताओं ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि "वह असंख्य रिक्त स्थान जिनको कि लगातार भरना पड़ता है, शिक्षा के प्रचार में सहायक हो सकते हैं।" इस तरह अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवकों को सरकारी पदों के लिये प्रथमता देने का अभिप्राय यह हुआ कि भारत में युवकों तथा उनके अभिभावकों की यही अभिलाषा रहने लगी कि शिक्षा के उपरान्त उन्हें कोई सरकारी उच्चपद मिल जाय। यह कुप्रवृत्ति आज भी भारत में उसी प्रकार बढी हुई है। परिणामतः भारत में शिक्षितों में बेकारी बहुत बढ़ रही है और जिनको कुछ नौकरी इत्यादि मिल भी जाती है वह एक सभ्य व संतुष्ट जीवन व्यतीत करने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त होती है। और यदि यह मान भी लिया जाय कि इस आज्ञा-पत्र के रचियताओं का उद्देश्य यह नहीं था कि वह दफ्तरों के लिए केवल क्लर्क या बाबू उत्पन्न करें तथापि स्वर्गीय भी परांजपे

के साथ यह स्वीकार करना पड़ेगा कि “उनका उद्देश्य यह भी नहीं था कि शिक्षा नेतृत्व के लिये हो, शिक्षा भारत के औद्योगिक विकास के लिये हो, शिक्षा मातृ-भूमि की रक्षा के लिये हो, संक्षेप में, वह शिक्षा हो जिसकी की एक स्वतन्त्र राष्ट्र के नागरिकों को आवश्यकता है।”

उपसंहार

किन्तु आज हमें यह मानना पड़ेगा कि इन दोषों के होते हुए भी इस आशा-पत्र ने भारत में आधुनिक शिक्षा का रूप स्थिर कर दिया। उसके रचियताओं का उद्देश्य सच्चा था। किन्तु खेद का विषय है कि भारत सरकार इसके अनुसार अपना कर्तव्य पालन करने में असफल रही। सरकार ने इन सिफारिशों के अनुसार ईमान-दारी से काम नहीं किया फलतः हम आज भारत की शिक्षा में बहुत से दोष पाते हैं। जन शिक्षा पर आशा-पत्र के जोर देने की अपेक्षा भी उसकी उपेक्षा की गई। मातृभाषा को उचित स्थान स्कूलों और कालेजों में लगभग एक शताब्दि व्यतीत होने पर आज तक नहीं मिला। उच्च शिक्षा में आज भी अंग्रेजी का अखंड साम्राज्य है और आज वह हमारे लिये एक स्वाभाविक व अनिवार्य बुराई बन कर हमारे जीवन पर छा गई है। औद्योगिक शिक्षा का विकास बहुत दिनों तक टाला गया और आज भी समय की माँग को देखते हुए एक प्रकार से अपर्याप्त चला आ रहा है।

किन्तु इस पत्र के प्रकाशित होने के बाद ही यहाँ तीन विश्वविद्यालय स्थापित हो गये। प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा विभाग बन गया; वहाँ शिक्षा-संचालक नियुक्त हो गये और शिक्षा-सहायता-अनुदान प्रत्येक प्रान्त के स्कूल और कालेजों में लागू हो गया।

ग्यारहवाँ अध्याय शिक्षा की प्रगति (१८५४-१८८२ ई०)

भूमिका

१८५४ ई० के आज्ञापत्र के अनुसार प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा-विभाग की स्थापना हो गई। सन् १८५७ ई० में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय भी स्थापित कर दिये गये। शिक्षा योजनाओं के लिये सरकार ने आर्थिक सहायता पर्याप्त मात्रा में बढ़ा दी। वस्तुतः १८५७ ई० के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उपरान्त कम्पनी का शासन भारत में समाप्त हो गया और ब्रिटिश संसद ने भारत का राज्य भार संभाला। कम्पनी के समय में आधुनिक शिक्षा का आरम्भ आवश्यक हो चुका था किन्तु अपने शासन को पुष्ट करने में वह इतनी व्यस्त रही कि शिक्षा की समस्या उसके समक्ष गौण रही। १८५५ ई० तक केवल १४७४ शिक्षा संस्थाएँ कम्पनी के अन्तर्गत हो सकीं। किन्तु इस समय तक सिद्धान्ततः भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य, साधन और माध्यम का प्रश्न बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका था।

१८५४ ई० के उपरान्त क्रमशः शिक्षा का भारतीयकरण होता जा रहा था। आज्ञापत्र के आदेशों के अनुसार सरकार का उद्देश्य यह था कि शिक्षा को क्रमशः व्यक्तिगत संस्थाओं के हाथ में सौंप कर सरकार धीरे धीरे उस क्षेत्र से पूर्णतः निकल आवे। फलतः माध्यमिक तथा कालेज शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयास को बहुत प्रोत्साहन दिया गया। अब तक केवल ईसाई मिरान ही व्यक्तिगत साधन थे किन्तु अब भारतीयों ने भी अधिकतर शिक्षा को अपने हाथ में ले लिया। किन्तु इतना आवश्यक है कि यद्यपि आज्ञापत्र में शिक्षा विकास के लिए व्यक्तिगत प्रबन्ध को प्रोत्साहन देने की बात कही गई थी, किन्तु शिक्षा-विभाग ने सदा इस नीति की अवहेलना की और शिक्षा को व्यक्तिगत प्रबन्ध में जाने से भरसक रोका। १८५७ ई० के विद्रोह के उपरान्त ब्रिटिश संसद भारतीय मिशनरियों को शंका की दृष्टि से देखने लगी। अतः रानी विक्टोरिया की घोषणा में १८५८ ई० में सरकार की वार्षिक तटस्थता को स्पष्ट शब्दों में दुहरा दिया गया। ऐसी अवस्था में शिक्षा का प्रबन्ध प्रधानतः शिक्षा विभाग ने अपने हाथ में रखा और इस प्रकार १८५८-८२ ई० तक राजकीय विद्यालयों की देश में बाढ़ सी आ गई। १८५५ ई० में जब उनकी संख्या १४०६ थी तो १८८२ ई० में वह १५,४६२ हो गई। इतना आवश्यक है कि मिशनरी स्कूलों के साथ सरकार का रख

बहुत कड़ा हो गया और शिक्षा विभाग उनके साथ में स्पर्धा करने लगा। इसका परिणाम यह निकला कि मिशनरियों ने इंग्लैंड और भारत में यह आन्दोलन चलाना प्रारम्भ कर दिया कि भारत में शिक्षा संचालन १८५४ ई० के घोषणापत्र के अनुसार नहीं हो रहा है। शिक्षा के धर्म-विहीन होने की इन लोगों ने विशेष रूप से शिकायत की। इस आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि १८८२ ई० में प्रथम 'भारतीय शिक्षा कमीशन' की नियुक्ति हुई जिसका उल्लेख आगे चलकर किया जायगा। इस अध्याय में हम १८५४ से १८८२ ई० तक की शिक्षा-प्रगति का वर्णन करेंगे।

विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

जैसा कि पिछले प्रश्नों में उल्लेख किया जा चुका है कि १८४५ ई० में कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित करने की माँग को सरकार ने पहिले टाल दिया था। किन्तु अब यह माँग अधिक नहीं टल सकती थी। भारत में कालेज तो पहिले से ही थे, यद्यपि जिस संस्था से हम वर्तमान युग में कालेज का अर्थ लेते हैं वह १८५७ ई० से पूर्व नहीं था। इस प्रकार के पादरियों के कालेज मद्रास और बंगाल में कार्यशील थे। इनकी संख्या बंगाल में ७ और मद्रास में २ थी। सरकारी कालेजों में ३ प्रेसीडेंसियों में तीन मैडिकल कालेज तथा रुड़की में एक इंजिनियरिंग कालेज (१८४७ ई० उल्लेखनीय है। अब घोषणापत्र के अनुसार १८५७ ई० में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में नियमित विश्वविद्यालय खुल गये। इन विश्वविद्यालयों के लिये अलग-अलग एक्ट पास किये गये यद्यपि तीनों प्रायः एक ही प्रकार के थे। एक्ट के अनुसार विश्वविद्यालय का प्रबन्ध सीनेट के अन्तर्गत रक्खा गया जिसमें कुलपति प्रान्त का गवर्नर, उपकुलपति गवर्नर द्वारा दो वर्ष के लिये नामजद तथा 'फैलो' होते थे। 'फैलो' की अधिकतम संख्या नियत नहीं की गई थी। फैलो भी दो प्रकार के रक्खे गये : एक तो अपने पद की हैसियत से (Ex-officio) तथा दूसरे साधारण। प्रथम प्रकार के फैलो में चीफ जस्टिस, विशप, गवर्नर की कार्यकारिणी के सदस्य, प्रान्त का शिक्षा-संचालक, तथा सरकारी कालेजों के प्रिंसिपल सम्मिलित होते थे। साधारण 'फैलो' जीवन भर के लिये नियुक्त किये जाते थे। साधारणतया 'फैलो' की मृत्यु, त्यागपत्र तथा स्थाई रूप से भारत छोड़ने पर ही उसका स्थान रिक्त समझा जाता था। अधिकांश में यह 'फैलो' जनता के बड़े कहलाने वाले लोगों में से बिना उनकी शिक्षा योग्यता का ध्यान रक्खे हुए नियुक्त कर लिये जाते थे। ज्ञान का वास्तविक श्रोत तथा शिक्षा की रीढ़ शिक्षक इस गठन में कोई महत्व नहीं रखता था। इस नीति का शिक्षा पर बड़ा घातक प्रभाव पड़ा। विश्वविद्यालय के दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करने के लिये एक 'सिंडिकेट' का निर्माण कर दिया जाता था किन्तु वह 'सिंडिकेट' एक्ट के द्वारा उत्पन्न नहीं हुई थी।

यह बात स्मरणीय है कि यद्यपि घोषणा-पत्र में विश्वविद्यालयों को सीधे शिक्षा प्रदान करने का कार्य भी सौंपा गया था किन्तु इस एक्ट के अनुसार वह केवल परीक्षा लेने तथा डिग्रियाँ बाँटने के यंत्र बने रहे। यह विश्वविद्यालय कला, कानून, चिकित्सा तथा सिविल इंजिनियरिंग में डिग्रियाँ बाँटते थे। एक प्रकार की प्रवेशिका-परीक्षा (मैट्रिक्यूलेशन) स्थापित कर दी गई थी और इसमें उत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकता था। इस प्रवेशिका-परीक्षा को पास करने के उपरान्त निम्नकोटि के सरकारी पद भी मिल सकते थे। इसके अतिरिक्त प्रवेशिका और बी० ए० के बीच में २ वर्ष की एक इंटरमीडिएट कक्षा (F. A.) भी थी।

१८५७-८२ ई० में उच्च शिक्षा ने अच्छी प्रगति की। इधर माध्यमिक शिक्षालयों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही थी अतः उन विद्यार्थियों के लिये उच्च-शिक्षा के लिये कालेजों का खोलना आवश्यक हो गया। कलकत्ता में प्रवेशिका के परीक्षार्थियों की संख्या दुगुनी हो गई। सरकार ने भी कालेजों के प्रति अपना दृष्टिकोण अपेक्षाकृत उदार रखा। फलतः जबकि १८५७ ई० में कालेजों की संख्या २७ थी, १८८२ ई० में ७२ हो गई। कलकत्ता तथा मद्रास में प्रैसीडेंसी कालेज खुले। इसी समय १८६५ ई० में पंजाब में एक विश्वविद्यालय खोलने के लिये आन्दोलन चला। इस प्रकार १८६६ ई० में लाहौर यूनिवर्सिटी कालेज की स्थापना हुई जो १८८२ ई० में जाकर पंजाब विश्व-विद्यालय के रूप में विकसित हुआ। यहाँ मातृभाषा के माध्यम के द्वारा यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान पढ़ाये जाते थे तथा प्राच्य-भाषाओं को भी पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रश्न गवर्नर ग्योर ने १८६६ ई० में उठाया था और एक किराये के भवन में १८७२ ई० में 'सैन्ट्रल कालेज' की स्थापना कर दी जिसका शिलारोपण १८७३ ई० में लार्ड नौर्यथ्रुक ने किया था।

इन राजकीय कालेजों के अतिरिक्त लगभग ३४ गैर-सरकारी कालेज भी खुले। इनमें दो विशेष उल्लेखनीय हैं। एक तो सन् १८६४ ई० में लखनऊ के ताल्लुकदारों ने लार्ड कैनिङ्ग को कृपाओं से अनुग्रहीत होकर कैनिङ्ग कालेज खोला, जिसमें अंग्रेजी के साथ ही प्राच्य विभाग भी खुला था। एक प्रकार से यह कालेज आधुनिक लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रारम्भ था। दूसरा कालेज 'मुस्लिम एंग्लो औरिएन्टल कालेज', अलोगढ़ था। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खॉं ने १८७४ में मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार करने के लिए की थी। मद्रास में भी पतचयप्पा स्कूल तथा विजगापट्टम स्कूल को कालेजों का रूप दे दिया गया। बंगाल में मैट्रोपोलिटन कालेज १८७८ ई०, सिटी कालेज १८७६ ई० तथा अलबर्ट कालेज १८८१ ई० में स्कूलों से विकसित होकर कालेज

बन गये। इनके अतिरिक्त १८७० ई० में राजकोट कॉलेज तथा १८७२ ई० में मैसूर कालेज अजमेर, डैली कालेज इन्दौर १८७६ ई० तथा एचीसन कालेज लाहौर १८८६ ई० में भारतीय राजकुमारों के लिये स्थापित हुए। एक इन्जिनियरिंग कालेज भी कलकत्ता में खोला गया। इसके अतिरिक्त प्रायः सभी कालेज केवल कला में ही शिक्षा देने के लिये खोले गये।

आलोचना:—इस प्रकार बनने वाले विश्वविद्यालयों में कई त्रुटियाँ थीं। क्योंकि उनकी स्थापना सरकार ने की थी अतः उनके प्रबन्ध में अफसरों का बहुमत सदा रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य उच्च शिक्षा न होकर केवल कुछ शिक्षित व्यक्ति तैयार करना था जो कि सरकारी मशीन के पुर्जे बन सकें। अन्यथा प्राचीन कला में भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा जीवन को महान, दिव्य तथा अमर बनाने के लिए होती थी। जो कुछ वह विद्यार्थी पढ़ते थे वह उनके जीवन में काम आता था। किन्तु इन विश्वविद्यालयों ने भारत में एक ऐसी भयानक परम्परा को जन्म दिया जो आज तक अपना विषाक्त प्रभाव भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बनाये हुए है; अर्थात् विश्वविद्यालयों में कुछ वर्ष शिक्षा पाने के उपरान्त विद्यार्थी को कागज का प्रमाणपत्र मिलने लगा। यही उसकी वास्तविक योग्यताओं का प्रतीक था। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी उसने विद्यालय में पढ़ा वह आसानी से भुजाया जा सकता था। यह आवश्यक नहीं था कि वह अपने ज्ञान तथा विद्वता को मस्तिष्क में रखकर जीवन में अग्रसर होवे। केवल इन कागजी प्रमाणपत्रों के बल पर ही हमारे शिक्षित युवक क्रमशः अपनी संस्कृति, परम्परा और साधारण जनता से दूर होने लगे।

दूसरे, इन विश्वविद्यालयों में औद्योगिक शिक्षा की अवहेलना करके केवल कला-विषयों का शिक्षण दिया गया। यह बात कहना व्यर्थ है कि भारत को औद्योगिक शिक्षालयों की कितनी तीव्र आवश्यकता थी। और जो उदाहरण इन प्रारम्भिक विश्वविद्यालयों ने रखा उसका अनुकरण बाद में भी किया गया। फलतः आज हम भारत को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ पाते हैं। हमारे यह विश्वविद्यालय ऐसे कर्मठ उत्पन्न न कर सकें जो कारखानों, खेतों तथा खानों में देश का निर्माण करते हुए देखे जाते प्रत्युत उन्होंने ऐसे कोमलांग, शुभ्रवदन-कृशकार्यों को जन्म दिया जो कि केवल लिखते पढ़ने के उद्योगों में ही अग्रने दुर्बल जीवन समाप्त कर देते हैं! तीसरे, इन विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य न होकर केवल परीक्षा ही ली जाती थी। यह हानिकर सिद्ध हुआ। चौथे, सीनेट में अप्यापकों का उचित प्रतिनिधित्व न होने से शिक्षा-विशेषज्ञों की राय से वंचित रहना पड़ा।

पाँचवें, विश्वविद्यालयों के निरीक्षण में नौकरशाही का हाथ अधिक रहा।

क्योंकि यह सरकार की संस्थायें थीं। इन सरकारी निरक्षकों का रिपोर्टों पर ही इनकी उन्नति व श्रवणति निर्भर थी। फलतः विश्वविद्यालयों का स्वाभाविक विकास न हो सका।

माध्यमिक-शिक्षा (Secondary Education):—सरकारी आज्ञा पत्र के द्वारा निर्देशित आदेशों के अनुसार इस काल में माध्यमिक- शिक्षा की भारत में बहुत संतोष-जनक प्रगति रही। वास्तव में सरकारी शिक्षा-विभाग ने इतना ध्यान प्रारम्भिक अथवा उच्च शिक्षा को ओर नहीं दिया जितना कि माध्यमिक शिक्षा की ओर। इस काल में राजकीय माध्यमिक स्कूल भी खुले और साथ ही व्यक्तिगत प्रबन्धकों को भी अनुदान द्वारा प्रोत्साहित किया गया। फलतः इन स्कूलों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई। १८७० ई० तक तो राजकीय माध्यमिक स्कूलों की संख्या खूब बढ़ी। उसके उपरान्त सरकार का ध्यान प्रारम्भिक शिक्षा की ओर अधिक आकृष्ट हो गया। इस प्रकार जबकि १८५४ ई० में राजकीय विद्यालयों की संख्या १६६ थी जिनमें १८,३४५ विद्यार्थी पढ़ते थे तो १८८२ ई० में इनकी संख्या १३६३ हा गई जिनमें ४४,६०५ विद्यार्थी शिक्षा पाने लगे। इधर सरकार ने व्यक्तिगत प्रबन्धों को सहायता-अनुदान देने के नियम प्रत्येक प्रान्त में बना दिये और उनके अनुसार स्कूलों को उदारता पूर्वक आर्थिक सहायता दी जिससे उनकी संख्या में भी संतोष-जनक वृद्धि हुई।

जैसा कि पीछे कहा जा चुका है १८५७ ई० की घटनाओं के उपरान्त भारत सरकार मिशनरियों पर कुछ कड़ी आँख रखने लगी थी, और इधर शिक्षा-क्षेत्र में अब तक व्यक्तिगत प्रयास अधिकांश में ईसाइयों का ही था किन्तु १८८२ ई० के अन्त तक भारतीयों ने भी इस ओर बड़ी रुचि दिखलाई थी और उसका परिणाम यह हुआ कि १८८२ ई० में भारतीयों के अन्तर्गत १३४१ तथा पादरियों के अन्तर्गत ७५७ माध्यमिक स्कूल थे। इसमें बंगाल में ५८२ और मद्रास में ६६८ शिक्षालय भारतीयों के प्रबन्ध में थे। बम्बई, आगरा, पंजाब तथा आसाम में भी इस दिशा की ओर सज्जात हो चुका था।

मिशनरियों के माध्यमिक शिक्षालय बंगाल में ४०, मद्रास में ४१८, पंजाब में ११८ और आगरा प्रान्त में १०४ थे। मद्रास इनका प्रमुख केन्द्र था। इस प्रकार सब सरकारी और गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूलों की संख्या १८८२ ई० में जाकर ४१२२ हो गई। गैर-सरकारी स्कूलों के बंगाल में वृद्धि होने का कारण यह था कि यह अधिकतर अपना व्यय फीस से चला लेते थे इसलिये सरकारी सहायता की चिन्ता नहीं करते थे। साथ ही विश्वविद्यालयों का इन पर कोई नियंत्रण नहीं था, और क्योंकि वह सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं थे अतः शिक्षा विभाग भी उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था।

दोष—इस काल में माध्यमिक शिक्षालय बढ़े तो अबाध गति से थे किन्तु इनमें कुछ दोष थे। सर्व प्रथम उन ६: माध्यम प्रधानतः अंग्रेजी हो गया। यद्यपि १८५४ ई० के आज्ञा-पत्र में मातृभाषा का माध्यम रखने की जोरदार सिफारिश की गई थी किन्तु देश में अंग्रेजी का प्रभुत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में १८६२ ई० से 'मैट्रिक्युलेशन' परीक्षा में भूगोल, इतिहास, गणित तथा विज्ञान इत्यादि विषयों में उत्तर देने के लिये अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया जो अब तक केवल विद्यार्थी की इच्छा पर निर्भर था। बहुत से मिडिल स्कूलों में भी अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगी और दो प्रकार के मिडिल स्कूल-एंग्लो हिन्दुस्तानी तथा वर्नाक्युलर-मिडिल होने लगे। अंग्रेजी की इस प्रभुता के कई कारण थे : एक तो जनता में अंग्रेजी की माँग बढ़ रही थी और इसका ज्ञान आधुनिक सभ्यता का प्रतीक समझा जाने लगा था। दूसरे कालेजों में माध्यम अंग्रेजी होने के कारण विद्यार्थियों के लिये यह आवश्यक था कि कालेज प्रवेश से पूर्व उनका ज्ञान इस भाषा का बहुत अच्छा होना चाहिये अन्यथा जितना समय उन्हें विषय को समझने में लगता था उससे कहीं अधिक कठिनाई भाषा का अर्थ समझने में लगती थी। अधिकांश कालेजों में प्रबन्धक या शिक्षक प्रायः योरुपीय थे। इस प्रकार माध्यमिक स्तर पर देश में प्रारम्भ से ही मातृ-भाषाओं की अवहेलना होती रही।

दूसरा दोष था ट्रेन्ड अध्यापकों का अभाव। सम्पूर्ण भारत में केवल दो स्कूल एक मद्रास तथा दूसरा लाहौर में ऐसे थे जहाँ अध्यापकों को ट्रेनिङ्ग दी जाती थी। यह अवस्था बड़ी असन्तोष जनक थी। ट्रेनिङ्ग भी बहुत साधारण कोर्ट की दी जाती थी।

तीसरी दोष था केवल पुस्तकीय ज्ञान पर जोर देना और औद्योगिक शिक्षा का अभाव। यह कोरा पुस्तकीय ज्ञान जीवन को सम्पूर्ण अङ्गों में व्यवहारिक रूप से उपयोगी नहीं बनाता था जैसा कि १८५४ ई० के आज्ञा-पत्र के रचियताओं की अभिलाषा थी। सारे भारतवर्ष में १८८२ ई० में, केवल बम्बई में एक स्कूल को छोड़कर, जहाँ कुछ कृषक बालकों को कृषि का व्यवहारिक ज्ञान देने के लिये ४) ६० की क्षात्रवृत्ति दी जाती थी, कोई अन्य स्कूल ऐसा नहीं था जहाँ किसी भी प्रकार का औद्योगिक शिक्षा दी जाती हो। इसका प्रमुख कारण यह था कि लोगों का उद्देश्य एन्ट्रेन्स पास करके या तो तत्काल ही नोकरी पा जाने अथवा कालेज में उच्चशिक्षा प्राप्त करने के योग्य होकर प्रवेश पा जाने का था जिसके लिये कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र अनिवार्य था। इसके अतिरिक्त सरकारी स्कूलों में भी इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी अतः व्यक्तिगत प्रबन्धक उनसे औद्योगिक शिक्षा के लिये प्रेरणा न ले सके। सरकार तो इधर से अवश्य ही उदासीन थी सम्भवतः उसकी दृष्टि में

उस समय भारत का औद्योगिक विकास इङ्गलैंड की व्यापारिक नीति के लिये अहितकर था। धन का अभाव भी माध्यमिक स्कूलों में औद्योगिक शिक्षा न प्राग्म्य करने का एक शक्तिवान कारण बना रहा और यह दुर्दशा आज तक भी अलुण्ण बनी हुई है।

स्टैनले का आज्ञा पत्र—

१८५७ ई० के उपरान्त भारत में कम्पनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश संसद में भारत मन्त्री का पद उत्पन्न किया गया। सर्व प्रथम लार्ड स्टैनले की नियुक्ति इस पद पर हुई। लार्ड स्टैनले इस बात की जाँच करना चाहता था कि भारत के स्वतन्त्रता-संघर्ष का यहाँ की शिक्षा-नीति से भी कुछ सम्बन्ध है अथवा नहीं। इसके अलावा वह शिक्षा पर १८५४ ई० के आज्ञा-पत्र को भी प्रतिक्रिया देखना चाहता था। तदनुसार १८५६ ई० में लार्ड स्टैनले ने १८५४ ई० के आज्ञा-पत्र की नीति का समर्थन किया। केवल प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन किये।

इस नये आज्ञापत्र के अनुसार लार्ड स्टैनले ने शिक्षकों की दाँजा पर विशेष जोर दिया। प्रारम्भिक शिक्षा के विषय में उसकी धारणा थी कि इस क्षेत्र में कुछ भी कार्य नहीं हुआ है अतः आवश्यकता इस बात की है कि जनसाधारण की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाय और साथ ही जो सहायता-अनुदान-प्रथा १८५४ई० के आज्ञा-पत्र के द्वारा जारी की गई थी उसे तो केवल माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा तक ही सीमित रक्खा जाय और प्रारम्भिक शिक्षा के लिए सरकार सीधा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले क्योंकि सहायता-अनुदान-प्रथा प्रारम्भिक स्कूलों के लिए लाभदायक नहीं है। प्रारम्भिक शिक्षा के व्यय के लिए इस आज्ञा-पत्र में यह भी कहा गया कि सरकार आवश्यकता पड़ने पर लोगों पर एक स्थानीय कर लगाये। लार्ड स्टैनले वास्तव में इंगलैंड की तत्कालीन शिक्षा नीति से प्रभावित हुआ था जहाँ पर स्थानीय-कर तथा जन-शिक्षालयों के लिये एक आन्दोलन जोर पकड़ता जा रहा था।

इसके साथ ही १८५६ ई० में शिक्षा को आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार से प्रान्तीय सरकारों को हस्तान्तरित कर दिया गया। लार्ड मेयो ने १८७१ ई० में शिक्षा विभागों का नियंत्रण भी प्रान्तीय सरकारों के आधीन कर दिया और उन्हें अपना व्यय करने का अधिकार दे दिया गया। इसके उपरांत १८७७ ई० में लार्ड लिटन ने शिक्षा का और भी अधिक त्रिकेन्द्रीयकरण कर दिया। इसके अनुसार शिक्षा पूर्णतः ५ वर्ष के लिये प्रान्त के अधिकार में आ गई तथा कानून और आबकारी विभागों की आय का कुछ भाग इसके व्यय के लिये नियत कर दिया। किन्तु केन्द्रीय सरकार का प्रभुत्व एक देशव्यापी शिक्षा नीति निर्धारित करने का बना रहा। यह अवस्था १८८२ ई० तक रही।

प्राथमिक शिक्षा — यह तो हम देख ही चुके हैं कि १८५४ ई० तक प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय प्रयत्न बड़े निराशा-जनक थे और कम्पनी एक प्रकार से उच्च वर्ग के लिये उच्च शिक्षा देना ही अपना कर्तव्य समझती थी। १८५४ ई० में कम्पनी का ध्यान इस ओर गया और प्रारम्भिक शिक्षा के निरीक्षण तथा सरकारी अनुदान देने का भार कम्पनी ने ले लिया। किन्तु अनुदान तो प्रायः उच्च शिक्षा के ही लिये दिये गये और देशी प्रारम्भिक शिक्षा के लिये कुछ न किया जा सका। वास्तव में १८५६ ई० के उपरान्त एक प्रकार का विवाद उठ खड़ा हुआ। यह विवाद प्राथमिक-शिक्षा के सम्बन्ध में था जिसका विषय था कि प्रारम्भिक शिक्षा को सरकारी आय से सहायता अनुदान दिया जाय अथवा नहीं; स्थानीय कर लगाये जाय अथवा नहीं और देशी स्कूलों के प्रति क्या नीति रखी जाय? किन्तु अन्त में प्रत्येक प्रान्त को अपनी-अपनी नीति के अनुसरण करने की स्वतन्त्रता दे दी गई। बम्बई और बङ्गाल ने बिल्कुल ही विरोधी रुख ग्रहण किए। बम्बई ने देशी स्कूलों की अवहेलना कर दी और सरकारी स्कूल खोले, जब कि बङ्गाल ने देशी स्कूलों को प्रोत्साहन दिया। मद्रास ने एक मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। १८८२ ई० में बम्बई में केवल ७३ सहायता प्राप्त देशी स्कूल थे और ३६५४ स्कूल शिक्षा-विभाग द्वारा संचालित थे। बङ्गाल में २८ स्कूल शिक्षा-विभाग के और ४७३७४ सहायताप्राप्त देशी स्कूल थे। मद्रास में १२६३ सरकारी और १३२२३ देशी स्कूल थे। आसाम में भी ७ सरकारी स्कूल स्थापित हो गये। इसके अतिरिक्त पश्चिमोत्तर आगरा प्रान्त (उत्तर-प्रदेश) अपनी 'हलका बन्दो योजना' के आधार पर ही बढ़ता रहा। १८८२ ई० में वहाँ ६१७२ बिना सहायताप्राप्त देशीस्कूल, तथा २४३ सहायताप्राप्त प्राथमिक स्कूल थे। कुर्ग ने भी बम्बई का अनुकरण किया। पंजाब में १३१०६ देशी तथा २७८ सहायता प्राप्त स्कूल थे। मध्यप्रान्त में देशी स्कूलों को बहुत प्रोत्साहन मिला किन्तु वहाँ की शिक्षा व्यवस्था शिथिल थी। बरार ने भी बम्बई का अनुकरण किया और वहाँ १८८२ ई० में ४६७ शिक्षा-विभाग के तथा २०६ सहायताप्राप्त और २०७ गैर सहायताप्राप्त स्कूल थे। यहाँ देशी स्कूलों को भी प्रोत्साहन दिया गया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ प्रान्तों के अतिरिक्त देशी स्कूलों को अधिक प्रोत्साहन नहीं मिला। फलतः धीरे धीरे यह स्कूल या तो समाप्त हो गये अथवा सरकारी स्कूलों में विलीन हो गये।

जहाँ तक स्थानीय-कर लगाने का प्रश्न था यह भी बहुत महत्वपूर्ण था। वास्तव में यह स्थानीय-कर केवल शिक्षा ही के लिये नहीं थे अपितु इनमें जनहित की अन्य चीजें भी सम्मिलित थीं जैसे पुलिस तथा सड़क व चिकित्सा इत्यादि। अतः एक तो इसकी आय में से शिक्षा का भाग नियत करना एक प्रमुख प्रश्न था। दूसरे यह स्थानीय-कर अन्य प्रान्तों में तो लागू हो सकता था किन्तु बंगाल में

स्थायी-बन्दोबस्त के कारण यह नहीं लगाया जा सकता था। गाँवों में तो भूमि की मालगुजारी ही इस कर का आधार थी और स्थायी-बन्दोबस्त होने से इसमें आपत्ति थी क्योंकि इस प्रबन्ध में मालगुजारी नियत थी और उस पर अन्य कर नहीं लगाये जा सकते थे। पश्चिमोत्तर प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में तो श्री टाम्सन ने पहिले से ही अपनी योजना के अनुसार १ प्रतिशत कर मालगुजारी पर लगा दिया गया था। १८६६ ई० तक यह शिक्षाकर मालगुजारी का भाग बन गया था। १८७१ ई० में इसकी पुनः जाँच कर ली गई।

इसी प्रकार पंजाब में भी १८५७ ई० में भूमि पर स्थानीय-कर लागू कर दिया और १८७१ ई० में इसकी पुनः जाँच की गई। धीरे २ यह योजना सभी प्रान्तों ने स्वीकार करली। अबध में १८६१ ई० में मालगुजारी पर २३ प्रतिशत कर लगा दिया जिसका १ प्रतिशत शिक्षा के लिये नियत कर दिया गया। मध्यप्रान्त में १८६२ ई० में १ प्रतिशत कर लगा दिया गया जो बाद में २ प्रतिशत कर दिया गया। बम्बई ने १८६३ ई० में ६३ प्रतिशत स्थानीय कर लगा दिया जिसका ३ केवल शिक्षा को नियत कर दिया। इसी प्रकार सिन्ध ने १८६५ ई० में, मद्रास ने १८६६ तथा आसाम ने १८७६ ई० में इसी प्रकार के स्थानीय-कर लगाये, जिनका कुछ उचित अंश प्राथमिक शिक्षा के लिये नियत कर दिया गया।

गाँवों के अतिरिक्त नगरों में मकानों पर इस प्रकार का कर लगाया गया जिसका प्रबन्ध नगरपालिकाओं को सौंप दिया गया। किन्तु इन नगरपालिकाओं ने संतोष जनक कार्य नहीं किया और उस समय प्राथमिक शिक्षा में कुछ अधिक योग न दे सकीं। परिणामतः गाँवों से जो रुपया भूमि की मालगुजारी पर कर के रूप में इकट्ठा किया जाता था उसका अधिकांश नगरों में व्यय होने लगा अतः आगे चल कर भारतीय शिक्षा कमीशन ने गाँव और नगरों के स्थानीय करों को अलग २ करने की सिफारिश की। कहीं २ पर यह कर माध्यमिक तथा कालेज शिक्षा पर भी व्यय कर दिया जाता था यद्यपि इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का विकास था। यहाँ तक कि कुछ प्रान्तों में तो शिक्षा कर को शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी व्यय किया गया। अन्त में १८७१ ई० में जाकर ही इस विषय में निश्चित आदेश हुए।

बंगाल में यद्यपि स्थानीय शिक्षा-कर नहीं लगाया गया था किन्तु वहाँ सरकारी अनुदान के कारण देशी प्राथमिक शिक्षा का खूब विकास हुआ तथा 'सर्किल-स्कूल-प्रथा' चालू की गई जो कालान्तर में नार्मल स्कूल प्रथा में परिवर्तित हो गई।

इस प्रकार १८७१ ई० से १८८२ ई० तक प्राथमिक शिक्षा का भारत में पर्याप्त विकास हुआ। परिणामतः १८८२ ई० में बम्बई ८२६१६ स्कूल थे जिनमें लगभग २१

लाख बालक शिक्षा पाते थे जबकि १८७१ई० में केवल १६४७३ स्कूल थे जिनमें ६॥ लाख बालक थे । तथापि भारत की जन-संख्या को देखते हुए साक्षरता का प्रतिशत बहुत नीचा था । वास्तव में धनाभाव, सरकार की नीति तथा उदासीनता इत्यादि कुछ ऐसे कारण थे जिन के कारण प्राथमिक शिक्षा में आशाजनक परिणाम उपलब्ध न हो सके । देश की जन-संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही थी किन्तु शिक्षा विकास बहुत मंदगति से हो रहा था । अतः शिक्षा क्षेत्र में किसी अधिक उदार और जागृत नीति की आवश्यकता थी । साथ ही जैसा कि पहिले कहा जा चुका है कि १८५७ ई० के विद्रोह के उपरान्त सरकारी अफसरों ने ईसाई पादरियों के प्रति अपना रुख कड़ा कर दिया था और सरकारी शिक्षालय एक प्रकार से ईसाई मिशनरी शिक्षालयों से प्रतिस्पर्धा करने लगे थे । पादरियों ने फलतः भारत तथा इंग्लैंड में एक आन्दोलन खड़ा कर दिया था । उन्होंने सरकारी अफसरों को नास्तिक तथा स्कूलों को 'ईश्वर विहीन' और 'अधार्मिक' कहा । इन्हीं सब कारणों के फलस्वरूप १८८२ ई० का प्रसिद्ध 'भारतीय शिक्षा कमीशन' नियुक्त हुआ ।

बारहवाँ अध्याय

हन्टर कमीशन तथा उसके उपरान्त

(१८८२ ई०-१९०४ ई०)

(क) हन्टर कमीशन

भूमिका

हम पिछले अध्याय में संकेत कर चुके हैं कि १८५४ ई० के आशा-पत्र के उपरान्त भारत में ईसाई पादरियों को सहायता-अनुदान-प्रथा के कारण जो आशा बँधी थी वह पूरी न हो सकी। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस युग में सरकारी शिक्षा विभाग की नीति ऐसी रही जिससे कालेज की उच्चशिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा की अधिक उन्नति हुई और प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना की गई, किन्तु इसके साथ ही पादरियों ने भी एक आन्दोलन चलाया। वास्तव में वह भारत में शिक्षा के द्वारा धार्मिक प्रचार कर रहे थे अतः शिक्षा सस्थाओं पर अपना पूर्ण अधिकार चाहते थे। यही कारण था कि वह शिक्षा-विभाग द्वारा खोले हुए राजकीय स्कूलों को नहीं चाहते थे। साथ ही सरकार की धार्मिक तटस्थता की नीति भी उन्हें अस्वीकार्य प्रतीत होती थी। अतः वह आन्दोलन करने लगे कि भारत में शिक्षा नीति १८५४ ई० के आशा-पत्र के विरुद्ध जा रही है। इस आन्दोलन की लपटें इंग्लैंड तक पहुँच गईं और वहाँ भी 'जनरल काउंसिल ऑव एज्युकेशन इन इंडिया' नामक एक संगठन बना लिया गया जिसमें लार्ड हैलोफैक्स तथा लार्ड लारेंस जैसे व्यक्ति सम्मिलित थे। १८८२ ई० के प्रारम्भ में जब लार्ड रिपन भारत के वायसराय पद पर नियुक्त हुए तो इस संगठन के प्रतिनिधियों ने अपना एक शिष्ट मंडल उनसे मिलने भेजा जिसने भारतीय शिक्षा की जाँच करने की प्रार्थना की।

लार्ड रिपन ने उत्तर दिया कि :

'१८५४ ई० के आशापत्र ने वास्तविक भारतीय शिक्षा-नीति को स्पष्टतः तथा जोरदार शब्दों में निर्धारित कर दिया है और मेरी इच्छा भी इसी नीति पर चलने की रहेगी।.....भारत पहुँचने पर यह मेरा कर्तव्य होगा कि इस प्रश्न की पूर्ण जाँच वहाँ उपलब्ध सूचना के आधार पर करूँ। किन्तु मैं नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर पक्षपात का दोष लगेगा यदि मैं यह स्वीकार करूँ कि इस समय भी भारत के निर्धनों में प्राथमिक शिक्षा के विकास व प्रसार की आपकी इच्छा के साथ

मेरी पूर्ण सहानुभूति है। इंग्लैंड में यह प्रश्न कई वर्षों से मेरे लिये विशेष अनुराग का रहा है; और भारत पहुँचने पर भी यह कम न होगा।”

नियुक्ति

तदनुसार भारत आने पर ३ फरवरी १८८२ ई० को लार्ड रिपन ने विलियम हंटर की अधीनता में, जोकि वाइसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे, प्रथम भारतीय शिक्षा-आयोग की नियुक्ति की। श्री हंटर के इस कमीशन के चेयरमैन होने के कारण कभी २ इसका नाम ‘हंटर कमीशन’ भी लिया जाता है। चेयरमैन के अतिरिक्त इसमें अन्य २० सदस्य और थे जिनमें भारतीय प्रतिनिधि सैयद महमूद, भूदेव मुकर्जी, आनंदमोहन बोस, के० टी० तैलम इत्यादि तथा पादरियों के प्रतिनिधि मद्रास के डा० मिलर थे। श्री बी० एल० राइम, शिक्षा संचालक मैसूर, इसके मंत्री नियुक्त हुए।

उद्देश्य

जैसाकि पूर्व विदित है १८५४ ई० के आज्ञापत्र की प्रमुख नीति, जैसा कि स्टार्क ने कहा है, सरकार के प्रयत्नों को उच्च शिक्षा से हटा कर जन-साधारण की प्राथमिक शिक्षा की ओर ले जाने की थी। साथ ही भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिये जनता में सरकार की तत्कालीन नीति से कुछ असंतोष भी था और इंग्लैंड में भी १८८० ई० में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिये ‘एलामैन्टरी एज्युकेशन ऐक्ट’ पास हो चुका था। अतः इस कमीशन ने भी भारत में प्राथमिक शिक्षा की जाँच की प्रथमता दी। विश्वविद्यालय शिक्षा, औद्योगिक तथा योरुपीय शिक्षा इत्यादि विषय इसकी जाँच के विषय नहीं थे। संक्षेप में कमीशन को निम्नलिखित बातों की जाँच करनी थी : (१) प्राथमिक शिक्षा की अवस्था तथा उसके विकास के उपाय; (२) सरकारी शिक्षालयों की अवस्था तथा उनकी आवश्यकता; (३) मिशनरी शिक्षालयों का भारतीय शिक्षा में स्थान तथा (४) व्यक्तिगत प्रयास के प्रति सरकार की नीति। सहायता-अनुदान-प्रथा की जाँच भी कमीशन को सौंपी गई। इसके अतिरिक्त माध्यमिक तथा कालेज शिक्षा के विषय में भी कमीशन ने अपने सुझाव दिये।

इस आयोग का वास्तविक उद्देश्य “विशेषतः उस विधि की जाँच करना था जिसके अनुसार सन् १८५४ ई० के घोषणा-पत्र के सिद्धान्तों को कार्यान्वित किया गया था; तथा उस घोषणा-पत्र में निहित नीति को भविष्य में भी अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये ऐसे सुझाव देना था जो कि आयोग के मतानुसार वांछनीय हों।”

इस प्रकार नियुक्ति के उपरान्त कमीशन ने लगभग दो माह तक कलकत्ता में

१ स्टार्क—पृष्ठ १०५

२ डा० जॉनर द्वारा उद्धृत—एज्युकेशन इन इंडिया—पृष्ठ ८५।

अपनी बैठकें कीं और तदुपरान्त ८ माह तक सारे देश का भ्रमण किया। इस कठिन परिश्रम के उपरान्त कमीशन ने अपनी ६०० पृष्ठों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके साथ में कुछ प्रान्तीय रिपोर्टें भी थीं। इस प्रकार भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास देते हुए उन्होंने भावी-शिक्षा-विकास के लिये बहुत से महत्त्वपूर्ण सुझाव रखे।

सिफारिशें

यहाँ संक्षेप में हम कमीशन के द्वारा की गई सिफारिशों का वर्णन करते हैं। यहाँ एक बात स्मरणीय है कि प्रायः कमीशन ने उन्हीं बातों को कुछ घटा-बढ़ाकर दुहराया जिन्हें १८५४ ई० के आज्ञा-पत्र द्वारा कुछ वर्ष पूर्व ही स्वीकार कर लिया गया था।

देशी शिक्षा—कमीशन ने देशी शिक्षालय का आभिप्राय उस स्कूल से लिया 'जोकि भारतवासियों द्वारा भारतीय प्रणालियों के आधार पर संचालित हो।' इन स्कूलों के विकास, संरक्षण तथा इन्हें नये ढाँचे में सम्मिलित करने के लिये कमीशन ने सिफारिश की। यह बात अनुभव की गई कि अनन्त काल की कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करते हुए भी देशी स्कूल आज तक जीवित हैं, यह उनकी 'सजीवता तथा सर्वाभ्रियता' का द्योतक है। मद्रास और बंगाल के उदाहरणों ने यह भी सिद्ध कर दिया था कि इन देशी स्कूलों को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना संभव है। अतः कमीशन ने कहा कि "देशी स्कूलों को यदि सरकार हमारे सुझावों के अनुसार स्वीकार कर लेती है तथा सहायता देती है तो अवश्य ही उनकी शिक्षण-प्रणाली में सुधार की आशा की जा सकती है और इस प्रकार वह सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय शिक्षा में एक महत्त्वपूर्ण स्थान की पूर्ति कर सकते हैं।"^१

इन स्कूलों के प्रबन्ध के लिए कमीशन ने ऐसे जिला बोर्ड तथा म्युनिसिपल बोर्ड, जिनमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो, निर्माण करने को सिफारिश की तथा उनके पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप करने का निषेध किया। इन स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर उत्साहित करने का सुझाव भी रखा। अन्त में इनका पाठ्यक्रम, पाठ्यविधि तथा परीक्षा इत्यादि के मानदंड के लिये प्रत्येक प्रान्त को स्वतंत्र रखा गया। पाठ्यक्रम में कुछ उपयोगी विषयों के सम्मिलित करने के लिये कुछ विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की। इस प्रकार जो देशी शिक्षा इतने दिनों से उचित संरक्षण के अभाव में प्रायः जर्जरित हो चुकी थी पुनः संरक्षण का आश्वासन पाकर प्रगति करने लगी। किन्तु इतना अवश्य है कि कमीशन ने जिस 'परीक्षाफल के अनुसार वेतन' प्रथा (Payment by Results) को माध्यमिक

कालेजीय-शिक्षा के लिये बुरा बताया था उसी को देशी शिक्षा के लिये स्वीकृत करके देशी शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी परम्परा को जन्म दिया जिसके कारण प्रायः सभी प्रान्तों में प्राथमिक शिक्षा में सहायता-अनुदान-प्रथा के नियमों के ऊपर उपर्युक्त नियम का अधिपत्य हो गया जिससे देशी स्कूलों की स्वाभाविक प्रगति में कुछ बाधा पड़ी।

प्राथमिक शिक्षा:—प्राथमिक शिक्षा के विषय में शिक्षा-कमीशन ने सबसे अधिक रुचि दिखलाई। वास्तव में यह उनकी जाँच का प्रमुख विषय था; अतः उन्होंने निर्भीक होकर स्वीकार किया कि “जबकि शिक्षा के प्रत्येक विभाग में राजकीय संरक्षण का औचित्य स्वीकार किया जा सकता है.....तो जनसमूह की शिक्षा, इसकी उपलब्धि, प्रसार तथा उन्नति तो शिक्षा-प्रणाली का वह भाग है जिसके लिये सरकार के अथक प्रयास भूतकाल की अपेक्षा एक बृहत्तर पैमाने पर प्रारम्भ किये जाने चाहिये।” इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये कमीशन के प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न अंगों जैसे नीति, संगठन, पाठ्यक्रम, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा आर्थिक व्यवस्था इत्यादि के विषय में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं।

प्राथमिक शिक्षा की नीति के विषय में घोषणा करते हुए कमीशन ने सिफारिश की कि इसे मातृभाषा के द्वारा दिये जानी वाली ऐसी शिक्षा समझना चाहिये जो कि जन-साधारण के जीवन के व्यवहारिक पक्ष से सम्बन्धित हो न कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिये एक साधन मात्र। इसके अतिरिक्त सरकार को चाहिये कि इसे पहिले से भी कहीं अधिक संरक्षण प्रदान करे। सरकारी निम्नपदों पर नियुक्ति में ऐसे लोगों को प्रमुखता दी जाय जो लिखना पढ़ना जानते हों। तथा ऐसे जिलों में जो शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हों, जैसे वह स्थान जहाँ आदिवासी रहते हों, वहाँ शिक्षा विभाग के प्रयत्नों तथा उदार आर्थिक सहायता द्वारा प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाय।

संगठन के विषय में कमीशन ने सारा प्रबन्ध जिला तथा न्युनिसिपल बोर्डों को सौंप दिया। इन स्थानीय बोर्डों का निर्माण लार्ड रिपन ने ‘काउन्टी काउंसिल्स आफ इंग्लैंड’ के आधार पर कराया था। इंग्लैंड में भी प्राथमिक शिक्षा काउन्टी काउंसिलों (जिला-परिषद्) के आधीन कर दी गई थी। इसी प्रकार भारत में भी ‘लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट’ के पास होने पर जिला बोर्ड का निर्माण हुआ और ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा का भार इन पर डाल दिया गया। शिक्षा का सम्पूर्ण दायित्व—व्यय, निरीक्षण, प्रबन्ध तथा विकास इन्हीं बोर्डों को दिया गया। इस प्रकार का व्यवस्था से सरकार एक प्रकार से प्राथमिक शिक्षा के भार से जो कि उसका प्रथम कर्त्तव्य था मुक्त हो गई। पाठ्यक्रम इत्यादि के लिये सभी प्रान्तों को अपनी-अपनी परम्परा अनुकरण करने की स्वतंत्रता दी गई।

प्राथमिक शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था के लिये कमीशन ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव रखे। प्रथमतः जिलाबोर्ड तथा म्युनिसिपल बोर्डों को आदेश दिये गये कि वह प्राथमिक शिक्षा के लिये अलग फंड निर्धारित कर दें। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी नगरों तथा गाँवों के हिसाब भी प्रथक् कर दिये जाँय जिमसे गाँवों की धनराशि नगरों पर व्यय न हो सके। साथ ही स्थानीय फंड के व्यय के विषय में कमीशन ने यह निश्चित कर दिया कि वह एक मात्र प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय किये जाँय। अन्त में स्थानीय फंड में उचित आर्थिक सहायता प्रदान करना भी प्रान्तीय सरकारों का कर्तव्य है ऐसी सिकारिश भी कमीशन ने की; किन्तु इस सहायता की धनराशि अनिश्चित ही रही। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का भार प्रधानतः स्थानीय फंड पर ही रहा, प्रान्तीय सरकार का शिक्षा अनुदान तो एक गौण सहायता के रूप में ही रहा। तथापि स्थानीय फंड में सहायता देने में प्रान्तीय सरकारों के समक्ष यह आदर्श रक्खा गया कि वह कम से कम स्थानीय धनराशि का ३ अथवा कुल व्यय का ५ प्रदान करें। किन्तु यह कहना व्यर्थ है कि यह सहायता भारतीय जनसंख्या को देखते हुए कितनी अपर्याप्त थी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के लिये आर्थिक व्यवस्था करने में कमीशन का उद्देश्य उसके लिये वर्तमान परिस्थितियों में अधिक से अधिक सुविधा प्रदान कराने का रहा। अतः उन्होंने घोषणा की कि, “प्राथमिक शिक्षा को सम्पूर्ण जन-शिक्षा का वह भाग घोषित कर देना चाहिये जोकि शिक्षा के निमित्त निर्धारित स्थानीय फंड पर अपना एकमात्र विशेषाधिकार तथा प्रान्तीय आय पर भी एक बहुत बड़ा अधिकार रखती है।”

इसके अतिरिक्त कमीशन ने शिक्षकों के लिये अधिक नार्मल स्कूल खोलने पर भी जोर दिया जिससे कम से कम एक डिप्लोमेटिक इन्स्पेक्टर के अन्तर्गत एक नार्मल स्कूल हो जाय। पाठ्यक्रम के विषय में कमीशन ने पर्याप्त उदारता दिखलाई। उन्होंने प्रत्येक प्रान्त को अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्रता दे दी और सम्पूर्ण देश के लिये एक सा ही पाठ्यक्रम निश्चित नहीं किया। पाठ्यक्रम में उन्होंने कुछ व्यवहारिक व जीवनोपयोगी विषय जैसे बहीखाता, क्षेत्रमिति, भौतिक विज्ञान तथा कृषि और चिकित्सा में उनकी उपयोगिता इत्यादि और सम्मिलित कर दिये।

माध्यमिक शिक्षा—माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कमीशन ने शिक्षा-विस्तार तथा तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोषों के दूर करने के साधनों को बताया। शिक्षा-प्रसार के लिये उसने सिकारिश की कि इस क्षेत्र में से सरकार को क्रमशः पूर्णतः निकल आना चाहिये और माध्यमिक शिक्षा को योग्य तथा समर्थ भारत-वासियों के हाथ में सौंप देना चाहिये और उनकी सहायता के लिये शिक्षा सहायता-अनुदान-प्रथा का उदारता तथा बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रयोग होना चाहिये।

जब कि प्राथमिक शिक्षा को सरकार का प्रमुख कर्त्तव्य समझा गया, माध्यमिक शिक्षा को कुछ कम महत्त्व दिया गया; अतः कमीशन ने सिफारिश की कि सहायता-अनुदान द्वारा जहाँ तक हो सके माध्यमिक शिक्षा में सहायता देकर सरकार शीघ्र उसके उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाये। तथापि यह भी निश्चय हुआ कि सरकार प्रत्येक ऐसे जिले में एक हाई स्कूल आदर्श-स्कूल के रूप में रखे “जहाँ जन-हित के लिये ऐसे स्कूल रखना आवश्यक हो, और जहाँ जनता स्वयं सहायता-अनुदान के आश्रय पर ही स्कूल चलाने के लिये पर्याप्त रूप से प्रगतिशील तथा धनवान न हो।”^१ किन्तु ऐसा स्कूल जिले में एक से अधिक नहीं हो सकता। जिले को सम्पूर्ण शिक्षा आवश्यकता की पूर्ति के लिये जनता स्वयं इसका उत्तर दायित्व ले। इसके लिये प्रोत्साहन देने के लिये कमीशन ने यह भी सिफारिश की कि व्यक्तिगत शिक्षालयों के प्रबन्धक राजकीय-विद्यालयों से कम फीस बालकों से ले सकते हैं।

माध्यमिक शिक्षालयों में शिक्षा सुधार के लिये कमीशन ने हाईस्कूल शिक्षा को दो भागों में बाँट दिया : (१) ‘अ’ कोर्स तथा (२) ‘ब’ कोर्स। प्रथम कोर्स विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिये था। दूसरा एक व्यावहारिक कोर्स था जिसमें व्यापारिक असाहित्यिक तथा उपयोगी विषय पढ़ाये जाने को थे। शिक्षा के माध्यम के विषय में कमीशन ने बड़ी असंतोषजनक सिफारिशें कीं। इसने माध्यमिक स्कूलों में मातृभाषा के प्रयोग का कोई उल्लेख तक न किया। संभवतः कमीशन अँग्रेजी के पक्ष में था। मिडिल स्कूलों के लिये भी इसने कोई निश्चयात्मक नीति निर्धारित नहीं की और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसे स्कूल के प्रबन्धकों पर ही छोड़ दिया।

उच्च शिक्षा—जैसा कि कहा जा चुका है कि कमीशन को विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा की अवस्था की जाँच करने से निषेध कर दिया गया था, किन्तु इसने कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव कालेज शिक्षा के लिये भी रखे। कमीशन ने यह तो घोषित कर ही दिया था कि सरकार को शीघ्र ही उच्च शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाना चाहिये। इसके लिये प्रत्येक कालेज को सहायता देने में “सहायता-दर; शिक्षकों की संख्या, कालेज संचालन-व्यय का परिमाण, कालेज की कार्यक्षमता तथा उस स्थान की आवश्यकताओं”^२ का ध्यान रखना चाहिये। आवश्यकता पड़ने पर विशेष सहायता जैसे भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय तथा विज्ञान का सामान इत्यादि के लिये देने की भी व्यवस्था की गई। बिना फीस पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या नियत कर दी गई। शिक्षा समाप्त होने पर

१. शिक्षा कमीशन की रिपोर्ट पृष्ठ २५४।

२. शिक्षा कमीशन की रिपोर्ट (कीनेजियट एज्यूकेशन) पैरा २

इनके रोजगार की सिफारिश तथा योग्य विद्यार्थियों को विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये सुविधा प्रदान करने की और भारत में विभिन्न कालेजों में एक ऐसे विस्तृत पाठ्यक्रम के लागू करने की जोकि विद्यार्थियों के रुचि-वैचित्र्य के लिये लाभदायक हो सके, कमीशन ने सिफारिश की।

इसके अतिरिक्त प्रधानाध्यापक अथवा किसी अन्य शिक्षक के द्वारा नैतिक उपदेशों की एक व्याख्यानमाला जारी करने का सुझाव भी कमीशन ने रखवा और एक ऐसी पाठ्य-पुस्तक की रचना का आदेश दिया जो मानव-धर्म के मूल-भूत सिद्धान्तों तथा प्रकृति-धर्म पर आधारित हो। किन्तु कमीशन ने व्यक्तिगत कालेजों को राजकीय कालेजों की अपेक्षा कम फीस स्वीकार करने का अधिकार देकर एक अवांछनीय स्पर्धा तथा अयोग्य और निम्नकोटि की शिक्षा-संस्थाओं को जन्म दिया।

मिशनरी प्रयास: - १८५४ ई० के आज्ञापत्र से पादरियों को यह आशा बँधी थी कि भारतीय शिक्षा-क्षेत्र में उन्हें एकाधिकार प्राप्त हो जायगा और अन्ततः वह ही सम्पूर्ण देश की शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। ऐसा न होने पर उन्होंने इङ्ग्लैंड में आन्दोलन किया था जिसके फलस्वरूप इस कमीशन की नियुक्ति हुई थी। किन्तु इस कमीशन की सिफारिशों ने तो उनकी आशाओं पर तुषारापात ही कर दिया। इस विषय में कमीशन की सिफारिशें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय बोर्डों के अन्तर्गत कर देने से पादरियों को अधिक आपत्ति नहीं हुई थी क्योंकि उनके अधिकार में प्राथमिक शिक्षा तो नाम मात्र को ही थी। किन्तु कमीशन की इस सिफारिश ने कि, माध्यमिक तथा कालेजीय शिक्षा-क्षेत्र से सरकार को व्यक्तिगत प्रवन्धकों के हाथों में उसे सौंप कर शीघ्र ही हट जाना चाहिये, पादरियों के हृदयों में एक झुझती हुई आशा को पुनः जगा दिया। किन्तु ऐसा भी न हो सका। कमीशन ने इस विषय में बहुत सावधानी से काम लिया और इस बात को स्पष्ट कर दिया कि “व्यक्तिगत प्रयास का अभिप्राय स्वयं जनता के प्रयास से है। यदि शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा साधनों से करनी है तो स्वयं भारत-वासी ही इसके सबसे महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि, “भारत जैसे देश में जिसमें शिक्षा की आवश्यकताएँ विभिन्न हैं, हम किसी भी ऐसे तरीके के विरुद्ध हैं जिसके द्वारा सम्पूर्ण उच्च शिक्षा को केवल एक दल के हाथ में ही सौंप दिया जाय, और विशेषतः एक ऐसे दल के हाथ में जो चाहे जितना उदार और सच्चा हो, जन-समूह की विभिन्न भावनाओं के साथ सहानुभूति नहीं रख सकता हो।..... साथ ही हम एक मत होकर यह लिख देना आवश्यक समझते हैं कि शिक्षा-विभाग के प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व का शिक्षा क्षेत्र में से हट जाने का अर्थ यह नहीं होता है कि हम उसे मिशनरियों के हाथ में सौंप दें। शिक्षा-

विभाग द्वारा संचालित उच्च-शिक्षालय कदापि पादरियों के प्रबन्ध में नहीं जाने चाहिये।”^१ इस प्रकार पादरियों की स्थिति को व्यक्तिगत प्रयास में जनता द्वारा संगठित शिक्षालयों की तुलना में एक निम्नतर कक्षा दी गई। इससे भारतीय जनता को विदित हो गया कि जबतक वह स्वयं शिक्षा का अधिकतर उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लेती है, राष्ट्रीय शिक्षामदति में विकास और सुधार की आशा नहीं।

सरकार का शिक्षा क्षेत्र से क्रमिक पलायन:—कमीशन की नीति यह थी कि सरकार क्रमशः जन-शिक्षा के भार से मुक्त हो जाय और उसे स्वयं भारतीय जनता के हाथों में सौंप दे क्योंकि सरकार ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि शिक्षा पर व्यय करने के लिये उसके पास धन का अभाव था अतः जनता को अपना धन अपनी शिक्षा के लिये लगाना चाहिये। इस तरह जो सरकारी धन बचेगा वह अधिक स्कूलों को सहायता प्रदान करने में व्यय किया जा सकेगा। अतः जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध था उसे स्थानीय बोर्डों के अन्तर्गत कर दिया गया और माध्यमिक तथा कालेजीय शिक्षा को शिक्षा-विभाग की देखरेख में व्यक्तिगत संस्थाओं को हस्तांतरित कर देने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार नये खुलने वाले शिक्षालयों को सब प्रकार से सहायता देने का वचन दिया गया और राजकीय-शिक्षालयों को स्थानीय प्रबन्धकों को देने पर उनके सभी कागजपत्र, भवन, पुस्तकें तथा अन्य सामान भी प्रबन्धकों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई तथा उनके अधिकारों को सुरक्षित रक्खा गया। इस प्रकार कमीशन ने सरकार को राष्ट्रीय शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया।

सहायता-अनुदान-प्रथा—व्यक्तिगत शिक्षालयों के लिये कमीशन ने अनुदान-प्रथा के सुधार तथा विकास पर विशेष जोर दिया। इस विषय में कमीशन ने भिन्न-भिन्न प्रान्तों में चालू-अनुदान-प्रथा के नियमों का अध्ययन किया। बम्बई में ‘परीक्षा-फल के अनुसार वेतन’ प्रथा (Payment by results); मद्रास में ‘वेतन-अनुदान-प्रथा’ (Salary Grant System) तथा उत्तरी भारत और मध्यप्रान्त में ‘नियत कालीन-प्रथा’ (Fixed Period System) प्रचलित थीं। इन सब प्रथाओं का अध्ययन करके कमीशन ने प्रत्येक प्रान्त को इस विषय में स्वतन्त्रता दे दी तथा कुछ सर्वमान्य कसौटी नियत करके प्रत्येक प्रान्त को आदेश दे दिये। इनके अनुसार सरकारी और गैर-सरकारी का भेद भी मिटा दिया गया; अनुदान-नियम अधिक उदार कर दिये गये; आन्तरिक प्रबन्ध में हस्तक्षेप निषिद्ध कर दिया गया तथा प्रबन्धकों की सहायता तथा पथ-प्रदर्शन के लिये कुछ ऐसे शिक्षालय-अधिकारी नियुक्त कर दिये गये जो उनके विश्वासपात्र बन सकें।

विशिष्ट शिक्षा—इन सब बातों के अतिरिक्त कमीशन ने कुछ विशेष प्रकार की शिक्षा जैसे स्त्री शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, राजकुमारों की शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, आदिवासियों की शिक्षा, तथा धार्मिक शिक्षा इत्यादि पर भी अपने विचार प्रकट किये ।

स्त्री शिक्षा के लिये कमीशन ने लड़कियों के स्कूलों को उदार सहायता, अध्यापिकाओं को वेतन-अनुदान, उनके लिये नार्मल स्कूल, लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा के लिये सरल पाठ्यक्रम तथा निरीक्षण के लिये अलग निरीक्षिका नियुक्त करने की सिफारिशें कीं । मुसलमानों में हिन्दुओं की अपेक्षा कम शिक्षा पाकर उनके लिए विशेष सुविधाओं की सिफारिश की गई । अतः मुसलमान विद्यार्थियों के लिये अधिक क्षात्रवृत्ति, मुसलमानों नामल स्कूल, मुसलमान शिक्षा-निरीक्षक तथा मुसलमानी विशेष मिडिल तथा हाईस्कूलों की स्थापना की सिफारिश की । धार्मिक शिक्षा क्षेत्र में कठोर धार्मिक तटस्थता की पूर्व नीति का समर्थन किया; साथ ही नैतिक शास्त्र पर एक पाठ्यपुस्तक की रचना तथा व्याख्यानमाला की सिफारिश की । राजकुमारों तथा सरदारों के लड़कों के लिये विशेष शिक्षालय खोलने को कहा । प्रौढ़ शिक्षा ने भी उनका ध्यान आकर्षित कर लिया था और उसके लिये रात्रि पाठशालाओं की सिफारिश की । आदिवासियों के लिये प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश की ।

परिणाम—कमीशन की सिफारिशों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय बोर्डों और नगरपालिकाओं को दे दिया गया । माध्यमिक शिक्षा के लिये व्यक्तिगत स्कूलों को खूब प्रोत्साहन दिया गया । सरकार ने यद्यपि अपनी शिक्षा संस्थाओं को स्थानीय प्रबन्धकों को नहीं दिया, किन्तु अधिक विद्यालय खोलना बन्द कर दिया । इस प्रकार धार्मिक शिक्षा के विषय में की गई सिफारिशों को छोड़कर सरकार ने उसकी सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया ।

अधिकांश में कमीशन ने १८५४ ई० के आज्ञा-पत्र की नीति का ही समर्थन किया । शिक्षा विभाग का निरीक्षण कार्य बढ़ जाने से स्कूलों पर उसका अनुचित अविप्लव भी हो गया । किन्तु इससे राजकीय और अराजकीय प्रयत्नों में पारस्परिक साम्य तथा सहकारिता का भावना भी उत्पन्न हो गई और यह भी प्रमाणित हो गया कि इस सहकारिता के आधार पर प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा सङ्गठन करने की सम्भावना है । हाई स्कूल में औद्योगिक शिक्षा की सिफारिश करके कमीशन ने यह संकेत किया कि हमारी शिक्षा आवश्यकता से अधिक पुस्तकीय होती जा रही थी ।

(ख) शिक्षा-प्रगति (१८८२-१९०४ ई०)

विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षा

भारतीय शिक्षा कमीशन की सिफारिशों के उपरान्त देश में कालेजों की बहुत वृद्धि हुई। सन् १८८२ ई० में पंजाब तथा १८८७ ई० में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना लाहौर यूनिवर्सिटी कालेज, जिसमें प्राच्य ज्ञानशाखा भी सम्मिलित थी, से विकसित होकर हुई थी। इसमें एक लॉ कालेज भी सम्मिलित कर दिया गया। एक विशेष बात इस विश्वविद्यालय के विषय में उल्लेखनीय है वह यह है कि इसमें भाषा का माध्यम अंग्रेजी न रख कर उर्दू तथा हिन्दी रखा गया। अरबी, फारसी तथा संस्कृत में उच्च उपाधियों के वितरण की व्यवस्था भी इसमें की गई।

जहाँ तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है इसकी स्थापना का प्रश्न १८६९ ई० में भी उठा था। १८७२ ई० में संयुक्तप्रान्त के गवर्नर श्री म्योर ने किराये के मकान में एक केन्द्रीय कालेज की स्थापना इलाहाबाद में कर दी थी। १८८२ ई० में पंजाब में विश्वविद्यालय की अलग स्थापना हो जाने के कारण यह आवश्यक समझा गया कि संयुक्तप्रान्त के लिये भी एक विश्वविद्यालय अनिवार्य है। अब तक यहाँ के कालेजों का सम्बन्ध कलकत्ता विश्वविद्यालय से था जो कि प्रबन्ध तथा पाठ्य-क्रम की कठिनाइयों के कारण अब असम्भव प्रतीत होता था। अतः १८८७ ई० में एक विशेष कानून के द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसमें परीक्षाओं के अतिरिक्त पढ़ाने की भी व्यवस्था रखी गई।

इस प्रकार भारत में पाँच विश्वविद्यालय १९ वीं शताब्दि के अन्त तक हो गये। इनके पाठ्य-क्रम प्रायः एक से थे। कुछ समय उपरान्त मद्रास को छोड़ कर सभी ने विज्ञान की कक्षाएँ भी खोल दीं और बी० एस० की उपाधि देना प्रारम्भ कर दिया।

शिक्षा कमीशन की सिफारिशों का अप्रत्यक्ष रूप से कालेजों के विकास पर भी प्रभाव पड़ा। एक तो माध्यमिक स्कूलों के खुलने तथा उनमें विद्यार्थियों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई संख्या के कारण यह आवश्यक हो गया कि उनकी उच्च शिक्षा के लिये नये कालेज खोले जाँय। अधिकतर विद्यार्थी कालेजों में जाना भी चाहते थे क्योंकि उच्च शिक्षा के उपरान्त ही वह सरकारी उच्चपद पाने की आशा कर सकते थे। दूसरे कमीशन ने भारतीय शिक्षा में व्यक्तिगत प्रयास को भी प्रोत्साहन दिया था, अतः शिक्षित भारतीयों ने इस और आश्चर्य-जनक प्रगति की यहाँ तक कि उनके द्वारा संचालित कालेजों की संख्या मिशनरियों के कालेजों से भी अधिक बढ़ गई।

सन् १९०२ ई० में जबकि ईसाई कालेजों की संख्या ३७ थी तो भारतीयों के कालेजों की संख्या ४२ थी । इस प्रकार कालेजों की संख्या बढ़ती जा रही थी । १८८२ ई० में ६८ कालेजों से लेकर १९०२ ई० में इनकी संख्या १७६ हो गई । इनमें से १३६ कालेज ब्रिटिश भारत में थे जिनमें १२ कालेज स्त्री-शिक्षा के लिये थे । ईसाइयों ने कमीशन तथा सरकार की नीति से दुखी होकर उच्च शिक्षा की ओर अधिक रुचि नहीं दिखालाई । अतएव अधिकांश में यह कालेज भारतवासियों द्वारा ही संचालित थे ।

इस दौरान में १८८५ ई० में भारत में 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' की स्थापना तथा उसके उपरान्त राष्ट्रीय आन्दोलन भी शिक्षा-प्रसार में अपना विशेष महत्त्व रखते हैं । 'कलकत्ता कमीशन रिपोर्ट' में इसका उल्लेख मिलता है:—

“यह सहस्रों विद्यार्थी जो कि दो पीढ़ियों से बंगाल के योग्यतम सुपुत्र हैं, अंग्रेजी भाषा पढ़ना सिखाये गये । इस भाषा की व्यवहारिक उपयोगिता के कारण प्रथमतः इसे अध्ययन करने के उपरान्त वह अंग्रेजी साहित्य-सरोवर से जलपान करने लगे जो कि वस्तुतः स्वतंत्रता का साहित्य है । बेकन, मिल्टन, लॉक, बर्क वर्ड्सवर्थ तथा बाइरन की विचारधाराएं उनके मष्तिष्कों में बह रही थीं जिनमें स्वराज्य का संदेश था । (इन युवकों के) प्राचीन आदर्श स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत साहस प्रदर्शन के न होकर आत्म-समर्पण तथा आत्म-न्याय के थे । ऐसे विचारों ने जो कि प्राच्य विचारधारा में आत्मसात् नहीं हो सकते थे, लोगों के हृदयों में एक व्याकुलता भर दी । इन विचारों के राजनैतिक परिणामों से हमारा यहाँ सम्बन्ध नहीं है । किन्तु राजनैतिक विचार मानसिक हलचलों से अलग नहीं किये जा सकते; और १८८२ ई० के उपरान्त आने वाली पीढ़ी ने इन नवीन विचारधाराओं का शक्तिशाली प्रभाव शिक्षा प्रणाली के विकास में देखा । ”

तो इस प्रकार राष्ट्रीय आन्दोलन ने भारतीय शिक्षाविकास को इस युग में काफी प्रगति दी । अब तक जो हाईस्कूल थे वह बढ़कर कालेज हो गये । भारतीय यह समझ गये थे कि उनके चरित्रों का निर्माण वह स्वयं ही कर सकते हैं । यद्यपि अब तक अधिकतर कालेजों तथा हाई स्कूलों में अंग्रेज प्रिन्सिपल तथा प्रधान अध्यापक रहते थे और योग्य भारतीयों का अभाव होने के साथ ही साथ उन्हें अयोग्य भी समझा जाता था किन्तु सर आर० पी० परांजपे जैसे उद्भट विद्वानों ने इस ओर भी पथ-प्रदर्शन किया । इस प्रकार कुछ त्यागी भारतीय विद्वानों ने उच्च सरकारी पदों पर न जाकर कालेजों तथा उच्च शिक्षा के स्कूलों का संचालन अपने हाथ में लेकर शिक्षा प्रसार में महान योग दिया । १८८० ई० में पूना में फर्ग्युसन कालेज की स्थापना प्रसिद्ध देश भक्त बालगंगाधर तिलक,

चिपलांकर तथा श्री अणारकर के प्रयत्नों से हो ही चुकी थी। सर सुरेन्द्रनाथ वनर्जी ने कलकत्ता में रिपन कालेज का भार संभाला। उधर आर्य समाज आन्दोलन भी देश में जागृति तथा उद्बोधन का प्राण फूँक रहा था। अतः १८८६ ई० में लाहौर में दयानंद ऐंग्लों बैदिक कालेज की स्थापना हुई जोकि शीघ्र ही उत्तरी भारत का एक प्रमुख कालेज हो गया। सन् १८६८ ई० में श्रीमती ऐनीवेंसेंट ने बनारस में सैन्ट्रल हिन्दू कालेज की नींव डाली जोकि आगे चलकर आज बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ।

आलाचना:—इस प्रकार कालेजों के बढ़ने से विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ी किन्तु शिक्षा का स्तर कुछ गिर गया। रुपये तथा अच्छी पुस्तकों का अभाव, अपर्याप्त भवन तथा अनुभवहीन शिक्षक—इन सभी बातों ने मिलकर शिक्षा के मानदंड को अवश्य गिरा दिया। साथ ही विद्यार्थियों में केवल पुस्तकीय ज्ञान को प्रधानता देने की प्रवृत्ति का विकास होने लगा और उनकी सूक्ष्म निरीक्षण की मौलिकता जाती रही। १८८५ ई० में श्री इलवर्ट ने कहा था कि “ज्यों २ कालेज की शिक्षा बढ़ती जाती है त्यों त्यों उस प्रतीक का मूल्य जिसका कि यह बोध कराती है गिरता जा रहा है।” इसके पूर्व १८७१ ई० में एक प्रिंसीपल ने भी कलकत्ता में यह संकेत किया था कि तत्कालीन शिक्षा से एक प्रकार के ग्रेजुएट जो केवल ‘रटने की मशीन’ कहे जा सकते हैं तेजी से बढ़ रहे हैं। उसने कहा कि :

“बंगाल में बहुत दिनों से शिक्षा का अर्थ अधिकांश में एक अपाच्य ज्ञान का रटना ही लगाया जा रहा है। उच्च गुणों की अवहेलना करके केवल स्मृति का ही विकास किया जा रहा है, अतः विद्यार्थियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया है जो कि, कुछ अच्छे अपवादों को छोड़कर, रटे हुए पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त न तो मौलिकता और न निरीक्षण शक्ति अथवा स्वयं निर्णय शक्ति ही रखते हैं।”

वास्तव जो बात बंगाल के विषय में तब कही गई थी वह भारत के अन्य प्रान्तों के विषय में भी पूर्णतः लागू होती थी और दुर्भाग्य से आज भी अधिकांश में वह पूर्ववत् बनी हुई है। इसी प्रकार की चेतावनी कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति लार्ड लैंसडान ने भी १८८६ ई० में दी थी :—

“मुझे भय है कि हमें यह बात नहीं छिपानी चाहिये कि यदि हमारे स्कूल और कालेज वर्तमान रूप से ही भारतीय युवकों को शिक्षा देते रहे तो हमें आज से अधिक यह शिक्षायात सुनने का अवसर आ सकता है कि हम प्रतिवर्ष ऐसे युवकों को पैदा कर रहे हैं जिन्हें हमने मानसिक शक्तियों से तो सुसज्जित कर दिया है, जो कि स्वयं एक प्रशंसा की बात है, किन्तु व्यवहारतः यह उनके लिये बिल्कुल व्यर्थ है क्योंकि जिन लोगों ने इस प्रकार की शिक्षा पाई है उनके लिये अनुकूल पेशों का देश में पूर्ण अभाव है।”^१

इस प्रकार यह उच्च शिक्षा अपनी समृद्धि तथा विस्तार के साथ ही साथ देश में एक ऐसे शिक्षित वर्ग को जन्म देती जा रही थी जो कि वाह्याभ्यांतर से एक ही टकसाल के ढले हुए सिक्के के समान थे, जिनमें प्राकृतिक विभिन्नता का तुलनात्मक अभाव था तथा जो स्मृति के यंत्र की भौंति व्यवहार करते हुए दृष्टिगोचर होते थे। परीक्षा की बुराई इस प्रकार भारतीय शिक्षा-प्रणाली में जड़ पकड़ती जा रही थी कि ऐसा प्रतीत होने लगा था कि विद्यार्थी 'शिक्षा जीवन के लिये' नहीं अपितु 'शिक्षा परीक्षा के लिये' पा रहे हैं। यहाँ तक कि १९०२ ई० में भारतीय विद्यालय कमीशन ने कहा कि "वह महानतम निकृष्ट बुराई जो कि भारतीय विश्व-विश्वविद्यालयों में पाई जाती है वह यह है कि शिक्षण परीक्षा के आधीन है न कि परीक्षा शिक्षण के।" शिक्षा के आकस्मिक विस्तार से कालेजों का स्तर गिर गया। शिक्षा में व्यापारिक प्रवृत्ति का समावेश भी इसी काल में हुआ जो आज अपनी भयानक सीमाओं को छू रही है और वर्तमान भारतीय शिक्षा-शास्त्रियों के सम्मुख मानो एक प्रकार की चुनौती है।

यहाँ एक बात का उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है। जबकि शिक्षा के विकास के साथ ज्ञान का मानदण्ड गिरता जा रहा था और अधिकांश जों की कार्य-क्षमता का पतन होता जा रहा था, वहाँ कुछ उच्चकोटि के भारतीय नेताओं की राय में यह आवश्यक था कि चाहे शिक्षा का मानदण्ड गिर जाय किन्तु उसका विस्तार आवश्यक है। वस्तुतः उनकी धारणा थी कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिये ही न हो कर जन-समूह के लिये उपलब्ध हो सके और साक्षरता-प्रतिशत बढ़ जाय। उनका यह भी अनुमान था कि समय पाकर शिक्षा के मानदण्ड तथा कालेजों की कार्य-क्षमता को बढ़ाया भी जा सकता है। जैसा कि श्री गोपालकृष्ण गोखले के निम्नलिखित व्याख्यान से प्रकट होता है :—

श्रीमान जी, मेरा विचार है कि—और यह मेरे लिये एक गम्भीर विश्वास की बात है—कि भारत की वर्तमान परिस्थिति में सभी प्रकार की पाश्चात्य शिक्षा अमूल्य तथा लाभदायक है। यदि परिस्थितियों को देखते हुए यह सर्वोत्तम प्रकार की है तो और भी अच्छा। किन्तु यदि यह सर्वोत्तम नहीं भी है तो इस कारण इसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। मेरा विश्वास है कि लोगों का जीवन—चाहे राजनैतिक या सामाजिक या औद्योगिक या मानसिक क्षेत्र में—एक सामूहिक इकाई है।.... मेरे विचार में भारत की वर्तमान अवस्था में अंग्रेजी शिक्षा का महानतम कार्य इतना विद्या को प्रोत्साहन देना नहीं है जितना कि भारतीय मस्तिष्क को पुरानी दुनियाँ के विचारों के बन्धन से मुक्त कराना तथा पश्चिम के जीवन, विचार तथा चरित्र के सर्वोच्च तथा सर्वोत्तम गुणों का तादात्म्य करना है। इसके लिये न केवल सर्वोत्तम किन्तु हर प्रकार की पाश्चात्य शिक्षा

लाभदायक है।”^१ अन्त में हम १९ वीं शताब्दि के भारतीय विश्व विद्यालयों के विषय में इन शब्दों के साथ समाप्त करते हैं कि—

“यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र में बड़े संकीर्ण थे और उच्चशिक्षा की व्याख्या भी वे बड़े संकीर्ण ढंग से करते थे। उनके विरुद्ध यह भी तर्क दिया जा सकता है कि वह अन्वेषण और मौलिक चिन्तन को प्रोत्साहित करने में असफल रहे और उच्च विद्वान तथा वैज्ञानिक उत्पन्न न कर सके। किन्तु इस सम्बन्ध में हमें यह न भूल जाना चाहिये कि उनकी स्थापना बिल्कुल भिन्न उद्देश्यों से हुई थी और जो लोग उनके अस्तित्व के उत्तरदायी थे उनको इच्छा कालान्तर में होने वाले आलोचकों से भिन्न थी।”^२

माध्यमिक शिक्षा

इस युग में माध्यमिक शिक्षा ने सराहनीय प्रगति की। कमीशन की रिपोर्ट के उपरान्त प्रथम दशक में उन्नति की गति अधिक तीव्र रही। सन् १८८२ ई० में स्कूलों की संख्या ३,९१६ थी जोकि १९०२ ई० में ५,१२४ हो गई और विद्यार्थियों की संख्या भी २,१४,०७७ से बढ़कर ५,६०,१२९ हो गई। व्यक्तिगत प्रयास को बहुत प्रोत्साहन मिला। कमीशन की राय के प्रतिकूल माध्यमिक शिक्षा पर शिक्षा-विभाग ने पुनः अपने प्रयत्नों को अधिक केन्द्रित रक्खा; फलतः प्राथमिक शिक्षा की आशा-तीत व बाँझनीय प्रगति में बाधा पड़ी।

माध्यमिक शिक्षालयों में कुछ शिक्षालय तो सरकारी आर्थिक सहायता अनुदान पा रहे थे और कुछ बालकों की फीस तथा थोड़े से चन्दे से ही गुजारा कर रहे थे। इन शिक्षालयों की अवस्था असन्तोष जनक थी। शिक्षा विभाग भी इनमें अधिक हस्तक्षेप नहीं कर सकता था।

कमीशन ने ‘ब’ कोर्स में कुछ औद्योगिक अथवा व्यापारिक विषयों के पढ़ाने की व्यवस्था की थी किन्तु १९ वीं शताब्दी के अन्त तक भी वह दैकल्पिक पाठ्यक्रम अधिक सर्व प्रिय न हो सका और अभी तक माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में मैट्रिक्युलेशन परीक्षा का बोलबाला था। इतना अवश्य है कि प्रायः सभी प्रान्तीय सरकारों ने कुछ न कुछ व्यवहारिक शिक्षा अपने यहाँ पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दी थी। १८८८ ई० में मद्रास ने कुछ टैक्निकल पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिया था। १८९७ ई० में बम्बई ने ‘स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट’ परीक्षा प्रारम्भ कर दी जिसके प्राप्त करने पर ही विश्वविद्यालय में प्रवेश हो सकता था। बम्बई के ‘स्कूल फाइनल

१. गान्धे के व्याख्यान (संस्करण १९२०) पृष्ठ २३४-५ नूस्ला नायक द्वारा उद्धृत।

२. अनाथनाथ वसु—यूनिवर्सिटी एज्युकेशन इन इन्डिया—पारट ऐंड प्रजेन्ट पृष्ठ ४४।

कोर्स' में भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, कृषि तथा मैन्युअल ट्रेनिंग भी सम्मिलित कर दिये गए। सरकारी नौकरी में जाने के लिये इस परीक्षा को अनिवार्य करके सर्वप्रिय करने की चेष्टा बम्बई में की गई। इसी प्रकार १८६८ ई० में इलाहाबाद में 'स्कूल फाइनेल परीक्षा' प्रारम्भ की गई। पंजाब विश्वविद्यालय ने क्लर्क-सम्बन्धी तथा व्यापारिक-शिक्षा प्रारम्भ की। इसी प्रकार १९०० ई० में बंगाल ने भी क्लर्क तथा इंजिनियर तैयार करने के लिये विशिष्ट शिक्षा का आयोजन किया। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक विश्वविद्यालय ने इस पाठ्यक्रम की योजनाओं को कार्यान्वित करने की चेष्टा की, किन्तु जैसा कहा जा चुका है, मैट्रिक्युलेशन परीक्षा की प्रधानता रही और १९०२ ई० में इसमें २३००० परीक्षार्थी बैठे जबकि औद्योगिक पाठ्यक्रम में केवल २००० विद्यार्थियों ने परीक्षा दी।

इसके अतिरिक्त १९०२ ई० तक भारत में छः कालेज खुल चुके थे। संयुक्त प्रान्त में इलाहाबाद में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये कालेज खोला गया। मद्रास विश्वविद्यालय ने भी एल० टी० परीक्षा की व्यवस्था की।

इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति हो रही थी। किन्तु यह दुख की बात है कि शिक्षा के माध्यम के विषय में कमीशन की नीति टिलमिल होने के कारण भारत के किसी भी प्रान्त में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम न बनाया जा सका। इससे बड़ी क्षति हुई और प्रान्तीय भाषाओं के विकास को बड़ा आघात लगा। साथ ही माध्यमिक शिक्षालयों में अंग्रेजी का प्रभुत्व जम गया और ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे मानो शिक्षा का उद्देश्य केवल अंग्रेजी भाषा सीखना ही है। इससे विद्यार्थियों के स्वाभाविक मानसिक विकास पर भी रोक लग गई क्योंकि जितना समय उन्हें विषय को बोधगम्य करने में लगता था उससे अधिक समय विदेशी भाषा के समझने में नष्ट हो जाता था और उसके उपरान्त भी विद्यार्थियों में आत्म-विश्वास उत्पन्न नहीं हो पाता था। इससे उनका स्वाभाविक विकास रुक जाता था।

प्राथमिक शिक्षा :—जैसा कि पहिले लिखा जा चुका है प्राथमिक शिक्षा के लिये शिक्षा कमीशन ने इंग्लैंड की 'काउन्टी काउंसिलों' के आधार पर भारतीय नगरों में नगर पालिकाएँ तथा ग्रामों के लिये लोकल बोर्डों की स्थापना की सिफारिश की थी और प्राथमिक शिक्षा को उन्हीं के अन्तर्गत रख दिया गया था। इस व्यवस्था से प्राथमिक शिक्षा को कुछ प्रगति अवश्य मिली किन्तु आशाजनक परिणाम उपलब्ध नहीं हो सके। इन स्थानीय बोर्डों के अधिकार और कर्तव्यों को संहिताबद्ध कर दिया गया। देशी पाठशालायें जोकि अन्तकाल से अपनी बर्जित अवस्था में देश भर में चली आ रही थीं वह भी इन्हीं स्थानीय बोर्डों को दे दी गईं। इतना अवश्य है जहाँ जनता के पिछड़े हुए होने के कारण बोर्डों को यह अधिकार न दिया जा सका वहाँ सरकारी पाठशालायें खोली गईं।

स्थानीय बोर्डों के प्राथमिक शिक्षा के निमित्त व्यय करने के लिये नियम बना दिये गये और उनकी आय को केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय करने की व्यवस्था की गई। प्रान्तीय सरकारों ने स्थानीय-बोर्डों को अनुदान देने के नियम भी बना लिये। बम्बई सरकार ने आधा व्यय देना स्वीकार कर लिया। मद्रास ने अपनी आय का ५ प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का निश्चय किया इसी प्रकार बंगाल, संयुक्तप्रान्त, पंजाब, आसाम तथा मध्यप्रान्त ने अपने २ नियम बनाकर प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। शिक्षा-अनुदान के नियमों में भी सभी प्रान्तों ने सुधार करके उन्हें प्राथमिक शिक्षा के अधिक अनुकूल बना दिया।

यहाँ बड़े खेद के साथ यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने भारत में कुछ ऐसी नीति अपनाई जिसने भारत के गाँवों की जड़ों को हिला दिया। उनका सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक ढाँचा टूट गया। जो गाँव अब तक देश में शासन के घरतल थे उनके ऊपर एक नया शासन थोपा गया और भारतीय ग्राम केन्द्रीय और प्रान्तीय शासनों की केवल निर्जीव इकाई मात्र रह गये जिनकी नीति का निर्धारण केन्द्र से होता था। इस ग्रामीण प्रजातन्त्र के नष्ट हो जाने का प्रभाव भारत के देशी शिक्षालयों पर भी पड़ा। शिक्षा अब अधिक से अधिक सरकार द्वारा नियंत्रित हो चुकी थी। १९ वीं शताब्दि के समाप्त होते होते भारत में अनंतकाल से चला आने वाला देशी शिक्षा का संगठन नष्ट होकर सदा के लिये विलीन हो गया। कुछ स्कूल सरकारी अफसरों की अवहेलना से नष्ट हो गये, कुछ सरकारी स्कूलों में विलीन होकर उनका प्रमुख अंग बन गये और कुछ उनसे स्पर्द्धा में पराजित होकर सदा के लिये नष्ट हो गये। गाँव में इन देशी पाठशालाओं के संरक्षक भी नहीं रह गये। वहाँ की बढ़ती हुई निर्धनता ने लोगों का ध्यान शिक्षा तथा आत्मोन्नति से हटाकर केवल 'अस्तित्व के लिये संघर्ष' तक सीमित कर दिया। 'बहुत से मध्यम वर्ग के लोग जो कि व्यापार अथवा कृषि में लगे हुए थे नोकरी के लिये आकर नगरों में बस गये। इस प्रकार देहात उजड़ कर वीरान हो गये, गाँव पाठशालाओं के संरक्षक विलीन हो गये और इस प्रकार देशी शिक्षा-पद्धति टूट कर खंड खंड हो गई।'।

इस प्रकार देश में आधुनिक प्रकार की प्राथमिक शिक्षा-पद्धति की जड़ें जम गईं। स्थानीय बोर्डों ने इस काल में अपना व्यय प्राथमिक शिक्षा पर बढ़ाया। यद्यपि सरकार की नीति तो वस्तुतः अब भी प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना करने की थी और उसका व्यय भी प्राथमिक शिक्षा के लिये नहीं बढ़ा। उदाहरण के लिये सन् १८८१-८२ ई० में यह १६'७७ लाख रुपया था जबकि १९०१-२ ई० में १६'६२ लाख रुपया रहा। इस प्रकार यह सिद्ध है कि प्राथमिक शिक्षा को सरकार उचित प्रोत्साहन देने में असफल रही। स्थानीय बोर्डों का व्यय २४'९ लाख १८८२ ई० से बढ़कर १६'०२ ई० में ४६.१ लाख रुपया हो गया। किन्तु भारत की जन-

संख्या और अशिक्षा को देखते हुए यह धन राशि भी अपर्याप्त थी। अधिकांश में इन बोर्डों का आर्थिक अवस्था भी शोचनीय थी और इनका प्रबन्ध भी बड़ा बुरा था। जहाँ अच्छे निरीक्षण तथा अच्छी शिक्षा के कारण प्राथमिक शिक्षा का मान-दंड ऊँचा हुआ वहाँ उसके विस्तार में सराहनीय प्रसार नहीं हो सका। सन् १८८६ और १९०२ ई० के बीच में प्राथमिक शिक्षा में विद्यार्थियों की वृद्धि केवल ६,६०,००० थी जबकि वही वृद्धि १८७१ ई० और १८८६ ई० के मध्य में २० लाख थी। शताब्दि के अन्त में जबकि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार सुदूर देहातों में करना पड़ा, उसके प्रसार की गति बड़ी मंद रही। इस संघर्ष में केवल अच्छे स्कूल जीवित रह सके; इससे शिक्षा का स्तर तो ऊँचा हो सका किन्तु विकास अवरुद्ध हो गया।

मिशनरी प्रयास

हन्टर कमीशन की रिपोर्ट के उपरान्त ईसाई मिशनरियों का यह भ्रम दूर हो गया कि व्यक्तिगत प्रयास में शिक्षा-क्षेत्र में उनका प्राधान्य रहेगा और इस प्रकार शिक्षा के द्वारा वह भारतवासियों का धर्म परिवर्तन करने में सफल हो सकेंगे। वास्तव में इस दृष्टि से उन्हें बड़ी निराशा हुई अतः उन्होंने अपनी शिक्षा-नीति को बदल दिया। उन्होंने अपना ध्यान उच्च शिक्षा से हटा कर जन-समूह की शिक्षा की ओर लगाया और अपना प्रचार कार्य अधिकांश में आदिवासियों और पहाड़ी जातियों में प्रारम्भ कर दिया। इस ओर उन्हें कुछ सफलता भी मिली है और वास्तव में गत ६० वर्ष में भारत में ईसाई आबादी में आश्चर्य-जनक वृद्धि हुई है। भारतीय ईसाइयों के लिये उन्होंने कुछ अच्छे कालेज और हाई स्कूलों को यथावत् बना रहने दिया। इसी काल में उन्होंने कुछ अच्छे कालेज भी स्थापित किये जैसे इंडियन क्रिश्चियन कालेज, इंदौर (१८८४ ई०); मुरे कालेज, स्यालकोट (१८८६ ई०); क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर (१८६२ ई०); तथा गौर्डन कालेज, रावलपिंडी (१८६३ ई०)। इस काल में मिशनरी पादरियों को बोध हो गया कि स्कूल में पढ़ाना कोई मिशनरी कार्य नहीं है।

(ग) लार्ड कर्जन की शिक्षा नीति

भूमिका

२० वीं शताब्दी का उषाकाल भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वदा स्मरणीय रहेगा। यह वह समय था जबकि देश में राष्ट्रियता की लहर दौड़ रही थी। भारतवासियों के हृदयों में अपनी संस्कृति, सभ्यता तथा भाषा और साहित्य के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया था। इस जागृति का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा। भारत-वासी अनुभव करने लगे कि उनकी शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिये। इसी पृष्ठ भूमि

के साथ सन् १८६६ ई० में लार्ड कर्जन भारत के वाइसराय नियुक्त हुए। ऐसा कहा जाता है कि उनमें लार्ड डलहौजी के सब गुण वर्तमान थे। जिस प्रकार लार्ड डलहौजी ने भारतीयों को अप्रसन्न कर दिया था उसी प्रकार लार्ड कर्जन का स्वभाव भी भारतीयों से मेल न खा सका। कर्जन ने आते ही भारत में कुछ सुधार लागू करने चाहे जिनसे भारतवासी सशंक हो उठे। श्री अनाथ नाथ वसु कर्जन के विषय में लिखते हैं कि 'स्वाभाव से वह उदार व स्वेच्छाचारी शासक थे तथा शिक्षा द्वारा वह कठोर शासन में विश्वास करने वाले कठोर साम्राज्यवादी थे। वह केन्द्रीयकरण तथा कार्य क्षमता के पुजारी भी थे।' उस समय शिक्षा की अवस्था अच्छी नहीं थी। "१८६७ से १९०२ ई० तक का काल भारतीय शिक्षा के इतिहास में सबसे अधिक अप्रगतिशील था; विद्यार्थियों की वृद्धि बहुत कम थी, स्कूलों की संख्या भी घट गई थी। वह समय आपत्ति—दो भयानक दुर्मिन्न और एक सर्वव्यापी महामारी—का था।" अतः लार्ड कर्जन ने भारत में आते ही सितम्बर १९०१ ई० एक गुप्त कान्फ्रेंस शिमला में बुलाई जिसमें केवल प्रान्तीय जनशिक्षा संचालकों ने भाग लिया। कर्जन स्वयं सभापति बने। यहाँ वाइसराय ने भारतीय शिक्षा सम्बन्धी प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक सभी समस्याओं पर विचार विनिमय किया और अपनी नई शिक्षा-नीति की योजना बनाई जिसके अनुसार भारतीय शिक्षा क्षेत्र में सरकार का नियंत्रण बढ़ना चाहिये था। १९०२ ई० में भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन की नियुक्ति हुई और १९०४ ई० में शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्तावों का प्रकाशन हुआ। सन् १९०४ ई० में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पास हो गया। सन् १९०५ ई० में लार्ड किचनर से कुछ राजनैतिक मतभेद हो जाने के कारण लार्ड कर्जन स्वदेश वापिस लौट गये। आगे हम लार्ड कर्जन के शिक्षा सुधारों का संक्षेप में वर्णन करेंगे।

भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन (१९०२ ई०)

२७ जनवरी सन् १९०२ ई० को इस कमीशन की नियुक्ति हुई जिसने उसी वर्ष जून में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। वास्तव में विश्वविद्यालय क्षेत्र में इस समय सुधार की आवश्यकता थी। उनकी स्थापना के उपरान्त उनके सुधार के अब तक कोई

1. Progress of Education in India 1912-17, Seventh Quinquennial Review. Vol I p. 22.

• इस कान्फ्रेंस में भारतीय मत को प्रतिनिधित्व नहीं मिला था अतः भारतीय शिक्षित समाज इसे संदेह की दृष्टि से देख रहा था। यहाँ तक कि ईसाई मिशनरियों के प्रतिनिधि सम्मिलित किये गये थे। लार्ड कर्जन ने यद्यपि एक परम्परागत नीति का अनुसरण किया था किन्तु इस समय बड़ल चुका था। इस नीति का प्रभाव यह हुआ कि राष्ट्रीय विचारधारा और अधिक जोर पकड़ गई। — लेखक

प्रयत्न नहीं किये गये थे। इसी बीच में भारत में कालेजों और माध्यमिक शिक्षालयों की संख्या बढ़ गई थी और विश्वविद्यालयों को उनका भार कठिन प्रतीत होने लगा था। लन्दन विश्वविद्यालय का भी १८६८ ई० में पुनर्निर्माण कर दिया गया था, अतः यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि भारत में भी विश्वविद्यालय के संगठन, प्रबन्ध तथा कार्य प्रणाली में सुधार किया जाय। इसके अतिरिक्त भारत में विश्वविद्यालयों का संगठन लन्दन विश्वविद्यालय को आदर्श मान कर हुआ था। किन्तु अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया था कि इस प्रकार के विश्वविद्यालय जो कि केवल परीक्षा लेने भर के लिये हैं अधिक उपयोगी नहीं है अतः लन्दन विश्वविद्यालय भी बदला जा चुका था। भारतवर्ष में भी इस बात की आवश्यकता का अनुभव होने लगा कि अब केवल ऐसे विश्वविद्यालय ही नहीं चाहिये जो कि परीक्षाओं का प्रबन्ध करके उपाधि वितरण कर देते हैं। शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी यह बात अनुभव होने लगी कि केवल पुस्तकीय ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। समय की माँग थी कि टैक्निकल व व्यवसायिक शिक्षा का प्रबन्ध हो जिससे शिक्षा व्यावहारिक जीवन के अधिक उपयुक्त होकर यथेष्ट रूप से हितकर हो सके। अतः इस कमीशन की नियुक्ति “ब्रिटिश भारत में स्थित विश्वविद्यालयों की अवस्था तथा भावी उन्नति की जाँच करने के लिये; तथा ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने के लिये जो कि उनके विधान तथा कार्य प्रणाली को सुधारने के लिये बनाये गये हैं अथवा बनाये जा सकते हैं; और गवर्नर-जनरल की परिषद् को उन साधनों के लिये सिफारिश करने के लिये जो कि विश्वविद्यालयों के शिक्षण-स्तर को उठा सकें और विद्या की उन्नति कर सकें”^१ की गई।

यह दुर्भाग्य की बात थी कि शिमला क्रान्फ़ेंस की भाँति कर्जन ने इस कमीशन में भी कोई भारतीय सम्मिलित नहीं किया। भारतीयों की भावना को इससे बड़ा आघात पहुँचा। उन्होंने अनुभव किया कि संभवतः सरकार उनकी उठती हुई राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के लिये उसकी प्रगति को रोककर पूर्णतः उसका नियंत्रण करना चाहती है। किन्तु कुछ समय बाद इस कमीशन में डा० गुरुदास बनर्जी तथा सैयद इसन बिलग्रामी के नाम भी जोड़ दिये गये। किन्तु भारतीय भावना को मनोवैज्ञानिक आघात तो लग ही चुका था।

विश्वविद्यालयों में शिक्षा तथा प्रबन्ध के सुधार के लिए कमीशन ने बहुत से सुझाव रखे। संक्षेप में कमीशन की सिफारिशों निम्नलिखित रूप से रक्खी जा सकती हैं :

१. ललित कुमार शाह द्वारा एज्यूकेशन एन्ड नेशनल कांसासनेस पृष्ठ ६२—
विश्वविद्यालय कमीशन का उद्धरण।

- (१) विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध का पुनर्संगठन
- (२) विश्वविद्यालयों द्वारा सम्बन्धित कालेजों का कड़ा निरीक्षण तथा सम्बन्ध के नियमों में कड़ाई।
- (३) विद्यार्थियों के रहने के स्थान और अवस्थाओं का समुचित प्रबन्ध
- (४) विश्वविद्यालयों द्वारा निश्चित मर्यादा के अन्तर्गत शिक्षण कार्य प्रारम्भ कर देना।
- (५) पाठ्य-क्रम तथा परीक्षा-विधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

यही सिफारिशें भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट १९०४ ई० का आधार थीं जिनका उल्लेख हम आगे करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कमीशन का उद्देश्य वास्तव में कुछ क्रान्तिकारी परिवर्तन करने का नहीं था किन्तु वह तो वर्तमान प्रणाली को ही पुनर्संगठित करना तथा मजबूत बनाना चाहता था। फीस की निम्नतर दर निश्चित करने तथा द्वितीय श्रेणी के इन्टरमीडियेट कालेजों के तोड़ने की सिफारिश करके कमीशन ने कुछ भारतियों को भी विरुद्ध कर लिया। इतना अवश्य है कि विश्वविद्यालयों के बिखरे हुए तत्वों को संगठित करके उन्हें सुदृढ़ और सुसंगठित बनाने के लिये कमीशन ने अत्यंत लाभदायक सिफारिशें कीं और यार्द लार्ड कर्जन की नीति से भारतवासियों को मनोवैज्ञानिक असंतोष न हो गया होता तो यही सिफारिशें स्वागत के साथ स्वीकार की जातीं किन्तु समय चक्र तेजी से घूम रहा था।

सरकारी प्रस्ताव और शिक्षा नीति—(१९०४ ई०)

११ मार्च १९०४ ई० को लार्ड कर्जन ने सरकारी शिक्षा-नीति को प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण विवरण था। तत्कालीन भारतीय शिक्षा के दोषों को इसने सूक्ष्मदृष्टि से देखा और उनका ठीक-ठीक चित्रण किया। बहुत सी बातें तो आज भी यथावत् हमारी शिक्षा के भाल पर कलङ्क बिन्दु के समान लगी हुई हैं प्रस्ताव में कहा गया कि “परिमाण की दृष्टि से हमारी वर्तमान शिक्षा के दोष सर्व विदित हैं”। “पाँच गाँवों में से चार गाँव बिना किसी स्कूल के हैं। चार लड़कों में से तीन बिना किसी भी प्रकार शिक्षा पाये हुए ही बढ़ते हैं और ४० में से केवल एक बालिका किसी भी प्रकार के स्कूल में पढ़ने जाती है।” शिक्षा की उत्तमता की दृष्टि से प्रस्ताव में प्रमुख निम्नलिखित दोष बतलाये गये:

(१) उच्चशिक्षा सरकारी नोकरी पाने के एक मात्र उद्देश्य से ही प्राप्त की जाती है, इस प्रकार शिक्षा का क्षेत्र अकारण संकीर्ण कर दिया जाता है और जो सरकारी नोकरी पाने में असफल रहते हैं, वह दुर्भाग्य से अन्य उद्यम पाने के अयोग्य हो जाते हैं।

- (२) परीक्षाओं को आवश्यकता से अधिक प्रभुत्व दे रखा है।
- (३) पाठ्यक्रम शुद्ध पुस्तकीय है।
- (४) स्कूलों और कालेजों में विद्यार्थियों को बुद्धि का विकास बहुत कम और स्मृति का विकास बहुत अधिक हो जाता है; फलतः गहन विद्वता के स्थान पर केवल यन्त्रवत् पुनरावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है।
- (५) अंग्रेजी को प्रमुखता देने से मातृभाषाओं का विकास रुकता है।
- (६) टैक्निकल शिक्षा की अवहेलना हो रही है किन्तु जो कुछ भी टैक्निकल शिक्षा उपलब्ध है वह केवल कतिपय उच्च सरकारी पदों के लिये लोगों को दीक्षित करने के लिये है। वास्तव में ऐसी टैक्निकल शिक्षा की आवश्यकता थी जो जन साधारण के लिये उपयोगी हो और जिससे देश का भी आर्थिक विकास हो।

प्रस्ताव में यह भी आवश्यक समझा गया कि अधिक उपयोगी कृषि-हालेज खोले जाँय तथा भारतीय कलाओं और दस्तकारियों की भी उन्नति की जाय। शिक्षकों को अधिक संख्या में दीक्षित करने पर भी जोर दिया गया। स्त्रीशिक्षा की ओर भी प्रस्ताव की दृष्टि गई और कहा गया कि सरकार को स्त्रीशिक्षा पर अधिक व्यय करना चाहिये तथा अध्यापिकाओं की ट्रेनिङ्ग के लिये अधिक स्कूल तथा बालिकाओं के लिये सरकार की ओर से आदर्श पाठशालायें खुलनी चाहिये। इन पाठशालाओं के निरीक्षण तथा सुपबन्ध के लिये निरीक्षिकाओं की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

इस प्रकार इस प्रस्ताव के द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक और विश्व-विद्यालय-शिक्षा का पूर्ण निरीक्षण करने के उपरान्त उनकी उन्नति के लिये इस प्रस्ताव में सरकारी नीति की घोषणा की गई।

प्राथमिक शिक्षा के विषय में प्रस्ताव में स्वीकार किया गया कि यद्यपि इसमें विकास हुआ है किन्तु भारत की जन-संख्या को देखते हुए वह अपर्याप्त है। यह भी स्वीकार किया गया कि सरकार ने माध्यमिक शिक्षा को तुलना में इसकी अवहेलना की है। प्राथमिक शिक्षा-प्रसार को सरकार का प्रथम कर्तव्य बतलाया गया और उसके सुधार के लिये सुझाव रखे कि एक तो, स्पष्ट आर्थिक नीति का अनुकरण क्रिया जाय। राजस्व में से प्रथम भाग शिक्षा पर व्यय किया जाय। स्थानीय बोर्डों को अपनी शिक्षा सम्बन्धी धन राशि केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय करनी चाहिये न कि उच्च शिक्षा पर। दूसरे, शिक्षण विधि को अनुकूल सरल व उपयोगी बनाया जाय। तीसरे, अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जाय।

माध्यमिक शिक्षा के विषय में सरकारी प्रस्ताव में कहा गया कि अब तक माध्यमिक शिक्षा में वृद्धि तो संतोषजनक हुई है किन्तु इसके साथ ही साथ ऐसे

स्कूलों की संख्या बढ़ गई है जिनमें न योग्य शिक्षक हैं, न फर्नीचर न अन्य सामान और न पुस्तकालय व भवन इत्यादि की उचित व्यवस्था। शिक्षण-स्तर तथा कार्य क्षमता का भी पतन हुआ है। अतः प्रस्ताव में निरीक्षण, नियंत्रण और आर्थिक सहायता द्वारा उनके स्तर को उठाने की सिफारिश की गई। स्कूलों को स्वीकृति तथा सहायता-अनुदान देने के नियमों में भी कड़ाई कर दी गई और फीस, विद्यार्थियों की संख्या, क्षात्रावास, विज्ञान का सामान, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति इत्यादि सम्बन्धी कुछ नियम बना दिये गये जिनकी अवहेलना करने पर इन स्कूलों के परीक्षार्थियों का विश्वविद्यालय-प्रवेश तथा सरकारी परीक्षाओं में बैठने का निषेध कर दिया गया। इन नियमों की कठोरता की भारतीय मत ने तीव्र आलोचना की और सरकार पर अभियोग लगाया कि यह शिक्षा प्रसार को रोकने तथा उन शिक्षा केन्द्रों के जोकि राष्ट्रीय आन्दोलन के श्रोत हैं नष्ट करने की सरकार की चाल है।

माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी सुधार प्रस्तावित किये गये। सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न शिक्षा के माध्यम का उठाया गया। यह कहा गया कि 'प्राथमिक शिक्षा में अँग्रेजी का न तो कोई स्थान है और न होना चाहिये। जब तक बालक ने मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाकर उसका ज्ञान परिपक्व नहीं कर लिया है तब तक उसे अँग्रेजी पढ़ने की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिये।'^१ इस प्रकार यह बात स्वीकार की गई कि लगभग १३ वर्ष की उम्र के उपरान्त ही बालक को अँग्रेजी पढ़नी चाहिये। माध्यमिक शिक्षा के लिये प्रस्ताव में मातृभाषा पर जोर दिया गया। 'यदि शिक्षित वर्ग ही अपनी मातृभाषाओं की अवहेलना करेंगे तो अवश्य ही वह केवल देशी बोलचाल भी भाषा मात्र रह जाँयगी जिनका अपना कोई साहित्य नहीं होगा।'

इसी प्रकार विश्वविद्यालय शिक्षा के दोषों का भी प्रस्ताव में संक्षेप में विवेचन किया गया क्योंकि यह प्रश्न विश्वविद्यालय कमीशन के आधीन कर दिया गया था। तथापि उनकी परीक्षा-विधि, सीनेट का आकार तथा सिंडीकेट के अधिकार इत्यादि पर कुछ प्रकाश डाला।

उपर्युक्त विवरण से प्रकट होता है कि लार्ड कर्जन ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा के गुण दोषों का विवेचन बिल्कुल ठीक ही किया था। 'किन्तु दुर्भाग्य से यद्यपि रोग का निदान ठीक था, प्रस्तावित औषधि न तो उचित ही थी और न सामयिक ही। लार्ड कर्जन ने जो बहुत सी बातें कहीं उनके कहने में वह सही थे किन्तु जिस विधि से वह सुधार करना चाहते थे उसने शिक्षित भारतीयों के मस्तिष्क

में गंभीर संदेह उत्पन्न कर दिया। उन्हें भय हुआ कि यह सुधार-कार्य कुछ राजनैतिक उद्देश्यों को अपनी आड़ में छिपाये हुए है।”^१

भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट (१९०४ ई०)

जैसा कि पीछे लिखा जा चुका है कि १९०२ ई० में विश्वविद्यालय कमीशन की नियुक्त हुई थी। इस कमीशन की सिफारिशों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करने के उपरान्त उन्हीं के आधार पर १९०३ ई० में इम्पीरियल लैजिस्लेटिव काउंसिल में एक बिल ‘भारतीय विश्वविद्यालय बिल’ के नाम से प्रस्तुत किया गया जो कि २१ मार्च, १९०४ ई० को कानून बन गया। यद्यपि भारतीयों ने इस बिल का भयंकर विरोध किया और स्व० गोपाल कृष्ण गोखले ने तो इसकी धजियाँ ही उड़ा दीं किन्तु अन्त में बहुमत से यह पास हो गया।

इस कानून के द्वारा विश्वविद्यालयों के संगठन तथा शासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गये। श्री नुरुल्ला ने संक्षेप में इन परिवर्तनों को ७ भागों में विभक्त किया है।*

(१) विश्व-विद्यालयों के कार्य का विस्तार कर दिया गया और उन्हें प्रोफेसर तथा लैक्चरर नियुक्त करने और रिसर्च के लिये सुविधा जुटाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया।

(२) दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन इस एक्ट ने सीनेट को एक उपयुक्त आकार का बनाने का सुझाव देकर किया। सन् १८५७ ई० के कानून के द्वारा विश्व-विद्यालयों के लिये आजीवन-फैलो सरकार के द्वारा नियुक्त करने का अधिकार था। किन्तु गत ५० वर्षों में इस अधिकार का उपयोग बुद्धिमत्तापूर्ण न होने के कारण सीनेटों का आकार बड़ा विशाल हो गया था। इस एक्ट के द्वारा यह निश्चित हो गया कि फैलो न ५० से कम और न १०० से अधिक होंगे और इनकी अवधि आजीवन न हो कर केवल ५ वर्ष के लिये होगी।

(३) तीसरा परिवर्तन था चुनाव सिद्धान्त का प्रारम्भ कर देना। इसके अनुसार बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता विश्व-विद्यालयों में २० तथा अन्य में १५ फैलो चुने जायेंगे।

(४) चौथा परिवर्तन था सिन्डीकेटों की कानूनी स्वीकृति तथा विश्व-विद्यालय के अध्यापकों का सिन्डीकेट में प्रतिनिधित्व।

(५) पाँचवाँ परिवर्तन इस एक्ट के द्वारा यह किया गया कि विश्व-विद्यालयों से कालेजों का सम्बन्ध स्थापित करने के नियम कड़े कर दिये गये और नियमित

१. अनाथ नाथ बसु—एज्यूकेशन इन मॉडर्न इंडिया पृष्ठ ६४।

*नुरुल्ला नायक—ए स्टुडेंट हिस्ट्री ऑफ एज्यूकेशन—पृष्ठ १५४।

रूप से सम्बन्धित कालेजों के स्तर को ऊँचा उठाने के लिये सिन्डीकेट द्वारा उनके निरीक्षण की व्यवस्था की गई।

(६) छठवाँ परिवर्तन सीनेट के द्वारा बनाये जाने वाले नियमों को सरकार में निहित करने का था। अब तक यह अधिकार केवल सीनेट को प्राप्त था केवल सरकार से स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती थी। किन्तु इस एक्ट के द्वारा यह नियम बना दिया गया कि सांसेट के बनाये हुए नियमों की स्वीकृति के अतिरिक्त सरकार आवश्यक होने पर उनमें घटा बढ़ा भी सकती है और यदि एक निश्चित समय तक सीनेट नियम बनाने में असफल रहती है तो सरकार नियम भी बना सकती है।

(७) अन्त में, गवर्नर जनरल की परिषद् को यह अधिकार भी दे दिया गया कि वह भिन्न-भिन्न विश्व-विद्यालयों की प्रादेशिक क्षेत्र सीमा को भी निर्धारित कर दे। १८५७ ई० के कानून में यह प्रश्न अनिश्चित रह गया था जिसका परिणाम यह था हुआ कि कुछ अनियमित कार्यवाहियाँ हो गई थीं। उदाहरणतः कुछ कालेज दो विश्व-विद्यालयों से सम्बन्धित हो गये; अथवा कुछ अन्य कालेज किसी विश्व-विद्यालय के क्षेत्र में होते हुए और ही किसी दूसरे से सम्बन्धित हो गये इत्यादि। इस एक्ट की २७ वीं धारा में कहा गया कि 'गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल' अपने साधारण अथवा असाधारण आदेश द्वारा विश्व-विद्यालयों की सीमा निर्धारित कर देगा जिसके द्वारा कालेजों का सम्बन्ध उनसे स्थापित होगा।

भारतीय मत

ऊपर संकेत किया जा चुका है 'भारतीय विश्व-विद्यालय बिल' का धारा-परिषद् में प्रचंड विरोध किया गया था। स्व० गोखले जो कि धारा परिषद् के सदस्य थे उन्होंने अपने ऐतिहासिक व्याख्यानों के द्वारा भारतीय मत को प्रकट किया। वास्तव में प्रथमतः जब लार्ड कर्जन ने विश्व-विद्यालयों के सुधार की घोषणा की थी तो भारत में उसका बड़ा स्वागत हुआ था; किन्तु शिमला कान्फ्रेंस में भारतवासियों का न लिया जाना और इसके प्रतिकूल ईसाई प्रतिनिधि डा० मिलर जो कि क्रिश्चियन कालेज मद्रास के प्रिन्सीपल थे उनकी उपस्थिति तथा कान्फ्रेंस के निर्णयों को गुप्त रखना इत्यादि ऐसे कार्य थे जिनसे भारतवासी इन शिक्षा-सुधारों को सन्देह की दृष्टि से देखने लगे। उन्हें भय होने लगा कि सरकार देश की शिक्षा को योरूपवासियों के हाथ में देना चाहती है। यद्यपि यह सन्देह आगे चलकर निराधार सिद्ध हुआ क्योंकि प्रायः सभी विश्व-विद्यालयों में सीनेट में भारतियों की संख्या योरूपवासियों से अधिक रही। यही कारण था कि आगे चलकर भारतियों का विरोध इस बात से कुछ ढीला पड़ गया।

इसके अतिरिक्त कमीशन में भी भारतियों की अवहेलना और जस्टिस गुरु-

दास बनर्जी तथा सैयद हुसन बिलग्रामी के नामों का बाद में जोड़ा जाना और कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जल्दबाजी इत्यादि भी कुछ ऐसी हरकत थीं जिनसे भारतवासी चौंक उठे। इन सुधारों से जो उन्हें आशा बँधी थी वह छिन्न-भिन्न हो गई, उन्हें प्रतीत हुआ कि इनके उपरान्त भी शिक्षा क्षेत्र में कुछ 'विशेषज्ञों का संकीर्ण, तर्कहीन और अल्पव्ययी शासन' जीवित रहेगा।

साथ ही चुनाव सिद्धान्त का स्वागत हुआ किन्तु चुने हुए स्थानों की संख्या को अपर्याप्त बतलाया गया। फैलो सदस्यों की संख्या के नियत करने में भी भारतवासियों को यही भय हुआ कि उसके द्वारा सरकार विश्वविद्यालयों की सीनेट में योरुपवासियों का बहुमत करना चाहती है। विश्वविद्यालयों द्वारा कालेजों के सम्बन्ध स्थापित करने के नियमों की कड़ाई का तीव्र विरोध हुआ क्योंकि लोगों को भय हुआ कि इसके द्वारा उच्च-शिक्षा क्षेत्र में सरकार भागतियों के व्यक्तिगत प्रयास को कुचलना चाहती है। अन्त में सबसे अधिक विरोध सरकार की उस नीति का हुआ जिसके द्वारा उसने इस एक्ट में सीनेट के बनाये हुए नियमों में हस्तक्षेप तथा विश्वविद्यालय के आन्तरिक शासन को अपने हाथ में लेने की साजिश की थी। उन्हें डर हुआ कि सरकार उच्च-शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण करके उसकी प्रगति को रोकना चाहती है। वस्तुतः यह विरोध शिक्षा-क्षेत्र में बहुत दिनों तक चलता रहा जोकि १९२१ ई० में जाकर ही शान्त हुआ।

आलोचना

इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने सम्पूर्ण गुण और दोषों के साथ इस कानून ने वास्तव में भारतीय उच्च-शिक्षा में प्रशंसनीय सुधार किये। विश्वविद्यालयों का शासन अधिक कार्यशील और कुशल बना दिया गया। कुछ विश्वविद्यालयों ने शिक्षण कार्य भी प्रारम्भ कर दिया। पुस्तकालयों की स्थापना हो गई। निम्नकोटि के कालेज या तो सुधार कर उच्चस्तर पर आ गये अथवा समाप्त होगये। सीनेट का आकार नियत कर दिया गया तथा सिंडीकेट को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। जैसा भय किया गया था कि व्यक्तिगत प्रयास को कुछ आघात लगेगा, निराधार सिद्ध हुआ। यद्यपि नियमों की कठोरता के कारण कालेजों की संख्या १९०४ से १९१२ ई० तक कम हो गई किन्तु उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। १९०२ ई० में विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित कालेजों की संख्या १९२ थी जो कि १९०७ ई० में १७४ ही रह गई। किन्तु इससे विद्यार्थियों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुल मिलाकर कालेजों की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई और शिक्षा का स्तर ऊँचा उठा।

विश्वविद्यालय एक्ट के दोषों का उल्लेख इन शब्दों से अच्छा नहीं किया जा सकता "इसने विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली को बदलने तथा उसे उचित आधार

पर रखने का कोई प्रयास नहीं किया। यद्यपि नए विश्वविद्यालयों की अत्यंत आवश्यकता थी किन्तु इसके द्वारा उनका निर्माण नहीं हुआ। और अन्त में, विश्व-विद्यालयों के शासन में इसने सरकार के हाथों में इतना नियंत्रण रख दिया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन ने भारतीय विश्वविद्यालयों को 'संसार के सबसे अधिक सरकारी शासित विश्वविद्यालय' कह कर पुकारा है।^१

उपसंहार

इस प्रकार संक्षेप में हन्टर कमीशन से लेकर लार्ड कर्जन तक भारतीय शिक्षा ने प्रगति की। जिस प्रकार हन्टर कमीशन ने केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विषय में प्रधानता दी थी उसी प्रकार विश्वविद्यालय कमीशन ने प्रधानतः विश्व-विद्यालय शिक्षा के विषय तक ही अपने को सीमित रखा। इस युग में भारतीय शिक्षा का आधुनिक रूप पर्याप्त: बिल्वर गया और अपने अन्तिम स्वरूप में उपस्थित होने लगा। हन्टर कमीशन का उद्देश्य शिक्षा का विस्तार तथा उसे जन समूह के लिये सुलभ बनाना था। विश्वविद्यालय कमीशन तथा एक्ट का उद्देश्य उच्च-शिक्षा का पुनर्संगठन तथा उसको ठोस बनाना था। कर्जन अपनी सद्भावनाओं की अपेक्षा भी भारत में सर्वप्रिय न हो सके। शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण की उनकी नीति का जनमत ने निरादर किया। यदि कर्जन का स्वभाव भारतीय जनता के मनोनुकूल होता और लोग उनके राजनैतिक उद्देश्यों की ओर से सशंक न हो गये होते तो जो कुछ भी शिक्षा क्षेत्र में सुधार हुआ उसका श्रेय अवश्य उन्हें मिलता। उच्च रूस-जापान युद्ध में जापान की विजय ने भारतवासियों के हृदय में राष्ट्रीयता की भावनाओं को और अधिक उभाड़ दिया था। साथ ही कर्जन के द्वारा बंगाल-विभाजन के कार्य ने तो भारत में एक बार को राष्ट्रीयता का भ्रंभावात ही उत्पन्न कर दिया जिसने एक प्रकार से ब्रिटिश शासन की जड़ें उखाड़ कर रख दीं। इस प्रकार से उत्पन्न हुए स्वदेशी आन्दोलन की आँधी में भारत को एक नवीन राष्ट्रीय स्फूर्ति का संदेश मिला। यहाँ इतना अवश्य कहेंगे कि लार्ड कर्जन की सुधार योजनाओं ने भारतीय शिक्षा क्षेत्र में एक नवीन चेतना उत्पन्न कर दी। फलतः भारतीय जनता सरकार की शिक्षा योजनाओं को एक आलोचनात्मक दृष्टि से देखना सीखी। इसके अतिरिक्त लार्ड कर्जन का वह आदेश जिसके द्वारा विद्यार्थियों को राजनैतिक सभाओं में भाग लेने पर कठोर दंड की धमकी दी गई थी, देश में राजनैतिक चेतना उत्पन्न करने में अधिक प्रभावोत्पादक सिद्ध हुआ।

१. नुस्सला नामक हिस्ट्री ऑव एज्यूकेशन इन इंडिया पृष्ठ २६०।

तेरहवाँ अध्याय
(क) स्वदेशी आन्दोलन और शिक्षा-प्रगति
(१९०५-१९२० ई०)

आन्दोलन का प्रभाव

लार्ड कर्ज़न की नीति ने देश के राष्ट्रीय नेताओं को रुष्ट कर दिया। उसके शिक्षा-सुधार निश्चय ही राजनैतिक उद्देश्यों से प्रभावित थे अतः राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान इधर आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। रूस-जापान युद्ध में जापान की विजय ने यह सिद्ध कर दिया था कि एशिया की सभ्यता भी संसार में अपना महत्त्व रखती है। भारत की राष्ट्रीय भावनाओं को इससे बड़ी प्रेरणा मिली। परिणामतः भारत में जापानी शिक्षा-प्रणाली के अध्ययन का जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जापानी शिक्षा-प्रणाली के ऊपर भारत में एक सरकारी रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई तथा बहुत से भारतीय जापान में शिक्षा प्राप्त करने भी गये। इसके अतिरिक्त १९०६ ई० में सरकार की ओर से कलकत्ता में 'जापान की शिक्षा प्रणाली' नामक एक सामयिक रिपोर्ट और निकली। इस साहित्य ने भी भारतीय तरुणों को क्रान्तिकारी भावनाओं से भर दिया और वह भारतीय शिक्षा प्रणाली के सुधार की आवाज को ऊँचा करने लगे। इसी समय एशिया के अन्य भागों से भी इसी प्रकार के परिवर्तन के समाचार भारत आने लगे। फारस में १९०५ ई० में स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो गया था। तुर्की तथा चीन में भी उत्तरदायी शासन के आन्दोलन सफल हो रहे थे। इसके पूर्व भारत में बंगाल-विभाजन आन्दोलन जोर पकड़ ही चुका था। इस प्रकार यह सब घटनायें मिलकर 'स्वदेशी आन्दोलन' के रूप में फूट पड़ीं। सर्वप्रथम १९०५ ई० में बंगाल में ही इसका सूत्रपात हुआ और वहाँ से इसकी चिनगारियाँ सम्पूर्ण देश में फैल गईं।

इस आन्दोलन का मूलभूत विचार था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं के उपभोग ने देश में औद्योगिक शिक्षा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया और उच्च-कोटि के भारतीय-नेता देश में एक प्रकार की राष्ट्रीय-शिक्षा के प्रचार की कल्पना व योजना करने लगे। इस आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि बंगाल में 'राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्' की स्थापना हुई। इस आन्दोलन के प्रमुख नेता सर गुरदास बनर्जी, रासबिहारी घोष तथा डा० रवीन्द्रनाथ टैगोर थे। इस परिषद् ने राष्ट्रीय शिक्षा के लिये एक विस्तृत योजना

बनाई। प्रार्थमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा का सुधार इसका उद्देश्य था। इस परिषद ने कलकत्ता में एक 'नैशनल कालेज' भी स्थापित किया और श्री अरविंद को इसका प्रथम प्रिंसीपल बनाया गया। कुछ ही समय में लाखों रुपया भी इकट्ठा कर लिया गया। साथ ही कलकत्ता में एक 'टैक्निकल इन्स्टीट्यूट' भी खोला गया जो कि आगे चलकर 'जादवपुर, कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एन्ड टैक्नोलॉजी' के रूप में विकसित हुआ। थोड़े ही समय में सम्पूर्ण बंगाल में राष्ट्रीय स्कूलों का एक जाल सा बिछ गया। इन स्कूलों में मातृभाषा के माध्यम के द्वारा उपयोगी विषयों में शिक्षा दी जाती थी। देश के अन्य भागों में भी इन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित स्कूलों का निर्माण हुआ तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता व संस्कृति का पुनरुत्थान करने के लिये गुरुकुलों की स्थापना।

वस्तुतः भारतीय शिक्षा-पद्धति को सुधारने के लिये यह प्रथम आन्दोलन था; किन्तु ज्यों-त्यों स्वदेशी आन्दोलन ढीला पड़ता गया, राष्ट्रीय शिक्षा-आन्दोलन में भी शैथिल्य आता गया। 'नैशनल कालेज' भी बन्द हो गया और अन्य स्कूल भी धीरे-धीरे नष्ट हो गये। केवल जादवपुर टैक्निकल कालेज आज भी उस शानदार आन्दोलन की स्मृति दिला रहा है। यह इस बात का द्योतक है कि देश में औद्योगिक शिक्षा की माँग थी। वस्तुतः यह सम्पूर्ण आन्दोलन ही राजनैतिक-आर्थिक था। शिक्षा-सुधार की यह लहर एक बार को देश के कौन-से-से फँस गई थी। वृन्दावन और हरिद्वार के गुरुकुलों से वेद मंत्रों की ध्वनियाँ भारत के अतीत का गौरव गान गुंजरित करती थीं तो उधर शान्तिनिकेतन के ब्रह्मचारी प्राच्य संस्कृति को विश्व के समक्ष लाने के लिये कविसम्राट् के चरणों में बैठे तपस्या कर रहे थे। इधर वाइसराय की परिषद् के गगन चुम्बी भवनों में भारत के महान् नेता श्री गोखले की सिंह गर्जना भारतीय जनवाणी की प्रतीक थी।

उसी समय की एक महत्त्वपूर्ण घटना १९०६ ई० में मुस्लिम लीग की स्थापना है, जिसका भारतीय शिक्षा में एक ऐतिहासिक महत्त्व है। इसकी स्थापना कुछ अमीर तथा उच्च शिक्षा प्राप्त मुसलमानों ने अपने राजनैतिक तथा आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिये की थी। लार्ड कर्जन के उपरान्त लार्ड मिंटों भारत के वाइसराय हुए। उन्होंने सर्व प्रथम देश में हिन्दू-मुसलिम साम्प्रदायिकता के विष बीज बोये। 'मिंटो-मॉर्ले सुधार' के नाम से जो वस्तु भारत में आई उसने देश की राजनैतिक तथा सामाजिक अवस्थाओं को प्रभावित करने के अतिरिक्त तत्कालीन शिक्षा पर भी अपना प्रभाव डाला। इस साम्प्रदायवाद की नीति को अंग्रेज शासकों का वरदान प्राप्त था। परिणाम इसका यह हुआ कि देश में मुसलमान नेताओं ने अपने लिये अलग स्कूल, अलग विश्वविद्यालय तथा सरकारी स्कूलों में अपने लिये अलग स्थान नियत कराने का नारा बुलन्द किया। इस प्रकार भारतीय शिक्षा में जातीयवाद के बीज बो दिये गये जोकि आगे जाकर एक भयानक अभिशाप सिद्ध हुए।

गोखले का बिल

सन् १९०४ ई० की सरकारी नीति के कारण देश में प्राथमिक शिक्षा का पर्याप्त प्रसार हुआ किन्तु भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ २ इसकी माँग भी बढ़ती जा रही थी। स्वदेशी आन्दोलन तथा राजनैतिक जागृति ने जनसाधारण की शिक्षा की ओर देश में रुचि उत्पन्न कर दी थी। उस समय भारत में केवल ६ प्रतिशत साक्षरता थी और स्कूल जाने योग्य लड़कों के केवल २३.८ प्रतिशत तथा लड़कियों के २.७ प्रतिशत स्कूलों में जाते थे !

ऐसी परिस्थितियों में गोखले ने सरकार तथा जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और प्राथमिक शिक्षा के निशुल्क तथा अनिवार्य बनाने की माँग सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। उन्होंने जनता को यह भी चेतावनी दी थी कि अशिक्षित देश सभ्यता की दौड़ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते अतः भारतीय जन साधारण को अनिवार्यतः शिक्षित किया जाय। इधर १९०६ ई० में बड़ौदा नरेश ने अपने सम्पूर्ण राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी। अतः भारत के अन्य भागों को भी इस क्रांतिकारी कदम से प्रेरणा मिली। १९ मार्च, सन् १९१० ई० को स्वर्गीय गोखले ने इम्पीरियल धारा परिषद् में निम्नलिखित प्रस्ताव रक्खा।

“इस परिषद् की सिफारिश है कि प्रारम्भिक शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाने का कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिये, और निश्चित प्रस्ताव बनाने के लिये सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त कमिशन शीघ्र नियुक्त करना चाहिये।”

इसके अनुसार श्री गोखले ने बताया कि केवल ६ वर्ष से १० वर्ष तक के लड़कों के लिये ही शिक्षा अनिवार्य की जाय और वह भी उस क्षेत्र में जहाँ पहिले से ही ३३ प्रतिशत लड़के स्कूलों में शिक्षा पा रहे हों। शिक्षा की तत्कालीन अवस्था का वर्णन करते हुए श्री गोखले ने बड़ा मार्मिक चित्र उपस्थित किया तथा उसके सुधार के बड़े ठोस सुझाव रक्खे। खर्च के विषय में उन्होंने बताया कि यह स्थानीय संस्थाओं तथा सरकार में १ : २ के अनुपात से बँट जाना चाहिये। शिक्षा के लिये एक अलग सैक्रेटरी नियुक्त करने की भी उन्होंने माँग की तथा बजट में शिक्षा की प्रगति के वर्णन करने का सुझाव रक्खा।

अन्त में सरकार के आश्वासन पर यह प्रस्ताव वापिस ले लिया गया। किन्तु इसके उपरान्त भी कोई आशाजनक प्रगति प्राथमिक शिक्षा में न हुई। १९१० ई० में भारत सरकार ने ‘शिक्षा विभाग’ तो स्थापित कर दिया किन्तु शिक्षा को पूर्णतः प्रान्तीय सरकार के क्षेत्र के अन्तर्गत ही रक्खा। १९१० ई० से पूर्व शिक्षा यह विभाग के अन्तर्गत थी। इस नये शिक्षा विभाग में स्वास्थ्य तथा भूमि को भी सम्मिलित रक्खा गया था।

प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिये सरकार की धीमी प्रगति को देखकर १६ मार्च १९११ ई० को श्री गोखले ने अपना ऐतिहासिक बिल प्रस्तुत किया। यह बिल व्यक्तिगत था तथा अत्यन्त ही विनम्र और सादा था। इस बिल का उद्देश्य 'देश की प्रारम्भिक शिक्षा प्रणाली में क्रमशः अनिवार्यता के सिद्धान्त का प्रारम्भ करना' था। प्रथमतः इसके अनुसार स्थानीय बोर्डों के उन क्षेत्रों में जहाँ पहिले से ही लड़के लड़की एक निश्चित प्रतिशत में स्कूल जाते हैं, कानून लागू करना था। इस प्रतिशत को गवर्नर जनरल अपनी परिषद् में नियत करेंगे। इसके अतिरिक्त इस एक्ट को लागू करने का अधिकार पूर्णतः स्थानीय बोर्डों पर छोड़ दिया गया। साथ ही यदि स्थानीय बोर्ड इसे अपने क्षेत्र में लागू करना चाहें तो पहिले सरकार की अनुमति लें। स्थानीय बोर्डों को शिक्षा-कर लगाने की अनुमति दी जाने की भी व्यवस्था की गई। ६-१० वर्ष तक के बालकों के अभिभावकों के लिये आवश्यक कर दिया गया कि वह अपने लड़कों को स्कूल भेजें। लड़कियों पर भी इसे कालान्तर में लागू करने की बात कहा गई। नियम मंग करने पर अभिभावकों के लिये दंड व्यवस्था भी की गई। साथ ही खर्च के लिये स्थानीय बोर्डों को प्रान्तीय सरकारों से अनुदान का उल्लेख भी किया गया। वस्तुतः इस योजना का आर्थिक स्वरूप ही इसको स्वीकार अथवा अस्वीकर किये जाने के लिये अधिकांश में उत्तरदायी था। अतः श्री गोखले ने स्वयं इसको अपनी भूमिका में स्पष्ट करने का प्रयास किया था :

“यह बात स्पष्ट है कि इस बिल की सम्पूर्ण क्रिया प्रथमतः अनिवार्य शिक्षा जहाँ कहीं भी लागू की जाय उसके व्यय के उस भाग पर निर्भर है जोकि सरकार सहन करने को उद्यत है। मुझे विदित है कि इंग्लैंड में संसदीय-अनुदान प्रारम्भिक शिक्षा के कुल व्यय का ३ है। स्काटलैंड में इससे भी अधिक तथा आयरलैंड में तो प्रायः सम्पूर्ण ही है। मेरा अनुमान है कि हमें यह कहने का अधिकार है कि भारत में नये व्यय का कम से कम ३ भाग सरकार उठाये।”

इस प्रकार बिल के प्रस्तुत हो जाने पर स्थानीय सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा कुछ अन्य व्यक्तिगत संस्थाओं से मत-संग्रह के लिये इसको चुमाया गया। अन्त में दो दिन के घमासान संघर्ष के उपरान्त १६ मार्च १९१२ ई० को इसे १३ मतों के विरुद्ध ३८ मतों से गिरा दिया गया। सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त जमींदार सदस्यों ने भी अपने गोरे स्वामियों का साथ देकर राष्ट्र की शिक्षा प्रगति को एक महान क्षति पहुँचाई। सरकार इस नम्र बिल को भी पास न कर सकी। वस्तुतः अस्वीकर करने के तर्क बड़े ही निरर्थक व सारहीन थे। उदाहरण के लिये कहा गया कि यह कदम समय से पूर्व तथा अनावश्यक था। यह भी कहा गया कि

जनता अनिवार्यता के सिद्धान्त के प्रतिकूल है तथा अनिवार्यता शिक्षा-सिद्धान्त के प्रतिकूल भी है; प्रान्तीय सरकारें अनिवार्य शिक्षा के पक्ष में नहीं हैं; कुछ भारतीय अल्पसंख्यक शिक्षित वर्ग भी इसके विरुद्ध हैं और स्थानीय बोर्ड भी इस समय नवीन योजना के लिये अधिक कर न लगावेंगे तथा प्रबन्ध और संगठन की दृष्टि से इसमें अनेक शासन सम्बन्धी असुविधाएँ इत्यादि इत्यादि बहाने सरकार ने लगा कर बिल को गिर दिया। श्री गोखले ने कहा कि यह बिल १५ सदस्यों की एक प्रवर समिति (Select Committee) के पास ही भेज दिया जाय किन्तु सब व्यर्थ हुआ। सरकार की ओर से सर हारकोर्ट बटलर ने जो सरकारी प्रवक्ता था बिल का तीव्र विरोध किया और कहा कि देश अभी इस सुधार के लिये तैयार नहीं है। श्री गोखले ने धारा प्रवाह व्याख्यानों के द्वारा अपने अक्राध्य तर्क प्रस्तुत किये किन्तु उन्हें निराश होना पड़ा। यह एक शानदार पराजय थी !

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस असफलता की अपेक्षाकृत भी बाद में श्री गोखले के बिल के सिद्धान्तों को सरकार व्यवहारिक रूप प्रदान करने लगी। अधिकतर शिक्षित भारतवासी अनिवार्य निशुल्क शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करने लगे। केन्द्र में शिक्षा विभाग स्थापित हो गया। प्राथमिक शिक्षा के आन्दोलन को सम्पूर्ण देश में एक तंत्र प्रगति मिली। १९१२ ई० में सीमाप्रान्त में प्राथमिक शिक्षा निशुल्क कर दी गई। संयुक्तप्रान्त, पंजाब, आसाम तथा मध्यप्रान्त में भी नाम मात्र शुल्क पर इसे अधिक विस्तार के साथ चालू कर दिया गया।

भारत सरकार की १९१३ ई० की शिक्षा नीति

देश में शिक्षा की माँग के सर्वप्रिय होने के कारण भारत सरकार को अपनी नीति को दुहराने की आवश्यकता अनुभव हुई। श्री गोखले के बिल के विरोध करने के कारण सरकार के लिये भी आवश्यक हो गया कि वह अपनी शिक्षा नीति को स्पष्ट करे। इसके अनिश्चित १९११ ई० के दिल्ली दरबार के उपरान्त देश में कुछ शासन सम्बन्धी परिवर्तन भाँ हुए। विभाजित बंगाल पुनः संयुक्त कर दिया गया। अतः शिक्षा क्षेत्र का पूर्ण अवलोकन व निरीक्षण करने के लिये २१ फरवरी, १९१३ ई० को सरकार ने शिक्षा नीति पर अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव पास किया।

इस प्रस्ताव के अनुसार निम्नलिखित सिफारिशें की गईं :—

- (१) लोअर प्राइमरी स्कूलों का विस्तार किया जाय जहाँ लिखने पढ़ने के अतिरिक्त ड्राइंग, गाँव का नकशा, प्रकृति निरीक्षण तथा शारीरिक व्यायाम की शिक्षा प्रदान की जाय।
- (२) साथ ही उचित स्थानों पर अपर प्राइमरी स्कूलों की स्थापना की

जाय और आवश्यकता पड़ने पर लोअर प्राइमरी स्कूलों को अपर प्राइमरी कर दिया जाय ।

- (३) सहायता प्राप्त व्यक्तिगत स्कूलों के स्थान पर बोर्ड स्कूल खोले जाँय तथा मकतब और पाठशालाओं को उदारता पूर्वक आर्थिक सहायता दी जाय । व्यक्तिगत स्कूलों का प्रबन्ध तथा निरीक्षण अधिक श्रच्छा किया जाय ।
- (४) भारत के बहुत से भागों में इस समय यह संभव नहीं है कि गाँव तथा नगरों के लिये भिन्न २ पाठ्यक्रम रक्खा जाय तथापि नगरों में भूगोल, पर्यटन इत्यादि के बढ़ाये जाने की संभावना है ।
- (५) शिक्षक उसी वर्ग के हों जिनके कि बालक हैं । वह मिडिल पास हों तथा एक साल की ट्रेनिंग लिये हुए हों छुट्टियों में प्राथमिक शिक्षकों के ज्ञान को नवीन करने के लिये उन्हें कोर्स दुहराने की सुविधा प्रदान की जाय ।
- (६) दीक्षित अध्यापकों को १२) ६० प्रतिमास से कम न मिलना चाहिये । उनकी तरफ़ी तथा पेंशन अथवा प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था की जाय ।
- (७) किसी भी अध्यापक से ५० से अधिक विद्यार्थियों को न पढ़वाया जाय । सामान्यतः उनकी संख्या ३० या ४० हो ।
- (८) मिडिल तथा माध्यमिक वर्नाक्युलर स्कूलों की दशा में सुधार किये जाँय तथा उनकी संख्या में वृद्धि की जाय ।
- (९) स्कूलों के भवन स्वच्छ, विस्तृत तथा अल्पव्ययी हों ।
- (१०) प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त स्त्री शिक्षा पर भी इस प्रस्ताव में जोर दिया गया । बालिकाओं के लिये विशेष तथा व्यवहारिक उपयोगिता के पाठ्यक्रम को तैयार करने के सुभाव रखे । प्रस्ताव में यह स्पष्ट कर दिया गया कि लड़कियों की शिक्षा में परीक्षा का महत्त्व अधिक न बढ़ने पावे । अध्यापिकाओं तथा निरीक्षिकाओं की संख्या बढ़ाई जावे ।
- (११) माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के पूर्ण पलायन का प्रस्ताव में विरोध किया गया साथ ही सरकारी स्कूलों के बढ़ाने का भी निषेध कर दिया गया । वर्तमान स्कूलों को आदर्श बना रहने दिया जाय तथा व्यक्तिगत स्कूलों को उचित सहायता-अनुदान द्वारा प्रोत्साहित किया जाय । परीक्षा-विधि तथा पाठ्यक्रम के सुधार की भी सिफारिश की गई ।

(१२) विश्वविद्यालय शिक्षा में और अधिक विस्तार का आयोजन किया गया। देश की माँग तथा आवश्यकताओं को देखते हुए पाँच विश्व-विद्यालयों तथा १८५ कालेजों को अर्पयित बतलाया गया। इसके अतिरिक्त १९०४ ई० से चले आने वाला नियम जिसके अनुसार विश्वविद्यालयों को हाईस्कूलों को स्वीकृति देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था, उसमें कुछ दोष आ जाने के कारण प्रस्ताव ने सुझाव रक्खा कि हाईस्कूल तथा विश्वविद्यालयों में उचित श्रम-विभाजन किया जाय। अतः विश्वविद्यालयों को स्कूलों को स्वीकृति प्रदान करने के उत्तरदायित्व से मुक्त करके उसे प्रान्तीय सरकारों के अधिकार में रक्खा जाय। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में शिक्षण तथा परीक्षा के दो कार्यों को भी अलग-अलग करके शिक्षण करने वाले विश्वविद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया। साथ ही उच्च-शिक्षा के पाठ्यक्रम में औद्योगिक महत्त्व के विषयों का समावेश और इच्छुक विद्यार्थियों के लिये अनुसन्धान की अधिक सुविधायें प्रदान करने की सिफारिश की। विद्यार्थियों के चरित्र तथा क्षात्रावास जीवन पर भी प्रस्ताव में सुझाव रखे गये।

आलोचना

इस प्रकार उपर्युक्त सुझावों को देखने से प्रतीत होता है कि माध्यमिक तथा कालेज शिक्षा में चलने वाला तर्क कि शिक्षा के विस्तार को बढ़ाया जाय अथवा उसकी किस्म का सुधार किया जाय, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी आ गया। इतना अवश्य है जहाँ सरकार शिक्षा की किस्म का सुधार करना चाहती थी वहाँ उसके विस्तार के विषय में भी सजग थी जैसा कि उपर्युक्त सिफारिशों से प्रकट होता है।

माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय क्षेत्र में यह सुझाव अत्यंत महत्त्व रखते थे। १९१३ ई० के उपरान्त १९२१ ई० तक भारत में जो सर्वाङ्गीन शिक्षा-विकास हुआ उसका श्रेय इस प्रस्ताव को ही है जिसका पर्यवेक्षण हम तत्कालीन 'शिक्षा प्रगति' नामक शीर्षक के अन्तर्गत आगे करेंगे। इतना अवश्य है कि सन् १९१४ ई० में विश्वयुद्ध की घोषणा तथा भारत सरकार के उस युद्ध में भाग लेने के कारण १९१३ई० के प्रस्ताव के अधिकतर सुझाव एक पवित्र आशा के रूप में ही रहे। युद्ध के उपरान्त १९१७ ई० में भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा के विषय में जाँच पड़ताल करने के लिये एक कमीशन की नियुक्ति की जो कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है।

कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन (१९१७ ई०)

नियुक्ति

प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्व भारत सरकार ने लार्ड हैल्डेन के सभापतित्व में एक विश्वविद्यालय कमीशन नियुक्त करने का प्रयास किया था किन्तु विश्वयुद्ध तथा लार्ड हैल्डेन की अस्वीकृति के कारण यह संभव न हो सका। युद्ध के उपरान्त सरकार ने १९१७ ई० में एक 'छोटा किन्तु शक्तिशाली' कमीशन नियुक्त किया। यह कमीशन प्रधानतः कलकत्ता विश्वविद्यालय की अवस्था की जाँच करने तथा उसकी समस्याओं को रचनात्मक विधि से सुलभाने के लिये नियुक्त किया गया था।

१४ सितम्बर १९१७ ई० को भारत सरकार ने एक प्रस्ताव प्रकाशित किया अनुसार इस कमीशन की नियुक्ति की। डा० माइकेल सैडलर, वाइस चांसलर लीड्स विश्वविद्यालय, इसके सभापति नियुक्त हुए। यही कारण है कि इतिहास में यह सैडलर कमीशन के नाम से भी विख्यात है। इसके अतिरिक्त अन्य सदस्य डा० ग्रेगरी, प्रोफे० रैमजे म्योर, सर हाटिंग, श्री हार्नेल, डा० जियाउद्दीन अहमद तथा सर आसुतोष मुकर्जी थे।

यद्यपि इस कमीशन की नियुक्ति केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिये ही हुई थी किन्तु तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से यह भी व्यवस्था कर दी गई थी कि कमीशन भारत के अन्य विश्वविद्यालयों की अवस्था का अध्ययन भी कर सकता है जो कि कमीशन ने किया तथा उनका निरीक्षण किया। यही कारण है कि इस कमीशन की रिपोर्ट का अखिल भारतवर्षीय महत्त्व है। लगभग १७ माह के कठिन श्रम के उपरान्त १९१९ ई० में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। यह रिपोर्ट १३ भागों में विभाजित है और भारतीय माध्यमिक, कालेजीय तथा विश्व-विद्यालय शिक्षा के विषय में एक अत्यंत ही विस्तृत, महत्त्वपूर्ण तथा रचनात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। प्राथमिक शिक्षा को इस रिपोर्ट में स्पर्श नहीं किया गया है किन्तु माध्यमिक शिक्षा पर, जो कि वस्तुतः उच्च शिक्षा का धरातल है, अच्छी विवेचना की गई है।

सिफारिशें

कमीशन की राय में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने के लिये माध्यमिक शिक्षा में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता थी अतः कमीशन ने इसके लिये निम्नलिखित सुझाव रखे :

- (१) इन्टर मीडियेट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से अलग कर दिया जाय और बी०ए० की उपाधि प्राप्त करने के लिये ३ वर्ष के पाठ्यक्रम की व्यवस्था

कर दी जाय। विश्वविद्यालय में प्रवेश इंटर पास करने पर हो न कि मैट्रिक पास करने पर।

(२) प्रथम उद्देश्य के लिये इन्टरमीडियेट कालेजों की स्थापना की जाय जहाँ कला, विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि, वाणिज्य तथा अभ्यापकी की शिक्षा प्रदान की जाय।

(३) हाईस्कूल तथा इन्टरमीडियेट बोर्ड की स्थापना प्रत्येक प्रान्त में की जाय जिसमें सरकार, विश्वविद्यालय, हाईस्कूल तथा इन्टरमीडियेट कालेजों के प्रतिनिधि सम्मिलित होकर माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध करें। माध्यमिक शिक्षा के विषय में इस बोर्ड को अधिकांश में शिक्षा-विभाग के नियन्त्रण से मुक्त रखने की सिफारिश की गई।

इस प्रकार नवीन बोर्ड का निर्माण करने में कमीशन का उद्देश्य यह था कि विश्वविद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा के भार से मुक्त करके इस योग्य बना दिया जाय कि वह अपना ध्यान पूर्णतः उच्च शिक्षा पर दे सकें। साथ ही शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच में पड़ी हुई मतभेद की गॉठ भी टूट जाय। इन इन्टर-कालेजों में कमीशन ने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखने पर जोर दिया।

इसके उपरान्त कमीशन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि इस विश्वविद्यालय का आकार अत्यन्त बढ़ गया है यहाँ तक कि इससे सम्बन्धित कालेजों तथा उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि एक विश्वविद्यालय इनका प्रबन्ध नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में कमीशन ने ३ सुभाव रखे :—

(१) ढाका में एक शिक्षा देने वाला स्थानीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय।

(२) कलकत्ता नगर के शिक्षा साधनों का पुनर्संगठन इस विधि से किया जाय कि कलकत्ता में भी वास्तविक शिक्षण कार्य करने वाले एक विश्वविद्यालय का निर्माण हो सके।

(३) नगर के आस पास के कालेजों का विकास इस प्रकार किया जाय कि उच्च शिक्षा के सम्पूर्ण साधनों को एकत्रित करके कुछ थोड़े से स्थानों पर ही विश्वविद्यालय-केन्द्रों के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करने की सम्भावना हो सके।

साधारण रूप से विश्वविद्यालयों के आन्तरिक शासन तथा संगठन पर भी कमीशन ने अपने विचार प्रकट किये। जैसे—

(१) विश्वविद्यालय आवश्यकता से अधिक सरकारी नियन्त्रण में हैं अतः इससे मुक्त करने के लिये शिक्षकों को विश्वविद्यालयों के विषयों में

अधिक अधिकार प्रदान किये जाँय ।

- (२) विश्वविद्यालयों के शासन नियम सरल कर दिये जाँय ।
- (३) योग्य विद्यार्थियों के लिये 'पास कोर्स' के अतिरिक्त 'ऑनर्स कोर्स' भी नियत कर दिये जाँय तथा इन्टर के बाद डिग्री कोर्स ३ वर्ष का कर दिया जाय ।
- (४) आन्तरिक शासन के लिये सीनेट के स्थान पर एक प्रतिनिधि-कोर्ट तथा सिडीकेट के स्थान पर छोटी सी कार्यकारिणी-परिषद् बना दी जाय ।
- (५) प्रोफेसरों तथा रीडरों की नियुक्ति विशेष समितियों द्वारा की जाय जिनमें बाहर के विशेषज्ञ भी सम्मिलित हो सकें ।
- (६) एकेडेमिक प्रश्नों को सुलझाने के लिये एकेडेमिक-परिषद् तथा अध्ययन-बोर्ड स्थापित कर दिये जाँय जोकि परीक्षा, पाठ्य-क्रम, उपाधिवितरण तथा अनुसन्धान इत्यादि के प्रश्नों को सुलझायें ।
- (७) भिन्न-भिन्न विभागों (Faculties) की स्थापना की जाय ।
- (८) एक वैतनिक वाइस चांसलर नियुक्त किया जाय ।
- (९) मुसलमानों में शिक्षा की पिछड़ी अवस्था को देखते हुए उन्हें हर प्रकार की विशेष सुविधा दी जाँय ।
- (१०) प्रत्येक विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की देख भाल करने के लिये स्वास्थ्यशिक्षा-संचालक की नियुक्ति को जाय ।

इन सिफारिशों के अतिरिक्त कमीशन ने स्त्री-शिक्षा अध्यापकों का प्रशिक्षण, औद्योगिक शिक्षा तथा टेक्नोलौजी और विज्ञानों के उचित शिक्षण के विषय में भी जोरदार सिफारिशें कीं । 'शिक्षा' विषय को बी०ए० तथा इन्टर कक्षाओं के पाठ्य-क्रम में सम्मिलित करने तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग खोलने की सिफारिश की । १५ और १६ वर्ष से ऊपर अवस्था वाली पर्दानशीन युवतियों के लिये उचित पर्दा करने की व्यवस्था पर जोर दिया । स्त्री-शिक्षा के लिये कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक 'स्पेशल बोर्ड ऑफ वीमेन्स एज्युकेशन' की स्थापना करने तथा उसे स्त्रियों की आवश्यकतानुसार उनके लिये विशेष पाठ्यक्रम नियत करने का अधिकार देने के लिये कहा । विश्वविद्यालयों के पारस्परिक सम्बन्धों में अधिक साम्य तथा महयोग उत्पन्न करने के लिये एक अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड स्थापित करने की भी सिफारिश की ।

आलाचना

इस प्रकार कमीशन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के सुधार के लिये अपने सुझाव रखे । किन्तु इनका महत्त्व सम्पूर्ण देश की शिक्षा के लिये है । इस कमीशन

के सुझावों के फलस्वरूप भारतीय विश्वविद्यालयों में महान सुधार हुआ तथा उनमें एक नवीन जीवन का संचार हुआ। विश्वविद्यालय अब विद्या के केन्द्र बनने लगे। इन सुझावों ने न केवल भावी विश्वविद्यालयों का ही स्वरूप स्थिर किया अपितु पूर्व स्थित विश्वविद्यालयों का भी नये दृष्टिकोण से पुनर्संगठन किया। विश्वविद्यालय शिक्षा पर इस कमीशन ने एक नया प्रकाश डाला। तथा उसे वास्तविक जीवन के अधिक निकट लाकर रख दिया। मातृभाषाओं की उन्नति हुई तथा अन्वेषण को प्रोत्साहन मिला। विश्वविद्यालयों का आन्तरिक संगठन व शासन पर्याप्त रूप से सुधर गया। वास्तव में यह रिपोर्ट आज भी विश्वविद्यालय शिक्षा पर पर्याप्त प्रकाश डालती है और नवीन सूचना देती है। उच्च शिक्षा के प्रायः सभी अंगों पर विचार करके कमीशन ने अपने तर्कयुक्त तथा रचनात्मक सुझाव दिये।

यह रिपोर्ट लन्दन विश्वविद्यालय के हैल्डेन कमीशन की रिपोर्ट से प्रभावित हुई थी। भारत में भी 'विश्वविद्यालय कालेजों' 'कंस्टीच्युएंट एन्ड इनकोर्पोरेटेड कालेज' 'रीडर,' 'कॉर्ट' तथा 'एकेडैमिक काउंसिल' इत्यादि की स्थापना इंग्लैंड के हैल्डेन-कमीशन के आधार पर ही देखने को मिलती है।

इतना आवश्यक है कि कमीशन के उद्देश्य उच्च होते हुए भी उसकी कुछ सिफारिशें समय से पूर्व ही थीं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के आदर्श पर कलकत्ता विश्वविद्यालय का संगठन उत्तम होते हुए भी उस समय व्यवहारिक नहीं था। माध्यमिक शिक्षा पर से शिक्षा विभाग का नियंत्रण हटाकर बोर्ड के अन्तर्गत कर देना भी समय से पूर्व था। इंटर कालेजों का परीक्षण भी सफल नहीं हुआ यहीं कारण है कि उत्तरप्रदेश में इंटरमीडियेट कालेजों को तोड़कर उच्चतर माध्यमिक शिक्षालय बनाने की योजना सरकार ने लागू की है जिसका आगे वर्णन करेंगे। किन्तु यह सब दोष तुच्छ हैं और रिपोर्ट की महानता को किसी भी प्रकार कम नहीं करते। इसके आधार पर भारत में मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ तथा हैदराबाद में स्थानीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई तथा उच्च व माध्यमिक-शिक्षा का पुनर्संगठन हुआ। भारतीय शिक्षा के इतिहास में यह रिपोर्ट एक युग-निर्माणक विवरण के रूप में सदा अमर रहेगी।

(ख) शिक्षा-प्रगति (१९०५-१९२० ई०)

विश्वविद्यालय शिक्षा

सन् १९०४ ई० के विश्वविद्यालय कानून ने भारत के पाँच विश्वविद्यालयों का पुनर्संगठन कर दिया। सीनेट तथा सिंडीकेटों की पुनः व्यवस्था करके फैलो सदस्यता को ५ वर्ष तक के लिये कर दिया। विश्वविद्यालयों के आन्तरिक सुधार के अतिरिक्त परीक्षा-विधि, शिक्षण-विधि तथा पाठ्यक्रम में संतोषजनक सुधार किये गये। विश्व-

विद्यालयों से सम्बन्धित कालेजों का निरीक्षण करने का भी अधिकार उन्हें मिल जाने के कारण इन कालेजों के प्रबन्ध तथा शिक्षा-स्तर में उन्नति हुई। कालेजों में सर्वाङ्गीण उन्नति के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। इतना अवश्य है कि नियमों की कठोरता के कारण कला-कालेजों की संख्या १९०२ ई० में १४५ से घट कर १९१२ ई० में १४० रह गई किन्तु उनमें अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई। आसाम तथा बंगाल में कालेज के विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई। १९१० ई० में पेशावर में भी इस्लामिया कालेज की स्थापना हुई।

कालेज शिक्षा को प्राप्त करने का उद्देश्य अब इतना सरकारी तौनकरी प्रस करना नहीं रह गया था क्योंकि शिक्षितों की संख्या में अपरिमित वृद्धि हो रही थी। रोजगार का कोई अन्य साधन या विकल्प न होने के कारण कालेजों में उच्च-शिक्षा के लिये विद्यार्थियों की वृद्धि होने लगी। औद्योगिक शिक्षा के कालेजों के अभाव में भी अधिकतर विद्यार्थी निरुद्देश्य कला व विज्ञान के कालेजों में प्रवेश पाने लगे। विद्यार्थियों की संख्या में यह निरुद्देश्य वृद्धि एक शुभ प्रगति न होकर एक रोग का चिन्ह था।

इस युग में कालेजों की आर्थिक अवस्था में सुधार होने लगा। सरकार ने अनुदान भी बढ़ा दिया था। किन्तु, १९०५ ई० में इससे पूर्व पंजाब विश्वविद्यालय को ३० हजार ६० वार्षिक प्राच्य तथा कालेज के लिये मिलता था। विश्वविद्यालयों की उन्नति के लिये ५ लाख रुपये वार्षिक का अनुदान भारत सरकार ने और स्वीकार कर लिया। कालेजों के विकास के लिये इसमें से कुछ धनराशि अलग नियत कर दी गई। १९०७ से १९१२ ई० तक के काल में २४५ लाख वार्षिक-अनुदान सम्बन्धित-कालेजों के लिये और प्रदान किया गया। इधर शुल्क की आय में भी आशाजनक वृद्धि होने से आर्थिक अवस्था पर स्वस्थ प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने २७½ लाख का अनुदान भवन निर्माण के लिये विश्वविद्यालयों को १९०४ से १२ ई० तक दिया जिससे सीनेट भवनों का निर्माण कराया गया। सन् १९१२ ई० के उपरान्त भवन-निर्माण के लिये सरकार ने उदारता पूर्वक सहायता दी।

शिक्षा की उत्तमता तथा पाठ्यक्रम की दृष्टि से भी आशाजनक सुधार हुआ। १९०४ ई० के एक्ट के अनुसार ही शिक्षण कार्य की अनुमति विश्वविद्यालयों को मिल चुकी थी। कलकत्ता ने उत्तर-प्रेजुएट शिक्षण पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। बम्बई में ऑनर्स की व्यवस्था की गई। विदेशों से भी विशेषज्ञों को बुलाकर सामायिक भाषणों का प्रबन्ध विश्वविद्यालयों में हो गया और सर टी० हालैंड, प्रोफेसर रैमजे म्योर, डा० डैनियल जोन्स तथा प्रोफेसर आर्मस्ट्रोंग जैसे विद्वानों को शीत-ऋतु में विशेष भाषणों के लिये निमंत्रित किया गया।

अध्ययन विषयों में विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र तथा प्रयोगात्मक-मनोविज्ञान में अनुसंधान का विशेष आयोजन किया गया ।

१९१३ ई० के प्रस्ताव के उपरान्त बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय १९१५ ई० के कानून के अनुसार स्थापित किया गया जो कि १९१७ ई० में यथावत् कार्य करने लगा । इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय प्रधानतः स्व० पं० मदनमोहन मालवीय को है । १९१६ ई० में मैसूर विश्वविद्यालय ; १९१७ ई० में पटना ; १९१८ ई० में उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद जिसमें उच्च शिक्षा का माध्यम उर्दू रक्खा गया तथा १९२० ई० में ढाका, लखनऊ तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई । इस प्रकार १९१६ ई० से १९२१ ई० तक इनकी संख्या ५ से १२ हो गई । अधिकांश में यह सभी विश्वविद्यालय स्थानीय हैं जहाँ विद्यार्थियों के निवास व शिक्षण दोनों की उचित व्यवस्था है ।

इस प्रकार शिक्षण-विश्वविद्यालयों की स्थापना से उच्च शिक्षा में बहुत सुधार हुआ । वास्तव में भारत जैसे विशाल देश के लिये इस प्रकार के विश्वविद्यालयों का बढ़ा महत्त्व है किन्तु धनाभाव के कारण सम्बन्धक-विश्वविद्यालय (Affiliating Universities) की भी आवश्यकता रहेगी ।

माध्यमिक शिक्षा

लार्ड कर्जन की शिक्षा नीति के कारण माध्यमिक शिक्षा में सरकारी नियंत्रण अधिक बढ़ गया इस कारण उसकी कुशलता में तो वृद्धि हुई किन्तु परिमाण घट गया । सभी प्रकार के व्यक्तिगत तथा राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षालयों को सरकारने स्वीकृति प्रदान करने की व्यवस्था की । शिक्षा-विभाग की स्वीकृत के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों द्वारा भी उन्हें स्वीकृति मिलती थी यदि उन्हें मैट्रिक परीक्षा के किये विद्यार्थी भेजने हों । इस प्रबन्ध के कारण माध्यमिक शिक्षा पर दुहरा नियंत्रण हो जाने से उसके प्रसार में बाधा उपस्थित हुई । शिक्षा विभाग के द्वारा स्वीकृति मिलने पर माध्यमिक स्कूलों को सहायता अनुदान मिलने लगा, विद्यार्थियों को सरकारी ऐन्ट्रेंस परीक्षा में भेजने का अधिकार मिल गया तथा विद्यार्थियों को सरकारी छात्र-वृत्ति मिलने की संभावना हो गई । साथ ही अस्वीकृत शिक्षालयों के विद्यार्थियों को स्वीकृत-शिक्षालयों में हस्तान्तरित करने का निषेध कर दिया गया । इस साधन से अस्वीकृत स्कूलों पर भी एक प्रकार से रोक लग गई । वास्तव में लार्ड कर्जन ने शिक्षा-क्षेत्र में चली आने वाली उन्मुक्त-नीति (Laissez Faire Policy) का उन्मूलन करके उसे राजकीय नियंत्रण में कर दिया । इसका भारतीय मत ने बहुत विरोध किया और इसका सम्बन्ध सरकार की राजनैतिक चालों से जोड़ दिया । इससे माध्यमिक शिक्षा का भारत जैसे निर्धन और पर-तंत्र देश में स्वच्छन्द विकास रुक गया था । राजकीय स्कूलों को अवश्य

उदार सहायता दी गई। तथापि इस नीति का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि शिक्षा की उत्तमता व कुशलता बढ़ गई क्योंकि अस्वीकृत शिक्षालय स्वीकृत होने के लिये तथा सरकारी सहायता लेने के लिये अपनी अवस्था में सुधार करने लगे।

इस प्रकार १९०४ ई० से १९१२ ई० तक माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों की संख्या तो बढ़ा किन्तु शिक्षालयों में कोई संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई। १९१३ ई० की शिक्षानीति के अनुसार स्कूलों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई। किन्तु विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार बढ़ रही थी कि पूर्वस्थित स्कूलों के द्वारा उनकी पूर्ति असम्भव हो उठी। सन् १९१७ ई० में राजकीय स्कूलों की संख्या, २३७ लड़कों के लिये तथा २० स्कूल, लड़कियों के लिये थी। इसी समय यह प्रश्न भी जोर पकड़ गया कि या तो सरकार राजकीय हाई स्कूलों को बन्द कर दे अथवा उन्हें व्यक्तिगत प्रबन्धों को सौंप दे जिससे कि एक विशाल धन-राशि इस प्रकार मुक्त होकर व्यक्तिगत रूप से शिक्षा का प्रसार करने में सहायक हो सके। किन्तु यह मांग आज तक विद्यमान है। प्रत्येक जिले में सरकार की ओर से एक स्कूल आज भी चल रहा है जोंकि अब श्रेष्ठता की दृष्टि से किसी भी प्रकार के विशेषाधिकारों का दावा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि बहुत से राज्यों में सरकारों ने राजकीय और व्यक्तिगत विद्यालयों के बीच में एक प्रकार का पक्षपातपूर्ण बर्ताव कर रक्खा है। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा के माध्यम का प्रश्न अभी अन्तिम रूप से हल नहीं हो सका था। 'स्कूल फाइनल' परीक्षाओं का प्रचार बढ़ गया था अतः मैट्रिक-परीक्षा के पाठ्यक्रम के लचीले तथा आवश्यक रूप से वैकल्पिक न होने के कारण भिन्न २ प्रांतों ने 'स्कूल फाइनल परीक्षा' की योजनायें बनाई थीं जिनका संचालन शिक्षा विभाग को सौंपा गया। बम्बई में इसका प्रचार खूब बढ़ा। यू० पी० में 'स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा' का संगठन किया गया। पंजाब, बंगाल, मद्रास, ब्रह्मा तथा मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार की योजनायें १९११ ई० में बनीं। विज्ञान और वाणिज्य के अध्ययन पर भी जोर दिया गया। १९१३ ई० में बिहार तथा उड़ीसा में भी इस प्रकार की योजना बनीं किन्तु वह कार्यान्वित न हो सकी।

प्राथमिक शिक्षा :—जैसा हम देखते आ रहे हैं १८५४ ई० से ही भारत सरकार देश में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति की योजनायें बनाती आ रही थी, किन्तु इस दिशा में अभी तक आशाजनक प्रगति नहीं हुई थी। १९वीं शताब्दि के अन्त में दुर्भिक्ष तथा भूचालों के कारण सरकार का ध्यान उधर लग जाने से शिक्षा को आघात पहुँचा था। १९०४ ई० में लार्ड कर्जन के प्रस्ताव के अनुसार 'भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि देश में प्राथमिक शिक्षा का क्रियात्मक विस्तार सरकार का प्रथम महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है।' अतः स्थानीय बोर्डों से सुधार करके उनके प्रयत्नों को केवल प्राथमिक शिक्षा पर केन्द्रित किया गया। लार्ड

कर्जन के प्रस्ताव का प्रभाव यह हुआ कि देश में प्राथमिक शिक्षा का विस्तार होने लगा और अपर प्राइमरी तथा लोअर प्राइमरी स्कूलों की स्थापना हुई। भारत-सरकार ने शिक्षा अनुदान १९०५ ई० में ४० लाख से बढ़कर ७५ लाख कर दिया और ३५ लाख रुपया का पुनरावर्ती अनुदान प्रति वर्ष देना स्वीकार कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि १९०२ से लेकर १९१२ ई० तक प्राथमिक स्कूलों की संख्या दुगुनी हो गई।

सन् १९०४ई० के प्रस्ताव के अनुसार 'रोल्सफ़्ल के अनुसार वेतन' का कुप्रथा को १९०६ ई० में मङ्ग कर दिया गया और शिक्षा अनुदान के नियमों में सुधार कर दिया गया। अब तक सरकारी सहायता कुल व्यय की १/३ होती थी किन्तु लार्ड कर्जन ने उसे १/२ कर दिया। इससे प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ उसकी श्रेष्ठता भी बढ़ी। इसके अतिरिक्त लार्ड कर्जन ने पाठ्य-क्रम के सुधार, अध्यापकों का प्रशिक्षण तथा शिक्षणविधि में सुधार इत्यादि पर भी जोर देकर प्रथमिक शिक्षा की उन्नति की।

१९०६ ई० में बड़ौदा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हो जाने के कारण तथा सम्पूर्ण देश की राजनैतिक चेतना और स्वदेशी आन्दोलन के कारण भी प्राथमिक शिक्षा ने प्रगति की। जनता समझने लगी कि बिना सारक्षता तथा शिक्षा का प्रतिशत बढ़े हुए वह उन्नति नहीं कर सकती। इधर प्रसिद्ध नेता श्री गोपाल कृष्ण गोखले के प्रयास और उनके बिल इत्यादि ने प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न देश के लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न बना ही दिया था। यद्यपि श्री गोखले का बिल गिरा दिया गया था किन्तु सरकार उसके औचित्य तथा जनता में प्राथमिक शिक्षा के लिये दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली माँग को नहीं ठुकरा सकती थी, अतः उसने इसके लिये अब अधिक उदारता पूर्वक सहायता देना प्रारम्भ कर दिया। १९०७ से १९१२ ई० तक बालकों की संख्या ४ से ५ लाख तक हो गई। अब प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक रूप से सभी प्रान्तों में प्रायः निशुल्क हो गई।

१९११ ई० में दिल्ली दरबार के समय सम्राट् जार्ज पंचम ने, जबकि श्री गोखले के बिल पर बहस हो रही थी, ५० लाख रुपया राजकोष से प्राथमिक शिक्षा के लिये प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया; इससे बड़ी प्रगति हुई।

१९१३ ई० के शिक्षा-प्रस्ताव के द्वारा भी सरकार ने जन-शिक्षा को प्रगति दी। इसके अनुसार अधिकतर लोअर प्राइमरी स्कूलों को अपर प्राइमरी बना दिया तथा बोर्ड की ओर से प्राथमिक स्कूलों की स्थापना हुई। शिक्षकों की दशा तथा उनकी दीक्षा में सुधार करने की भी व्यवस्था की गई। १९१३ई० की शिक्षा-नीति का परिणाम यह हुआ कि १९१७ ई० तक प्रायः सभी प्रान्तों जैसे बम्बई, यू० पी०, पंजाब, मध्यप्रान्त, सीमाप्रान्त व आसाम में बोर्ड के स्कूल स्थापित हो गये। बालिकाओं के लिये अलग व्यवस्था की गई। बङ्गाल, बिहार, उड़ीसा तथा

मद्रास में इन बोर्ड स्कूलों ने कोई उन्नति नहीं की; वहाँ तो व्यक्तिगत स्कूलों का ही बाहुल्य रहा। बंगाल में सरकार ने 'पंचायती स्कूलों' की स्थापना की योजना बनाई जिसके अनुसार १०'४ वर्ग मील के क्षेत्र में एक आदर्श स्कूल स्थापित किया गया। यू० पी० में २५ वर्ग मील के क्षेत्र में एक प्राथमिक स्कूल खोला गया।

इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा ने प्रगति तो की किन्तु यह संतोषजनक नहीं थी। गोखले के उपरान्त उनके कार्य को श्री बालगंगाधर तिलक तथा विठ्ठलभाई पटेल ने ले लिया। तिलक ने अपने समाचार पत्र 'केसरी' द्वारा निशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की माँग को बड़े प्रभावशाली शब्दों में आगे बढ़ाया। १९१७ ई० तक स्कूलों में जाने योग्य बालकों के केवल ३३ प्रतिशत बालक प्राथमिक स्कूलों में जा रहे थे। १९१२ से १९१७ ई० तक के पंचसाला में अनुपाततः ८ वर्गमील के क्षेत्र से केवल १ बालक शिक्षा के लिये जाता था !

१९१८ ई० के उपरान्त देश में प्राथमिक शिक्षा ने पुनः प्रगति करना प्रारम्भ कर दिया। विश्वयुद्ध के कारण जो अवरोधन उत्पन्न हो गया था वह अब हट गया। १९१८ ई० में 'बम्बई प्राथमिक शिक्षा कानून' पास किया गया जिसके अनुसार कुछ नगरपालिकाओं को ६ से ११ वर्ष के बालकों के लिये अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ करने की अनुमति मिल गई। इसी प्रकार अन्य प्रान्तों में भी इसी प्रकार के कानून बने और १९१९ ई० में पंजाब, यू० पी० बंगाल तथा बिहार उड़ीसा ने प्राथमिक शिक्षा कानून को कार्यान्वित करना प्रारम्भ कर दिया। १९२० ई० में मध्यप्रान्त और मद्रास ने भी यह कानून पास कर दिये।

उपसंहार

इधर कुछ राजनैतिक हलचलों का भी शिक्षा पर साधारण रूप से तथा प्राथमिक शिक्षा पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। १९१७ ई० में रूस की राज्यक्रान्ति के समाचार भारत में भी आने लगे और इसका भारतीय शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा। इधर भारत में १९१९ ई० में रौलट बिल का भारतीय जनमत के विरुद्ध पास हो जाना तथा जनता द्वारा उसका बहिष्कार, उसके उपरान्त जनरल ओ० डायर द्वारा जलियाँन वाला बाग की दुखान्त घटना, युद्ध के उपरान्त आने वाली मंहगाई और बेकारी तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना महात्मा गान्धी द्वारा संचालित १९१९-२१ ई० का 'असहयोग आन्दोलन' जिसके कारण विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों का बहिष्कार कर दिया इत्यादि ऐसी घटनायें हैं, जिनका भारतीय शिक्षा पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता था। भारत सरकार ने इन आन्दोलनों को देखकर यह अनुभव कर लिया था कि "यूरोपीय इतिहास तथा विचारधारा की शिक्षा का अनिवार्य परिणाम है स्वराज्य की इच्छा; और आज भारत में जो

शिक्षित वर्ग की ओर से माँग रखी जा रही है वह हमारे १०० वर्ष के कार्यों का स्वाभाविक तथा ठीक परिणाम है।” इस सबका परिणाम यह हुआ कि १९१९ ई० में माटेग्यू-चैम्सफोर्ड सुधार हुए और भारत का विधान परिवर्तित कर दिया गया। इन सुधारों के प्रकाश में जो शिक्षा ने प्रगति की उसका वर्णन अगले अध्याय में किया जायगा।

चौदहवाँ अध्याय द्वैध शासन के बाद शिक्षा प्रगति

(१९२१-३७ ई०)

(क)

मांट-फोर्ड सुधार

१९१७ ई० में भारतमंत्री श्री मांटैग्यू ने तत्कालीन वायमराय लार्ड चेम्सफोर्ड के साथ भारत का दौरा किया और तत्कालीन राजनैतिक तथा वैधानिक परिस्थितियों का अध्ययन करके १९१८ ई० में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। १९१९ ई० में यह सुधार ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकृत हुए तथा १९२१ ई० से कार्यान्वित होने लगे। १९१९ ई० के एक्ट के द्वारा भारत के प्रान्तों में दोहरा शासन स्थापित हो गया। इससे पूर्व केन्द्रीय सरकार ही अखिल-भारतवर्षीय महत्त्व के सुधारों से सम्बन्ध रखती थी और इस सम्बन्ध में भिन्न २ प्रकार की समितियाँ तथा कमीशन इत्यादि की नियुक्ति करती थी। शिक्षा के क्षेत्र में भी केन्द्रीय सरकार नये सुधारों को लागू करती थी। किन्तु मांटफोर्ड सुधारों के द्वारा स्थिति बदल गई। प्रान्तीय सरकारें दो भागों में विभाजित हो गईं—सुरक्षित तथा हस्तान्तरित। स्वास्थ्य तथा शिक्षा इत्यादि विषय प्रान्तीय मंत्रियों को हस्तान्तरित कर दिये गये। यह मंत्री धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। भारतीय जन-प्रिय मंत्रियों को स्वायत्त-शासन का यह प्रथम पाठ था। प्रान्तीय शिक्षा हस्तान्तरित विषय तो हो गया किन्तु यूरोपियनों की शिक्षा तथा कुछ केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों जैसे सीमा-प्रान्त, अजमेर, कुर्ग, दिल्ली, बिलोचिस्तान इत्यादि की शिक्षा केन्द्र के नियंत्रण में ही रही। राजकुमारों के शिक्षालय तथा दिल्ली, अलीगढ़ और बनारस विश्वविद्यालय भी केन्द्रीय सरकार के आधीन रहे।

मांट-फोर्ड सुधारों से शिक्षा को पर्याप्त प्रगति मिली। भारतीय मंत्रियों ने उत्साहपूर्वक शिक्षा-प्रसार के कार्य को अपने हाथों में लिया। प्रान्तीय धारा-सभाओं ने भी शिक्षा-अनुदान की मांगों को सहर्ष स्वीकृत किया और देश में जन-शिक्षा प्रसार के अपने उत्तरदायित्व का अनुभव किया। स्थानीय बोर्डों के उत्तरदायित्व भी बढ़ गये और प्रायः सभी प्रान्तों में प्रथमिक-शिक्षा उन्हें हस्तान्तरित करदी गई। मांट-फोर्ड रिपोर्ट में भी तत्कालीन भारतीय अवस्था के विषय में स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया गया कि :—

“गत वर्षों में हमारी शिक्षा नीति का उद्देश्य, बिना उन परिणामों पर विचार किये हुये जो कि आम जनता की शिक्षा की अवहेलना से उत्पन्न हो सकते हैं उन थोड़े से व्यक्तियों को संतुष्ट करना था जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। वास्तव में हमने एक ऐसे संकीर्ण शिक्षित वर्ग को तैयार कर दिया है, जिन्हें उन्नति की अभिलाषा है; और हम उनकी प्रगति को पूर्णतः नहीं रोक सकते जब तक कि जन-साधारण के लिये शिक्षा उपलब्ध नहीं है।..... हम शिक्षा को व्यवहारिक नहीं बना सके।..... हमको स्वीकार करना चाहिये कि शिक्षित भारतीय पूर्णतः हमारी ही रचना है, और यदि उसको अच्छाइयों का श्रेय हम अपने ऊपर लेते हैं तो हमें उसकी दुर्बलताओं के उत्तरदायित्व को भी स्वीकार करना चाहिए।”

कुछ बाधाएँ

मांट-फोर्ड सुधारों से प्रान्तों का शासन दोहरा हो गया। शिक्षा का उत्तर-दायित्व भारतीय मन्त्री पर आ तो गया किन्तु उसके अधिकार उसे नहीं मिले आर्थिक प्रश्न सुरक्षित विषय रक्खा गया था अतः वित्त-विभाग अंग्रेज मन्त्रियों के हाथ में था जो कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों में केवल गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे। इस प्रबन्ध के कारण शिक्षा मन्त्री अपनी शिक्षा योजनाओं पर आवश्यकतानुसार रुपया व्यय नहीं कर सकते थे। इससे उनकी योजनाएँ भी निरर्थक रहती थीं।

दूसरे, केन्द्रीय सरकार ने अब अपने राजस्व का कोई भी भाग शिक्षा पर देना बन्द कर दिया। इससे प्रान्तीय सरकारों को बहुत आर्थिक क्षति उठानी पड़ी।

तीसरे, गवर्नरों के अधिकार आवश्यकता से अधिक थे, और डा० जैलनर के शब्दों में उनके द्वारा पूर्ण ‘वीटो’ शक्ति का प्रयोग किया जाता था और वह अपनी इच्छानुसार किसी भी विकास सम्बन्धी अधिनियम को ‘अनावश्यक’ कहकर अस्वीकृत कर सकते थे।

चौथी कठिनाई यह थी कि शिक्षा विभाग की भारतीय-शिक्षा-सेवा (Indian Education Service) के उच्च पदाधिकारी भारत मंत्री के अधिकार में रहते थे। इन उच्च अफसरों की भारतीय जनप्रिय मंत्रियों से नहीं बनती थी। परिणामतः सभी शिक्षा योजनाएँ अधिकांश में सफल नहीं हो पाती थीं। अतः १९२४ ई० में भारतीय-शिक्षा-सेवा की भर्ती बन्द कर दी गई।

इसके अतिरिक्त अन्त में देश में राष्ट्रीय आन्दोलनों के कारण १९१६ ई० के विधान में लोगों का विश्वास नहीं था। वह इसे एक घोखा मात्र समझते थे। परिणामतः शिक्षा मंत्री के पद पर कभी २ जनता का वास्तविक प्रतिनिधि भी नहीं पहुँच पाता था अतः उसे न्यवस्थापिका का सहयोग नहीं मिल पाता था। साथ ही केन्द्र का नियंत्रण उठ जाने से अखिल भारतवर्षीय महत्त्व अथवा अन्तर्प्रान्तीय महत्त्व की समस्याएँ भी नहीं हल हो पाती थीं और उनके विषय में केन्द्र कोई

एकसी नीति निर्धारित नहीं कर पाता था। इससे प्रान्तों का, जहाँ तक शिक्षा से सम्बन्ध था, केन्द्र से ही सम्बन्ध विच्छेद नहीं हुआ अपितु प्रान्तों में पारस्परिक साम्य को भी क्षति पहुँची। इस प्रकार इन कठिनाइयों में भारतीय मंत्रियों को विभिन्न प्रान्तों में एक दोहरे शासन के अन्तर्गत रहकर शिक्षा विकास करना पड़ा। परिणामतः हम इस युग में संतोषजनक प्रगति नहीं कर सके।

राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव

जैसा कि पिछले अध्याय में संकेत किया जा चुका है, युद्ध के उपरान्त अंग्रेजी सरकार ने भारतवासियों को उनकी युद्ध की सेवाओं के प्रतिकारस्वरूप जलियानवाला कागोलीकांड, पंजाब का फौजी शासन, देशव्यापी दमन तथा १९१६ ई० का विधान दिया था। इन सब घटनाओं ने देश में राष्ट्रीय आन्दोलन को जन्म दिया। महात्माजी ने १९२१ ई० में 'असहयोग आन्दोलन' प्रारम्भ कर दिया जिसके फलस्वरूप असंख्य विद्यार्थी स्कूल और कालेजों को छोड़ आये। वह ऐसे स्कूलों में नहीं पढ़ना चाहते थे जहाँ एक विदेशी सभ्यता अथवा भाषा पढ़ाई जाय और राष्ट्रीय भावनाओं को कुचला जाय। अतः अंग्रेजी स्कूलों का खुले रूप से बहिष्कार होने लगा।

किन्तु ऐसे विद्यार्थियों के लिये समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना भी नेताओं का कर्तव्य था। अतः अल्पकाल में ही देश भर में राष्ट्रीय विद्यालयों, विद्यापीठ और गुरुकुल इत्यादि का जाल सा बिछ गया। इनमें पूना, अहमदाबाद, लाहौर, पटना, बनारस इत्यादि के विद्यापीठ और अलीगढ़ का जामिया मिलिया स्लामियाँ जो कि १९२५ ई० में दिल्ली पहुँच गया, अधिक प्रसिद्ध हैं। इन राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं का वर्णन यथास्थान किया जायगा।

इस प्रकार एक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के सरकारी अथवा सरकार द्वारा स्वीकृत और सहायता प्राप्त शिक्षालयों को छोड़ देने से इनमें विद्यार्थियों की संख्या बहुत घट गई। "१९२१ ई० में उपस्थिति के प्रतिशत सारे देश में ८६ (कालेज), ५१ (हाई स्कूल) तथा ८१ (मिडिल स्कूल) में कमी हुई।" इसके अतिरिक्त फीस तथा परीक्षा शुल्क इत्यादि की आर्थिक क्षति भी रही।

इस आन्दोलन से शिक्षा के क्षेत्र में लाभ भी हुआ। एक तो साधारण जनता में एक राष्ट्रीय चेतना आ गई। शिक्षा में लोग अधिक रुचि दिखाने लगे। देश के धनवान लोग शिक्षा प्रचार के लिये आर्थिक सहायता देने के लिए प्रोत्साहित हो गये। जनता एक उत्साह, आशा और महत्वाकांक्षा से भर गई और शिक्षा के विकास के लिये कुछ त्याग करने की भावना से पूर्ण हो गई। कांग्रेस इस समय तक देश की प्रमुख राजनैतिक संस्था बन चुकी थी। उसने करांची में १९३१ ई० में निशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जन साधारण के लिये प्रारम्भिक शिक्षा को सस्ता, व्यवहारिक तथा उपयोगी बनाने के लिये १९३७ ई० में महात्मा गांधी ने वर्षा शिक्षा-योजना को जन्म दिया जिसके अनुसार

किसी हस्तकार्य के द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की बात थी। यद्यपि यह आन्दोलन अर्ध-राजनैतिक था किन्तु देश की शिक्षा को समय और आवश्यकता के अनुसार ढालने, आवश्यक परिवर्तन करने और व्यापक बनाने में बहुत सहायक हुआ। वर्तमान शिक्षा-पद्धति के दोष एकदम प्रकाश में आ गये और लोगों ने समझ लिया कि अब तक चली आने वाली शुद्ध साहित्यिक शिक्षा जो कि हमें जीवन में व्यर्थ बना देती है अवश्य ही बदल जानी चाहिये। भारतीय तरुणों को भी विदित हो गया कि उन्हें अच्छे प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके राष्ट्र-निर्माण के कार्य में महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित करना है।

अन्त में प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों को भी इन हलचलों से प्रेरणा मिली। उन्होंने भिन्न २ प्रान्तों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के लिये कानून पास किये। माध्यमिक स्कूल तथा विश्वविद्यालय खुले जिनका वर्णन हम आगे चलकर करेंगे। इधर १९१६ ई० के शासन-विधान से उत्पन्न हुई राजनैतिक तथा वैधानिक परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिये १९२७ ई० में 'साइमन कमीशन' की नियुक्ति हुई। इस कमीशन को भारतीय शिक्षा के विषय में भी अपना प्रतिवेदन देने की आज्ञा हुई थी इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कमीशन ने एक सहायक समिति (Auxiliary Committee) नियत की जिसके सभापति सर हर्टाग थे जो कि सैडलर कमीशन के भी सदस्य रह चुके थे और १९२१ ई० में ढाका विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी थे। यह समिति 'हर्टाग समिति' के नाम से विख्यात है।

हर्टाग-समिति की रिपोर्ट

हर्टाग समिति ने सितम्बर १९२६ ई० में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें तत्कालीन भारतीय शिक्षा की सभी अवस्थाओं का विशद वर्णन है। समिति ने इस बात को स्वीकार किया था कि १९१७ और १९२७ ई० के दशक में शिक्षा में बहुत उन्नति हुई। विकास के साथ ही साथ शिक्षा की उत्तमता में भी आशाजनक सुधार हुआ "शिक्षा साधारण रूप से राष्ट्रीय महत्व की एक प्रथम बात तथा 'राष्ट्र-निर्माण' का एक अनिवार्य साधन समझी जाने लगी है। व्यवस्थापिकाओं द्वारा इधर जो ध्यान दिया गया है वह इस बात का प्रमाण तथा लक्षण है। शिक्षा-विभाग के जन-प्रिय मंत्री के नियंत्रण में हस्तान्तरण हो जाने से जनता में भी शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न हुई है और इसे जनता की वर्तमान आवश्यकताओं और मत के अनुरूप भी बना दिया है। शिक्षा के विकास का स्वागत न केवल सरकारी अधिकारियों और धनिक वर्ग ने ही किया है अपितु वह जातियों जो शिक्षा में अब तक पिछड़ी हुई थीं जैसे मुसलमान, अब अपने बच्चों के लिये शिक्षा की आवश्यकता तथा संभावना के प्रति सचेत हो गई हैं। यह आन्दोलन पिछड़ी हुई जातियों तथा आदिवासियों तक में फैल चुका है और इसने शिक्षा को अधिकार

के रूप में माँगने के लिये एक बृहत्तर वग को जायत कर दिया है।”

प्राथमिक शिक्षा—गर्बाप इस प्रकार शिक्षा में प्रगति हो रही थी किन्तु समिति देश में साक्षरता की प्रगति से संतुष्ट नहीं थी। उसकी राय में शिक्षा में पर्याप्त अपव्यय (Waste) और अवरोधन (Stagnation) उत्पन्न हो गया था। प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना करके उच्च-शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा था। ग्रामीण-शिक्षा के मार्ग में कुछ कठिनाइयों के होने के कारण साक्षरता की गति बढ़ी मन्द थी। प्रधानतः यह कठिनाइयों थीं ग्रामीण जनता की निर्धनता, अशिक्षा, आवागमन के साधनों का अभाव, मौसमी बीमारियाँ, धार्मिक तथा जातीय अंधविश्वास तथा कृषि-कार्य में बच्चों का समय से पूर्व हो लग जाना इत्यादि। समिति की राय में प्रान्तीय सरकारों द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिये क्रियात्मक कदम उठाने का अभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण था जिससे साक्षरता में आशाजनक प्रगति नहीं हो रही थी।

प्राथमिक शिक्षा के विषय में कमेटी ने आगे चल कर कहा कि “प्राथमिक-शिक्षा प्रणाली में, जोकि हमारी राय में साक्षरता और मताधिकार सिखाने का प्रमुख साधन है, बहुत ज्यादा अपव्यय है। जहाँ तक हमें विदित है प्राथमिक स्कूलों की संख्या में जितनी वृद्धि हुई है साक्षरता उसी अनुपात से नहीं बढ़ी है क्योंकि इन प्राथमिक स्कूलों में बहुत ही थोड़े विद्यार्थी कक्षा ४ तक पहुँचते हैं जिनमें हम साक्षरता की आशा कर सकें। यह स्मरणीय है कि वर्तमान ग्रामीण परिस्थितियों में तथा देश भाषाओं में उपयुक्त साहित्य के अभाव में स्कूल छोड़ने पर बालक के लिये साक्षरता प्राप्त करने के बहुत कम अवसर रह जाते हैं, और वास्तव में साक्षरों के भी निरक्षर हो जाने की बहुत संभावना रहती है।” इस प्रकार साक्षर बनने के लिये समिति की राय में कम से कम चार वर्ष अवश्य लगने चाहिये। किन्तु भिन्न २ परिस्थितियों के कारण बालक पहिली या दूसरी कक्षा पास करके बीच में ही पढ़ना छोड़ देते थे। १९२२-२३ ई० में ब्रिटिश भारत में कक्षा १ में पढ़ने वाले प्रति १०० विद्यार्थियों में तीन वर्ष बाद कक्षा ३ या ४ में केवल १६ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। इसके लिये समिति ने वही दो प्रधान कारण ‘अपव्यय’ तथा ‘अवरोधन’ बतलाये। ‘अपव्यय’ से अभिप्राय था प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने के पूर्व ही बच्चों को पढ़ाने से रोक लेना। जो रुपया या समय उन पर व्यय हुआ वह नष्ट हो गया क्योंकि वह साक्षरता भी प्राप्त न कर सके। ‘अवरोधन’ का अभिप्राय था बच्चे का एक ही कक्षा में १ वर्ष से अधिक रह जाना।

लड़कियों की शिक्षा में भी समिति ने अपव्यय की शिकायत की। कक्षा १ में पढ़ने वाली प्रति १०० बालिकाओं में से केवल १४ ही कक्षा ४ तक आ पाती थीं अर्थात् हमारे शिक्षा प्रयत्नों के ८०% प्रतिशत से भी अधिक प्रयत्न व्यर्थ नष्ट हो जाते थे।

समिति की राय में नगरों में तो प्राथमिक शिक्षा की समस्या इतनी उग्र नहीं थी किन्तु गांवों में जहाँ “स्कूल बहुत छोटे २ हैं; पर्याप्त शिक्षक रखने पर व्यय अधिक होता है। जबतक शिक्षकों को विशेष रूप से शिक्षित किया तथा चुना न जायगा गांवों का जीवन उनके लिये आकर्षक नहीं, अध्यापिकायें गांवों में तब तक नहीं रह सकती जबतक कि स्थिति अनुकूल न हो जाय; शिक्षक अकेले रह जाते हैं तथा शासन, निरीक्षण और देखभाल की कठिनाइयों भी बढ़ जाती हैं; और बच्चों की उपस्थिति नियमित रूप से अधिक समय तक रखना अत्यन्त दुस्तर हो जाता है।” ऐसे स्थानों में प्राथमिकशिक्षा-समस्या बड़ी दुरूह थी। ऐसी अवस्था में अपव्यय होना अनिवार्य था। कमेटी के मतानुसार इस दुरुपयोग के प्रमुख कारण थे (१) अपव्यय तथा अवरोधन (२) साक्षरों का बीच में ही पढ़ना छोड़ देने से पुनः निरक्षरता; (३) प्रौढ़शिक्षा के लिये सुविधाओं का अभाव, (४) शिक्षालयों का अनियमित वितरण जिसके कारण “ऐसे दीर्घ क्षेत्र विद्यमान थे जहाँ एक भी स्कूल नहीं जबकि कुछ छोटे क्षेत्रों में इतने छोटे २ स्कूल थे जो बच्चों को बुलाने के लिये भयंकर स्पर्धा कर रहे थे;” (५) ५०० की जनसंख्या के गांवों में स्कूल न खुल सकने की असुविधा; (६) वर्तमान स्कूलों से पर्याप्त लाभ न उठा सकना अर्थात् बहुत से ग्रान्तों में स्कूल तो पर्याप्त हैं किन्तु वह अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश के लिये आकर्षित नहीं कर सकते। इस प्रकार स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम होने से धन व प्रयास का बड़ा दुरुपयोग होता है; (७) एक शिक्षक वाले स्कूल—ऐसे स्कूल जहाँ केवल एक ही शिक्षक हो वह प्रत्येक कक्षा के बच्चों के साथ प्रत्येक विषय में पूर्ण रूप से न्याय नहीं कर सकता अतः यह सब प्रयत्न व्यर्थ जाता है। (८) उचित शिक्षण का अभाव; (९) निरीक्षण का अभाव; (१०) अनुपयुक्त पाठ्यक्रम—ऐसा पाठ्यक्रम जो कि वास्तविक जीवन तथा सच्ची परिस्थितियों से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है; (११) तथा ऐसे प्राथमिक स्कूलों की स्थापना जोकि कुछ समय बाद टूट जाते हैं।

प्राथमिक शिक्षा के इन सब दोषों को दूर करने के लिये समिति ने निम्न-लिखित सिफारिशों कीं जिन्हें श्री नूरुल्ला और नायक के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार रक्खा जा सकता है :—

- (१) शिक्षा विस्तार की नीति के स्थान पर शिक्षा के ठोस करने की नीति (Consolidation) का अनुसरण किया जाय।
- (२) प्राथमिक शिक्षा की न्यूनतम अवधि ४ वर्ष हो।
- (३) प्राथमिक शिक्षकों की सामान्य शिक्षा का स्तर उँचा उठना चाहिए। उनके लिये प्रशिक्षण तथा रिफ्रेशर कोर्स की उचित सुविधा दी जाय। उनकी ज्ञान वृद्धि के लिये शिक्षा-सम्मेलन हों तथा उनकी दशा में

सुधार करने के लिए उनके वेतन बढ़ाये जाय और नोकरी की दशाओं में भी सुधार किये जाय ।

- (४) प्राथमिक स्कूलों का पाठ्यक्रम अधिक उदार व उपयुक्त बनाया जाय ।
“एक ऐसा स्कूल जिसमें पर्याप्त विद्यार्थी हों और जो पढ़ाई की परिस्थितियों से सीधा सम्पर्क रखता हो, वह आगे आने वाली पीढ़ी को स्वास्थ्य रक्षा, शरीर विज्ञान, सफाई, मितव्ययता तथा आत्म निर्भरता के अच्छे पाठ पढ़ा सकता है ।”
- (५) स्कूल के घंटे तथा छुट्टी के दिन ऋतु तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिये ।
- (६) प्राथमिक स्कूलों में निम्नतम कक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिये और जो अवरोधन व अपव्यय वहाँ फैला है उसे दूर करने के लिये दृढ़ प्रयत्न करने चाहिये ।
- (७) ग्राम-सुधार का कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिये और स्कूल से उसका सम्बन्ध स्थापित कर देना चाहिये ।
- (८) प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रव्यापी-महत्त्व का विषय होने के कारण भारत सरकार को इसके प्रसार का पूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिये तथा उसे पूर्णतः स्थानीय बोर्डों को सुपुर्द करके निश्चिन्त न हो जाना चाहिये ।
- (९) सरकार का निरीक्षण-स्टाफ बढ़ जाना चाहिये ।
- (१०) शिक्षा को अनिवार्य करने की योजना पर बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कदम उठाना हानिकारक है अतः इस पर पर्याप्त विचार के उपरान्त उसका आधार बना कर ही कार्यान्वित करना चाहिये ।*

माध्यमिक शिक्षा—प्राथमिक-शिक्षा पर प्रत्येक दृष्टिकोण से विचार करने के उपरान्त समिति ने माध्यमिक-शिक्षा के प्रश्न को हाथ में लिया । माध्यमिक शिक्षा के विषय में हर्टांग समिति का मत था कि इसने संतोषजनक प्रगति की है । “माध्यमिक-शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विषयों जैसे शिक्षकों की दशा, योग्यता, नौकरी की परिस्थितियों तथा प्रशिक्षण में सुधार तथा स्कूल के सामाजिक-जीवन को विस्तृत बनाने में उन्नति हुई है । किन्तु यहाँ भी संगठन सम्बन्धी बड़े दोष हैं । माध्यमिक शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र में आज भी वही विचारधारा प्रबल है कि प्रत्येक लड़का जो कि माध्यमिक स्कूल में प्रवेश करता है, उसे विश्वविद्यालय में अवश्य ही पढ़ना चाहिये; और मैट्रिक्यूलेशन तथा विश्वविद्यालय परीक्षाओं में

एक बड़ी संख्या में लड़कों का असफल होना एक बड़ा भारी अपव्यय है।” इस दुरुपयोग के प्रमुख कारण समिति ने बताये हैं :

- (१) प्रारम्भिक अवस्थाओं में कक्षाओं में आसानी से तरकी दे देना, तथा
- (२) आवश्यकता से अधिक संख्या में अयोग्य विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा के लिये जाना। माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिये भी समिति ने सुझाव रक्खे कि मिडिल स्कूलों का पाठ्य-क्रम अधिक विस्तृत हो जिससे अधिकांश बालकों की आवश्यकता यहीं पर पूर्ण हो जाया करे। मिडिल स्कूल के बाद विद्यार्थियों को औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रों में बाँट देना तथा हाईस्कूल में वैकल्पिक विषयों को रख देना चाहिये।

विश्वविद्यालय शिक्षा - विश्वविद्यालय शिक्षा की प्रगति से तो समिति को हर्ष हुआ किन्तु उसमें भी कुछ दोषों का आभास उसे मिला। “बहुत से विश्व-विद्यालय तथा कालेजों की पाठन-विधि तथा मौलिक अनुसंधान में उन्नति हुई है तथा कुछ में पहिले से भी अधिक सामाजिक-जीवन की शिक्षा प्रदान की जाती है। किन्तु भारतवर्ष में यह विश्वास अब भी प्रचलित है विश्वविद्यालयों का मुख्य कार्य परीक्षाएँ पास कराना है। हमारी इच्छा है कि विश्व विद्यालय सहिष्णु, आत्म-विश्वासी तथा उदार नागरिकों के निर्माण को अपना प्रमुख कर्तव्य मानें। जो विश्वविद्यालयों की शिक्षा से समुचित लाभ उठाने के अयोग्य हैं, ऐसे विद्यार्थियों के उभमें मर जाने से विश्वविद्यालयों के कार्य में बड़ी बाधा पहुँची है।”

अतः कमेटी ने विश्वविद्यालयों के उत्थान के लिये सिफारिशें कीं कि विश्व-विद्यालयों को शिक्षा का स्तर ऊँचा रखना चाहिये तथा प्रवेशिका-परीक्षा (Entrance Examination) के विद्यार्थियों के साथ कुछ कड़ाई का व्यवहार करना चाहिये जिससे अयोग्य विद्यार्थी उच्च-शिक्षा को न जा सकें। इसके अतिरिक्त समिति ने प्रमुख विश्वविद्यालयों में ‘ऑनर्स कोर्स’ तथा अच्छे पुस्तकालयों और व्यूटोरियल कक्षाओं की भी सिफारिशें कीं।

स्त्री-शिक्षा:—लड़कियों की शिक्षा में समिति ने अनुभव किया कि अभी अवस्था बड़ी असंतोष-जनक है। गाँवों में उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है। लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के अनुपातों में आश्चर्य-जनक अन्तर है। बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्र भी बड़ा सीमित है। योग्य व प्रशिक्षित अध्यापिकाओं का बड़ा अभाव है। इस दिशा में समिति ने सिफारिशें कीं कि लड़कियों का पाठ्यक्रम उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिये। अधिक प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की आवश्यकता है। अध्यापिकाओं तथा निरीक्षिकाओं की पर्याप्त नियुक्ति होनी चाहिये। धीरे-धीरे लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा को भी अनिवार्य बनाया जा सकता है। लड़कियों भावी मातायें हैं अतः

उन्हें प्रथमता दी जाय। अन्त में हर्टाग समिति ने अनुभव किया कि केन्द्रीय सरकार का प्रान्तीय सरकारों को सत्ता हस्तान्तरित करने का कार्य बड़ी जल्दी में कर दिया गया। वास्तव में केन्द्रीय सरकार अपने आपको देश की शिक्षा के उत्तरदायित्व से कभी भी मुक्त नहीं कर सकती है। अतः उसने दिल्ली में एक केन्द्रीय-शिक्षा-समिति खोलने की सलाह दी। इसके अतिरिक्त समिति ने प्रान्तीय शिक्षा-संचालकों के कार्यों की सराहना करते हुए उनकी सहायता के लिये प्रान्तीय प्रमुख कार्यालयों में अधिक स्टाफ बढ़ाने तथा अधिक निरीक्षक और उपनिरीक्षक बढ़ाने की सलाह दी। केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों के शिक्षा कमिश्नर के स्थान पर शिक्षा-सैक्रेटरी तथा संचालकों की नियमित सभायें करने की भी सिफारिश की गई।

उपसंहार

हर्टाग समिति की रिपोर्ट भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक प्रमुख महत्त्व रखती है। वस्तुतः इसने तत्कालीन शिक्षा नीति को एक स्थाई स्वरूप प्रदान किया। और शिक्षा को ठोस तथा विस्तृत बनाने का प्रयास किया। सरकारी क्षेत्रों में तो इस रिपोर्ट का बड़ा स्वागत हुआ और इसे 'सरकारी प्रयत्नों की दीपिका' समझा गया। परिमाण के समक्ष शिक्षा की किस्म में सुधार करने के समिति के सुझाव का भी वहाँ बड़ा स्वागत हुआ वस्तुतः यह रिपोर्ट ही एक प्रकार से सरकारी अधिकारियों की प्रतिनिधि नीति हो गई। अतः भिन्न २ प्रान्तों में शिक्षा के स्तर को ऊँचा करने की आड़ में उसके व्यापक प्रसार को रोका गया।

किन्तु गैर-सरकारी क्षेत्रों में इस रिपोर्ट की कटु आलोचना हुई। शिक्षा का प्रसार रोकने के लिये इसे सरकार की एक चाल बतलाया गया। देश में राष्ट्रीय चेतना के फैलने से प्रत्येक सरकारी नीति पर संदेह किया जाने लगा। देश के प्रमुख नेताओं ने शिक्षा के विस्तार को अधिक प्रमुखता दी और कहा कि यदि विस्तार ही जायगा तो स्तर को बाद में उठाया जा सकता है। देश की वास्तविक आवश्यकता तो सर्वव्यापी साक्षरता थी। इसके अतिरिक्त समिति के कुछ आँकड़ों की प्रमाणिकता पर भी संदेह किया गया।

इतना निश्चय है कि जो प्रगति १९२२-२७ ई० में हुई थी वह १९२७ ई० के उपरान्त न हो सकी। इसका एक प्रमुख कारण १९३०-३१ ई० का विश्व-व्यापी आर्थिक संकट भी था जिसकी छाया भारतीय बजट पर भी पड़ी। परिणामतः केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों को राष्ट्र-निर्माणक विषयों में निर्दयतापूर्वक कटौती करनी पड़ी थी। निम्नलिखित आँकड़ों से प्रकट होता है कि सरकार ने प्रारम्भ में शिक्षा पर अपना व्यय बढ़ाकर किस प्रकार कम कर दिया जोकि अन्त में ही जाकर बढ़ सका :—

वर्ष	सरकारी व्यय (लाखों में)
१९२६-२७	११६३ लाख
१९३०-३१	१३६१ "
१९३१-३२	१२४६ "
१९३२-३३	११३५ "
१९३५-३६	११८४
१९३६-३७	१२३६

इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि १९३०-३१ ई० में व्यय घट गया और उत्तरोत्तर घटता ही गया यहाँ तक कि १९३७ ई० में जाकर ६ वर्ष पहिले से भी कम रहा । किन्तु जहाँ सरकारी व्यय घटता जा रहा था व्यक्तिगत जनता का शिक्षा पर व्यय बढ़ता जा रहा था । वास्तव में जनता में अदम्य उत्साह था और वह शिक्षा के लिये सर्वस्व बलिदान करने को प्रतीत होती थी जैसा कि निम्नलिखित संख्याओं से प्रकट होता है:—

साधन	१९०२-२	१९१६-१७	१९२१-२२	१९३१-३२	१९३६-३७
सरकारी व्यय	१०३	३६२	६०२	१,२४६	१,२३६
गैर-सरकारी:					
(अ) जिला बोर्ड	५६	१७४	१६८	२८०	२५७
(आ) नगर पालिकायें	१५	४६	७६	१५८	१७८
(इ) फीस	१२७	३१६	३८०	६२३	७११
(ई) अन्य साधन	६७	१६५	३०८	४१२	४२४
योग	४०१	१,३६७	१,१२६	२,७१६	२,८०६

नोट:—यह आँकड़े केवल ब्रिटिश भारत के हैं ।^१

इतना अवश्य है कि आर्थिक कठिनाइयों के होते हुए भी शिक्षा का विकास देश में हो रहा था । शिक्षा के स्तर को उठाने तथा उसे ठोस करने की सिकाशियों का अधिक प्रभाव शिक्षा क्षेत्र में व्यक्तिगत साधनों पर नहीं पड़ा । उनका शिक्षा को व्यापक रूप देने का प्रयास जारी था । परिणामतः प्राथमिक, माध्य-

मिक तथा कालेज इत्यादि सभी क्षेत्रों में शिक्षालयों की संख्या में वृद्धि हुई जो निम्नलिखित तालिका से प्रकट होती है:—

शिक्षा संस्थाओं के प्रकार	संस्थाओं की संख्या		विद्यार्थियों की संख्या	
	१९२१-२२	१९३६-३७	१९२१-२२	१९३६-३७
१. विश्वविद्यालय.....	१०	१५	संख्या अज्ञेय	६,६६७
२. कला कालेज.....	१६५	२७१	४५,४१८	८६,२७३
३. व्यवसायिक कालेज ...	६४	७५	१३,६६२	२०,६४५
४. माध्यमिक शिक्षालय...	७,५३०	१३,०५६	११,०६,८०३	२२,८७,८७२
५. प्राथमिक शिक्षालय....	१,५५,०१७	१,९२,२४४	६१,०६,७५२	१,०२,२४,२८८
६. विशेष शिक्षालय.....	३,३४४	५,६४७	१,२०,६२५	२,५६,२६६
स्वीकृत संस्थाओं का योग	१,६६,१३०	२,११,३०८	७३,६६,५६०	१,२८,८८,०४४
७. अस्वीकृत संस्थाएँ	१६,३२२	१६,६४७	४,२२,१६५	५,०१,५३०
महायोग	१,८२,४५२	२,२७,९५५	७८,१८७२५	१,३३,८९,५७४

नोट:—यह संख्या केवल ब्रिटिश भारत की है।^१

इस प्रकार हमें विदित होता है कि १९२२ से १९३७ ई० तक विद्यालयों तथा विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही थी किन्तु भारत की जनसंख्या और निरक्षरता को देखते हुए यह संख्या अपर्याप्त थी। हर्टॉग समिति की भी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया जैसे शिक्षकों के वेतन में वृद्धि, निरीक्षकों की नियुक्ति, पाठ्यक्रम में सुधार तथा प्रौढ़-शिक्षा की व्यवस्था आदि केवल पवित्र आशयों ही रहीं।

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board)

प्रान्तीय शिक्षानीति का सम्बन्ध केन्द्रीय नीति से जोड़ने तथा शिक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयों पर सलाह देने के लिये १९२१ ई० में 'केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड' की स्थापना हुई। किन्तु आर्थिक संकट के कारण इसे भङ्ग कर दिया गया। हार्टॉग-समिति की सिफारिश के फलस्वरूप 'केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का' १९३५ ई० में पुनः सङ्गठन किया गया। इस बोर्ड में सभी प्रान्तों के सदस्य थे। १९३५ ई० में प्रथम बैठक में ही बोर्ड ने देश की शिक्षा समस्याओं पर विचार किया और शिक्षा

में आमूल परिवर्तन करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये। इसने शिक्षा के लिये कक्षाओं का पुनः वर्गीकरण किया और शुद्ध साहित्यिक शिक्षा के स्थान पर व्यवसायिक व औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया। प्रस्ताव में कहा गया कि स्कूलों में वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आमूल क्रान्ति करने के लिये यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों को केवल व्यवसायिक और विश्वविद्यालय के प्रवेश की ही शिक्षा नहीं देनी चाहिये, अपितु उपयुक्त कक्षा पर पहुँचने के अन्त में उन्हें इस योग्य बना दिया जाय कि वह किसी भी पेशा में अथवा किसी विशेष व्यवसायिक शिक्षालय में चले जाँय। इसके लिये बोर्ड ने निम्नलिखित स्टेजों की सलाह दी।^१

- (१) प्राथमिक स्टेज—जिसका उद्देश्य कम से कम स्थायी साक्षरता और कुछ सामान्य शिक्षा प्रदान करना हो।
- (२) निम्न माध्यमिक स्टेज—इसमें साधारण शिक्षा के लिये एक ऐसा पाठ्य-क्रम हो जो अपने आप में ही पर्याप्त हो। यही शिक्षा उच्च-माध्यमिक तथा विशेष व्यवसायिक शिक्षा का आधार हो।
- (३) उच्चतर माध्यमिक स्टेज—इसमें ऐसे शिक्षालय सम्मिलित होंगे जिनमें अपनी २ आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न कोर्स-अवधि हो। यह शिक्षालय मुख्यतः ५ प्रकार के होंगे : (१) कला तथा विज्ञान में विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों के लिये तैयार करने वाले शिक्षालय; (२) ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये; (३) कृषि-प्रशिक्षण के लिये; (४) क्लर्कों के प्रशिक्षण के लिये तथा (५) चुने हुए टैक्निकल विषयों में प्रशिक्षण देने के लिये शिक्षालय जोकि मालिकों की परामर्श से चुने जाँयगे।

इसके अतिरिक्त बोर्ड ने एक प्रस्ताव के द्वारा यह सलाह दी कि निम्न-माध्यमिक स्टेज के अन्त में प्रथम सरकारी परीक्षा ली जाय। इस योजना के निर्माण तथा पुनःसंगठन करने के लिये सरकार से कहा गया कि वह इस विषय में शिक्षा-विशेषज्ञों की राय ले।

बुड-ऐबट रिपोर्ट

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के अन्तिम प्रस्ताव के अनुसार व्यवसायिक शिक्षा पर सलाह देने के लिये १९३६ ई० में श्री ऐबट तथा बुड की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया गया। श्री ऐबट इंगलैंड की शिक्षा बोर्ड के टैक्निकल-स्कूलों के भूतपूर्व चीफ इंस्पेक्टर थे; तथा श्री एच० एच० बुड इंगलैंड की शिक्षा-बोर्ड के डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस थे। इन लोगों ने १९३३-३७ ई० में भारत-यात्रा की और १९३७ ई० में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जो कि दो भागों में

विभाजित है। श्री बुड ने भारतीय सामान्य शिक्षा तथा संगठन का अध्ययन किया और अपने सुझाव रखे तथा श्री ऐबट ने जो कि व्यवसायिक शिक्षा में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विशेषज्ञ थे भारतीय अवस्थाओं और साधनों का बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण किया और कुछ व्यवहारिक व मूल्यवान सुझाव रखे।

सामान्य शिक्षा के विषय में श्री बुड ने कहा कि प्राथमिक पाठशालाओं में दीक्षित-अध्यापकों का प्रबन्ध किया जाय तथा बालकिशोरों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाय। प्राथमिक स्कूलों के पाठ्य-क्रम में विशेष परिवर्तन की आवश्यकता है। इसमें पुस्तकीय शिक्षा के स्थान पर क्रियात्मक साधन द्वारा शिक्षा दी जाय। इसके अतिरिक्त ग्रामीण मिडिल स्कूलों में पाठ्य-क्रम ग्रामीण आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल हो साथ ही मातृभाषा शिक्षा का माध्यम हो और मिडिल स्कूलों में यथासंभव अंग्रेजी न पढ़ाई जाय। माध्यमिक शिक्षालयों में अवश्य अंग्रेजी को आवश्यक विषय कर दिया जाय। आर्ट और क्राफ्ट को प्रोत्साहित किया जाय और उसे प्रारम्भिक तथा माध्यमिक पाठ्य-क्रम में सम्मिलित कर दिया जाय। इस विषय के लिये हाई स्कूलों में योग्य शिक्षक रखे जाय। प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों के शिक्षकों के लिये मिडिल पास करने के उपरान्त ३ वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स रकवा जाय।

इस प्रकार श्री बुड ने माध्यमिक शिक्षा के संगठन, नियंत्रण और पाठ्य-क्रम का एक प्रकार से पुनः संगठन करने की सिफारिश की।

श्री ऐबट ने व्यवसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा के पुनः संगठन के विषय में लिखते हुए सिफारिश की कि प्रत्येक स्थान की आवश्यकताएँ विभिन्न होती हैं अतः प्रत्येक प्रान्त में व्यवसायिक शिक्षा का रूप वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार ही स्थिर करना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि यह व्यवसायिक शिक्षा इतनी अधिक न हो जाय जिससे देश में उद्योगों का तदनुसार विकास न होने के कारण कहीं बेकारी फैल जाय। व्यवसायिक शिक्षा भी सामान्य शिक्षा के समान ही मनुष्य की शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक दशाओं का सुधार करती है। वास्तव में सामान्य-शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा का अनुरूप है। व्यवसायिक शिक्षा बिना सामान्य शिक्षा के अपूर्ण है और जितने भी व्यवसायिक विषय हैं उनका प्रारम्भ सामान्य शिक्षालयों में ही होता है। किन्तु इस समानता की अपेक्षा भी दोनों शिक्षाओं के लक्ष्य व साधन भिन्न २ हैं अतः दोनों के स्कूल भी अलग २ होने चाहिये।

इस दृष्टिकोण से कुछ सामान्य शिक्षा पाने के उपरान्त ही व्यवसायिक शिक्षा प्रारम्भ करनी चाहिए। इस शिक्षा के संगठन के लिये उद्योगपतियों को पूर्ण सहयोग करना चाहिये। इसके अतिरिक्त कुटीर-उद्योग धन्वों तथा कृषि के लिये भी शिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री ऐबट ने बतलाया कि देश में संगठित बृहत् स्तर के उद्योगों में तीन प्रकार के श्रमिकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है : निर्देशक या प्रबन्धक, निरीक्षक और यंत्र-चालक । इनमें निरीक्षकों की शिक्षा का बड़ा महत्त्व है और उनके लिए शिक्षालयों की व्यवस्था होनी चाहिए । यंत्र पर कार्य करने वाले व्यक्ति काम से छुट्टी पाने पर अवकाश के घंटों में प्रशिक्षण लें ।

साथ ही रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि प्रत्येक प्रान्त में व्यवसायिक-शिक्षा-सलाहकार-समितियों की स्थापना कर दी जाय जिनके अन्तर्गत इंजिनियरिंग, कपड़ा व्यवसाय, कृषि कुटीर-उद्योग तथा वाणिज्य की शिक्षा सम्बन्धी उपसमितियों बना दी जाँय जोकि प्रत्येक प्रान्त में व्यवसायिक शिक्षा के संगठन तथा पाठ्यक्रम इत्यादि की पूर्ण रूप से उत्तरदायी हों ।

व्यवसायिक शिक्षा का आधार सामान्य शिक्षा होना चाहिये, अतः कम से कम मिडिल पास विद्यार्थी ही जूनियर-व्यवसायिक स्कूलों में प्रवेश पा सकें तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पास विद्यार्थी सीनियर-व्यवसायिक स्कूलों में प्रविष्ट किये जाय । इन जूनियर व्यवसायिक स्कूलों के शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी जोकि २ वर्ष में अपना पाठ्यक्रम समाप्त करेंगे, वह उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के समकक्ष माने जायेंगे । जूनियर स्कूल पास विद्यार्थी सीनियर स्कूल में भी प्रविष्ट हो सकेंगे अथवा किसी विशेष उद्योग में विशेष योग्यता प्राप्त कर लेंगे । जो सीनियर व्यवसायिक स्कूलों के पास विद्यार्थी होंगे वह इंटर कालेज के समकक्ष माने जायेंगे । इनका पाठ्यक्रम भी २ वर्ष का होगा । जो व्यक्ति पहले से ही कुछ व्यवसायों में नोकरी कर रहे हैं उनके लिये अर्धसामयिक (Part time) शिक्षालय खोल देने चाहिए ।

कृषि-शिक्षा के लिये रिपोर्ट में कहा गया कि इसके शिक्षालय सीमित हों । प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में कृषि का विषय वैकल्पिक कर दिया जाय । वाणिज्य भी इसी प्रकार वैकल्पिक विषय किया जा सकता है ।

भिन्न २ उद्योगों के लिए विशिष्ट स्कूलों के खोलने के स्थान पर रिपोर्ट में पोलिटेक्निक (Polytechnic) स्कूल जहाँ पर एक ही शिक्षालय में बहुत से व्यवसायों की शिक्षा दी जाती हो, खोलने की सिफारिश की ।

इनके अतिरिक्त आर्ट और क्राफ्ट की शिक्षा पर भी जोर दिया गया तथा दिल्ली में एक व्यवसायिक प्रशिक्षण कालेज (Vocational Training College) खोलने की भी सिफारिश की गई ।

इस प्रकार देश की परिस्थिति और वास्तविक आवश्यकताओं को देखते हुये भी डब-ऐबट रिपोर्ट एक विशेष माँग की पूर्ति करती है ।

अब आगे हम इन रिपोर्टों तथा अन्य परिवर्तन और हलचलों के प्रकाश में हुई देश की शिक्षा-प्रगति का क्रमशः अध्ययन करेंगे ।

(ख) शिक्षा प्रगति (१९२१-३७ ई०)

१-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

इस काल में विश्वविद्यालय-शिक्षा में संतोषजनक विस्तार व सुधार हुआ। अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड तथा ५ नये विश्वविद्यालयों का निर्माण; पुराने विश्वविद्यालयों का पुनःसंठान; अनुसंधान की सुविधायें; सैनिक शिक्षा की व्यवस्था तथा कुछ राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का प्रादुर्भाव इत्यादि इस युग की कुछ विशेष घटनायें हैं जिनसे हमें उच्च शिक्षा के विकास का अनुमान होता है।

अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड

भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ने पर यह आवश्यकता प्रतीत होने लगी कि इन सभी विश्वविद्यालयों में पारस्परिक साम्य तथा सहयोग स्थापित करने के लिये किसी ऐसी संस्था का निर्माण किया जाय जोकि विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्यों को समानता प्रदान करके उनमें एक्य उत्पन्न करे। कलकत्ता कमीशन ने भी इसकी सिफारिश की थी, साथ ही १९२१ ई० में साम्राज्य के अन्तर्गत हुई विश्वविद्यालय कांग्रेस और तदुपरान्त इंग्लैंड की भारतीय विद्यार्थियों के निमित्त बनी हुई लिटन-समिति ने भी इसकी स्थापना का समर्थन किया। फलतः १९२४ ई० में शिमला में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कान्फ्रेंस में इस अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना करदी गई जिसका प्रधान कार्यालय बंगलौर में रक्खा गया।

इस बोर्ड में सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। अपनी स्थापना के उपरान्त इसने विश्वविद्यालय शिक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। भिन्न २ शिक्षा-केन्द्रों में इसकी वार्षिक बैठकें होती हैं। इसके अतिरिक्त बोर्ड की पंचसाला कान्फ्रेंस भी उच्च शिक्षा के पेचीदे मसलों को हल करने के लिये होती हैं। भारतीय विश्वविद्यालय-पुस्तिका (A Handbook of Indian Universities) नामक इसका एक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन भी है।

इस बोर्ड के प्रमुख कार्य संक्षेप में इस प्रकार हैं—एक अन्तर्विश्वविद्यालय संगठन तथा सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करना; अध्यापकों का आदान प्रदान; विश्वविद्यालयों में पारस्परिक सहयोग तथा साम्य उत्पन्न करना; भारतीय विद्यार्थियों को विदेशी विश्वविद्यालयों के विषय में परामर्श देना तथा उनकी उपाधियों को मान्य कराना; अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि भेजना तथा विश्वविद्यालयों के हित में अन्य आवश्यक कार्य करना इत्यादि। इतना अवश्य है, जैसा कि सर राधाकृष्णन कमीशन का मत है, बोर्ड ने एक सलाहकारी संस्था की तरह कार्य तो अवश्य किया है, किन्तु इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली नहीं रहा है जितना कि होना चाहिए था। “वाइस चांसलरों की संयुक्त आवाज की परामर्श को

जो कि वास्तव में अब बोर्ड का स्वरूप हो गया है, विश्वविद्यालयों ने बहुधा नहीं माना है।'*

नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना

प्रत्येक प्रान्त में कम से कम एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की नीति तथा शिक्षण-विश्वविद्यालय स्थापित करने की दृष्टि से इस काल में ५ विश्वविद्यालय स्थापित किये गये यथा दिल्ली (१९२२), नागपुर (१९२३), आन्ध्र (१९२६), आगरा (१९२७) तथा अजमलसै (१९२९)।

दिल्ली—दिल्ली विश्वविद्यालय प्रारम्भ में एक सम्बन्धक विश्वविद्यालय (Affiliating University) के रूप में स्थापित हुआ था जिसमें सेन्ट स्टीफेंस कालेज, हिन्दू कालेज तथा रामजस कालेज सम्मिलित थे। १९२७ ई० में एक विशेष समिति द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया गया कि इसे सम्बन्धक विश्वविद्यालय बनाया जाय अथवा संघीय (Federal) विश्वविद्यालय। अन्त में १९३४ ई० में भारत सरकार ने निश्चय किया कि यह संघीय (Federal) विश्वविद्यालय रहेगा। किन्तु कुछ कालेजों का सम्बन्ध भी इससे रहा।

नागपुर—नागपुर विश्वविद्यालय मध्यप्रान्त के लिये स्थापित किया गया था। यद्यपि यह सम्बन्धक विश्वविद्यालय था किन्तु कालान्तर में इसमें शिक्षण कक्षाएँ भी खोल दी गईं और एक लॉ कालेज की स्थापना भी कर दी गई। अभी तक इसका रूप सम्बन्धक ही है।

आन्ध्र—मद्रास प्रान्त के उत्तरी भाग के लिये आन्ध्र विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। १९२० ई० में मद्रास विश्वविद्यालय ने भाषा के आक्षार पर प्रत्येक क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय खोलने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया था। इधर तेलगू भाषा-भाषी लोग निरन्तर रूप से विश्वविद्यालय की माँग कर रहे थे। अतः १९२६ ई० में एक स्थानीय विश्वविद्यालय आन्ध्र प्रदेश के लिये खोल दिया गया। इसमें उच्च टैक्निकल शिक्षा की विशेष व्यवस्था है। इसके विधान में विशेषता है कि उपकुलपति चुनाव के द्वारा नियुक्त होगा। मातृभाषा को माध्यम बनाने की भी विधान में व्यवस्था है किन्तु अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। इसके स्थिति-स्थान का प्रश्न सदा विवादग्रस्त रहा है। प्रारम्भ में यह चेजवाड़ा में था, १९३१ ई० में यह विजगापट्टम पहुँच गया और तदुपरान्त गुन्तूर में स्थापित किया गया।

आगरा—आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना १९२७ ई० में की गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का क्षेत्र अधिक विस्तीर्ण हो गया था अतः उससे

*रिपोर्ट ऑफ़ दी यूनीवर्सिटी कमीशन (१९४८-४९ ई०) भाग १, पृष्ठ २६।

सम्बन्धित कालेजों को आगरा से सम्बन्धित कर दिया गया। इससे अजमेर, ग्वालियर, राजपूताना इत्यादि के सभी डिग्री कालेज सम्बन्धित थे किन्तु अब राजपूताना विश्वविद्यालय बन जाने से इसका क्षेत्र संकुचित हो गया है। आगरा विश्वविद्यालय में उत्तरप्रदेश के सभी डिग्री कालेज (केवल स्थानीय विश्वविद्यालयों के क्षेत्र के कालेजों को छोड़कर) सम्मिलित हैं। यह एक प्रकार से विशुद्ध सम्बन्धक-विश्वविद्यालय है। इसके क्षेत्र में ऐसे डिग्री कालेज भी हैं जहाँ इन्टर-कक्षाएँ खुली हैं किन्तु इन कक्षाओं का सम्बन्ध इलाहाबाद बोर्ड से है।

अन्नामलाई—अन्नामलाई विश्वविद्यालय दक्षिणी मद्रास में अन्नामलाई नगर, चिदाम्बरम् में १९२६ ई० में स्थापित किया गया। इसका अस्तित्व प्रधानतः स्वर्गीय राजा सर अन्नामलाई चैट्टियर की अनुकम्पा से हुआ जिन्होंने अपने तीन कालेज तथा २० लाख रुपया दान में देकर इस नवीन विश्वविद्यालय को जन्म दिया। यह विश्वविद्यालय शिक्षण तथा स्थानीय विश्वविद्यालय है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ प्राच्य विद्याओं, तामिल, संस्कृत, भारतीय इतिहास तथा भारतीय संगीत इत्यादि के उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान की व्यवस्था है। 'राजा अन्नामलाई संगीत कालेज' तथा 'अौरियंटल ट्रेनिंग कालेज' इसके विशेष आकर्षण हैं। १९३४ ई० में यहाँ तामिल में भी अनुसंधान की व्यवस्था कर दी गई। विधान प्रायः अन्य विश्वविद्यालयों की ही भाँति है।

अन्य सुधार तथा प्रगति:—नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के अतिरिक्त कुछ पूर्वस्थित विश्वविद्यालयों में भी इस काल में सुधार हुए। मद्रास विश्वविद्यालय का विधान १९२३ तथा १९२६ ई० में बदला गया। इसके अनुसार यह एक शिक्षण विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। अर्थशास्त्र, प्राणिशास्त्र, रसायनशास्त्र, बनस्पतिशास्त्र, गणित, भारतीय दर्शन तथा इतिहास इत्यादि में अनुसंधान की भी सुविधा कर दी गई और प्राच्य भाषाओं में तामिल, तेलगू, मलयालम, कनाडी संस्कृत, अरबी, फारसी तथा उर्दू के अनुसंधान के लिये प्राच्य अनुसंधानशाला खोल दी गई। बम्बई विश्वविद्यालय का १९२८ ई० में पुनः संगठन हुआ जिसके कारण उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान की सुविधायें अधिक बढ़ गईं। पटना विश्वविद्यालय का एक अधिनियम के द्वारा १९३२ ई० में सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद अब पूर्णतः शिक्षण कार्य करने लगा। १९२२ ई० में इसके सुधार का अधिनियम पास कर दिया गया था। कलकत्ता तथा पंजाब विश्वविद्यालयों में भी इसी प्रकार विधानों में संशोधन करके उपयुक्त परिवर्तन तथा सुधार किये गये।

इस काल में कालेजों की भी अभिवृद्धि हुई। विश्वविद्यालयों के विभागों सम्बन्धित कालेजों की संख्या १९२२ ई० में २०७ से बढ़कर १९३७ ई० में ४४६ हो गई तथा विद्यार्थियों की संख्या ६६,२५८ से १२६,२२८ हो गई। अब तक

विश्वविद्यालय विद्या के केन्द्र नहीं थे। उनका आस्तित्व केवल परीक्षा लेने तथा डिग्री प्रदान करने के लिये था किन्तु अब उनका प्रधान कार्य शिक्षण तथा अनुसन्धान हो गया। विद्यार्थियों की अनुसन्धान की सुविधाओं के लिये वृहत् पुस्तकालयों की व्यवस्था की गई तथा छात्रवृत्ति देकर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। अधिकतर विश्वविद्यालय अपने ही विशाल तथा भव्य भवनों में स्थित हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में पारस्परिक अच्छे सम्बन्धों में भी वृद्धि हुई तथा वहाँ विद्यार्थियों के व्यायाम, खेल कूद व क्रीडाओं तथा नियमित डाक्टरी परीक्षा की व्यवस्था भी हुई। उनके सामाजिक जीवन में सहयोग तथा आत्मनिर्भरता की भावना लाने के उद्देश्य से विद्यार्थी-यूनियन तथा अन्य परिषदों की स्थापना हुई। सन् १९२० ई० में भारतीय प्रादेशिक सेना कानून पास होने पर विश्वविद्यालयों में सैनिक शिक्षा (U. T. C.) का भी प्रचार जोरों से बढ़ा। इनकी स्थापना प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा उनसे सम्बन्धित डिग्री कालेजों में की गई जिससे उनके चरित्र तथा स्वास्थ्य का सुधार हुआ।

इस प्रकार उच्चशिक्षा का प्रसार व विकास हुआ। किन्तु इससे कुछ हानियाँ भी हुईं जैसे शिक्षा का स्तर बहुत कुछ गिर गया, पुस्तकीय ज्ञान अधिक बढ़ गया और व्यवसायिक शिक्षा तथा रोजगार के अभाव में शिक्षित युवक बेकार घूमने लगे। संख्या में वृद्धि के साथ-साथ शासन की श्रेष्ठता में शिथिलता आ गई। धनाभाव के कारण विश्वविद्यालय विकास की योजनाओं को इच्छानुसार कार्यान्वित नहीं कर सके इत्यादि।

उच्च शिक्षा के अन्य केन्द्रः—नियमित विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त भारत में कुछ ऐसे भी विद्याकेन्द्र थे जहाँ भिन्न २ विषयों की उच्च-शिक्षा का प्रबन्ध था। यह संस्थाएँ न तो विश्वविद्यालय ही कहलाती थीं और न किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित ही थीं। इनमें से निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय थीं :

(१) भंडारकर ओरियंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना (१९१७); (२) बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कलकत्ता (१९१७); (३) हारकोर्ट बटलर टैक्नोलोजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर (१९२१); (४) इम्पीरियल एग््रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू पूसा न्यू दिल्ली;# (५) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑव साइंस, बंगलौर (१९११); (६) इंडियन स्कूल ऑव माइन्स, धनबाद (१९२६); (७) इंडियन वीमैन्स यूनिवर्सिटी, बम्बई (१९१६); (८) विश्वभारती (१९२२); तथा (९) सीरामपुर कालेज १९१८)।

यह संस्थाएँ स्वतंत्र रूप से देश में उच्च शिक्षा का प्रचार कर रही थीं।

*यह संस्था पहले पूसा (बिहार) में स्थिति थी किन्तु १९३४ ई० में भूचाल के उपरान्त इसे दिल्ली में स्थापित कर दिया गया था। दिल्ली में इसका एक कृषि काम भी है।

अधिकांश में जैसा कि इनके नाम से प्रतीत होता है यह विज्ञान, व्यवसाय तथा उद्योगों की विशेष शिक्षा के लिये स्थापित की गई थीं। इनमें कुछ शुद्ध सरकारी तथा कुछ गैर-सरकारी संस्थायें भी थीं।

इनके अतिरिक्त कुछ राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी देश में स्थापित हो गये थे। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, भारत में यह युग राजनैतिक क्रान्ति का युग था। जनता में राष्ट्रीयता की भावनायें बढ़ रही थीं। इस कारण अंग्रेजी शिक्षालयों का बहिष्कार करके राष्ट्रीय विचारों पर आधारित शिक्षा संस्थायें स्थापित की गईं। इनमें रवीन्द्रनाथ टैगोर की विश्वभारती, सेवाग्राम, पांडुचेरी आश्रम तथा दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामियाँ अधिक प्रसिद्ध हैं। जामिया मिलिया के विषय में कुछ शब्द कहना असंगत न होगा। इसका अर्थ है 'राष्ट्रीय मुसलमान विश्व-विद्यालय'। इसकी स्थापना मौ० मुहम्मद अली ने १९२० ई० में राष्ट्रीय मुसलमानों की शिक्षा के लिये अलीगढ़ में की थी, किन्तु १९२५ ई० में इसे दिल्ली को हटा दिया गया। डा० जाकिर हुसैन इसके उपकुलपति बनाये गये। इसमें कला तथा विज्ञान की उच्च शिक्षा का प्रबंध है। माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध भी अच्छा है। प्राथमिक स्कूलों में क्राफ्ट के द्वारा बेसिक शिक्षा दी जाती है। इसके लिये बेसिक ट्रेनिंग विभाग भी है। छात्रावासों का प्रबन्ध सराहनीय है। भारत के स्वतंत्र होने पर राष्ट्रीय सरकार ने अब इसे अपने अन्तर्गत ले लिया है और इसके विकास पर पर्याप्त व्यय किया जा रहा है।

२-माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में इस युग में प्रगति बड़ी संतोष-जनक रही। शिक्षालयों के साथ ही साथ विद्यार्थियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। सरकारी सहायता तथा व्यय के कम होते हुए भी व्यक्तिगत प्रयासों में पर्याप्त विकास हुआ जिसका कारण राष्ट्रीय-भावनाओं का प्रचार था। सरकारी स्वीकृत माध्यमिक शिक्षालयों की संख्या ब्रिटिश भारत में १९२१-२२ ई० में ७५३० से बढ़कर १९३६-३७ ई० में १३,३५६ हो गई, तथा उनमें विद्यार्थियों की संख्या ११,०६,८०३ से २२,८७,८७२ हो गई। नगरों के अतिरिक्त कस्बों तथा बड़े गावों में भी हाई-स्कूल खुलने लगे। कुछ मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल तक की स्वीकृत मिल गई। बालिकाओं में भी माध्यमिक शिक्षा का बहुत प्रसार हुआ तथा पिछड़ी हुई जातियाँ भी अपने बच्चों को माध्यमिक शिक्षा का लाभ प्रदान करने लगीं। माध्यमिक शिक्षालयों के लिये विभिन्न प्रान्तों में व्यक्तिगत दानदाताओं तथा धनिकों ने उदारतापूर्वक दान दिये। कहीं-कहीं प्रतिस्पर्द्धा की भावनाओं से प्रतिद्वन्दी स्कूल भी खुले। किन्तु एक बात अत्यन्त खेद की यह है कि जातीय स्कूलों को इस युग में बहुत प्रोत्साहन मिला। भिन्न २ जातियाँ सामूहिक रूप से चन्दा करके जातीय

स्कूल खोलने लगीं। इस प्रकार भारतवर्ष जो कि पहले से ही जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता में जकड़ा हुआ था अपनी भावी पीढ़ी को जातीय भेद भाव का पाठ पढ़ाने लगा। दुख की बात तो यह है कि यह भावना आज भी झूठी राष्ट्रीय भावना के आवरण में उसी प्रकार पनप रही है। दिन प्रतिदिन जातीय तथा उपजातीय स्कूलों को सरकार की ओर से स्वीकृति मिलती जा रही है और इस प्रकार भारत की एकता को शत-शत खंडों में विदीर्ण किया जा रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह कौमी शिक्षा-संस्थाएँ आज षड्यंत्रों तथा जातीय पक्षपात के अड्डे बनी हुई हैं और लाभ के स्थान पर अत्यंत हानि कर रही हैं। यह विकृत राष्ट्रीयता का उदाहरण है।

“इस प्रकार की संस्थाओं की संख्या में तीव्र वृद्धि होने से न केवल अनावश्यक व्यय का दोहरापन व फिजूल खर्चों ही बढ़ी है और कभी-कभी अनुशासन भी बिगड़ा है, अपितु दुर्भाग्य से जातीय कलह भी बढ़े हैं जोकि भारतवर्ष की प्रगति में बाधा पहुँचा रहे हैं।.....यह बात कभी भी लाभदायक नहीं हो सकती कि विद्यार्थी अपनी प्रभावशाली युवावस्था को इन जातीय संस्थाओं के संकीर्ण वायु-मंडल में रह कर नष्ट करते रहें और अन्य जातियों के विद्यार्थियों के सम्पर्क में आने से वंचित रहें।”*

गाँवों में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार होने से ग्रामीणों को बहुत सुविधायें हो गईं। पहिले उन्हें अत्यंत कठिनाइयों का सामना करके बच्चों को नगरों में शिक्षा के लिये भेजना पड़ता था किन्तु अब अंशतः शिक्षा के गाँवों में ही उपलब्ध होने से माध्यमिक शिक्षालयों में ग्रामीण-विद्यार्थियों का अनुपात बढ़ने लगा।

जैसा कि कहा जा चुका है, माध्यमिक शिक्षा में यह वृद्धि व्यक्तिगत प्रयास से हुई। जबकि लड़कों के लिये सरकारी स्कूल १९२१-२२ ई० में ३७६ थे तो १९३६-३७ ई० में ४३६ हो गये और लड़कियों के लिये ११५ से २०७ हो गये अर्थात् १४६ की ही वृद्धि हुई; किन्तु व्यक्तिगत स्कूलों में १,८३६ की अभिवृद्धि हुई जिनमें ३१५ स्कूल सरकार से सहायता प्राप्त नहीं थे। माध्यमिक स्कूलों की यह वृद्धि वास्तव में एक दीर्घकाल से चली आ रही थी।

१९३० ई० के बाद यद्यपि भारत आर्थिक संकट में फँसा था किन्तु माध्यमिक शिक्षा में उसने संतोष-जनक प्रगति की। १९३७ ई० में जाकर व्यक्तिगत प्रयास इस प्रकार बढ़ गया, जैसा कि श्री नुरुल्ला ने कहा है,

*Quinquennial Review of the Progress of Edu. in India 1927-32. Vol I. page : 106.

कि माध्यमिक शिक्षा की समस्या वस्तुतः व्यक्तिगत माध्यमिक शिक्षालयों की ही समस्या बन गई। माध्यमिक स्कूलों की प्रगति निम्नलिखित तालिका से ज्ञात हो सकती है :—

वर्ष	माध्यमिक स्कूलों की संख्या	माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या
१८८१-८२	३,६१६	२,१४,०७७
१९०१-०२	५,१२४	५,६०,१२६
१९२१-२२	७,५३०	११,०६,८०३
१९३६-३७	१३,०५६	२२,८७,८७२

शिक्षा के माध्यम की दृष्टि से भी यह युग बहुत अच्छा रहा। प्रायः सभी प्रान्तों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अन्य प्रान्तीय भाषाओं में कर दिया गया। व्यवहार में यद्यपि कुछ कठिनाई उपस्थित हुई। उसका कारण था कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने से कुछ लोगों ने समझा कि माध्यमिक शिक्षा तो विश्वविद्यालय शिक्षा का ही अंग है न कि एक स्वतंत्र इकाई, अतः माध्यमिक स्कूलों में भी अंग्रेजी पढ़ने से विद्यार्थियों को आगे चलकर सुविधा रहती है। किन्तु यह तर्क बड़ा बेहूदा था। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा के प्रति युवकों और उनके माँ-बाप की रुचि तथा उच्च-पदों के लिये परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण अंग्रेजी को पक्का (Strong) करने की लालसा ने भी अंग्रेजी माध्यम का ही पक्ष लिया। इनके अतिरिक्त लिपि, वैज्ञानिक-पारिभाषिक शब्दों का अभाव तथा प्रारम्भ में अच्छी पुस्तकों का अभाव इत्यादि भी कुछ ऐसे तर्क थे जो कि मातृभाषा को माध्यम बनाने में बाधक होते थे। किन्तु १९३७ ई० तक पहुँचते २ प्रायः सभी अभाव दूर हो गये और मातृ-भाषा ही सिद्धान्ततः व व्यवहारतः प्रयुक्त होने लगी।

शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा उनकी नौकरी की अवस्था और वेतन में भी सुधार हुआ। माध्यमिक शिक्षालयों में दीक्षित अध्यापकों की संख्या बहुत कम थी अतः प्रायः अदीक्षित (Untrained) अध्यापकों को ही रखना पड़ता था। वस्तुतः ट्रेनिंग कालेजों की संख्या देश में इतनी कम थी कि उनसे आवश्यक माँग की पूर्ति नहीं हो सकती थी। यही कारण था कि बंगाल, आसाम, सिन्ध तथा बम्बई में दीक्षित अध्यापकों की संख्या क्रमशः २०.७%, ३६%, १६.५% तथा २२.८% थी। यू० पी०, मद्रास, दिल्ली, पंजाब, सीमाप्रान्त मध्य-प्रान्त तथा विहार में यह संख्या क्रमशः ६७.२, ८४.७, ८२.८, ८६.७, ८०.३, ७०.२ तथा ५४.४ प्रतिशत थी।

शेष अध्यापक अदीक्षित थे। इससे शिक्षा की श्रेष्ठता को बहुत बड़ा आघात पहुँचा। व्यक्तिगत माध्यमिक शिक्षालयों में शिक्षकों की अवस्था भी बड़ी दयनीय थी। प्रबन्ध समितियों की तुच्छ तथा निम्नकोटि की राजनैतिक चालों का बहुधा शिक्षकों को आखेट बनाना पड़ता था। उनकी नौकरी स्थाई नहीं थी, वेतन-दर भी बहुत निम्न थी एवं वृद्धावस्था के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी। बहुधा व्यक्तिगत स्कूलों की आर्थिक अवस्था भी जर्जरित रहती थी इस कारण वह अच्छे व योग्य शिक्षकों के रखने में असमर्थ रहते थे। इससे शिक्षा का स्तर भी गिर गया। हम समस्या ने शीघ्र ही भिन्न-भिन्न प्रान्तों में सरकारों का ध्यान आकर्षित किया और वहाँ इस ओर रचनात्मक कदम उठाये गये। कहने की आवश्यकता नहीं कि बहुत सी शिक्षकों की समस्यायें जो १९३७ ई० में थीं आज १९५२ ई० में भी वह अक्षुण्ण बनी हुई हैं। इतना ही नहीं बहुत से मामलों में तो स्थिति और भी अधिक गंभीर हो गई है। राष्ट्रनिर्माता तथा शिक्षा का आधार शिक्षक आज केवल एक साधारण श्रमिक की भाँति अन्यमनस्क होकर अपने महान् कर्तव्य को शुष्क-भार की भाँति ढो रहा है।

औद्योगिक शिक्षा की दृष्टि से भी कुछ प्रगति हुई यद्यपि वह अपर्याप्त थी। माध्यमिक शिक्षा आवश्यकता से अधिक पुस्तकीय हो गई थी अतः युवकों में बेकारी बढ़ रही थी। शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ औद्योगिक तथा व्यवसायिक-विषयों का रखना अनिवार्य हो गया। परिणामतः बम्बई, मद्रास, बङ्गाल, यू० पी०, पंजाब तथा मध्य-प्रान्त इत्यादि सभी प्रान्तों में कताई, बुनाई, आर्ट और क्राफ्ट, पुस्तक-कला, कृषि, वाणिज्य, खिलौने बनाना इत्यादि विषय वैकल्पिक पाठ्य-क्रम में सम्मिलित कर दिये गये। उत्तर प्रदेश में लकड़ी तथा कागज और दप्ती का काम निम्न कक्षाओं में अनिवार्य तथा ६वीं और १०वीं कक्षा में वैकल्पिक कर दिया गया। कृषि का सैद्धान्तिक अध्ययन भी यहाँ हाई स्कूल कक्षाओं में रख दिया गया। बुड-ऐबट रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर भी व्यवसायिक शिक्षा का पहिले से अधिक प्रचार प्रारम्भ कर दिया गया।

३—प्राथमिक शिक्षा

१९२१ ई० के उपरान्त प्रथम दशक में प्राथमिक शिक्षा का सन्तोषजनक विकास हुआ किन्तु अन्त में जा कर उसकी प्रगति मन्द पड़ गई। अब तक प्रारम्भिक जन-शिक्षा के विषय में सरकार की नीति की सदा आलोचना की जाती थी। १९५४ ई० के घोषणा पत्र से लेकर हाटाँग समिति तक सभी कमीशनों और समितियों ने जन-शिक्षा के व्यापक प्रसार तथा इसके अधिकांश में अनिवार्य बनाने की सिफारिश की थी, किन्तु अभी तक इस ओर कोई सराहनीय कदम नहीं उठाया गया था। १९१७-२७ ई० तक के दशक में आकर ही इस ओर रचनात्मक कदम उठाये

गये और विभिन्न प्रान्तों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी कानून पास किये गये। इन कानूनों का पास होना श्री बसु के अनुसार गोल्ले की पराजय का जवाब था। बम्बई नगर-पालिका ने तो १९१८ ई० में ही अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कानून पास कर दिया था। मांट-फोर्ड सुधारों के उपरान्त इस प्रकार के कानूनों की बाढ़ सी आ गई और १९१९ ई० में बंगाल ने नागरिक क्षेत्रों के लिये यह अधिनियम पास किया। दूसरे वर्ष ही बंगाल में इस कानून में सुधार करके ग्रामीण-क्षेत्रों को सम्मिलित करने की भी चेष्टा की गई किन्तु १९३० ई० में जाकर ही यह आवश्यकता पूर्ण हुई जब 'बंगाल प्राथमिक शिक्षा (ग्रामीण) कानून' पास हो गया। १९१९ ई० में ही पंजाब, संयुक्त प्रान्त तथा बिहार उड़ीसा ने भी यह कानून पास किये। संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में १९२६ ई० में 'जिला बोर्ड प्राथमिक शिक्षा कानून' और पास हुआ। इसी प्रकार १९२० ई० में मद्रास, १९२३ ई० में बम्बई तथा १९२६ ई० में आसाम ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के कानून बनाये।

इन कानूनों के बन जाने से प्राथमिक शिक्षा पूर्णतः स्थानीय बोर्डों—जिला-बोर्ड तथा म्युनिसिपल बोर्ड—के अधिकार व नियंत्रण में चली गई। प्रत्येक बोर्ड ने अपने क्षेत्र की अवस्थाओं तथा आवश्यकताओं का अध्ययन किया और उन्हीं के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिये उपनियम बनाये। प्रत्येक प्रान्त में अनिवार्यता की सीमा निर्धारित करने का दायित्व भी स्थानीय बोर्डों पर छोड़ दिया गया। उन्हें शिक्षा-कर लगाने के अधिकार दे दिये गये यद्यपि इस अधिकार का पूर्ण लाभ नहीं उठाया जा सका। प्रान्तीय सरकारों ने भी शिक्षा-व्यय पर अनुदान देना स्वीकार कर लिया। पंजाब तथा बिहार-उड़ीसा में अनिवार्यता केवल लड़कों के लिये है किन्तु अन्य सभी प्रान्तों में लड़का और लड़कियों दोनों के लिये है।

साधारणतया जहाँ ४ वर्ष का कोर्स है, अनिवार्यता की उम्र ६ से १० वर्ष तक है; जहाँ पाँच वर्ष का कोर्स है वहाँ ६ से ११ तक है। पंजाब में ७ से ११ तक है। बालकों को नोकरी में रखने का निषेध कर दिया गया। उनके जो अभिभावक अनिवार्य शिक्षा कानून की अवहेलना करें उनके लिये दण्ड की भी व्यवस्था की गई। अधिकांश में यह शिक्षा निशुल्क अथवा नाम मात्र शुल्क पर ही रखी गई।

इस प्रकार प्रायः सभी प्रान्तों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानूनों का विषय एकसा ही रहा जिनका प्रमुख आशय यही था कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया जाय जिससे निरक्षरता का विनाश हो; और यह उत्तरदायित्व स्थानीय बोर्डों को पूर्णतः दे दिया जाय।

इन कानूनों की प्रतिक्रिया बहुत ही संतोषजनक हुई। नये शिक्षा मंत्रियों ने अपनी योजनायें बनाकर विशाल क्षेत्र पर उन्हें लागू किया। प्रान्तीय सरकारों ने भी मंत्रियों की माँगों को पूरा करके उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता प्रदान की। परिणामतः १९२१-२२ ई० में प्राथमिक स्कूलों की संख्या १, ५५, ०१७ से बढ़कर १९२६-२७ ई० में १, ८४, ८२९ हो गई और व्यय ४, ९४, ६९, ०८० रु० से बढ़कर ६७५, १८, ८०२ रु० हो गया। इसी प्रकार बालकों की संख्या में भी वृद्धि हुई। किन्तु दूसरे पंचसाला में आर्थिक संकट तथा हाटोंग समिति की रिपोर्ट के कारण यह प्रगति बहुत मंद पड़ गई। श्री हाटोंग ने शिक्षा के विकास का विरोध किया था और उसकी श्रेष्ठता बढ़ाने तथा उसे ठोस करने पर अधिक बल दिया था। शिक्षा अधिकारियों ने हाटोंग की सिफारिशों का अक्षरशः पालन किया। यही कारण है कि प्राथमिक शिक्षा आज तक देश में पूर्णतः अनिवार्य नहीं हो सकी है। जितने प्रान्तीय कानून अनिवार्यता के लिये बने वह भिन्न २ कारणों से व्यर्थ ही रहे और सच्चे अर्थ में उनका उपयोग कहीं भी नहीं हो सका। वास्तव में यह आन्दोलन ही असफल रहा। “इसका अभिप्राय यही हो सकता है कि गत १०० वर्षों में प्राथमिक-शिक्षा के विकास की सभी योजनाओं और वादविवादों की अपेक्षाकृत, यह समस्या अभी तक दृढ़ता तथा पूर्णता से हल नहीं की जा सकी है।”

हाटोंग-समिति की रिपोर्ट का प्रभाव बड़ा घातक हुआ। शिक्षा अधिकारियों को इससे अनुचित प्रोत्साहन मिला गया और उन्होंने प्रत्येक प्रान्त में बहुत से स्कूलों को बंद कर बन्द कर दिया कि उनकी अवस्था बुरी है, धन अथवा भवन नहीं है, कार्य क्षमता गिर गई है और अपव्यय और अवरोधन अधिक हो रहा है इत्यादि। यद्यपि गैर-सरकारी मत इसके बिल्कुल प्रतिकूल था। उसके अनुसार शिक्षा का विकास उसकी श्रेष्ठता से भी अधिक आवश्यक था क्योंकि उस समय देश अज्ञान अंधकार में डूबा हुआ था और साक्षरता १८८१ ई० में ३५ प्रतिशत से १९३१ ई० में केवल ८० प्रतिशत हो सकी थी अर्थात् देश की ६२ प्रतिशत जनता अंधकार में टटोल रही थी! जनता का विचार था कि शिक्षा अमृत की तो अजस्र वर्षा होनी चाहिये न कि इसे बूँद-बूँद करके टपकाया जाये।

इस मतभेद तथा विवाद की अपेक्षाकृति भी १९२७-३७ ई० के दशक में प्रगति बहुत ही असंतोषजनक रही। अगले पृष्ठ की तालिका में हम देखते हैं कि १९२७ ई० और १९३७ ई० के बीच में शिक्षालयों तथा शिक्षार्थियों की संख्या में बहुत हलकी प्रगति है जबकि १९३१-३२ ई० की अपेक्षा १९३६-३७ ई० में शिक्षालयों की संख्या ४, ४६४ घट गई है।

	१९२१-२२ ई०	१९२६-२७ ई०	१९३१-३२ ई०	१९३६-३७ ई०
१. स्वीकृत प्राथमिक स्कूलों की संख्या....	१,५५,०१७	१,८४,८२९	१,९६,७०८	१,९२,२४४
२. विद्यार्थियों की संख्या...	६१,०९,७५२	८०,१७,९२३	९१,६२,४५०	१०२,२४,२८८
३. प्रत्यक्ष व्यय का योग (प्राथमिक शिक्षा)	४,९४,६९०.८०	६,७५,१४०.०२	७,८७,९५,२३६.८०	९,३३,३८,०१५

इस अप्रगति का कारण जहाँ भारत का आर्थिक संकट तथा हार्टांग समिति की रिपोर्ट थी वहाँ अन्य कारण भी थे। वास्तव में स्थानीय-बोर्ड शिक्षा प्रसार के विषय में कमी भी गंभीर न हो सके। यह वह स्थान थे जहाँ पारस्परिक स्पर्धा, दलबन्दी तथा निम्नकोटि की राजनीति का बोलबाला था। आगामी चुनावों में पराजित हो जाने के भय से स्थानीय बोर्डों के सदस्यों ने कमी भी शिक्षा-कर नहीं लगाये, इससे बोर्डों की आर्थिक अवस्था सदा दयनीय रही। बहुधा सदस्य शिक्षा के मर्म को भी समझने में असमर्थ रहते थे। निरीक्षण का अभाव एक ऐसा शक्ति-शाली कारण था जिससे प्राथमिक शिक्षा को बड़ी क्षति पहुँचती रही है। वास्तव में सब-डिप्टी-इंसपेक्टर अथवा डिप्टी-इंसपेक्टर जो कि गांवों में प्राथमिक शिक्षालयों का निरीक्षण करने जाते वह अपने साथ में एक अफसरी तथा उच्चता का दंभ लेकर जाते और दुर्बल शिक्षकों के 'मित्र, दार्शनिक तथा पथ-प्रदर्शक' होने के स्थान पर उनसे बड़ी शुष्कता तथा अभद्रता से व्यवहार करते और दो-चार दिन तक गांवों में निरुद्देश्य वायु-विहार के उपरान्त नगरों में लौट आते। दो-चार दिन तक ग्रामीण अध्यापकों में एक प्रकार का आतंक छा जाता था। नगरों में भी इसी प्रकार निरीक्षण का अभाव रहा। उपस्थिति-अफसरों (Attendance Officer) के प्रमाद के कारण भी बहुधा नगरों में शिक्षा सच्चे अर्थ में अनिवार्य न हो सकी और आज भी वह हमारे लिये एक स्वप्न बनी हुई है।

इन कारणों के अतिरिक्त प्राथमिक अध्यापकों की दुर्दशा—अल्प वेतन, अल्प शिक्षा, अल्प प्रशिक्षण—भी एक कारण था जिससे प्राथमिक शिक्षा को क्षति पहुँच रही थी। पाठ्यक्रम व्यवहारिक जीवन से असम्बद्ध होने के कारण छात्रों में कमी भी प्रेरणा का संचार नहीं कर पाता था। उनके कोमल मस्तिष्क पुस्तकों की दुर्बलता में जकड़ दिये जाते थे। इस युग के देश व्यापी आर्थिक संकट ने जनता को भी निर्धन कर दिया अतः निर्धन मां बाप जीवित रहने के लिये अपने बच्चों को पाठशाला

भेजने की अपेक्षा मजदूरी या खेत में काम करने भेजना अधिक श्रेयस्कर समझते थे जहाँ उसे कुछ पैसे प्रति दिन के अनुसार मजदूरी मिल जाती थी। इस प्रवृत्ति का भी विद्यार्थियों की संख्या में कमी करने में एक प्रमुख हाथ रहा है। “जनता की अपार निर्धनता का एक परिणाम यह हुआ कि इससे अधिकांश में बालश्रम को प्रोत्साहन मिला। तांबे के चंद टुकड़े जो कि पशु चराने अथवा ऐसा ही कोई अन्य कार्य करने से बालक को मिलते हैं वह पारिवारिक बजट में एक शुभ बृद्धि कर देते हैं। वर्तमान आर्थिक अवस्था में थोड़े ही माँ बाप ऐसे होंगे जो कि इस तुच्छ आय को छोड़कर अपने बच्चों को पाठशाला में भेज सकें।”^१

उपसंहार

किन्तु इतना अवश्य है कि सन् १९३५ ई० में भारत में नया शासन-विधान लागू होने से प्रान्तीय सरकारों को स्वायत्त शासन के पूर्ण अधिकार मिल गये। फलतः वास्तविक अर्थ में जन-प्रिय मंत्रियों ने सत्ता अपने हाथों में ली। शिक्षा मंत्री को भी अब अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इन सब घटनाओं का शिक्षा पर अच्छा प्रभाव पड़ा और उसकी प्रगति सर्वतोमुखी हो उठी। आगे हम इसी का वर्णन करेंगे।

पंद्रहवाँ अध्याय प्रान्तीय स्वायत्त शासन से वर्तमान तक (१९३७ ई० — १९५२ ई०)

भूमिका

सन् १९३५ ई० के शासन विधान के अनुसार भारत में स्वायत्त शासन की नींव पड़ी और १९३७ ई० में जाकर ११ प्रान्तों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना हुई जिनमें ७ प्रान्तों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने। इन मंत्रियों के अधिकार बहुत विशाल थे अतः उन्हें अपनी इच्छानुसार राष्ट्रहितकारिणी योजनाओं के कार्यान्वित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस समय तक देश के उत्थान के लिये शिक्षा का महत्त्व सर्वविदित हो चला था। देश में कुछ ऐसे नेता और शिक्षा शास्त्री भी उत्पन्न हो गये थे जो कि शिक्षा समस्याओं को भली प्रकार समझते थे और उनको हल करने के लिये ठोस रचनात्मक सुधार रख सकते थे।

इस महत्त्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तन के प्रकाश में देश में उत्थान की एक लहर आ गई। प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा का पुनः संगठन होने लगा। कांग्रेस मंत्रिमंडलों को अब अपनी योजनायें लागू करके देश की समस्याओं को हल करना था। अत एव शिक्षाक्षेत्र में भी एक जागृति-युग का अम्युदय हुआ। साक्षरता आन्दोलन, प्रौढ़शिक्षा आन्दोलन, अछूतों तथा स्त्रियों की शिक्षा इत्यादि आन्दोलन बढ़े जोश व उत्साह के साथ प्रारम्भ हो गये। १९३७ ई० में महात्मा गांधी ने वर्धा में बेसिक शिक्षा की खोज करके देश की प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा में नये प्राण फूंक दिये। अब अनिवार्य-निश्चुल्क-प्राथमिकशिक्षा की भी देश में व्यवस्था होने की आशायें बँध गईं।

किन्तु इसी बीच में १९३९ ई० में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ जाने और अँग्रेजी सरकार के भारत को विना पूँछे हुए ही युद्ध में भोंक देने की नीति के विरुद्ध कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग-पत्र दे दिये। फलतः देश में शिक्षा विकास की जो बाढ़ आई थी वह असमय में ही अवरुद्ध हो गई। इसके उपरान्त देश में १९४२ ई० का विश्व प्रसिद्ध राजनैतिक आन्दोलन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इसका कठोरता से दमन किया जिसकी नृशंसता की लोमहर्षण कहानियों को सुनकर आज भी मान-वता लज्जा व ग्लानि से अपना मुँह छिपा लेती है। इस आन्दोलन के फलस्वरूप जन-प्रिय नेताओं की गिरफ्तारी इत्यादि से राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ ही साथ शिक्षा के आन्दोलन को भी क्षति पहुँची। भारत व प्रान्तीय सरकारों ने अपने सारे प्रयत्न युद्ध में लगा दिये इससे शिक्षा जैसे विषय के लिये धन का अभाव हो

जाना स्वामाविक ही था। वस्तुतः भारतीय शिक्षा के इतिहास में यह पांच वर्ष घोर अन्धकार के रहे जिनमें प्रायः शिक्षा संस्थाओं को केवल जीवितमात्र रक्खा गया, अतः उनका विकास एक प्रकार से अवरुद्ध हो गया।

किन्तु युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय होने के लक्षण प्रतीत होने पर १९४४ ई० के प्रारम्भ में युद्धोत्तर विकास की योजनाएँ बनने लगीं। शिक्षा-क्षेत्र में भी 'सार्जेन्ट-शिक्षा-योजना' के नाम से इसी वर्ष एक युद्धोत्तर विकास योजना 'केन्द्रीय सलाहकार समिति' की ओर से आई जिसका वर्णन इसी अध्याय में आगे किया जायगा।

सार्जेन्ट रिपोर्ट के आधार पर देश की शिक्षा का पुनः सङ्गठन प्रारम्भ हो गया और १९४५ ई० से आगे शिक्षा कुछ प्रगति करने लगी। इधर देश में राजनैतिक गतिरोध बढ़ता जा रहा था। युद्ध के उपरान्त इङ्ग्लैंड की अवस्था बहुत दुर्बल हो गई थी। अब उसके जर्जरित पंजों में भारत को पकड़े रहने की शक्ति नहीं रह गई थी। इधर भारतीय जनता भी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये तड़प रही थी। अन्त में १५ अगस्त, १९४७ ई० को देश का विभाजन हुआ और भारत स्वतन्त्र हुआ। १९४५ ई० के उपरान्त केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा-विभाग अलग स्थापित कर दिया था और इसका उत्तर-दायित्व कार्यकारिणों के एक सदस्य को सौंप दिया था। १९४६ ई० में 'विश्वविद्यालय अनुदान समिति' की स्थापना हो ही चुकी थी। इधर भारत की स्वतन्त्रता के उपरान्त देश में शिक्षासुधार तथा विकास की योजनाएँ दिन प्रति दिन बनती जा रही हैं। आज सरकार और जनता सभी इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न को हल करने में जुटे हुए हैं।

केन्द्रीय सरकार का ध्यान भी अब शिक्षा विकास की ओर अधिक लगा हुआ है। केन्द्र में शिक्षा मन्त्री श्री अबुलकलाम आजाद चुने गये हैं जो शिक्षा प्रसार के लिये सराहनीय कार्य कर रहे हैं। शिक्षा मन्त्री की सहायता के लिये एक शिक्षा सलाहकार, दो उपशिक्षा-सलाहकार तथा चार सहायक शिक्षा-सलाहकार नियुक्त किये जाते हैं जो कि शिक्षा की भिन्न-भिन्न शाखाओं के लिये उत्तरदायी हैं। 'केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड' अखिल-भारतीय शिक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयों पर सलाह देने वाली प्रमुख संस्था है जिसमें सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। माननीय केन्द्रीय शिक्षामन्त्री इसके पदेन (Ex-officio) सभापति होते हैं। एक देशव्यापी शिक्षा नीति के ढालने में इस समिति का बड़ा महत्त्व रहा है।

इस समिति के अतिरिक्त एक 'केन्द्रीय शिक्षा ब्यूरो' भी है जो देश भर से शिक्षा-प्रगति सम्बन्धी आँकड़ों को इकट्ठा करके प्रति वर्ष उनका प्रकाशन करता है। भारतीय विद्यार्थियों को विदेश जाने के लिये भी केन्द्रीय सरकार ने सुविधायें प्रदान की हैं और उनकी सलाह के लिये एक विदेश-सूचना ब्यूरो (Overseas In-

formation Bureau) भी स्थापित कर दिया है जो कि प्रत्येक राज्य के विश्वविद्यालयों को लाभदायक सूचनायें भेजता है।

राज्यों में भी शिक्षा का सङ्गठन जन-प्रिय मंत्रियों के आधीन है। शिक्षा-मन्त्री की सहायता के लिये एक विशेषज्ञ शिक्षा संचालक, कुछ उप-शिक्षा संचालक तथा जिलों में जिला निरीक्षक होते हैं। सरकार को सलाह देने के लिये एक सैक्रेटरी भी होता है।

इस प्रकार वर्तमान समय में देश की शिक्षा प्रगति-पथ पर है। विश्वविद्यालयों की दशा में सुधार करने के लिये सरकार ने १९४८ ई० में सर सर्वपल्ली राधा-कृष्णन् के सभापतित्व में विश्वविद्यालय कमिशन की स्थापना की थी जिसने १९४९ ई० में अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है। केन्द्रीय सरकार ने देश के विश्वविद्यालयों को नियन्त्रित तथा पुनः सङ्गठित करने एवं उनके पाठ्य-क्रम में एक राष्ट्रीय-साम्य उत्पन्न करने के उद्देश्य से सन् १९५२ ई० में एक 'विश्वविद्यालय विधेयक' (University Bill) भी तैयार किया है। इधर कुछ नये विश्वविद्यालयों की भी स्थापना हुई है। इन सबका वर्णन यथास्थान किया जायगा।

माध्यमिक शिक्षा का प्रत्येक राज्य में पुनःसङ्गठन किया जा रहा है। दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा योजना (Higher Secondary Education Scheme) लागू की जा चुकी है। अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष जौलाई १९५२ ई० में माध्यमिक शिक्षा के पुनःसङ्गठन के लिये एक आयोग की नियुक्ति मद्रास विश्व-विद्यालय के उपकुलपति श्री लक्ष्मणस्वामी मुदालियर के सभापतित्व में की है जिसके मन्त्री सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ एज्यूकेशन दिल्ली के प्रिन्सीपल श्री ए० एन० बसु हैं। इन सभी योजनाओं का विस्तृत वर्णन इसी अध्याय में आगे किया जायगा।

इसके अतिरिक्त प्राथमिक तथा व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्रों में भी क्रान्तिकारी व सन्तोषजनक कदम उठाये गये हैं। सभी राज्यों में बेसिक शिक्षा ही प्राथमिक शिक्षा का मूलाधार बन चुकी है। व्यवसायिक व औद्योगिक शिक्षा के लिये बड़ी महत्वाकांक्षापूर्ण योजनायें बनी हैं जो कि दिन प्रतिदिन प्रगति करती जा रही हैं और देश में नये व्यवसायिक शिक्षालय खुलते चले जा रहे हैं।

शिक्षा के माध्यम का प्रश्न भी सुलभ हुआ है। भारतीय संविधान के अनुसार हिन्दी क राष्ट्र-भाषा स्वीकार कर लिया गया है जो कि क्रमशः सभी स्तरों (Stages) पर शिक्षा का माध्यम बनती जा रही है। साथ ही प्रान्तीय भाषाओं को भी उचित स्थान दिया गया है।

इस प्रकार हम आज १९५२ ई० में शिक्षा के पुनर्धार के महानद्वार पर बैठे हैं जहाँ से हम अतीत की ओर देखते हुए वर्तमान के लिये प्रकाश और भविष्य के लिये प्रेरणा की भौंकी पाते हैं। अब इन सभी शिक्षा प्रगतियों का हम क्रमिक वर्णन करेंगे।

(१) वर्धा योजना (बेसिक शिक्षा)

१९३७ ई० में प्रान्तों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के उपरान्त भारतीय शिक्षा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई 'वर्धा योजना' का प्रादुर्भाव। वास्तव में महात्मा गांधी 'हरिजन' के द्वारा शिक्षा के विषय में अपने विचार बहुत दिनों से प्रकट कर रहे थे। किन्तु २२, २३ अक्टूबर सन् १९३७ ई० को हुये 'वर्धा-शिक्षा-सम्मेलन' में उन्होंने अपने विचारों को एक शिक्षा-योजना के रूप में प्रस्तुत किया। यह वह समय था जबकि अधिकांश भारतीय नेता तत्कालीन शिक्षा-पद्धति से असंतुष्ट थे और उसे किसी न किसी प्रकार एक राष्ट्रीय रूप देकर अधिक उपयोगी और प्रभावोत्पादक बनाने के लिये व्याकुल थे।

२ अक्टूबर १९३७ ई० को गांधीजी ने 'हरिजन' में एक लेख लिखा जिसमें उसी वर्ष २२, २३ अक्टूबर को 'अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, वर्धा' का उल्लेख किया और अपने चार प्रमुख प्रश्न शिक्षा के सम्बन्ध में रखे जो संक्षेप में इस प्रकार हैं :—

- (१) वर्तमान शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी की प्रमुखता है अतः जन समूह तक ज्ञान नहीं पहुँच सकता।
- (२) प्राथमिक शिक्षा की अवधि ७ वर्ष कर दी जाय।
- (३) बालकों के सर्वाङ्गीन विकास के लिये उन्हें शिक्षा यथासम्भव किसी लाभदायक उद्यम के मध्य से दी जाय और
- (४) उच्चशिक्षा व्यक्तिगत प्रयासों पर छोड़ दी जाय। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था करेंगे।

तदनुसार महात्मा गांधी के सभापतित्व में 'भारवाड़ी शिक्षा मंडल' की रजत-जयन्ती के अवसर पर नवभारत विद्यालय में वर्धा-सम्मेलन का आयोजन हुआ। श्रीमन्नायण अग्रवाल इस सम्मेलन के संयोजक थे। देश के भिन्न २ भागों से शिक्षा शास्त्रियों तथा प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों ने इसमें भाग लिया। सम्पूर्ण कार्य-वाही एक अत्यन्त ही सादा किन्तु गंभीर व व्यस्त वातावरण में हुई। सम्मेलन में सभापति पद से भाषण देते हुये महात्माजी ने अपनी योजना प्रस्तुत की।

भाषण—'जो विचार मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ उनके कहने का टंग नया है, यद्यपि उन विचारों के सम्बन्ध में मेरा अनुभव पुराना है। जो प्रस्ताव मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ वे प्राथमिक और कालेज शिक्षा दोनों से ही

सम्बन्धित हैं, किन्तु प्राथमिक शिक्षा पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। माध्यमिक शिक्षा को मैंने प्राथमिक शिक्षा में ही सम्मिलित कर दिया है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा ही एक मात्र तथाकथित वह शिक्षा है जो कि ग्रामीणों के एक अत्यांश को उपलब्ध है जिसे मैंने १९१५ ई० से अपने भ्रमणों में देखा है।.....

“मेरा विश्वास है कि यदि हम गाँवों की दशा में सुधार चाहते हैं तो हमें प्राथमिक शिक्षा के साथ ही माध्यमिक शिक्षा को मिला देना चाहिये। अतः जो शिक्षा योजना हम रखने जा रहे हैं वह प्रधानतः ग्रामीण होनी चाहिये।यदि इस समय हम प्रारम्भिक शिक्षा की समस्या को हल कर लेते हैं तो कालेज की उच्च शिक्षा-समस्या आसानी से हल की जा सकती है।

“मेरा पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा-पद्धति न केवल अप्रव्ययपूर्ण ही है, बरन् हानिप्रद भी है। अधिकतर बालक न तो अपने माँ-बाप के काम के रहते हैं और न उस पेशे के जो कि उनका जन्मजात पेशा है। वे शहरों की गंदी आदतों को सीख लेते हैं और जो अर्द्धज्ञान प्राप्त करते हैं उसे शिक्षा के अतिरिक्त चाहे जो कुछ कह लीजिये किन्तु शिक्षा नहीं तो फिर प्राथमिक शिक्षा का रूप क्या होना चाहिये? मेरी राय में इसकी एक मात्र औषधि है व्यवसायों अथवा हस्तकलाओं द्वारा शिक्षा देना। मुझे टालस्टाय फार्म में अपने पुत्रों तथा अन्य बच्चों को लकड़ी तथा चमड़े के काम द्वारा पढ़ाने का अनुभव है।.....

“मेरी योजना का उद्देश्य तथाकथित उदार शिक्षा के साथ-साथ केवल कुछ हस्तकलायें ही सिखाना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सम्पूर्ण शिक्षा किसी हस्तकला अथवा उद्योग के माध्यम से दी जाय। यह कहा जा सकता है कि मध्ययुग में विद्यार्थियों को केवल हस्तकार्य ही सिखाये जाते थे; किन्तु उन दिनों में व्यवसायिक प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षा-सम्बन्धी नहीं था। हस्तकार्य केवल उद्यम के लिये सिखाये जाते थे और बुद्धि के विकसित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता था।.....

“प्रायोगिक शिक्षा द्वारा किसी उद्यम की कला तथा विज्ञान को सिखाने और उसी के द्वारा सम्पूर्ण शिक्षा देने से ही सुधार होगा। उदाहरणतः तकली से कताई सिखाने में कपासों की किस्में, उनके लिये उपयुक्त भारतीय प्रान्तों में भूमि, इस उद्योग के हास का इतिहास, इसके राबिनीतिक कारण जिसमें भारत में अंग्रेजी शासन भी सम्मिलित होगा तथा गणित इत्यादि पढ़ाया जाना चाहिये। यही परीक्षण मैं अपने प्रपौत्र पर कर रहा हूँ जो कि यह अनुभव भी नहीं कर पाता कि उसे पढ़ाया जा रहा है या नहीं। मैं तकली का विशेष उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसकी शक्ति तथा इसके रोमांस का अनुभव कर रहा हूँ और कपड़ा बनाने में इसका उपयोग भी भारतवर्ष में किया जा सकता है। साथ ही तकली बढ़ी सस्ती

है। देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए तकली ही एक मात्र हमारी समस्या का व्यवहारिक हल है।

“मैंने मंत्रियों के सम्मुख इस योजना को रख दिया है इसे स्वीकार या अस्वीकार करना उनका काम है। किन्तु मेरी सलाह है कि प्राथमिक शिक्षा का केन्द्र तकली हो।.....तकली के द्वारा उत्पादन भी संभव होगा क्योंकि बच्चों के द्वारा बने हुये कपड़ों की मांग भी बहुत होगी। मैंने एक ७ वर्ष के कोर्स का अनुमान लगाया है जिसका उद्देश्य कातना, बुनना, रंगना तथा डिजायन बनाने का व्यवहारिक ज्ञान सिखाना होगा।

“शिक्षक का खर्च निकालने का भी मुझे ध्यान है। इसका साधन बच्चों की बनाई हुई वस्तुओं को बेचकर ही निकाला जा सकता है अन्यथा करोड़ों बच्चों की शिक्षा का कोई अन्य साधन नहीं है।..... इस प्राथमिक शिक्षा में सफाई स्वास्थ्य-रक्षा, भोजन इत्यादि के साधारण नियमों के ज्ञान के साथ-साथ स्वावलम्बन तथा माँ-बाप की सहायता करने का सिद्धांत भी निहित है। वर्तमान पीढ़ी के बच्चे स्वच्छता तथा आत्मनिर्भरता से परिचित नहीं हैं और शारीरिक रूप से भी दुर्बल हैं अतः मैं संगीत-ड्रिल के साथ-साथ उन्हें अनिवार्य शिक्षा देने के पक्ष में हूँ।”

“मेरी योजना के आलोचकों का कथन है कि मैं साहित्यिक शिक्षा का विरोधी हूँ। यह बात नहीं है। मैं तो ऐसी शिक्षा देने का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ। यह भी कहा जाता है कि जब हमें करोड़ों रुपये शिक्षा पर व्यय करना चाहिये, हम उल्टे बच्चों का शोषण करने जा रहे हैं। यह भी भय किया जा रहा है कि इस योजना में बहुत अपव्यय होगा। किन्तु अनुभव इन सब भयों को व्यर्थ सिद्ध कर देता है। जहाँ तक शोषण और बच्चे पर भार डालने का प्रश्न है, मैं पूछता हूँ कि क्या सर्वनाश से बचाना उन पर भार डालना है? तकली एक अच्छा खिलौना है, उत्पादक होने से क्या यह खिलौना नहीं रहता? आज भी कुछ सीमा तक बच्चे अपने माँ-बाप की सहायता करते ही हैं।.....इस प्रकार जब बच्चे को सूत कातना अथवा माँ-बाप की खेती में सहायता करना सिखाया जायगा तो उसमें यह भावना भी आ जायगी कि वह अपने माँ-बाप का ही नहीं अपितु गाँव तथा देश का भी है और उसे उनका भी श्रेष्ठ चुकाना चाहिये। यही एक मात्र मार्ग है। मैं मंत्रियों से कहूँगा कि बच्चों को शिक्षा में सहायता देना तो उन्हें अपंगु बना देना है। यदि बच्चे अपनी शिक्षा का व्यय स्वयं कमाते हैं तो वह स्वावलम्बी तथा वीर बनेंगे। हिन्दू, मुसलमान, पारसी और ईसाई सभी के लिये यही शिक्षा है। लोग पूछते हैं कि मैं धार्मिक शिक्षा पर बल क्यों नहीं देता? क्योंकि मैं उन्हें स्वावलम्ब का व्यवहारिक धर्म सिखा रहा हूँ।”

इसके उपरान्त गान्धी जी ने शिक्षकों की भर्ती के विषय में बोलते हुए कहा कि शिक्षकों को स्वेच्छा से अपनी सेवायें देश को अर्पित करनी चाहिये। गांधी जी ने यह भी कहा कि “इस शिक्षा की सफलता की कसौटी इसे स्वावलम्बी बनाना ही है। सात वर्ष के अन्त में बच्चों को अपनी शिक्षा पर व्यय पूरा कर देना चाहिये और कमाऊ बन जाना चाहिये।”

अन्त में अपने भाषण को समाप्त करते हुये महात्माजी ने कहा कि “यदि हम साम्प्रदायिक विद्वेष तथा अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को मिटाना चाहते हैं तो हमें नीव सुदृढ़ तथा शुद्ध रखनी चाहिये और उसके लिये नई पीढ़ी को मेरी योजना के अनुसार शिक्षा मिलनी चाहिये। इस योजना का श्रोत अहिंसा है। हमें अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, सभ्यता तथा राष्ट्रीय प्रतिभा का वास्तविक प्रतिनिधि बनाना है। जब तक हम उन्हें स्वावलम्बन पर आधारित प्राथमिक शिक्षा नहीं देंगे, तो ऐसा करना असम्भव है। यूरोप हमारा आदर्श नहीं हो सकता क्योंकि इसकी योजनायें हिंसा पर आधारित हैं। यदि भारत ने हिंसा से दूर रहने की प्रतिज्ञा की है तो यह शिक्षा पद्धति ही उसके प्राप्त करने का प्रमुख साधन हो सकती है। हमसे कहा जाता है कि इंग्लैंड और अमेरिका में शिक्षा पर करोड़ों रुपये व्यय किये जाते हैं; किन्तु हम यह भूल जाते हैं कि यह सब धनराशि शोषण द्वारा प्राप्त की जाती है। वहाँ शोषणकला ने विज्ञान का रूप धारण कर लिया है। हम न तो शोषण की बात सोच सकते हैं और न सोचेंगे ही। अतः अहिंसा पर आश्रित शिक्षा के अतिरिक्त हमारे समक्ष कोई अन्य विकल्प नहीं।”

महात्माजी के भाषण के उपरान्त डा० जाकिर हुसैन तथा प्रो० के०टी० शाह, इत्यादि विद्वानों ने इस योजना की समालोचना की। भिन्न २ प्रांतों से आयें हुए शिक्षा मंत्रियों ने योजना की सराहना करते हुए इसकी कुछ त्रुटियों पर प्रकाश डाला तथा कुछ कठिनाइयों का भी सम्मुख रक्खा। गांधीजी ने सभी आलोचकों को संतोषजनक उत्तर दिये और इसके प्रयोग करने के सुभाव रक्खे। आचार्य विनोबा भावे, काका कालेलकर, महादेव देसाई, बी०जी० खेर तथा पं० रवीशंकर शुक्ला इत्यादि नेताओं ने भी योजना का समर्थन किया। अन्त में वह चार प्रस्ताव रक्खे गये, जिनका सार प्रारम्भ में दिया जा चुका है, जो कि निम्नलिखित रूप में पास हुए :—

प्रस्ताव

- (१) सम्मेलन की राय में समस्त देश में ७ वर्ष तक सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाय।
- (२) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।
- (३) सम्मेलन महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन करता है कि इस

काल में शिक्षा किसी उत्पादक हस्तकार्य को ही केन्द्र मानकर दी जावे, और इसके अतिरिक्त अन्य गुणों का विकास करने के लिये अथवा कोई प्रशिक्षण देने के लिये, यथासम्भव कोई ऐसा हस्तकार्य चुना जाय जिसका कि बालक के वातावरण से घनिष्ठ सम्बन्ध हो।

(४) सम्मेलन को आशा है कि शिक्षा के इस संगठन के अनुसार धीरे २ अध्यापकों का वेतन निकलने लगेगा।^१

ज्ञाकिर हुसैन समिति:—उपर्युक्त प्रस्तावों के पास होने के उपरान्त गांधी जी की योजना की व्यवहारिक रूप देने तथा एक विस्तृत पाठ्यक्रम बनाने के उद्देश्य से एक समिति बनाई गई जिसके सभापति जामिया मिलिया दिल्ली के प्रिंसिपल श्री ज्ञाकिर हुसैन नियुक्त हुए। उनके अतिरिक्त इसके अन्य नौ सदस्य और ये जिनमें प्रमुख श्री आर्य नायकम् (संयोजक), श्री विनोवा ; श्री काका कालेलकर, श्री जे० सी० कुमारप्पा, श्री मशरूवाला तथा प्रोफे० के० टी० शाह थे। इनको कुछ अन्य सदस्य चुनने (To Co-opt.) का अधिकार भी दे दिया गया। २ दिसम्बर १९३७ ई० तथा अप्रैल १९३८ ई० को समिति ने अपने दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। प्रथम प्रतिवेदन में योजना के मूलभूत सिद्धान्तों—प्रचलित शिक्षा प्रणाली, महात्मा गांधी का नेतृत्व, स्कूलों में हस्तकार्य, योजना में नागरिकता के गुणों का निहित होना तथा योजना के स्वावलम्बन का आधार आदि उप-शीर्षकों से लेकर—योजना के उद्देश्य, बेसिक शिक्षा के ७ वर्ष के पाठ्य-क्रम की संक्षिप्त रूप रेखा; अध्यापकों का प्रशिक्षण; निरीक्षण तथा परीक्षा-नियम इत्यादि तथा शिक्षा के प्रशासन व संगठन की रूपरेखा तक का वर्णन है। अन्त में प्रमुख हस्तकार्य कताई व बुनाई का विस्तृत पाठ्य-क्रम दिया गया है। दूसरे प्रतिवेदन में समिति ने अन्य बुनियादी हस्तकार्यों, कृषि, धातुकार्य व लकड़ी का कार्य इत्यादि को भी सम्मिलित करके उनकी विधि तथा पाठ्यक्रम का पूर्ण विवरण दिया है तथा इन बुनियादी हस्तकार्यों का अन्य विषयों से सम्बन्ध स्थापित करने की विधि (Correlation) की भी व्यवस्था की है। ज्ञाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट फरवरी, १९३८ ई० में हरीपुरा कांग्रेस अधिवेशन में वाद-विवाद के लिये रक्खी गई और कांग्रेस ने इसे अधिकृत रूप से स्वीकार कर लिया। इसी बीच में रिपोर्ट के प्रकाशित होने पर इसका देश में प्रचार हुआ और भिन्न २ क्षेत्रों से आलोचनाएँ आने लगीं। गान्धी जी ने 'हरिजन' के द्वारा समय-समय पर सभी आलोचनाओं का उत्तर दिया तथा शंकाओं का समाधान किया। इस प्रकार पूर्ण रूप से मँजने के उपरान्त बेसिक शिक्षा-योजना यू० पी०, मध्यप्रान्त, बिहार-उड़ीसा तथा बम्बई प्रान्तों में लागू कर दी गई। किन्तु जैसा कहा चुका है

कांग्रेस मंत्रिमंडलों के १९३६ ई० में त्याग-पत्र दे देने पर यह योजना भी अधूरी ही रह गई। बाद में सरकारी अफसरों ने इसे हानिकारक व अव्यवहारिक बताकर हटा दिया। बिहार में अवश्य चम्पारन जिले में लगभग २७ केंद्रों में यह जारी रही।

वर्धा योजना की विशेषतायें :—

वर्धा योजना के फलस्वरूप देश में एक नवीन शिक्षा पद्धति 'बेसिक शिक्षा' का प्रारम्भ हुआ। योजना के तत्व अथवा विशेषताओं को समझने से पूर्व यह आवश्यक है कि 'बेसिक' शब्द का इस शिक्षा के सम्बन्ध में पूर्ण महत्त्व समझ लिया जाय। प्रथमतः इस शिक्षा को 'बेसिक' इसलिये कहा गया है कि यह हमारी राष्ट्रीय संस्कृति तथा सभ्यता का आधार होगी। प्रत्येक वर्ग का बालक इसे बिना भेद-भाव के अपना सकेगा और उसके लिये यह अनिवार्य होगा। दूसरे, यह 'बेसिक' इसलिये होगी कि इसका माध्यम कोई बेसिक क्राफ्ट होगा, अर्थात् कोई ऐसी हस्तकला जोकि भारतीय जीवन का आधार हो। इसके अतिरिक्त बालक की मूलभूत-क्रियात्मक भावनाओं के लिये व्यवस्था भी इस शिक्षा का आधार है। इन सृजनात्मक भावनाओं की तुष्टि क्राफ्ट के द्वारा हो सकेगी जिसके आधार पर बालक रुचिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करेगा। अतः एक प्रकार से बेसिक-शिक्षा जीवन की आधारीय आवश्यकताओं—सामाजिक, व्यक्तिगत, आर्थिक तथा मानसिक सभी की पूर्ति करेगी। वस्तुतः यह जीवन का वह दृढ़ धरातल प्रदान करेगी जिस पर हमारे बालकों, समाज तथा राष्ट्र का अस्तित्व निर्भर होगा।

अब यहाँ सन्देश में वर्धा योजना के तत्वों को देना आवश्यक है।

(१) शिक्षा का माध्यम बेसिक क्राफ्ट :—बेसिक शिक्षा की विशेषता यह है कि यह किसी लाभदायक बुनियादी हस्तकार्य के माध्यम से दी जाती है। वर्तमान युग में आज सभी शिक्षा शास्त्री इस सिद्धान्त को मानने लगे हैं कि बालकों को किसी उचित उत्पादक कार्य के द्वारा शिक्षा दी जाय। इस प्रकार शिक्षा का वास्तविक जीवन से सम्बन्ध स्थापित हो जायगा। जहाँ पर इस क्राफ्ट के द्वारा उद्यम की समस्या हल होगी वहाँ बालक के व्यक्तित्व का भी विकास होगा और उसकी रचनात्मक तथा उत्पादक कार्य करने की आन्तरिक भावनाओं को भी पोषण मिलेगा। ज़ाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रकार शिक्षा का माध्यम क्राफ्ट रहने से बालक को मनोवैज्ञानिक लाभ होगा क्योंकि बालक को एक ऐसी शुद्ध साहित्यिक तथा सैद्धान्तिक शिक्षा की दासता से मुक्ति मिलेगी जिसके प्रति उसकी आत्मा सदा विद्रोह किया करती है। इसके द्वारा शरीर और मस्तिष्क दोनों को शिक्षा प्राप्त होगी इसका उद्देश्य केवल साक्षरता प्राप्त कराना ही नहीं होगा अपितु इसके द्वारा बालक किसी रचनात्मक कार्य के

करने के लिए अपने हाथ तथा बुद्धि का प्रयोग करना सोखेगा। इसका अभिप्राय होगा उसके 'व्यक्तित्व की शिक्षा'।

प्रतिवेदन में आगे कहा गया है कि सामाजिक क्षेत्र में इस शिक्षा से समाज के ऊँच-नीच के भेद-भाव मिट जाँयगे और मानसिक-श्रमिक तथा शारीरिक-श्रमिक के बीच की खाई पट जायगी। इससे बालक श्रम का महत्त्व भी समझेंगे।

आर्थिक दृष्टिकोण से यदि बुद्धिमत्ता-पूर्वक शिक्षा प्राप्त की जाय तो यह बालक को स्वावलम्बी बना देगी और शिक्षा भी स्वतः पूर्ण हो जायगी। इस प्रकार 'ज्ञान का जीवन से सम्बन्ध स्थापित हो जायगा और इसके विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से सम्बन्धित हो जाँयगे।'

अतः वेसिक शिक्षा का केन्द्र क्राफ्ट होगा। किन्तु जैसा कि प्रतिवेदन में कहा गया है "इस नई शिक्षा पद्धति का प्रधान उद्देश्य यह नहीं है कि ऐसे कारीगर उत्पन्न कर दिये जाँय जो यंत्रवत् कोई कार्य करते रहें, अपितु इसका उद्देश्य तो क्राफ्ट में निहित साधनों का शिक्षा के लिये उपयोग करना है।" इसके लिये दो शर्तें होनी चाहिये "प्रथमतः जो क्राफ्ट या उत्पादक-कार्य चुना जाय वह शिक्षा विज्ञान की संभावनाओं से सम्पन्न हो; और द्वितीय, जीवन की महत्त्वपूर्ण क्रियाओं तथा रुचियों से सम्बन्ध स्थापित करने का इस क्राफ्ट के अन्दर प्राकृतिक गुण हो और उसमें स्कूल-पाठ्यक्रम के सम्पूर्ण अंगों का समावेश हो सके।"

इस प्रकार क्राफ्ट केवल एक स्वतंत्र विषय की भाँति नहीं पढ़ाया जायगा। यह तो अन्य विषयों का भी केन्द्र होगा और उनसे सम्बन्धित कर दिया जायगा जैसा कि गान्धी जी ने स्वयं कहा है, "प्रत्येक हस्तकार्य आजकल की भाँति यंत्रवत् नहीं वरन् वैज्ञानिक विधि से सिखाया जायगा, जिससे बालक प्रत्येक पद्धति के कार्य-कारण सम्बन्ध को भली भाँति समझ जाय।" यदि कताई-बुनाई जैसे हस्तकार्यों को भी अन्य विषयों की भाँति पढ़ाया जायगा तो सम्पूर्ण योजना की आत्मा का ही हनन हो जायगा। किन्तु किसी भी एक क्राफ्ट को सम्पूर्ण शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। प्रत्येक क्राफ्ट की सीमायें होती हैं अतः क्राफ्ट के अतिरिक्त सामाजिक वातावरण तथा प्राकृतिक वातावरण को भी सम्मिलित कर लिया गया है। इस प्रकार "जो विषय क्राफ्ट से सम्बन्धित नहीं किया जा सकता है वह बालक को प्राकृतिक अथवा सामाजिक परिस्थितियों से सम्बन्धित कर दिया जायगा जिनमें बालक उतनी ही रुचि रखता हो जितनी कि क्राफ्ट में।"

(२) नागरिकता के गुणों का विकास:—आज का बालक कल का भावी नागरिक है। अतः शिक्षा का उद्देश्य नागरिकता के गुणों का विकास भी होना चाहिये। नई पीढ़ी को समाज तथा देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिये। आजकल के युग में एक नागरिक को समाज की एक लाभदायक व उत्पादक इकाई होना चाहिये। गान्धीजी ने यह अनुभव कर लिया था कि देश की प्रचलित शिक्षा पद्धति ऐसे शोषकों का निर्माण करती जा रही है जोकि दूसरों के ऊपर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अतः आवश्यक यह है कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास किया जाय जिसमें बालक शारीरिक श्रम के गौरव को समझें और अपने ऊपर निर्भर रह सकें। बेसिक शिक्षा इस उद्देश्य की पूर्ति करती है। इसमें प्रत्येक बालक अनिवार्य रूप से कुछ हस्तकार्य करता है। कक्षा में सभी वर्गों के बालक सामूहिक रूप कार्य करते हैं। इस प्रकार उनमें स्वावलम्बन तथा श्रम गौरव की भावनाओं के साथ ही साथ सहकारिता की भावनाओं का भी संचार होता है। उन्हें देश तथा जाति के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर वह एक सामूहिक जीवन का पदार्थ-पाठ पढ़ते हैं। अतः जो चरित्र का विकास बाल्यावस्था अथवा किशोरावस्था में होता है, वह बड़े होने पर व्यवहारिक जीवन में भी स्पष्टतः झलकता है।

प्रायः साधारण शिक्षालयों में यह सहकारिता की भावना नष्ट हो जाती है; किन्तु बेसिक स्कूलों में इसको बहुत प्रोत्साहन मिलता है। एक रचनात्मक तथा उत्पादक कार्य करते हुए बालक गर्व के साथ यह अनुभव करता है कि वह राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है और राष्ट्रनिर्माण तथा कल्याण का पाठ पढ़ रहा है।

(३) योजना में स्वयं पूर्ति (Self Sufficiency) की भावना:—वास्तव में बेसिक शिक्षा का यह वह पक्ष है जिसकी कि देश में बड़ी आलोचना हुई। प्रोफेसर के० टी० शाह ने कहा कि क्राफ्ट की शिक्षा देकर हम बालक को दास बना डालेंगे और आर्थिक उद्देश्य को समझ रख कर बालक का शोषण करेंगे। बालक शिक्षा के महान उद्देश्यों को भूल कर किसी पेशेवर कारीगर की भाँति यंत्रवत् तथा भावना शून्य होकर कार्य करेगा। यह भी कहा गया कि यह शिक्षा स्कूलों को 'फैक्टरी' बना देनी जहाँ बालक से यह आशा की जायगी कि उसके उत्पादन से शिक्षक का वेतन चुकाया जाय अतः शिक्षक भी आर्थिक लाभ के लिए बालक से अधिक से अधिक कार्य लेगा। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने यह भी संदेह किया कि बालकों की बनाई हुई वस्तुयें इतनी भद्दी होंगी कि वह विक्रय नहीं कर सकेंगी तथा प्रारम्भ में कच्चा माल बहुत बिगाड़ेगा। "स्कूल को स्वावलम्बी बनाने का तात्पर्य शिक्षालयों को उद्योग धन्धों का केन्द्र बना देना होगा और किसी स्कूल की सफलता शिक्षा से नहीं, वरन् बेचने योग्य वस्तुओं के उत्पन्न करने से आंकी

जायगी।^१ फिर बच्चों को राज्य से शिक्षा पाने का अधिकार है वह स्वयं उत्पादन करके क्यों पढ़ें इत्यादि इत्यादि।

किन्तु यदि आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो प्रतीत होगा कि यह सभी संदेह और आलोचनायें निर्मूल व निराशावादी हैं। वास्तव में इनके विषय में बड़ी भ्रान्ति है। योजना के स्वावलम्बी तथा स्वतः पूर्ण होने का प्रयोजन यह है कि एक तो विद्यार्थियों के श्रम से ही आंशिक रूप से शिक्षक का वेतन निकल आवे और दूसरे शिक्षा समाप्त होने पर विद्यार्थी को जीवन निर्वाह के लिये कोई उत्पादक साधन उपलब्ध हो सके। योजना का अभिप्राय यह नहीं है कि एक मात्र कारीगर उत्पन्न किये जाय। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट कर दी है कि “यदि यह स्वावलम्बी (Self-Supporting) नहीं भी है तो भी इसे एक उचित शिक्षा नीति तथा राष्ट्र निर्माण का तत्कालिक साधन समझकर अपना लेना चाहिये।” जहाँ तक व्यय का प्रश्न है वहाँ तक तो यह ‘दैवयोग से’ अनायास (Incidentally) कुछ उत्पादन करके दैनिक व्यय निकाल लिया करेगी। इसके समर्थन में समिति ने कताई-बुनाई के आंकड़े देकर यह सिद्ध भी कर दिया है कि यह पद्धति आत्म निर्भर भी हो सकती है।

जहाँ तक उपर्युक्त आलोचनाओं के उत्तर का प्रश्न है गान्धी जी ने समय २ पर ‘हरिजन’ में अपने लेखों द्वारा उन्हें स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने लिखा था कि शिक्षकों का वेतन तथा बेसिक क्राफ्ट का व्यय बालकों के सात वर्ष के कार्य से आवश्यक निकल आवेगा। प्रारम्भ में कच्चे माल का थोड़ा अपव्यय भले ही हो जाय किन्तु आगे जाकर नहीं होगा। यह स्वाभाविक है और योग्य शिक्षक द्वारा इसे बचाया भी जा सकता है। बच्चों द्वारा उत्पन्न की हुई वस्तुओं को राज्य खरीदेगा। नागरिक भी बच्चों के द्वारा उत्पन्न की हुई वस्तुओं की अधिक कीमत देकर भी उन्हें खरीदने में आनन्द तथा गौरव का अनुभव करेंगे। जहाँ तक बाजार में स्पर्धा का प्रश्न है स्कूलों में प्रायः ऐसी वस्तुएँ उत्पन्न करने का प्रयास किया जायगा जिनमें स्पर्धा न हो जैसे खादी, देशी कागज, खजूर का गुड़ इत्यादि। इसी प्रकार गान्धी जी ने अन्य आलोचनाओं का भी उत्तर दिया है। उनका विचार था कि सात वर्ष में किसी भी उद्यम को पूर्णतया सिखाया जा सकता है। इस प्रकार बेकारी भी मिट जावेगी और बालकों में राष्ट्र-निर्माण तथा आत्म निर्भरता के गुणों का भी प्रादुर्भाव होगा।

गान्धी जी का यह भी विश्वास था कि देश में प्राथमिक शिक्षा का विकास शीघ्र-शीघ्र होना चाहिये और इसके लिये हम सरकारी सहायता की प्रतीक्षा अधिकदिन तक नहीं कर सकते, अतः आवश्यक है कि शिक्षा को स्वयं आत्म निर्भर

बना दिया जाय। “इस प्रकार की पूर्ण शिक्षापद्धति अवश्य ही आत्म निर्भर हो सकती है और इसे होना चाहिये; वस्तुतः आत्म-निर्भरता ही इसकी वास्तविकता की कसौटी है।”^१ जहाँ तक इन बेसिक स्कूलों को ‘फैक्टरी’ कहने का प्रश्न है वहाँ गान्धी जी ने बताया कि ऐसा कहना वास्तविकता की ओर से अशुभ बन्द कर लेना है क्योंकि फैक्टरी का उद्देश्य है शोषण; वहाँ शिक्षा के तत्वों पर ध्यान नहीं दिया जाता, किन्तु बेसिक स्कूल का उद्देश्य तो एक मात्र शिक्षा देना होगा। इस्तकार्य तो केवल शिक्षा का माध्यम होगा न कि उद्देश्य।

समिति के प्रतिवेदन में अन्त में यह भी चेतावनी दी गई है कि इस बात का पूरा र भय है कि योजना के आर्थिक पक्ष पर अधिक ध्यान देकर शिक्षक सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी पक्ष को बलिदान करदे तथा अपना अधिकांश समय तथा ध्यान इस बात में लगा दे कि बालक अधिक से अधिक उत्पादन करके पैसा उत्पन्न करे। इसके दूर करने का उपाय यही है कि यह बात शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में भली भाँति समझा दी जाय तथा बाद को निरीक्षक लोग इस बात को देखें कि कहीं ऐसा शोषण तो नहीं हो रहा है।

पाठ्यक्रम

बेसिक शिक्षालयों का पाठ्यक्रम ७ वर्ष का होगा अर्थात् ७ वर्ष से १४ वर्ष तक की अवस्था के लड़के और लड़कियाँ इनमें अध्ययन करेंगे। पाँचवीं कक्षा तक सह-शिक्षा रहेगी उसके उपरान्त यद्यपि लड़के और लड़की दोनों के लिए एकसा पाठ्यक्रम होते हुए भी केवल इतना अन्तर कर दिया जायगा कि बालिकाओं को सामान्य-विज्ञान के स्थान पर गृह-विज्ञान पढ़ाया जायगा।

संक्षेप में पाठ्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है :—

१. बेसिक क्राफ्ट :

- (क) कताई-बुनाई
- (ख) लकड़ी का काम
- (ग) कृषि
- (घ) फल तथा बनस्पति की उद्यान कला
- (ङ) चर्म कार्य
- (च) भौगोलिक तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कोई अन्य हस्तकला।

२. मातृ भाषा

३. गणित

४. सामाजिक विज्ञान—इतिहास, भूगोल और नागरिक-शास्त्र

५. सामान्य विज्ञान—प्रकृति निरीक्षण, बनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, स्वास्थ्यरक्षा तथा रसायन शास्त्र। स्वास्थ्य रक्षा के साथ व्यायाम भी सम्मिलित किया गया है।
६. कला (ड्राइंग)
७. संगीत
८. हिन्दुस्तानी।

बेसिक शिक्षा में अंग्रेजी भाषा को कोई स्थान नहीं दिया गया है। इसके स्थान पर हिन्दुस्तानी भाषा का शिक्षण किया जायगा। प्रमुख भाषा के स्थान पर भिन्न २ प्रान्तों में वहाँ की स्थानीय मातृ-भाषा सिखाई जायगी। ऐसे स्थानों में पूर्वी या दक्षिणी वर्ष में जाकर हिन्दुस्तानी पढ़ाई जायगी। हिन्दुस्तानी का केवल लिखने पढ़ने का ज्ञान ही पर्याप्त समझा गया है। गान्धी जी के अनुसार यह बेसिक पाठ्यक्रम अंग्रेजी को छोड़कर प्रचलित हाईस्कूल के बराबर होगा यद्यपि इस पर कुछ लोगों को संदेह है तथापि यह परीक्षण का विषय है।

धार्मिक शिक्षा को इस पाठ्यक्रम में कोई स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि गान्धी जी लोगों को स्वावलम्बन के धर्म का पाठ पढ़ाना चाहते थे। “हमने वर्धा-शिक्षा-योजना में से धर्म-शिक्षा का बहिष्कार कर दिया है क्योंकि हमें भय है कि आज जिन धर्मों की शिक्षा दी जाती है अथवा जिनका पालन करना होता है वह मेल के स्थान पर भगड़े उत्पन्न कराते हैं। साथ ही मेरा विश्वास है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा अवश्य देनी चाहिये जिसमें सभी प्रमुख धर्मों का सार निहित हो। यह धर्म-सार केवल शब्दों और पुस्तकों से नहीं पढ़ाया जा सकता—इसे तो बालक केवल शिक्षक की दैनिक जीवनचर्या से ही सीख सकता है।”

अध्यापकों का प्रशिक्षण

बेसिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक एक केन्द्र-विन्दु है। उसके व्यक्तित्व पर ही इसकी सफलता और असफलता निर्भर है। अतः अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये योजना में दो प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई है—दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन। क्योंकि शिक्षकों को केवल साधारण विषय ही नहीं पढ़ाने थे अपितु क्राफ्ट भी पढ़ाने थे अतः उन्हें उन क्राफ्टों का पूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य था।

प्रशिक्षण-विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिये शिक्षक कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिये अथवा वर्नाक्युलर फाइनल मिडिल पास करने के उपरान्त उसे दो वर्ष का पढ़ाने का अनुभव हो। दीर्घकालीन प्रशिक्षण की अवधि ३ वर्ष की है। यह पाठ्यक्रम बड़ा व्यापक है और इसमें सभी आवश्यक विषय सम्मिलित हैं। यद्यपि यह पाठ्यक्रम कुछ दीर्घ प्रतीत होता है किन्तु नियम तथा

भावना से पूरा किया जा सकता है। अल्पकालीन कोर्स की आवश्यकता इसलिये थी कि इस योजना को शीघ्र-शीघ्र लागू करना था अतः उसकी अवधि एक वर्ष रखी गई। पाठ्यक्रम संक्षेप में वही रखा गया जो कि प्रारम्भ में था। अध्यापकों को प्रशिक्षण काल में छात्रावास में रहना अनिवार्य है।

शिक्षण विधि

बेसिक शिक्षा में शिक्षण विधि पर अधिक महत्त्व दिया गया है। पाठ्यक्रम के सर्वोत्तम होते हुए भी कोई शिक्षा बिना उचित व कुशल शिक्षण-विधि के व्यर्थ हो जाती है। बेसिक शिक्षा की शिक्षणविधि तथा विषय-वस्तु की पहुँच साधारण शिक्षा से भिन्न है। बेसिक शिक्षा में प्रत्येक विषय एक स्वतंत्र इकाई के रूप में नहीं पढ़ाया जाता अपितु एक ऐसी विकसित क्रिया को केन्द्र बनाकर पढ़ाया जाता है जिसका सम्बन्ध अन्य विषयों से स्थापित हो सके। अतः शिक्षकों द्वारा सम्बन्धित विषयों की पूर्व-योजना बनाली जाती है और इस प्रकार 'जीवन, ज्ञान और क्रिया' का सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाता है।

बेसिक शिक्षा में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को ७ क्रमिक कक्षाओं में विभाजित कर दिया जाता है। प्रथम कक्षा में बालक मातृभाषा का मौखिक ज्ञान, फिर पढ़ना और अन्त में लिखना सीखने के साथ ही साथ कुछ बुनियादी हस्तकला सीखता है। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा में वह बढ़ता चलता है। ज्यों २ आगे बढ़ता है उसके बुनियादी क्राफ्ट का सम्बन्ध अन्य विषयों जैसे गणित, भाषा, कला, इतिहास, भूगोल तथा विज्ञान इत्यादि से स्थापित होता जाता है। यह बुनियादी क्राफ्ट वस्तुतः अन्य विषयों के पढ़ाने का माध्यम रहता है। इस प्रकार ७ वर्ष के अन्त में उस विशेष क्राफ्ट में सिद्धहस्त होने के साथ ही साथ विद्यार्थी अन्य आवश्यक साहित्यिक विषयों का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सम्पूर्ण विधि का आधार मनोविज्ञान पर आधारित वही क्रियात्मक व उत्पादक-क्राफ्ट रहता है।

बेसिक क्राफ्ट के लिये प्रायः कताई व बुनाई को लिया जाता है किन्तु गांधी जी के अनुसार अन्य उद्यम व क्राफ्ट भी सम्मिलित किये जा सकते हैं। यद्यपि प्रत्येक क्राफ्ट एक पूर्ण व आदर्श माध्यम नहीं बन सकता किन्तु उसका उतना ही अंश कार्य में लाया जा सकता है जितना व्यवहारिक हो सके। शेष के लिये अन्य विधियों का अनुसरण किया जा सकता है।

प्राकृतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति तथा क्राफ्ट—यही तीन साधन हैं जिनके द्वारा प्रत्येक विषय एक दूसरे से सम्बन्धित किया जा सकता है तथा बालक को इस योग्य बनाया जा सकता है कि वह बुद्धिमत्तापूर्वक तथा क्रियात्मक विधि से अपने वातावरण के अनुकूल अपने को ढाल सके। इस प्रकार सम्पूर्ण पाठ्यक्रम बालक-केन्द्रित न होकर कार्य-केन्द्रित हो जाता है।

इस प्रकार विद्यार्थी हाथ से कार्य करता है और साथ ही अपनी बुद्धि व कल्पना शक्ति का भी प्रयोग करता है। बालकों में एक स्वाभाविक सृजनात्मक-भावना होती है, वह इस शिक्षा विधि में पर्याप्त रूप से पोषित हो जाती है। उसके ज्ञान व शरीर के विकास के साथ ही साथ उसके चरित्र व व्यक्तित्व का भी विकास होता है और वह अपने आपको समाज व राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग मानने लगता है।

बेसिक शिक्षा में बालक एक निष्क्रिय श्रोता नहीं रह सकता जैसा कि साधारण शिक्षा में होता है। बेसिक स्कूल वह कार्य क्षेत्र हैं तथा पराक्षर व अनुसंधान के वह स्थान हैं जहाँ बालक सदा जागरूक रहता है। उसके कौतूहल तथा विजय व सफलता की आशा उसे आगे बढ़ा ले जाते हैं। अतः समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि “जहाँ तक पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, हमने इस सिद्धान्त पर जोर दिया है कि सम्पूर्ण शिक्षण कार्य जीवन की वास्तविकताओं पर आधारित हो जिसका सम्बन्ध हस्तकला तथा सामाजिक व प्राकृतिक वातावरण से हो, ताकि जो कुछ भी ज्ञान बालक प्राप्त करता है उसका उसकी उन्नतिशील क्रियाओं से तादात्म्य हो जाय।”^१ इस पद्धति में ‘काम करते हुए शिक्षा प्राप्त करने’ अर्थात् (Learning by doing) का सिद्धान्त भी समझ रक्खा जाता है। हस्तकार्य को बालक खेल ही खेल में सीख जाता है और उससे सम्बन्धित अन्य विषयों का ज्ञान भी उसे बिना किसी शुष्कता तथा भार के अनायास ही प्राप्त हो जाता है।

बेसिक शिक्षा पद्धति में शिक्षण के समान ही निरीक्षण कार्य का भी महत्व बतलाया गया है। इसके लिये योग्य व अनुभवी व्यक्तियों का रक्खा जाना आवश्यक है जो कि केवल निरीक्षण ही नहीं करें अपितु पथ-प्रदर्शन भी करें।

वर्तमान परीक्षा प्रणाली अत्यंत दोष पूर्ण है जो कि बालक के व्यक्तित्व के विकास में एक बाधा के रूप में उपस्थित है। बेसिक शिक्षा में प्रचलित परीक्षा-विधि में क्रान्तिकारी परिवर्तन करके उसे पूर्ण वैज्ञानिक रूप दे दिया गया है। इस परीक्षा विधि में शिक्षक का विशेष महत्व है।

उपसंहार

इस प्रकार बेसिक शिक्षा के अंग प्रत्यंग का विवेचन करने के उपरान्त यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि यह पद्धति देश के लिये अत्यंत लाभदायक है। प्रचलित-शिक्षा के प्रायः सभी दोषों को इसके अनुसार मिटाकर एक उपयुक्त रूप दे दिया गया है। इसके अनुसार देश की संस्कृति व सभ्यता के आधार पर ग्रामीण शिक्षा का इससे अच्छा और कोई साधन नहीं हो सकता। यद्यपि यह शिक्षा सिद्धान्त पूर्णतः मौलिक नहीं है क्योंकि अमेरिका में भी डा० डिवी ने इसका

प्रचार किया था तथा रूस में भी यह प्रचलित है किन्तु महात्माजी के इसके प्रस्तुत करने का ढंग अग्र्य ही मौलिक व नूतन है। पाश्चात्य देशों की भाँति हिंसा व शोषण इसका उद्देश्य न होकर भारत में इसका उद्देश्य अहिंसा व स्वावलम्बन है। इसकी अलोचनाओं का उचित उत्तर यथास्थान दिया जा चुका है। यद्यपि प्रत्येक योजना में कुछ कमी हो सकती है किन्तु समय पाकर अनुभव व परीक्षण से उसे और भी अधिक अनुकूल बनाया जा सकता है। बेसिक शिक्षा ने अग्र्य ही भारतीय शिक्षा पद्धति में एक क्रान्ति करदी है और इसके साथ ही भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नये युग का सूत्रपात्र होता है।

योजना के अनुसार प्रगांत

डा० ज़ाकिर हुसैन समिति के प्रतिवेदन के अनुसार इस योजना में पर्याप्त संशोधन कर दिये गये। इसके स्वावलम्बन के पक्ष के विषय में नियमों को ढीला कर दिया गया। बेसिक क्राफ्ट का क्षेत्र भी बढ़ गया और अब बालकों का पूर्ण अनुभव शिक्षा उद्देश्यों के लिये प्रयुक्त किया जाने लगा है। भारत में प्राथमिक शिक्षा में इस योजना के आधार पर आशाजनक प्रगति हुई है।

हरांपुरा कांग्रेस में इस योजना को आधिकृत रूप से स्वीकार किया ही जा चुका था। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने भिन्न २ प्रान्तों में इसका परीक्षण किया। 'हिन्दु-स्तानी तालीमों संघ' की स्थापना हो जाने के उपरान्त इसकी गति और भी बढ़ी। मध्यप्रान्त, यू०पी०, बम्बई तथा बिहार उड़ीसा में इसे सरकारी संरक्षण प्राप्त हुआ। नये ट्रेनिंग कालेज तथा स्कूल खुलने लगे तथा अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिये भेजा जाने लगा। मध्यभारत सरकार ने इसमें विशेष रुचि दिखलाई। वर्धनार्मल स्कूल को विद्या मंदिर ट्रेनिंग स्कूल बना दिया गया और ६८ अन्य विद्या मंदिर स्कूल खोले गये। उसी प्रकार उत्तर-प्रदेश में भी इस योजना का शीघ्र प्रचार हुआ। नये शिक्षा मंत्री ने इस योजना को संरक्षण दिया और बेसिक शिक्षा के लिये एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिया तथा एक बेसिक ट्रेनिंग कालेज खोला। बिहार में इस पद्धति के अनुसार सराहनीय कार्य हुआ है। १९४० ई० में राजनैतिक कारणों से इसे बहुत आघात पहुँचा।

१९३८ ई० तथा १९४० ई० में 'केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड' ने बम्बई प्रान्त के मुख्य मन्त्री माननीय श्री वी०जी०खेर की अध्यक्षता में समितियों की स्थापना की। इन समितियों ने बेसिक शिक्षा के विषय में बहुत ही विस्तृत राय दी जिनके फल-स्वरूप देश में बेसिक शिक्षा का वास्तविक रूप में पुनः संगठन हुआ। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने भी खेर समिति की रिपोर्ट के अधिकतर सुझावों को मान लिया और १९४४ की 'सार्जेंट रिपोर्ट' में इन सुझावों को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया।

१९४५ ई० के प्रारम्भ में हिन्दुस्तानी तालीमी संघ की बैठक वर्षा में पुनः हुई। इस बैठक में सम्पूर्ण शिक्षा-पद्धति तथा इसकी प्रगति पर दृष्टिपात किया गया। इस बैठक में भी बेसिक शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार किया गया और गांधीजी के सिद्धान्तों पर आधारित करके इसका नाम 'नई तालीम' रख दिया। यह नई तालीम चार भागों में विभक्त की गई यथा: पूर्व-बेसिक, बेसिक, उत्तर-बेसिक तथा प्रौढ़ शिक्षा। पूर्व-बेसिक शिक्षा ३ से ६ वर्ष की उम्र वाले बच्चों के लिये थी तथा उत्तर-बेसिक में उच्च शिक्षा को सम्मिलित किया गया। पूर्व-बेसिक कार्यक्रम का ही अधिक प्रचार हुआ है।

इससे पूर्व १९४४ ई० में केन्द्रीय सलाहकार समिति ने भी बेसिक शिक्षा के प्रसार की योजना का समर्थन किया था। राष्ट्रीय योजना समिति (नेशनल प्लानिंग कमिटी) ने भी जो कांग्रेस ने देश की भिन्न २ अवस्थाओं पर अपनी रिपोर्ट तथा सुझाव देने के लिये नियुक्त की थी, बेसिक शिक्षा का समर्थन किया। १९४७ ई० में 'हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, वर्षा' ने एक विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जो कि प्रायः सभी प्रान्तों ने लागू कर दिया है। इस योजना में 'उत्तर-बेसिक' माध्यमिक शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। इन 'उत्तर-बेसिक' माध्यमिक स्कूलों के प्रधान माध्यम विषय कृषि, डेरी, भवन-निर्माण, लोहारी; बढ़ईगीरी तथा बुनाई, इत्यादि हैं जिनके द्वारा ग्रामों के पुर्ननिर्माण की बात कही जाती है। इन 'उत्तर बेसिक कालेजों का निर्माण स्कैंडीनेविया के 'पीपुल्स कालेजों' के आधार पर होने की भावना है जैसा कि राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिश है।

जनवरी सन् १९३८ ई० में फिर श्री बी०जी०खेर की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण हुआ जिसे बेसिक शिक्षा को अधिक प्रगतिशील बनाने तथा इसके लिए व्यवहारिक सुझाव रखने का कार्य सौंपा गया। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार बेसिक शिक्षा को सार्वजनिक बनाने के लिए १६ वर्ष का आयोजन किया गया है जिनमें ५ + ५ + ६ वर्ष की तीन योजनायें बनाई गईं। भारत के नये संविधान में भी १४ वर्ष की अवस्था तक निःशुल्क अनिवार्य बेसिक शिक्षा के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है।

प्रायः सभी राज्यों ने अपने आन्दोलन बेसिक शिक्षा के लिये प्रारम्भ कर दिये हैं। भारत की स्वतंत्रता तथा शिक्षा की बढ़ती हुई माँग ने इस आन्दोलन को सभी स्थानों पर सर्वप्रिय बना दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दो पंचसाला योजनायें बनाई हैं। बम्बई राज्य में भी १० या १२ वर्ष में ६ वर्ष से ११ वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक बेसिक शिक्षा देने पर कार्य किया जा रहा है। आसाम अपनी पंचसाला योजना के अन्तर्गत १२५० जूनियर

बेसिक स्कूल स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। इसी प्रकार बिहार ने ६-११ वर्ष के बालकों को बेसिक शिक्षा प्रदान करने का १० वर्ष का कार्यक्रम बनाया है जिसमें बहुत संतोषजनक प्रगति हुई है। पश्चिमी बंगाल ने १४ करोड़ रुपया व्यय के अनुमान के आधार पर २,२५०,००० स्कूल जाने योग्य बालकों की बेसिक शिक्षा की योजना बनाई है। मद्रास की योजना २० वर्ष में ६-१४ वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की है। उड़ीसा बेसिक (जूनियर) शिक्षा को ४० वर्ष में सार्वजनिक बना रहा है।

बेसिक शिक्षा योजना के व्यय के विषय में यह बात केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की १९४८ ई० की इलाहाबाद की बैठक में सिद्धान्ततः स्वीकार की जा चुकी है कि ६-११ वर्ष के बालकों की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का भार राज्य सरकार पर हो। इसकी अवधि १० वर्ष है। दूसरे, बेसिक शिक्षा का ७० प्रतिशत व्यय स्थानीय बोर्ड तथा राज्य सरकार पर होगा और शेष ३० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार पर। इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा पद्धति से शिक्षा व्यय की समस्या कहाँ तक सुलभ सकती है इत्यादि विषयों पर भी विचार हुआ है।

इधर सभी प्रान्तों में बेसिक शिक्षा लागू है। नये ट्रेनिंग कालेज तथा नये स्कूल खुलते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के विकास की योजना बनाई है जिसके अनुसार पाँचवर्ष तक ४४०० स्कूल प्रतिवर्ष खोलने की योजना थी। किन्तु आर्थिक कठिनाइयों से यह संभव न हो सका। १९५१-५२ ई० में ५५० बेसिक स्कूल खोले गये तथा १९५२-५३ के बजट केवल २५० ऐसे स्कूलों की व्यवस्था की गई है। सन् १९४६ ई० के बाद के खुलने वाले ११५०० राजकीय बेसिक स्कूलों को जिला बोर्डों को हस्तान्तरित कर दिया गया है जिनमें ११६५००० विद्यार्थी तथा २८०४० शिक्षक थे। १९४६ ई० में कुल बेसिक स्कूलों की संख्या १९०१७ थी वही १९५१ ई० में ३३००० हो गई और आज सन् १९५२ ई० में प्राथमिक (जूनियर बेसिक) स्कूलों में उत्तर प्रदेश में १९४६ ई० की अपेक्षा १५००० स्कूलों की वृद्धि हो चुकी है। सन् १९५२-५३ ई० के शिक्षा बजट में प्राथमिक शिक्षा में ३,८२,८५,६०० रु० की व्यवस्था की गई है। वह नगर पालिकाएँ जहाँ प्राथमिक बेसिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है उनकी संख्या १९४६ ई० में २४ से बढ़कर १९५१-५२ ई० में ८६ हो गई है।

इसके अतिरिक्त ३०,३१ अक्टूबर १९५२ ई० को डा० जाकिर हुसैन के सभापतित्व में अखिल भारतीय बेसिक शिक्षा का वर्षा में ढवाँ वार्षिक सम्मेलन समाप्त हुआ है। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न प्रान्तों से १ हजार प्रतिनिधि तथा १४ शिक्षा मंत्री पधारे थे। अभी १ नवम्बर १९५२ ई० को भारत के प्रधान मंत्री

श्री जवाहरलाल नेहरू ने सेवाग्राम में एक ग्राम्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। यह विश्वविद्यालय श्री नेहरू के अनुसार देश की संस्कृति का केन्द्र तथा भारत की भावी प्रेरणा का श्रोत होगा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बेसिक शिक्षा वस्तुतः भारतीय शिक्षा प्रणाली का ही नहीं अपितु राष्ट्रीय जीवन तथा प्रेरणा का आधार बन चुकी है। आशा की जाती है कि भविष्य में इसका रूप और भ' अधिक व्यापक हो जायगा। ऐसा होने पर ही इस योजना के प्रणेता महात्मागान्धी की आत्मा को शांति मिलेगी। ब्रिटिश भारत में जिस प्राथमिक शिक्षा की इतनी अवहेलना की गई थी, उसकी आज स्वतंत्र भारत में हम अवहेलना नहीं कर सकते। यदि भारत को सभ्य देशों की दौड़ में आगे रहना है तो अवश्य ही उसे अपनी ८५% निरक्षरता का विनाश करना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपयुक्त पाठ्यक्रम, योग्य शिक्षकों, कुशल संगठन व शासन, दृढ़ अर्थ व्यवस्था तथा निरन्तर अध्यवसाय द्वारा हम अपनी प्राथमिक शिक्षा को सच्चे अर्थ में अनिवार्य बना कर देश से अशिक्षा व निरक्षरता के कलंक को शीघ्र धो सकते हैं। जब अमेरिका, रूस, चीन तथा टर्की इत्यादि देशों ने इस परीक्षण में आशा-जनक उन्नति की है तो फिर ऐसा कौनसा कार्य है जिसे आज का स्वतंत्र व महत्वाकांक्षी भारत नहीं कर सकता ?

सार्जेन्ट रिपोर्ट (युद्धोत्तर-शिक्षा विकास योजना)

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत के सम्मुख एक नवीन शिक्षा योजना आई जिसे 'सार्जेन्ट योजना' के नाम से पुकारा जाता है। जॉन सार्जेन्ट को जो कि भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा-सलाहकार थे एक स्मृति-पत्र बनाने का आदेश हुआ जिसमें युद्धोत्तर शिक्षा विकास के लिये योजना की रूप रेखा हो। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने १९४३ तथा १९४४ ई० की अपनी बैठकों में इस स्मृतिपत्र को स्वीकार कर लिया। यह स्मृतिपत्र उन अनेक रिपोर्टों पर आधारित था जो कि बोर्ड द्वारा शिक्षा के भिन्न-भिन्न अंगों के लिये नियुक्ति की गई उप-समितियों ने उस समय प्रकाशित की थीं। अतः जॉन सार्जेन्ट के नाम पर ही इस योजना का नामकरण हुआ। इस प्रकार केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने जो यह रिपोर्ट प्रकाशित की थी उसका युद्धोत्तर योजनाओं में बड़ा महत्व है। इस रिपोर्ट में नर्सरी शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा का बहुत ही विशद विवरण—उसका संगठन, दोष, सुधारने के उपाय तथा भविष्य के लिये सुझाव इत्यादि हैं। एक प्रकार से अपने प्रकार की यह पहिली रिपोर्ट है जो कि सम्पूर्ण राष्ट्र की शिक्षा पर इतने व्यापक दृष्टिकोण से विचार करती है।

'सार्जेन्ट रिपोर्ट' में सम्पूर्ण शिक्षा को १२ अध्यायों में विभाजित करके प्रत्येक

अंग पर अलग २ विचार किया गया है। हम संक्षेप में उसे इस प्रकार लिख सकते हैं :—

- (१) ५ और ६ वर्ष से १४ वर्ष तक के लड़के लड़कियों को साक्षरता तथा नागरिकता के लिये सर्वव्यापी, अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। यह शिक्षा दो भागों में विभक्त होगी : जूनियर बेसिक (६-११) तथा सीनियर बेसिक (११-१४) वर्ष। प्रथम प्रकार के स्कूल सबके लिये अनिवार्य होंगे और दूसरे प्रकार के स्कूल केवल उन्हीं बालकों के लिये होंगे जो कि हाईस्कूल में अपनी शिक्षा जारी नहीं रखेंगे।
- (२) ३ वर्ष से ६ वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिये पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। इस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सामान्य शिक्षा देना नहीं अपितु सामाजिक अनुभव तथा शिष्टाचार सिखाना है।
- (३) ११ वर्ष से १७ वर्ष तक के चुने हुए विद्यार्थियों के लिये ६ वर्ष की हाई स्कूल शिक्षा की व्यवस्था। इन स्कूलों में केवल वही विद्यार्थी प्रवेश पा सकेंगे जो कि आगे शिक्षा के लिये अपनी विशेष रुचि दिखलाते हैं। साधारणतः यह संख्या २०% होगी। इन हाई स्कूलों को दो भागों में विभाजित कर दिया जायगा : (१) साहित्यिक (एकेडैमिक) हाई स्कूल और (२) व्यवसायिक (टैकनिकल) हाई स्कूल। प्रथम प्रकार के स्कूलों में कला तथा विज्ञान के विषय—जैसे मातृभाषा, अंग्रेजी, इतिहास, प्राच्य भाषाएँ; आधुनिक भाषाएँ, भूगोल, गणित, विज्ञान, स्वास्थ्यरक्षा, कृषि, संगीत, कला, अर्थशास्त्र तथा नागरिक-शास्त्र इत्यादि पढ़ाये जायँगे। दूसरे प्रकार के स्कूलों में व्यवहारिक विज्ञान (Applied Sciences) तथा औद्योगिक और व्यापारिक विषय—जैसे लकड़ी तथा धातु का काम, इंजीनियरिंग, ड्राइंग इत्यादि तथा वाणिज्य के विषय—पुस्तपालन (बुक कीपिंग), शॉर्ट हैंड, टाइप-राइटिंग, एकाउन्टेंसी तथा व्यापार पद्धति इत्यादि पढ़ाये जाँयँगे। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा तथा अंग्रेजी अनिवार्य द्वितीय भाषा होगी। लड़कियों के स्कूलों में सामान्य विज्ञान के स्थान पर गृह-विज्ञान पढ़ाया जायगा। हाई स्कूलों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की अवस्था ११+ होगी जबकि उनका जूनियर बेसिक कोर्स समाप्त हो चुका होगा। उनमें प्रत्येक विद्यार्थी १४+ वर्ष की उम्र तक रहेगा। ५० प्रतिशत विद्यार्थी निःशुल्क रहेंगे। योग्य विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन की विशेष सुविधाएँ दी जावेंगी।

- (४) चुने हुये विद्यार्थियों के लिए प्रचलित इंटरमीडियेट कक्षाओं के उपरांत विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था। इंटर कक्षाओं का उन्मूलन करके उनकी प्रथम वर्ष हाईस्कूल तथा द्वितीय वर्ष डिग्री कक्षा में मिला दी जाय। रिपोर्ट में वर्तमान विश्वविद्यालय शिक्षा के दोषों पर भी प्रकाश डाला गया है। प्रवेश पर नियन्त्रण कर दिया गया है। हाई स्कूल छोड़ने वाले १५ विद्यार्थियों में से १ को प्रवेश दिया जाय। शिक्षकों तथा विद्यार्थियों में व्याक्तगत सम्पर्क बढ़ाना चाहिये। शिक्षकों की दशा, कार्य करने की अवस्थाओं तथा वेतन में सुधार किया जाय। भिन्न २ विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में साम्य तथा एक्य उत्पन्न करने के लिये भारतीय 'विश्वविद्यालय अनुदान-समिति' की स्थापना की जाय।
- (५) टैकनिकल, वाणिज्य तथा कला-शिक्षा की व्यवस्था की जाय जिसमें पर्याप्त संख्या में पूर्ण सामयिक और अर्धसामयिक (Full time and part time) विद्यार्थी प्रविष्ट किये जायें। इन उद्योगों के लिये चार श्रेणी के कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता होगी : (१) उच्चतम श्रेणी—इस श्रेणी के विद्यार्थी औद्योगिक हाई स्कूलों में शिक्षा पाकर विश्वविद्यालयों के टेक्नोलोजिकल विभागों में प्रवेश करायेंगे। इनके प्रवेश में नियन्त्रण से काम लिया जायगा। (२) निम्न श्रेणी—इसमें फोर-मैन, चार्ज हँड इत्यादि शामिल होंगे। औद्योगिक हाई स्कूलों में पास विद्यार्थी इस कार्य को करेंगे। (३) कुशल कारीगर—यह विद्यार्थी सीनियर बेसिक स्कूल पास करने पर अथवा औद्योगिक हाई-स्कूलों में से लिये जायेंगे। (४) अकुशल कारीगर—यह लोग सीनियर बेसिक (मिडिल) स्कूलों में से सीधे भर्ती किये जायेंगे जहाँ उन्होंने कुछ क्राफ्ट का काम सीख लिया हो। पर्याप्त अनुभव के उपरान्त इन्हें कुशल कारीगरों में सम्मिलित किया जा सकता है।
- (६) १० वर्ष से ४० वर्ष तक की अवस्था वाले प्रौढ़ों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था की जाय। यह शिक्षा व्यवसायिक और सामान्य दोनों प्रकार की होनी चाहिये। "इस देश में कुछ काल तक प्रौढ़ों की साक्षरता पर जोर देना पड़ेगा, यद्यपि प्रारम्भ से ही उचित प्रौढ़ शिक्षा की भी कुछ न कुछ व्यवस्था अवश्य ही होनी चाहिये, जिससे साक्षर हुए व्यक्ति अपने अध्ययन को जारी रखने के लिये कुछ आकर्षण तथा सुअवसर पा सकें।" लड़कों और बूढ़ों के लिये अलग २ कक्षाएँ हों। स्त्री-प्रौढ़ शिक्षा की समस्या पर भी उचित ध्यान दिया जाय।

प्रौढ़ शिक्षा को रुचिप्रद तथा अधिक प्रभावोत्पादक बनाने के लिये चित्रों, मैजिक लैनटर्न, सिनेमा, प्रामोफ़ोन, रेडियो लोकनृत्य, संगीत तथा अभिनय का उपयोग करना चाहिये इसके अतिरिक्त 'जन पुस्तकालयों' (Public Libraries) का आयोजन भी होना चाहिये जिसमें अधिक से अधिक २० वर्ष का समय लगे।

(७) इस शिक्षा-योजना को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की उचित व पूर्ण व्यवस्था की जाय। योजना में बताया गया है कि पूर्व-बेसिक तथा जूनियर बेसिक स्कूलों में प्रति ३० बालकों के लिये १ शिक्षक; सोनियर बेसिक स्कूलों में प्रति २५ बालकों के लिए १ शिक्षक तथा हाईस्कूलों में प्रति २० बालकों के लिये १ शिक्षक की आवश्यकता होगी। इस प्रकार सम्पूर्ण योजना के लिये २२,१७,७३३ शिक्षकों अर्थात् २० लाख अग्रेजुएटों और १,८१,३२० ग्रेजुएटों—की आवश्यकता होगी। ग्रेजुएटों को ट्रेनिंग-कालेजों में प्रशिक्षण दिया जायगा और अग्रेजुएटों को तीन प्रकार के प्रशिक्षण दिये जायेंगे—पूर्व प्राथमिक शिक्षक, बेसिक शिक्षक तथा हाई स्कूलों के अग्रेजुएट शिक्षक। प्राग्द्वित शिक्षकों के लिए समय २ पर अभिनवन-पाठ्यक्रम (रिफ़ेशर कोर्स) की भी व्यवस्था आवश्यक है। टैकनिकल तथा कामशियल शिक्षकों के लिए विशेष ट्रेनिंग कालेजों की आवश्यकता नहीं क्योंकि यह अपना प्रशिक्षण उद्योगों तथा टैकनिकल संस्थाओं में प्राप्त करेंगे। योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से शिक्षकों के वेतन क्रम में वृद्धि हो।

(८) विद्यार्थियों को स्वस्थ रखने के लिये अनिवार्य शारीरिक शिक्षा तथा उचित डाक्टरी जाँच और आवश्यकतानुसार चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। ६,११ व १४ वर्ष की अवस्था पर बालकों की पूर्ण डाक्टरी जाँच की जाय। उनकी स्वास्थ्यदशा तथा ऊँचाई और वजन का लेखा रहना चाहिए। निरीक्षण के उपरांत कोई दोष प्रतीत होने पर उचित चिकित्सा की जाय। विद्यार्थियों को भोजन, स्वच्छता तथा व्यायाम आदि पर पुस्तकें मिलनी चाहिए। स्कूल में बैठने के कमरों में स्वच्छता, प्रकाश तथा उपस्कर (फर्नीचर) इत्यादि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(९) मानसिक तथा शारीरिक बाधाओं से पीड़ित बालकों के लिए विशेष शिक्षालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। इन दोनों श्रेणियों में मूढ़ तथा अंधे, गूंगे, बहरे अथवा अन्य शारीरिक हीनता रखने वाले विद्यार्थी आ जाते हैं।

- (१०) रोजगार के कार्यालयों (Employment Bureaux) का खोलना ।
- (११) विनोदात्मक तथा सामाजिक क्रियाओं की शिक्षालयों में व्यवस्था ।
- (१२) प्रांतों तथा केन्द्र में एक सुसंगठित शिक्षा विभाग का संगठन करना ।
इस प्रकार शिक्षा को उन विशेषज्ञों के अधिकार में रखना जोकि उसके मर्म को समझते हैं । विश्वविद्यालयों को छोड़कर सम्पूर्ण शिक्षा का संगठन प्रांतों के हाथ में हो । विश्वविद्यालयों के कार्यों का संगठन अखिल भारतीय आधार पर हो ।

आलोचना

संक्षेप में यह साजेंन्टू योजना है । अन्य प्रगतिशील देशों में शिक्षा के विकास का मानदंड देखते हुए यह आवश्यक था कि उनके स्तर पर भारत को लाने के लिये कोई अत्यन्त उन्नत व व्यापक शिक्षा योजना बनाई जाय । इस उद्देश्य से युद्ध के उपरान्त भारत में शिक्षा-विकास की योजना के रूप में इस योजना का बड़ा महत्त्व है । अब तक बनने वाली सभी योजनाओं से अधिक प्रगतिशील यह योजना रही है । शिक्षा सम्बन्धी प्रायः सभी पक्षों का इसमें विश्लेषणात्मक-विवेचन हमें देखने को मिलता है । शिक्षा में अनिवार्यता इत्यादि प्रश्नों को इसने निर्णयात्मक रूप से हल कर दिया है । बालक के सर्वाङ्गीन तथा स्वतंत्र विकास के लिये इस योजना में पर्याप्त क्षेत्र है ।

इस योजना के प्रणेताओं ने भली भँति समझ लिया था कि सम्पूर्ण शिक्षा आन्दोलनों का केन्द्र 'शिक्षक' होता है । कोई भी योजना कितनी ही आकर्षक व लाभदायक क्यों न हो यदि उसे कार्यान्वित करने के लिये हमारे पास योग्य, शिक्षित तथा संतुष्ट शिक्षक नहीं हैं तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकती । इसी सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना में सभी श्रेणियों—प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय—के शिक्षकों के वेतन-क्रम तथा उनकी दशा में सुधार करने पर विशेष जोर दिया है ।

इस रिपोर्ट ने वर्तमान भारतीय शिक्षा के प्रमुख दोषों को भी ऊपर लाकर रख दिया है । उदाहरण के लिये परीक्षाओं पर आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया जाता है इससे विद्यार्थियों में पुस्तकीय संकीर्णता आ जाती है । वह जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों और जीवित पाठों को भूल कर एक कल्पित दुनियाँ में विचरण करते रहते हैं । हाईस्कूल शिक्षा को आज तक विश्वविद्यालय शिक्षा का पूरक माना जाता रहा है । हाई स्कूल शिक्षा स्वतःपूर्ण नहीं है । साथ ही विश्वविद्यालयों में भी शिक्षा में योजना का अभाव है । शिक्षकों के प्रशिक्षण की उचित व पर्याप्त व्यवस्था नहीं है इत्यादि ।

किन्तु साथ ही हम देखते हैं कि यह योजना भी दोषमुक्त नहीं है। इसमें यह कल्पना की गई है कि यदि ४० वर्ष तक इसे कार्यान्वित किया जाय तो यह वर्तमान इंग्लैंड के स्तर तक आ सकती है। किन्तु इसमें यह भुला दिया गया है कि इन ४० वर्षों में इंग्लैंड कितना आगे निकल जायगा और ऐसी अवस्था में भारत उससे लगभग आधी शताब्दि पिछड़ा रहेगा। साथ ही ४० वर्ष का समय भी बहुत होता है। यह ४० वर्ष इस योजना के अन्तर्गत और छोटे २ भागों में बाँट दिये गये हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि “प्रथम पांच वर्ष तो योजना बनाने, प्रचार कार्य तथा विशेष रूप से शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये आवश्यक स्कूल खोलने में लगाने चाहिए। उसके उपरांत योजना को सात पंचसाला-कार्यक्रमों में विभक्त कर देना चाहिये जिनमें एक-एक क्षेत्र क्रमशः लेना चाहिए। प्रत्येक प्रांत में इन क्षेत्रों की नाप कार्यक्रम के दौरान में कुछ बातों से निर्धारित होगा जिनमें शिक्षकों की पूर्ति सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण होगी।”* इससे प्रतीत होता है कि ४० वर्ष का समय आवश्यकता से अधिक दीर्घ है और भारत अपने शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिये इतनी दीर्घ प्रतीक्षा करने की स्थिति में नहीं है। और फिर योजना का परीक्षण एक एक क्षेत्र बाद किया जायगा। इसके अतिरिक्त इस योजना में ३१३ करोड़ रुपया प्रति वर्ष लगेगा जिसका २७७ करोड़ जनता-कोष से आवेगा। ऐसी स्थिति में भारत के लिये यह योजना अधिक खर्चीली है।

साजेंट योजना में ग्रामीण शिक्षा, स्त्री शिक्षा तथा हमारे शिक्षा-संगठन में धार्मिक-शिक्षा का स्थान इत्यादि प्रश्नों पर उचित प्रकाश नहीं डाला गया है और न उनकी उचित व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों के चयन का ढँग भी अवाञ्छनीय है इससे प्रत्येक विद्यार्थी को उच्च-शिक्षा का सुअवसर नहीं मिलता है।

वर्षा योजना के स्वावलम्बन वाले पक्ष का पूर्ण बहिष्कार कर दिया गया है। साथ ही में शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिये उचित व दृढ़ सरकारी मशीनरी का कोई आयोजन नहीं किया गया है। शिक्षा के मानदंड के लिये इंग्लैंड को आदर्श मानना भी अवाञ्छनीय है।

योजना की प्रगति

इस प्रकार साजेंट योजना के गुण और दोषों का विवेचन करने पर प्रतीत होता है कि इसके दोष अधिकांश में बहुत ही साधारण कोटि के हैं वास्तव में यह योजना एक महान युग-निर्माणक योजना है। केन्द्रीय सरकार ने इसकी अधिकांश सिफारिशों को मान लिया है और १९४५ ई० में केन्द्रीय शिक्षा विभाग को अलग कर दिया।

१९४४ ई० में केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों से साजेंट योजना के

आधार पर अपने पंचसाला कार्यक्रम बनाने का आदेश दिया; अतः १९४७-५२ ई० के पंचसाला में ऐसी योजनायें बनाई गईं। इस योजना पर कार्य तो १९४६ ई० में ही प्रारम्भ हो गया था। केन्द्र ने आर्थिक सहायता के रूप में १९४७-४८ ई० में ४० करोड़ रुपया देना स्वीकार कर लिया। इन प्रान्तीय पंचसाला-योजनाओं में शिक्षकों की वेतन-दर में सुधार, निःशुल्क अनिवार्य बेसिक शिक्षा जो कि ६-११ वर्ष के बच्चों पर लागू होगी और आगे चलकर ११-१४ तक बढ़ा दी जायगी, विश्व-विद्यालय शिक्षा का सुधार, टैकनिकल तथा प्रौढ़-शिक्षा के लिये विशेष सुविधा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये विशेष आयोजन, इत्यादि सम्मिलित हैं।

इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट के आधार पर 'अखिल भारतीय टैकनिकल शिक्षा समिति' का निर्माण हो चुका है और भारत की राजधानी में एक 'पौलीटैकनिक कालेज' भी खुल गया है। १९४५ ई० में शिक्षा ब्यूरो तथा १९४६ ई० में 'विश्वविद्यालय अनुदान समिति' का निर्माण हो चुका है। भारतीय विद्यार्थियों की विदेशों में शिक्षा का प्रश्न केन्द्रीय शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आ गया है।

(२) माध्यमिक शिक्षा की प्रगति (१९३७-५२ ई०)

१९३७ ई० के उपरान्त माध्यमिक शिक्षालयों तथा उनमें अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। प्रान्तीय सरकारों का ध्यान प्राथमिक शिक्षा में सुधार तथा विकास करने के साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा की ओर भी गया। इधर जनता में भी माध्यमिक शिक्षा, विशेषतः अंग्रेजी शिक्षा की ओर भी अधिक माँग होने के कारण संख्या में वृद्धि होने लगी। किन्तु जन-प्रिय सरकारों के त्याग-पत्र तथा युद्ध की कठिनाइयों ने माध्यमिक शिक्षा की प्रगति को भी रोका और संख्या में वृद्धि होने के बावजूद भी अनुपात में कोई सराहनीय वृद्धि नहीं हुई। सन् १९३६-३७ ई० में संयुक्त भारत में माध्यमिक स्कूलों की संख्या १३,०५६ से घट कर विभाजित भारत में १९४७ ई० में ११,६०७ रह गई। शेष पाकिस्तान में चले गये। गत दशकों में माध्यमिक शिक्षा दुगुनी होती गई थी किन्तु इस दशक में ऐसा न हो सका। इस धीमी प्रगति के दो प्रमुख कारण हैं: एक तो प्राथमिक शिक्षा के विकास में अवरोधन और दूसरा युद्ध के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयाँ। युद्धकाल में मध्यवर्ग के आर्थिक संकट में रहने के कारण भी विद्यार्थियों की संख्या में कमी हुई क्योंकि इसी वर्ग में से अधिकांश विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा के लिये आते थे। शिक्षा का व्यय बढ़ जाने से निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों के लिये तो माध्यमिक शिक्षा विलास की वस्तु बन गई।

किन्तु इतना अवश्य है युद्ध की समाप्ति पर पुनः देश में शिक्षा का विकास होने लगा। इधर १९४७ ई० में भारत की स्वतंत्रता के साथ देश में माध्यमिक

शिक्षा में पुनः जीवन आगया है। प्राथमिक जन शिक्षा का प्रसार होने के कारण समाज में माध्यमिक शिक्षा की भी माँग बढ़ने लगी। इधर कस्बों तथा गाँवों में भी माध्यमिक स्कूल खुलने से जो शिक्षा अब तक कृषक बालकों के लिये अलभ्य थी वह आकर स्वयं उनका द्वार खट-खटाने लगी। राजनैतिक तथा सामाजिक जागृति के कारण स्त्री-शिक्षा का भी प्रचार बढ़ा। फलतः लड़कियों के माध्यमिक स्कूलों की संख्या में संतोषनजक वृद्धि हुई है। अछूतों तथा पिछड़ी हुई जातियों में भी माध्यमिक शिक्षा का प्रचार बढ़ गया है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने के कारण भी शिक्षा को प्रोत्साहन मिला है।

‘यू० पी० अनएम्प्लोयमेन्ट इन्क्वायरी कमेटी’ ने माध्यमिक शिक्षा का पुनः संगठन करने की सिफारिश की थी। इस समय तक यह भली भाँति विदित होगया था कि हमारी प्रचलित माध्यमिक शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य केवल विश्वविद्यालयों में प्रवेश कराने के लिये मैट्रिक परीक्षा के लिये विद्यार्थियों को तैयार करना है। माध्यमिक शिक्षा स्वयं अपने अन्दर एक स्वतंत्र इकाई नहीं थी। ऐसी अवस्था में इनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना अनिवार्य था।

१९३८ ई० में बम्बई सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के पुनः संगठन के लिये एक समिति बनाई जिसने चार वर्ष का पाठ्यक्रम तैयार किया। यह कार्यक्रम ७ वर्ष के एक प्राथमिक पाठ्यक्रम के उपरान्त काम में लाये जाने को था। यह चार वर्ष का कार्यक्रम विज्ञान तथा साधारण पाठ्यक्रमों में बाँट दिया गया था। यह दोनों पाठ्यक्रम आगे चलकर ३ भागों में बाँट दिये गये। साधारण ग्रुप के अन्तर्गत (१) साहित्यिक (२) कलात्मक तथा (३) व्यापारीय पाठ्यक्रम थे। तथा वैज्ञानिक ग्रुप के अन्तर्गत (१) कृषि, (२) व्यवसायिक तथा टैकनोलॉजिकल और (३) वैज्ञानिक तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रम थे। साहित्यिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुछ प्रयोगात्मक शिक्षण दिया जाने को था। यह सब पाठ्यक्रम चार वर्ष का था जो हाईस्कूल के समान था। इस प्रकार यह एक उन्नत योजना थी।

इसके अतिरिक्त अन्य प्रान्तों जैसे उत्तर प्रदेश में १९३६ ई० में आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में एक ‘प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पुनः संगठन समिति’ (Primary and Secondary Education Reorganisation Committee) तथा बंगाल और देहली में भी इसी प्रकार की समितियाँ स्थापित हुईं।

आचार्य नरेन्द्रदेव समिति यू०पी० (१९३९ ई०)

युक्ति: - यू०पी० सरकार ने ‘प्राथमिक व माध्यमिक’ शिक्षा के पुनः संगठन के लिये एक समिति नियुक्त की जिसने १९३६ ई० में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति के अन्य सदस्यों में श्री केन, धूलेकर, कुमारी विलियम्स, श्रीमती उमा

नेहरू, आचार्य जुगलकिशोर, श्री वीयर, मुहम्मद इस्माइलखॉं, बेगम अजीजुलरसूल, श्री आर०एस० पंडित, श्री राम उग्रहसिंह तथा डा० जाकिर हुसैन इत्यादि थे। प्राथमिक शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने के उपरांत समिति ने माध्यमिक शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट तथा सुझाव दिये।

सिफारिशें:—समिति ने संक्षेपतः निम्नलिखित विचार प्रकट किये : १

१. वर्तमान शिक्षा पद्धति में यह दोष है कि इसमें जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था नहीं है। तथा जनता के विभिन्न हितों के लिये रोजगार की समस्या को हल करने की कोई भी व्यवस्था इस शिक्षा में नहीं है।
२. माध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा की पूरक मात्र समझी जाती है।
३. माध्यमिक शिक्षा पद्धति पूर्ण और ठोस होनी चाहिए; पाठ्यक्रम स्वतः—पूर्ण और स्वतन्त्र इकाई हों।
४. माध्यमिक शिक्षा १२ वर्ष से १८ वर्ष तक रहेगी।
५. सभी माध्यमिक शिक्षा संस्थायें 'कालेज' कहलायेंगी जिनका मानदंड वर्तमान इंटर कालेजों से भी कुछ ऊँचा रहेगा।
६. इन कालेजों के प्रथम दो वर्षों का पाठ्यक्रम बेसिक स्कूलों की दो उच्चतम कक्षाओं के समान होगा। क्राफ्ट पर कम जोर दिया जा सकता है। अंग्रेजी अनिवार्य विषय रहेगी।
७. पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय होंगे :—
 - (क) भाषा, साहित्य तथा सामाजिक विज्ञान।
 - (ख) प्राकृतिक विज्ञान और गणित।
 - (ग) कला।
 - (घ) वाणिज्य।
 - (ङ) टैकनिकल और व्यवसायिक विषय।
 - (च) गृह-विज्ञान (लड़कियों के लिए)।
८. प्रवेश दो बार हो सकेगा : बेसिक प्राथमिक शिक्षा के बाद और ७ वर्ष के पाठ्यक्रम के उपरांत।
९. 'हाईस्कूल' और 'इंटरमीडियेट' शब्दों को हटा दिया जाय।
१०. शिक्षा का माध्यम हिन्दुस्तानी हो।
११. पाठ्यक्रम बनाने के लिए विशेष बुलाये जाँय। यह पाठ्यक्रम व्यवहारिक तथा वास्तविक एवं देश और काल की आवश्यकताओं का प्रतीक हो।

१२. अंग्रेजी अनिवार्य हो। शारीरिक विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान अन्य अनिवार्य विषय होंगे।
१३. प्रत्येक प्रकार के कालेज खोलने के लिये 'सलाहकार बोर्ड' स्थापित कर दिये जायें जोकि पाठ्यक्रम के विषय में सरकार को सलाह दें, प्रयोगात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था करें तथा उद्योग धन्धों और व्यापार से इन कालेजों के लिये फंड इकट्ठा करें।
१४. लड़कियों के लिये गृह-विज्ञान के कालेज खोले जायें।
१५. अच्छे पुस्तकालयों की व्यवस्था प्रत्येक कालेज में हो।
१६. विद्यार्थियों के चरित्र सुधार के लिये तथा उनमें नागरिकता, प्रजातन्त्र आत्मनिर्भरता, नेतृत्व तथा सामाजिक-न्याय की भावनाओं का संचार करने के लिये अतिरिक्त कार्यक्रमों (Extra Curricular Activities) का सङ्गठन करना चाहिये, जैसे स्काउटिङ्ग, वादविवाद सभा, अभिनय शालायें, समाज सेवा, सहकारी समितियाँ तथा उपभोक्ता-भण्डार एवं अन्य विषयों सम्बन्धी परिषदें इत्यादि। इन कार्यों पर पुस्तकीय शिक्षण के समान ही जोर दिया जावे।

इन सिफारिशों के अतिरिक्त 'नरेन्द्रदेव समिति' ने स्त्री शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा उनकी दशा में सुधार, शिक्षकों के लिये नोकरी का सम्बन्ध-पत्र (ऐग््रीमेन्ट फार्म), पाठ्य-पुस्तकों में सुधार, परीक्षा-प्रणाली तथा शिक्षा सङ्गठन में सुधार और अनुशासन इत्यादि के विषय में भी अपने विचार प्रकट किये और सुधार के लिये रचनात्मक सुझाव रखे। समिति ने प्रान्त में एक केन्द्रीय पैदागोर्जिकल इन्स्टीट्यूट, जिसके साथ में पुस्तकालय व वाचनालय भी हों, की स्थापना की भी सिफारिश की।*

युद्ध के उपरान्त

इसके अतिरिक्त अन्य समितियाँ भी भिन्न भिन्न प्रान्तों ने तथा केन्द्रीय सरकार ने निबुक्त कीं। प्रायः सभी ने राय दी कि हाईस्कूल का पाठ्यक्रम बहुमुखी कर दिया जाय जिनमें से एक का उद्देश्य विश्व-विद्यालय शिक्षा हो। इन्टर कक्षाओं को हटाकर ११वीं कक्षा को हाई स्कूल के साथ जोड़ दिया जाय तथा १२वीं कक्षा को डिग्री कक्षा में जोड़ कर उसका पाठ्यक्रम ३ वर्ष का कर दिया जाय। माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम ६ वर्ष का कर दिया जाय जो कि ५ वर्ष के प्राथमिक अध्ययन के उपरान्त कक्षा ६ से ११ तक रहे। कक्षा ८ के उपरान्त अर्थात् ८ वर्ष अध्ययन करने के बाद पाठ्यक्रम में विभिन्नता कर दी जाय। कक्षा ८ तक प्रायः भी विषय संक्षेप में अनिवार्यतः पढ़ाये जायें जिससे ६ वीं कक्षा में विद्यार्थी अपनी

रुचि के अनुसार किसी भी विषय को चुन सकें। ६ वीं कक्षा से न्यवसायिक विषय भी प्रारम्भ कर दिये जाँय।

वास्तव में उपर्युक्त योजना को 'सप्रू कमेटी' ने बनाया था, किन्तु बाद में इसका समर्थन अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड, केन्द्रीय - सलाहकार बोर्ड, तथा केन्द्रीय सरकार ने भी किया। इसीका पालन सर्व प्रथम दिल्ली राज्य में और तत्पश्चात् उत्तर-प्रदेश में किया गया है। दिल्ली में सभी हाईस्कूलों को हायर सैकिन्डरी (उच्चतर माध्यमिक) स्कूल कर दिया गया है। जिनका सङ्गठन ११ वीं कक्षा तक है। उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार परीक्षण किया जा रहा है जिसके अनुसार कक्षा १ से ५ तक प्राथमिक ६ से ८ तक जूनियर हाईस्कूल तथा ९ से १२ तक उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्थापित कर दिये गये हैं। सभी हाई स्कूल अब हायर सैकिन्डरी स्कूल कहलाने लगे हैं और प्रतिवर्ष क्रमशः कुछ हाई स्कूलों को ११ वीं कक्षाएँ खोलने की सरकार द्वारा अनुमति मिल जाती है। राजकीय हाई स्कूलों को भी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा लयों में परिवर्तित किया जा रहा है। इस परीक्षण के परिणामों तथा प्रगति को शिक्षा विशेषज्ञ रुचि पूर्वक देख रहे हैं।

सार्जेंट युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना के प्रकाश में भी विभिन्न राज्यों में माध्यमिक शिक्षा का पुनः सङ्गठन हुआ है जिसका वर्णन पीछे किया जा चुका है।

सन् १९४८ ई० में भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के विषय में एक समिति की स्थापना की थी जिसकी रिपोर्ट पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की १९४९ ई० की इलाहाबाद की बैठक में विचार किया गया था। इसके अनुसार निश्चय हुआ कि डिग्री कक्षाओं में प्रवेश पाने से पूर्व विद्यार्थी को ४ वर्ष का माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरा कर लेना चाहिये। सीनियर बेसिक कक्षाओं में राष्ट्रभाषा अनिवार्य करदी जाय तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में बहु वैकल्पिक रहे। विश्वविद्यालयों में भी अंग्रेजी के माध्यम के समाप्त हो जाने पर राष्ट्रभाषा को अनिवार्य कर दिया जायगा। इसके अतिरिक्त माध्यमिक स्कूल बहुमुखी (Multilateral) होने चाहिये किन्तु स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार एक मुखी (Unilateral) स्कूलों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिये। माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त एक परीक्षा होगी; विश्वविद्यालय अपने प्रवेश के लिये स्वतंत्र नियम बना सकते हैं। योग्य व मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये। माध्यमिक शिक्षालयों में विद्यार्थियों के सामाजिक जीवन के सुधार के लिये अन्य हितकारी संस्थाएँ तथा परिषदों की स्थापना करनी चाहिये। इन शिक्षालयों के शिक्षकों की दशा तथा वेतनक्रम के विषय में समिति ने वही सिफारिशें स्वीकार करलीं जो कि केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने रखी थीं। अन्त में, माध्यमिक शिक्षा पर प्रान्तीय अधिकारियों को

परामर्श देने के लिये एक प्रान्तीय बोर्ड की स्थापना की भी सिफारिश की गई।

मुदालियर कमीशन (१९५२ ई०)

१९४९ ई० की इस बैठक में यह निश्चय कर लिया गया था कि माध्यमिक शिक्षा के पुनःसंगठन के लिये केन्द्र की ओर से एक कमीशन नियुक्त किया जाना चाहिये। फलतः जौलाई १९५२ ई० में मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री ए० लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा कमीशन की नियुक्ति की गई है जिसका संकेत हम पीछे कर चुके हैं।^१

इस कमीशन में ६ अन्य सदस्य भी होंगे जिनमें दो विदेशी शिक्षा-विशेषज्ञ होंगे।

‘सैन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ एज्यूकेशन’ के प्रिंसिपल श्री ए० एन० बसु इसके सदस्य तथा सैक्रेटरी होंगे।

इस कमीशन की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य (terms of reference) होंगे (१) भारत में माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों का निराकरण करना जिससे विद्यार्थियों में जीवन के विभिन्न अंगों में नेतृत्व की भावना अंकुरित हो सके; (२) माध्यमिक शिक्षालयों में अध्ययन करने के लिये विद्यार्थियों के चुनाव की पद्धति का अध्ययन करना; (३) माध्यमिक शिक्षा के अध्ययनकाल का निराकरण, प्रचलित पाठ्यक्रम की जाँच, शिक्षणविधि तथा पाठ्यपुस्तकों के प्रकार इत्यादि का निर्णय; (४) माध्यमिक शिक्षा के विभाजन (diversification) के प्रश्न पर विचार तथा एकमुखी और बहुमुखी शिक्षालयों की स्थापना एवं माध्यमिक शिक्षा के प्राथमिक तथा उच्चशिक्षा से सम्बन्ध पर विचार।

इनके अतिरिक्त कमीशन पर्याप्त संख्या में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने तथा उनके वेतन और कार्य की अवस्थाओं पर भी विचार करेगा तथा व्यक्तिगत स्कूलों के प्रबन्धों पर पर्याप्त नियंत्रण करने के प्रश्न को भी हल करेगा।

इस कमीशन का एक महत्वपूर्ण कार्य होगा राष्ट्रभाषा, प्रान्तीय भाषाओं तथा अंग्रेजी का माध्यमिकशिक्षा-पद्धति में उचित स्थान निर्धारित करना।

अन्त में यह कमीशन इस प्रकार के शिक्षालयों की स्थापना, पुनःसंगठन तथा उनके लिये आर्थिक आवश्यकताओं के प्रश्न का भी अध्ययन करेगा।

माध्यमिक शिक्षा कमीशन अपनी स्थापना के उपरान्त उपर्युक्त सभी कार्यक्रम को पूरा करने के उद्देश्य से इस समय सम्पूर्ण देश का पर्यटन कर रहा है और माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित अथवा अन्य प्रकार से शिक्षा में रुचि दिखलाने-वाले प्रायः सभी वर्ग के प्रतिनिधियों से मिल रहा है। इस कमीशन के प्रतिवेदन

के प्रकाशित होने पर ही देश में माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सभी प्रश्नों का व्यवहारिक रूप से हल किया जा सकेगा।

इस प्रकार सम्पूर्ण देश में माध्यमिक शिक्षा के प्रश्न पर लोग अधिकाधिक ध्यान दे रहे हैं। भिन्न २ प्रान्त अपनी निजी योजनाओं तथा केन्द्रीय सुझावों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। फलतः प्रतिदिन नये २ शिक्षालय, ट्रेनिंग कालेज तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अन्य विभाग खुल रहे हैं। राष्ट्रभाषा प्रायः सभी प्रान्तों में अनिवार्य हो चुकी है। शिक्षा के माध्यम के लिये भी मातृभाषा को व्यवहार में लाया जा रहा है। पाठ्यक्रमों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो चुके हैं और व्यवसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा को उचित स्थान मिल चुका है। शिक्षकों की दशा में भी सुधार किये जा रहे हैं और प्रत्येक प्रान्त में उनके वेतन क्रमों को दुहराया जा रहा है। व्यक्तिगत संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों में भी सुधार करने की योजना बन रही है। इन स्कूलों के सहायता अनुदान में भी प्रान्तीय सरकारों ने उदार परिवर्तन किये हैं।

इतना होते हुए भी माध्यमिक शिक्षा में कुछ दोष हैं जिनके कारण वांछित प्रगति नहीं हो रही है। यहाँ हम संक्षेप में माध्यमिक शिक्षा की कुछ समस्याओं का दिग्दर्शन करावेंगे।

माध्यमिक शिक्षा की कुछ समस्याएँ

१. उद्देश्य—भारत में अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य प्रारम्भ से ही शासन संचालन के लिये कुछ शिक्षित अफसर व लेखक तैयार करना रहा था। दुर्भाग्य से थोड़ा बहुत आज भी यह उद्देश्य यथावत बना हुआ है। वस्तुतः जैसा कि प्रौफेसर मुकर्जी का कथन है माध्यमिक शिक्षा आज भी भारत में उच्च उद्देश्य-विहीन है। इसका एकमात्र उद्देश्य या तो विश्वविद्यालय में प्रवेश कराना अथवा क्लर्क बना देना है। यही कारण है कि आज हम भारत में कालेजों को ऐसे विद्यार्थियों से भरा पाते हैं जो यह भी नहीं जानते कि वह क्यों शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अथवा किस उद्यम के लिये अपने को तैयार कर रहे हैं। वह केवल इस लिये स्कूल पहुँच जाते हैं क्योंकि उन्हें घरों से पढ़ने के लिये भेजा जाता है। स्कूलों में अपनी सुविधानुसार अथवा साथियों की राय से वह कुछ सरल विषयों को चुन लेते हैं जिनमें थोड़ा बहुत पढ़ने से ही वह कम से कम परीक्षा में तो सफल हो ही सकें! इस सफलता का क्या उद्देश्य होगा और उनके भावी-जीवन में उसका क्या स्थान होगा, इसकी और संभवतः वह कभी नहीं देख पाते।

वास्तव में माध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालय की प्रकृति न होकर एक स्वतःपूर्ण स्वतंत्र इकाई होनी चाहिये, जैसा कि हम पीछे भी संकेत कर चुके हैं, जिसके

अध्ययन के उपरान्त विद्यार्थी यह आत्मविश्वास अनुभव कर सके कि वह एक मंजिल पर पहुँच गया है और तुलनात्मक दृष्टि से कुछ स्वतंत्र कार्य करने के भी समर्थ है। उसे जीवन के लिये अपने आप को तैयार समझना चाहिये न कि विश्वविद्यालय के लिये। इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार का होगा।

किसी व्यक्ति के जीवन निर्माण में उसकी किशोरावस्था का क्या महत्त्व है इसे शिक्षा-शास्त्री भली भाँति जानते हैं। ११ वर्ष से १८ वर्ष तक का समय विद्यार्थी के जीवन-निर्माण का युग है और यही समय उसके माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने का है। अतः हमारी माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य बालक के शरीर, मस्तिष्क तथा चरित्र का पूर्ण विकास ही है जिससे उसके अन्दर नेतृत्व की भावना का विकास हो सके और वह देश का भावी नेता बन कर आत्म विश्वास के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। “एक प्रकार से हाईस्कूल राष्ट्र की शिक्षा-पद्धति की रीढ़ है अतः नेताओं तथा जीवन के विभिन्न अंगों के लिये विशेषज्ञों को तैयार करने की शिक्षा के लिये देश को इन्हीं हाईस्कूलों की ओर देखना चाहिये।”^१

किन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे वर्तमान माध्यमिक शिक्षालय इन उद्देश्यों की पूर्ति बहुत कम कर रहे हैं। अतः आवश्यक यह है कि हम न केवल विद्यार्थियों को ही वरन् उनके शिक्षकों तथा अभिभावकों को भी इसके उद्देश्य के विषय में पर्याप्ततः अवगत करा दें।

२. पाठ्यक्रम — हमारे देश में माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को देखने से विदित होता है कि सम्भवतः एक शताब्दि से इस समस्या पर कोई मौलिक चिन्तन और तदनुसार कार्य नहीं किया गया है। देश में समय-समय पर महान् राज-नैतिक, आर्थिक और औद्योगिक परिवर्तन हो रहे हैं किन्तु हमारी माध्यमिक शिक्षा समय की गति के साथ बढ़ने में असमर्थ प्रतीत होती है। पाठ्यक्रम का वास्तविक व व्यवहारिक जीवन तथा बालक के वातावरण से कोई सम्बन्ध ही नहीं प्रतीत होता। वह एक पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम को विना जिज्ञासा, विना कौतूहल और विना समझे अथवा सराहना किये हुए यन्त्रवत् पढ़ता है क्योंकि उसका लक्ष्य परीक्षा में सफल होकर एफ० ए० या बी० ए० में प्रवेश कराना अथवा शीघ्र ही इस योग्य बन जाना है कि वह किसी कार्यालय में लेखक बन सके। कहने की आवश्यकता नहीं कि पाठ्यक्रम की अनुपयुक्तता के कारण हमारे देश में मानव शक्ति का महान् क्षय हो रहा है। बिना उपयुक्त व विभिन्न विषयों की शिक्षा के हम फैक्टरी निर्मित पदार्थों की भाँति एक ही प्रकार के युवक उत्पन्न करते जा रहे

हैं जिनमें मौलिकता अथवा आविष्कारक बुद्धि का अभाव है। माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त बालक जत्र व्यवहारिक संसार में आता है तो अपने आपको एक अजनबी पाता है जो कि अपने वातावरण के अनुकूल नहीं बैठता।

समय समय पर विभिन्न शिक्षा कमीशनों ने भारत में इस दोष की ओर संकेत किया है किन्तु आज भी वह अधिकांश में यथावत् बना हुआ है। यद्यपि माध्यमिक शिक्षा में कुछ प्रमुख व्यवसायों और उद्योगों का समावेश प्रारम्भ हो चुका है किन्तु देश की विशाल माँग को देखते हुए यह एक अल्पप्रयास है। आवश्यकता इस बात की है कि माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बहुत विभिन्न व विशाल हो और विशेषज्ञों द्वारा बालक की रुचियों का पता लगाने के उपरान्त उसे उसमें से मनो-नुकूल व उपयोगी विषय लेने के लिये प्रोत्साहित व दीक्षित किया जाय।

लगभग ८५ प्रतिशत भारतीय जनता गाँवों में निवास करती है अतः हमारा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिये जो कि प्रमुख ग्रामीण उद्योगों जैसे कृषि, डेरी, पशु-पालन तथा अन्य घरेलू उद्योगों से सम्बन्ध रखे। इसके साथ ही आधुनिक उद्योगों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिये। उदार साहित्यिक शिक्षा की भी हम अवहेलना नहीं कर सकते। वास्तव में जो पाठ्यक्रम उत्तरबेसिक-शिक्षा के लिये निश्चित किया गया है वही वर्तमान अवस्था में एक उपयुक्त पाठ्यक्रम है जिसका परीक्षण कुमारबाग (बिहार) में किया भी गया है।

३. अनुशासन—अनुशासन की समस्या आज केवल माध्यमिक शिक्षाक्षेत्र में ही नहीं अपितु अखिल विद्यार्थी वर्ग की एक देश व्यापी समस्या बन चुकी है। यद्यपि शिक्षा सङ्गठन से इस समस्या का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है तथापि अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय शिक्षापद्धति, शिक्षासङ्गठन, शिक्षणविधि तथा परीक्षाविधि हमारे विद्यार्थियों के अनुशासन सम्बन्धी प्रश्न पर एक गहरा प्रभाव डाल रहे हैं।

विद्यार्थियों में इस बढ़ती हुई अनुशासन हीनता के क्या कारण हैं? एक तो विद्यार्थी पर सम्पूर्ण समाज की छाया पड़ रही है। हमारे देश में ही आज नैतिकस्तर गिर जाने से जीवन के उच्च मूल्यों का अभाव है। हमारे विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावक सभी उच्च उद्देश्यों को भूलकर उच्छृङ्खल तथा उत्तरदायित्वविहीन हो बैठे हैं।

दूसरे, गत कई दशकों में होनेवाली देश की राजनैतिक-क्रान्ति ने भी विद्यार्थियों को कुछ सीमा तक अनुशासन विहीन बनाया है। स्वतंत्रता के लिये संघर्ष करते समय प्रायः देश के राजनैतिक नेता विद्यार्थियों से इङ्गल करने तथा राजनैतिक आन्दोलनों में सक्रिय भाग लेने के लिये उनका आह्वान करते थे। अब देश के स्वतंत्र होने पर भी वही संस्कार और प्रवृत्तियाँ विद्यार्थियों में कार्यशील हैं।

तीसरा कारण है वर्तमान दूषित परीक्षा-प्रणाली। आज देश के विद्यार्थी परीक्षा में सफल होने के लिये अनुचित से अनुचित साधन अपनाने में भी नहीं हिचकते यहाँ तक इस सम्बन्ध में हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर भी उतर आते

हैं। परीक्षा भवन में किताबें ले जाना, नकल करना, बातें करना तथा कुछ पतित-शिक्षकों से बेधड़क होकर सहायता लेना इत्यादि बातें तो आज एक साधारण घटना बनती जाती हैं।

व १ कारण है शिक्षकों की दयनीय आर्थिक दशा और परिणामतः उनमें उत्तर-दायित्व तथा नैतिकता का हास। खेद का विषय है कि हमें यह बात अत्यन्त कटु होने की अपेक्षाकृति भी स्वीकार करनी पड़ती है कि आर्थिक विषमताओं के भयङ्कर थपेड़ों से व्यथित आज का शिक्षक कुछ सीमा तक कर्तव्यपथ से च्युत हो चुका है। स्कूलों में होने वाली घटनाओं तथा विद्यार्थियों में बढ़ने वाले असंयम के प्रति वह उदासीन सा प्रतीत होता है। यहाँ तक कि वह विद्यार्थियों में सद्भावनाओं का संचार करने अथवा उनके समस्त संयम का आदर्श रखने में भी असमर्थ रहता है; अन्यथा कोई कारण नहीं कि शिक्षकों के सब्धे प्रयत्न करने पर विद्यार्थियों में अनुशासन हीनता बनी रहे।

इनके अतिरिक्त अभिभावकों की अपने बालकों के चरित्र तथा व्यवहार के सम्बन्ध में अवहेलना, सिनेमा, राजनीतिज्ञ-शिक्षक, कुछ ऐसी संस्थाओं का प्रादुर्भाव जो कि बालकों की कोमल भावनाओं का अपने स्वार्थ के लिये शोषण करती हैं, अतिरिक्त पाठ्य-कार्यक्रमों (Extra-curricular-activities) का अभाव तथा जातीय पक्षपात इत्यादि अन्य कारण हैं जो कि विद्यार्थीवर्ग में अनुशासन-हीनता के लिये उत्तरदायी हैं।

समय-समय पर देश के विद्वानों तथा शिक्षा विशेषज्ञों ने इस पर प्रकाश डाला है और चेतावनी दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि समय रहते हमने इस समस्या को हल नहीं किया तो हमारी शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य ही नष्ट हो जायगा।

माध्यमिक शिक्षा वह धरातल है जिस पर हम जीवन का भावी भवन निर्माण करते हैं। अनुशासन तथा चरित्र सम्बन्धी अन्य गुणों का विकास बालक की किशोरावस्था में ही हो जाता है। हमें उसके अन्दर उच्चगुणों का विकास करके विनय तथा अनुशासन की भावना का संचार करना चाहिये।

४. व्यक्तिगत प्रबन्ध तथा शासन—माध्यमिक शिक्षालयों का प्रबन्ध सर-कार तथा कहीं-कहीं स्थानीय संस्थाओं जैसे जिला बोर्ड और नगरपालिकाओं तथा व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियों द्वारा होता है।

प्रारम्भ से ही सरकार की यह नीति रही है कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र से वह धीरे-धीरे हटती रही है और प्रबन्ध व्यक्तिगत समितियों के हाथों में पहुँचता रहा है। निम्नलिखित तालिका से प्रबन्ध की स्थिति पर प्रकाश डाला जा सकता है।

माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध (१९३६-३७ ई०)

स्कूल	राजकीय	बोर्ड	सहायता प्राप्त	बिनासह यता	योग
लड़के.....	४८२	५,८१२	४,८१७	१,४५६	१२,५७०
लड़कियाँ....	२०७	२४३	६०४	८४	१,४३८
योग ..	६८९	६,०५५	५,७२१	२,५४३	१४,००८

उपर्युक्त तालिका से विदित होता है कि अधिकांश में माध्यमिक शिक्षालयों का बोर्ड अथवा व्यक्तिगत प्रबन्धकों द्वारा प्रबन्ध होता है। प्रायः प्रत्येक जिले में एक राजकीय माध्यमिक शिक्षालय रखने की नीति को अपनाया गया है।

जहाँ तक व्यक्तिगत प्रबन्ध का प्रश्न है स्थिति बड़ी असंतोष जनक है। अधिकांश में इन स्कूलों की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय होती है। न उनके पास भवन हैं न पर्याप्त सजा, फर्नीचर तथा पुस्तकालय इत्यादि ही। ऐसे प्रबन्धों में शिक्षकों की स्थिति भी हर्षप्रद नहीं है। शिक्षकों को कम वेतन देना अथवा थोड़े वेतन पर अदीक्षित शिक्षक रख लेना अथवा किसी भी शिक्षक को व्यक्तिगत ईर्ष्या अथवा अप्रसन्नता से चाहे जब निकाल देना इत्यादि कुछ ऐसे दोष हैं जिनसे हमारे माध्यमिक शिक्षालयों की प्रगति में बाधा पहुँच रही है। भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों अथवा जातियों के नाम पर स्थापित हुए शिक्षालय तो राष्ट्र के लिये लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक कर रहे हैं। ऐसी थोड़ी ही संस्था हो सकती हैं जहाँ जातीयवाद का ताण्डव नृत्य न हो रहा हो।

इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियों के सदस्यों में अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शिक्षा अथवा शिक्षा-समस्याओं से कोई रुचि नहीं है। गाँवों में तो स्थिति और भी अधिक भयानक है जहाँ स्थानीय-राजनीति के दलदल में फँसे हुए कुछ अशिक्षित अथवा अर्धशिक्षित ग्रामीण स्कूलों को व्यक्तिगत प्रभाव व प्रतिष्ठा का प्रतीक समझकर भिन्न प्रकार से उनका शोषण करके शिक्षा-हित को आपात पहुँचा रहे हैं। ऐसी अवस्था में शिक्षकों की नोकरी की सुरक्षा न होने अथवा उन्हें अन्य प्रकार का असंतोष होने के कारण, शिक्षा का मानदंड गिरता जा रहा है। स्कूलों में शिक्षक-राजनीतियों का भी भय बढ़ता जा रहा है जिन्हें प्रबन्ध समितियों से कभी २ पोषण मिलता है।

शिक्षा के शासन के विषय में यहाँ एक बात और कहना आवश्यक होगा। प्रायः देखा गया है कि राजकीय शिक्षा विभाग के कर्मचारियों प्रधानतः निरीक्षण विभाग की अक्षमता से भी प्रबन्ध में बड़ी शिथिलता आ गई है।

वस्तुतः निरीक्षण विभाग की उपेक्षा के कारण व्यक्तिगत संस्थाओं का प्रबन्ध बहुत भ्रष्ट होता जा रहा है।

अतः उपर्युक्त दोषों को दूर करने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि माध्यमिकशिक्षा-क्षेत्र में सरकार को अपने उत्तरदायित्व को अधिक समझना चाहिये। यदि इस समय माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण व्यवहारिक नहीं प्रतीत होता तो कम से कम प्रबन्ध को सुधारा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में प्रबन्ध समितियों के सुधार के लिये सरकार ने एक समिति स्थापित की थी जो कि 'रघुकुलतिलक समिति' के नाम से विख्यात है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि प्रबन्ध समितियों के सुधार के लिये आवश्यक है कि उनमें एक शिक्षकों का प्रतिनिधि तथा ३ सदस्य शिक्षा-विभाग द्वारा नामजद रखे जाँय। किंतु व्यक्तिगत प्रबन्धसमितियों के विरोध के फलस्वरूप यह रिपोर्ट आज तक एक पवित्र आशा बनी हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि माध्यमिक शिक्षा के लिये एक बहुत बड़ा खतरा लेकर ही इस सुधार को टाला जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रबन्ध तथा शासन की समस्या केन्द्रीय समस्या है।

५. शिक्षा का मानदंड—आज यह बात प्रायः साधारण तौर से सुनाई पड़ती है कि जहाँ शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में मानदंड गिर गया है वहाँ माध्यमिक शिक्षा में भी पतन हुआ है। निस्संदेह सरकार की नीति प्रसार की रही है किन्तु इस प्रसार से शिक्षा का मानदंड भी प्रभावित हुआ है। मानदंड के गिरने के अन्य कारणों में शिक्षकों का अल्प वेतन, अधिकांश शिक्षकों का अदीक्षित (Untrained) होना, शिक्षकों में अपने पेशे के प्रति असंतोष, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सीमा से अधिक बढ़ जाना, स्कूलों में आवश्यक सामग्री व सजा का अभाव, प्रबन्ध समितियों की अकुशलता तथा कहीं २ पर अनुचित हस्तक्षेप, शिक्षा निरीक्षकों की अज्ञानता तथा कर्त्तव्य-अवहेलना, स्कूलों की गिरी हुई आर्थिक अवस्था, विद्यार्थियों के लिये सिनेमा इत्यादि अन्य आकर्षणों का प्राचुर्य, क्लृप्त तथा अवैज्ञानिक परीक्षा-प्रणाली, शिक्षकों में उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ उत्तरदायित्व का अभाव तथा कर्त्तव्य की अवहेलना, पाठ्यपुस्तकों की अनुपयुक्तता और शिक्षा-समस्याओं के प्रति विद्यार्थियों के अभिभावकों तथा अन्य जनता को उदासीनता तथा अनभिज्ञता इत्यादि प्रमुख हैं।

देश की वर्तमान पिछड़ी हुई अवस्था में सुधार करने के लिये शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता अवश्य है किन्तु विस्तार के साथ ही साथ हमें उसके मानदंड का भी ध्यान रखना पड़ेगा। पूर्व इसके कि यह समस्या संकट-बिंदु पर पहुँचे, इसका हल आवश्यक है। तभी हम ऐसे युवक उत्पन्न कर सकेंगे जो कि सर्वांश में देश के

भावी नागरिक हो सकें और विश्व के अन्य राष्ट्रों के युवकों के समक्ष अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित कर सकें।

६. परीक्षा प्रणाली—माध्यमिकशिक्षा क्षेत्र में परीक्षा-प्रणाली एक दीर्घ काल से जटिल समस्या बनी हुई है। “भारत की साम्प्रदायवादी सामाजिक तथा राजनैतिक प्रणाली से भी बुरी उसकी परीक्षा-प्रधान शिक्षा-पद्धति है। वास्तव में, मैट्रिक परीक्षा हमारी सम्पूर्ण माध्यमिक शिक्षा पर शासन कर रही है। एक स्कूल की प्रतिष्ठा हाईस्कूल के परीक्षाफल पर अधिक निर्भर है अपेक्षाकृत उस संस्था की वास्तविक शिक्षा श्रेष्ठता के।”^१ वास्तव में इस परीक्षा-वेदी पर ही आज बालक के सम्पूर्ण गुणों और शिक्षक के सम्पूर्ण प्रयत्नों का बलिदान किया जा रहा है। शिक्षा के अन्य लाभों की ओर से आँख मूँद कर बालक अपनी सम्पूर्ण शक्तियाँ परीक्षा में सफल होने में लगा देता है। इससे रटने की अमनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है और बालक बिना समझे हुए यंत्रवत् रटते चले जाते हैं और जो कुछ भी अपने मस्तिष्क में वह ठूसते हैं, परीक्षा भवन में उसे उड़ेलने के बाद रिक्त मस्तिष्क बाहर निकलते हैं। इस प्रकार वह व्यवहारिक संसार के लिये अनुपयुक्त हो जाते हैं। बालकों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता।

वर्तमान परीक्षा-प्रणाली का प्रभाव शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की नैतिकता पर भी पड़ा है। ऐसी घटनायें आज साधारण रूप से सुनी जाती हैं कि परीक्षा-भवन में विद्यार्थी अनुचित साधन अपनाते हैं। वर्ष भर तक न पढ़ने वाला विद्यार्थी परीक्षा-भवन में नकल के सहारे उत्तीर्ण हो जाता है। इसी प्रकार शिक्षकों में भी कुछ ऐसे तत्व नपन रहे हैं जिनके कारण वह परीक्षा में अनुचित पद्धत करते अथवा उत्कोच तक लेते देखे जाते हैं! वास्तव में यह स्थिति लज्जाजनक होने के साथ ही साथ घोर आपत्तिजनक व गंभीर है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इस परीक्षा-पद्धति के स्थान पर कोई वैज्ञानिक पद्धति रखी जाय जिससे वर्तमान दोषों के आवरण के हटने से शिक्षा का मुख उज्ज्वल हो सके।

संक्षेप में यह हमारी माध्यमिक शिक्षा के दोष हैं। अतः यह आवश्यक है कि देश को उन्नत करने तथा उसे सभ्य देशों की दौड़ में आगे रखने के लिये माध्यमिक शिक्षा का महत्त्व समझा जाय क्योंकि वास्तव में आज भारतीय माध्यमिक शिक्षा हमारा ‘सबसे दुर्बल संस्थान’ (Weak Spot) है। बिना इसके सुधार के विश्व-विद्यालय शिक्षामें किये गये सभी सुधार व्यर्थ हैं वस्तुतः राष्ट्र की प्रगति ही असंभव है; अन्यथा संयुक्तराष्ट्र अमेरिका का उदाहरण जहाँ २८ हजार हाई-स्कूल हैं जिनके ८८% निःशुल्क जन-शिक्षालय हैं, हमारे देश के लिये एक दीर्घ काल तक स्वप्न की वस्तु ही रहेगा।

(३) विश्वविद्यालय शिक्षा (१९३७-५२ ई०)

भूमिका—इस काल में विश्वविद्यालय शिक्षा का बहुत विकास हुआ। विश्वविद्यालयों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संख्या में भी बहुत वृद्धि हुई और वह १९३७ ई० में १,२६,२२८ से बढ़ कर १९४७ ई० में २,४१,७९४ हो गई। विश्वविद्यालय शिक्षा प्रसार के कई कारण थे जैसे माध्यमिक शिक्षा में विकास होने से इन विद्यार्थियों में विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये माँग बढ़ गई थी; पिछड़े हुए वर्गों, ग्रामीणों तथा स्त्रियों में उच्च शिक्षा के प्रति अनुराग बढ़ता जा रहा था; युद्ध तथा 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के कारण देश में जन-जाग्रति हो गई थी अतः तरुणों में जीवन-पथ पर आगे बढ़कर देश सेवा करने की भावनाओं का संचार हो रहा था। इससे विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। इनके अतिरिक्त युद्धकाल में व्यापारी वर्ग ने बढ़े २ मुनाफे कमाये थे अतः उन्होंने शिक्षा के लिये उदारतापूर्वक दान भी दिये। साथ ही युद्ध के कारण सरकार को कुशल तथा टूँड व्यक्तियों की आवश्यकता भी पड़ने लगी अतः उसने विश्वविद्यालयों के अनुदानों में वृद्धि कर दी। अन्त में १९४७ ई० में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त तो विश्वविद्यालय शिक्षा में आश्चर्यजनक उन्नति हुई है। जीवन का दृष्टिकोण तथा उद्देश्य ही बदलता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने विश्वविद्यालयों के अनुदानों में पर्याप्त वृद्धि कर दी है और उच्चशिक्षा के अपने उत्तरदायित्व को भली भाँति निबाहने की चेष्टा की है। १९४५ ई० में जो 'विश्वविद्यालय-अनुदान-समिति' की स्थापना दिल्ली, बनारस तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं की देखभाल के लिये हुई थी, १९४७ ई० में उसका पुनःसंगठन किया गया और १९४८ ई० में सम्पूर्ण देश की वैज्ञानिक तथा टैक्निकल उच्च शिक्षा के विकास का कार्य उसे सौंपा गया।^१ १९४८ ई० में 'भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन' की नियुक्ति भी की गई।

इस प्रकार १९३७ ई० से आधुनिक-काल तक देश में उच्च शिक्षा का प्रसार होने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से नये विश्वविद्यालय खुल गये, डिग्री-कालेजों की संख्या में वृद्धि हुई; नये २ विभाग कालेजों में खुलने लगे तथा विद्यार्थियों की संख्या में आशातीत वृद्धि हो गई।

नये विश्वविद्यालयः—

१९३७ ई० के उपरान्त निम्नलिखित विश्वविद्यालय और खुले : २

(१)	द्रावनकोर विश्व-विद्यालय	—	१९३७ ई०
(२)	उत्कल (उड़ीसा) ,, ,,	—	१९४३ ई०
(३)	सिन्ध ,, ,,	—	१९४७ ई०
(४)	राजपूताना ,, ,,	—	१९४७ ई०
(५)	पूर्वीय पंजाब ,, ,,	—	१९४७ ई०
(६)	सागर ,, ,,	—	१९४७ ई०
(७)	गौहाटी ,, ,,	—	१९४७ ई०
(८)	पूना ,, ,,	—	१९४८ ई०
(९)	रुड़की (इंजिनियरिंग) ,,	—	१९४८ ई०
(१०)	काश्मीर ,, ,,	—	१९४८ ई०
(११)	बड़ौदा ,, ,,	—	१९४९ ई०

भारत के विश्वविद्यालयों में कुछ तो शुद्ध शिक्षण संस्थायें हैं तथा कुछ सम्बन्धक (Affiliating)। बनारस विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकार के आधीन है और शिक्षण संस्था है। भारत का यह सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। शिक्षण-विभागों की संख्या भी इसमें अन्य सभी विश्वविद्यालयों से अधिक है। बनारस के समानान्तर ही अलीगढ़ विश्वविद्यालय है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षण तथा सम्बन्धक दोनों प्रकार का है। ढाका, इलाहाबाद, लखनऊ तथा अन्नामलाई शुद्ध शिक्षण विश्वविद्यालय हैं तथा आगरा, उत्कल, राजपूताना और काश्मीर विश्व-विद्यालय शुद्ध सम्बन्धक हैं। पटना और नागपुर में शिक्षण कक्षायें भी खुल चुकी हैं। रुड़की विश्वविद्यालय में केवल एक इंजिनियरिंग विभाग ही है और टाम्सन इंजिनियरिंग कालेज से बढ़कर वह विश्वविद्यालय बन गया है।

२. इनके अतिरिक्त कर्नाटक, गुजरात, तथा अहमदाबाद विश्वविद्यालय खल चके हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक ग्राम्य विश्वविद्यालय योजना का निर्माण भी रहा है तथा वर्षा में एक ग्राम्य विश्वविद्यालय का अभी नवम्बर में उद्घाटन हुआ है—लेखक

राधा कृष्णन कमीशन के आधार पर विश्वविद्यालयों की तालिका इस प्रकार है :—

नाम १	स्थापन तिथि २	प्रकार ३	विद्यार्थियों की संख्या (१९४७) ४	पूर्ण आय में सरकारी अनुदान का प्रतिशत ५
१. कलकत्ता	१८५७	सम्बन्धक तथा शिक्षण	४५,००८	२२.९
२. बम्बई	१८५७	" " "	४३,०९०	८.६
३. मद्रास	१८५७	" " "	२८,८८८	२३.४
४. इलाहाबाद	१८८७	" एवं संघीय शिक्षण	३,५०२	५२.८८
५. बनारस	१९१६	शिक्षण	५,०८३	९.२
६. मंसूर	१९१६	शिक्षण तथा सम्बन्धक	९,३५०	६९.२
७. पटना	१९१७	" " "	५,४७१	७.२
८. उस्मानियाँ	१९१८	शिक्षण	४,८६२	९१.३
९. अलीगढ़	१९२०	"	४,००९	३५.७
१०. लखनऊ	१९२०	"	३,८९३	५३.३
११. दिल्ली	१९२२	शिक्षण तथा संघीय	४,३११	५२.४
१२. नागपुर	१९२३	शिक्षण तथा सम्बन्धक	५,७३४	१५.४
१३. आंध्र	१९२६	" " "	९,४४५	२०.४
१४. आगरा	१९२७	सम्बन्धक	९,९३६	९.९६
१५. अन्नमलाई	१९२९	शिक्षण	१,९८१	४७.६२
१६. ट्रावनकोर	१९३७	शिक्षण तथा सम्बन्धक	५,७१५	७८.६
१७. उत्कल	१९४३	सम्बन्धक	३,६६२	९.६१
१८. सागर	१९४६	शिक्षण तथा सम्बन्धक	१,८२८	३३.३९
१९. राजपूताना	१९४७	सम्बन्धक	अज्ञेय	४८.२३
२०. पूर्वीय पंजाब	१९४७	शिक्षण तथा सम्बन्धक	"	अज्ञेय
२१. गोहाटी	१९४७	" " "	"	"
२२. पूना	१९४८	" " "	"	"
२३. रुड़की	१९४८	शिक्षण	"	"
२४. काश्मीर	१९४८	सम्बन्धक	"	"
२५. बड़ौदा	१९४९	सम्बन्धक तथा शिक्षण	"	"

भारत में इस समय कुल २९ विश्वविद्यालय हैं। यद्यपि कभी २ यह कहा जाता है कि देश में उच्चशिक्षा आवश्यकता से अधिक हो गई है और इसे अधिक प्रसारित नहीं करना चाहिये और इस प्रकार जो रुपया बचे उसे प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय करना चाहिये इत्यादि। किन्तु यह कथन भ्रान्तिपूर्ण है। वास्तव में अन्य उन्नत देशों को देखते हुए हमारे यहाँ उच्चशिक्षा बहुत गिरी हुई दशा में है। साजेंट-रिपोर्ट में कहा गया है कि:

“यदि भारत की जनसंख्या को देखते हुए यहाँ के विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों का अनुमान लगाया जाय तो विदित होगा कि संभवतः विश्वविद्यालय-शिक्षा में विश्व के अन्य प्रमुख राष्ट्रों की अपेक्षा भारत सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। युद्ध से पूर्व जर्मनी में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का वहाँ की जनसंख्या से अनुपात १:६६० था, ग्रेट ब्रिटेन में १:८३७ था अमेरिका में १:२२५, तथा रूस में १:३०० था जब कि यही अनुपात भारत में १:२२०६ था।

“इंग्लैंड में ४.१ करोड़ जनता के लिये १२ विश्वविद्यालय हैं। कनाडा में ८५ लाख आबादी के लिये १३, आस्ट्रेलिया में ५५ लाख के लिये ६, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में १३ करोड़ जनता की विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये १,७२० संस्थाएँ हैं जब कि भारत में ४० करोड़ जनता के लिये १८ विश्वविद्यालय हैं।”^१

इसके अतिरिक्त राधाकृष्णन कमीशन में भी इस ओर संकेत किया गया है। “यह न समझ लेना चाहिये कि हमारे देश में आवश्यकता से अधिक विद्यार्थी कालेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों का प्रतिशत हमारे देश में पाश्चात्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। उदाहरणतः अमेरिका में १५ करोड़ से भी कम जनसंख्या में से १६४६-४७ ई० में २०,७८,०६५ विद्यार्थी कालेजों और विश्वविद्यालयों में निवास करते थे, जबकि इस देश में ३२ करोड़ जनसंख्या में से केवल २,४१,७६४ विद्यार्थी विश्वविद्यालयों अथवा उनसे सम्बन्धित कालेजों में पढ़ते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हमारी जनसंख्या से भी आधी जनसंख्या में से अमेरिका में हमारे देश की अपेक्षा ८ गुने अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं।”^२

कमीशन में यह भी कहा गया है कि हमारे देश में एक दीर्घ संख्या में ऐसे विद्यार्थी हैं जो उच्चशिक्षा के लिये अयोग्य होते हुए भी विश्वविद्यालयों में समय नष्ट कर रहे हैं जब कि योग्य विद्यार्थियों को उच्चशिक्षा मिलने में दुरुह आर्थिक बाधाएँ हैं।

विश्वविद्यालयों में अनुसंधान

भारतीय विश्वविद्यालयों में २०वीं शताब्दि के दूसरे दशक से कुछ अनुसन्धान व गवेषणा का कार्य प्रारम्भ हो गया था। प्रान्तीय स्वायत्त शासन के उपरान्त इस दिशा में सन्तोष जनक प्रगति हुई है। किन्तु युद्धकाल में पुनः इस गति में बाधा उत्पन्न हो गई थी।

भारतवर्ष में मौलिक अनुसन्धान की अवस्था सन्तोष जनक नहीं। जब तक हमारे विश्वविद्यालय सम्बन्धक (Affiliating) प्रकार के थे, कुछ कालेजों में

१. सार्जेंट रिपोर्ट पृष्ठ २८-६ (१६४४ ई०)

२. राधा कृष्णन विश्वविद्यालय कमीशन रिपोर्ट-प्रथम भाग पृष्ठ ३४६।

योद्धा बहुत अनुसंधान हुआ। निस्सन्देह कुछ कार्य तो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का हुआ जिसके प्रणेताओं में सर भंडारकर (पूना), सर गंगानाथ (इलाहाबाद), प्रौ० कुपू स्वामी शास्त्री (मद्रास), सर जगदीश चन्द्र बोस तथा सर पी० सी० रे (कलकत्ता), प्रौ० काश्यप (लाहौर) तथा सर सी० वी० रमन (बंगलौर) प्रमुख हैं। यह अनुसंधान अधिकांश में विज्ञानों में हुए। सर आसुतोष मुकुर्जी के प्रयत्नों से सर्व प्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय में सर्व प्रथम व्यवस्थित अनुसन्धान का कार्य १९१४ ई० में प्रारम्भ हुआ था। तब से प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में विज्ञान तथा कलाओं में अनुसंधान हो रहे हैं। विश्वविद्यालयों के योग्य शिक्षकों ने अधिकतर इस ओर ध्यान दिया और अनुसन्धान क्षेत्र में नेतृत्व भी किया है। अनुसन्धान करने वाले विद्यार्थियों के लिये पी० एच० डी० (Ph. D.), डी० लिट् (D. Litt.) तथा डी० एस० सी० (D. Sc.) इत्यादि की उपाधियाँ प्रारम्भ की गईं। सरकार ने भी इस ओर ध्यान दिया और विश्वविद्यालयों को अनुसंधान के लिये विशेष अनुदान तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान कीं। कुछ विद्यार्थी विदेशों में इङ्ग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान तथा फ्रांस इत्यादि में भी भेजे गये। इस प्रकार इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है।

किन्तु इतना अवश्य है भारत जैसे विशाल देश में यह प्रगति नगण्य है। जहाँ पर हम चाहते हैं कि अनुसंधान करने वालों की संख्या में वृद्धि हो वहाँ आवश्यक यह भी है कि उनके द्वारा उत्पन्न किया हुआ कार्य उच्चकोटि का हो जो कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रक्खा जा सके। यह अनुमान लगाया गया है कि गत १० वर्षों में भारत के सभी विश्वविद्यालयों ने २६० लोगों को ६ विज्ञानों में डाक्टर की उपाधि वितरित की अर्थात् २६ व्यक्तियों ने अनुपाततः प्रतिवर्ष कुछ गवेषणात्मक कार्य किया, जबकि १९३५ ई० में अकेले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ४०० से भी अधिक विद्यार्थी विज्ञानों के अनुसंधान तथा पी० एच० डी० कार्य में जुटे हुए थे।*

भारत में अनुसंधान क्षेत्र में धीमी प्रगति के निम्नलिखित कारण हैं। एक तो विश्वविद्यालयों में वेतनक्रम अपर्याप्त होने के कारण योग्य शिक्षक तथा विद्यार्थी अन्य सरकारी उच्च पदों पर चले जाते हैं। दूसरे, विश्वविद्यालयों में पर्याप्त सजा व सामग्री का अभाव। अनुसंधान कार्य ऐसे ही स्थानों में संभव है जहाँ पूर्ण सुसज्जित अनुसंधानशाला तथा पुस्तकालय हों तथा आधुनिकतम यंत्र एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध हों। तीसरे, ऐसे योग्य तथा अनुभवी शिक्षकों का अभाव है जिनके अन्तर्गत अनुसंधान किया जाय। जो शिक्षक अनुसंधान करते हैं उन्हें शिक्षण कार्य भी पूरा-पूरा करना पड़ता है ऐसी स्थिति में उनके

पास अधिक समय या शक्ति अनुसंधान कराने की नहीं रहती। इसके अतिरिक्त बहुधा उन शिक्षकों को अनुसंधान कार्य के लिये कुछ वेतन इत्यादि भी नहीं दिया जाता या अत्यंत अल्प दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे विद्यार्थियों में भी साधारणतः अनुसंधान करने के लिये पर्याप्त मानसिक व नैतिक सामर्थ्य का अभाव है। अधिकांश विद्यार्थी आर्थिक कठिनाइयों के कारण भी अनुसंधान नहीं कर सकते। अन्त में देश के उद्योग-पतियों के सहयोग का भी इस क्षेत्र में अभाव है।

भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन (१९४६ ई०)

नियुक्ति:— भारतीय विश्वविद्यालयों के विकास के लिये कुछ योजनायें बनाने से पूर्व यह उचित समझा गया था कि उनकी आर्थिक तथा शिक्षण-सम्बन्धी अवस्था का दिग्दर्शन कर लिया जाय। अतः अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड तथा केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया :

“बोर्डों की राय में भारतीय विश्वविद्यालयों के कार्य का दिग्दर्शन वांछनीय है, अतः प्रस्ताव किया जाता है कि इन उद्देश्यों के लिये भारत सरकार अन्य सम्बन्धित सरकारों की अनुमति से भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट करने तथा देश की वर्तमान व भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सुधार तथा विकास के लिये सुझाव रखने के लिये, हंटर कमीशन के आधार पर एक कमीशन नियुक्त करे।”

सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और नवम्बर ४८ ई० में डा० सर्वपल्ली राधा कृष्णन् की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय कमीशन की नियुक्ति की। इस कमीशन के अन्य प्रमुख सदस्य थे: डा० ताराचंद, सर जेम्स डफ (डरहम विश्वविद्यालय के उपकुलपति), डा० जाकिर हुसैन, डा० आर्थर ई० मौरगन (अमेरिका), डा० लक्ष्मणस्वामी मुदालियर, डा० मेघनाद साहा तथा डा० जॉन टिजर्ट, अमेरिका के भूतपूर्व शिक्षा कमिश्नर इत्यादि। २५ अगस्त १९४६ ई० को कमीशन ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया।

कमीशन का जाँच क्षेत्र (Terms of reference) बहुत विशाल था। इसमें वर्तमान तथा भावी राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों तथा अनुसंधान इत्यादि से लेकर विश्व-विद्यालयों के संगठन तथा प्रशासन, आर्थिक समस्या, शिक्षकों की समस्या, पाठ्यक्रम, प्रवेश, शिक्षा का माध्यम, धार्मिकशिक्षा, विद्यार्थियों के निवास, स्वास्थ्य तथा अनुशासन इत्यादि सभी समस्याओं के अध्ययन का समावेश है। वस्तुतः उच्चशिक्षा सम्बन्धी किसी भी प्रश्न को ऐसा नहीं छोड़ा गया है जिस पर कुछ विचार न किया गया हो। अब तक नियुक्त किये जाने वाले सभी कमीशनों में

इस विश्वविद्यालय कमीशन की रिपोर्ट अधिक पूर्ण, व्यापक तथा श्रेष्ठ है तथा इसकी सिफारिशें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

सिफारिशें:—कमीशन ने १८ अध्यायों तथा ७४७ पृष्ठों में अपनी रिपोर्ट का प्रथम भाग प्रस्तुत किया है। इसमें विश्वविद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख किया गया है। प्रारम्भ में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की प्रगति का संक्षिप्त इतिहास देते हुए कमीशन ने वर्तमान सामाजिक तथा राजनैतिक ढांचे में विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख किया है। भारतीय संविधान की भूमिका का उल्लेख करते हुए कमीशन ने उच्चशिक्षा के उद्देश्यों में नवीन भारत के निर्माण के लिये, प्रजातंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व तथा भारतीय संस्कृति के महत्त्व पर जोर दिया है। इसके उपरान्त क्रमशः शिक्षकों की अवस्था तथा प्रशिक्षण, रिसर्च, व्यवसायिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, शिक्षामाध्यम, परीक्षा-प्रणाली, विद्यार्थियों की समस्याएँ, स्त्री शिक्षा, संगठन, वित्त, केन्द्रीय तथा अन्य विश्व-विद्यालय और अन्त में ग्राम्य विश्वविद्यालयों के विषय में सिफारिशों की हैं। नीचे हम कमीशन की प्रमुख सिफारिशों का संक्षेप में उल्लेख करेंगे।

१. शिक्षकों की समस्याएँ:—शिक्षकों की समस्या कमीशन की राय में प्रमुख समस्या है। कमीशन ने विश्वविद्यालय शिक्षकों का चार श्रेणियों में वर्गीकरण कर दिया है: प्रोफेसर, रीडर, लैक्चरर तथा इंस्ट्रक्टर। इनके अतिरिक्त अनुसंधान अभिसदस्यों (Research Fellows) को नियुक्त की सिफारिश भी की गई है। एक श्रेणी से दूसरी उच्च श्रेणी के लिये शिक्षकों की तरफ़ी केवल योग्यता के आधार पर होनी चाहिये। जूनियर तथा सीनियर पदों के स्थानों में २:१ का अनुपात होना चाहिये। सेवा-निवृत्त (Retire) होने की उम्र ६० वर्ष होनी चाहिये किन्तु प्रोफेसरों को ६४ वर्ष तक की आज्ञा दी जा सकती है। इनके अतिरिक्त कमीशन ने विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिये प्रोवीडेंट फण्ड, छुट्टी तथा काम करने के घंटे इत्यादि की मर्यादाएँ भी स्थिर करदी हैं और उनके लिये नवीन वेनत-क्रम भी नियत कर दिये हैं।

२. शिक्षण मानदंड:—विश्वविद्यालयों में शिक्षण स्तर उठाने के लिये कमीशन ने प्रवेश की सीमा इन्टरमीडियेट पास होने के उपरान्त ही रक्खी और सिफारिश की कि प्रत्येक राज्य तथा प्रान्त में उच्चकोटि के इन्टर कालेज स्थापित किये जाँय। १० या १२ वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त विद्यार्थियों का ध्यान विभिन्न उद्यमों की ओर आकर्षित करने के लिये, एक बड़ी संख्या में व्यवसायिक स्कूल खुलने चाहिये। हाईस्कूल तथा कालेज शिक्षकों के लिये रिक्रेशर-कोर्स संगठित करने चाहिये। विश्वविद्यालयों में कला तथा विज्ञान विभागों में ३००० तथा सम्बन्धित कालेजों में १५०० से अधिक विद्यार्थी न रक्खे जाँय।

ट्यूटोरियल पद्धति को पूर्णतः संगठित करके नियमित रूप से चालू कर दिया जाय। विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं को आधुनिकतम साधनों से प्रचुर मात्रा में सज्जित कर देना चाहिये। इसके अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा शिक्षण-विधि के सुधार पर भी जोर दिया गया।

३. पाठ्य-क्रम (कला तथा विज्ञान)—मास्टर डिग्री 'ऑनर्स' के एक वर्ष बाद तथा उत्तीर्ण-परीक्षा के दो वर्ष बाद प्रदान की जानी चाहिये। विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षालयों को साधारण-शिक्षा (General education) के सिद्धान्तों तथा व्यवहारिक-ज्ञान (Theory and Practice) का अध्ययन प्रारम्भ कर देना चाहिये तथा पाठ्यक्रम और पाठ्य-वस्तु को शीघ्र ही तैयार करके उन्हें इन्टर तथा डिग्री कक्षाओं में प्रारम्भ कर देना चाहिये। प्रत्येक क्षेत्र में साधारण तथा विशिष्ट-शिक्षा का सम्बन्ध ज्ञात कर लेना चाहिये तथा विभिन्न व्यवसायों के लिये विद्यार्थियों की रुचि ज्ञात करके उनके व्यक्तित्व के विकास की ओर ध्यान देना चाहिये।

४. उत्तर-ग्रेजुएट-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान (Post Graduate Training and Research) (कला व विज्ञान):—कमीशन ने इस क्षेत्र में वर्तमान गिरा हुआ अवस्था पर दुःख प्रकट किया और कहा कि हमारे देश में अनुसंधान क्षेत्र में बहुत ही विशाल सुअवसर विद्यमान हैं अतएव विद्यार्थियों को हर प्रकार की सुविधायें प्रदान करके उन्हें अनुसंधान के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।

एम० ए० तथा एम० एस सी० कक्षाओं में प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर होना चाहिये तथा विद्यार्थियों और शिक्षकों में निकटतम सम्पर्क होना चाहिये। पी० एच० डी० (Ph. D.) के अध्ययन में कम से कम २ वर्ष का अनुसंधान-कार्य होना चाहिये। इसमें एक थीसिस के अतिरिक्त विद्यार्थियों के साधारण ज्ञान तथा विषय पर उनके अधिकार की जाँच करने के लिये एक मौखिक परीक्षा (Viva voce) भी होनी चाहिये। पी० एच० डी० में भी प्रवेश अखिल भारतीय आधार पर होना चाहिये। योग्य विद्यार्थियों के लिये अनुसंधान काल में अभिवृत्ति (Research Fellowships) मिलनी चाहिये। एम० एस सी० तथा पी० एच० डी० के विद्यार्थियों को शिक्षा सचिवालय की ओर से छात्रवृत्तियों तथा निःशुल्क स्थान मिलने चाहिये। विज्ञान विभागों में अतिरिक्त तथा योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिये जो कि शिक्षण-कार्य से मुक्त हों और केवल अनुसंधान कार्य ही करावें। इनके अतिरिक्त ५ समुद्रीय बाइलोजिकल स्टेशनों की स्थापना की भी सिफारिश की गई तथा बायोकेमिस्ट्री व बायोफिजिक्स इत्यादि में मौखिक अनुसंधान की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

५. व्यवसायिक शिक्षा—कृषि-शिक्षा के विषय में कमीशन ने अन्य उन्नत राष्ट्रों का उदाहरण देते हुए तुलनात्मक दृष्टि से भारत की वर्तमान अवस्था पर प्रकाश डाला है। कमीशन की राय में कृषि-शिक्षा को एक राष्ट्रीय प्रश्न मान लेना चाहिये तथा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षाक्रम में इसे प्रमुख स्थान देना चाहिये। कृषि-शिक्षा, अनुसंधान तथा कृषिनीति को ऐसे व्यक्तियों के हाथों में सौंप देना चाहिये जो कि कृषि-जीवन का व्यक्तिगत अनुभव रखते हों तथा उसके विशेषज्ञ हों। कृषिकालेजों में व्यवहारिक शिक्षा तथा अनुसन्धान पर विशेष जोर देना चाहिये। नये कृषि-कालेजों को नवीन ग्राम्य विश्वविद्यालयों की स्थापना करके उनसे सम्बन्धित कर देना चाहिये। इन कालेजों की पृष्ठ-भूमि तथा स्वभाव ग्रामीण होना चाहिये। इसके अतिरिक्त एक दीर्घ संख्या में प्रयोगात्मक फार्म तथा उच्चशिक्षा में अनुसंधान तथा प्रयोगशालाओं की स्थापना होनी चाहिये। वर्तमान अनुसंधान-शालाओं को विस्तीर्ण करके उन्हें अधिक आर्थिक सहायता देनी चाहिये।

वाणिज्य की शिक्षा के लिये कमीशन ने सिफारिशें कीं कि अध्ययन काल में वाणिज्य के विद्यार्थियों को तीन या चार फर्मों या दुकानों में व्यवहारिक कार्य करने का सुअवसर मिलना चाहिये। ग्रेजुएट होने के उपरान्त कुछ विद्यार्थी वाणिज्य की किसी एक शाखा में विशेषज्ञ बनने चाहिये। एम० कॉम० के विद्यार्थियों को भी पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित न रह कर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।

शिक्षा-विज्ञान के क्षेत्र में कमीशन ने अत्यन्त ही उपयोगी तथा वास्तविक सिफारिशें की हैं। कमीशन के अनुसार पाठ्यक्रमों में सुधार होना चाहिये तथा स्कूल-प्रेक्टिस को अधिक समय देना चाहिये। प्रैक्टिस के लिये उपयुक्त स्कूल का चुनाव होना चाहिये। ट्रेनिङ्ग कालेज के अधिकांश शिक्षक ऐसे वर्ग में से लेने चाहिये जिन्हें स्कूलों में शिक्षण का पर्याप्त अनुभव हो। शिक्षा-सिद्धान्तों के पाठ्यक्रम (Courses of Education Theory) लचीले हों और स्थानीय परिस्थितियों से मेल खाते हों। शिक्षा में मास्टर डिग्री (M.Ed.) के लिये केवल ऐसे विद्यार्थियों को श्रांति दी जाय जिन्हें कुछ वर्षों के शिक्षण-कार्य का अनुभव हो। प्रोफेसरों और अन्य शिक्षकों की मौलिक रचनायें अखिल-भारतीय स्तर की होनी चाहिये।

इंजिनियरिङ्ग तथा टेक्नोलॉजी की शिक्षा के सम्बन्ध में कमीशन ने वर्तमान शिक्षालयों के सुधार तथा उच्चशिक्षा के अन्य स्कूलों के स्थापित करने की सिफारिश की। पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही साथ विद्यार्थियों को कारखानों (Work Shops) में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने की सुविधायें भी दी जानी चाहिये। देश तथा काल की माँग के अनुसार पाठ्यक्रम में उचित सुधार होना चाहिये। अनुसन्धान तथा उच्चशिक्षा के लिये केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त इंजिनि-

यरिङ्ग कालेजों की पुनः स्थापना तथा संगठन के विषय में भी कमीशन ने विशेष सुझाव रखे ।

कानून के कालेजों के विषय में कमीशन ने कहा कि इनका पूर्ण पुनः संगठन होना चाहिये । प्रवेश के लिये ३ वर्ष का डिग्री शिक्षा का अध्ययन अनिवार्य है । व्यवहारिक शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिये । शिक्षकों की नियुक्ति पूर्ण-कालीन और अंश-कालीन दोनों ही प्रकार की हो सकती है । कानून पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दूसरा पाठ्यक्रम लेने की आज्ञा केवल विशेष परिस्थिति में तथा अतिरिक्त अतिरिक्त विद्यार्थियों को ही मिलनी चाहिये । विधान कानून, अन्तर्राष्ट्रीय-कानून, न्यायशास्त्र तथा हिन्दू और मुसलमान कानूनों में अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलना चाहिये ।

चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा के विषय में कमीशन ने कहा कि एक मैडिकल कालेज में १०० से अधिक विद्यार्थी भर्ती न किये जाँय । ग्रामीण केन्द्रों में प्रशिक्षण की सुविधायें प्रदान की जाँय । प्राचीन भारतीय चिकित्सा-पद्धति को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाय । 'पब्लिक इंजिनियरिंग' तथा 'नर्सिंग' में 'पोस्ट ग्रेजुएट' शिक्षा की व्यवस्था के लिये भी कमीशन ने सिफारिश की ।

इन व्यवसायों में शिक्षा प्राप्त करने के अतिरिक्त कमीशन ने व्यापार शासन (Business Administration) जन प्रशासन (Public Administration) तथा औद्योगिक-सम्बन्धों (Industrial Relations) में भी विशेष शिक्षा प्रदान करने की सिफारिशें की हैं ।

६. धार्मिक शिक्षा—धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में कमीशन ने इसका इतिहास बतलाते हुए भारत की वर्तमान राजनैतिक अवस्था की ओर संकेत किया है और अन्त में एक धर्म निरपेक्ष राज्य के लिये धार्मिक शिक्षा सम्बन्धी कुछ सुझाव रखे हैं ।

प्रत्येक शिक्षा संस्था में दैनिक कार्य कुछ मिनटों के मौन चिन्तन के साथ प्रारम्भ हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति आत्म दर्शन का प्रयास करे । क्योंकि "व्यक्ति एक आत्मा है और शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को इस सत्य के प्रति जागरूक करना है, जिससे वह अपनी आत्मा को पहचान सके और अन्तर्आत्मा के प्रकाश में वह अपने जीवन-कार्यों को समुचित रूप से ढाल सके।"^१ दूसरा सुझाव है कि डिग्री पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष में महान धार्मिक गुरुओं जैसे गौतम, कनफ्यूशस, ज़ोरास्टर, सुकरात, जीसस, शंकर, रामानुज, माधव, मुहम्मद, कबीर, नानक तथा गान्धी इत्यादि के जीवन चरित्र पढ़ाने चाहिये । तथा द्वितीय वर्ष में विश्व साहित्य में से सार्वभौमिक महत्त्व के प्रमुख अंशों का अध्ययन कराना चाहिये । तृतीय वर्ष में धर्म-दर्शन के मूलभूत तत्वों का अध्ययन कराना चाहिये ।

७. शिक्षा का माध्यम:—इस तर्कयुक्त समस्या को भी कमीशन ने बड़े सुन्दर ढंग से सुलझाने का प्रयत्न किया है। सर्व प्रथम एक राष्ट्रीय भाषा को पूर्णतः समर्थ और सम्पन्न बनाना चाहिये। कमीशन ने अन्तर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दों को ग्रहण करके तथा उनमें देश और कालानुसार परिवर्तन करके ग्रहण करने की सिफारिश की है।

शिक्षा के माध्यम के लिये कमीशन ने स्थानीय भाषाओं के प्रयोग करने की सिफारिश की है साथ ही विद्यार्थी यदि चाहें तो राष्ट्रभाषा हिन्दी (देव नागरी लिपि में) का भी प्रयोग कर सकते हैं। माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तरों पर विद्यार्थियों को कम से कम तीन भाषाओं का ज्ञान होना चाहिये : (मातृभाषा, राष्ट्रभाषा तथा अंग्रेजी)। राष्ट्रभाषा तथा स्थानीयभाषाओं के शीघ्र विकास के लिये कमीशन ने सिफारिशें कीं कि वैज्ञानिकों तथा भाषा-विशेषज्ञों का एक बोर्ड बनाया जाय जोकि सम्पूर्ण देश के लिये वैज्ञानिक शब्दावली तैयार करे तथा अखिल भारतीय महत्त्व की पुस्तकें तैयार करे। दूसरे, प्रान्तीय सरकारों को चाहिये कि विभिन्न प्रान्तों में माध्यमिक शिक्षा में, डिग्री कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में सभी कक्षाओं में राष्ट्रभाषा हिन्दी का शिक्षण अनिवार्य कर दें। नवीन ज्ञानधारा से सम्पर्क बनाये रखने के लिये हाईस्कूलों तथा विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी भी एक विषय के रूप में पढ़ाई जानी चाहिये।

८. परीक्षा-प्रणाली—भारतीय शिक्षाक्षेत्र में प्रचलित परीक्षा-प्रणाली की कमीशन ने पर्याप्त भर्त्सना की है। किन्तु उन्होंने इसके सुधार की ही सिफारिश की है नकि इसका पूर्णतः उन्मूलन करने की। “हमारा विश्वास है कि यदि हमें विश्व-विद्यालय शिक्षा में कोई एक मात्र सुधार ही बताना पड़े तो हम उसकी परीक्षा-प्रणाली में ‘सुधार’ ही बतायेंगे। ‘सुधार’ शब्द को हमने समझ सोंच कर ही प्रयोग किया है, अन्यथा हम जानते हैं कि भारत की भांति अन्य देशों में भी परीक्षाओं के प्रति इतना घोर असन्तोष फैला हुआ है कि प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों तथा महत्त्व-शाली शिक्षा संगठनों ने इसके पूर्ण उन्मूलन की राय दी है। हम इतने उग्रवादी नहीं हैं अतः हमारा विश्वास है कि यदि परीक्षाओं को ठीक प्रकार से तथा बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग किया जायगा तो हमारी शिक्षा-प्रणाली में यह लाभदायक प्रमाणित हो सकती है।”

कमीशन ने सुझाव रक्खा कि ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं (Objective Tests) के साथ-साथ निबन्धक प्रकार की परीक्षाओं को मिला देने से अधिक लाभ हो सकता है। वर्ष के दौरान में कक्षा में किये गये कार्य का भी ध्यान रक्खा जाना चाहिये और इसके लिये उचित सुरक्षित रखने चाहिये। डिग्री कक्षाओं के तीन

वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रत्येक वर्ष के अन्त में विश्वविद्यालय परीक्षा होनी चाहिये न कि केवल तीन वर्ष उपरान्त एक ही परीक्षा ली जाय। प्रत्येक वर्ष के लिये स्वतः पूर्ण (Self-contained) पाठ्यक्रम तैयार कर लिये जाने चाहिये। परीक्षकों का चुनाव ठीक प्रकार से होना चाहिये तथा उनके लिये ३ वर्ष का समय निश्चित कर देना चाहिये। ७० प्रतिशत तथा अधिक अङ्क पाने वाले विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, ५५ से ६६% पाने वाले द्वितीय और ४०% से ५४% तक के विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में रक्खे जाने चाहिये। विद्यार्थियों के साधारण ज्ञान की जाँच के लिये मौखिक परीक्षा (Viva Voce) भी लेना चाहिये—विशेष रूप से व्यवसायिक शिक्षाओं में।

६. विद्यार्थी, उनके कार्य तथा कल्याण (Students, Their activities and Welfare)—विद्यार्थियों सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं पर भी कमीशन ने गम्भीर अध्ययन तथा चिन्तन के उपरान्त अपने सुझाव रक्खे हैं।

सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिये योग्य विद्यार्थियों की छूट करने पर जोर दिया गया है। तत्पश्चात् योग्य विद्यार्थियों को परीक्षा के आधार पर छात्रवृत्ति की सिफारिश की है। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर कमीशन ने सबसे अधिक सुझाव रक्खे हैं। उनका नियमित मैडिकल परीक्षण तथा कालेजों और विश्वविद्यालयों में चिकित्सालयों की व्यवस्था, छात्रावासों तथा भोजन व पानी की उचित व्यवस्था, निवासस्थान की सफाई, 'डाइरैक्टर ऑफ फिजिकल एज्युकेशन' की नियुक्ति, खेलों की उचित व्यवस्था तथा अनिवार्य शारीरिक शिक्षा इत्यादि के लिये कमीशन ने अपने सुझाव रक्खे हैं। 'नैशनल केडिट कार' (N. C. C) के प्रशिक्षण पर भी कमीशन ने जोर दिया है। तत्पश्चात् विद्यार्थियों को समाजसेवा में प्रशिक्षित करने के लिये कुछ सुझाव रक्खे हैं। विद्यार्थी ग्रुपों का संगठन विद्यार्थियों की मानसिक तथा नैतिक उन्नति के लिये होना चाहिये न कि निम्नकोटि की राजनैतिक भावनाओं का प्रचार करने के लिये। विद्यार्थियों को सलाह देने के लिये एक 'विद्यार्थी हितकारी-सलाहकार बोर्ड' (Advisory Board of Student Welfare) का संगठन करना चाहिये।

१०. स्त्री शिक्षा:—स्त्रियों को उच्चशिक्षा के लिये अधिक से अधिक सुअवसर प्रदान करने चाहिये। स्त्रियों को अपनी प्रकृति और आवश्यकता के अनुसार विषयों का चुनाव करना चाहिये। अध्यापिकाओं को वही वेतन मिलना चाहिये जोकि अध्यापकों को मिलता है।

११. अन्य:—इन सिफारिशों के अतिरिक्त कमीशन ने विश्वविद्यालय शिक्षा के संगठन और नियंत्रण, वित्त (Finance) केन्द्रीय विश्व-विद्यालय, अन्य विश्वविद्यालय तथा ग्राम्य विश्वविद्यालयों के विषय में भी विभिन्न लाभदायक सुझाव रक्खे हैं। वित्त के विषय में कमीशन ने कहा है कि सरकार को उच्चशिक्षा के अपने

उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिये और लगभग १० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय करना चाहिये। दानियों को प्रोत्साहित करने के लिये आय-कर के नियमों में संशोधन किया जा सकता है। अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के विषय में कमीशन ने कहा कि इनकी स्थापना 'विश्वविद्यालय अनुदान-समिति' की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र की आज्ञा से ही होनी चाहिये। देश की सम्पूर्ण शिक्षा-आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए नगरों तथा ग्रामों में उनका उचित वितरण होना चाहिये।

आलोचना

इस प्रकार संक्षेप में यह कमीशन की सिफारिशें हैं। भारतीय शिक्षा के इतिहास में यह प्रथम युगनिर्माणक रिपोर्ट है जिसने देश के सम्पूर्ण शिक्षाक्षेत्र को ढक लिया है।

रिपोर्ट में प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृति के सामंजस्य का प्रयास किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में बहुत-सी पाश्चात्य-पद्धतियों को स्वीकार कर लिया गया है किन्तु शिक्षा की आत्मा भारतीय ही रक्खी गई है। शिक्षा को सम्पूर्ण जीवन के एक दर्शन के रूप में विकसित किया गया है। स्वतंत्र भारत के लिये जिस प्रकार की उच्च-शिक्षा की आवश्यकता है और जो उसके उद्देश्य तथा प्राप्त करने की उपयुक्त विधियाँ होनी चाहिये, उन सबकी भाँकी हमें इस रिपोर्ट में मिलती है। यद्यपि कमीशन ने स्वीकार किया है कि वर्तमान युग में विभिन्न विज्ञानों के शास्त्रोपयुक्त प्रयोगात्मक प्रशिक्षण की देश को आवश्यकता है, किन्तु साथ ही उसने चेतावनी भी दी है कि यदि विज्ञानों तथा उद्योगों पर अधिक ध्यान देकर मानवशास्त्रों (Humanities) की अवहेलना की गई तो देश में एक 'राक्षस राज्य' उत्पन्न हो जायगा जिसमें मानव केवल भौतिक उन्नति की बात ही सोचेगा और इस प्रकार अपनी आत्मा की क्षुधा को अतृप्त ही रखेगा। वास्तव में यह विचारधारा अखिल विश्व के लिये एक चतु-उन्मीलक चेतावनी है जो कि भारतीय आत्मा की परम्परा के अनुकूल है।

कमीशन ने भारतीय शिक्षा-क्षेत्र में सभी पक्षों पर पूर्ण अध्ययन और चिन्तन के उपरान्त अपने विचार प्रकट किये हैं। उन्होंने गिरते हुए शिक्षण-स्तर, शुष्क व जटिल पाठ्यक्रम, प्रेरणा-विहीन शिक्षालय, दयनीय व निरीह शिक्षक, पथ-भ्रमित विद्यार्थी, क्लृप्त परीक्षा-विधि, तुच्छ राजनीति व षड्यंत्र और दलबन्धियों के अनेक विश्वविद्यालयों के शासनप्रबन्ध तथा अतीत काल से निराद्रित ग्रामीण-शिक्षा इत्यादि पर अपने पुष्ट व परिपक्व विचार प्रकट किये हैं; तथा उनके परिष्कार के लिये व्यवहारिक व उपयुक्त सुझाव भी रखे हैं। यहाँ यह न समझ लेना चाहिये कि कमीशन ने भावुकता के आवेग में समस्याओं के हल उपस्थित किये हैं।

वास्तव में सभी सुझाव बड़े ठोस और प्रत्यक्ष वास्तविकताओं पर आधारित हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षण-विधि तथा अनुसंधान पर विशेष जोर दिया गया है, जिसकी देश को आवश्यकता है। आन्तरिक शासनप्रबन्ध को ठीक करने के लिये तथा 'विश्वविद्यालय अनुदान-समिति' का पुनःनिर्माण करके उसमें वैतनिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश अत्यंत व्यवहारिक तथा वांछनीय है। ग्रामीण विश्व-विद्यालयों की सुरू एक क्रान्तिकारी सुझाव है।

किन्तु इतना अवश्य है कि कमीशन ने धार्मिक-शिक्षा के विषय में अपने विचारों को बड़ा अस्पष्ट तथा रहस्यमय रखा है। शिक्षा के माध्यम के विषय में भी निर्णयात्मक मत नहीं दिया गया है। स्त्री-शिक्षा तथा प्राच्य-शिक्षाओं और ललित-कलाओं को भी उचित प्रोत्साहन नहीं दिया गया है।

तथापि यह निर्विवाद है कि यह रिपोर्ट भारतीय-शिक्षा में एक क्रान्ति उपस्थित करके, उसे देश व काल के अनुरूप बना कर विश्व-शिक्षा के स्तर पर लाकर रख देगी। यदि इन सुझावों को सच्ची भावना और सच्चे प्रयत्नों द्वारा कार्यान्वित किया गया, तो अवश्य ही भारतीय-शिक्षा के इतिहास में एक नवीन युग का निर्माण होगा, जिसके आलोक में विश्व का पथ-प्रदर्शन होगा।

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें

विश्वविद्यालय कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिये २२ व २३ अप्रैल १९५० ई० को केन्द्रीय-सलाहकार बोर्ड को एक विशेष बैठक हुई। बोर्ड ने कमीशन की प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और कहीं २ पर आवश्यकतानुसार कुछ संशोधन भी कर दिये। उत्तर-ग्रेजुएट शिक्षा तथा अनुसंधान के विषय में कमीशन की सिफारिशों को मान लिया गया। व्यवसायिक शिक्षाक्षेत्र में कृषि, वाणिज्य, शिक्षा, इंजिनियरिंग तथा टैकनोलॉजी, कानून तथा औषधशास्त्र सम्बन्धी सिफारिशों को कुछ परिवर्तनों के साथ मान लिया गया। इसी प्रकार माध्यम; शिक्षकों के वर्गीकरण, वेतन तथा कार्य-दशा; पाठ्यक्रम, औबजेक्टिव परीक्षा-विधि; स्त्री शिक्षा; नये विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा विद्यार्थी-हितकारी-कार्य इत्यादि सभी सिफारिशों को बोर्ड ने स्वीकार कर लिया।

धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में बोर्ड ने निश्चय किया कि सभी शिक्षा संस्थाओं के कार्य कुछ क्षण के मौनचिन्तन के उपरान्त प्रारम्भ किये जाने चाहिये। साथ ही डिग्री-कक्षा के प्रथम वर्ष में महान्धार्मिक गुरुओं के जीवन-चरित्र तथा तृतीय वर्ष में धर्म-दर्शन के मूल-तत्त्वों का अध्ययन होना चाहिये। बोर्ड ने यह भी निर्णय किया कि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी धार्मिक-दर्शन की व्यवस्था हो सकती है। विश्वविद्यालयों के विधान तथा नियंत्रण के विषय में भी कमीशन की सिफारिशों को मान लिया गया, केवल विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सरकार की सूची में रखने

की बात अस्वीकार कर दी गई। वित्त (finance) के सम्बन्ध में कमीशन की सिफारिशों का समर्थन करते हुए बोर्ड ने कहा कि इन सिफारिशों की पूर्ति इस उद्देश्य के लिये उपलब्ध धन-राशि पर निर्भर रहेगी। अन्त में बोर्ड ने राष्ट्रभाषा हिन्दी को सर्वप्रिय बनाने के साधनों पर विचार किया।*

कमीशन के उपरान्त :—विश्वविद्यालय कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशन के पश्चात् सभी शिक्षाप्रेमियों के मस्तिष्कों में सुधार का प्रश्न बलवान होने लगा। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों ने भी कमीशन के सुझावों को कार्यान्वित करने का प्रयास किया।

मार्च १९५० ई० में अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड ने जम्मू-काश्मीर विश्वविद्यालय, तथा महाराष्ट्र विश्वविद्यालय पूना की स्वीकृति प्रदान कर दी। बोर्ड की इस बैठक में देश के भिन्न-भिन्न भूखंडों से आये हुए प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को सामूहिक रूप से सुलझाने के प्रयत्न भी किये फलतः दक्षिण के विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों ने अपना प्रथक् सम्मेलन १३ अप्रैल १९५० ई० को बुलाया, तथा बम्बई के ६ विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों ने 'विश्वविद्यालय संयुक्त बोर्ड बम्बई (Joint Board of The Universities in Bomday State) की स्थापना करली। बम्बई विश्वविद्यालय के पुनः संगठन के लिये प्रान्तीय सरकार ने भी एक समिति की स्थापना की है। इस समिति के अनुसार बम्बई विश्वविद्यालय का संगठन ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज के आधार पर होना चाहिये; तथा इसमें तीन प्रकार की शिक्षा संस्थाओं का संगठन होना चाहिये : (क) विश्वविद्यालय विभाग, (ख) सम्बन्धित कालेज (Constituent Colleges) तथा (ग) विश्वविद्यालय-क्षेत्र के भीतर तथा बाहर स्थित वह सभी संस्थायें जोकि उच्च-शिक्षा तथा अनुसंधान के लिये स्वीकृत हैं। इस समिति ने बम्बई विश्वविद्यालय में परीक्षा, पाठ्यक्रम, प्रवेश, संगठन व प्रबन्ध, शिक्षण-स्तर तथा शिक्षा के माध्यम इत्यादि पर भी अपने सुझाव प्रस्तुत किये हैं। शिक्षा के माध्यम के विषय में कहा गया है कि १५ वर्ष तक अंग्रेजी ही माध्यम होगी तदुपरान्त भारतीय संविधान के अनुसार क्रमशः हिन्दी (देव नागरीलिपि में) इसका स्थान ग्रहण कर लेगी। धार्मिक शिक्षा का समिति ने निषेध किया है। उपकुलपति पूर्णकालीन तथा वैतनिक होना चाहिये यह भी समिति की धारणा है।

*बोर्ड ने हिन्दी को सर्वप्रिय बनाने के सझावों को केन्द्रीय-शिक्षाविभाग के समक्ष रखवा था। जनवरी १९५१ ई० को बोर्ड की बैठक में माननीय शिक्षा मंत्री श्री अब्दुलकलाम आजाद ने अपना मत प्रकट करते हुए घोषणा की थी कि विश्वविद्यालयों में अन्ततः हिन्दी ही अंग्रेजी का स्थान ग्रहण करेगी किन्तु यह एक ऐसा विषय है जिस पर कोई भी जल्दबाजी बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं होगी—लेखक

पूना, मद्रास, नागपुर तथा उत्कल विश्वविद्यालयों में भी कुछ परिवर्तन व सुधार हुए हैं। जुलाई १९५० ई० में अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सम्मेलन जोकि मैसूर में हुआ एक ऐतिहासिक घटना है। इस सम्मेलन में विश्व के भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। डा० विनवर्न टॉमस, 'विश्व ईसाई-विद्यार्थी संघ' के सैक्रेटरी ने विश्वविद्यालय के स्तर को उठाने के कुछ रचनात्मक सुधार रखे।

अगस्त १९५० ई० में एक दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का जो कि 'अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सेवा समाज', (International Student Service) के नाम से विख्यात है, २३ वाँ वार्षिक-अधिवेशन बम्बई में हुआ। इस सम्मेलन में श्री वैकटारांगिय ने तीन प्रश्न उपस्थित किये: क्या वैज्ञानिकों को अपने अनुसंधान बन्द कर देने चाहिये जिससे उनका दुरुपयोग समाज के अहित में न हो सके? पाठ्य पुस्तकों में से राष्ट्रीय संकीर्णताओं को दूर करने में विश्वविद्यालय किस प्रकार से सहायक हो सकते हैं? क्या विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों में एक ऐसा परिवर्तन करने की आवश्यकता है जिससे वह चरित्रनिर्माण एवं मानवता के दृष्टि-कोण के विकास करने में सहायक हो सकें?

इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में बहुमुखी विकास हो रहे हैं। उत्कल विश्व-विद्यालय ने अभी हाल में ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को ग्रीष्मावकाश में ३ महीने प्रौढ़शिक्षा तथा साक्षरता प्रसार के लिये समाज सेवा करना अनिवार्य कर दिया है। जुलाई १९५२ ई० में अन्नमलाई विश्वविद्यालय ने एक नवीन योजना जारी की है जिसके अनुसार प्रति वर्ष विश्वविद्यालय की ओर से ४० किसानों को आधुनिक कृषि में प्रशिक्षण दिया जायगा।

विश्वविद्यालय विधेयक (Universities Bill 1952) —

भारतीय संविधान के अनुसार होने वाले राष्ट्रव्यापी चुनावों के उपरान्त केन्द्रीय सरकार ने संसद में एक 'विश्वविद्यालय विधेयक' प्रस्तुत करने का विचार किया है। इस विधेयक का पूर्ण विषय अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, किन्तु विभिन्न प्रान्तीय सरकारों तथा विश्वविद्यालयों का मत जानने के लिये इसकी प्रति-लिपियाँ उनके लिये भेज दी गई हैं।

विधेयक के अनुसार "जब तक कि नये विश्वविद्यालयों की स्थापना पर केन्द्रीय-सरकार का नियंत्रण न होगा तब तक न तो शिक्षा-संस्थाओं का समन्वय होगा और न उनके स्तर का निराकरण ही संभव हो सकेगा।" अतः इस विधेयक में एक 'विश्वविद्यालय शिक्षा केन्द्रीय परिषद्' (Central Council of University Education) की स्थापना की व्यवस्था की गई है। इस परिषद् को विभिन्न विश्वविद्यालयों के आन्तरिक प्रश्नों के विषय में सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा; तथा विश्वविद्यालयों की कार्यकारिणी-समितियों के द्वारा अपनी सिफारिशों तथा आदेशों के मनवाने का अधिकार भी होगा।

यह परिषद् भारत के किसी भी विश्वविद्यालय की जाँच तथा निरीक्षण कर सकेगी तथा तदनुसार अपने आदेश भी दे सकेगी। यदि परिषद् के आदेशों की अवहेलना की गई तो वह केन्द्रीय-सरकार को इस बात की सिफारिश कर सकेगी कि अमुक विश्वविद्यालय की उपाधियों को अस्वीकार कर दिया जाय जिससे उसके विद्यार्थियों को कहीं नौकरी न मिल सके। इस विधेयक में आगे चलकर यह भी कहा गया है कि उच्चशिक्षा प्रदान करने वाली किसी भी शिक्षा-संस्था को विश्वविद्यालय का रूप दिया जा सकता है।

“परिषद् के सदस्यों की संख्या, योग्यता तथा नियुक्ति की अवधि केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित की जायगी, किन्तु कुल सदस्यों के ३ सदस्य विभिन्न विश्वविद्यालयों के उपकुलपति होने चाहिये।”

विधेयक की एक अन्य धारा के अनुसार केवल वही विश्वविद्यालय उपाधि प्रदान करने का अधिकारी होगा जोकि यह आश्वासन दे सके कि विद्यार्थी ने कला, विज्ञान अथवा ज्ञान की किसी अन्य शाखा में सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक उच्च अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है। ऐसे विश्वविद्यालय की रचना भी केन्द्रीय-एकट प्रान्तीय एकट, अथवा राज्य-एकट के द्वारा होनी चाहिये।

आलोचना—यद्यपि उपर्युक्त विधेयक अभी संसद में उपस्थित नहीं हुआ है, तथापि राज्यों व विश्वविद्यालयों में इसकी कटु आलोचना हो रही है। ऐसी आशंका की जाती है कि यदि सरकार इस विधेयक को लेकर आगे बढ़ती है तो प्रथमकोटि का वाद-प्रतिवाद उत्पन्न हो जायगा। विभिन्न विश्वविद्यालय अधिकारियों की धारणा है कि इस विधेयक से विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता पर आघात होगा। वस्तुतः विश्वविद्यालयों की उन्नति के लिये आवश्यक है कि उनके लिये ऐसा वातावरण हो जो कि राज्य अथवा किसी राजनैतिक दल के हस्तक्षेप से पूर्णतः मुक्त हो जिससे राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षण व परीक्षा-मानदंड में कुछ छेड़छाड़ न कर सके। विश्वविद्यालयों की स्वायत्त-प्रणाली (Autonomy) का भी केन्द्रीय-परिषद् की स्थापना से अपहरण हो जायगा। विश्वविद्यालय-क्षेत्रों में यह कहा जा रहा है कि जब पहिले से ही अन्तर्विश्व-विद्यालय बोर्ड स्थित है तो फिर केन्द्रीय-परिषद् की क्या आवश्यकता है? क्यों न अन्तर्विश्वविद्यालय-बोर्ड के अधिकारों तथा क्षेत्र में वृद्धि करदी जाय? इसके अतिरिक्त यह भी शिकायत की जा रही है कि भारत सरकार ने अनेक आश्वासनों की अपेक्षाकृत भी अभी तक ‘विश्वविद्यालय-अनुदान-समिति’ (University Grants Committee) का पुनर्संगठन नहीं किया है।

अन्तर्विश्वविद्यालय-बोर्ड ने भी इस वर्ष अपनी बैठक में विश्वविद्यालय-विधेयक पर गंभीर विचार करने के उपरान्त इसका विरोध किया है तथा इसके वापिस ले लेने की सिफारिश की है। साथ ही प्रायः भारत के सभी विश्वविद्यालयों ने

भी इसका विरोध किया है। इस सम्पूर्ण विरोध के फल स्वरूप यह संदेह प्रकट किया जा रहा है कि संभवतः सरकार विधेयक को इसकी वर्तमान अवस्था में प्रस्तुत न करे।

किन्तु इतना कह देना भी आवश्यक है कि वास्तव में इस देश में वर्तमान समय में विश्वविद्यालयों के ऊपर किसी प्रकार के राजकीय अंकुश की शीघ्र आवश्यकता है। संभवतः अवस्था में सुधार होने पर हमें इसकी आवश्यकता प्रतीत न हो और विश्वविद्यालयों को अपने भाग्यनिर्णय के लिये स्वतंत्र छोड़ दिया जाय। इस समय देश के २६ विश्वविद्यालयों में संभवतः थोड़े ही ऐसे होंगे जहाँ निम्न-कोटि की दलबंदी, जातीय-पक्षपात तथा भयंकर प्रान्तीयता न हो। विश्वविद्यालयों के आन्तरिक भ्रष्टाचारों तथा दलबंदियों के कारण उनका एक मात्र शिक्षा-उद्देश्य ही संकट में पड़ गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि किस प्रकार कुछ विश्वविद्यालयों में सीनेट, कार्यकारिणी-समिति तथा अन्य समितियों में गुटबंदी के कारण केवल एक दल ही सम्पूर्ण सत्ता को हथियाकर भ्रष्टाचार में फंस जाता है। फलतः शिक्षकों और परीक्षकों को नियुक्ति, पाठ्य-पुस्तकों का रखा जाना तथा अनुसंधान में 'डाक्टर' की उपाधि का मिलना इत्यादि सभी कार्य जातीय व गुटबंदी के पक्षपात के आधार पर किये जा रहे हैं। इसी प्रकार के दोषों को दूर करने के लिये उत्तर-प्रदेशीय सरकार ने भी आगरा-विश्वविद्यालय के लिये अभी एक विधेयक तैयार किया है जिसका कि आगरा-विश्वविद्यालय के अधिकारी घोर विरोध कर रहे हैं।

इस प्रकार हमारे कुछ विश्वविद्यालय जो उच्च-शिक्षा के स्थान पर आज षडयंत्रों के केन्द्र बने हुए हैं, जनतंत्र, समानता तथा स्वतंत्रता के उच्चतम आदर्शों के आधार पर देश का नव-निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं? ऐसी अवस्था में कोई आश्चर्य नहीं यदि देश में शिक्षा का मानदंड गिरता जा रहा है, जिसकी ओर देश के शिक्षा-शास्त्रियों ने बार २ ध्यान आकृष्ट किया है। यही कारण है कि केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त दोषों का उन्मूलन करने के लिये केन्द्रीय-परिषद् का निर्माण करके एक उदार नियंत्रण रखने की चेष्टा की है। हाँ, इतना अवश्य है कि इस विधेयक की दुरुहता को कुछ कम करके उसे अधिक उदार व अनुकूल बनाया जा सकता है। यहाँ यह बात स्मरणीय है कि विधेयक का विरोध अधिकारों में ऐसे विश्वविद्यालयों की ओर से अधिक हो रही है जिन्हें अपनी अब तक चली आने वाली अनुचित स्वच्छन्दता के अपहरण का भय है। किन्तु किसी भी विश्वविद्यालय को स्वायत्त-प्रणाली (Autonomy) के नाम पर भ्रष्टाचार करने की छूट को एक बहुत बड़ा खतरा उठाकर ही दिया जा सकता है। इस विषय में राजकीय नियंत्रण की तब तक आवश्यकता रहेगी, जब तक कि हमारे विश्वविद्यालय स्वायत्त-शासन का वास्तविक अर्थ न समझ लें।

उपसंहार

इस प्रकार विश्वविद्यालय प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। विश्व-विद्यालय शिक्षा के दोषों पर कमीशन ने विचारपूर्वक अध्ययन करने के उपरान्त उन्नति का मार्ग प्रसारित कर दिया है। वास्तव में विश्वविद्यालय शिक्षा को देखकर ही हम किसी भी देश की प्रगति का अनुमान लगा सकते हैं। सर रॉबर्टसन के अनुसार “प्रगतिशील विश्वविद्यालय एक प्रगतिशील समाज के; सुस्थापित विश्व-विद्यालय एक सुस्थापित समाज के; तथा अवरुद्ध और जर्जरित विश्वविद्यालय एक अवरुद्ध व जर्जरित समाज के द्योतक हैं।”^१ अतः स्वतंत्र तथा प्रगतिशील भारत के लिये आवश्यक है कि उसमें विश्वविद्यालय देश के वास्तविक विद्याकेन्द्र बनें “देश की सम्पन्नता विश्वविद्यालयों से ही सम्बन्धित है। एक भ्रष्ट विश्वविद्यालय उस विघातक जलश्रोत के समान है जो कि उसमें पानी पीने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य को नष्ट कर देगा।”^२

केन्द्रीय योजनायें

१९४६ ई० में भारत में श्री जवाहरलाल नेहरू के अन्तर्गत अन्तरिम सरकार की स्थापना होने पर केन्द्रीय शिक्षा विभाग प्रथमतः राष्ट्रीय नियंत्रण में आया। १५ अगस्त १९४७ ई० को इस विभाग को पूर्णतः मुक्त कर दिया गया और तभी से आज तक माननीय अबुलकलाम आजाद केन्द्रीय शिक्षामंत्री हैं।

केन्द्रीय सरकार की मुख्य २ शिक्षा योजनायें निम्नलिखित हैं :

- (१) केन्द्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड
- (२) केन्द्रीय शिक्षा सचिवालय (The Central Secretariate in Education)
- (३) केन्द्रीय शिक्षा ब्यूरो
- (४) विश्वविद्यालय अनुदान-समिति
- (५) केन्द्र द्वारा शासित क्षेत्रों में शिक्षा प्रबन्ध (कुर्ग, दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा तथा अंडमन और निकोबार द्वीप पुंज।)
- (६) पुराविद्या-विभाग—(Department of Archaeology)
- (७) मानवशास्त्र विभाग—(Department of Anthropology)
- (८) ग्रन्थरक्षागृह-विभाग—(Department of Archives)
- (९) पुस्तकालय^३ तथा अजायब घर

१. डा० रामकरणसिंह द्वारा ‘अवर यूनिवर्सिटीज’ में उद्धृत-पृष्ठ १०

२. वही ग्रन्थ पृष्ठ ६

३. कलकत्ता की ‘इम्पीरियल लाइब्रेरी’ जो अब ‘नेशनल लाइब्रेरी’ कहलाती है, केन्द्र के आधीन है।

- (१०) अखिल भारतीय शिक्षा संगठनों को सहायता अनुदान देना ।
- (११) परिगणित जातियों, आदिवासियों तथा पहाड़ी जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना
- (१२) विदेश-छात्रवृत्ति योजना (Overseas Scholarships)
- (१३) विदेशों में भारतीय विद्यार्थियों की कल्याण योजनाएँ
- (१४) राष्ट्रीय संस्कृति की सुरक्षा करना
- (१५) अन्य राष्ट्रों से सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करना
- (१६) यूनेस्को (U.N.E.S.C.O.) से सम्बन्धित कार्यक्रमों का संचालन करना ।
- (१७) टैकनिकल शिक्षा
- (१८) अखिल भारतीय रेडियो (A.I.R.)
- (१९) अन्य

इन योजनाओं के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार फिल्म शिक्षा का भी प्रचार करती है। १९४८ ई० में एक 'केन्द्रीय फिल्म लाइब्रेरी' की स्थापना की गई है। यहाँ से प्रत्येक प्रान्त में शिक्षाप्रद फिल्म उधार दी जाती हैं। कोई भी कालेज या स्कूल भी इन फिल्मों को मँग सकता है। चन्द्र-शिक्षा (Visual Education) प्रसार में इन योजनाओं से बड़ी सहायता मिली है। भिन्न २ मंत्रालयों के अन्तर्गत कुछ विशेष शिक्षा संस्थायें भी काम कर रही हैं जिनका संचालन व प्रबन्ध केन्द्र पर निर्भर है जैसे—'इम्पीरियल इंस्टीट्यूट कृषि-अनुसंधान, नई दिल्ली,' बँगलौर का पशुपालन तथा दुग्धशाला शिक्षालय, इज्जतनगर की पशु चिकित्सा तथा अनुसंधानशाला तथा देहरादून में वन-अनुसंधान शिक्षा केन्द्र तथा अंधों, व गूँगे बहिरों की शिक्षा के लिये संस्थायें इत्यादि। केन्द्रीय सरकार पर जल, थल तथा नभ सेना की शिक्षा का भी भार है।

शिक्षा योजना-समिति रिपोर्ट

सन् १९५१ ई० में 'राष्ट्रीय शिक्षा योजना समिति (National Education Planning Committee) ने जिसकी नियुक्ति अखिल भारतीय शिक्षा संघ (All India Federation of Educational Associations) ने की थी, अपना प्रतिवेदन प्रकाशित किया। यह प्रतिवेदन ११ जनवरी, १९५१ ई० को उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद में हुए अखिल भारतीय शिक्षा-सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया।

इस प्रतिवेदन के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा के ढाँचे में पूर्व-बेसिक, बेसिक, उत्तर-बेसिक, उत्तर-ग्रेजुएट तथा अनुसंधान के विभिन्न स्तर सम्मिलित हैं। इनमें पूर्व-बेसिक स्तर ३ से ७ वर्ष तक के बच्चों के लिये है। बेसिक स्तर की अवधि

द वर्ष अर्थात् ७ से १५ वर्ष तक के बालकों के लिये है। उत्तर-बेसिक स्तर की अवधि ४ वर्ष अर्थात् १५ से १६ वर्ष तक के किशोरों के लिये है। यह स्तर प्रचलित ग्रेजुएशन के स्तर के समकक्ष है। इसके उपरान्त उत्तर-ग्रेजुएट स्तर की अवधि २ वर्ष होनी चाहिये तथा अनुसंधान की अवधि अध्ययन विषय की आवश्यकता के अनुरूप बदलती रहेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा की योजना में बेसिक शिक्षा को तत्काल ही सर्वत्र लागू करने पर भी जोर दिया गया है।

समिति की धारणा थी कि पूर्व-बेसिक स्तर के लिये शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही हो और यदि मातृभाषा उस प्रान्त की स्थानीय भाषा से भिन्न है तो शिक्षा का माध्यम वह मातृभाषा ही रखी जाय, यदि उसमें कम से कम २० विद्यार्थी एक कक्षा में अध्ययन करते हों। बेसिक-स्तर पर शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा ही होनी चाहिये। उत्तर-बेसिक स्तर के लिये माध्यम चाहे स्थानीय भाषा अथवा राष्ट्रभाषा होनी चाहिये। ऐसे शिक्षालयों के सम्बन्ध में जिनका कि अखिल भारतीय महत्त्व है और उनके लिये उच्च विशेषज्ञ शिक्षकों की आवश्यकता है, तो शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभाषा ही रहना चाहिये। किन्तु ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि पारिभाषिक शब्द सभी भारतीय भाषाओं में सर्वमान्य होने चाहिये। अनुसंधान की भाषा राष्ट्रभाषा ही रहेगी। उत्तर-बेसिक स्तर के विद्यार्थियों को कोई एक विदेशी भाषा जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, चीनी या जापानी इत्यादि अवश्य सीखनी चाहिये।

परीक्षाओं के विषय में समिति की धारणा थी कि इन्हें आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया जा रहा है अतः आवश्यक यह है कि दिन प्रतिदिन के कक्षा कार्य के लिये ५० प्रतिशत अंक सुरक्षित कर दिये जाँय तथा प्रश्न-पत्रों में बुद्धि-परीक्षा (Intelligence Tests) के सिद्धान्तों का समावेश कर दिया जाय। अन्त में, ग्रेजुएट तथा उत्तर-ग्रेजुएट स्तर के लिये मौखिक परीक्षा (Viva Voce Test) को अनिवार्य कर दिया जाय।

उत्तर-प्रदेश में शिक्षा प्रगति (सन् १९३७-५२ई०)

भूमिका

उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रगति का वर्णन पिछले पृष्ठों में भी असंगानुसार किया जा चुका है। यहाँ हम कुछ विस्तार में उसका उल्लेख करते हैं। उत्तर-प्रदेश में बंगाल, मद्रास तथा बम्बई प्रान्तों की तुलना में आधुनिक-शिक्षा का आन्दोलन कुछ देर से प्रारम्भ हुआ था। प्राचीन तथा मध्यकाल में तो यह प्रदेश उच्च-शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र था। आधुनिक शिक्षा की वास्तविक उन्नति यहाँ २० वीं शताब्दि के प्रारम्भ में ही हुई। इस शताब्दि के प्रथम तीन

दशकों में उत्तर-प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ। औद्योगिक तथा टैक्निकल शिक्षा के लिये भी यहाँ शिक्षालय स्थापित हो चुके थे। सन् १९१३ ई० की 'पिगट कमेटी' के सुझावों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में सुधार किये गये। इसके अनुसार लड़के तथा लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा के लिये नवीन स्कूल खुले, पाठ्यक्रम में सुधार हुआ और उसे प्रान्त की आवश्यकताओं तथा वातावरण में अनुकूल बना दिया गया। सन् १९१९ ई० में नगरपालिकाओं में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने के लिये कानून बना। १९२६ ई० में प्रान्तीय सरकार ने ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिये जिला बोर्डों के लिये भी एक ऐसा ही कानून बनाया। सन् १९२७ ई० में उत्तर-प्रदेश में प्रौढ़शिक्षा आन्दोलन का सूत्रपात्र हो गया और इसके लिये प्रान्त में रात्रि पाठशालायें खोली गईं। सन् १९२३ में 'वियर-समिति' की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे स्कूलों को भंग करने की सिफारिश की गई जो आर्थिक दृष्टि, योग्य अध्यापकों, पर्याप्त सजा तथा उपयुक्त भवन की दृष्टि से दुर्बल थे। 'हर्टाग समिति' ने भी ऐसी ही रिपोर्ट की थी अतः इसे लागू करके शिक्षा की श्रेष्ठता के सुधार पर जोर दिया गया। माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भी इसी प्रकार विभिन्न परिवर्तन हुए। नीचे हम संक्षेप में सम्पूर्ण शिक्षा की प्रगति पर विचार करते हैं।

प्राथमिक शिक्षा

सन् १९३७ ई० के उपरान्त 'वर्षाशिक्षा योजना' के लागू हो जाने से उत्तर-प्रदेश में भी प्राथमिक शिक्षा में इसका प्रारम्भ कर दिया गया। प्रचलित प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों में बदल दिया गया। बेसिक शिक्षा के लिये अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया और उनके लिये नवदीक्षा (Refresher Course) की व्यवस्था की गई। सन् १९३७ तथा ४० ई० के बीच दस 'बेसिक शिक्षा-ट्रेनिंग केन्द्र' तथा सात नवदीक्षा केन्द्र खुले। कुछ नवीन बेसिक स्कूल भी खुले। सन् १९३९ ई० में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के पुनःसंगठन के लिये एक समिति 'नरेन्द्रदेव-समिति' नियुक्त की गई। उसकी रिपोर्ट के अनुसार प्रान्त में प्राथमिक शिक्षा में क्रान्तिकारी सुधार हुए किन्तु युद्ध की कठिनाइयों के कारण अधिकांश में इसकी सिफारिशों कार्यान्वित न हो सकीं। सन् १९४३ ई० में सार्जेन्ट योजना के आधार पर प्रान्तीय सरकार ने दस वर्ष के लिये सार्वदेशिक-प्राथमिक शिक्षा की योजना बनाई।

सन् १९४६ ई० में केन्द्र में अन्तरिम सरकार तथा प्रान्त में कांग्रेस सरकार के बनने से प्राथमिक शिक्षा के प्रसार को बड़ी प्रगति मिली। जिला बोर्डों की सहायता ६०% से बढ़ाकर ७५% कर दी गई। स्वतंत्रता की प्राप्ति के उपरान्त उत्तरप्रदेशीय सरकार ने प्रत्येक गाँव में एक स्कूल स्थापित करने की योजना बनाई। सन् १९४८-४९ ई० में ४३ नगर पालिकाओं को अनिवार्य

प्राथमिक शिक्षा (लड़कों के लिये) लागू करने की स्वीकृति दी गई। प्रारम्भ में सरकार ने प्रतिवर्ष २,२०० स्कूल खोलने का निश्चय किया था जिससे कि १० वर्ष के अन्तर्गत उत्तर-प्रदेश के २२ हजार गाँवों में एक-एक स्कूल हो जाय। किन्तु प्राथमिक शिक्षा की माँग बढ़ने से यह संख्या दुगुनी करनी पड़ी और प्रतिवर्ष ४,४०० स्कूल स्थापित करने का निश्चय हुआ।

इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर-प्रदेश में पर्याप्त प्रगति हुई। स्कूलों की संख्या सन् १९४६ ई० में १९,०१७ से बढ़कर सन् १९५१-५२ ई० में ३३,००० हो गई, तथा विद्यार्थियों की संख्या १३,७१,००० से बढ़कर २४,५०,००० हो गई। माननीय शिक्षामंत्री ठा० हरगोविन्दसिंह जी ने इस वर्ष ८ जौलाई को रेडियो पर भाषण करते हुए बताया था कि सन् १९४६ तथा ५२ ई० के बीच में प्राथमिक स्कूलों में १५,००० की वृद्धि हुई है। प्राथमिक शिक्षकों के लिये नार्मल स्कूलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। अनुपाततः १ नार्मल स्कूल प्रत्येक जिले में खोल दिया गया है। सन् १९४६ ई० में २४ नगर पालिकायें ऐसी थीं जहाँ प्राथमिक-शिक्षा अनिवार्य थी किन्तु सन् १९५१-५२ ई० में इनकी संख्या ८६ कर दी गई। उत्तर-प्रदेशीय सरकार ने स्थानीय बोर्डों के प्राथमिक स्कूलों के अतिरिक्त राजकीय प्राथमिक पाठशालायें भी खोली हैं किन्तु इन्हें जिला बोर्डों को हस्तान्तरित कर दिया गया है। सन् १९५१-५२ ई० में ११,५५० ऐसी पाठशालायें हस्तान्तरित की गईं जिनमें ११,६५,००० विद्यार्थी तथा २८,०४० शिक्षक थे। इन पाठशालाओं के लिये ४१५० इमारतें भी बनवाई जा चुकी थीं।

किन्तु खेद का विषय है कि आर्थिक संकट के कारण प्राथमिक शिक्षा पर होने वाला व्यय सन् १९५२-५३ ई० के बजट में प्रान्तीय सरकार को घटाना पड़ा है। यद्यपि प्रान्त की सम्पूर्ण शिक्षा पर १९४६ ई० की अपेक्षा व्यय ३ गुना बढ़ गया है किन्तु सन् १९५२-५३ ई० के बजट में यह घटाकर ३,८२,८५,९०० रु० कर दिया गया है। फलतः १९५१-५२ में ५५० बेसिक स्कूल तथा १९५२-५३ ई० में इस वर्ष केवल २५० नये प्राथमिक स्कूल ही खुलेंगे जिसका कि उल्लेख पीछे भी किया जा चुका है। लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा के लिये १९४६ ई० की अपेक्षा १ हजार स्कूल और बढ़ गये हैं।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा के पुनः संगठन के लिये 'नरेन्द्र देव समिति' का उल्लेख किया जा चुका है। इसकी सिफारिशों के विषय में भी इसी अध्याय में अन्यत्र विस्तार पूर्वक कहा जा चुका है। सैडलर कमीशन की सिफारिशों के अनुसार इस प्रान्त में इंटर कालेज अलग स्थापित कर दिये गये और उन्हें

१. सन् १९५१-५२ ई० में इन नार्मल स्कूलों में १५,६०० शिक्षकों ने ट्रेनिंग पाई।

विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र से हटाकर माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कर दिया। यह योजना यहाँ पर्याप्ततः सफल हुई है।

सन् १९४६ ई० में माध्यमिक शिक्षा के पुनः संगठन पर पुनः विचार हुआ और इसका एक प्रकार से रूप ही बदल डाला। योजना के अनुसार प्रचलित प्राथमिक स्कूल कक्षा १ से ५ तक, जूनियर हाईस्कूल कक्षा ६ से ८ तक और हायर-सैकिंडरी स्कूल कक्षा ८ से १२ तक करने का निश्चय किया गया। पुराने मिडिल स्कूलों को 'जूनियर हाई स्कूल' नाम से पुकारा जाने लगा और हाईस्कूल 'हायरसैकिंड्री स्कूल' बन गये। इनके हैडमास्टर्स का नाम 'प्रिंसिपल' रख दिया गया। जूनियर हाईस्कूलों के उपरान्त एक परीक्षा होगी जो वैकल्पिक रहेगी।

उच्चतर माध्यमिक स्कूल (Higher Secondary Schools)

यह स्कूल ४ वर्ष के पाठ्यक्रम का शिक्षण करेंगे। इनका पाठ्यक्रम ए० बी०, सी० तथा डी० चार भागों में विभक्त कर दिया गया है जोकि क्रमशः साहित्यिक, वैज्ञानिक, रचनात्मक और कलात्मक ग्रुप कहलाते हैं। १०वीं कक्षा के अन्त में शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षा होती है जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त छात्र इंटर में कला, विज्ञान, वाणिज्य या कृषि किसी भी विषय में जा सकता है। ए० और बी० ग्रुप में सदा से चले आने वाले विषय ही पढ़ाये जाते हैं। डी० ग्रुप में कला सम्बन्धी विषयों का शिक्षण होता है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप सी० है जिसमें टेकनिकल शिक्षा की व्यवस्था है। इसमें कृषि, वाणिज्य, चमड़े का काम, पुस्तक कला, धातु का काम, औद्योगिक-रसायनशास्त्र तथा लकड़ी का काम इत्यादि विषय पढ़ाये जाते हैं।

'जूनियर हाईस्कूल' में एक तो बेसिक क्राफ्ट अनिवार्य है जैसे लकड़ी का कार्य, पुस्तक कला, कातना या बुनना इत्यादि। उसके अतिरिक्त हिन्दी, गणित (अंक-गणित, बीजगणित तथा ज्यामिति) सामाजिक ज्ञान, (इतिहास और भूगोल तथा नागरिक शास्त्र) शरीरशिक्षा (P. T.) तथा निम्नलिखित में से कोई से दो विषयः संगीत, वाणिज्य, शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्यरक्षा, कोई एक प्राचीन भाषा, अंग्रेजी, एक आधुनिक भारतीय भाषा तथा सामान्य ज्ञान। अभी हाल में प्रारम्भिक संस्कृति तथा सामान्य ज्ञान को अनिवार्य बना दिया गया है।

इस प्रकार जूनियर तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में एक प्रकार का तारतम्य स्थापित हो गया है। औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था होने के कारण माध्यमिक शिक्षा का एक मात्र साहित्यिकपन कम हो गया है और शिक्षा व्यवहारिक जीवन के अधिक अनुकूल बन गई है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य अब केवल विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाना ही नहीं रह गया है। वह बहुत कुछ अपने स्वयं में पूर्ण हो गई है।

इस योजना के अनुसार उत्तर-प्रदेश में पर्याप्त प्रगति हुई है। सन् १९४७ ई० में गैर सरकारी स्वीकृत हाईस्कूलों तथा इंटर कालेजों की संख्या ४१२ में १४७ मिडिल स्कूल हायर सैकेंड्री बनकर सम्मिलित हो गये तथा १८० स्कूल नए खुल गए। सन् १९४९ ई० में इनकी संख्या ७२२ हो गई और अब १९५२ ई० में इनकी संख्या १०५० है। परीक्षार्थियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। सन् १९४५ ई० में हाई स्कूल तथा इंटर में क्रमशः २४, ६६२ तथा १०,३०५ से सन् १९५२ ई० में १३ लाख तथा ४०,८०० इंटर में हो गए। सन् १९५३ ई० में इनकी संख्या २ लाख हो जाने की संभावना है।

व्यय की दृष्टि से सन् १९४६-४७ ई० में माध्यमिक शिक्षा पर कुल व्यय ९९.२ लाख रुपया था जो कि सन् १९५१-५२ ई० में १७७.९ लाख हो गया। सन् १९५२-५३ ई० के बजट में केवल सरकार का सहयोग १,९१,०४,९०० रु० है जिसमें राजकीय उच्चतर विद्यालयों पर ८३,३५,१०० रु० तथा गैर सरकारी स्वीकृत विद्यालयों पर १,०७,६९,८०० रु० व्यय क्रिया जायगा। इसमें कोई सदेह नहीं कि यह धनराशि विराल होते हुए भी माध्यमिक शिक्षा के संतोपजनक विकास के लिए अपर्याप्त है।

आलोचना: - उत्तर-प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा योजना से संतोप-जनक परिणाम नहीं निकल सके। वास्तव में इसे लागू करते समय अत्यंत शीघ्रता से काम लिया गया। स्वयं शिक्षा-अधिकारी इसके विषय में स्पष्ट विचार नहीं रखते थे। परिणामतः इसकी प्रगति बहुत धीमी रही। साथ ही इधर आर्थिक संकट के कारण योजना के अनुसार प्रतिवर्ष नियमित संख्या में हाईस्कूलों को हायर-सैकिन्डरी नहीं बनाया जा सकता।

इस योजना के विषय में साधारण धारणा यह रही कि इसका पाठ्यक्रम अत्यंत दोष पूर्ण है। सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को चार भागों में अवश्य बाँट दिया गया है किन्तु इससे कोई लाभ नहीं हुआ। सरकारी अधिकारियों के कथनानुसार सी० ग्रुप ही सम्पूर्ण योजना की कुञ्जी है। किन्तु यह सी० ग्रुप ही वास्तव में देखा जाय तो इस योजना की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसके अनुसार विद्यार्थी दो वर्ष तक रचनात्मक विषयों का अध्ययन करता है और उसके उपरान्त उससे आशा की जाती है कि वह जीवन में किसी एक उद्यम में स्थिर हो जाय। वास्तव में इस रचनात्मक ग्रुप में कॉमर्स के अनिश्चित और कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। अधिकांश स्कूलों में कला-कौशल के अन्य विषयों की व्यवस्था नहीं है। न तो वहाँ अच्छी प्रयोगशालायें हैं, न अन्य सजा है और न योग्य विशेषज्ञ शिक्षक ही हैं। इस प्रकार रचनात्मक शिक्षा का उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। अच्छे रचनात्मक शिक्षालयों के अभाव में विद्यार्थी साधारण साहित्यिक अथवा विज्ञान स्कूलों में जाने के लिये बाध्य हो जाते हैं। इस रचनात्मक ग्रुप के दोषों से सरकार भी अवगत है और

इसके सुधार के लिये इलाहाबाद में स्थित 'रचनात्मक शिक्षा कालेज' तथा शिक्षा-विभाग पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। साथ ही माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने और उसका पुनर्संगठन करने के लिये पुनः आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में एक समिति इस प्रान्त में नियुक्त की गई है। बहुत संभव है कि यह समिति उच्चतर माध्यमिक योजना में आमूल परिवर्तन करदे अथवा रचनात्मक ग्रुप को या तो भंग करदे या इसके लिये कोई अन्य क्रान्तिकारी विकल्प रखदे।

शिक्षकों की दशा में सुधार

किसी भी शिक्षा-योजना की सफलता तथा राष्ट्र का निर्माण शिक्षकों का उत्तरदायित्व है अतः इस उद्देश्य के लिये पूर्ण शिक्षित, संतुष्ट तथा स्वस्थ व योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है। शिक्षक के लिये दीक्षा उतनी ही आवश्यक है जितना कि भोजन। एक से उसके मस्तिष्क का पोषण होता है और दूसरे से शरीर का। शिक्षक को निम्नकोटि की आर्थिक चिन्ताओं से मुक्त रखना एक बड़ी दूरदर्शिता है।

उत्तर-प्रदेश में शिक्षकों की दशा को सुधारने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षकों के वेतन-क्रम में सन् १९४७ ई० में परिवर्तन करके उन्हें सुधारने की चेष्टा की गई है। माध्यमिक शिक्षालयों में शिक्षकों का वर्तमान वेतनक्रम इस प्रकार है :

गैर-सरकारी स्कूल

सरकारी स्कूल

१. एम. ए., एम. एस. सी तथा
एम कौम (इंटर कक्षा के
लिये)

१५०-१०-३०० रु०

२००-१५-४५० रु०

२. ट्रेन्ड ग्रेजुएट

१२०-६-१६८-८-२०० रु०

१२०-८-२००-३०० रु०

३. ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट

७५-१२० रु०

७५-२०० रु०

४. मैट्रिक्युलेट

५०-८० रु०

इनके अतिरिक्त भी कई अन्य श्रेणियाँ हैं जैसे जे० टी० सी० इत्यादि। हाई स्कूल उत्तीर्ण एक जे० टी० सी० को (४५) रु० से प्रारम्भ होता है। अदोक्षित ग्रेजुएट को (८०) रु० मिलते हैं।

यहाँ एक बात विशेष उल्लेखनीय है वह है सरकारी तथा गैर सरकारी शिक्षकों के वेतन-क्रम में भेद रखना। यह व्यवहार, न्याय, सत्य तथा भारतीय संविधान के द्वारा भी अनुचित है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में मँहगाई के प्रश्न को लेकर भी माध्यमिक शिक्षकों में बड़ा असंतोष फैला हुआ है। उनका कहना है कि गैर-सरकारी हाईस्कूलों में मँहगाई के लिये कोई नियम नहीं है और शिक्षक (३) रु० से (१५) रु० तक विभिन्न स्कूलों में मँहगाई पाते हैं किन्तु सरकारी स्कूलों

के शिक्षकों को ३०) ६० या ३५) ६० इस रूप में दिये जाते हैं। इस विषय में औचित्य और अनौचित्य का निराकरण प्रस्तुत पुस्तक के क्षेत्र से बाहर की वस्तु है। इतना अवश्य है कि शिक्षकों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है।

शिक्षकों के प्रशिक्षण (Training) के लिये अवश्य ही इस प्रान्त में बहुत अच्छी व्यवस्था है। ट्रेनिंग कालेजों की संख्या में इधर अच्छी प्रगति हुई है। प्रारम्भ में ग्रेजुएट अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये केवल दो कालेज थे। इलाहाबाद इनमें प्रमुख था। बनारस तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालयों में बी० टी० कक्षाएँ थीं। लखनऊ में स्त्रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। साथ ही ३ सी० टी० के कालेज भी थे। किन्तु भारत के स्वतंत्र होने के उपरान्त सम्पूर्ण शिक्षा विकास के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिये ट्रेनिंग की भी समुचित व्यवस्था हो गई है। सन् १९४६-४७ ई० में दो सी० टी० ट्रेनिंग कालेज लड़कों के लिये तथा दो महिलाओं के लिये खुले। सन् १९४७-४८ ई० में कुछ डिग्री कालेजों में एल० टी० कक्षाएँ खुल गईं। इनमें कानपुर, लखनऊ, प्रयाग, फतेहपुर, बलवंत राजपूत ट्रेनिंग कालेज आगरा, दयालबाग आगरा, (स्त्रियों के लिये) प्रमुख हैं।

सन् १९४८ ई० में तीन सी० टी० कालेज तथा ४ एल० टी० कालेज और स्वीकृत हुए और मथुरा तथा खर्जा में भी एल० टी० की व्यवस्था हो गई। इस प्रकार सन् १९५१-५२ ई० में ट्रेनिंग कालेजों की संख्या ३१ (२४ पुरुषों को और ७ महिलाओं को) तथा ८० ट्रेनिंग स्कूल (५६ पुरुषों के लिये तथा २४ महिलाओं के लिये) खुल गये। सन् १९५१ ई० में १५,६०० शिक्षक नार्मल तथा ११०० शिक्षक एल० टी० और सी० टी० की परीक्षा में बैठे। इसके उपरान्त सी० टी० ट्रेनिंग तोड़ दी गई और उसके स्थान पर अनेक जे० टी० सी० के स्कूल खुल गये। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेशीय सरकार ने ५० चलशिक्षादलों का निर्माण भी किया है जिनका कार्य प्राथमिक शिक्षकों को भिन्न २ केन्द्र स्थापित करके दीक्षा देना है। चल-शिक्षण-दल का प्रयोग इस प्रान्त में एक नूतन योजना है जिसका परिणाम बहुत प्रभावकारी रहा है।

यहाँ दो शब्द माध्यमिक शिक्षकों के संगठनों के विषय में कह देना भी आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के इस समय तान प्रमुख संगठन स्थापित हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 'सहायक अध्यापक संघ' (U. P. A. T. A.) है जिसमें लगभग प्रान्त के ७ हजार माध्यमिक शिक्षक सदस्य हैं। इस संस्था का उद्देश्य सहायक अध्यापकों की दशा में तथा शिक्षा में सुधार करना है। यह संस्था प्रधान अध्यापकों के हितों के भी प्रतिकूल नहीं है। दूसरी संस्था है माध्यमिक शिक्षा संघ (U. P. S. E. A.)। यह संस्था सरकार द्वारा मान्य

है। प्रायः माध्यमिक शिक्षकों में यह धारणा है कि इसका अस्तित्व केवल सरकारी नीतियों का वहन करना और शिक्षकों के आन्दोलनों को असफल करना है। कुछ समय पूर्व यह संस्था कुछ ऐसे प्रतिक्रियावादी प्रधानाध्यापकों के अधिकार में पहुँच गई थी जिन्होंने अपने स्वयं के हित के लिये संस्था के नाम का दुरुपयोग किया। हो सकता है कि माध्यमिक शिक्षकों की उपयुक्त धारणा कुछ अतिरंजित हो। तीसरा संगठन है राजकीय माध्यमिक शिक्षकों का 'यू० पी० नॉन गजटेड-एज्यूकेशनल ऑफीसर्स-असोसिएशन' (N. G. E. O. A.) जो कि सरकार द्वारा मान्य व संरक्षित है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विकास के पथ पर है। सरकार इसके महत्त्व को भली भाँति समझती है। वर्तमान शिक्षामंत्री माननीय श्री हरिगोविन्द सिंह ने जौलाई में प्रथम संदेश रेडियो पर विस्तारित करते हुए कहा था कि, "माध्यमिक शिक्षा वास्तव में जीवन के लिये तैयारी करना है, हमारे सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक ढाँचे का यह मुख्य अंग है। अतएव हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि वैकल्पिक विषयों के समावेश के साथ विद्यार्थियों की अभिरुचि का ध्यान भी रक्खा जाय। अतः माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों के लिये स्थान रहना चाहिये।"

उच्च शिक्षा :—उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ा हुआ है। यहाँ अन्य प्रान्तों की अपेक्षा सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं। यहाँ विश्वविद्यालयों की संख्या ६ है : इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, अलीगढ़, आगरा तथा रुड़की। इनके अतिरिक्त गोरखपुर में ग्राम्य विश्वविद्यालय के निर्माण की योजना प्रगति-पथ पर है। प्रान्त में बहुत से कला, विज्ञान तथा वाणिज्य के कालेज हैं जो प्रमुखतः आगरा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हैं। आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, लखनावटी तथा शिकोहाबाद में कृषि कालेज हैं। देहरादून में बन-विज्ञान शिक्षा केन्द्र तथा कानपुर में हारकोर्ट बटलर टैकनालॉजिकल इन्स्टीट्यूट है। ट्रेनिंग कालेजों का उल्लेख भी उच्च शिक्षा के अन्तर्गत आता है। इंजिनियरिंग में बनारस भी एक प्रमुख केन्द्र है। इसके अतिरिक्त कुछ गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाएँ जैसे गुरुकुल कांगड़ी, संस्कृत कालेज, बनारस, काशीविद्यापीठ, सभित्य सम्मेलन प्रयाग, महिला-विद्यापीठ प्रयाग, लखनऊ संगीत विद्यापीठ तथा दादल उल्लूम ब्राजमगढ़ इत्यादि हैं। प्रांत में इस समय ३८ डिग्री कालेज हैं जिनमें ३ लड़कियों के लिए हैं। इनके अतिरिक्त २०० अरबी भाषा के मदरसे, ३६ ऐंगलो इंडियन तथा योरूनीयों के लिए शिक्षालय, १४४० संस्कृत पाठशालाएँ तथा ११ अंधे, गूंगे-बहिरों के स्कूल भी हैं।

उत्तर-प्रदेशीय सरकार की कुछ नवीन शिक्षा संस्थाएँ व योजनाएँ भी हैं :—

१. मनोविज्ञान ब्यूरो, इलाहाबाद ।
२. राजकीय केन्द्रीय पैडागोजिल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद ।
३. राजकीय रचनात्मक कालेज, इलाहाबाद ।
४. राजकीय महिला गृह-विज्ञान कालेज, इलाहाबाद ।
५. राजकीय फिजीकल ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद ।
६. राजकीय नर्सरी कालेज, इलाहाबाद ।
७. प्रांतीय एज्युकेशनल कोर (P. E. C.)
८. भारत सरकार की नेशनल कैंडिड कोर (N.C.C.)
९. आत्म निर्भर योजना (Self Help Squad)
१०. स्कूलों में बनाए गए पदार्थों की विक्री की योजना ।
११. प्रांतीय सामाजिक सेवा योजना (P.S.S.)—यह योजना १० जिलों के ११ कालेजों में है ।

सन् १९५२-५३ ई० के बजट में उत्तर प्रदेशीय सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये ३६,१४,१०० रु० तथा कला महाविद्यालयों के लिये ६०,००० रु० की व्यवस्था की है । इसमें से इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसमें ५ हजार विद्यार्थी हैं १३.५५ लाख रु०; बनारस जिसमें ६ हजार विद्यार्थी हैं १.५ लाख रु०; अलीगढ़-३८०० विद्यार्थी, १.४ लाख रुपये; आगरा-१० हजार विद्यार्थी, ६२.५ हजार रु०; लखनऊ-५००० विद्यार्थी, १३ लाख रुपये के अनुदान इस वर्ष दिये जायंगे । गत वर्ष सन् १९५१ ई० में लखनऊ, इलाहाबाद तथा आगरा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये साठ-साठ रुपये की १०० छात्रवृत्तियों की व्यवस्था भी थी किन्तु इस वर्ष के बजट में यह संख्या न्यून कर दी गई है । सन् १९५१ ई० में इसके अतिरिक्त १३ लाख रुपया पिछड़ी हुई जातियों की शिक्षा के लिये, १२ हजार रुपया शरणार्थियों के बालकों की शिक्षा के लिये तथा ६ लाख रुपया २२,००० विद्यार्थियों की सैनिक शिक्षा के लिये भी व्यय किया गया ।

इस प्रकार संक्षेप में देखने से प्रतीत होता है कि उत्तर-प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में भली प्रकार प्रगति-पथ पर है । सरकार का व्यय शिक्षा पर उत्तरोत्तर बढ़ रहा है । सन् १९४६-४७ ई० में यह २,५७,४६,००० रु० से बढ़ कर सन् १९५१-५२ ई० में ७.३७ करोड़ तथा सन् १९५२-५३ ई० के बजट में ८,११,१२,८०० रु० रहा है किन्तु राज्य की शिक्षा आवश्यकताओं के देखते हुए यह धनराशि अपर्याप्त है । सरकार ने इस बजट में छात्रवृत्ति के लिये ७ लाख रुपया लड़कों तथा १ लाख ३७ हजार रुपया लड़कियों के लिये भी व्यवस्था की

है। राज्य में इस समय ५५ डिग्री कालेज स्थित हैं। सम्पूर्ण विद्यार्थियों की संख्या सन् १९४६ ई० में २० लाख से सन् १९५२ ई० में ३२ लाख हो गई है। शिक्षकों की संख्या ७५ हजार पुरुष और ६५०० महिलायें हैं। हिन्दुस्तानी मिडिल और एंग्लो हिन्दुस्तानी मिडिल का भेद मिटा दिया गया है। संस्कृत कालेज बनारस को विश्वविद्यालय बना दिया गया है। इस राज्य में औद्योगिक तथा टैक्निकल-शिक्षा, प्रौढ़-शिक्षा तथा स्त्री-शिक्षा का विस्तृत वर्णन प्रसंगानुसार अन्य स्थानों पर किया जा चुका है। इस प्रकार सम्पूर्ण राज्य में शिक्षा क्षेत्र में बहुमुखी उन्नति हो रही है और उत्तर प्रदेश भारत के अन्य प्रगतिशील राज्यों से इस दिशा में किसी भी प्रकार पिछड़ा हुआ नहीं है तथा सम्पूर्ण राष्ट्र तथा मानव-जाति की समृद्धि में पूर्णयोग दे रहा है।

उत्संहार

इस प्रकार देश में शिक्षा की बहुमुखी उन्नति हो रही है। प्रत्येक राज्य अपनी शिक्षा योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार निर्मित नवीन जन-प्रिय सरकारों में पर्याप्त उत्साह है, किन्तु योजना-बौद्धिक व विशेषज्ञता का अभाव है। शिक्षा का विस्तार अक्षय द्रुतगति से होता जा रहा है किन्तु उसके अन्दर मौलिकता व नवीनता का अभाव है। वास्तव में इस समय एक अखिल भारतीय आधार पर देशव्यापी शिक्षा नीति की आवश्यकता है। दूमरे, हमें पाश्चात्य देशों का ही आँख मॉच कर अनुकरण नहीं करना है। हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक तथा औद्योगिक समस्याएँ पश्चिमी देशों से बहु कुछ भिन्न हैं अतः अपने देश व काल के अनुरूप हमें एक स्वतंत्र व उपयुक्त शिक्षा नीति की आवश्यकता है। जब तक पाठ्यक्रम तथा शिक्षणविधि में क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं होगा, कल्याण की आशा करना व्यर्थ है। अंग्रेजों द्वारा भिन्न आदर्शों और उद्देश्यों से प्रेरित होकर चलाई हुई शिक्षा नीति आज के स्वाधीन भारत में व्यर्थ हो चुकी है अतः उन्हीं पदचिन्हों पर चलना आज श्रेयस्कर प्रतीत नहीं होता।

सरकार के अतिरिक्त भारतीय जनता में भी शिक्षा के प्रति विशेष अनुराग प्रतीत नहीं होता। शिक्षा सम्बन्धी समस्याएँ जैसे संगठन, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, व्यय तथा विकास इत्यादि सभी को जनता ने सरकार के ऊपर छोड़ रखा है। एक अवतन्त्र राष्ट्र के नागरिकों में जिस उत्साह, मौलिकता तथा त्याग की भावना शिक्षा के लिये बाँझनीय है उसका इस समय इस देश में नितान्त अभाव है। जबकि देश की ८५ प्रतिशत जनता अज्ञान-अन्धकार में टटोल रही हो तो फिर उससे किसी अधिक सहयोग, सुभाव और उदारता की आशा ही क्या की जा सकती है ?

किन्तु समय आ गया है कि देश को इन दुर्बलताओं से ऊंचे उठकर भावी राष्ट्र-निर्माण के लिये एक उच्च कोटि की शिक्षा-प्रणाली का संगठन करना है। भारत की भावी समृद्धि, शौर्य और स्वतन्त्रता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर होगी कि हम वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा का संगठन करते हैं और तभी हम राष्ट्र का कल्याण तथा विश्व का नेतृत्व कर सकेंगे।

१६वां अध्याय भारत में प्रौढ़-शिक्षा

भूमिका

यह बात सर्वविदित है कि भारत में केवल १५ प्रतिशत साक्षरता है और ८५ प्रतिशत जन समूह निरक्षरता व अज्ञान अंधकार में डूबा हुआ है। भारत की बदलती हुई राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में जनता की यह विशाल निरक्षरता एक दुरूह रोढ़े के समान अटकती हुई है। स्वतन्त्रता के उपरान्त भारत विश्व में जनतन्त्र का एक महान परीक्षण कर रहा है। किन्तु अशिक्षित जन-समूह के जनतन्त्र, सामाजिकन्याय तथा राजनैतिक उत्तरदायित्व इत्यादि के उच्च-सिद्धान्तों को समझने तथा उनकी सराहना करने में असमर्थ होने के कारण, जनतन्त्र के परीक्षण की सफलता ही संदिग्ध है। जब तक देश का मतदाता और करदाता अपने मत और कर का मूल्य नहीं समझता है, हमारा जनतन्त्र एक धोखा है। अयोग्य व अशिक्षित व्यक्तियों के हाथों इसका दुरुपयोग होने का भय है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि भारत में कोई भी राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सुधार करने के साथ ही साथ इनके लिये उपयुक्त भूमि तैयार कर ली जाय। प्रौढ़ शिक्षा इसका एक शक्तिशाली साधन है।

मूल सिद्धान्त

प्रौढ़-शिक्षा का अर्थ आधुनिक युग में बदलता जा रहा है। कुछ समय पूर्व प्रौढ़शिक्षा से तात्पर्य 'साक्षरता' से ही था। किन्तु साक्षरता को हम शिक्षा नहीं कह सकते यद्यपि यह शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्त करने की कुञ्जी है। साक्षरता के द्वारा शिक्षा-द्वार उन्मुक्त हो जाता है जिसमें प्रवेश करके मनुष्य ज्ञान मन्दिर तक पहुँचता है। जब तक समाज में अशिक्षा व अज्ञान है, शोषण का उन्मूलन नहीं हो सकता। इस शोषण से निर्धनता और निर्धनता से पुनः अज्ञान और संकट की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार यह कुचक्र चलता ही रहता है और ऐसी अवस्था में सामाजिकन्याय तथा जनतंत्र की सभी सद्भावनाओं का लोप हो जाता है। जनतंत्र की सफलता मतदाताओं के एक ऐसे समाज पर निर्भर है जोकि बुद्धिमान हो तथा जनतंत्र के उद्देश्यों को समझने में समर्थ हो।

अमेरिका के एक प्रौढ़शिक्षा-विशेषज्ञ, श्री पॉल वर्जीविन के अनुसार "जनतंत्र ऐसे बुद्धिमान तथा सदा जागरूक नागरिकों पर निर्भर है जोकि राजनैतिक धूर्तों को पहिचानने की क्षमता रखते हों, अपने स्वयं तथा अन्य नागरिकों के हित में विचारों का उचित निर्णय तथा मूल्यांकन करने का विवेक रखते हों; इस बात को समझने की क्षमता रखते हों कि समाज में निरंतर ऐसी शक्तियाँ कार्यशील रहती हैं जिनके

पास दिखाने को कुछ एवं देने को कुछ और है तथा (ऐसे नागरिक) अपने विरोधियों के अधिकारों का आदर करते हुए अपने निजी विचार व्यक्त करने की कुशलता भी रखते हों।”^१

इस प्रकार प्रौढ़शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिये वयस्कों को कुछ समय के लिये ही केवल पुस्तकीय ज्ञान देना पर्याप्त नहीं होगा। वास्तव में शिक्षा तो एक निरन्तर धारा है। मनुष्य जीवन भर अनायास ही ज्ञान प्राप्त करता रहता है। अतः प्रौढ़शिक्षा की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिये सुसंगठित और स्थायी व्यवस्था की आवश्यकता है। केवल पवित्र भावनायें और उच्च-शब्दावली, जैसा कि भारत में अब तक प्रौढ़शिक्षा-क्षेत्र में रहा है, इस महान कार्य के लिये पर्याप्त नहीं है। वास्तविक शिक्षा के लिये प्रौढ़ों को साधारण तथा विशेष अथवा औद्योगिक ज्ञान के प्राप्त करने के लिये निरन्तर सुअवसर मिलना चाहिये। इसके लिये प्रथमतः उनके समक्ष उन विषयों का अध्ययन रखना चाहिये जोकि उनके स्वयं से सम्बन्धित हों। इन विषयों के प्रस्तुत करने का आकर्षक ढंग उन्हें शिक्षा के मूलभूत लाभों की ओर आकर्षित कर सकता है। इसके उपरान्त ज्ञानक्षितिज के विकसित होने पर ही वह स्वभावतः अपने समीपवर्ती वातावरण को समझने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार उनकी शिक्षा में एक स्वाभाविक प्रगति हो सकेगी।

इस विषय में एक बात और आवश्यक है : वह यह कि यदि हम प्रौढ़शिक्षा को केवल किसी सामयिक अथवा अल्पकालीन समस्या का मुकाबिला करने के लिये ही संगठित करना चाहते हैं तो हमें मनोवांछित सफलता नहीं मिल सकती है। दुर्भाग्य से भारत का समाज अनेक दोषों में जकड़ा हुआ है, ऐसी अवस्था में प्रत्येक बुराई का उन्मूलन करने के लिये प्रौढ़शिक्षा के क्षणिक नुस्खे केवल शक्ति और प्रयास का दुरुपयोग मात्र हैं। वस्तुतः प्रौढ़शिक्षा एक ऐसी निरन्तर पद्धति के रूप में विकसित होनी चाहिये जिससे जनसाधारण का सर्वाङ्गीण व स्थायी विकास हो। भारत में कुछ उत्साही तथाकथित सुधारकों के लिये प्रौढ़शिक्षा की इतिश्री केवल इसी प्रयास में हो जाती है कि कुछ निरक्षर व्यक्ति, विना वर्णमाला के समझे हुए ही, केवल कुछ घंटों में अपने हस्ताक्षर मात्र कर लें! इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रौढ़शिक्षा का यह उद्देश्य अत्यंत अपर्याप्त, संकीर्ण व हास्यास्पद है। गत तीन दशकों का अनुभव इस दिशा में यह बतलाता है कि प्रौढ़शिक्षा के लिये किये गये ऐसे सभी आन्दोलन क्षणिक सिद्ध हुए हैं; और इस प्रकार शिक्षित किये गये वयस्क भी उस हस्ताक्षर ज्ञान से किसी प्रकार भी लाभान्वित नहीं हो सके हैं फलतः अन्त में पुनः निरक्षर बन गये हैं।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि प्रौढ़शिक्षा की कोई भी योजना हो, उसमें कम से कम प्रौढ़ के सामाजिक-विकास, नागरिकता, सांस्कृतिक विकास तथा औद्योगिक-प्रशिक्षण की परिपक्वता को अवश्य दृष्टिगत रखना होगा। प्रौढ़शिक्षा की योजनाओं को राजनैतिक सुअवसर के शोषण के लिये लागू करना एक अत्यंत ही भयानक बुराई है, किन्तु दुर्भाग्य से वर्तमान में हमारे देश में अब तक इसका उपयोग अधिकांश में इसी दिशा में किया जा रहा है। राजकीय आधार पर अथवा समाजसुधारकों के संगठित और पूर्णनियोजित कार्यक्रम के रूप में प्रौढ़शिक्षा का आन्दोलन हमारे देश में अभी तक नहीं चलाया गया है। और यह बात निर्विवाद सत्य है कि जब तक प्रौढ़शिक्षा के लिये विशाल स्तर पर आन्दोलन नहीं छेड़ा जायगा तथा जब तक राज्य के द्वारा इस ओर क्रियात्मक कदम नहीं उठाये जायेंगे, प्रौढ़शिक्षा हमारे देश के लिये एक पवित्र आशा ही बनी रहेगी; और अपने देश के अपार जन-समूह को शिक्षित करने के लिये हमें अनंतकाल तक प्रतीक्षा करना पड़ेगी।

अन्त में प्रौढ़शिक्षा के लिये भारत में किये गये प्रयत्नों का क्रमिक इतिहास देने से पूर्व यह कहना आवश्यक है कि जनतंत्र के लिये प्रौढ़शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों के सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक तथा शारीरिक ज्ञान की क्षितिज का विकसित करना होना चाहिये जिससे कि देश में सुखी व स्वस्थ नागरिक, बुद्धिमान मतदाता तथा कुशल कारीगर व कलाकार स्थायी रूप से उत्पन्न हो सकें।

भारत में प्रगति

यह आश्चर्य की बात है कि प्रौढ़शिक्षा का आन्दोलन भारत जैसे देश में जहाँ इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, बहुत देर से प्रारम्भ हुआ। प्रत्येक आधुनिक सभ्य देश में इस ओर आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। रूस, अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, कैंनेडा तथा डैनमार्क इत्यादि देशों ने प्रौढ़शिक्षा के लिये सराहनीय प्रयत्न किये हैं। वहाँ कारखानों तथा खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये, किसानों तथा अन्य नोकरी पेशे वाले स्त्री व पुरुषों के लिये न केवल साक्षरता की ही सुविधा है, अपितु उनके उच्च सम्बन्धी उच्च-औद्योगिक ज्ञान, व्यापार, साहित्य, विज्ञान तथा कला इत्यादि के अध्ययन की भी व्यवस्था है। जो लोग विद्यार्थी जीवन में किसी प्रकार स्कूल तथा कालेज को छोड़ने को विवश हो गये अथवा तत्सम्बन्धी शिक्षा से वंचित रहे, प्रौढ़शिक्षा केन्द्रों, रात्रिपाठशालाओं, रविवार स्कूल, पूर्वानुबन्ध स्कूलों (Continuation Schools) तथा विश्वविद्यालय-प्रसार कक्षाओं (University extension classes) के रूप में निशुल्क तथा कहीं २ अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लगभग ३ करोड़ प्रौढ़ इस समय शिक्षा के द्वारा आत्मविकास का सुअवसर पा रहे हैं। वहाँ पब्लिक स्कूल तथा विश्वविद्यालयों

में रात्रिकक्षाएँ खुली हुई हैं जहाँ सहस्रों प्रौढ़, परिवारों के बड़े-बूढ़े व्यक्ति तथा अन्य वयस्क, जो कि अपनी सांस्कृतिक उन्नति तथा जीवन में अपनी दशा में सुधार करने के इच्छुक हैं, ज्ञान तथा कुशलता प्राप्ति के लिये अध्ययन करते हैं। अकेले पब्लिक स्कूलों में ही लगभग ३० लाख प्रौढ़ शिक्षा पाते हैं।

अमेरिका में साधारण शिक्षा तथा विशेष व्यवसायिक शिक्षा ऐसे श्रमिकों को भी उपलब्ध है जो विभिन्न उद्योग-धंधों और कारखानों में काम करते हैं। वहाँ लगभग ३५० ऐसे डाक-स्कूल (Correspondence School) हैं जिनमें डाक द्वारा लगभग ७,५०,००० प्रौढ़ शिक्षा पाते हैं। इनके अतिरिक्त लगभग ४२ राजकीय विश्वविद्यालय तथा कालेज भी डाक द्वारा प्रौढ़ों को शिक्षा देते हैं।

इसके अतिरिक्त विदेशों से आने वाले अप्रवासियों (immigrants) के लिये बहुत से बड़े नगरों में विशेष कक्षाएँ लगती हैं, जहाँ उन्हें शीघ्र ही अंग्रेजी भाषा सीखने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है जिससे वे नागरिकता के लाभों को उपलब्ध कर सकें और साथ ही उसके उत्तरदायित्वों को सराहना भी कर सकें।

अमेरिका में 'जनशिक्षालय भवन' (Public School House) भी हैं जहाँ समाज के सभी व्यक्ति एकत्रित होते हैं। इन स्थानों पर प्रायः प्रौढ़शिक्षा-कार्यों के अतिरिक्त अभिभावक व शिक्षक संघों (Parent-Teachers Associations) तथा अन्य नागरिकों की सभाएँ होती हैं। इस प्रकार इधर कई वर्षों में अमेरिका में जनता का प्रौढ़शिक्षा की ओर ध्यान भी बढ़ता ही जा रहा है।^१

इस प्रकार प्रगतिशील देशों के समस्त प्रौढ़शिक्षा क्षेत्र में भारत का उदाहरण अत्यंत खेदजनक है। तथापि इस दिशा में किये गये प्रयत्नों का हम संक्षेप में उल्लेख करते हैं।

प्रारम्भिक प्रयास

२० वीं शताब्दि के प्रारम्भिक दो दशकों में प्रौढ़शिक्षा क्षेत्र में कोई भी उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया गया। कुछ रात्रिपाठशालायें अवश्य कहीं-कहीं स्थापित थीं, किन्तु उनमें बालक भी पढ़ते थे। उनकी स्थापना केवल प्रौढ़शिक्षा के लिये ही नहीं हुई थी। "यह शिक्षालय प्रधानतः ऐसे बच्चों को अर्धसामयिक शिक्षा देने के प्रयास मात्र थे जो कि आर्थिक कारणों से मजदूरी करने को विवश थे; तथा साथ ही इन स्कूलों में वयस्कों को भी प्रविष्ट किया जाता था।" मद्रास, बंगाल और बम्बई प्रान्तों में ही यह रात्रिपाठशाला-आन्दोलन चला। सन् १९०९ ई० में मद्रास में ७७५, बंगाल में १,०८२ तथा बम्बई में १०७ ऐसी पाठशालायें थीं। आगे चलकर यह संख्या और घट गई। सन् १९१२ ई० में जाकर जब कि प्रान्तों को कुछ अधिकार मिले तथा साथ ही जनता के चुने हुए

प्रतिनिधियों के धारा सभा में जाने की व्यवस्था हुई, उस समय प्रौढ़शिक्षा के महत्त्व को समझा गया। जनता को मताधिकार मिलने के उपरान्त इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि उसका सदुपयोग भी हो। भारत के जनसाधारण के अशिक्षित होने के कारण अब राजनीतिज्ञों, सुधारकों तथा सरकार का ध्यान प्रौढ़शिक्षा के महत्त्वपूर्ण प्रश्न की ओर आकर्षित हुआ।

“कुछ प्रान्तों में इस प्रश्न पर गंभीर चिन्तन हुआ तथा कुछ संगठित प्रयास भी हुए। सन् १९२१ ई० में संयुक्त प्रान्त में सरकार ने ६ नगरपालिकाओं को प्रौढ़शिक्षा के लिये रात्रिपाठशालायें खोलने के लिये आर्थिक सहायता दी।पंजाब में १०० से अधिक रात्रिपाठशालायें खोली गईं। यह संस्थाएँ प्रधानतः गाँवों में सहकारी समितियों द्वारा संचालित थीं।.....बम्बई में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है।.....इन स्कूलों का संचालन शिक्षा विभाग के द्वारा और निरीक्षण विशेष निरीक्षकों द्वारा होता है। बम्बई की यह रात्रिपाठशालायें गृही-पाठशालायें हैं जो एक केन्द्र पर दो वर्ष तक रहती हैं।”^१ इसी प्रकार के प्रयास मध्यप्रान्त, बंगाल तथा मद्रास में हुए। किन्तु कोई ऐसा आन्दोलन न छेड़ा गया जोकि इस देश व्यापी बुराई की जड़ पर सामूहिक रूप से कुठाराघात करता।

सन् १९२१ ई० से स्वतंत्रता-प्राप्ति तक प्रौढ़शिक्षा

सन् १९१९ ई० के भारतीय शासन विधान के अनुसार प्रान्तों में शिक्षा जन-प्रतिनिधि मंत्रियों के अधिकार में आ गई; परिणामतः प्रौढ़शिक्षा के प्रसार के लिये सराहनीय उद्योग किये गये। पंजाब, मद्रास, बम्बई, तथा उत्तर-प्रदेश इस दृष्टिकोण से प्रमुख हैं। सन् १९२७ ई० में पंजाब में ३७८४, मद्रास में ५६०४, बम्बई में १९३ तथा बंगाल में १५१९ प्रौढ़शिक्षा स्कूल स्थित थे। किन्तु १९२९ ई० के उपरान्त आने वाली आर्थिक मंदी ने अन्य जनोपयोगी योजनाओं के साथ-साथ प्रौढ़शिक्षा पर भी अपना प्रभाव डाला और धनाभाव में सन् १९३७ ई० तक बहुत से प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र तथा रात्रिपाठशालायें बन्द हो गए। यद्यपि परिमाण की दृष्टि से क्षेत्र में इस समय तक बहुत कम कार्य हुआ था, किन्तु इसका महत्त्व अधिक था।

सन् १९३७ ई० के उपरान्त इस समस्या की ओर देश का ध्यान विशेष रूप से गया। सन् १९३५ ई० विधान के अनुसार प्रान्तों में स्वायत्त शासन की स्थापना हो चुकी थी। अधिकतर प्रान्तों में कांग्रेस मंत्रि-मंडलों के बन जाने से प्रौढ़शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन मिला। इन नवनिर्मित मंत्रिमंडलों की सकलता के लिये आवश्यक था कि देश के नागरिक शिक्षित हों और सरकार की योजनाओं तथा अपने अधिकार और उत्तरदायों को समझें। अतः प्रान्तीय सरकारों ने सामूहिक रूप

1. Quinquennial Review of The Progress of Education in India, 1912-17. para 292.

से संगठित प्रयास प्रौढ़शिक्षा क्षेत्र में प्रारम्भ कर दिये। जनता ने भी इन प्रयत्नों की सराहना की और उत्साह पूर्वक साक्षरता आन्दोलन में भाग लिया।

इस प्रकार सन् १९३९-४० ई० में साक्षरता का बहुत प्रसार हुआ। 'हर व्यक्ति एक को पढ़ावे' (Each one teach one) का नारा भी उठाया गया। पंजाब में 'पढ़ो और पढ़ाओ' का नारा भी प्रयोग किया गया। सन् १९३९-४० ई० में पंजाब में साक्षरता आन्दोलन बढ़े उत्साह से प्रारम्भ किया गया और प्रान्तीय सरकार ने अपनी प्रथम पंचसाला योजना के लिये २८,८०० रु० का अनुदान स्वीकृत किया। पुराने प्रौढ़शिक्षा केन्द्रों को सहायता दी गई तथा बहुत से नवीन स्कूल खुले। उस समय इन स्कूलों की संख्या २०१ हो गई। इनके अतिरिक्त स्वयंसेवकों ने गाँवों, तहसीलों तथा जिलों में लॉबाक-प्रणाली से भी प्रौढ़शिक्षा का प्रसार किया।

आसाम प्रांत में जन-साक्षरता-अफसर के अन्तर्गत एक प्रौढ़ शिक्षा विभाग खोल दिया गया। सन् १९४१ ई० में वहाँ साक्षरता प्राप्त प्रौढ़ों के लिये उत्तर-साक्षरता पाठ्यक्रम तैयार किया गया और आसाम घाटी में १२०० अध्ययन केन्द्र स्थापित किये। यहाँ आवश्यक रीडरें, पुस्तकें, तथा समाचार-पत्रों इत्यादि के शिक्षण व वितरण की व्यवस्था की गई।

उड़ीसा में १९४०-४१ ई० में ४२५ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित किये गये जिनमें ८,१४७ व्यक्तियों ने साक्षरता प्राप्त की। इससे अधिक वहाँ यह आन्दोलन सफल न हो सका।

बम्बई में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल ने प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। १९३७ ई० में यहाँ सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा का प्रान्तीय बोर्ड स्थापित किया। प्रौढ़ शिक्षा के लिये यहाँ सहायता-अनुदान प्रथा को भी लागू किया गया और उदारता पूर्वक आर्थिक सहायता दी गई। सन् १९४२-४३ ई० में ५० हजार रुपये गाँवों के लिये अलग व्यय किया गया। सन् १९४५ ई० में कुछ चुने हुये स्थानों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने की व्यवस्था की गई और निश्चय किया गया कि ९४०० रु० वार्षिक व्यय के आधार पर प्रत्येक केन्द्र में प्रतिवर्ष १००० व्यक्ति साक्षर किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त बम्बई नगर में भी इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई। वहाँ प्रक 'प्रौढ़ शिक्षा समिति' की स्थापना हुई। सन् १९४०-४१ ई० में इस समिति ने मराठी, गुजराती, हिन्दी, कनाड़ी, तैलगू तथा तामिल के १,१४० कक्षा खोले जिनमें १६ हजार पुरुष और ५ हजार स्त्रियाँ शिक्षा पाती थीं। इसके अतिरिक्त कुछ मिल मजदूरों के क्षेत्रों में भी प्रौढ़ शिक्षा प्रसार का कार्य किया गया।

बिहार प्रांत में सैयद महमूद के नेत्रत्व में प्रौढ़ शिक्षा आन्दोलन ने अच्छी प्रगति की। वहाँ प्रान्तीय जनशिक्षा समिति की स्थापना हुई। स्वयं सेवकों ने यहाँ

‘अपना घर साक्षर बनाओ’ का आन्दोलन भी चलाया और सन् १९४१-४२ ई० में २४, २८९ प्रौढ़ साक्षर किये। इसके अतिरिक्त १९४२-४३ ई० में एक लाख ११ हजार प्रौढ़ों ने उत्तर-साक्षरता कोर्स पास किया। बिहार के प्रौढ़-शिक्षा आन्दोलन की यह विशेषता रही कि युद्धकाल में भी यह जारी रहा और प्रतिवर्ष २ लाख प्रौढ़ साक्षर होते रहे। सन् १९४६ ई० में पुनः कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पर इस कार्य को उत्साहपूर्वक उठा लिया गया। आचार्य बद्रीनाथ वर्मा, शिक्षा-मंत्री के नेतृत्व में यह आन्दोलन जोर पकड़ता जा रहा है।

बंगाल प्रान्त में प्रौढ़ शिक्षा ग्राम्य-निर्माण विभाग को सौंप दी गई। इस दिशा में बंगाल में भी अच्छी प्रगति हुई। इस प्रान्त में कृषकों में प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार अधिक सफलतापूर्वक किया गया। यहां पाठ्यक्रम में कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य रक्षा, सहकारिता इत्यादि विषय सम्मिलित किये गये तथा प्रति विषय के लिये विभिन्न अधिकारी नियुक्त कर दिये गये।

उत्तर-प्रदेश में भी प्रौढ़ शिक्षा के लिये सराहनीय कार्य हुआ। सन् १९३७ ई० में नये मंत्रिमंडल ने इस कार्य को बड़े उत्साह से प्रारम्भ किया। नये केन्द्र, पुस्तकालय तथा वाचनालय गांवों में खोले गये। असंख्य रात्रि पाठशालायें खोली गईं तथा प्रतिवर्ष साक्षरता सप्ताह मनाया जाने लगा। सन् १९३० ई० में इस प्रान्त में प्रौढ़ शिक्षा विभाग की स्थापना हो गई थी जिसने आगामी वर्षों में संतोषजनक कार्य किया।

इन प्रान्तों के अतिरिक्त सिन्ध प्रान्त तथा अन्य देशी रियासतों में भी प्रौढ़-शिक्षा के लिये कार्य हुआ। मैसूर में ‘मैसूर राज्य साक्षरता परिषद’ ने अत्यन्त ही उत्साह से कार्य किया है। इसके अतिरिक्त मैसूर विश्वविद्यालय ने भी समाज-शिक्षा में अद्वितीय योग दिया है। जम्मू तथा काश्मीर राज्य में सन् १९४२-४३ ई० में ४,०५० प्रौढ़ शिक्षा-केन्द्र खोले गये तथा २८ हजार व्यक्तियों को साक्षर किया गया। उसी वर्ष वहां ४८० प्रौढ़ शिक्षा पुस्तकालय भी खोले गये जिनमें ३०० पुस्तकालय गांवों में स्थित थे। इन राज्यों के अतिरिक्त बड़ौदा तथा द्रावणकोर अन्य राज्य हैं जहाँ साक्षरता का प्रतिशत ब्रिटिश-भारत के प्रान्तों से भी अधिक था। पहाड़ी क्षेत्रों, हरिजनों, तथा आदिवासियों में भी साक्षरता प्रसार की चेष्टा की गई।

इस प्रयत्न के अतिरिक्त कुछ व्यक्तिगत जनसेवी संस्थाओं जैसे ‘तरुण ईसाई संघ’ (Y.M.C.A.), ‘सर्वेंट ऑव इन्डिया सोसाइटी’ तथा ‘बम्बई साक्षरता-संघ और ‘साक्षरता प्रसार मंडल’ इत्यादि संस्थाओं ने भी प्रौढ़ शिक्षा आन्दोलन को प्रगति दी। सार्जेंट शिक्षा योजना के प्रकाशन ने युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना में प्रौढ़ शिक्षा के लिये एक अत्यन्त प्रभावोत्पादक योजना रक्खी किन्तु वह नियोजित

न हो सकी। भारतीय साक्षरता आन्दोलन का कोई भी विवरण डा० फ्रैंक लॉबाक का उल्लेख किये बिना पूर्ण नहीं हो सकता। डा० लॉबाक अमेरिका निवासी एक परमार्थी सज्जन थे। फिलीपाइन द्वीपसमूह में प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र में इन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया था। सन् १९३५ ई० तथा पुनः १९३७ ई० में यह भारत आये। उन्होंने मराठी, हिन्दी, तामिल, तैलगू, बंगाली तथा गुजराती भाषाओं में सुविधाजनक चार्ट तैयार किये। डा० लॉबाक ने इन भाषाओं को प्रथमतः चार या पांच स्वरों तथा १३ व्यंजनों में छाँट लिया। फिर ५ ऐसे मूल-अक्षरों को ज्ञात किया जिनसे वर्णमाला के सभी अन्य अक्षर बन जाते थे। इस प्रकार इन्होंने अल्प समय में ही प्रौढ़ों को साक्षर बनाने की विधि ज्ञात कर ली। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ उपयोगी पुस्तकें तथा समाचार पत्र भी वयस्कों की शिक्षा के लिये निकाले। डा० लॉबाक की पद्धति का कई प्रान्तों में अनुकरण किया गया।

इस प्रकार भारतीय प्रौढ़शिक्षा क्षेत्र में दूसरा युग समाप्त होता है। भारत के स्वतंत्र होने पर इस क्षेत्र में और भी अधिक प्रगति हुई है। सन् १९२१-४७ ई० तक के अनुभव ने प्रौढ़शिक्षा की बहुत-सी समस्याओं को स्पष्ट रूप से लाकर सम्मुख रख दिया। इस काल में यह भली भाँति विदित हो गया कि प्रौढ़ों की शिक्षा का क्या गुरुत्व है, उनके लिये कैसे साहित्य तथा साधनों की आवश्यकता है तथा किस विधि का अनुकरण उपादेय होगा इत्यादि इत्यादि। यह बात भी ठीक प्रकार से विदित हो गई कि प्रौढ़शिक्षा के लिये केवल साक्षरता ही पर्याप्त नहीं है, अपितु साक्षरों के ज्ञान को बनाये रखना भी आवश्यक है इसके लिये ऐसे केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता है जहाँ साक्षर प्रौढ़ों को अपने ज्ञान को बढ़ाने का सुअवसर उपलब्ध हो सके।

स्वतंत्रता के उपरान्त प्रौढ़ शिक्षा

भारत के स्वाधीनहोने पर जहाँ सम्पूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई वहाँ प्रौढ़ शिक्षा ने भी आशाजनक उन्नति की। प्रौढ़ शिक्षा को सामाजिकशिक्षा (Social Education) समझ लिया गया जिसका उद्देश्य प्रौढ़ नर-नारियों को योग्य नागरिक बनाना तथा उनके जीवन को हर प्रकार से पूर्ण बनाना है। आज मताधिकार के महत्त्व को देखते हुए भारत में प्रौढ़शिक्षा की समस्या एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण समस्या बन गई है जिसके उपर देश की वर्तमान प्रगति तथा भविष्य का निर्माण अवलम्बित है। भारत के ३१ करोड़ निरक्षर देश के लिये एक चुनौती है जिसका आज ही हल हो जाना चाहिये अन्यथा भारत का जनतंत्र एक बहुत बड़ा उदास मात्र बनकर विश्व के समक्ष अपने महत्त्व को खो बैठेगा।

भारत सरकार ने प्रौढ़शिक्षा को निम्नलिखित रूपों में स्वीकार किया है :—^१

1. Basic and Social Education. Pamphlet No .58. (Ministry of Education, India).

- (अ) वयस्क निरक्षरों में साक्षरता का प्रसार;
- (ब) साहित्यिक शिक्षा के अभाव में जनसमूह में एक शिक्षित मस्तिष्क उत्पन्न करना; तथा
- (स) व्यक्तिगत रूप से एवं एक शक्तिशाली राष्ट्र के सदस्य के रूप से प्रौढ़ में नागरिकता के अधिकार और कर्तव्यों का जागृत-ज्ञान उत्पन्न करना ।

प्रौढ़शिक्षा का ही दूसरा नाम सामाजिक शिक्षा दे दिया गया है किन्तु इसमें उपर्युक्त (ब) और (स) पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये । प्रौढ़ों में नागरिकता के गुणों का विकास करने के लिये तथा उनमें शिक्षित मस्तिष्क उत्पन्न करने के लिये निम्नलिखित शिक्षा विधि को अपनाते की सिफारिश की गई है :—

१. नागरिकता का अर्थ तथा जनतंत्र के संचालन की विधि;
देश के इतिहास तथा भूगोल का ज्ञान तथा यहाँ की प्रचलित सामाजिक परिस्थितियों से परिचय कराना ।

२. व्यक्तिगत तथा जनता के स्वास्थ्य सिद्धान्तों का ज्ञान तथा स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्त्व को बताना ।

३. प्रौढ़ के आर्थिक मानदंड को ऊँचा उठाने के लिये शिक्षा व सूचना प्रदान करना, जिससे उसकी शिक्षा उसके आर्थिक जीवन से सम्बन्धित हो सके ।

४. कला, साहित्य, संगीत, नृत्य तथा अन्य सृजनात्मक क्रियाओं द्वारा भावना तथा विचारों का उत्थान व परिष्करण ।

५. मानव भ्रातृत्व तथा विश्व-नैतिकता (Universal Ethics) के सिद्धान्तों का ज्ञान तथा जनतंत्र के लिये एक दूसरे की विचार विभिन्नता को सहन करने तथा समझने की आवश्यकता पर जोर देना ।

उपर्युक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये माननीय केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने ३१ मई, १९४८ ई० को प्रेस सम्मेलन के समक्ष एक १२ सूत्रीय कार्यक्रम रक्खा था जिसे जनवरी १९४९ ई० में केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने भी स्वीकार कर लिया है । वह कार्यक्रम निम्नलिखित है ।*

(१) गाँव का स्कूल सम्पूर्ण गाँव के लिये एक शिक्षा जनहितकारी कार्य, (Welfare work) खेल-कूद तथा मनोरंजन का केन्द्र होगा ।

(२) बच्चों, किशोरों तथा वयस्कों के लिये अलग २ समय निश्चित कर दिये जाँयेंगे ।

(३) सप्ताह में कुछ दिन केवल मात्र लड़कियों तथा स्त्रियों के लिये सुरक्षित कर दिये जाँयेंगे ।

*Basic and Social Education Pamphlete No. 58 (Ministry of Education, India).

(४) पर्याप्त मात्रा में ऐसी मोटरों की व्यवस्था हो रही है जिनमें प्रोजेक्टर तथा लाउडस्पीकर लगे होंगे। चित्रपट तथा मैजिक लालटैन और ग्रामोफोन भी प्रयोग किये जाँयगे। साथ ही यह भी प्रस्तावित किया गया है कि प्रत्येक स्कूल का कम से कम सप्ताह में एक बार निरीक्षण अवश्य होना चाहिये।

(५) स्कूलों में रेडियो लगा दिये जाँयगे तथा स्कूल के बच्चों के लिये विशेष कार्यक्रमों को विस्तारित करने की व्यवस्था करदी जायगी। उपर्युक्त ढाँचे के अनुरूप ही किशोरों तथा वयस्कों को भी सामाजिक शिक्षा देने के लिये विशेष ब्राडकास्ट किये जाँयगे।

(६) स्कूलों में जनप्रिय अभिनय भी रंगमंच पर खेले जाँयगे तथा अच्छे लिखे नाटकों को पारितोषक भी दिया जायगा।

(७) राष्ट्रीय तथा देशी गीतों के गाने की भी व्यवस्था होगी।

(८) स्थानीय आवश्यकता के अनुसार किसी दस्तकारी तथा उद्योग में भी साधारण प्रशिक्षण दिया जायगा।

(९) स्वास्थ्य विभाग, कृषि-विभाग और श्रम-विभाग के पारस्परिक सहयोग के द्वारा गाँव वालों को सामाजिक स्वास्थ्यरक्षा, कृषि-प्रणाली, कुटीर उद्योग तथा सहकारिता के विषय में भाषणों का प्रबन्ध किया जायगा।

(१०) सूचना तथा ब्राडकास्टिंग विभाग की सहायता से समय-समय पर अच्छे मिनेमंत्रों के प्रदर्शन का भी आयोजन किया जायगा। राष्ट्रीय समस्याओं पर गाँव वालों के समझ भाषण देने के लिये विद्वानों को निमंत्रित किया जायगा। सामाजिक शिक्षा के कार्यक्रम को प्रभावशाली तथा वास्तविक बनाने के लिये ऐसी जन-संस्थाओं की सहायता भी ली जायगी जोकि रचनात्मक कार्य में विश्वास रखती हों।

(११) दलों के आधार पर खेल-कूद (Group Games) का प्रबन्ध किया जायगा। तथा।

(१२) सामयिक प्रदर्शनी तथा मेलों का भी संगठन किया जायगा।

उपर्युक्त योजना अपने में पर्याप्त पूर्ण है। इसको कार्यान्वित करने के लिये फरवरी १९४९ ई० में हुये प्रान्तीय शिक्षा-मंत्रियों के सम्मेलन में इस पर चिन्तन किया गया और आगामी ३ वर्ष के लिये एक कार्यक्रम तैयार किया था जिसके अनुसार अनुमान लगाया गया था कि १२ वर्ष से ५० वर्ष तक की अवस्था के वयस्कों में कम से कम ५० प्रतिशत साक्षरता इस अवधि के अन्तर्गत अवश्य आजानी चाहिये। अब वह अवधि तो समाप्त होगई है किन्तु यह योजना केवल एक पवित्र विचार के रूप में ही बनी रही। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के समझ आर्थिक संकट होने के कारण उस पर ठीक कार्य न हो सका। सन् १९४९-५० के बजट में भी १ लाख रुपया प्रान्तों को इस योजना के लागू करने के लिये

सहायता देने को रख दिया गया था। इसके अनुसार कुछ प्रान्तों में थोड़ा बहुत कार्य भी हुआ है। भारत सरकार ने प्रौढ़ निरक्षरता की समस्या को सुलभाने तथा उचित सुभाव रखने के लिये माननीय श्री एम० एल० सकसैना की अध्यक्षता में एक समिति भी नियुक्त की जिसके अनुसार आगामी ५ वर्षों में १२-४० की अवस्था के वयस्कों में साक्षरता का प्रसार किया जाना चाहिये। इस कार्यक्रम का व्यवहार प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारों पर सम्मिलित रूप से रहेगा।

इन सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप जो प्रगति हुई उसका संक्षेप में नीचे उल्लेख किया जाता है।

दिल्ली प्रान्त में गाँवों में सामाजिक शिक्षा आन्दोलन बड़े उत्साह से प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रथम वर्ष में ६० केन्द्र गाँवों में खोले गये और उनके लिये ६२ शिक्षक प्रशिक्षित किये गये। इसके अतिरिक्त नगर तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में भी प्रौढ़शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं। साथ ही गाँवों में शिक्षा-मेला भी लगाये जा रहे हैं जिनमें शिक्षा-प्रसार तथा उद्योगों के विकास का प्रचार किया जाता है। यह आन्दोलन क्रमशः जन-समूह में सर्वप्रिय होता जा रहा है।

बम्बई में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथम वर्ष में ८० घन क्षेत्रों (Compact areas) को सामाजिक शिक्षा के लिये चुन लिया गया था। इसके अतिरिक्त बम्बई नगर में भी साक्षरता आन्दोलन पर्याप्त प्रगति कर रहा है, प्रधानतः श्रमिकों की बस्तियों में इसने बहुत उन्नति की है। अहमदाबाद, शोलापुर, खानदेश तथा हुबली अन्य स्थान हैं जहाँ श्रम हितकारी केन्द्र खुले हुए हैं और श्रमिकों में सामाजिक शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है। नगरों तथा ग्रामों में क्षेत्रों के अनुसार प्रौढ़शिक्षा अफसर नियुक्त किये जा रहे हैं। अनुपाततः एक अफसर १ हजार प्रौढ़ों को शिक्षित करने का उत्तरदायी होगा।

मध्य प्रदेश तथा बरार में प्रौढ़शिक्षा में बड़ी रुचि दिखलाई जा रही है। सन् १९४८-४९ ई० में ४५१ प्रौढ़शिक्षा शिविर स्थापित किये गये जिनमें ४१,२७४ पुरुष तथा २०,६२४ महिलाओं को शिक्षण मिला। प्रान्तीय सरकार ने गाँव के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को २०, ६० वेतन के साथ ५) ६० अलग भत्ता देने के नियम को प्रारम्भ कर दिया है। साथ ही प्रत्येक प्रौढ़-पुरुष को २ ६० तथा स्त्री को ५) ६० के विशेष पुरस्कार की भी घोषणा की है यदि वह साक्षरता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करता है। सरकार ने १ हजार ग्रामीण स्कूलों में रेडियो भी लगाये हैं।

मद्रास प्रान्त में नागरिकता-शिक्षा-भोजना का निर्माण किया गया है सन् १९४९-५० में सरकार ने ६ ग्रामीण कालेज तथा १०० नागरिकता-स्कूल प्रौढ़शिक्षा प्रसार के लिये खुलवाये। इसके अतिरिक्त उसी वर्ष ६ ट्रेनिंग केन्द्र

तामिल, तैलगू मलयालम तथा कनाड़ी भाषा के शिक्षकों के लिये भी खोले हैं। इस प्रान्त में 'लॉबाक-प्रणाली' का अनुकरण किया जा रहा है, साथ ही रेडियो, मैजिक लालटेन, लोक-गीत और लोक-नृत्य का भी उपयोग किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेशीय सरकार ने शिक्षा-निर्माण के अपने पंचसाला कार्यक्रम को बड़े उत्साह से प्रारम्भ किया है। प्रौढ़शिक्षा के लिये अलग विभाग खोल दिया गया है। १९४८-४९ ई० में यहाँ राजकीय-प्रौढ़शिक्षा स्कूलों में ४९,३६२ प्रौढ़ भर्ती किये गये। ६२ स्कूल स्त्रियों के लिये भी खोले गये। गाँवों में गश्ती वाचनालय तथा पुस्तकालय के नियम को भी पुनः लागू किया जा रहा है। जुलाई १९५२ ई० में इस प्रदेश में प्रौढ़ों के लिये १५१८ पुस्तकालय तथा ३६०० वाचनालय पुरुषों के लिये और ४३५ स्त्रियों के लिये स्थिति हैं। सन् १९५१-५२ ई० में प्रान्त में प्रौढ़शिक्षा स्कूलों की संख्या २२०० है। सन् १९३८ ई० से १९५२ ई० तक इस प्रदेश में १३½ लाख प्रौढ़ शिक्षित हुए हैं और इनमें पौने दो लाख पुस्तकों का वितरण हुआ है। प्रौढ़ श्रमिकों के लिये कुटीर उद्योगों के शिक्षण का आन्दोलन उत्तर प्रदेश में बहुत सफलता-पूर्वक चल रहा है।

इसके अतिरिक्त बंगाल, राजस्थान, हैदराबाद, जम्मू तथा काश्मीर और मध्यभारत राज्यों में भी सन् १९४७ ई० के उपरान्त प्रौढ़शिक्षा आन्दोलन आशाजनक प्रगति कर रहा है। भारत सरकार ने प्रौढ़ अर्थों के लिये देहरादून में एक प्रशिक्षण-केन्द्र की स्थापना की है जहाँ प्रतिवर्ष १२० अन्ध प्रौढ़ों को शिक्षा दी जायगी। इसी प्रकार लँगड़े, गूँगे तथा बहरे प्रौढ़ों के लिये भी विशेष शिक्षालयों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

भारत सरकार ने प्रौढ़शिक्षा के लिये यूनेस्को द्वारा संचालित कार्य-शिविरों (Works camps) के आदर्श पर भारत में भी कार्य-शिविर खोले हैं। इस योजना में थोड़ा बहुत संशोधन करके इसे भारतीय ग्रामों में लागू किया जा रहा है। उन क्षेत्रों में जहाँ शरणार्थी बसे हुए हैं यह योजना अच्छी प्रगति कर रही है। इसके प्रमुख ३ उद्देश्य हैं : साक्षरता, नागरिता तथा मनोरजन के द्वारा उद्गार संशोधन।

साक्षरता के लिये प्रौढ़ को निम्नलिखित कार्यक्रम के द्वारा शिक्षित किया जायगा :

- (अ) साक्षरता छपे हुए विषय को पढ़ना और अन्तिम अवस्था में संभवतः साप्ताहिक समाचार पत्र तथा पत्रिका का पढ़ना।
- (ब) अपना तथा सम्बन्धियों का नाम तथा उनके गाँवों, तहसीलों, जिलों के नाम और साक्षरता व्यवहारिक पत्र लिखना।
- (स) सौ तक संख्या लिखना तथा सादा जोड़, बाकी, गुणा और

भाग के प्रश्न हल करना एवं साथ ही सिद्धों, वजन और नाप इत्यादि के विषय में जानकारी रखना इत्यादि ।

इसके अतिरिक्त अन्य दो उद्देश्यों: नागरिकता तथा उद्गार-संशोधन के लिये भिन्न २ प्रकार के साधन जैसे नाटक, गीत, नृत्य, खेल कूद, रेडियो, चित्रगट, समाचार-पत्र तथा पर्यटन इत्यादि को अपनाया जायगा ।

उपयुक्त कार्यक्रम के लिये देश भर में प्रत्येक जिले में शिविर खोले जाँयेंगे । मध्य प्रदेश ने प्रत्येक तहसाल में ४ शिविर खोलने की योजना बनाई है, जहाँ स्वयं-सेवक प्रौढ़शिक्षा का कार्य करेंगे । प्रत्येक स्वयंसेवक कम से कम १६ वर्ष का तथा ७ वीं कक्षा पास होगा । इनके ऊपर एक संचालक भी रक्खा जायगा । मध्य प्रदेश में ऐसे शिविर सफलता-पूर्वक कार्य कर रहे हैं । यह शिविर पाँच सप्ताह तक चलता है । प्रत्येक शिविर में अपनी निजी भोजन व्यवस्था होती है । दैनिक कार्यक्रम प्रातः ५.३० बजे से रात्रि के १०.३० बजे तक चलता है जिसमें दोपहर को १.३० घंटे तथा शाम को एक ३ घंटे का विश्राम मिलता है । प्रत्येक शिविर में प्रौढ़ों को एक पूर्ण जीवन व्यतीत करने की शिक्षा दी जाती है ।

प्रत्येक प्रान्त इस योजना को अपनी स्थानीय तथा विशेष सुविधाओं एवं परिस्थितियों के अनुसार लागू कर रहा है । यह सोचा जा रहा है कि इस शिविर की अवधि कम से कम ८ सप्ताह या अधिकतम ११ सप्ताह होनी चाहिये । यह शिविर एक प्रौफेसर के नेतृत्व में संचालित होना चाहिये जहाँ कालेजों के विद्यार्थी तथा शिक्षक स्वयं-सेवकों के रूप में शिक्षण कार्य करें । इस प्रकार इस योजना से प्रौढ़शिक्षा में क्रान्तिकारी लाभ होंगे । २५ व्यक्तियों का यह शिविर ८ सप्ताह में कम से कम ५०० व्यक्तियों को शिक्षित करने में सफल हो सकेगा ।

उपसंहार

इस प्रकार उपयुक्त विवरण से प्रतीत होता है कि भारत में साक्षरता तथा प्रौढ़शिक्षा आन्दोलन यद्यपि देर से प्रारम्भ हुआ, तथापि अब कार्यशील दृष्टि-गोचर होता है । कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत की भयंकर निरक्षरता को देखते हुए वर्तमान प्रयत्न बहुत ही अपर्याप्त हैं । इस देश में प्रौढ़ शिक्षा की समस्या केवल साक्षरता तक ही नहीं है अपितु प्रौढ़ नर-नारियों के जीवनको पूर्ण बनाने की है । कुछ ऐसे कालेजों की भी आवश्यकता है जहाँ ऐसे शिक्षित प्रौढ़ों को उस उच्चशिक्षा की सुविधा मिल सके जिससे वह अपने विद्यार्थी जीवन में वंचित रहे थे और आज विभिन्न विभागों के दफ्तरों में काम कर रहे हैं । इस दिशा में उत्तरप्रदेश में बलवंत राजपूत कालेज, ऑफ एडल्ट-एज्युकेशन आगरा में संभवतः देश का प्रथम कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । इस प्रौढ़ शिक्षा कालेज में २० वर्ष से ऊपर की अवस्था वाले ऐसे प्रौढ़ों के लिये, जिन्हें कम से कम ३ वर्ष नोकरी

में हो गये, विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करने के लिये रात्रिकालीन कक्षाएँ प्रारम्भ की गई हैं। विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालय तथा बड़े २ कालेज भी इस उदाहरण का अनुकरण कर सकते हैं। उपर्युक्त प्रयत्नों के अतिरिक्त इस वर्ष १५ अगस्त ५२ ई० से देश के विभिन्न राज्यों ने सामूहिक-योजनाओं (Community Projects) का भी सूत्रपात कर दिया है। इन योजनाओं का उद्देश्य भारतीय ग्रामीण-जीवन का सर्वाङ्गीण विकास करना है जिसमें सामाजिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त प्रौढ़ों की रुचि तथा ज्ञान को जीवित रखने के लिये अधिक वाचनालय तथा पुस्तकालयों की आवश्यकता है। देश के शिक्षित कहलाने वाले वर्ग के दृष्टिकोण में परिवर्तन, उनके हृदयों में रचनात्मक समाज सेवा की भावना, राजनैतिक नेताओं का अपने विशाल भवनों से निकलकर जनता की सच्ची सेवा के क्षेत्र में उतर आना, सरकारी अफसरों के भी दृष्टिकोण में शासन की भावना में कमी होकर सच्ची सेवा की भावना उद्भूत होना तथा पर्याप्त धनराशि इत्यादि अन्य आवश्यकताएँ हैं जिनका पूरा होना देश में प्रौढ़ शिक्षा आन्दोलन के लिये जीवनदायक है। लैनिन के शब्दों में “निरन्तरता का निराकरण एक राजनैतिक समस्या नहीं है। यह वह अवस्था है जिसकी पूर्ति के बिना राजनीति की बात करना भी असंभव है। एक अशिक्षित व्यक्ति राजनीति के बाहर की वस्तु है और यदि उसे किसी भी रूप में राजनीति के भीतर लाना है तो उससे पहले उसे वर्णमाला सिखा देनी चाहिये। बिना इसके राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं है—उस समय तक राजनीति केवल गल्प, अफवाह, कहानी तथा अन्ध-विश्वास है।”

सत्रहवाँ अध्याय औद्योगिक तथा व्यवसायिक शिक्षा

भूमिका

बहुधा आधुनिक भारतीय शिक्षा पर यह आरोप लगाया जाता है कि यह आरम्भ से ही आवश्यकता से अधिक साहित्यिक है और इसमें व्यवसायिक, औद्योगिक तथा टैक्निकल शिक्षा का अभाव है। भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध में नियुक्त किये गये प्रायः सभी आयोगों तथा समितियों ने भी बहुधा यही शिकायत की है। वास्तव में भारत के स्कूलों व विश्वविद्यालयों में बहुत समय तक केवल साहित्यिक शिक्षा की ही प्रमुखता रही, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न विभागों के लिये अफसर तथा अन्य कर्मचारी उत्पन्न करना था। किसी भी प्रकार की औद्योगिक शिक्षा का अत्यन्त अभाव रहा। माध्यमिक शिक्षा में भी यही दोष था और विद्यार्थियों को या तो विश्वविद्यालयों के लिये अथवा किमी नोकरी के लिये तैयार किया जाता था। इस शिक्षा पद्धति का प्रमुख कारण भारत की राजनैतिक दासता तथा उससे उत्पन्न होने वाली विभिन्न अवस्थाओं में निहित है। किन्तु इसका निश्चित परिणाम हुआ भारत का औद्योगिक दृष्टि से विश्व के अन्य उन्नत राष्ट्रों की अपेक्षा पिछड़ जाना। देश में शिक्षा का दृष्टिकोण नितान्त प्रतिगामी रहा और भारतीय युवकों में बेकारी का रोग प्रवेश कर गया जो कि आज भी अत्यन्त भयङ्कर बना हुआ है। तथापि औद्योगिक तथा टैक्निकल शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रयास हुआ है। इस शिक्षा को हम तीन युगों में बाँट सकते हैं। (१) सन् १८०० ई० से १८५७ ई० तक; (२) सन् १८५७ ई० से १९०२ ई० तक तथा (३) सन् १९०२ ई० से १९५२ ई० तक। नीचे हम तीनों का संक्षेप में वर्णन करेंगे।

प्रथमयुग (१८०० ई० से १८५७ ई०)

इस युग की शिक्षा-प्रणाली एक मात्र 'ईस्ट इन्डिया कम्पनी' की नीति से प्रभावित थी। कम्पनी को अपने कार्य को भले रूप से संचालित करने के लिये विभिन्न विभागों में कुछ भारतीयों की आवश्यकता थी। उसे अपनी सेना के लिये डाक्टर, अदालतों के लिये वकील तथा न्यायाधीश और जन-निर्माण विभाग में सबकें, नहरें तथा अन्य सरकारी भवनों का निर्माण करने के लिये इंजिनियरों की आवश्यकता थी अतः अधिकांश में तत्कालीन औद्योगिक शिक्षा में हम इन्हीं शाखाओं को प्रमुख पाते हैं।

१. चिकित्सा:—चिकित्सा के क्षेत्र में भारत में आयुर्वेद तथा यूनानी प्रणालियाँ प्रचलित थीं। किन्तु अपनी सम्पूर्ण शिक्षा नीति को दृष्टिगत रखते हुए

अंग्रेज शासकों ने यहाँ योरोपीय चिकित्सा प्रणाली का प्रारम्भ किया जिसको सीखने का माध्यम अंग्रेजी भाषा था। वास्तव में चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्राच्य और पश्चिमी पद्धति का विवाद उठ खड़ा हुआ था। किन्तु मैकाले की पश्चिमीकरण की नीति तथा लार्ड बैटिक की घोषणा का चिकित्सा-शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ा। प्रारम्भ में भारतीय विद्यार्थियों को चीड़फाड़ इत्यादि से अरुचि थी किन्तु मधुसूदन गुप्ता नामक विद्यार्थी ने कलकत्ता में एक शव पर चीड़-फाड़ का कार्य करके इस दिशा में सूत्रपात कर दिया।

इस प्रकार बंगाल, बम्बई और मद्रास में आधुनिक चिकित्सा-शास्त्र का जन्म हुआ। सन् १८२२ ई० में कलकत्ता में एक देशी चिकित्सा संस्था (Native Medical Institution) की स्थापना हुई थी। सन् १८२६ ई० में कलकत्ता संस्कृत कालेज तथा कलकत्ता मदरसा में चिकित्सा को कक्षाओं जोड़ दी गईं। इन संस्थाओं में आयुर्वेद, यूनानी तथा योरोपीय ढंग की चिकित्सा की शिक्षा का प्रबन्ध था। किन्तु १८३५ ई० के उपरान्त आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा का शिक्षण समाप्त कर दिया गया और यह निश्चय हुआ कि केवल पाश्चात्य ढंग की चिकित्सा-शिक्षा प्रदान की जायगी। सन् १८४४ ई० में चार विद्यार्थी पाश्चात्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने के लिये विलायत भी भेजे गये।

बम्बई में सन् १८४५ ई० में गवर्नर गैबर्ट्स की स्मृति को अमर बनाने के लिये जनता ने चंदा करके 'ग्रान्ट मैडिकल कालेज' की स्थापना की। इससे पूर्व १८२६ ई० में बम्बई में एक 'नेटिव मैडिकल स्कूल' तथा १८३६ ई० में पूना कालेज में चिकित्सा कक्षाओं की स्थापना भी की जा चुकी थी। 'ग्रान्ट मैडिकल कालेज' को इंग्लैंड के 'रॉयल कालेज ऑव सर्जन्स' ने भी १८५५ ई० में स्वीकृत कर लिया था। कालान्तर में इसे बम्बई विश्वविद्यालय में मिला दिया गया। यहाँ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा देशी भाषा था।

मद्रास में १८३५ ई० में निम्न पदों के लिये अप्रेंटिस शिक्षित करने के लिये एक मैडिकल स्कूल खोला गया। १८५१ ई० में यह कालेज बन गया और अन्त में मद्रास विश्वविद्यालय में मिला दिया गया। यहाँ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था।

२. कानून:—कानून का अध्ययन करने के लिये अंग्रेजों ने भारत में कलकत्ता मदरसा तथा संस्कृत कालेज बनारस की स्थापना की थी जहाँ भारत की दो प्रमुख जातियों हिन्दू और मुसलमानों के कानून का अध्ययन कराया जा सके; तथा कम्पनी को अपनी अदालतों के लिये वकील व जज इत्यादि मिल सकें। कलकत्ता संस्कृत कालेज में कानून की शिक्षा दी जाती थी। १८४२ ई० में हिन्दू कालेज में कानून का एक प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। १८५७ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय के खुलने पर उसमें भी कानून-कालेज स्थापित करने का

प्रयास विफल होने पर १८५५ ई० में ही न्यायशास्त्र (Jurisprudence) की कक्षाएँ खोली जा सकीं। निम्न कक्षाएँ तो बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों के खुलने पर ही चल सकीं।

३. इंजिनियरिंग :—सन् १८४४ ई० में 'हिन्दू कालेज कलकत्ता' में सिविल-इंजिनियरिंग के प्रोफेसर के लिये एक पद उत्पन्न किया गया किन्तु यह बहुत दिनों तक रिक्त पड़ा रहा। केवल १८५६ ई० में जाकर ही कलकत्ता में एक इंजिनियरिंग कालेज खुल सका।

सन् १८२४ ई० में 'बम्बई नेटिव शिक्षा सांसाइटी' ने इंजिनियरिंग की कक्षाएँ खोलीं जहाँ मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम रक्खा गया। सन् १८४४ ई० में 'एलफिन्स्टन इन्स्टीट्यूट' में तथा १८५४ ई० में पूना में भी इंजिनियरिंग की कक्षाएँ खोली गईं। मद्रास में विश्वविद्यालय बनने तक कोई नियमित कक्षा इंजिनियरिंग की न खुल सकी। वहाँ तो १७६३ ई० से एक पैमाइश-स्कूल चला आ रहा था। जो कि १८५८ ई० में जाकर मद्रास विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में रुड़की में १८४७ ई० में इन्जीनियरिंग कालेज की स्थापना हुई। जो कि १८५४ ई० में टाम्सन कालेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आजकल यह कालेज एक विश्वविद्यालय के रूप में संगठित हो चुका है और देश का एक विख्यात इंजिनियरिंग विश्वविद्यालय है।

४. अन्य :—उपर्युक्त व्यवसायों के अतिरिक्त अध्यापकों का प्रशिक्षण भी प्रमुख था। इस क्षेत्र में कम्पनी की उदासीनता की अपेक्षाकृत भी ईसाई धर्म-प्रचारकों ने कुछ कार्य किया। बम्बई प्रान्त में इस दिशा में अच्छा कार्य हुआ और बहुत से नार्मल स्कूल खुले। इसके अतिरिक्त कला (Art) भी अन्य व्यवसायिक शिक्षा में सम्मिलित था। मद्रास में १८५० ई० में 'ब्लैक टाउन' में डा० हंटर ने ललित-कलाओं तथा दस्तकारियों के लिये एक स्कूल खोला। बम्बई में १८५३ ई० में सर जमशेदजी जीजीभाई ने कला के विकास के लिये १ लाख रुपया दान दिया। उस धनराशि से १८५६ ई० में बम्बई में 'जे० जे० स्कूल ऑव आर्ट' की स्थापना की गई।

द्वितीय युग (१८५७ई०-१९०२ ई०)

औद्योगिक तथा व्यवसायिक शिक्षा के दृष्टिकोण से यह युग कुछ अधिक महत्त्व का था। यद्यपि इस युग में भी व्यवसायिक शिक्षा का उद्देश्य ऐसे अनुभवों तथा प्रशिक्षित भारतीय उत्पन्न करना था जो कि अँग्रेज अफसरों के नीचे विभिन्न राजकीय विभागों में शासन तथा संगठन कार्य सुचारु रूप से चला सकें। १८५७ ई० में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना हो जाने के उपरान्त कानून, चिकित्सा, इंजिनियरिंग, कृषि-विज्ञान, वाणिज्य तथा टेक्निकल-

शिक्षा भी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में नियमित रूप से सम्मिलित कर लिये गये तथा उनके शिक्षण के लिये विशेष शिक्षकों की नियुक्त कर दी गई, और इन विषयों में प्रमाण-पत्र व उपाधि देने की प्रथा का प्रारम्भ कर दिया गया।

१. कानून :—सन् १८५४ ई० के शिक्षा-घोषणा-पत्र के अदेशानुसार विश्व-विद्यालयों में कानून की शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई। कानून की शिक्षा अब बहुत सर्वप्रिय होती जा रही थी क्योंकि आधुनिक न्यायालयों की स्थापना होने से देश में कानून के विशेषज्ञों की वकील तथा न्यायाधीश बनने के लिये माँग हो रही थी। यह दोनों उद्यम सम्मान-जनक तथा आर्थिक दृष्टि के लाभदायक थे, अतः उच्चवर्ग के शिक्षित लोग इस ओर बहुत आकर्षित हुए।

कानून के अध्ययन के लिये कानून-कालेज, कला तथा विज्ञान के कालेजों में कानून की कक्षाएँ तथा स्कूल तीन प्रमुख साधन थे। मद्रास में एक कानून का कालेज था। पंजाब में विश्वविद्यालय में कानून-कालेज था केवल यही दो संस्थायें पूर्ण-कालीन कानून-कालेज के रूप में थीं; अन्यथा अधिकांश में कानून की कक्षाएँ आंशिक रूप से अन्य कालेजों में संध्याकाल में लगती थीं। बम्बई में राजकीय-कानून कालेज भी आंशिक रूप से शिक्षा देता था। बंगाल, मध्यप्रदेश तथा उत्तर-प्रदेश में कानून-कालेज नहीं थे किन्तु कला तथा विज्ञान के डिग्री कालेजों में ही कानून की कक्षाएँ खुली हुई थीं।

कानून की शिक्षा का नियंत्रण भी क्रमशः विश्वविद्यालयों, शिक्षा विभाग तथा उच्च न्यायालयों के आधीन था। विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम तैयार करते थे तथा परीक्षाओं के लिये उत्तरदायी थे। कानून के स्कूल तथा कालेजों का नियंत्रण शिक्षा विभाग के अन्तर्गत था तथा उच्च न्यायालय उन शर्तों को रखता था जिनकी पूर्ति होने पर ही कोई स्नातक कानून के व्यवसाय को अपना सकता था। उच्च न्यायालय इसके पूर्व अपनी निजी परीक्षा भी लेते थे। कुछ प्रान्तों में सरकार की ओर से 'प्लीडर' और 'मुख्तार' की परीक्षाएँ भी केवल हाई स्कूल पास विद्यार्थियों के लिये थीं। एल० एल० बी० परीक्षा का पाठ्यक्रम अधिकांश में दो वर्ष था। कहीं-कहीं ३ वर्ष भी था जोकि कला अथवा विज्ञान में ग्रेजुएट होने के उपरान्त पूरा किया जा सकता था।

२. चिकित्सा—(अ) चिकित्सा-विज्ञान में प्रशिक्षित विद्यार्थी अधिकांश में सरकारी तथा स्थानीय बोर्डों के अस्पतालों में नोकर हो जाते थे, अथवा अपना स्वतंत्र व्यवसाय खोलते थे या किसी बड़े कारखाने या कम्पनी में रख लिये जाते थे।

सन् १८६० ई० में लाहौर में भी एक मैडिकल कालेज खुल गया। इस प्रकार सन् १९०२ ई० तक भारत में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई तथा लाहौर में चार सरकारी कालेज हो गये।

“इन कालेजों के अतिरिक्त कुछ मैडिकल स्कूल भी थे। इनमें ११ राजकीय-स्कूल (१ मद्रास में, ३ बम्बई में, ४ बंगाल में, १ यू० पी० में, १ पंजाब तथा १ आसाम में); १ म्युनिसिपल स्कूल मद्रास में तथा १० प्रायवेट स्कूल (१ आसाम में, १ सिन्ध में, ४ पंजाब में—जिनमें २ मुसलमानी तथा १ हिन्दू औषधियों के लिये—तथा ४ बंगाल में) थे।”^१

पुरुषों में चिकित्साशास्त्र का अध्ययन जन-प्रिय हो चला था किन्तु स्त्रियों में अभी अंधविश्वास और प्राचीन पद्धत समाया हुआ था। सन् १९०२ ई० में भारत में मैडिकल कालेजों में १,४६६ तथा स्कूलों में २,७२७ विद्यार्थी चिकित्सा-शास्त्र का अध्ययन करते थे। इनमें २४२ स्त्रियाँ भी थीं किन्तु वह अघिकांश में योरुपीय तथा इसाई महिलायें थीं। केवल १५ ब्राह्मण, १५ अ-ब्राह्मण, १५ मुसलमान तथा २२ पारसी स्त्रियाँ थीं।*

(ब) पशुचिकित्सा:—मनुष्यों की चिकित्सा के अतिरिक्त पशु चिकित्सा की ओर भी सरकार का ध्यान गया। भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में पशु-चिकित्सा अपना महान् महत्त्व रखती थी। अतः १८८२ ई० में लाहौर में, १८८६ ई० में बम्बई तथा १८९३ ई० में कलकत्ता में पशु-चिकित्सा विज्ञान के कालेज स्थापित हुए। एक स्कूल अजमेर में भी खोला गया किन्तु कुछ समय उपरान्त लाहौर कालेज में मिला दिया गया।

३. इंजिनियरिंग शिक्षा—इस युग में इंजिनियरिंग तथा टैकनिकल शिक्षा की बड़ी माँग बढ़ी। यह वह युग था जबकि भारत में औद्योगिक विकास का तथा रेलों, सड़कों तथा नहरों का निर्माण हो रहा था; नगरपालिकाओं तथा जिला बोर्डों की स्थापना हो रही थी एवं जल मार्ग और जूटमिल व सूती कपड़ों की मिलें खोली जा रही थीं। ऐसी अवस्था में इन सभी कार्यों के लिये दक्ष इंजिनियरों की आवश्यकता थी। आर्थिक दृष्टि से यह पेशा बड़ा लाभदायक था अतः श्रेष्ठतम विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा था। इंजिनियरिंग शिक्षा की अधिक माँग होने तथा कालेजों की संख्या न्यून होने के कारण यह शिक्षा बड़ी महंगी थी अतः केवल उच्च वर्ग के लोग ही अपने लड़कों को शिक्षण के लिये भेजने में समर्थ हो सकते थे। इन विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त जन-निर्माण विभाग (P. W. D.) में प्रायः अच्छी नौकरियाँ मिल जाती थीं।

सन् १८६५ ई० में बंगाल इंजिनियरिंग कालेज को प्रेसीडेंसी कालेज में मिला दिया गया। कालान्तर में यह शिबपुर पहुँचा दिया गया। सन् १८५४ ई० का

१. नरुल्ला और नायक पृष्ठ ३७७।

* नरुल्ला और नायक पृष्ठ ३७७।

सरकार द्वारा स्थापित किया हुआ 'इंजिनियरिंग कक्षा तथा मैकेनिकल स्कूल' 'पूना इंजिनियरिंग कालेज' के रूप में विकसित हुआ। यह कालेज बम्बई विश्व-विद्यालय से सम्बन्धित कर दिया गया। सन् १९०१-०२ ई० में यह कालेज इंजिनियरिंग के अतिरिक्त विज्ञान, कृषि तथा वन-विज्ञान की शिक्षा भी देता था।

इस प्रकार सन् १९०२ ई० में भारत में चार प्रमुख इंजिनियरिंग कालेज थे रुड़की, शिवपुर (बंगाल), पूना तथा मद्रास, जिनमें ८६५ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। मद्रास कालेज का विकास १८५८ तथा १८६२ ई० के बीच में हुआ था।

इनके अतिरिक्त कुछ टैकनिकल तथा औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना भी इसी काल में हुई। सन् १८८७ ई० में बम्बई में 'विक्टोरिया जुबली टैकनिकल इंस्टी-ट्यूट' की स्थापना हुई। सन् १९०२ ई० में भारतवर्ष में ८० टैकनिकल स्कूल थे जिनमें ४,८६४ विद्यार्थी शिक्षण पाते थे। दुर्भिन्न कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने भी कुछ टैकनिकल स्कूल खोले थे। भारत के प्राचीन उद्योगों को ब्रिटिश सरकार ने नष्ट कर दिया था अतः लोगों में बढ़ते हुए असंतोष को रोकने के लिये भी यह आवश्यक था कि सरकार औद्योगिक स्कूलों की स्थापना करे। लोगों में भी इस शिक्षा की मांग उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। इन सबके फलस्वरूप भारत में इंजिनियरिंग तथा टैकनिकल शिक्षा का अच्छा प्रसार हो चला।

४. कृषि-विज्ञान:—भारत के प्रधानतः कृषि-प्रधान देश होने की अपेक्षा भी यहां कृषि कालेजों की पर्याप्त उन्नति नहीं हुई है। सन् १८८० ई० में दुर्भिन्न कमीशन ने गांवों में कृषि-शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया किन्तु इसके लिये कुछ भी नहीं किया जा सका। सन् १८९० ई० में डा० वौइलकर ने विभिन्न प्रान्तों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन किया और कृषि-शिक्षा के विषय में भारत सरकार के लिये बहुत सी महत्वपूर्ण सिफारिशें की। उसके उपरान्त भारत सरकार ने निम्न-लिखित निर्णय किये '—

(१) कृषि-विज्ञान की डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्रों को उसी श्रेणी में समझा जाय जिसमें कि विज्ञान या कला इत्यादि के प्रमाण-पत्र।

२) उच्चकोटि के प्रमाण-पत्र देने के लिये चार से अधिक संस्थायें न हों, यथा: मद्रास, कलकत्ता, बम्बई तथा कोई उपयुक्त स्थान उत्तरी पश्चिमी प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में। अन्य प्रान्त भी इनका उपयोग करें।

(३) कुछ पदों जैसे कृषि-विज्ञान शिक्षकों अथवा कृषि-विभाग-संचालक के सहायकों की नियुक्ति के लिये भी प्रमाण-पत्र अनिवार्य हों।

(४) कुछ पदों के लिये कृषि की व्यवहारिक शिक्षा दी जाय।

(५) कृषि-डिप्लोमा, डिग्री तथा प्रमाण-पत्र के लिये एक विशेष स्कूल खोला जाय ।

(६) स्कूल अध्यापकों को नियुक्ति से पूर्व या पश्चात् सरकारी फार्म पर व्यवहारिक कृषि की शिक्षा भी महत्त्वपूर्ण है ।

इस प्रकार सन् १९०२ई० में ब्रिटिश भारत में ५ संस्थायें ऐसी थीं जहां कृषि-शिक्षा की व्यवस्था थी : पूना, शिवपुर, सैयदपेट (मद्रास), कानपुर तथा नागपुर । सैयदपेट कालेज की स्थापना सन् १८६४ ई० में तथा पूना कृषि-शाखा की स्थापना सन् १८७६ ई० में हुई थी । शिवपुर सन् १८६६ ई० में स्थापित किया गया था । कानपुर तथा नागपुर कानूनगो, शिकर तथा कृषक बालकों को शिक्षा देने थे । इस प्रकार से संगठित हुई कृषि-शिक्षा पूर्णतः अपर्याप्त थी । अनुसंधान और व्यवहारिक-शिक्षा का इसमें पूर्ण अभाव था । अन्य विभागों की भांति कृषि-शिक्षा का उद्देश्य भी इस काल में देश में उत्पादन की वृद्धि न होकर राजकीय कृषि विभाग के लिये कर्मचारी तैयार करना ही था ।

५. वाणिज्य शिक्षा :—कृषि-शिक्षा की भांति वाणिज्य-शिक्षा ने भी इस युग में कोई सराहनीय उन्नति नहीं की । पंजाब की छोड़कर किसी विश्वविद्यालय ने इसे स्वीकार नहीं किया था । बम्बई में भी एक संस्था थी किन्तु उसका उद्देश्य प्रधानतः इंगलैंड के वाणिज्य के विषय में शिक्षा देना था । सन् १९०२ ई० में भारत में १५ वाणिज्य-स्कूल थे जिनमें १,१२३ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे ।

६. अन्य :—उपयुक्त व्यवसायों के अतिरिक्त अध्यापन, वन-विज्ञान, तथा कला सम्बन्धी स्कूलों की भी स्थापना हुई । अध्यापकों के लिये नये ट्रेनिंग व नार्मल स्कूल खोले गये । सन् १८८१-८२ ई० में यहाँ १०६ नार्मल स्कूल थे तथा १९०१-०२ ई० में इनकी संख्या १३३ पुरुषों के लिये तथा ४६ स्त्रियों के लिये थी जिनमें क्रमशः ४,४१० तथा १,२६२ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे । माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये सन् १९०२ ई० में ६ कालेज थे इनमें लाहौर ट्रेनिंग कालेज मद्रास, नागपुर, राजमुन्द्री, तथा इलाहाबाद ट्रेनिंग कालेज अधिक प्रसिद्ध हैं । मद्रास तथा इलाहाबाद में एल० टी० (L. T.) की पदवी वितरित की जाती थी । इनके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये ५० ट्रेनिंग स्कूल भी थे ।

वन-विज्ञान के लिये सन् १८७८ ई० में देहरादून 'फॉरेस्ट-स्कूल' की स्थापना हुई तथा 'पूना इंजिनिरिंग कालेज' में वन-विज्ञान की शाखा खोली गई । कला की शिक्षा के लिये सन् १९०२ ई० में भारत में चार प्रमुख राजकीय कालेज थे : जे० जे० स्कूल आफ आर्ट बम्बई; मेयो स्कूल आफ आर्ट लाहौर; स्कूल आफ आर्ट कलकत्ता तथा स्कूल आफ आर्ट तथा इंडस्ट्री मद्रास । इन स्कूलों में कला, पेंटिंग तथा व्यापारिक आर्ट की शिक्षा दी जाती थी । सन् १८६३ ई० में

भारत-मंत्री ने सुझाव रक्खा कि इन आर्ट स्कूलों से कोई विशेष लाभ नहीं है और इनका व्यय व्यर्थ होता है अतः इन्हें टैक्निकल स्कूलों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय किन्तु फिर कुछ निर्णय न हो सका। इस प्रकार व्यवसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा का दूसरा युग भी समाप्त होता है।

तृतीय युग (सन् १६०२ ई०-१९५२ ई०)

भारतीय व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में यह युग अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। व्यवसायिक, औद्योगिक तथा टैक्निकल शिक्षा को इस युग में बहुत उन्नति हुई।

इससे पूर्व इस प्रकार की शिक्षा का उपयोग अधिकांशतः सरकारी नोकरीयों के लिये किया जाता था किन्तु अब प्रशिक्षित युवक आधुनिक समाज की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये प्रशिक्षण लेने लगे। इस उन्नति के कई कारण हैं। एक तो यह युग भारत में बढ़ती हुई राजनैतिक चेतना का युग था जिसमें देश की शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने की माँग बढ़ी और अन्त में भारत के स्वाधीन होने पर एक नवीन व स्वतंत्र गृह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भिन्न २ प्रकार के उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देने के लिये तथा विज्ञान की उन्नति में अन्य उन्नत राष्ट्रों के समकक्ष आने के लिये अनेक प्रयोग-शालायें तथा अनुसंधानशालायें खोली गईं। कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में नये वैज्ञानिक तथा टैक्निकल विषयों के विभाग खोले गये हैं। दूसरे, लार्ड कर्जन के समय से ही सरकार का ध्यान भी इस ओर गया और सरकारी मशीन कुछ तेजी से काम करने लगी। तीसरे, व्यक्तिगत-प्रयास भी एक बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में उतर आया। धनी लोगों ने बड़े २ दान दिये तथा औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना कराई। चौथे, विद्यार्थियों को विदेशों जैसे-इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी तथा जापान इत्यादि देशों में भेजने की व्यवस्था भी की गई, जहाँ उन्होंने आधुनिक विज्ञानों, उद्योगों, तथा कला-कौशलों का उच्च अध्ययन करके भारत में आकर इनकी उन्नति की। भारत की स्वाधीनता के उपरान्त, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस दिशा में बड़ी प्रगति हो रही है जिसका संक्षिप्त ववरण नीचे दिया जा रहा है।

१. कानून:—कानून शिक्षा के उत्तरोत्तर जन-प्रिय होने का परिणाम यह हुआ कि देश में कानून के स्नातकों की बाढ़ सी आ गई। वकीलों की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ गई। अधिकांश में यह वकील आर्थिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर कानून का व्यवसाय करते हैं जिसके कारण आज हमारे समाज में बहुत से भ्रष्टाचार प्रवेश कर गये हैं किन्तु साथ ही उच्चकोटि के वकील भी उत्पन्न हुए हैं। वस्तुतः भारत का राष्ट्रीय संघर्ष अधिकतर हमारे वकीलों का ही इतिहास है। अस्तु सन् १६०२ से १६२७ ई० तक कानून का अध्ययन बढ़ा लाभदायक

रहा। किन्तु इसके उपरान्त देश पर आर्थिक-संकट आने से कानून पढ़ने वालोंकी संख्या पर्याप्त रूप से गिर गई और यह अवस्था लगभग १९४० ई० तक चली। उसके उपरान्त किसानों की आर्थिक अवस्था में सुधार होने से वकीलों ने इस सुअवसर से लाभ उठाकर पुनः ग्रामोणों का शोषण प्रारम्भ कर दिया इससे कानून के अध्ययन को और प्रगति मिली। आज कानून का बाजार इन व्यवसायियों से भरा पड़ा है।

सन् १९४६-४७ ई० में भारत में १४ कानून-कालेज थे, ६ कानून-विभाग विश्व-विद्यालयों में थे तथा आगरा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित ६ कालेजों में कानून की कक्षाएँ थीं। जहाँ तक कानून के पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है यह दो वर्ष का है। कलकत्ता और दिल्ली में इसकी अवधि ३ वर्ष की है। कानून का अध्ययन ग्रेजुएट होने के उपरान्त ही प्रारम्भ होता है किन्तु बम्बई में इन्टरमीजियेट के उपरान्त ही प्रारम्भ हो जाता है। कानून के अध्यापक अधिकांश में अर्धसामयिक (Part-Time) आधार पर नियुक्त किये जाते हैं। प्रायः यह लॉग कुछ नये जूनियर वकीलों में से रख लिये जाते हैं। कक्षाएँ या तो प्रातःकाल या संध्याकाल में लगती हैं। कानून के अध्ययन के विषयों में विद्यार्थी बिलकुल भी गंभीर नहीं होते। प्रायः परीक्षा के दिनों में कुछ वर्ष के प्रश्न-पत्रों के उत्तरों को रट कर ही उत्तीर्ण हो जाते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि भारत में कानून के क्षेत्र में अनुसंधान या उच्च-अध्ययन का पूर्णतः अभाव है। अतः “यह स्पष्ट है कि अब हमें अपने कानून के कालेजों का पुनः संगठन करना है और इस विषय के अध्ययन को प्रथम कोटि का महत्त्व देना है। भारत की प्रसिद्ध तथा विश्व के स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष महत्त्व तथा अपनी राष्ट्रीय-भावनाओं को पूर्ण करने के लिये इस प्रयत्न की आवश्यकता है।”

राषाकृष्णन् कमीशन ने इसके लिये निम्नलिखित सुझाव रक्खे हैं :—

- (१) हमारे कानून के कालेजों का पूर्ण पुनःसंगठन होना चाहिये।
- (२) कानून-शिक्षा का अध्यापक मंडल भी कला तथा विज्ञान विभाग के शिक्षकों की भाँति विश्वविद्यालयों द्वारा रक्खा तथा नियंत्रित किया जाना चाहिये।
- (३) एक ३ वर्ष का पूर्व-कानून (Pre-Legal) डिग्री पाठ्यक्रम तथा सामान्य अध्ययन कानून कक्षा में प्रवेश से पूर्व रक्खा जाना चाहिये।^२

१. राषाकृष्णन् विश्वविद्यालय कमीशन-पृष्ठ २५८।

२. “अमेरिकन बार असोसिएशन’ तथा ‘अमेरिकन असोसिएशन ऑफ लॉ स्कूल’ का पूर्व-कानून-शिक्षण कम से कम दो वर्ष का कालेज-अध्ययन है, किन्तु कानून के सर्वोत्तम कालेजों में जिनमें हारवर्ड, कोलम्बिया, मिशीगन, शिकागो, केलीफोर्निया तथा अन्य सम्मिलित हैं इसकी अवधि कला या विज्ञान में ४ वर्ष के डिग्री-पाठ्यक्रम की पूर्ति करने पर होती है। इसके उपरान्त ही कानून में प्रवेश हो सकता है।”

—विश्वविद्यालय कमीशन

(४) कानून के विशेष विषयों में ३ वर्ष का डिग्री-पाठ्यक्रम रहना चाहिये, अन्तिम वर्ष को कानून को व्यवहारिक शिक्षा में लगाना चाहिये।

(५) शिक्षक पूर्ण कालीन तथा अंश-कालीन दोनों प्रकार के हो सकते हैं।

(६) कानून-कक्षाएँ नियमित समय के अन्दर लगानी चाहिये।

(७) कानून-अध्ययन के साथ अन्य विषयों का अध्ययन प्रायः बन्द कर देना चाहिये।

(८) उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान की सुविधाएँ होनी चाहिये। तथा

(९) परीक्षा-विधि में सुधार होना चाहिये।

२. चिकित्सा:—(अ) मानव चिकित्सा:—इस युग में चिकित्सा विज्ञान ने बड़ी उन्नति की। साधारण-शिक्षा की वृद्धि होने के साथ ही साथ भारतीयों को अनुभव होने लगा कि चिकित्सा के लिये देश में असीम क्षेत्र विद्यमान है सन् १९४६-४७ ई० में यहाँ २६ मैडीकल कालेज तथा २५ मैडीकल स्कूल थे। १९३२ई० में 'राकफेलर फाउंडेशन' के द्वारा कलकत्ता में 'अखिल भारतीय स्वास्थ्यरक्षा तथा जन-स्वास्थ्य संस्था' (All-India Institute of Hygiene and Public Health) की स्थापना हुई। इससे एक बड़े अभाव की पूर्ति हुई। सन् १९३३ ई० में 'मैडीकल काउंसिल कानून' पाम हुआ और 'भारतीय मैडीकल काउंसिल' की स्थापना हुई। इसकी स्थापना से चिकित्सा-विज्ञान को देश में बड़ी प्रगति मिली। इसके अतिरिक्त स्त्रियों के लिये दिल्ली में १९१६ ई० में 'लेडी हार्डिंज मैडीकल कालेज' की स्थापना हुई। १९२२ ई० में कलकत्ता में भी 'स्कूल ऑव ट्रौपिकल मैडीशन' स्थापित हुआ। इसके अतिरिक्त 'देहरादून एक्स-रे इंस्टीट्यूट' तथा कसौली में केन्द्रीय-अनुसंधान-शाला (Central Research Institute) की भी स्थापना हुई है। आयुर्वेद तथा यूनानी के कालेज भी खुले हैं।

इस प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में दिन प्रति दिन उन्नति होती जा रही है। जहाँ भारतीय विद्यार्थी पहिले चीड़फाड़ से धृग्ना करते थे अब वह सिद्धहस्त हैं और कुछ लोग अन्तर्राष्ट्रीय-स्तर पर ख्यति भी प्राप्त कर चुके हैं। किन्तु इतना होते हुए भी देश को जनसंख्या, निर्धनता, रोगों तथा अज्ञानता को देखते हुए यह संख्या अपर्याप्त है। दूसरे, ग्रामीण क्षेत्रों की पूर्णतः उपेक्षा की गई है। चिकित्सा-विज्ञान के शिक्षण की उन्नति के लिये विश्वविद्यालय कमीशन ने निम्नलिखित सुझाव रखे हैं :

(१) मैडीकल कालेज में अधिक से अधिक १०० विद्यार्थी प्रविष्ट करने चाहिये।

(२) अध्ययन के वह सभी विभाग जिन्हें साथ में अस्पताल की भी आवश्यकता है एक ही सीमा के अन्तर्गत स्थित कर दिये जाँय।

(३) प्रत्येक प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के पीछे १० पलंगों की सुविधा होनी चाहिये ।

(४) 'अंडर ग्रेजुएट' तथा 'ग्रेजुएट' दोनों स्तरों का प्रशिक्षण ग्रामीण-केन्द्रों में भी होना चाहिये ।

(५) 'उत्तर-ग्रेजुएट' (Post-Graduate) प्रशिक्षण की व्यवस्था ऐसे कालेजों में होनी चाहिये जहाँ पर्याप्त स्टाफ और सजा हो ।

(६) 'जन-स्वास्थ्य इंजिनियरिंग (Public Health Engineering) तथा 'नर्सिंग' को अधिक महत्त्व देना चाहिये ।

(७) देशी चिकित्सा-पद्धति की उन्नति होनी चाहिये, तथा

(८) चिकित्सा विज्ञान के प्रथम पाठ्यक्रम में चिकित्सा-इतिहास विशेषकर भारत का-पढ़ाना चाहिये ।

(ब) पशु-चिकित्सा:—इस युग में पशु-चिकित्सा की भी उन्नति हुई 'सर्विल पशु-चिकित्सा-विभाग' को १९०३ ई० में साधारण जनता के लिये भी खोल दिया गया । साथ ही कृषि विभाग की उन्नति होनेसे पशु-चिकित्सा विभाग की भी उन्नति हुई । सन् १९०२-०७ई० के बीच में पशु-चिकित्सा स्कूलों को भंग करके कालेजों की स्थापना की गई; फलतः सन् १९०५ ई० में मद्रास तथा १९३० ई० पटना में ऐसे कालेज स्थापित हुए । उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर में 'इम्पीरियल पशु-चिकित्सा अनुसंधानशाला' की स्थापना हुई । सन् १९४८ ई० में जबलपुर में भी पशु-चिकित्सा कालेज खोला गया है । हजातनगर तथा बंगलौर में भी पशु-चिकित्सा सम्बन्ध अनुसंधानशालायें हैं । मथुरा में भी एक पशु-चिकित्सा कालेज की स्थापना प्रान्तीय सरकार ने की है ।

३. इंजिनियरिंग तथा टैक्नीकल शिक्षा:—सन् १९०२ ई० के उपरान्त इस शिक्षा ने एक नया रूप धारण किया । देश की बढ़ती हुई औद्योगिक उन्नति के लिये यह आवश्यक भी था कि अब इंजिनियरिंग तथा टैक्नोलॉजी का अध्ययन न केवल सरकारी नोक़रियों के लिये ही किया जाय अपितु देश तथा समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रथमता दी जाय; फलतः इस शिक्षा की बड़ी उन्नति हुई है । भारत की स्वतंत्रता के उपरान्त, जैसा कि पीछे संकेत किया जा चुका है, इधर बहुत से कालेज तथा अनुसंधानशालायें खुलीं हैं ।

बीसवीं शताब्दि के प्रथम दशक में बंगाल में जादबपुर नामक स्थान में 'कालेज ऑव इंजिनियरिंग तथा टैक्नोलॉजी' स्थापित किया गया था । सन् १९१७ ई० में हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस में भी इंजिनियरिंग की कक्षाएँ खुलीं । इसके अतिरिक्त पटना, लाहौर तथा करांची में इंजिनियरिंग कालेज खुले । इस प्रकार सन् १९३७ ई० तक भारत में ८ इंजिनियरिंग कालेज हो गये ।

इनमें से करांची तथा लाहौर १९४७ ई० में पाकिस्तान में चले गये। सन् १९४७ ई० में इनकी संख्या भारत में १७ हो गई। 'हार्टींग समिति-रिपोर्ट' तथा साजेंट-योजना से भी इस दिशा में बहुत प्रगति हुई जिसका उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है। सन् १९४६ ई० में 'एन० आर० सरकार समिति' की स्थापना हुई जिसने पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण में चार बड़े कालेज स्थापित करने की सिफारिश की। सन् १९४८ ई० में केन्द्रीय सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग (Department of Scientific Research) की स्थापना की है और ११ राष्ट्रीय रसायनशालायें तथा अनुसंधानशालायें स्थापित की जा रही हैं जो कि निम्नलिखित हैं :

- (१) नेशनल कैमिकल लैबोरेटरी, पूना
- (२) ,, फिजीकल ,, , नई दिल्ली
- (३) ,, मैटालर्जीकल ,, , जमशेदपुर
- (४) ,, फ्युएल रिसर्च इंस्टीट्यूट, धनबाद
- (५) सैन्ट्रल ग्लास एन्ड सिरामिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, कलकत्ता
६. रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली
७. बिल्डिङ्ग रिसर्च स्टेशन, रुड़की
८. ड्रग रिसर्च लैबोरेटरी, लखनऊ
९. फूड टेक्नालॉजीकल इंस्टीट्यूट, मैसूर
१०. इलैक्ट्रो-कैमिकल इनडस्ट्रीज एन्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कराईकुदी (मदुरा)
११. लैटर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मद्रास।

इस समय भारत में २५ इंजिनियरिङ्ग कालेज तथा १५ टैक्नालाजीकल कालेज और विद्यमान हैं। रुड़की में इंजिनियरिङ्ग विश्वविद्यालय की स्थापना का उल्लेख किया जा चुका है। प्रतिवर्ष बहुत से विद्यार्थी विदेशों में उच्च शिक्षा तथा अनुसन्धान के लिये केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों द्वारा भेजे जा रहे हैं। इंजिनियरिङ्ग तथा टैक्नालाजी की शिक्षा के लिये प्रत्येक राज्य ने अपनी स्वतन्त्र योजनायें भी बनाई हैं। केन्द्रीय सरकार ने 'साइन्टिफिक मैन-पावर कमेटी' तथा 'आय्वरसीज स्कालरशिप कमेटी' की स्थापना करके वस्तुस्थिति का पता लगाया है। दूसरी समिति को 'राय समिति' भी कहते हैं। इसके अनुसार विदेशों के लिये सरकार केवल उन्हीं विषयों के लिये ज्ञानवृत्ति देगी जिनके अध्ययन की सुविधा भारत में नहीं है। सन् १९४६-५० ई० के बजट में भारत सरकार ने इसके लिये ५० लाख रुपया की व्यवस्था की थी। १९५२-५३ ई० के बजट में भी कई लाख

रूपया इसके लिये रक्खा गया है तथा एशिया, दक्षिण अफ्रीका और मध्य एशिया के १०० विद्यार्थियों को भारत में अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति प्रदान की है ।

भारत में वर्तमान टैक्नालाजीकल संस्थाओं की अवस्था में सुधार करने के लिये भी ६० लाख रुपये की स्वीकृति हुई है । भारत के पूर्वीय क्षेत्र में 'सरकार-समिति' की सिफारिश के अनुसार 'ईस्टर्न हायर टैक्नालाजीकल इन्स्टीट्यूट, हिजली' (कलकत्ता) बन चुका है । इसी प्रकार आसाम, बम्बई, बिहार, मध्यप्रान्त, मद्रास तथा उत्तरप्रदेशीय सरकारों ने विभिन्न उद्योगों की शिक्षा की व्यवस्था की है । इतना सब होते हुए भी देश की आवश्यकताओं के लिये बड़े व्यवसायों अपर्याप्त हैं किन्तु इनका भविष्य अवश्य उज्ज्वल हैं । इस शिक्षा के सुधार तथा उन्नति के लिये विश्वविद्यालय कमीशन ने भी बड़े महत्वपूर्ण सुधार रक्खे हैं । देश की पंच-साला योजना के कार्यान्वित होने पर अवश्य ही इस क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन होने की संभावना है ।

४. कृषि-शिक्षा—बीसवी शताब्दि के प्रारम्भ से कृषि-शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान जाने लगा । सन् १९०१ ई० में भारत सरकार ने 'इन्स्पैक्टर-जनरल आव एग्रीकल्चर' का पद स्थापित किया और कृषि-विभाग का विस्तार किया । सन् १९०५ ई० से प्रति वर्ष २० लाख रुपया कृषि में प्रयोग तथा अनुसन्धान करने के लिये सुरक्षित कर दिया गया । कृषि शिक्षा की अधिक सुविधायें उत्पन्न करने के लिये भी केन्द्रीय सरकार ने योजना बनाई । तदनुसार सन् १९०८ ई० में केन्द्रीय-अनुसन्धानशाला, पूसा (बिहार) की स्थापना की गई । इसकी स्थापना में अमेरिका के एक दानी श्री हैनरी फिस् के ३० हजार डालर के दान से बहुत सहायता मिली । सन् १९३४ ई० में भूचाल के उपरान्त यह अनुसन्धानशाला दिल्ली में आ गई । इसके अतिरिक्त कानपुर (१९०६), कोइम्बटूर (१९०६), सेवर (१९०६) तथा लायलपुर में १९१० ई० में कृषि-कालेजों की स्थापना हुई । पूना कृषि-स्कूल को कालेज बना दिया गया । नैनी, कानपुर और नागपुर में भी कालेज खुले । सैयदपेट तथा शिन्नपुर कालेज भंग कर दिये गये । इन छः कालेजों में ५ का प्रबन्ध सरकार के हाथ में था तथा नैनी में स्थित इलाहाबाद एग्रीकल्चर इन्स्टीट्यूट का प्रबन्ध एक अमरीकी मिशन के आधीन था । इसके अतिरिक्त १९२८ ई० में 'रॉयल कमोशन आफ एग्रीकल्चर' को नियुक्ति हुई जिसने सम्पूर्ण-क्षेत्र का अध्ययन करके कृषि तथा ग्रामीण अवस्थाओं में सुधार के सुझाव रक्खे । इसकी सिफारिशों के फलस्वरूप १९२९ ई० में 'इम्पीरियल काउंसिल ऑव एग्रीकल्चर रिसर्च' की स्थापना की गई । माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षा में भी कृषि-विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया । गत वर्षों से कृषि शिक्षा का बहुत विकास किया जा रहा है । कालेजों

की संख्या में वृद्धि की जा रही है तथा अनुसंधान के लिये अधिक से अधिक सुविधाओं प्रदान की जा रही हैं। अमेरिका तथा इङ्ग्लैंड के लिये बहुत से विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिये भेजा जा रहा है। इस समय देश में २१ प्रमुख कृषि कालेज स्थित हैं इनमें बलवंतराजपूर कृषि कालेज आगरा, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इन्स्टीट्यूट, राजकीय कृषि-कालेज अमृतसर, कृषि कालेज बनारस विश्वविद्यालय, कृषि कालेज, बंगलौर, केन्द्रीय कृषि कालेज दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधानशाला (न्यू पूसा), दिल्ली, राजकीय कृषि कालेज कानपुर तथा कृषि कालेज पूना अधिक प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त लखावटी (उ० प्र०) धरवार, हैदराबाद, मुक्तेश्वर, नागपुर सेबर, आनंद, बपतला, इन्दौर तथा खामगाँव इत्यादि अन्य स्थान हैं जहाँ कृषि कालेज स्थापित हैं। भारत की खाद्य आवश्यकताओं को देखते हुए कृषि-विज्ञान में अधिक अनुसंधान तथा व्यवहारिक-कार्य की आवश्यकता है। “नवीन-भारत मानव-स्वतंत्रता का अग्रदूत है और इसकी रक्षा, व्यक्ति के महत्त्व तथा मानव के गौरव व सम्मान की रक्षा के लिये प्रतिश्रुत है। भारत की खाद्य समस्या उन साधनों के द्वारा हल करनी चाहिये जो कि स्वतंत्रता, जनतंत्र, समानता तथा भ्रातृत्व के मूल-भूत सिद्धान्तों पर आधारित हैं, तथा जो कि नवीन भारत के समाज निर्माण के लिये आधार शिला स्वरूप हैं।”^{११}

५. वाणिज्य—इस काल में वाणिज्य शिक्षा ने बहुत संतोषजनक उन्नति की। सन् १९०१-०२ ई० में जबकि वाणिज्य का एक भी कालेज नहीं था, १९३७ ई० में इनकी संख्या ब्रिटिश भारत में ८ हो गई। सन् १९१३ ई० में बम्बई में प्रथम वाणिज्य कालेज की स्थापना हुई। उसके उपरान्त कलकत्ता, ढाका, इलाहाबाद, दिल्ली तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों में वाणिज्य-विभाग खोले गये। सन् १९४६-४७ ई० में वाणिज्य कालेजों की संख्या १४ तथा स्कूलों की संख्या २९६ हो गई। गत ३० वर्षों में लगभग सभी विश्वविद्यालयों में वाणिज्य विभाग खुल गये हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से डिग्री कालेजों में भी कला व विज्ञान की भाँति वाणिज्य-विभाग खुल गये हैं। यह विषय मिडिल, हाईस्कूल तथा इंटर कक्षाओं में भी पढ़ाया जाता है। आंध्र तथा दिल्ली विश्वविद्यालयों में ३ वर्ष का ऑनर्स पाठ्यक्रम भी है। बम्बई, इलाहाबाद लखनऊ तथा आगरा इत्यादि विश्वविद्यालयों में एम० कॉम कक्षाएँ हैं। वाणिज्य में अनुसंधान भी हो रहे हैं।

६. अन्य—उपरोक्त व्यवसायिक शिक्षा के अतिरिक्त अन्य विभाग भी हैं जिनमें विद्यार्थियों को व्यवहारिक आर्थिक जीवन के लिये तैयार किया जाता है जैसे अध्यापन, वन-विज्ञान, कला तथा कुटीर-उद्योग इत्यादि। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये आज अनेक कालेज तथा स्कूल खुल चुके हैं। सन् १९४६-४७ ई० में ३३

ट्रेनिंग कालेज थे जिनमें २,४७४ विद्यार्थियों के शिक्षा पाने की व्यवस्था थी। इधर उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, गोरखपुर, खुर्जा, कानपुर, लखनऊ इत्यादि स्थानों पर ग्रेजुएट शिक्षकों के लिये नये कालेज खुले हैं। महिलाओं के लिये भी ट्रेनिंग कालेज हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में बी० एड० (B. Ed.) तथा एम० एड० (M. Ed.) की कक्षाएँ भी हैं। बम्बई तथा 'दिल्ली सैन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ एज्यूकेशन' में शिक्षा में अनुसंधान की भी सुविधा है किन्तु अभी भारत में शिक्षा में अनुसंधान का बड़ा अभाव है अतः कुछ विद्यार्थी प्रतिवर्ष अनुसंधान के लिये इंग्लैंड और अमेरिका जाते हैं। इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा के लिये शिक्षकों की प्रशिक्षण देने के लिये भी देश भर में केन्द्र खुले हैं जिनमें वर्धा, जामिया मिलिया दिल्ली तथा विश्वभारती अखिल भारतीय महत्त्व के हैं।

कला की शिक्षा के लिये भारत में १९४७ ई० में १४ कला स्कूल थे जिनमें १६६८ विद्यार्थियों की व्यवस्था थी। ललित-कलाओं में संगीत तथा नृत्य के लिये भी स्कूल वर्तमान हैं इनमें भातखण्डे संगीत विद्यालय बम्बई, मौरिस स्कूल लखनऊ, संगीत-विद्यालय कलकत्ता तथा कला क्षेत्र अदियार अधिक प्रसिद्ध हैं।

वन-विज्ञान की शिक्षा के लिये दो कालेज देहरादून में तथा एक कोइम्बटूर में है।

उपसंहार

इस प्रकार संक्षेप में हमने भारत में व्यवसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा की प्रगति का वर्णन किया है। विश्व आज लौकिक वैभव के पथ पर अग्रसर हो रहा है। अतीत का समृद्ध भारत बीच में एक दरिद्र राष्ट्र बन गया था किन्तु आज पुनः उसने अँगड़ाई ली है और अपने स्वर्णिम-भविष्य को ओर वह जिज्ञासा तथा आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। उसका यह स्वप्न तभी पूर्ण हो सकता है जबकि वह अपने औद्योगिक विकास के लिये पर्याप्त औद्योगिक, टैकनिकल तथा व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। हर्ष की बात है कि वह इस पथ पर अडिग कदमों द्वारा अग्रसर होता जा रहा है।

सहायक-पुस्तकें
(BIBLIOGRAPHY)

प्रथम खंड :—

- Altekar : Education in Ancient India.
Balmik : Ramayan.
Chhandogya Upanishad.
F. F. Keay : History of Indian Education; ancient and in later times.
Kautilya : Arthshastra.
Mac Donnel : Sanskrit Literature.
Manusmriti.
Mahabharat : Adi Parva.
Maxmullar : Lecture on Vedanta Philosophy.
Mundak Upanishad.
Padma Puran.
Panini.
Radha Kumad Mukerjee, Dr. : Ancient Education in India, Macmillan & Co. 1947
Satpath Brahman.
Subhashit Ratna Bhandar.
Yajnavalkya.

द्वितीय खंड :—

- A.L. Shrivastava Dr. : The Sultanate of Delhi; Shive Lal & Sons
Agra.
Cambridge History of India Vol. IV.
F.E. Keay : History of Indian Education ancient and in later times.
Ishwari Prasad Dr. : History of Medieval India; The Indian Press
Ltd. Allahabad.
Jaffar : Education in Muslim India.
J.M. Sen : History of Elementary Education in India.
K.S. Vakil : Education in India.
Nadavi.
N.N. Law : Promotion of Learning in India during Muhammadon
Rule.
S.R. SHARMA : Mughal Empire in India.
Vernier : Travels.
W.H. Moreland : From Akbar to Aurangzeb.

तृतीय खंड :—

- Adam's Report on Vernacular Education in Bengal and Bihar.
A.N. Basu : University Education in India.
A.N. Basu : Education in Modern India.
Aubrey Zellner Dr. : Education in India; Bookman Association
New York 4.

American Education, Jan. 1950.

Altekar : Education in Ancient India.

Basic and Social Education Pamphlate No. 58 (Ministry of Education in India)

Education in India : Oxford University Press.

Gokhale's speeches.

Harijan : 2-10-37; 30-10-37.

H. Sharp : Selections from Educational Records.

Hartog Committee Report.

Howell : Education in India.

Hindustan Times July 7, 1952; 30 Oct. 1952.

India Today—Vol 1. June 1952.

J.M. Sen : History of Elementary Education in India.

K.S. Vakil : Education in India.

Lalit Kumar Shah : Education and National Consciousness.

Mayhew, A. : Christianity and the Government of India.

Mukerjee S.N. : Education in India, today and tomorrow, Acharya Book Depot, Baroda.

Mukerjee S.N. : Education in India in the 20th Century; Padma Publications, Bombay.

Mukerjee S.N. : Education in Modern India, Acharya Book Depot, Baroda.

M.R. Paranjape : A source-book of Indian Education.

Narendra Deo Committee Report 1939; (for the reorganisation of Primary and Secondary Education in U.P.)

Nurullah and Naik : A History of Education in India. }

Nurullah and Naik : A Student History of Education in India. }

Macmillan & Co.

Paul Bergivin : Philosophy of Adult Education; Indiana University, Bloomington.

Progress of Education in India (Reports Govt. of India) 1930-31; 1936-37; 38-39.

Quinquennial Review of the Progress of Education in India 1912-17

Quinquennial Review of the Progress of Education in India 1917-22

Quinquennial Review of the Progress of Education in India 1922-27

Quinquennial Review of the Progress of Education in India 1927-32

A Review of Education in India (Humanyu Kabir) 1948-49.

Ritcher, J. : History of Missions in India.

Report of the Indian University Commission, (1902)

Report of the University Education Commission (Radhakrishnan Commission) Vol. I. 1949.

Report of Progress of Education in U.P. (Ministry of Education U.P.)

Report on Technical Education in India 1943.

R.K. Singh Dr. : Our Universities and our Vice Chancellors.

S.P. Chaubey Dr. : शिक्षण सिद्धान्त की रूपरेखा ।

Sargent Scheme : Post War Educational Development Scheme.

Sequerra : Education in India.

Syed Mahmud : History of English Education in India. (1781-1893)

Social Education : A work of students for students.

Trevelyan : On the Education of the People of India, 1838.

Trevelyan : Life and Works of Macaulay.

उत्तर-प्रदेश में उच्च शिक्षा : सूचना विभाग उत्तर-प्रदेश, लखनऊ ।

Wardha Scheme.

Wood-Abbott Report on Vocational Education in India.

Zakir Hussain Committee Report (On Basic Education in India.)

अनुक्रमणिका (INDEX)

- अबुलकलाम आज़ाद माननीय २६६; ३२४. इम्पीरियल इंस्टीट्यूट कृषि अनु-
अखिल भारतीय टैक्निकल शिक्षा-समिति संघान ३२५.
२६३ इम्पीरियल काउंसिल आफ एग्री-
अखिल भारतीय शिक्षा संघ ३२५. कल्चर रिसर्च ३६३.
अखिल भारतीय शिक्षा-सम्मेलन २७१. ईश्वरचन्द्र त्रिद्यासागर पंडित १३७.
३२५. उत्तरप्रदेश १५८; १७८.
अखिल भारतीय स्वास्थ्यरक्षा तथा जन- उत्तर-प्रदेश में शिक्षाप्रगति ३२६.
स्वास्थ्य संस्था ३६०. उत्कल विश्वविद्यालय ३२१.
अथर्व वेद १०. उच्च-शिक्षा २०४; ३३३.
अश्वयु ८; ९. उच्च शिक्षा के अन्य केन्द्र २५६
अन्नामलाई विश्वविद्यालय २५८, ३२१. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा योजना २७०.
अलैकज़ेंडर १७६. उच्चतर माध्यमिक स्कूल ३२६.
ऑक्लैंड की शिक्षा नीति १६६. उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा १७.
आगरा कालेज १४६, १५६. उद्गात्री ८; ९.
आगरा विश्वविद्यालय २५७, ३२३. उपसम्पदा ५६.
आचार्य नरेन्द्र देव समिति यू० पी० २६४- एकलव्य २७.
२६५, ३२७. एम्हर्स्ट लार्ड १४८.
आन्ध्र विश्वविद्यालय २५७. एंग्लो वर्नाक्युलर-विवाद १५०.
आयुर्वेद अथवा चिकित्साशास्त्र ३४; ३५१. ऐडम १२७; १२८; १६६.
आसुतोष मुकर्जी २३२; ३१०. ऐडम योजना १७०.
आज्ञापत्र १८१३ ई० १४१, १४२. ऐडवर्ड हाइडईस्ट १५६.
आज्ञापत्र. १८३३ ई० १६०. ऐनीवेसैट २१०.
इजातनगर पशुचिकित्सालय तथा अनु- ऐलफिंस्टन १२५; १४४ १४७; १४६;
संघानशाला ३२५. २५०; १५१; १५७; १५८; १५६.
इलबर्ट २१०. ऐलफिंस्टन इंस्टीट्यूट १६०; १७५; ३५३
इलाहाबाद कृषिइंस्टीट्यूट ३६३. ओदन्तपुरी ७६.
इलाहाबाद विश्वविद्यालय २०८. ओवर सीज़ स्कॉलरशिप कमेटी ३६२.
इत्सिंग ७३; ७५. औद्योगिक शिक्षा ३०, ६१; ३१४; ३५१.
इस्लामी शिक्षा की विशेषतायें १०३. अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड २१४; २५६;
इस्लामी शिक्षा के दोष १०५. ३२२.
इस्लामइउद्दौला १५६. अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सेवा-समाज ३२१.

- अन्य वेद ८.
 अन्य वेदों में शिक्षा १४.
 ऋग्वेद ७.
 ऋग्वेद में शिक्षा ११.
 कर्जन की शिक्षा नीति २१५; २३७.
 कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन २३२.
 कलकत्ता संस्कृत कालेज १४८.
 कलकत्ता मद्रसा १३७; १४६; १६३.
 कलकत्ता स्कूल पुस्तक समाज १५७.
 कलकत्ता विद्यालय समाज १५७.
 कालेलकर काका २७५.
 कुमारप्पर जे० सी० २७५.
 केन्द्रीय योजनायें ३२४.
 केन्द्रीय शिक्षा ब्यूरो २६६.
 केन्द्रीय अनुसंधानशाला कसौली ३६०.
 केन्द्रीय फिल्म लाइब्रेरी ३२५.
 केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड २५२; २६६;
 २६७; ३१६.
 कैम्पबैल १३०.
 केरे डा० १३७; १३८.
 कैमरन १२२.
 कोलब्रुक १३७.
 कौटिल्य का अर्थशास्त्र ३२; ४१.
 खेर बी० जी० २८५.
 गार्गी २८.
 गान्धीमहात्मा १३०; २६८; २७१; २७२;
 २७४; २७५; २७६; २८७.
 गिल क्राइस्ट १३७.
 गुरु गृह २३.
 गोखले गोपाल कृष्ण २११.
 गोखले का बिल २२७.
 गैर मिशनरी प्रयास १५६.
 गैर-सरकारी प्रयत्न १५३.
 चार्ल्स ग्रान्ट १३६; १४४.
 चार्ल्स मैटकाफ १४७.
 छान्दोग्य उपनिषद् ४८; ४९.
 जगहला ७७.
 जनरल काउंसिल ऑफ एज्यूकेशन
 इन इंडिया १६६.
 जयनरायण घोषाल १५८; १८०.
 जगदीश चन्द्र बोस ३१०.
 ज्ञाकिर हुसैन ३११.
 ज्ञाकिर हुसैन समिति २७५; २८४.
 जापान की शिक्षा प्रणाली २२५.
 जादवपुर ३६१
 जादवपुर कालेज ऑफ इंजिनियरिंग २२६
 जॉन स्टुअर्ट मिल १८२
 जामिया मिलिया इस्लामियाँ २४४; २६०
 जीगेन बल्ग १३३.
 जीवककुमार ६१.
 जेम्स टॉम्सन १७८; १७६.
 जे० जे० स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई ३५३;
 ३५७.
 जौनपुर १०६.
 टाल्स्टाय फार्म २७२.
 ट्रेविलियन १८२.
 डफ १५५; १५६; १८२.
 ड्रक वाटर बैथ्यून १७५.
 डैविड हेयर १५६.
 तरुण ईसाई संघ (Y.M.C.A.) ३४३.
 तक्षशिला ७०; ७१.
 दयानंद एंग्लो वैदिक कालेज लाहौर
 २०६.
 दिल्ली विश्वविद्यालय २५७.
 दिल्ली सेंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ एज्यूकेशन
 ३६५.

देवजन विद्या ३४.

देशी शिक्षा २०१.

देहरादून वन अलुसंधान शिक्षा केन्द्र
३२५.

द्रोणाचार्य २७.

धार्मिक शिक्षा ३१५ ३१६.

नदिया ७६.

नार्थब्रुक लार्ड १६१.

नागपुर विश्वविद्यालय २५७.

नालन्दा ७१; ७२; ७३; ७४.

नेटिव मैडिकल स्कूल बम्बई ३५२

नेहरू जवाहरलाल २८७; ३२४

पतञ्जलि १५८; १७८.

परीक्षाफल के अनुसार वेतन-प्रथा २३६.

पशुचिकित्सा ३७.

परांजपे आर० पी० २०६.

पाल बर्जीषिन ३३७.

पातंजलि २५.

पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक १६२.

पिगट कमेटी ३२७.

पंजाब १८०.

पंजाब विश्वविद्यालय २०८.

पोलिटेक्निक कालेज दिल्ली २६३.

प्लूशो १३३.

प्रब्रज्या ५५.

प्राथमिक शिक्षा ६०; १६६; २०२; २१३;

२३८; २४६; २६३; २७०; ३२७.

प्रादम्भिक योरपीय प्रयत्न ११६.

प्राच्य-आँगल विवाद १४६.

य-पाश्चात्य शिक्षा विवाद १६१.

प्राच्य शास्त्रीय शिक्षा के समर्थक १६१.

प्रिसेप १२०; १४८; १६१.

प्रौढ़ शिक्षा ३३७; ३५०.

फर्ग्युसन कालेज पूना २१६.

फ्रेजर १५६.

फ्रैडरिक १८२.

फ्रैंक लाबॉक ३४४.

बलवन्त राजपूत कृषि कालेज आगरा
३६३.

बलवन्त राजपूत कालेज ऑव एडल्ट
एज्युकेशन आगरा ३४६.

बलवन्त राजपूत ट्रेनिंग कालेज आगरा
३३२.

बनारस संस्कृत कालेज १३७.

बम्बई प्राथमिक शिक्षा कानून २४०

बम्बई १४६; १५५; १५७; १७५.

बम्बई शिक्षा समाज १५७.

बम्बई भारतीय शिक्षा समिति १४६;
१५८ ३५३.

बम्बई विश्वविद्यालय ३०८; ३२०.

बम्बई साक्षरता संघ ३४३.

ब्राह्मण ३०.

ब्राह्मणीय शिक्षा का सिंहावलोकन
४३-५३.

ब्रह्म-समाज १५६.

बालगंगाधर तिलक २०६; २४०.

बीदर ११०.

बेसिक शिक्षा २७१.

बैल डा० १२५; १३६.

बैलेनटाइन १७५.

बौद्ध शिक्षा प्रणाली ५४.

बौद्ध शिक्षा के बोध ६५.

बंगाल १४७; १५४; १५६; १७३.

भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस २०६.

भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन २१६;
३०६; ३११.

- भारतीय विश्वविद्यालय एकट २१८; २२१. मेयो लार्ड १६५.
 भारतीय शिक्षालय तथा पाठ्य-पुस्तक मैकाले लार्ड १२०; १६०; १६२; १६३;
 समिति १५७. १६४; १६५; १७१.
 भारतीय मैडिकल कॉउंसिल ३६०. मैकाले का विवरण-पत्र १६२.
 भंडारकर ३१०. मैसूर राज्य शिक्षा-परिषद् ३४३.
 मद्रास शिक्षालय समाज १५८. मैत्रयी २८.
 मद्रास १५१; १५५; १७७. मोहरा लार्ड १४६.
 मद्रास स्कूल बैंक सोसाइटी १५१. युजुर्वेद १०.
 महात्मा बुद्ध ५४; ५५. याज्ञवल्क्य २८; ४४.
 महाकाव्यों में शिक्षा २७. यू० पी० अनएम्प्लौयमेंट इन्क्वारी कमेटी
 महर्षि दयानंद ११५. २६४.
 मशरूवाला २७५. यूनैस्को ३४८.
 मालवीय महामना मदनमोहन २३७. रघुकुल तिलक समिति रिपोर्ट ३०४.
 मानीटर-प्रथा १२५; १२६; १३६. रमन सी० वी० ३१०.
 माध्यमिक शिक्षा १६३; २०३; २१२; २३७. रवीन्द्रनाथ टैगोर ११५.
 २४८; २६०; २७०; २६३; ३२८. रॉकफेलर फाउंडेशन ३६०.
 माध्यमिक शिक्षा कमीशन २७०; २६८. राजा राम मोहन राय १४४; १४८;
 माध्यमिक शिक्षा की कुछ समस्यायें २६६. १५३; १५६.
 मार्शमैन १३८; १८२. रायल कमीशन ऑफ एग्नीकल्चर ३६३.
 माइकेल सैडलर २३२. राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव २४४.
 मॉट-फोर्ड सुधार २४२; २४३. राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् २२५.
 मिशनरी प्रयास १५३; २०५; २१५. रिपन लार्ड १६६.
 मिलिन्द पान्ह ४१; ६०; ६१. ललित कलायें व हस्त कलायें ३८; ३६;
 मिथिला ७६. ४०; ४१; ६६
 मिन्टो लार्ड १३६; १४४. लॉबाक-प्रणाली ३४२; ३४४; ३४८.
 मुसलिम शिक्षा ८१. लिटन लार्ड १६५.
 मुसलिम लीग २२६. लोक शिक्षा समिति १४७; १४८; १५१;
 मुसलिम ऐंग्लो ओरिएण्टल कालेज १६२; १६३.
 अलीगढ़ १६१. लैंसडान लार्ड २१०.
 मुदालियर लक्ष्मण स्वामी २७०; ३११. लंकास्ट्रियन प्रणाली १५६.
 मुदालियर कमीशन (१६५२), २६८; २६६. वलमी ७४.
 मुनरो १२३; १२४; १४४; १४७; १५१; वर्णानुसार व्यवस्था ३०.
 १५२; १५३. वर्धा योजना २७१.

- वर्षा शिक्षा सम्मेलन २७१.
 वारेन हेस्टिंग्स १४४; १६१.
 वार्ड १३८.
 वास्कोडिगामा १३१.
 विक्रम शिला ७४; ७५.
 विदेश सूचना ब्यूरो २६६.
 विद्यार्थियों के कर्त्तव्य १६.
 विद्यार्थियों का निवास ५७.
 विद्यार्थी हितकारी सलाहकार बोर्ड ३१७.
 विलियम बैटिक १५७; १६०; १६५.
 विल्बरफोर्स १३६; १४०; १४५.
 विल्सन १४८; १५५; १५६; १८२.
 विल्किंसन १६६.
 वियर समिति ३२७
 विशिष्ट शिक्षा २०७.
 विश्व ईसाई विद्यार्थी संघ ३२१.
 विश्वविद्यालय शिक्षा १८३; १६०; २००;
 २३५; २४०; २५६; ३०६.
 विश्वविद्यालय विधेयक २७०; ३२१; ३२२.
 विश्वविद्यालय अनुदान समिति २६३;
 ३०६; ३२२.
 विश्वविद्यालयों में अनुसंधान ३०६.
 विश्वविद्यालय संयुक्त बोर्ड, बम्बई ३२०.
 विश्वविद्यालय शिक्षा केन्द्रीय परिषद्
 ३२१.
 बुड का शिक्षा घोषणा पत्र १८३-१८८.
 बुड-पेबट रिपोर्ट २५३.
 वैदिक कालीन शिक्षा १.
 वैश्य ३३.
 वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म ५४.
 शान्ति निकेतन २२६.
 शाह के०टो० २७५; २७८.
 शिष्य गुह सम्बन्ध ४७; ५६; १०१.
 शिक्षा सिद्धान्त ४३; ४४.
 शिक्षा संस्थाओं के रूप २२.
 शिक्षा ब्यूरो २६३.
 शिक्षा केन्द्र ६८; १०८.
 शिक्षा का रूप १११.
 शिक्षा प्रगति १४६; १७३; १८६; २३५.
 शिक्षा योजना समिति रिपोर्ट ३२५.
 शिक्षा परिषद् १७४; १७५.
 शिक्षक के कर्त्तव्य.
 शिक्षकों की दशा में सुधार ३३१.
 शिक्षा छुनेन का सिद्धांत (Filtration
 Theory) १५३; १७१.
 गुल्ज़ १३३.
 श्वार्ज़ १३५.
 शूद्र ३४.
 सर्वपल्ली राधाकृष्णन् २७०; ३११.
 सहायता अनुदान-प्रथा १८५; १८५;
 २०६.
 सम्मेलन २३.
 सर पैरी १७६; १८२.
 सर सैयद अहमदखॉ १६१.
 सर्वेंट ऑव इंडिया सोसाइटी ३४३.
 सप्रू कमेटी २६७.
 सहायक अध्यापक संघ यू०पी० ३३२; ३३३.
 स्वदेशी आन्दोलन २२५.
 सामवेद १०.
 सार्जेंट रिपोर्ट २८७.
 साहित्य का उत्कर्ष १००.
 साइंटिफिक मैन-पावर कमेटी ३६२.
 सीरामपुर त्रिमूर्ति १३८.
 सुरेन्द्रनाथ बनर्जी २१०.
 स्कूल फाइनल परीक्षा २३८.
 स्कूल लीविंग सार्टीफिकेट परीक्षा २३८.

सूत्र साहित्य २४.

सैनिक शिक्षा ३७; ६६.

सैडलर कमीशन २३२.

सैन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑव एज्युकेशन
२६८

सैन्ट्रल हिन्दू कालेज बनारस २१०.

स्पेशल बोर्ड ऑव वीमेन्स एज्युकेशन-
२३४.

स्टैनले का आज्ञा पत्र १६५.

स्त्रीशिक्षा २८; ६४; ६८; १८५; २४६; ३१७.

हरगोविन्द सिंह ठाकुर ३२८; ३३३.

द्वलकाबन्दी स्कूल १७६; १६६.

हर्टाग समिति रिपोर्ट १४५.

हरकोर्ट बटलर २२६.

हार्डिंज लार्ड १७४.

हिदुस्तानी तालीमी संघ २८४; २८५.

हिन्दू कालेज (महाविद्यालय) कलकत्ता
१५६; १५७; १५६; १६३; १७५.

हिन्दू विश्वाविद्यालय बनारस २३७.

हैनरी फिफ्थ ३६३.

होत्री ८; ६.


हौग्सन १६६.

हंटर विंलथम २००.

हंटर कमीशन १६६.

क्षत्रिय ३१.

क्षेत्रावास १०२.



लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय
Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Library

मुससुरी
MUSSGURIE

अत्रापित सं०

Acc. No.....

कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस कर दें।

Please return this book on or before the date last stamped below.

दिनांक Date	उधारकर्ता की संख्या Borrower's No.	दिनांक Date	उधारकर्ता की संख्या Borrower's No.

GL H 370.954
RAW

H
370.954

रावत

अवाप्ति सं० १०८१०

ACC. No.....

वर्ग सं.

पुस्तक सं.

Class No..... Book No.....

लेखक

Author... रावत, प्यारे लाल

शीर्षक

Title... प्राचीन काल से आधुनिक

...भारतीय शिक्षा का इतिहास ...

H

370.954

LIBRARY

L. BHADUR SHASTRI

~~7032~~

National Academy of Administration

रावत

MUSSOORIE

Accession No. 122092

1. Books are issued for 15 days only but may have to be recalled earlier if urgently required.
2. An over-due charge of 25 Paise per day per volume will be charged.
3. Books may be renewed on request, at the discretion of the Librarian.
4. Periodicals, Rare and Reference books may not be issued and may be consulted only in the Library.
5. Books lost, defaced or injured in any way shall have to be replaced or its double price shall be paid by the borrower.

Help to keep this book fresh, clean & moving